चतुर्दश माला, खंड 12, अंक 16

मंगलवार, 16 अगस्त, 2005
25 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room ... FB 025
Block ...
Acc. No. 59
Dated 3/7/06

(खंड 12 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 12, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 16, मंगलवार, 16 अगस्त, 2005/25 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 301, 303 से 306 और 310	2–31
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 302, 307 से 309 और 311 से 320	31–79
अतारांकित प्रश्न संख्या 3126 से 3282	80–363
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	
पिछले सप्ताह के दौरान सभा में हुआ कार्य	363–365
सभा पटल पर रखे गए पत्र	365–370
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	370
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
अध्ययन दौरा प्रतिवेदन	371
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
(एक) 27 जुलाई, 2005 को ओ एन जी सी के बाम्बे हाई ऑयल प्लेटफार्म में लगी विनाशकारी आग, जिसके फलस्वरूप जीवन तथा करोड़ों रुपए की सम्पति का नुकसान हुआ, से उत्पन्न स्थिति	376–394
श्री मोहन रावले	376, 380–387
श्री मणि शंकर अय्यर	376–380, 387–394
(दो) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण हालत से उत्पन्न स्थिति	394–414
श्री रघुनाथ झा	394, 399–401
श्री टी.आर. बालू	395–398, 408–414
श्री प्रभुनाथ सिंह	401–402
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	402–407
श्री सुशील कुमार मोदी	407–409

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
कार्य-मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	417
सरकारी विधेयक—*पुरःस्थापित*	
(एक) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005	418–420
(दो) उपकर विधि (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2005	420–421
(तीन) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2005	421
नियम 377 के अधीन मामले	421–433
(एक) कोल इंडिया लिमिटेड में कथित अनियमितताओं की सी बी आई जांच कराए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र शेखर दूबे	422
(दो) अलवर और दिल्ली के बीच डी एम यू सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता	
डा. करण सिंह यादव	422–423
(तीन) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले को सांस्कृतिक धरोहर (हेरिटेज डेस्टिनेशन) घोषित करने और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री अधीर चौधरी	423
(चार) आयातित सिल्क पर उच्चतर शुल्क लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिल्क उद्योग को संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
डा. राजेश मिश्रा	423–424
(पांच) व्यापारी समुदाय के हित में कर प्रणाली को सरल बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री जीवाभाई ए. पटेल	424
(छह) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल बीमा योजना पर प्रभारित प्रीमियम को घटाए जाने की आवश्यकता	
श्री वी. के. ठुम्मर	425
(सात) कर्नाटक में हेबसुर-धारवाड़-रामनगर सड़क का उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाने की आवश्यकता	
श्री प्रहलाद जोशी	425
(आठ) मध्य प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किसानों को क्रेडिट कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	426
(नौ) फौज में भर्ती होने वाले उत्तरांचल के उम्मीदवारों को ऊंचाई में दी जाने वाली छूट वापिस लिए जाने वाले आदेश को रद्द किए जाने की आवश्यकता	
श्री बची सिंह रावत ''बचदा''	426–427
(दस) जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में झांसी-कानपुर-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले मलंगा नाले पर एक पुल का पुनर्निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा	427

विषय	कॉलम
(ग्यारह) सुहागी और चारघाट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 का उचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	427
(बारह) बी आई एफ आर द्वारा यथासंस्तुत 53 बीमार वस्त्र इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री सांताश्री चटर्जी	428
(तेरह) देश में नाट्यकर्मियों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से ''नाट्य प्रदर्शन अधिनियम 1876'' को निरस्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	428–429
(चौदह) मनमाड और तिरूपति के बीच परभनी और सिकंदराबाद होते हुए एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील	429
(पन्द्रह) झारखंड में बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	429–430
(सोलह) महाराष्ट्र के सतारा और सांगली जिलों में कराड़ और सांगली में कृष्णा नदी के तटबंध को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	430
(सत्रह) बिहार के सारण जिले के मांझी क्षेत्र में एक आवासीय रेलवे स्कूल खोले जाने की आवश्यकता	
श्री प्रभुनाथ सिंह	430–431
(अठारह) टाटा-कटिहार लिंक रेल सेवा पुनः शुरू किए जाने और टाटा नगर एवं पटना के बीच एक नई सुपरफास्ट रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुनिल कुमार महतो	431
(उन्नीस) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता	
सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड	432
(बीस) मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा सीज फायर ग्राउंड रूल्स अपनाए जाने की आवश्यकता	
श्री मणि चारेनामै	432–433
नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005	433–477
विचार करने के लिए प्रस्ताव	433
श्री संतोष गंगवार	434–436
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	433, 436–438, 470–476

विषय	कॉलम
श्री के. एस. राव	439-444
श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी	444-445
श्री सुधांशु सील	446-447
श्री शैलेन्द्र कुमार	448
श्री भर्तृहरि महताब	449-451
श्री इलियास आजमी	451-452
श्री सी.के. चन्द्रप्पन	452-455
श्री राम कृपाल यादव	455-457
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	457-459
श्री फ्रांसिस फैन्थम	459-460
श्री अविनाश राय खन्ना	460-462
श्री तथागत सत्पथी	462-465
श्री वरकला राधाकृष्णन	465-468
श्री निखिल कुमार	468-469
खंड 2 से 6 और 1	477
पारित करने के लिए प्रस्ताव	477
नियम 193 के अधीन चर्चा	
पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि	478-508
श्री अविनाश राय खन्ना	478-486
श्री एस.के. खारवेनथन	486-488
श्री रामजीलाल सुमन	489-493
श्री लक्ष्मण सेठ	493-496
श्री मणि शंकर अय्यर	496-508
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	521
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	522-526
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	527-528
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	527-528

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 16 अगस्त, 2005/25 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न 301, श्री रवि प्रकाश वर्मा।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारा विशेषाधिकार हनन का नोटिस था जिस पर आपने निर्णय करना था ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह शून्य काल नहीं है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, ठीक है कि यह शून्य काल नहीं है लेकिन आपने कहा था कि आप 16 तारीख को उस पर अपना फैसला देंगे। हमारा विशेषाधिकार हनन का नोटिस था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, उच्चतम न्यायालय ने निजी कालेजों में आरक्षण के विरुद्ध एक फैसला दिया है। हमने इस अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, जब मैं खड़ा हूं तब आप सभी को बैठ जाना चाहिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं यह कहना चाहूंगा कि अध्यक्ष के प्रति ऐसा व्यवहार सर्वथा अनुचित है। मैंने पहले ही आश्वासन दिया है कि मैं प्रश्न काल के बाद इस पर चर्चा की अनुमति दूंगा और माननीय सदस्य यह जानते भी हैं। कल मैं इस पर ध्यानाकर्षण की भी अनुमति दूंगा। सभी तथ्य जानने के बाद भी माननीय सदस्य इस मामले को उठा रहे हैं।

प्रश्न 301—श्री रवि प्रकाश वर्मा।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृष्णास्वामी जी, मैं मामले के महत्व को कम नहीं कर रहा परन्तु सिर्फ बार-बार बोलने से आपको मदद नहीं मिलेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

जन शिक्षण संस्थान योजना का कार्यनिष्पादन

***301. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा के दौरान जन शिक्षण संस्थान योजना के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या जन शिक्षण संस्थान योजना के कार्यनिष्पादन के आवधिक मूल्यांकन हेतु कोई तंत्र विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जन शिक्षण संस्थान योजना के कार्यनिष्पादन की मध्यावधि समीक्षा आवधिक मूल्यांकन के समरूप है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

जन शिक्षण संस्थान की योजना के संबंध में योजना आयोग द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि समीक्षा एक आकलन है न कि योजना का मूल्यांकन।

जन शिक्षण संस्थान योजना के संबंध में मध्यावधि समीक्षा में की गई मुख्य टिप्पणियां निम्नवत हैं:

(1) प्रशासनिक व्यय को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

(2) योजना के मानीटरन हेतु संस्थान प्रभावी तंत्र।

(3) जन शिक्षण संस्थानों के निष्पादन में सुधार हेतु उपचारी एवं सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता।

योजना के दिशानिर्देशों के मुताबिक राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा नामित किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से प्रत्येक जन शिक्षण संस्थान का हर तीन वर्ष में मूल्यांकन कराया जाता है।

योजना आयोग की मध्यावधि समीक्षा जन शिक्षण संस्थान योजना का सामान्य आकलन है जबकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा किए गए मूल्यांकन विशेष रूप से अलग-अलग जन शिक्षण संस्थान के निष्पादन से संबंधित होते हैं।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि जन शिक्षण संस्थान साक्षरता कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अध्यक्ष जी, प्रश्न के उत्तर में जो कहा गया है, मुझे कहते हुये खेद हो रहा है कि मध्यावधि समीक्षा में यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि यह योजना ठीक से नहीं चल पा रही है परन्तु यहां जो जवाब दिया गया है, उससे ऐसा लगता है कि नौकरशाही कितनी खूबसूरती से सारे ईश्यू को घुमा देती है। हम लोग जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, उसे क्रिस्टलाइज करना चाहते हैं, उसे क्रिस्टलाइज न करके उसे कहीं और डाइवर्ट कर देते हैं। हम यह देख रहे हैं कि पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि में जो समीक्षा हुई है, उसमें इसका आकलन किया गया है, न कि मूल्यांकन किया गया है। इस बात के क्या मायने होते हैं? सवाल इस बात का है कि सरकार कहां तक तथ्यों को घुमायेगी? अध्यक्ष जी, जन शिक्षण संस्थान ठीक से काम नहीं कर रहे हैं जब कि यह बहुत जरूरी था कि जिनको दस्तखत करना सिखाया गया था, कम से कम उन्हें तो यह लगता कि पढ़ाई-लिखाई में अक्षर का ज्ञान होने के बाद उनकी आमदनी बढ़ेगी। ये जन शिक्षण संस्थान कायदे से काम नहीं कर रहे हैं, जब कि सरकार कहती है कि इन संस्थानों की समीक्षा एन.जी.ओज करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार पंचायती राज संस्थानों को उनमें लाजमी तौर पर इन्वाल्व करने की मेहरबानी करेगी या नहीं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष जी, प्लानिंग कमीशन ने जो असैसमेंट की है, उन्हें उसमें कुछ टिप्पणी की हैं लेकिन जहां तक जन शिक्षण संस्थान चलाने का सवाल है, इसके लिये हम क्वार्टर्ली प्रोग्रेस रिपोर्ट और एन्युअल प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते हैं। अगर कोई एन.जी.ओ. ठीक तरह से काम नहीं करता है तो उस पर एक्शन लिया जाता है। जहां तक इस तरह के कार्यक्रम जहां चल रहे हैं, न हम लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और न ही बंद करने की कोशिश करते हैं।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि पंचायती राज के जो चुने हुये प्रतिनिध हैं, क्या उन्हें अपने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिये सीधे तौर पर जवाबदेह बनायेंगे या नहीं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। इसे एन.जी.ओज. ही चलाते हैं और इनमें स्टेट गवर्नमैन्ट का भी एक रिप्रजेन्टेटिव रहता है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। मेरे पास आंकड़े हैं। मेरा क्षेत्र सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की स्थिति बहुत खराब है। वहां महिलाओं की साक्षरता का प्रतिशत कहीं सात प्रतिशत है और कहीं नौ प्रतिशत है और ऐसे हालात में वह प्रोग्राम वहां बंद कर दिया गया है। मुझे मालूम है कि वहां शुरू में एक घपला हुआ था। यह सारी की सारी योजना बेईमान सरकारी कर्मचारियों द्वारा संचालित की जा रही थी। जब वहां घपला हुआ तो उसके लिए जांच बैठी। मैं जानना चाहता हूं कि यह किस किताब में लिखा है कि जब जांच हो तो उसके बाद प्रोग्राम ही बंद कर दिया जाए। वहां यह प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह जे.एस.एस. और साक्षरता के प्रोग्राम की दोबारा समीक्षा करके इन्हें लखीमपुर खीरी में चालू करेंगे या नहीं?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, पूरे मुल्क में तकरीबन 157 जन शिक्षण संस्थानों के जरिये यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें 31 उत्तर प्रदेश में चलते हैं। जहां तक माननीय सदस्य के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का सवाल है, पूरे हिन्दुस्तान में जब हम लोगों ने इसके बारे में जानकारी ली तो कुछ केसिज में हम लोगों को एक्शन भी लेना पड़ा। कुल मिलाकर 12 जन शिक्षण संस्थानों के ऊपर हमारी कमेटी ने एक्शन लिया। उसमें या

तो किसी और को वह काम दे दिया गया या फिर उस काम को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हवाले कर दिया गया। इस तरह से कहीं पर भी वह काम रोका नहीं गया।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: यह तथ्य गलत है। मेरे संसदीय क्षेत्र में साक्षरता का पूरा प्रोग्राम ठप्प हो गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब आप बैठिये।

[अनुवाद]

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि महाराष्ट्र में जन शिक्षण संस्थान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चलाए जा रहे कन्टिन्यूइंग एजुकेशन सेन्टर तथा नोडल कन्टिन्यूइंग एजुकेशन सेन्टरों की संख्या कितनी है; और पिछली पंचवर्षीय योजना के दौरान कन्टिन्यूइंग एजुकेशन स्कीम के अंतर्गत व्यावसायिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए जन शिक्षण संस्थान द्वारा जिला शिक्षा समितियों को कितनी सहायता दी गई।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महाराष्ट्र से 25 दरख्वास्तें आई थीं और छः प्रपोजल शार्टलिस्टेड हुए थे, जिनमें से एक चलाया जा रहा है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: आपने कितनी फाइनेन्शियल असिस्टैन्स दी?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: फाइनेन्शियल असिस्टैन्स की तीन कैटेगरीज हैं। यदि 'ए' कैटेगरी है तो उसे 35 लाख रुपये देते हैं। यदि 'बी' कैटेगरी है तो 30 लाख रुपये देते हैं और यदि 'सी' कैटगरी है तो 25 लाख रुपये देते हैं।

[अनुवाद]

श्री के.एस. राव: महोदय, आज हमें देश में लोगों की दक्षता में सुधार लाने की आवश्यकता है। देश का विकास तभी हो सकता है जब लोगों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की दक्षता में सुधार लाया जाएगा। जन शिक्षण संस्थान की योजना एक उत्कृष्ट योजना है। परन्तु माननीय मंत्री कह रहे थे कि देश में केवल 167 जन शिक्षण संस्थान हैं। जन शिक्षण संस्थान की उपयोगिता तथा इसके द्वारा स्थानीय विषयों में जहां आवश्यकता हो दिए जा रहे प्रशिक्षण को देखते हुए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार प्रत्येक जिले में अधिक नहीं तो कम से कम एक जन शिक्षण संस्थान खोलने पर विचार कर रही है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: दसवीं योजना में 50 जे.एस.एस. खुलने थे, जो सब सैंक्शन हो गये हैं। जहां तक ग्यारहवीं योजना का सवाल है, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है और जो माननीय सदस्य की ख्वाहिश है उसे हम जरूर रखना चाहेंगे। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि जब इसे आगे बढ़ाने की बात होगी तो उसमें हम इस बात को जरूर रखेंगे।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब: महोदय, जन शिक्षण संस्थान योजना 1988 से शुरू है। यह इसका 17वां वर्ष है। क्या मूल्यांकन में दिखाया गया है कि केवल 20 प्रतिशत का बहुत अच्छा कहा जा सकता है और देश में चलाए जा रहे कुल जन शिक्षण संस्थानों में से 29 प्रतिशत औसत से कम हैं? क्या प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को एक योजना एक विस्तृत सी एस एस में समाहित किया जा रहा है। जिसके सर्व शिक्षा अभियान की तरह अलग घटक हैं। यदि आवश्यक हो, तो अलग मानदण्ड हों और जिसे राज्य सरकार से निधियां मिलें? क्या कई जन शिक्षण संस्थान ठीक से कार्य नहीं कर रहे है? इनके कार्यकलापों में सुधार लाने के लिए क्या तात्कालिक उपचारात्मक तथा निवारक कदम उठाए जा रहे हैं? गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकलापों की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, जहां तक गुड, वेरीगुड या सेटिसफेक्टरी ग्रेडिंग देने का सवाल है, इसका आकलन हम जेएसएस के काम को देख कर करते हैं और जहां तक मोनिटरिंग का सवाल है उसे हम क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, एन्युअल प्रोग्रेस रिपोर्ट के आधार पर करते हैं। एन्युअल एक्शन प्लान होता है और उसकी एन्युअल आडिटिंग करते हैं और जैसा कि आपने कहा राज्य सरकार का रिप्रेजेंटिव भी इसमें होता है। अभी तक हम इसे यहीं से चलाते हैं, लेकिन राज्य सरकार का भी एक रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर निश्चित रूप से होता है और हम लोग हर साल डायरेक्टर्स की मीटिंग रखते हैं जिसमें कहां पर क्या कमी है, उससे अवगत करा सकें और किस तरह से और अच्छी तरह से काम चल सके, इस पर विचार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: श्री आजमी जी, ये प्रश्न आपकी पार्टी के ही थे। पांच प्रश्न हो गए हैं, लेकिन तब भी आपको पूछने का मौका जरूर देते। मुझसे गलती हो गई।

...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आज़मी: मैं माननीय मंत्री जी से साक्षरता के विषय के बारे में जानना चाहता हूं। संसद के अंदर और संसद के बाहर भी कहा जाता है कि एक करोड़ रुपये के खर्च पर एक आदमी को साक्षर किया जाता है। क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है कि एक आदमी को साक्षर करने में एक करोड़ रुपये का खर्च किया गया है? यह जो घोटाला हो रहा है, उसे बंद करने के बारे में क्या मंत्री जी सोचेंगे?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं है कि एक आदमी पर एक कोड़ रुपया खर्च हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछिए। यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब मंत्री जी को उत्तर देने दें।

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी: जो कम पढ़े-लिखे लोग हैं उनको इलेक्ट्रीशियन का, वैलडिंग का और मोटर रिपेयर करने का काम सिखा दिया गया है। यह साक्षरता से बाद की चीजें हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आजमी जी, आप बहुत सीनियर सदस्य हैं। आप क्या कर रहे हैं?

श्री इलियास आज़मी: महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा करा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: चर्चा करवाने की भी एक प्रक्रिया है। सिर्फ खड़े होने से चर्चा नहीं होती है। कभी-कभी कहते हैं कि हम डिक्टेटर हैं, लेकिन हम डिक्टेटर नहीं हैं।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय हमारे जिले में एक जन शिक्षण संस्थान है। यह ठीक से कार्य कर रहा है। वे ग्रामीण क़ारीगरों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। वे अकुशल ग्रामीण कारीगरों को कुशल बनाने में उनकी सहायता कर रहे हैं। परन्तु समस्या यह है कि जिन कारीगरों को प्रशिक्षण दिया जाता है उन्हें अपने उत्पाद बेचने के लिए बाजार संबंधी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। क्या मंत्रालय जन शिक्षण संस्थान को कुछ और धनराशि देगा ताकि वह ग्रामीण कारीगरों द्वारा निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए विपणन नेटवर्क का विकास कर सके?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अभी स्कीम के अंदर इस तरह की कोई सुविधा नहीं दी गई है। हम यहां सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग करके वह कहीं भी जा कर रोजगार कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 302—श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी—उपस्थित नहीं।

श्री हेमलाल मुर्मू—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 303—श्री बृज किशोर त्रिपाठी।

भारत-म्यांमार सीमा पर उग्रवाद/घुसपैठ

+
***303 श्री बृज किशोर त्रिपाठी:**
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमा क्षेत्रों में शांति व्यवस्था रखने हेतु म्यांमार सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उग्रवाद/घुसपैठ रोकने के लिए दोनों देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए समझौते के अनुसार गृह मंत्रालय के अधिकारियों की उनके समकक्ष म्यांमार के अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकें होती हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसी बैठकों के अनुवर्तन में लिए गए निर्णयों और अब तक कार्यान्वित किए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दोनों सरकारों द्वारा लंबित निर्णयों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) भारत-म्यांमार सीमा पर शान्ति और अमन-चैन बनाए रखने के लिए 21 जनवरी, 1994 को भारत सरकार और म्यांमार संघ सरकार के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौता ज्ञापन की शर्तों के अन्तर्गत, दोनों देशों की सरकारों ने, अन्य बातों के साथ-साथ उनके सुरक्षा बलों द्वारा एक दूसरे के क्षेत्र के अनजाने में उल्लंघनों की रोकथाम हेतु उपाय

करने तथा सीमा पर घुसपैठियों और नशीली दवाओं के अवैध व्यापारियों की गतिविधियों को समाप्त करने पर सहमति प्रकट की थी।

(ग) से (ङ) ऊपरिलिखित समझौता ज्ञापन के अनुसरण में अभी तक दोनों देशों के बीच दस राष्ट्र स्तरीय बैठकें और तेरह क्षेत्र स्तरीय बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। इन बैठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, सुरक्षा, नशीली दवाओं के अवैध व्यापार, सीमा स्तम्भों, सीमा व्यापार, सीमा पर आवा-जाही जैसी समस्याओं और म्यांमार में प्रस्तावित आधारभूत परियोजनाओं पर चर्चा की गई थी। इन बैठकों में हुई चर्चा से दोनों पक्षों को आपसी सरोकार के मुद्दों पर एक दूसरे के दृष्टिकोण समझने में सहायता मिली है तथा इससे दोनों देशों के बीच सहयोग सुदृढ़ हुआ है। म्यांमार क्षेत्र में कुछ भारतीय राष्ट्र विरोधी ग्रुपों की उपस्थिति और पूर्वोत्तर राज्यों में उनकी गतिविधियों के बारे में हमारी चिन्ता से भी म्यांमार सरकार को अवगत करवाया गया था। म्यांमार संघ सरकार ने हमारी चिन्ता को समझा है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है कि म्यांमार की धरती के किसी भी भाग का भारत के विरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि म्यांमार भारत की 'पूर्व की ओर देखो नीति' के एक भाग के रूप में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। म्यांमार भारत और चीन के बीच दक्षिणी सिल्क रूप रूट पुन: शुरू करने तथा दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण भू-मार्ग सम्पर्क स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। समझौता ज्ञापन में अनेक मुद्दों पर निर्णय लिया गया है। दोनों देशों द्वारा काफी मुद्दों पर ध्यान दिया गया है, विशेषकर हमारे देश के हितों का समझौता ज्ञापन में उल्लेख किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और म्यांमार ने अराकान पर्वतश्रेणी में कैम्पस से अपनी गतिविधियां चलाने वाले उग्रवादियों को निकाल बाहर करने हेतु एक संयुक्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। श्री एस.एस. खाल्पलांग के नेतृत्व वाले एन एस सी एन ने, जो म्यांमार के कैम्पस से अपनी गतिविधियां चलाते हैं, तीन वर्ष पुराने युद्ध-विराम समझौते को तोड़ने की धमकी दी है। समझौता ज्ञापन में इस संयुक्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह संयुक्त कार्रवाई की गयी है अथवा इस पर ध्यान नहीं दिया गया है।

श्री शिवराज वि. पाटील: इस प्रकार की संयुक्त कार्रवाई करने पर कोई समझौता नहीं हुआ था। समझौता यह हुआ था कि म्यांमार सरकार और भारत सरकार अपने-अपने क्षेत्रों में उग्रवादियों और आतंकवादियों द्वारा चलायी जा रही गतिविधियों की जानकारी एक-दूसरे को देंगे। सरकारें अपने-अपने इन क्षेत्रों में स्वयं कार्रवाइयां करेंगी। ये कार्रवाई प्राप्त सूचना, खुफिया जानकारी पर आधारित होंगी। सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा दोनों देशों के बीच अवसंरचना कार्यक्रम से संबंधित हैं। प्रस्तावित गैस पाइपलाइन संबंधी अद्यतन स्थिति क्या है जो कि समझौता ज्ञापन का एक हिस्सा भी है। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है? दूसरा, आर्थिक मुद्दों पर क्या कार्रवाई की गयी है विशेषकर सीमा से होने वाले व्यापार के संबंध में क्या कार्रवाई हुई है? इस बीच, अधिकारिक स्तर की दस दौर की चर्चाएं हो चुकी हैं तथा क्षेत्रवार कतिपय स्तर तक चर्चाएं पूरी हो चुकी हैं। आर्थिक मुद्दों में सीमा से होने वाले व्यापार और प्रस्तावित गैस पाइपलाइन परियोजना शामिल हैं जो हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस गैस पाइपलाइन परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हो रहा है क्योंकि हाल ही में म्यांमार दोनों देशों के बीच हुए प्रस्तावित तेल अन्वेषण सौदे से पीछे हट गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह इस विषय को नहीं देखते हैं।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: यह समझौता ज्ञापन का एक अंश है। उन्होंने अपने उत्तर में अवसंरचना के बारे में भी उल्लेख किया है। यदि वह उत्तर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं। मुझे पता है कि यह विषय उनके विभाग से संबंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूं। यह समझौता वर्ष 1994 में हुआ था और तभी से यह लागू है। पाइपलाइन के मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई थी। रिकार्ड में यह शामिल नहीं है।

जहां तक सीमा से होने वाले व्यापार का प्रश्न है, हमने सीमा से होने वाले व्यापार हेतु कुछ क्षेत्र खोले हैं। म्यांमार और भारत से लोग इन क्षेत्रों से एक-दूसरे की सीमा में जाकर व्यापार कर रहे हैं। सीमा से होने वाले व्यापार हेतु कुछ और चौकियां खोलने के सुझाव भी दिए गए हैं।

श्री बाडिगा रामकृष्णा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं म्यांमार सीमा पर गोल्डेन ट्रायंगल के माध्यम से स्वापक पदार्थों की जारी तस्करी के बारे में विभिन्न प्रेस रिपोर्टों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। इस तस्करी ने गम्भीर रूप ले लिया है। आतंकवादियों और घुसपैठियों के माध्यम से इन स्वापक पदार्थों को सीमा पार लाया ले जाया जा रहा है। भारत-म्यांमार सीमा पर कानून व्यवस्था की स्थिति काफी नाजुक हो गयी है। यह भी कहा जाता है कि भारत-म्यांमार सीमा के आसपास रहने वाले लोगों के

पास जीविकोपार्जन के अन्य साधन नहीं हैं। वे असामाजिक तत्वों के आसानी से शिकार बन रहे हैं। क्या मंत्रालय ने भारत-म्यांमार सीमा के आसपास रहने वाले लोगों हेतु किसी आर्थिक पैकेज की घोषणा करने और इस क्षेत्र के विकास हेतु कोई कार्यक्रम क्रियान्वित करने के बारे में सोचा है?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है वह दुर्भाग्यवश सही है। भारत सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास कार्य शुरू किया है और हमारे पास इसके लिए अनेक योजनाएं हैं।

हम इन क्षेत्रों में सड़कों, विद्यालयों, अस्पतालों जैसी अवसंरचना विकसित करने तथा वहां की जनता को बिजली और रोजगार मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकारों के पास अनेक योजनाएं उपलब्ध हैं तथा राज्य सरकारों के माध्यम से हम अवसंरचना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। परन्तु चूंकि ये क्षेत्र सघन वन क्षेत्र हैं और वहां की जनता अभी भी कठिनाइयां झेल रही है—माननीय सदस्य ने जो कुछ भी कहा है वह सही है—हमें इससे कहीं और अधिक करने की आवश्यकता है ताकि वे इस प्रकार की गतिविधियों का शिकार न बनें।

श्री वनलाल जावमा: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मिजोरम का प्रतिनिधित्व करता हूं। मिजोरम की म्यांमार के साथ 400 कि.मी. लम्बी सीमा लगती है। मैं माननीय गृह मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि म्यांमार से होने वाली घुसपैठ को रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? मुझे प्राप्त सूचना के अनुसार, असम राइफल्स द्वारा इस सीमा की निगरानी की जा रही है। परन्तु जब मैंने इसके बारे में असम राइफल्स से पूछा तो उन्होंने बताया कि 'उनकी ड्यूटी मात्र विदेशी आक्रमण को रोकना है। वे सीमा पर ड्यूटी चौकियां स्थापित नहीं कर रहे हैं। यदि आप मिजोरम से म्यांमार जा रहे हैं तो आपको प्रत्येक प्रवेश-स्थल पर बर्मा के सैनिक तैनात मिलेंगे और आपको उन्हीं को रिपोर्ट करना होगा। परन्तु भारत की ओर वहां कोई व्यक्ति नहीं होगा। असम राइफल्स ने सीमा पर कुछ गांवों में कुछ चौकियां स्थापित की हैं परन्तु महत्वपूर्ण प्रवेश-स्थलों पर कोई चेक पोस्ट नहीं है। म्यांमार की ओर से कोई भी व्यक्ति कभी भी बिना किसी समस्या के भारत की सीमा में प्रवेश कर सकता है।

इसलिए, म्यांमार से भारत में आने वाले इन घुसपैठियों को कौन रोकेगा?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, इन सीमाओं की रक्षा राज्य पुलिस और असम राइफल्स द्वारा की जाती है तथा भारतीय सेना, जो कुछ स्थानों पर तैनात है, यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करती है ताकि इन सीमाओं को घुसपैठ मुक्त रखा जा सके। परन्तु आवश्यक होने पर इन सैन्य बलों को उनकी मदद करने के लिए आदेश दिए जाएंगे। यह कार्य इन सैन्य बलों द्वारा स्वयंमेव अथवा केन्द्र सरकार या एजेन्सियों के माध्यम से नहीं किए जा रहे हैं। म्यांमार से मिजोरम में होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए राज्य सरकार को असम राइफल्स की सेवाएं मुहैय्या करायी जाएंगी। जब राज्य सरकारें व अन्य इस बारे में निर्णय लेते हैं तो उनको आदेश दिए जाएंगे।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि म्यांमार हमारे पूर्वोत्तर राज्यों के लिओ और पूरब की दिशा से हमारे व्यापार और सम्पर्क का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसे 10 वर्ष हो गये, जब हमने म्यांमार से यह समझौता किया। 10 वर्ष की अवधि में नारकोटिक्स, मिलिटेंट्स ट्रेनिंग या आवाजाही में जो गैरकानूनी काम-काज हो रहे हैं, इनकी रोकथाम करने के लिए एक दूसरे के साथ हम सम्पर्क रखेंगे, वार्तालाप भी करेंगे। क्या आपने रिव्यू किया कि 10 वर्षों की अवधि में हमारा नारको टैरेरिज्म का जो रूप था और जिस तरह से वह इस इलाके में बढ़ रहा था, उससे भी कम हुए हैं, हमें और भी आगे कदम रखना चाहिए या किस हद तक हम हैं, इसी से हम संतुष्ट हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: यह जो एग्रीमेंट है, यह सिर्फ नारकोटिक ट्रैफिक को बन्द करने के लिए या गन रनिंग बन्द करने के लिए ही नहीं है, यह अनेक दूसरी चीजें करने के लिए भी है। जैसे बोर्डर ट्रेड की चर्चा यहां पर हो गई है और जो टैररिस्ट्स एक्टिविटीज म्यांमार में हो रही हैं या इण्डियन टैरीटरी में बोर्डर पर हो रही हैं, उन्हें रोकने के लिए भी है। आपका सवाल था कि नारको टैफिकिंग कम हो गई है क्या? अब इसका असेसमेंट करके हम आपको जरूर बताएंगे, मगर ये जो हमारे म्यांमार के रिलेशंस हैं, वे बड़े अजब स्टेटेज से गुजरे हुए हैं। पहले ये बहुत अच्छे थे, बाद में थोड़ा सा दुराव निर्माण हो गया, अब वे बहुत अच्छा हुए नजर आ रहे हैं और दोनों मिलकर इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब यह रोकने की कोशिश करते हैं तो उस सरकार का लक्ष्य किधर केन्द्रित है, इसके ऊपर भी ज्यादा परेशानी होती है। म्यांमार की जो उनकी शक्ति है, पुलिस फोर्स है और आर्मी है, उनकी सहायता से जो वे कर सकते हैं, कर रहे हैं। हमारी तरफ से उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जो यहां पर कर सकते हैं, वह कर रहे हैं, लेकिन शायद उनका लक्ष्य इस बार्डर से ज्यादा दूसरे बार्डर पर है। उनकी फोर्सिज भी दूसरे बार्डर पर ज्यादा हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो कुछ हुआ है,

वह ठीक है, लेकिन वह पूरी तरह से समाधानकारक नहीं है, उससे अच्छा करने के लिए दोनों तरफ से कदम उठाने जरूरी हैं।

[अनुवाद]

शैक्षिक बोझ को कम करना

***304. श्री ए. साई प्रताप:**
श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को स्कूली बच्चों पर शैक्षिक बोझ को कम करने संबंधी प्रो. यशपाल समिति की सिफारिशों को धीमी गति से कार्यान्वित किए जाने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या अधिकांश राज्यों ने उक्त समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्यवाही शुरू नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) स्कूली विद्यार्थियों पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करते हुए शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु सलाह देने के प्रयोजनार्थ प्रो. यशपाल की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने जुलाई, 1993 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं।

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अक्तूबर, 1993 तथा मार्च, 1994 में आयोजित बैठकों में इस समिति की सिफारिशों पर विचार-विमर्श किया गया जिनमें राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इन सिफारिशों पर अपनी स्पष्ट सहमति व्यक्त की। निदेशक, एन सी ई आर टी की अध्यक्षता में गठित एक समिति ने बच्चों पर पाठ्यचर्या के बोझ को कम करने के निमित्त राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों का 1997 तक अनुवीक्षण किया।

चूंकि अधिकांश विद्यालय राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के क्षेत्राधिकार में आते हैं, अत: यह सरकारों तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्डों पर निर्भर करता है कि वे समिति की सिफारिशों को लागू करें।

केन्द्र सरकार ने जुलाई, 2004 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् को यह निर्देश दिए हैं कि वह राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 को तैयार करते समय यशपाल समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखे। राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यचर्या-2005 को जब अंतिम रूप दिया जाएगा तो इसमें बच्चों पर पाठ्यचर्या के बोझ से उत्पन्न समस्या का निदान भी शामिल होगा।

श्री ए. साई प्रताप: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं। महोदय, बच्चे राष्ट्र के भविष्य के निर्माता होते हैं। छोटे बच्चों, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों पर पुस्तकों के बढ़ते बोझ से उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है जिससे अभिभावक चिंतित हैं। मेरा प्रश्न यही है। क्रियाकलाप-आधारित पठन और तीन अथवा चार पुस्तकों की बजाय एक पुस्तक प्रणाली को लागू करने के लिए इस शैक्षणिक वर्ष से पाठ्यक्रम में कितना परिवर्तन किया गया है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी: सबसे पहले कैब कमेटी ने अक्तूबर 1993 में और मार्च 1994 में इस पर विस्तार से गुफ्तगू की थी। उस वक्त राज्य सरकार भी इस चीज के लिए तैयार हो गई थी। कैब कमेटी की रिपोर्ट सभी जगह भेज दी गई थी, सीबीएसई, सर्वोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय आदि सबको दे दिया गया था। उसके बाद एक मानिटरिंग कमेटी भी बनी थी, लेकिन 1995 और 1997 के बाद इस पर काम उस लेवल तक नहीं हो पाया, जिस लेवल पर होना चाहिए था। लेकिन जब से यूपीए की सरकार आयी है, तब से इस पर फिर से काम हो रहा है। सीबीएसई को खास तौर से एडवाइज किया गया है कि जो बच्चे कक्षा एक से दो तक के हैं उनके लिए कम से कम किताब हों और जो भी किताबें हों, वे स्कूल के अंदर की हों। इसके अलावा साफ्ट स्किल, जैसे म्यूजिक, डांस और फाइन आर्टस आदि पर जोर दिया जाए। खेल-खेल में बच्चों को पढ़ाया जाए। इस तरह के आल्टरनेटिव एक्टिविटिज को करने के लिए रिकमैंड किया गया है। इसके अलावा हम राज्य सरकारों से भी बात कर रहे हैं, ताकि बच्चों के ऊपर जो किताबों और पाठ्यपुस्तकों का बोझ है, उसको कम से कम किया जा सके और बच्चे आसानी से शिक्षा हासिल कर सकें।

[अनुवाद]

श्री ए. साई प्रताप: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि बच्चों पर पढ़ाई का बोझ बढ़ाने के लिए और गुणवत्ता

शिक्षा के नाम पर शिक्षा को महंगी बनाने के लिए मुख्यत: निजी और कुछ पब्लिक विद्यालय जिम्मेदार हैं। यदि ऐसा है, तो क्या सरकार का विचार व्यासीयकरण की रोक-थाम करने हेतु मानदंडों को बदलने का है और क्या इस हेतु विकसित किए गए मानदंडों को समिति की सिफारिशों के अनुसार, राज्य संचालित संस्थानों सहित सभी विद्यालयों पर समान रुप से लागू किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, यह बात सही है और यशपाल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था। जब उन्होंने सर्वे किया तो पाया कि दिल्ली के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं, उनके बच्चों के बस्ते का एवरेज वजन चार किलो था और एमसीडी में पढ़ने वाले बच्चों के बस्ते का अवरेज वजन एक किलो के करीब था। प्राइवेट इंस्टीटयूशन्स के अंदर यह ज्यादा है। इसीलिए सीबीएसई के अंतर्गत जो स्कूल आते हैं, उनको सलाह दी गई है कि इसको डिस्कस करके बच्चों के ऊपर बस्ते का जितना वजन कम हो सके, किया जाए। इसके अलावा वे-आफ-टीचिंग भी सही होना चाहिए। बच्चों के लिए ट्रैन्ड टीचर होने चाहिए, किताबें अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चे आसानी से शिक्षा हासिल कर सकें।

[अनुवाद]

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: माननीय अध्यक्ष महोदय, 15 जुलाई, 1993 को यशपाल समिति ने अपना प्रतिवेदन सौंपा था। प्रतिवेदन में कई उपयोगी सिफारिशें की गई हैं। हमारी शैक्षणिक प्रणाली की सबसे बड़ी खामी है कि "पढ़ाया बहुत कुछ जाता है परन्तु बहुत थोड़ा समझा जाता है" और इसके परिणामस्वरूप बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों की दर बढ़ी है और परीक्षा-परिणामों के पश्चात् छात्रों में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति बढ़ी है। अत: हमारी शैक्षणिक प्रणाली में सुधार लाने हेतु शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिए।

यशपाल समिति ने 12 सिफारिशें की थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने समिति द्वारा की गई सभी 12 सिफारिशों को स्वीकार किया है और क्या इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने हेतु राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं तथा क्या राज्य सरकारों ने पहले क्रियान्वित की गई सिफारिशों के बारे में केन्द्र सरकार को सूचित किया है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी: अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने पहले बताया, 1995 से 1997 तक डा. ए.के. शर्मा, डायरैक्टर, एनसीईआरटी के अंदर एक मौनिटरिंग कमेटी थी, जिसमें दो मैम्बर स्टेट्स से थे। उसमें काम काफी आगे बढ़ा है और बहुत जगहों पर उसका फायदा भी हुआ है। लेकिन अब जब यूपीए सरकार आई है, फिर से एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ड्राफ्ट, 2005 तैयार है जिसे हम सीबीएसई और सारे राज्यों को भेज रहे हैं ताकि उस पर अमल हो सके।

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी निश्चित ही शिक्षा पर बहुत धन खर्च कर रहे हैं। शहरों में अलग शिक्षा है और गांवों में अलग शिक्षा है। बच्चों पर बस्तों का बोझ बहुत अधिक होता है। छोटे बच्चे बहुत बड़ा बस्ता लेकर जाते हैं जिससे उन्हें कठिनाई होती है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पूरे देश में समान शिक्षा लागू करने का कोई प्रस्ताव है?

श्री मोहम्मद अली अशरफ़ फ़ातमी: अध्यक्ष महोदय, राज्य बोर्ड अलग कोर्सेज चलाते हैं और सीबीएसई के अलग कोर्सेज हैं, हरेक का सिस्टम अलग है, लेकिन सरकार का ऐम है कि बर्डन कम हो और शिक्षा के तरीकों में तब्दीली आए ताकि बच्चों को मैंटल और फिजिकल लोड से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, यशपाल समिति की नियुक्ति की गई थी और वर्ष 1993 में इस मुद्दे को उठाया गया था। तबसे 12 वर्ष गुजर चुके हैं और अभी तक इसने साकार रूप नहीं लिया है। कहां विलंब हुआ? माननीय मंत्री जी के अनुसार—अब इस मुद्दे पर संप्रग सरकार ने पहल की है। क्या इसका तात्पर्य यह है कि पिछले 12 वर्षों से पूर्ववर्ती सरकारें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सो रही थी? मैं इस बारे में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, स्लिपिंग का सवाल नहीं है, सबमें काम हुआ है और किताबों का बोझ भी कम हुआ है। ऐग्जामिनेशन के अंदर भी प्रश्नों में तब्दीली लाई गई है। लेकिन जिस तेजी से काम होना चाहिए, वह नहीं हो पाया है। इसके लिए हम आगे कदम उठा रहे हैं।

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के मामले में अगर आप गांवों से प्रारंभ करें और दिल्ली तक आएं, तो शहर-शहर में शिक्षा बदल जाती है। प्राइमरी से लेकर यूनीवर्सिटी तक स्लेबस अलग है। अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में एम.ए. में एडमिशन लेंगे तो आठ पर्चे प्रिवियस में होंगे और आठ पर्चे फाइनल में होंगे, लेकिन अगर हम आगरा यूनीवर्सिटी में जाएंगे तो

चार पर्चे प्रिवियस में होंगे और चार पर्चे फाइनल में होंगे। एजूकेशन के क्षेत्र में पूरे देश में इतना जबरदस्त डिफरैंस कालेज से कालेज में हो जाता है। इसलिए माननीय सदस्य श्री शाक्य जानना चाहते थे और मैं भी जानना चाहता हूं। क्या यूजीसी पूरे देश में यूनीवर्सिटी स्तर पर एक जैसी शिक्षा की व्यवस्था कर सकती है? इसी तरह माध्यमिक शिक्षा के लिए आपकी संस्था पूरे देश में एक जैसा स्लेबस कर सकती है? छोटे बच्चों की स्थिति बहुत दयनीय है। बच्चों का वजन कम होता है, लेकिन किताबों का वजन उनसे ज्यादा होता है। एजूकेशन कनकरैंट लिस्ट में है। आप यह भी नहीं कह सकते कि यह राज्य सूची का विषय है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या प्राइमरी, माध्यमिक और यूनीवर्सिटी स्तर पर एक जैसा स्लेबस, एक जैसी पुस्तकों की व्यवस्था करने के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष महोदय, यशपाल समिति एक से बारह क्लास तक के बच्चों के लिए बनाई गई थी और जितने मुद्दे इसके अंदर आए, वे भी क्लास एक से लेकर क्लास बारह तक के बच्चों से संबंधित थे। जहां तक सवाल पैदा होता है कि क्या समान यानी एक तरह की शिक्षा प्रणाली पूरे देश में हो सकती है या नहीं हो सकती है? इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि सभी राज्य इसके मैम्बर हैं। वहां पर इसमें विस्तार से बातें हुई हैं और इस समिति के नतीजे वहीं से आए हैं। अगर किसी राज्य को कोई बात वहां रखनी है तो वहां रख सकते हैं। जहां तक सवाल पैदा होता है कि कोई कदम नहीं उठाया गया है, मैं कहना चाहूंगा कि कदम उठाये गये हैं और उसकी वजह से काफी फायदा हुआ है तथा अब सीबीएसई ने कुछ एग्जामिनेशंस के लिए कदम उठाए हैं और अगले साल से उन्हें लागू किया जाएगा। जहां तक समान तरह की शिक्षा की बात है, यहां पर विषय नहीं है। यह मामला आप कमेटी में भिजवा सकते हैं, वहां से ही कुछ होगा। मैंने पहले ही बताया कि हर बोर्ड का अलग-अलग सिलैबस और अलग-अलग सिस्टम है। हर राज्य का अपना अलग-अलग सिलैबस और सिस्टम है।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह तो कोई जवाब ही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात

+*305. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
डा. रामचन्द्र डोम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में मौजूदा कालेज/विश्वविद्यालय अपने संबंधित राज्यों की आबादी की आवश्यकता को पूरा करने में समर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उच्च और तकनीकी शिक्षा के संबंध में बजटीय आवंटन पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का बजटीय आवंटन का ब्यौरा क्या है तथा उच्च और तकनीकी शिक्षा पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) और सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) का कितना भाग व्यय किया गया; और

(ङ) देश में उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) उच्च और तकनीकी शिक्षा के वित्त पोषण से संबंधित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति की रिपोर्ट के अनुसार देश में 18 से 23 वर्ष के व्यक्तियों की उच्च शिक्षा की सुलभता की वर्तमान दर 8.97 प्रतिशत तक की आंकी गई है। संलग्न अनुबंध के अनुसार 16 राज्यों में सुलभता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। संस्थाओं की उपलब्धता के अतिरिक्त उच्च शिक्षा में नामांकन प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा की स्थिति पर भी निर्भर करता है।

प्रारम्भिक तथा स्कूल शिक्षा को दी जाने वाली अपेक्षित प्राथमिकता को देखते हुए उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हैं। केन्द्र सरकार के बजट में किए गए प्रावधान प्राथमिक तौर से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए हैं जिनमें राज्य विधानमंडलों द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों के लिए केवल सीमित विकासात्मक सहायता उपलब्ध है।

मुक्त विश्वविद्यालयों तथा इससे सम्बद्ध कालेजों सहित 326 विश्वविद्यालयों में इस समय अनुमानतः 120 लाख छात्र नामांकित हैं।

दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि (2002-2007) के दौरान उच्च शिक्षा में नामांकन का लक्ष्य संगत आयु वर्ग के 10 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचना है। उच्च शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षा की मुक्त और दूरस्थ अध्ययन प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ-साथ क्षमता में वृद्धि करने, परम्परागत विश्वविद्यालय प्रणाली में गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार करने की नीति अपनाई गई है।

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य का नाम	जनसंख्या	विश्वविद्यालयों की संख्या	कालेजों की संख्या	उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात
1.	अरुणाचल प्रदेश	1097968	1	11	6,37
2.	असम	26655528	7	386	8.67
3.	बिहार	82998509	13	661	7.3
4.	छत्तीसगढ़	20833803	5	317	7.27
5.	जम्मू-कश्मीर	10143700	4	160	4.95
6.	झारखंड	26945829	7	174	8.12
7.	केरल	31841374	9	573	7.66
8.	मध्य प्रदेश	60348023	17	1074	7.77
9.	नागालैंड	1990036	1	42	4.33
10.	उड़ीसा	36804660	11	780	8.71
11.	पंजाब	24358999	10	416	8.53
12.	राजस्थान	56507188	19	587	8.77
13.	सिक्किम	540851	1	9	6.29
14.	त्रिपुरा	3199203	1	22	5.84
15.	उत्तर प्रदेश	166197921	29	1997	7.03
16.	पश्चिम बंगाल	80176197	17	541	8.21

श्री स्वदेश चक्रवर्ती: महोदय, मंत्री जी द्वारा दिया गया जवाब संतोषजनक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती: मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के वित्तपोषण संबंधी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति के प्रतिवेदन का उल्लेख किया है जिसमें यह बताया गया है कि शिक्षा तक पहुंच की 8.97 प्रतिशत दर के साथ भारत का स्थान अध्ययन के लिए चुने गए देशों में सबसे नीचे है और उच्चतर शिक्षा तक पहुंच की 80 प्रतिशत दर के साथ कोरिया सबसे ऊपर है। इसका कारण साधारण है। हमारे देश में वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 2003-04 में उच्चतर शिक्षा पर किए जाने वाले सरकारी व्यय में 7.93 प्रतिशत की गिरावट आई है। क्या सरकार के पास उच्चतर शिक्षा के मामले में सरकारी व्यय में कम से कम 1993-94 के स्तर तक वृद्धि करने की कोई योजना है?

यह मेरे पूरक प्रश्न का भाग (ख) है।

अध्यक्ष महोदय: अब कोई दूसरा पूरक प्रश्न नहीं होगा।

श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्यों नहीं महोदय? यह पहले पूरक प्रश्न का केवल भाग (ख) है। सकल घरेलू उत्पाद में से उच्चतर शिक्षा का प्रतिशत वर्ष 1990-91 के 0.37 प्रतिशत की तुलना में 0.46 तक गिरा है। क्या मंत्रालय के पास इस धनराशि को कम से कम वर्ष 1990-91 के स्तर तक वृद्धि करने की योजना है?

अध्यक्ष महोदय: यदि प्रत्येक पूरक प्रश्न के दो भाग हैं, तो माननीय सदस्य को दो प्रश्न पूछने के लिए मिलते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को जवाब देना है। कृपया बैठ जाइए। मैं आपको दूसरा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, हिन्दुस्तान के अंदर जो 18 से 23 साल के बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं, वे 11 करोड़ 40 लाख हैं जिनमें 8.97 प्रतिशत बच्चे ही कालेज या 10+2 करने के बाद कालेज जा पाते हैं। आज जीडीपी का 3.9 प्रतिशत हम लोग एजुकेशन पर खर्च करते हैं, उसमें हायर एजुकेशन और टैक्नीकल एजुकेशन में सिर्फ 0.5 प्रतिशत ही खर्च होता है। जहां तक यह सवाल पैदा होता है कि सरकार चाहती है या नहीं चाहती है और इस दफा दसवां प्लान जो अभी चल रहा है, उसके अंदर यूजीसी ने 7,735 करोड़ रुपये यूनियन बजट से मांगे थे जिसमें यूजीसी को सिर्फ 3,294 करोड़ रुपये ही मिले। सरकार और यूजीसी और ज्यादा सुविधाएं देने के लिए तैयार है लेकिन फंड की कमी है जिसकी वजह से और बच्चे, हम लोग चाहते हैं कि जितने लैवल तक किसी भी विकसित राज्य के लिए 20 प्रतिशत कम से कम जो स्टेट ग्रुप के बच्चे हैं, उनको हायर एजुकेशन में होना चाहिए लेकिन हमारा 8.97 प्रतिशत है जिसे हम लोग 10 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती: महोदय, मंत्री जी ने यह बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास धन नहीं है। मैं नहीं जानता कि अगर सरकार धन नहीं देगी तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कौन धन देगा।

जहां तक तकनीकी शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति का संबंध है, वर्ष 1991 में सरकार का व्यय 0.51 प्रतिशत था। वर्ष 2003-04 में यह गिरकर 0.42 प्रतिशत हो गया। क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय विशेषकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के मामले में तकनीकी शिक्षा छात्रवृत्ति हेतु व्यय की धनराशि में वृद्धि करने की इच्छुक है? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार छात्रों को और अधिक छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की इच्छुक है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, स्कोलरशिप ज्यादा बढ़ाने की सिफारिश की गई है और जहां तक सवाल पैदा होता है कि बच्चे टैक्नीकल एजुकेशन में ज्यादा से ज्यादा जाएं, इसके लिए बैंक की मदद भी यानी बैंक लोन्स का इन्तजाम भी सरकार द्वारा किया जा रहा है।

[अनुवाद]

श्री स्वदेश चक्रवर्ती: हम छात्रवृत्ति की मांग कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार छात्रों की छात्रवृत्ति की धनराशि में वृद्धि की इच्छुक है।

अध्यक्ष महोदय: क्या छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि करने का आपका कोई प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: सर, मैंने कहा कि स्टाइपंड की संख्या ज्यादा से ज्यादा हो और बैंक भी इन्तजाम करे, इसके लिए दोनों तरफ से हम लोग देख रहे हैं।

[अनुवाद]

डा. रामचन्द्र डोम: मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार यह बात स्पष्ट है कि मौजूदा योजना अवधि का डेढ़ वर्षों का समय बचा है। एनरोलमेंट एक्सेस हेतु इस योजना अवधि का निर्धारित लक्ष्य 10 प्रतिशत है। आज तक, हमने केवल 8.9 प्रतिशत का लक्ष्य प्राप्त किया है जो एनरोलमेंट एक्सेस का राष्ट्रीय औसत है। बात बिल्कुल साफ है कि हम इस योजना अवधि के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने से काफी पीछे हैं।

दूसरी तरफ, हमारे देश के लगभग 16 राज्य 8.97 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करने में पीछे चल रहे हैं। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार उच्च शिक्षा मुख्यत: राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। परंतु हम भली-भांति जानते हैं कि अधिकांश राज्य सरकारें धनराशि की कमी से जूझ रही हैं। राज्य सरकारों के पास उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए धनराशि की काफी कमी है।

इस तरह, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा को निजी क्षेत्र पर छोड़ दिया गया है और हमारे देश में उसका विकास भी बराबर नहीं है।

इस संदर्भ में मेरा प्रश्न यह है कि क्या उच्च और तकनीकी शिक्षा का अत्यधिक निजीकरण और व्यावसायीकरण किये जाने से हमारे देश में विभिन्न राज्यों में गरीब और मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को उच्च शिक्षा प्रदान किया जाना उनके मार्ग में मुख्य बाधा है। इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय करने पर विचार किया गया है?

मेरे अनुपूरक प्रश्न का भाग 'ख' यही है। क्या सरकार दसवीं योजना अवधि में नामांकन के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु उच्च शिक्षा क्षेत्र में राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता में वृद्धि करने की वर्तमान नीति में संशोधन करेगी?

अध्यक्ष महोदय: क्या आप निजीकरण रोककर इस क्षेत्र के लिए और अधिक धनराशि देंगे?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, दसवीं योजना में हमारा जो एक करोड़ 25 लाख बच्चों को कालेज तक ले आने का टारगेट था, उसमें से एक करोड़ आलरेडी कालेज में हैं, जो 25 लाख का बचा हुआ टारगेट है, हमारा मानना है कि हम उसे एचीव कर लेंगे। जहां तक हायर एजुकेशन में जाने की बात है, केरल, पंजाब, त्रिपुरा आदि करीब 16 राज्य ऐसे हैं जहां पर सेकेण्डरी एजुकेशन पार करके पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा हैं। वहां भी यह रेशियो 8.97 प्रतिशत से कम है, जैसे केरल में 7.66 प्रतिशत, पंजाब में 8.5 प्रतिशत, त्रिपुरा में 5.84 प्रतिशत। जो बच्चे '+2' पास करके निकल रहे हैं, वे जिस तरह के कोर्सेज चाहते हैं, वे कोर्सेज या तो उन राज्यों में उपलब्ध नहीं हैं या फिर उन कालेजों में वे फेसिलिटीज उपलब्ध नहीं हैं जो उन कालेजों में होनी चाहिए, इसीलिए उनकी एक्सेस नहीं हो पा रही है। जहां तक प्राइवेट कालेजों में खास तौर से टेक्निकल या मैडिकल कोर्सेज की बात है, उसके लिए सरकार बराबर सोचती है कि किस तरह से मिनिमम पैसे में बच्चे इन टेक्निकल कोर्सेज की तालीम ले सकें और वे तालीम हासिल कर सकें, इसके लिए सरकार को वाकफियत भी है तथा इसके लिए आप जो चाहते हैं, उसके बारे में भी हम पूरा ध्यान देकर आवश्यक कदम उठाएंगे।

डा. राम चन्द्र डोम: क्या आप एसिस्टेंस बढ़ाएंगे।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: उसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस बात का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री पवन कुमार बंसल: महोदय, देश में 18 से 23 वर्ष के आयु वर्ग के लिए पूर्ण रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की वर्तमान दर 8.87 प्रतिशत तक है। इतनी कम प्राप्ति दर के बावजूद, चिंता का और कारण मैं दोहराता हूं—स्वयं उच्च शिक्षा में शिक्षा का निम्न स्तर है। इन संस्थाओं से आ रहे स्नातक न केवल बेरोजगार हैं बल्कि उसके बाद उन्हें रोजगार मिलने के अवसर भी नहीं हैं। उन्हें वास्तव में आवश्यक कौशल की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती है या उन्हें आवश्यक दक्षताओं में निपुण नहीं किया जाता है। जिससे कि वे रोजगार के क्षेत्र में अच्छे लाभकारी रोजगार प्राप्त कर सकें।

अतः मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि 'एक्सेस' प्रदान करने की चिंता से अधिक हम इन संस्थाओं में शिक्षा का स्तर सुधारना सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: महोदय, जरूरत इस बात की है कि मुल्क में '+2' के बाद जो बच्चे कालेज में जाते हैं, उसमें जाब ओरियेण्टेड एजुकेशन, जिसकी ओर माननीय सदस्य ने इशारा किया है, होनी चाहिए। जहां तक कालेज एजुकेशन का सवाल है, यूजीसी की निगाह उस पर बराबर रहती है कि किस तरह से कालेज या यूनिवर्सिटी में जो स्टैण्डर्ड आफ एजुकेशन है, वह मेण्टेन रहे और उसके लिए जो भी कदम उठाने हैं, वह यूजीसी उठाएगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तथागत सत्पथी चले गए हैं। वह एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहते थे।

[हिन्दी]

श्री छेवांग थुपस्तन: महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में जो फिगर्स कोट किए हैं, वे इस बात की इंडिकेशन हैं कि हायर और टेक्निकल एजुकेशन की स्थिति हमारे देश में कितनी दयनीय है। मैं खास तौर से जिक्र करना चाहूंगा, पहाड़ी राज्यों में और देश के जो दूसरे बहुत ही दुर्गम क्षेत्र हैं, वहां टेक्निकल एजुकेशन की स्थिति बहुत ही कमजोर है।

जहां तक लद्दाख का ताल्लुक है, कुछ साल पहले ही वहां डिग्री कालेज खुला है। लेकिन अभी तक वहां हायर टेक्नीकल

एजुकेशन और कैरियर ओरिएंटेड एजुकेशन के लिए कोई संस्थान या कालेज नहीं हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि क्या भारत सरकार दूर-दराज और दूरगामी क्षेत्रों में हायर टेक्नीकल एजुकेशन प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगी? वहां पर हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होने के कारण, वहां से बड़ी संख्या में विद्यार्थी श्रीनगर, जम्मू, चंडीगढ़ और दिल्ली जाते हैं। वहां उनके रहने की उचित व्यवस्था नहीं होती है। इसलिए क्या केन्द्र सरकार यह जिम्मा अपने ऊपर लेगी कि लद्दाख जैसे दूरगामी क्षेत्रों में वह हायर एजुकेशन के केन्द्र स्थापित करे?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: अध्यक्ष जी, दूर-दराज इलाकों और बैकवर्ड इलाकों में हायर एजुकेशन का इंतजाम हो, कालेज खुलें, टेक्नीकल एजुकेशन इंस्टीस्टीट्यूट खुलें, उसके लिए भारत सरकार काम कर रही है। सरकार की ख्वाहिश है कि इन इलाकों में हायर एजुकेशन का इंतजाम हो और वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही कर रही है।

[अनुवाद]

अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमला

***306. +श्री प्रहलाद जोशी:**
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर हुए आतंकवादी हमलों का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप मारे गए और घायल हुए लोगों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान हमले में मारे गए या घायल हुए यात्रियों के आश्रितों को वर्ष-वार कितना मुआवजा और अन्य भुगतान किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान मारे गए अथवा घायल हुए सुरक्षा कर्मियों के परिवारों को दिए गए मुआवजा और किए गए अन्य भुगतान का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार अमरनाथ यात्रियों के लिए नई जीवन बीमा योजना शुरू करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा अमरनाथ तीर्थयात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (घ) वर्ष 2003, 2004, 2005 (11 अगस्त, 2005 तक) में अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर कोई आतंकवादी हमला नहीं हुआ है।

तथापि, वर्ष 2002 में अमरनाथ तीर्थयात्रियों पर आतंकवादी हमले की एक घटना हुई थी। आतंकवादियों ने 8 अगस्त को बेस कैम्प, नुनवां, पहलगाम में तीर्थयात्रियों पर हमला किया जिसमें 9 आदमी मारे गए थे और 21 अन्य घायल हो गए। इस घटना में न तो कोई सुरक्षा कार्मिक मारा गया और न ही घायल हुआ।

प्रत्येक मृतक के नजदीकी रिश्तेदार को अनुग्रहपूर्वक/मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये दिए गए जबकि प्रत्येक घायल व्यक्ति को 5000 रुपये दिए गए। राज्य सरकार ने सूचित किया कि भुगतान, संबंधित सरकारों के मुख्य सचिवों के माध्यम से किया गया था।

(ङ) और (च) श्री अमरनाथ धार्मिक स्थल बोर्ड (एस ए एस बी) ने दुर्घटनावश हुई मृत्यु को कवर करने हेतु प्रत्येक यात्री का 1 लाख रुपये की राशि का बीमा करने के लिए आई सी आई सी आई-लोमबार्ड जनरल इन्शयुरेंस कम्पनी के साथ समझौता किया है।

(छ) वार्षिक श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सहित व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की जाती है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पहलगाम और बलताल से होकर जम्मू से पवित्र गुफा तक तीर्थयात्रियों के मार्ग के साथ रोड ओपनिंग पार्टी (आर ओ पी) लगाना;
- पहलगाम-पवित्र गुफा और बलताल-पवित्र गुफा धुरी के चारों ओर जंगलों में पहाड़ी भू-भागों को आतंकवादियों से मुक्त करना;
- पहलगांव, बलताल और पवित्र गुफा को जाने वाले मार्ग में सभी बेस कैम्पों के आस-पास पहुंच नियंत्रण और तोड़-फोड़ विरोधी निरीक्षणों सहित सुरक्षा के प्रबंध करना; और

– जम्मू से पवित्र गुफा तक सुरक्षा व्यवस्था करने वाले बलों में सेना, बी एस एफ, सी आर पी एफ तथा जम्मू और कश्मीर पुलिस शामिल है।

श्री प्रहलाद जोशी: महोदय, यह उत्तर दिया गया है कि मुआवजे का भुगतान किया जाता है और श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने आईसीआईसीआई-लोम्बार्ड जनरल इन्श्योरेंस कंपनी के साथ समझौता किया है। इन दुर्घटनाओं और आतंकवादी हमलों के पीड़ितों द्वारा सरकार से या बीमा कंपनियों से मुआवजा प्राप्त करना बहुत कठिन हो गया है।

क्या सरकार का अमरनाथ तीर्थयात्रियों को पहचान-पत्र देने का कोई प्रस्ताव है जिससे कि उन्हें आसानी से मुआवजा मिलना आसान हो जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, हमारी पहचान-पत्र देने की योजना है परंतु यह योजना अमरनाथ यात्रियों के लिए नहीं है। इसका कारण यह है कि ये यात्री देश के विभिन्न भागों से आते हैं। यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है। मुझे नहीं लगता कि किसी के संबंधी मारे गए हैं और उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय: यदि आपका कोई विशेष मामला है तो आप इसे मानीय मंत्री महोदय को भेज सकते हैं।

श्री प्रहलाद जोशी: मैं इसे भेज दूंगा।

महोदय, सामान्यत: हिंदू मानसरोवर यात्रा और अमरनाथ यात्रा पर ही जाते हैं। जहां तक मेरी जानकारी है वे किसी तीर्थयात्रा के लिए भारत से बाहर नहीं जाते हैं।

क्या सरकार का यात्रा के लिए व्यक्तियों विशेषकर दक्षिणी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को विमान किराए, रेल किराए से संबंधित राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव है?

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बड़े ध्यानपूर्वक विचार करके निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। वास्तव में, भारत सरकार विभिन्न पवित्र धर्मस्थलों और मंदिरों की तीर्थयात्रा करने वाले व्यक्तियों को कोई सहायता नहीं दे रही है। परंतु इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत सरकार यात्राओं का आयोजन करने के लिए राज्यों को काफी धनराशि देती है। यदि नासिक में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है तो उसके लिए काफी धनराशि दी जाती है। सरकार ने अन्य मंदिरों को भी धनराशि दी है। इस संबंध में दी जाने वाली धनराशि करोड़ों रुपये बैठती है।

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुवीर सिंह कौशल—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे: अध्यक्ष महोदय, ईश्वर की कृपा से इस बार अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादी हमला नहीं हुआ। पिछली बार भी नहीं हुआ था। मैं हर साल वहां जाता हूं। सरकार वैष्णो देवी की यात्रा के लिए सुविधाएं देती हैं, नीचे से ही भवन तक सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम होता है और वहां पर रोड, सीढ़ियां आने-जाने के लिए हैं, हैलिकाप्टर सेवा भी उपलब्ध है। यह सेवा अमरनाथ की यात्रा के लिए भी है। क्या वैसी ही सुविधाएं अमरनाथ यात्रा के लिए भारत सरकार उपलब्ध कराएगी, क्योंकि राज्य सरकार यह काम नहीं कर पा रही है? सभी यात्रियों को सुरक्षा और दर्शन की सुविधा अच्छी तरह से प्राप्त हो, घोड़ों से यात्रा करने वालों को मार्ग में तकलीफ न हो, क्या ये सारी सुविधाएं अमरनाथ यात्रा के लिए भी यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएंगी या नहीं?

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष जी, वहां जाने के दो रास्ते थे। एक पहलगांव से और दूसरा बालटाल से रास्ता है। बालटाल का रास्ता नजदीक है लेकिन कठिन रास्ता है, छोटा रास्ता है। उस रास्ते को चौड़ा बनाया गया है जिससे यात्रियों को सुविधा हो सके। जो व्यवस्था मंदिर के हाथ में होती है वह व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट द्वारा नहीं, मंदिर के ट्रस्ट द्वारा होती है और रास्ते की सुरक्षा देने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है। मंदिर का काम मंदिर के ट्रस्ट पर छोड़ा जाता है।

श्री चंद्रकांत खैरे: अमरनाथ शैराइन बोर्ड को कुछ निधि उपलब्ध करायी जाएगी या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगले वर्ष आप हमें बताएंगे।

...(व्यवधान)

श्री अनंत कुमार: महोदय, अनेक वर्षों से मक्का जाने वाले हाजियों को हज राजसहायता दी जा रही है। एक मांग है कि अमरनाथ यात्रा के लिए भी इसी प्रकार की राजसहायता दी जानी चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अमरनाथ यात्रियों के लिए भी हज राजसहायता जैसी राजसहायता योजना लाने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कार्रवाई हेतु सुझाव।

श्री अनंत कुमार: नहीं, महोदय। यह सुझाव नहीं है। क्या इस संबंध में कोई कार्य योजना है?

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि इन बातों की तरफ, इस प्रकार से न देखा जाए, जिसकी वजह से, हमारे समाज में एक दूसरे के खिलाफ विचार बन जाएं। डिवीजन बन जाए। यह सोचने की बात है क्योंकि अमरनाथ मंदिर हिंदुस्तान की भूमि पर है।

[अनुवाद]

यह भारत का क्षेत्र है और हम देश के बाहर जाने वाले व्यक्तियों को सहायता दे रहे हैं। मैं पहले ही यह स्पष्ट कर चुका हूं कि राज्य सरकारों को विभिन्न स्थानों पर यात्राएं और तीर्थ यात्राएं आयोजित करने के लिए काफी धनराशि भी दी गई है जैसे कि नासिक में और उज्जैन स्थित कुंभ मेले के लिए ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में आपके क्या विचार हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: मेरे विचार से सरकार इस संबंध में थोड़ी सहायता दे रही है ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, कोई राजसहायता या कोई मुआवजा राशि नहीं दी जाती है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 307—श्री जसुभाई दानाभाई बारड़—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 308—श्री रतिलाल कालीदास वर्मा—उपस्थित नहीं।

श्री हरिश्चंद्र चव्हाण—उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 309—श्री रायापति सांबासिवा राव-उपस्थित नहीं।

प्रश्न सं. 310—श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी।

वस्तु बोर्ड

***310. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न वस्तुओं के संवर्द्धन हेतु गठित बोर्ड पर्याप्त प्रतिस्पर्द्धा विकसित करने में विफल रहे हैं और निर्यात बाजार में वैश्विक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्यात संबंधी चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना करने में समर्थ बनाने के लिए बोर्डों को चुस्त-दुरुस्त बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (ग) वस्तु बोर्डों के कार्यकलापों में उत्पादन, उत्पादकता संवृद्धि, घरेलू खपत और विकास एवं विनियामक कार्यढांचे, दोनों रूपों में निर्यात संवर्द्धन शामिल होता है। प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के एक प्रयास के रूप में बोर्ड का उद्देश्य उद्योग की मूल्य श्रृंखला के सभी खण्डों में सुधार करना है। बोर्ड के प्रयासों में अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादन की इकाई लागत को कम करने के लिए उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना, फसलोत्तर प्रसंस्करण, आर एंड डी, विस्तार तथा विभिन्न निर्यात संवर्द्धन प्रयासों सहित बाजार विकास शामिल है।

वस्तु बोर्ड निर्यात संवर्धन अभिकरण नहीं होते हैं। तथापि, वे गुणवत्ता में सुसंगतता बनाए रखकर, लक्षित बाजारों में जागरूकता पैदाकर, प्रमुख विदेशी व्यापार मेलों में भागीदारी कर, क्रेता-विक्रेता बैठकों एवं कपिंग सत्रों का आयोजन कर तथा ब्रांड संवर्धन द्वारा अपनी-अपनी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए निर्यातोन्मुख कार्यकलापों का संवर्धन करते हैं। ब्रांडों का पुनर्गठन आवधिक रूप से किया जाता है और उनकी सदस्यता से संबंधित उद्योग के विभिन्न हितबद्ध पक्ष शामिल होते हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप केवल एक अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, वह भी छोटा-सा होना चाहिए।

श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: धन्यवाद, महोदय।

वस्तु बोर्डों तक किसानों की आसान पहुंच होनी चाहिए ताकि किसान इन विभिन्न वस्तु बोर्डों के संवर्धन कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। किन्तु जब हम मिर्च पर विचार करते हैं, कुल मिर्च उत्पादन का 60 प्रतिशत उत्पादन आन्ध्र प्रदेश द्वारा किया जाता है। मसाला बोर्ड के राजस्व में इसका योगदान 5 प्रतिशत है। किन्तु मसाला बोर्ड केरल में स्थित है और आन्ध्र प्रदेश के मिर्च उत्पादक मसाला बोर्ड के संवर्धनात्मक क्रियाकलापों का लाभ नहीं उठा पाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार आन्ध्र प्रदेश में मिर्च बोर्ड स्थापित करने की संभवाना तलाशेगी या आन्ध्र प्रदेश में कम से कम एक पूर्ण अधिकार सम्पन्न उप-मसाला बोर्ड स्थापित करेगी ताकि आन्ध्र प्रदेश में मिर्च उत्पादकों की सहायता की जा सके।

श्री कमलनाथ: महोदय, मैं माननीय सदस्या की आन्ध्र प्रदेश के बारे में व्यक्त की गई चिन्ता की प्रशंसा करता हूं जो जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा—60 प्रतिशत मिर्च का उत्पादन करता

है। बोर्ड के तंत्र तक पहुंच होना महत्वपूर्ण है। माननीय सदस्या ने पहले भी मेरा ध्यान इस बात पर दिलाया था। हम इसके साधनों को देख रहे हैं ताकि मसाला बोर्ड के कार्यकरण और उद्देश्यों तक आन्ध्र प्रदेश में रहने वालों की सुगम पहुंच हो।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

उग्रवादी प्रशिक्षण शिविर

***302. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नक्सलवादी और नेपाली माओवादी बिहार में अपना प्रशिक्षण शिविर चला रहे हैं और 'लिट्टे' (एल.टी.टी.ई.) उनको प्रशिक्षण दे रहा है, जैसाकि दिनांक 19 जुलाई, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कोई रिपोर्ट भेजी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) यह संकेत देने वाली कोई रिपोर्ट नहीं हैं कि सी पी एन (माओवादी), बिहार से प्रशिक्षण शिविर चला रहा है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध रिपोर्टों से भी यह पता नहीं चलता है कि लिट्टे, नक्सलवादियों को बिहार में प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। तथापि, उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार बताया जाता है कि कुछ सी पी एन (माओवादी) कार्यकर्ताओं ने कुछ राज्यों में सी पी आई (माओवादी) के प्रशिक्षण शिविरों में प्रशिक्षण लिया है।

(घ) सरकार ने नक्सल प्रभावित राज्यों से कहा है कि वे नक्सली प्रशिक्षण शिविरों का पता लगाएं तथा उन्हें नष्ट कर दें। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल सहित नेपाल की सीमा से लगने वाले राज्यों में सी पी एन (माओवादी) की अवांछनीय गतिविधियों को फैलाने से रोकने के लिए भारत-नेपाल सीमा के साथ सतर्कता और सीमा प्रबंधन मजबूत कर दिया गया है।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा खादी और हस्तनिर्मित उत्पाद शुरू करना

***307. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:** क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) की विपणन योजना से शैक्षिक संस्थाओं के विद्यार्थियों को पूरी तरह से वंचित रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने देश में विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में खादी और हस्तनिर्मित उत्पादों के शुरू किए जाने की संभावना का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा सभी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों में बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने हेतु कोई प्रयास किए गए हैं ताकि खादी की बिक्री और उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद):

(क) जी, नहीं।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग की विपणन योजना में विद्यार्थियों की सीधी भागीदारी की कोई योजना नहीं है। तथापि, विद्यार्थी वर्ग बाजार का एक महत्वपूर्ण अंग है। तदनुसार खादी और ग्रामोद्योग के विभिन्न मिशन विद्यार्थी वर्ग सहित नवयुवकों की पसन्दों को ध्यान में रखते हुए चलाए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) खादी और ग्रामोद्योग आयोग राज्य सरकारों से खादी और पोलीवस्त्रों के यूनिफार्म विद्यालयों में अपनाने का अनुरोध करता है। इसके अतिरिक्त, आयोग उपभोक्ता भण्डार चलाने वाले कुछ शैक्षणिक संस्थानों की खादी एवं हस्तनिर्मित उत्पादों के

विपणन में सहायता करता है। वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने देश के विभिन्न भागों में क्रमशः 167 और 229 प्रदर्शनियां आयोजित की। इनमें से कई प्रदर्शनियों में स्थानीय शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थी भी काफी संख्या में शामिल हुए।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाली

***308. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाली बढ़ाने के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त योजना के लिए कितनी धनराशि मंजूर किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले राज्यों की सरकारों से परामर्श किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में न्यूनतम 4.5 हेक्टेयर सतत क्षेत्र वाली परती भूमि, नदी तट, सेनिटरी लैंडफिल, सड़क किनारे की भूमि इत्यादि जैसे स्थलों पर नगर वनों के विकास के लिए एक स्कीम बनायी है। यह स्कीम राज्य सरकारों एवं उनकी क्षेत्रीय एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित की जायेगी।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड भूमि की तैयारी, पौधे लगाने तथा तीन वर्षों की अवधि के लिए रखरखाव की लागत के लिए किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर तक अनुदान के तौर पर वित्तीय सहायता देगा। इस स्कीम के तहत अभी तक कुल 114.345 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता से 229.53 हेक्टेयर भूमि पर सात परियोजनाओं को मंजूरी दी गयी है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की दिनांक 28.10.2004 को हुई बैठक, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के राज्यों के मुख्य मंत्रियों/मंत्रियों, दिल्ली के उपराज्यपाल तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के तहत आने वाले राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया, में नगर वनों की स्कीम पर चर्चा की गयी और इसे अनुमोदित कर दिया गया।

[अनुवाद]

यूरोपीय यूनियन द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

***309. श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय यूनियन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में हो रही वृद्धि की सराहना की है और देश में विदेशी निवेश में आने वाली अड़चनों को हटाने का भी आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यूरोपीय यूनियन भारत में निवेश की इच्छुक हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके समक्ष किस प्रकार की अड़चनें आ रही हैं; और

(घ) इन अड़चनों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) से (घ) द हेग, नीदरलैंड में दिनांक 8 नवम्बर, 2004 में आयोजित किये गये 5वें भारत-यूरोपीय यूनियन शिखर सम्मेलन में, यूरोपीय यूनियन ने सामान्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम में दी गई नीतिगत पहलों और भारत सरकार की विकास, निवेश और रोजगार बढ़ाने की दृढ़ वचनबद्धता का स्वागत किया। यद्यपि यूरोपीय यूनियन ने भारत में विदेशी निवेश के प्रवाह को प्रभावित करने वाले विशिष्ट मुद्दों का उल्लेख नहीं किया है, फिर भी, भारत और यूरोपीय यूनियन द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाहों की सुविधा एवं विस्तार के लिए सहयोग बढ़ाने एवं कार्यवाही करने के लिए सहमत हो गये हैं।

भारत-हंगरी व्यापार

***311. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में बुडापेस्ट में भारत और हंगरी के बीच किसी आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो समझौते का ब्यौरा और इसकी शर्तें क्या हैं;

(ग) दोनों देशों के बीच वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान कितने मूल्य का निर्यात और आयात किया गया; और

(घ) नए समझौते के फलस्वरूप इसमें किस प्रकार वृद्धि होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) भारत और हंगरी गणराज्य के बीच जून, 2005 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों के विकास तथा आर्थिक सहयोग को और बढ़ाने हेतु नई संभावनाओं की पहचान करने की परिकल्पना की गई है। दीर्घावधि सहयोग के क्षेत्रों के तौर पर ऊर्जा क्षेत्र, इलेक्ट्रोनिक और इलेक्ट्रो टैक्निकल उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जैव-प्रौद्योगिकी, भेषज, आटो पुर्जों, वैद्युत साज-सामान एवं उपकरणों, लघु और मझौले आकार के व्यवसाय तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी की पहचान की गई है।

(ग) और (घ) वर्ष 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान भारत से किए गए निर्यात एवं हंगरी से किए गए आयात निम्न प्रकार रहे:

(मूल्य मिलियन अमेरिकी डालर में)

वर्ष	निर्यात	आयात
2003-04	91.87	27.32
2004-05	103.73	31.32

नए समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग एवं द्विपक्षीय व्यापार को और आगे विकसित करना है।

[हिन्दी]

चमड़े का निर्यात

***312. श्री राम सिंह कस्वां:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में चमड़े का निर्यात किया गया और इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान चमड़े के निर्यात के संबंध में निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूरा कर लिया गया;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान चमड़े का कितनी मात्रा में निर्यात करने का लक्ष्य है; और

(ङ) चमड़े के निर्यात संबंधी संभावना में वृद्धि करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले तीन वर्षों के लिए तैयार चमड़े के संबंध में निर्यात आंकड़े इस प्रकार हैं:

पिछले तीन वर्षों के दौरान चमड़े के निर्यात आकड़े

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

उत्पाद	2002-2003	2003-2004	2004-2005
तैयार चमड़ा	508.83	555.71	577.00

(ख) से (घ) चमड़े और चमड़ा उत्पादों के लिए एक संयुक्त वार्षिक निर्यात लक्ष्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2005-2006 के लिए चमड़े और चमड़ा उत्पादों का निर्यात लक्ष्य 2675 मिलियन अमरीकी डालर है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात लक्ष्य और उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

(मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	निर्यात लक्ष्य	वास्तविक निर्यात	% उपलब्धि
2002-2003	2030	1875.21	92%
2003-2004	2000	2216.45	111%
2004-2005	2284	2379.44	104%

(ङ) सरकार 400 करोड़ रुपए के परिव्यय से भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम (आईएलडीपी) का कार्यान्वयन करने के लिए कदम उठा रही है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी उन्नयन, चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण और विस्तार के साथ-साथ अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण शामिल हैं। सरकार बाजार विकास सहायता (एमडीए) स्कीम और बाजार पहुंच पहल स्कीम के जरिए भी चमड़ा उत्पादों के निर्यातों में सहायता कर रही है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पोषाहार मिशन द्वारा किया गया सर्वेक्षण

***313. डा. के. धनराजू:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पोषाहार मिशन ने विद्यालय जाने वाले बच्चों में विशेष रूप से केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालय के छात्रों में सामान्य से कम वजन, 'एनीमिया' आदि जैसी पोषाहार से संबंधित कमियों का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कमियों को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) स्कूल जाने वाले बच्चों को पोषणीय स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार माध्याहृन भोजन स्कीम का क्रियान्वयन कर रही है। किशोरियों हेतु इस समय देश में 2000 ब्लॉकों में किशोरी शक्ति योजना क्रियान्वित की जा रही हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा भी प्रदान की जाती है। सरकार ने हाल ही में, इस स्कीम का देश के सभी ग्रामीण विकास ब्लॉकों में विस्तार करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, इस समय देश के 51 पिछड़े जिलों में किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है। किशोरियों हेतु पोषण कार्यक्रम में अल्प-वजनी किशोरियों को 6 कि.ग्रा. गेंहू/चावल दिया जाता है। ये दोनों स्कीमें स्कूल जाने वाले बच्चों तक ही सीमित नहीं हैं।

भूकंप का जोखिम कम करना

***314. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूकंप का जोखिम दूर करने के संबंध में सिफारिशें देने हेतु नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को विभिन्न राज्यों को परिचालित किया है;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) अब तक क्रियान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) भूकंप जोखिम न्यूनीकरण हेतु मॉडल भवन निर्माण संबंधी उपनियम, नगर और ग्राम योजना संबंधी विधायन, जोगिंग संबंधी विनियमन और विकास नियंत्रण संबंधी विनियमनों को विकसित करने के लिए गठित विशेषज्ञों की समिति ने अपनी रिपोर्ट जुलाई, 2004 में प्रस्तुत की थी।

(ग) जी हां, श्रीमान।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच करने और राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अपनाने हेतु सचिव आपदा प्रबंधन, सचिव शहरी विकास, मुख्य नगर ओर ग्राम नियोजन अधिकारी तथा इंजीनियर-इन-चीफ (कार्य) को सदस्य के रूप में लेकर विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की सलाह दी गई थी। समिति द्वारा की गई सिफारिशों को अपनाने में राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सहायतार्थ, विकास प्राधिकारियों तथा नगर निगमों से चुनिंदा इंजीनियरों और अधिकारियों को शामिल करके संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की भागीदारी के साथ राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानियों में एक-दिवसीय कार्यशाला आयोजित करने की जिम्मेवारी भवन निर्माण सामग्री और प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद (बिल्डिंग मैटिरियल्स एंड टैकनॉलॉजी प्रोमोशन काउंसिल (बी एम टी पी सी) को सौंपी गई है। बी एम टी पी सी ने अभी तक छह कार्यशालाएं आयोजित की हैं। 11 राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने मॉडल भवन निर्माण उपनियम, जोनिंग विनियम, विकास नियंत्रण विनियम और नगर तथा ग्राम नियोजन विधायन अपनाने हेतु समिति गठित की है।

सामाजिक संगठनों को केन्द्रीय सहायता

***315. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिला कल्याण कार्यक्रमों से जुड़े सामाजिक संगठनों और संस्थाओं को केन्द्रीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज की तिथि तक उन्हें राज्यवार कितनी सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) क्या इनमें से प्रत्येक संगठन और संस्था के कार्य का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं कि ऐसे संगठन प्राप्त वित्तीय सहायता का उचित उपयोग करें?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) और (ख) जी, हां। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं के कल्याण हेतु निरूपित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सामाजिक/स्वैच्छिक संगठनों तथा संस्थाओं को वित्तीय सहायता निर्मुक्त करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्मुक्त राशि का राज्य-वार और स्कीम-वार ब्यौरा विभाग की वार्षिक रिपोर्टों में उलब्ध है, जो विभाग की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर दी गयी हैं।

(ग) से (ङ) विभिन्न संगठनों के निष्पादन की समीक्षा और निर्मुक्त राशि के उपयोग का प्रबोधन आवधिक, वास्तविक और वित्तीय निष्पादन रिपोर्टों, विभाग के तथा राज्य सरकारों/केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण बोर्डों के अधिकारियों द्वारा क्षेत्र दौरों के माध्यम से किया जाता है। राशि की निर्मुक्ति मांग तथा पहले से स्वीकृत राशि के उपयोग के आधार पर की जाती है।

औद्योगिक रूप से पिछड़े राज्य

***316. श्री अनन्त नायक:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछड़े जिलों में नये उद्योग स्थापित करते समय पर्यावरणीय पहलुओं पर भी विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में राज्य सरकारों को कौन-कौन से दिशानिर्देश भेजे गये हैं;

(ग) क्या देश में विभिन्न राज्यों में औद्योगिक पिछड़ेपन संबंधी अत्यधिक असमानता/अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्य औद्योगिक विकास में बहुत पीछे हैं और इसका क्या कारण है;

(ङ) नौवीं योजनावधि के दौरान प्रत्येक राज्य का वर्षवार और राज्यवार कितना औद्योगिक विकास हुआ;

(च) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को योजनावार कितनी वित्तीय/तकनीकी सहायता प्रदान की गयी; और

(छ) सरकार द्वारा इन पिछड़े राज्यों के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) पर्यावरण संबंधी पहलुओं को ध्यान में रखना किसी औद्योगिक परियोजना का अभिन्न हिस्सा होता है। उद्योगों के स्थापना स्थल, मंडलन (जोनिंग) तथा भू-उपयोग संबंधी विनियमों तथा पर्यावरण संबंधी कानूनों (गैर-प्रदूषकारी उद्योगों को छोड़कर) से विनियमित होते हैं।

(ग) से (ङ) असमानता/अंतर का स्तर, वर्ष-वार औद्योगिक प्रगति तथा राज्यों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। औद्योगिक वृद्धि में पिछड़ने के प्रमुख कारण हैं—बुनियादी सुविधाओं की कमी, बाजार का आकार, ऋण सुविधा, उद्यमिता की उपलब्धता, आदि।

(च) और (छ) पिछड़े राज्यों में औद्योगिक प्रगति को बढ़ाने की दृष्टि से, भारत सरकार ने अनेक नीतियां/योजनाएं आरंभ की हैं, जिनमें राज्यों के साथ-साथ ये शामिल हैं—(1) औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, (2) विकास केन्द्र योजना, (3) परिवहन राजसहायता योजना, (4) पूर्वोत्तर की औद्योगिक नीति, (5) सिक्किम की औद्योगिक नीति, (6) जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज योजना। सरकार ने त्वरित बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके जरिये पारेषण व वितरण प्रणालियों को उन्नत व मजबूत बनाने हेतु राज्य बिजली बोर्डों/सार्वजनिक सुविधा सेवाओं को निधियां जारी की जाती हैं।

जारी की गई केन्द्रीय सहायता निम्न प्रकार है:

योजना का नाम	अवधि	जारी की गई कुल राशि (करोड़ रुपये में)
पूर्वोत्तर की औद्योगिक नीति	मार्च, 2005 तक	313.23
सिक्किम की औद्योगिक नीति	मार्च, 2005 तक	2.40
विकास केन्द्र योजना	मार्च, 2005 तक	522.56
औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना	जुलाई, 2005 तक	286.71
जम्मू और कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष पैकेज योजना	मार्च, 2005 तक	103.00
परिवहन राजसहायता योजना (प्रतिपूर्ति)	मार्च, 2005 तक	907.59

विवरण

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थिर मूल्यों (1993-94 मूल्यों) पर विनिर्माण क्षेत्र से सकल राज्य घरेलू उत्पाद की विकास दर (%)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित	1997-98	1998-99	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	5.2	6.0	-0.5	-0.3	8.4
2.	अरुणाचल प्रदेश	-15.2	5.4	-4.5	0.0	7.4
3.	असम	8.6	-8.7	6.7	-1.1	15.6
4.	बिहार	78.2	-38.3	34.0	-6.1	-15.2
5.	झारखंड	88.1	5.5	-6.5	-28.9	-14.8
6.	गोवा	1.6	51.4	14.0	5.0	10.1
7.	गुजरात	-3.2	8.2	7.2	-1.1	3.2
8.	हरियाणा	6.5	6.2	6.0	5.6	4.9
9.	हिमाचल प्रदेश	5.0	2.2	13.2	16.1	6.8
10.	जम्मू-कश्मीर	0.3	6.9	9.8	-15.2	23.0
11.	कर्नाटक	12.8	18.0	-10.2	2.9	11.9
12.	केरल	-2.1	7.9	7.5	-5.9	-7.6
13.	मध्य प्रदेश	12.1	4.1	7.5	6.9	-1.9
14.	छत्तीसगढ़	41.0	0.0	-25.6	-7.2	4.4
15.	महाराष्ट्र	12.8	-7.4	10.0	-14.9	0.1
16.	मणिपुर	2.7	11.7	17.8	-9.1	17.2
17.	मेघालय	-12.3	-6.7	14.2	10.1	4.3
18.	मिजोरम	-	-	-	-	-
19.	नागालैण्ड	2.4	-59.2	-51.7	12.2	18.3
20.	उड़ीसा	2.6	18.7	14.6	-11.3	-10.9
21.	पंजाब	4.6	6.5	5.9	4.8	-2.9
22.	राजस्थान	24.3	-4.5	27.5	-10.4	3.3
23.	सिक्किम	0.4	1.1	2.3	1.3	1.3
24.	तमिलनाडु	-1.4	-3.2	9.9	8.7	-8.4

1	2	3	4	5	6	7
25.	त्रिपुरा	2.6	-21.1	22.1	96.6	-23.9
26.	उत्तर प्रदेश	-4.2	-2.5	0.6	-2.3	1.5
27.	उत्तरांचल	-16.2	-26.0	-2.2	47.7	-9.1
28.	पश्चिम बंगाल	8.2	5.5	7.3	-0.1	3.4
29.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	3.4	-37.9	1.0	-50.9	5.8
30.	चंडीगढ़	10.0	3.1	3.8	-1.1	1.5
31.	दिम्ली	12.7	6.3	4.4	9.1	7.2
32.	पांडिचेरी	59.8	5.5	-4.2	26.4	8.1

स्रोत: सी.एस.ओ.

अर्ध-सैनिक बलों में रिक्तियां

***317. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अर्ध-सैनिक बलों में कार्मिकों का अत्यधिक अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार अर्ध-सैनिक बलों में बल-वार, श्रेणी-वार कुल कितने पद रिक्त हैं;

(घ) क्या सरकार का इन पदों को भरने का कोई प्रस्ताव है ताकि अर्द्ध-सैनिक बल अपनी ड्यूटी अधिक प्रभावी ढंग से निभा सकें;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) नई बटालियनों की स्वीकृति के कारण, सी आर पी एफ और एस एस बी में काफी संख्या में रिक्तियां उत्पन्न हो गई हैं, जिन्हें भरा जा रहा है। अन्य केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों में कर्मियों की कोई महत्वपूर्ण कमी नहीं हैं।

(ग) बल-वार और वर्ग-वार रिक्तियों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) से (च) यथानिर्धारित नीति के अनुसार पदोन्नति और सीधी भर्ती के जरिए रिक्त पदों को भरा जा रहा है।

विवरण

सी आर पी एफ में रिक्तियों का ब्यौरा

क्र.सं.	रैंक	रिक्ति
1	2	3
	श्रेणी-1 अधिकारियों की रिक्तियां	
1.	अपर महानिदेशक	01
2.	महानिरीक्षक	01
3.	उप महानिरीक्षक	04
4.	सहायक उप महानिरीक्षक	01
5.	कमान्डेन्ट	54
6.	2 आई/सी	22
7.	उप कामन्डेन्ट	195
8.	सहायक कमान्डेन्ट	640
9.	चिकित्सा अधिकारी	269
10.	उप एफ.ए.	01
11.	पी आर ओ	01
12.	ए डी (लेखा)	03
	कुल	1192

1	2	3
	लिपिकीय स्टाफ की रिक्तियां	
1.	जे ए डी	01
2.	अनुभाग अधिकारी/लेखा अधिकारी	55
3.	हिन्दी अधिकारी	01
4.	एस एस ओ एस	17
5.	निरीक्षक (एस)	08
6.	निरीक्षक (एच टी)	01
7.	निरीक्षक (स्टेनो)	01
8.	उप निरीक्षक (स्टेनो)	10
9.	उप निरीक्षक (एम)	31
10.	सहायक उप निरीक्षक (एम)	440
11.	सहायक उप निरीक्षक (स्टेनो)	159
12.	एच सी (एम)	1491
13.	सी टी/दफ्तरी	01
14.	फोलोअर/चपरासी	61
	कुल	2277
	सिगनल स्टाफ की रिक्तियां	
1.	निरीक्षक/आर ओ	195
2.	निरीक्षक/सी आर वाई	12
3.	निरीक्षक/तकनीकी	06
4.	निरीक्षक/आर एफ	02
5.	उप निरीक्षक/आर ओ	657
6.	उप निरीक्षक/सी आर वाई	27
7.	उप निरीक्षक/तकनीकी	175
8.	उप निरीक्षक/आर एफ	05
9.	सहायक उप निरीक्षक/आर ओ	339
10.	सहायक उप निरीक्षक/सी आर वाई	08
11.	सहायक उप निरीक्षक/तकनीकी	42

1	2	3
12.	सहायक उपनिरीक्षक/आर एफ	41
13.	एच सी/आर ओ	235
14.	एच सी/सी आर वाई	205
15.	एच सी/आर एफ	69
	कुल	2018
	कार्यकारी स्टाफ की रिक्तियां	
1.	निरीक्षक (समूह-ख)	711
2.	उप-निरीक्षक (समूह-ग)	782
3.	हेड कांस्टेबल (समूह-ग)	673
	कांस्टेबल (समूह-ग)	
4.	(क) 15 नई बटालियनों के गठन हेतु तथा नए स्वीकृत संस्थानों की रिक्तियां	17718
	(ख) सामान्य बेकार (वेस्टेज)/ प्रत्याशित रिक्तियां	9311
5.	पंजीकृत फोलोअर्स (समूह-घ)	1170
	कुल	30365
	अस्पताल स्टाफ की रिक्तियां	
1.	सहायक मेट्रेन/सिस्टर-आई/सी	27
2.	निरीक्षक/वार्ड सिस्टर/मास्टर	06
3.	निरीक्षक/फारमासिस्ट	05
4.	उप निरीक्षक/फारमासिस्ट	05
5.	उप निरीक्षक/एफ एस एन	06
6.	उप निरीक्षक/ब्लड बैंक तकनीशियन	01
7.	उप निरीक्षक/फिजियोथेरेपिस्ट	01
8.	सहायक उप निरीक्षक/फारमास्टि	36
9.	सहायक उप निरीक्षक/जेनरेटर कक्ष तकनीशियन	01
10.	एच सी/नर्सिंग सहायक	10

1	2	3
11.	एच सी/लेब सहायक	01
12.	एच सी/टेलीफोन आपरेटर	02
13.	सी टी/नर्सिंग सहायक/ड्रैसर/आया	17
14.	वार्ड बॉय/गर्ल	23
15.	रसोईया	03
16.	सफाई कर्मचारी	13
17.	वाशर मैन/धोबी	02
18.	चौकीदार	02
19.	एस एफ एस एम	01
20.	माली	01
	कुल	163

एस एस बी में रिक्तियों का ब्यौरा

1	2	3
1.	महानिदेशक	0
2.	अपर महानिदेशक	1
3.	महानिरीक्षक	0
4.	उप महानिरीक्षक	2
5.	कमान्डेन्ट	30
6.	सेकन्ड इन कामन्डेन्ट	21
7.	उप कमान्डेन्ट	56
8.	सहायक कामन्डेन्ट	131
9.	निरीक्षक (जी डी)	217
10.	उप निरीक्षक (जी डी)	429
11.	हैड कांस्टेबल (जी डी)	2486
12.	नायक (जी डी)	175
13.	लांस नायक (जी डी)	447
14.	कांस्टेबल (जी डी)	9921
15.	लांस नायक (गार्डनर)	1
16.	कांस्टेबल (गार्डनर)	14
17.	कांस्टेबल (अर्दली)	66
18.	उप निरीक्षक (पायनियर)	8
19.	हैड कांस्टेबल (इलैक्ट्रीशियन)	3
20.	हैड कांस्टेबल (मेंशन)	2
21.	हैड कांस्टेबल (कार्पेन्टर)	1
22.	नायक (कारपेन्टर)	2
23.	कांस्टेबल (मेंशन)	7
24.	नायक (कारपेन्टर)	1
25.	लांस नायक (कारपेन्टर)	1
26.	कांस्टेबल (कारपेन्टर)	13
27.	कांस्टेबल (इलेक्ट्रीशियन)	1
28.	कांस्टेबल (पेंटर)	13
29.	कांस्टेबल (लोहार)	1
30.	कांस्टेबल (पलम्बर)	0
31.	उप कमान्डेन्ट (संचार)	2
32.	सहायक कमान्डेन्ट (टेली)	15
33.	निरीक्षक (टेली)	32
34.	उप निरीक्षक (टेली)	111
35.	सहायक उप निरीक्षक (टेली)	234
36.	हेड कांस्टेबल (टेली)	509
37.	कांस्टेबल (टेली)	102
38.	उप निरीक्षक (आर्मर)	13
39.	हेड कांस्टेबल (आर्मर)	44
40.	नायक (आर्मर)	7
41.	लांस नायक (आर्मर)	26
42.	सी टी (आर्मर)	91

1	2	3
43.	लांस नायक (रसोइया)	0
44.	कांस्टेबल (रसोइया)	470
45.	लांस नायक (धोबी)	1
46.	कांस्टेबल (धोबी)	226
47.	लांस नायक (नाई)	1
48.	कांस्टेबल (नाई)	113
49.	कांस्टेबल (सफाई वाला)	237
50.	कांस्टेबल (हैल्पर)	0
51.	वैटर	2
52.	सहायक कमान्डेन्ट (लिपिकीय)	2
53.	एस एम (क्लर्क)	0
54.	एस एम (स्टेनो)	0
55.	निरीक्षक (क्लर्क)	12
56.	निरीक्षक (स्टेनो)	0
57.	निरीक्षक (जे एच टी)	0
58.	उप निरीक्षक (क्लर्क)	40
59.	उप निरीक्षक (स्टेनो)	6
60.	सहायक उप निरीक्षक (स्टेनो)	36
61.	सहायक उप निरीक्षक (क्लर्क)	47
62.	हेड कांस्टेबल (क्लर्क)	120
63.	उप कमान्डेन्ट (एस एम ओ)	13
64.	सहायक कमान्डेन्ट (एम ओ)	1
65.	उप निरीक्षक (काम्प)	24
66.	सहायक उप निरीक्षक (लैब तकनीशीयन)	1
67.	सहायक उप निरीक्षक (रेडियोग्राफर)	1
68.	सहायक उप निरीक्षक (काम्प)	34
69.	सहायक उप निरीक्षक (फारमासिस्ट)	13

1	2	3
70.	हेट कांस्टेबल (मेडीसिन)	1
71.	सी टी (लैब सहायक)	13
72.	कांस्टेबल (मेडिसीन)	4
73.	नर्सिंग (अर्दली)	20
74.	सहायक उप निरीक्षक (वैटी)	6
75.	हेड कांस्टेबल (वैटी)	46
76.	कांस्टेबल (वैटी)	33
77.	उप निरीक्षक (एम टी)	20
78.	उप निरीक्षक (मेकेनीकल)	19
79.	सहायक उप निरीक्षक (ड्राइवर)	4
80.	हेड कांस्टेबल (ड्राइवर/राइडर)	121
81.	हेड कांस्टेबल (वर्कशाप/मेकेनीकल)	93
82.	नायक (ड्राइवर)	0
83.	लांस नायक (ड्राइवर)	19
84.	कांस्टेबल (ड्राइवर/डी आर)	593
85.	उप निरीक्षक (दर्जी)	1
86.	हेड कांस्टेबल (दर्जी)	1
87.	लांस नायक (दर्जी)	0
88.	कांस्टेबल (दर्जी)	33
89.	लांस नायक (मोची)	1
90.	कांस्टेबल (मोची)	31
91.	कांस्टेबल (वाटर कैरियर)	206
	कुल पद	17901

सी आई एस एफ में रिक्तियों का ब्यौरा

1.	महानिरीक्षक (जी डी)	02
2.	उप महानिरीक्षक (जी डी)	03
3.	सहायक उप महानिरीक्षक (जी डी)	01

1	2	3
4.	वरिष्ठ सी ओ (जी डी)	18
5.	वरिष्ठ सी ओ (जी डी)	01
6.	सी ओ (अग्निशमन)	17
7.	सी ओ (अग्निशमन)	02
8.	उप कमान्डेन्ट (जी डी)	06
9.	उप कमान्डेन्ट (अग्निशमन)	01
10.	सहायक कमान्डेन्ट (जी डी)	153
11.	सहायक कमान्डेन्ट (जे ए ओ)	15
12.	सहायक कमान्डेन्ट (अग्निशमन)	03
13.	उप निरीक्षक (जी डी)	354
14.	सहायक उप निरीक्षक (लिपिकीय)	76
15.	हेड कांस्टेबल (लिपिकीय)	249
16.	सहायक उप निरीक्षक (जी डी)	43
17.	हेड कांस्टेबल (जी डी)	122
18.	कांस्टेबल (जी डी)	2680
19.	कांस्टेबल (अग्निशमन)	24
20.	कांस्टेबल (ड्राइवर)	421
21.	फोलोअर (समूह-घ)	31
	कुल	4222

असम राइफल में रिक्तियों का ब्यौरा

1.	जी डी	2738
2.	सी एल के (क्लर्क)	87
3.	पी ए	40
4.	कमान्डेन्ट	0
5.	ई एम ई	132
6.	इंजीनियरिंग	280
7.	एम ई डी	22
8.	ए ई सी	6

1	2	3
9.	ए ओ सी	0
10.	ए एस सी	2
11.	ए पी टी सी	5
12.	आर टी	2
13.	हिन्दी (एस एम)	4
14.	टी डी एम एन	0
15.	ए आर टी सी और एस में रिपोर्टेड नए रंगरूट	0
16.	अस्थाई रूप से चयनित रंगरूट परंतु अभी रिपोर्ट नहीं किया है	0
	कुल	3292

सीमा सुरक्षा बल में रिक्तियों का ब्यौरा

1.	समूह-क कर्मचारी (जी डी)	512
2.	समूह-ख और ग कर्मचारी (जी डी)	1052
3.	समूह-ख और ग कर्मचारी (कमान्डेन्ट)	688
4.	ट्रेडसमैन	127
5.	फोलोअर्स	457
6.	वाटर विंग (तकनीकी)	491
7.	प्रिन्टिंग प्रेस	2
8.	एफ एच ओ (जी ओ एम सिविलियन)	0
9.	कोमबटाइज्ड लिपिकीय	642
10.	गैर-कोमबटाइज्ड लिपिकीय	47
11.	आशुलिपीकीय	63
12.	अन्य गैर-लिपिकीय कोमबटाइज्ड	7
13.	पैड	114
14.	विधि अधिकारी	14
15.	इंजीनियरिंग	103
16.	एयर विंग (तकनीकी)	103
17.	चिकित्सा	199
18.	वैटरिनरी	21
	कुल	4642

1	2	3
	आई टी बी पी में रिक्तियों का ब्यौरा	
1.	उप निरीक्षक (जी डी)	01
2.	सहायक कमान्डेन्ट (जी डी)	31
3.	सहायक कमान्डेन्ट (टेलीकाम)	03
4.	सहायक कमान्डेन्ट (इंजीनियरिंग)	03
5.	निदेशक (चिकित्सा)	01
6.	सहायक कमान्डेन्ट (एम ओ)	43
7.	सहायक कमान्डेन्ट (टी पी टी)	03
8.	सी वी ओ (एस जी)	01
9.	सहायक कमान्डेन्ट (जे ए)	01
10.	उप कमान्डेन्ट (आई)	01
11.	सहायक कामन्डेन्ट (आर्मर)	01
12.	सहायक निदेशक (रा.भा.)	01
13.	उप सी ए ओ	01
जी डी संवर्ग		
	एस एम	12
	निरीक्षक	301
	उप निरीक्षक	24
	हेड कांस्टेबल	0
	कांस्टेबल	612
	कुल	949
पी एन आर संवर्ग		
	निरीक्षक/ओ वी एस आर	0
	उप निरीक्षक/ओ वी एस आर	9
	उप निरीक्षक/पी एन आर	0
	हेड कांस्टेबल/पी एन आर	0
	सी.टी./पी एन आर	21
	कुल	30

1	2	3
ई डी एन संवर्ग		
	निरीक्षक	0
	उप निरीक्षक	16
	हेड कांस्टेबल	18
	कुल	34
सी एम संवर्ग		
	निरीक्षक/सी एस	2
	उप निरीक्षक/सी एम	0
	हेड कांस्टेबल/सी एम + अवर श्रेणी लिपिक	54
	एस एम/स्टेनो	0
	निरीक्षक/स्टेनो	2
	उप निरीक्षक/स्टेनो + स्टेनो समूह-2 + सहायक उप निरीक्षक/स्टेनो	10
	निरीक्षक/लेखा	1
	कुल	69
एच टी संवर्ग		
	निरीक्षक/एच टी	7
	उप निरीक्षक/एन टी	1
	कुल	8
मोची संवर्ग		
	हेड कांस्टेबल	0
	कांस्टेबल	3
	कुल	3
आर्मर संवर्ग		
	निरीक्षक	2
	उप निरीक्षक	0
	हेड कांस्टेबल	3
	कांस्टेबल	10
	कुल	15

1	2	3
फोलोअर्स		
	रसोईया	14
	डब्ल्यू.सी.	3
	डब्ल्यू.एम.	6
	नाई	6
	एस.के.	15
	कुल	44
टेलीकोम संवर्ग		
	एस एम (आर ओ/आर टी)	0
	निरीक्षक/आर ओ	0
	निरीक्षक/आर टी	0
	उप निरीक्षक/आर ओ	3
	उप निरीक्षक/आर टी	1
	हेड कांस्टेबल/आर टी	42
	हेड कांस्टेबल/आर ओ	43
	कांस्टेबल/एल एम	8
	कुल	97
एम टी संवर्ग		
	निरीक्षक	0
	उप निरीक्षक	0
	हेट कांस्टेबल	18
	कांस्टेबल	38
	कुल	56
एम एम संवर्ग		
	निरीक्षक	0
	उप निरीक्षक	0
	हेड कांस्टेबल	9
	कांस्टेबल	6
	कुल	15
ए टी संवर्ग		
	निरीक्षक	0
	उप निरीक्षक	5
	हैड कांस्टेबल	1
	कांस्टेबल	6
	कुल	12
ई डी पी सैल		
	निरीक्षक	2
	उप निरीक्षक	1
	सहायक उप निरीक्षक + हेड कांस्टेबल	0
	कुल	3
प्रिन्टिंग प्रेस		
	निरीक्षक	0
	हेड कांस्टेबल	0
	कांस्टेबल	1
	कुल	1
गैर-कामबिटाइज्ड सिविलियन एन जी ओ		
	सहायक	1
	उच्च श्रेणी लिपिक	0
	कुल	1
	महा योग	1337

[हिन्दी]

नदियों और नहरों के माध्यम से घुसपैठ

***318. प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बांग्लादेश सीमा पर गैर-कानूनी घुसपैठ को रोकने के लिए नदियों और नहरों के माध्यम से प्रवेश मार्गों को 'सील' करने पर विचार कर रही है;

(ख) क्या हाल के वर्षों में ऐसे क्षेत्रों से घुसपैठ के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे प्रवेश मार्गों की कुल लंबाई के संबंध में कोई आँकलन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में अभी तक किये गये सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) सरकार ने, जहां कहीं व्यवहार्य है, भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ नदी और नहरों के माध्यम से प्रवेश मार्गों को सील करके घुसपैठ रोकने के कई उपाय किए हैं।

(ख) और (ग) नदी तटीय क्षेत्र में बाड़ लगी न होने के कारण ऐसे क्षेत्रों से घुसपैठ की संभावना होती है।

(घ) और (ङ) भारत-बांग्लादेश सीमा की कुल 4096 कि.मी. लंबाई में से, लगभग 1116 कि.मी. अंतर्राष्ट्रीय सीमा नदी तटीय है। नौकाओं और जलयानों की तैनाती करके सीमा सुरक्षा बल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नदी तटीय हिस्से की चौकसी की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात टुकड़ियां नौकाओं और जलयानों द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाकर नदी तटीय क्षेत्रों की निगरानी कर रही है। सीमा सुरक्षा बल ने तीन फ्लोटिंग बी ओ पी भी तैनात किए हैं और पश्चिम बंगाल में नदी तटीय क्षेत्रों पर निगरानी रखने के लिए प्रत्येक बी ओ पी के साथ चार फास्ट पेट्रोल क्राफ्ट्स भी लगाए हैं।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों का पंजीकरण

***319. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों की स्थापना के लिए पंजीकरण अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) पंजीकृत लघु उद्योगों को इससे किस प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा लोगों के बीच अपने लघु उद्योगों का पंजीकरण कराने हेतु जागरूकता पैदा करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पंजीकृत लघु उद्योगों को केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

(घ) लघु उद्योगों के पंजीकरण का दायित्व प्रदेश सरकारों व संघ शासित क्षेत्रों पर है। केन्द्र सरकार राज्यों में स्थित अपने लघु उद्योग सेवा संस्थानों व उनकी शाखाओं के माध्यम से विभिन्न प्रशिक्षण व विकास कार्यक्रमों द्वारा उद्यमियों को उनके लघु उद्योगों के पंजीकरण के विषय में जागरूक करती है।

नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

***320. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार यह पता लगाने के लिए नवोदय विद्यालयों की आवधिक समीक्षा कराती है कि ये विद्यालय निहित उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो समीक्षा का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई;

(ग) क्या नवोदय विद्यालयों को देश के सभी जिलों में खोला गया है जैसाकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संकल्पना की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो उन जिलों के नाम क्या हैं जहां अब तक नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय कब तक खोल दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने जून, 2001 में नवोदय विद्यालयों के कार्य-निष्पादन में चहुंमुखी सुधार लाने के सम्बन्ध में प्रबंधन अवसंरचना और संचालन तंत्र में

प्रासंगिक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए समिति गठित की थी। इस समिति की मुख्य सिफारिशों/निष्कर्षों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु सरकार ने नवोदय विद्यालय स्कीम को स्वीकार नहीं किया है। अन्य राज्यों/संघ राज्यों के 82 जिलों में अभी तक जवाहर नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए हैं। इनमें से उन 31 जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिनमें जवाहर नवोदय नवोदय विद्यालयों की स्थापना को सरकार ने संस्वीकृत कर दिया है किन्तु जमीन उपलब्ध न होने अथवा अन्य प्रशासनिक कारणों से विद्यालय संचालित नहीं किए गए हैं। उन 51 जिलों की सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है जिनमें सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत नहीं किए हैं। सरकार देश के प्रत्येक जिले में एक जवाहर नवोदय विद्यालय स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। तथापि, प्रत्येक वित्त वर्ष में संस्वीकृत किए गए विद्यालयों की वास्तविक संख्या अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकार की सहमति और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

विवरण I

श्री वाई.एन. चतुर्वेदी की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति के मुख्य निष्कर्ष/सिफारिशें तथा उन पर की गई कार्रवाई

क्र.सं.	निष्कर्ष/सिफारिशें	की गई कार्रवाई
1	2	3
1.	जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्रों की संख्या के विश्लेषण से पता चलता है कि विभिन्न श्रेणियों हेतु आरक्षण की आवश्यकता को पूरा करने में नवोदय विद्यालय समिति बहुत अधिक सतर्क रही है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं
2.	जवाहर नवोदय विद्यालयों की कक्षा X तथा XII की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। हालांकि हैं, शैक्षिक निष्पादन को आंकने के लिए केवल बोर्ड परीक्षा ही मानदण्ड नहीं है।	छात्रों द्वारा गुणवत्तामूलक निष्पादन के लिए सर्वांगीण कार्रवाई योजना तैयार की गई है तथा कार्यान्वित की गई है। परिणामों की गुणवत्ता में भरपूर सुधार हुआ है। की गई अन्य कार्रवाईयां हैं: (1) जवाहर नवोदय विद्यालय में स्टाफ की नियुक्ति, (2) सामूहिक अनुवीक्षण प्रणाली, (3) प्रधानाचार्यों के सम्मेलन में छात्रों द्वारा बोर्ड परीक्षा में किए गए निष्पादन का विश्लेषण, तथा (4) प्रशंसनीय कार्य हेतु प्रधानाचार्यों तथा अध्यापकों को पुरस्कार।
3.	भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद की रिपोर्ट से पता चलता है कि 80 प्रतिशत छात्र तथा उनके परिवार जवाहर नवोदय विद्यालयों के प्रशंसक हैं। विद्यालय से उत्तीर्ण होने वाले 75 प्रतिशत छात्र आगे उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।	विद्यालयों को पुस्तकालय में "कैरियर गाईनेंस कार्नर" खोलने तथा छात्रों को जीविकोपार्जन संबंधी दिशा-निर्देश देने के लिए कैरियर काउंसलिंग कमेटी गठित करने का निदेश दिया गया है। आरआईई मैसूर में गाईडेंस तथा काउंसलिंग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए अध्यापकों को प्रतिनियुक्त किया गया है।
4.	जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा तंत्र बिल्कुल निष्पक्ष तथा उद्देश्यपूर्ण है एवं इसे सभी ने सराहा है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।
5.	प्रत्येक सीट के लिए 18 प्रतियोगी होते हैं। इससे स्कीम की सफलता के बारे में पता चलता है तथा यह भी दर्शाता है कि माता-पिता का प्रवेश प्रणाली में विश्वास है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।

1	2	3
6.	परीक्षा का प्रसार तथा पंचायत एवं प्राथमिक स्कूलों के माध्यम से आवेदन-पत्रों की आपूर्ति	जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का व्यापक प्रसार समाचार पत्रों एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। परीक्षा हेतु संदेश ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचता है।
7.	अगर प्रश्नपत्र प्रत्येक दो वर्ष में बदलता है तो कोई भी नकली कोचिंग केन्द्र इत्यादि नहीं उभर पाएंगे।	जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में पहले से ही बहु चयन प्रणाली वाले वस्तुनिष्ठ तरह का प्रश्न-पत्र शुरू किया है और समय-समय पर इसके स्वरूप की समीक्षा की जाती है।
8.	चूंकि यह आलोचना की जाती है कि चुने गए छात्रों में भाषा कौशल उपयुक्त नहीं है, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षाओं के माध्यम से दाखिल छात्रों के भाषा कौशल को सुधारने की जिम्मेदारी जवाहर नवोदय विद्यालयों की है।	विद्यालयों में अपनाए गए सह पाठ्यचर्या कार्यकलापों के नियमित घटक के रूप में छात्रों के भाषा कौशल को सुदृढ़ करने के लिए विद्यालयों को निर्देश जारी किए गए हैं। निम्नलिखित पर बल देने के लिए सह पाठ्यचर्या कार्यकलापों को सिलसिलेवार किया जाता है (1) भाषा कौशल अर्थात सम्प्रेषण (2) कम्प्यूटर समेकन अध्ययन (3) कला तथा निष्पादन कला में सृजनात्मकता (4) विज्ञान को बढ़ावा देना।
9.	ग्रामीण श्रेणी के संदेहास्पद मामलों की जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष जांच	उम्मीदवारों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के आधार पर विद्यालय स्तर पर ऐसे मामलों की सावधानीपूर्वक समीक्षा की जा रही है।
10.	उच्च कक्षाओं में पढ़ाई बीच में छोड़कर जाने वाले बच्चों से स्कीम की कमियों के बारे में पता नहीं चलता। अत: सिफारिश की गई है कि बड़ी लागत से सृजित बुनियादी सुविधाओं को रिक्त सीटों के कारण अप्रयुक्त पड़े रहने देना नहीं चाहिए।	क्षैक्षिक वर्ष 2003-2004 से रिक्त सीटों को भरने के लिए कक्षा IX में प्रवेश हेतु पार्श्विक प्रवेश परीक्षा आरंभ की गई है। वर्ष 2005-2006 से कक्षा में XI में छात्रों के लिए भी पार्श्विक प्रवेश आरम्भ किया गया है।
11.	कक्षा VI में प्रवेश संख्या में वृद्धि करने की सिफारिश नहीं की गई है क्योंकि इससे अतिरिक्त स्थान और अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती की आवश्यकता होगी।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है।
12.	आवासीय संस्कृति में छात्रों की समायोजन समस्या को देखते हुए तथा शिक्षण माध्यम के कारण कक्षा XI में पार्श्विक प्रवेश की सिफारिश नहीं की गई है।	संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए शैक्षिक वर्ष 2005-2006 से केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/राज्य बोर्ड परीक्षाओं में छात्रों के निष्पादन के आधार पर कक्षा XI में उनका पार्श्विक प्रवेश आरम्भ किया है।
13.	आधारभूत सुविधाओं का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने हेतु रिक्तियों के उपलब्ध होने तक कक्षा IX में पार्श्विक प्रवेश की सिफारिश की गई है। चूंकि रिक्तियों की संख्या कम है और ये स्कूल दर स्कूल	कक्षा IX में पार्श्विक प्रवेश परीक्षा अंग्रेजी या हिन्दी माध्यम में आयोजित की जाती है। आरक्षित श्रेणी में रिक्त सीटें उन्हीं श्रेणियों से भरी जाती है।

1	2	3
	भिन्न होती हैं अत: किसी भी श्रेणी में आरक्षण सुकर नहीं होगा। ऐसे प्रवेश के लिए अंग्रेजी/हिन्दी माध्यम होना चाहिए।	
14.	कक्षा IX हेतु प्रवेश परीक्षा पेपर केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। परीक्षा के आयोजन और दाखिले संबंधित विद्यालयों की परीक्षा के आधार पर किए जाने चाहिए।	कक्षा IX में प्रवेश हेतु परीक्षा पत्र केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किया जाता है। मूल्यांकन कार्य तथा परिणामों की घोषणा क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है।
15.	राज्य बोर्ड तथा केन्द्रीय बोर्ड दोनों से जवाहर नवोदय विद्यालयों की सम्बद्धता प्राप्त करने की संभावना में कोई दम नहीं है। इससे राष्ट्रीय पहचान तथा एकरूपता की अवधारणा का महत्व बहुत कम होगा तथा साथ ही इससे शिक्षा के माध्यम की समस्याएं भी पैदा होंगी। अत: इसकी अनुशंसा नहीं की गई है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।
16.	राष्ट्रीय स्तर पर नवोदय विद्यालय समिति का प्रबंध, जैसा कि दृढ़तापूर्वक समर्थन किया गया है।	कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं।
17.	समिति की बैठकों में विलम्ब अथवा इसकी कार्यकारी समिति द्वारा कार्यान्वयन संबंधी मामलों पर निर्णयों में देरी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए यह सिफारिश की गई कि शिक्षा विभाग में अपर सचिव को समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना चाहिए तथा केन्द्रीय विद्यालय संगठन की तरह कार्यकारी शक्तियां उन्हें प्रदान की जानी चाहिए।	यह निर्णय लिया गया है कि कार्यकारी समिति की बैठकें प्रत्येक तीन माह में तथा समिति की साधारण सभा की बैठकें प्रत्येक छह माह में आयोजित की जाएगी। इस समय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री इस समिति के उपाध्यक्ष हैं।
18.	चूंकि समिति को प्रशिक्षण खेलकूद, कम्प्यूटर साक्षरता संबंधी अधिकांश महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है अतएम यह सिफारिश की जाती है कि समिति को या तो ऐसे लगभग आधे दर्जन क्षेत्रों के लिए संयुक्त निदेशक/उप निदेशक स्तर पर पदों का सृजन करना चाहिए अथवा ऐसे प्रत्येक क्षेत्र के लिए आवधिक आधार पर सलाहकार के रूप में विशेषज्ञ नियुक्त करने चाहिए।	समिति शिक्षक प्रशिक्षण, किशोर शिक्षा कार्यक्रम तथा छात्रों के लिए कम्प्यूटर साक्षरता जैसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिकों की सहायता ले रही है। समिति ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील को भी नियुक्त किया है जो अदालती मामलों तथा वैधानिक मामलों में समिति की सहायता करेगा।

1	2	3
19.	यह सिफारिश की जाती है कि विद्यालय को पोषाहार अथवा कैटरिंग में डिप्लोमाधरी व्यक्तियों को प्रतियोगी बोली के माध्यम से कैटरिंग/मैस का ठेका देने का प्रयास करना चाहिए।	इस प्रयोजनार्थ पहले से ही नियुक्त नियमित कर्मचारी के माध्यम से सभी विद्यालय मैस का प्रबंधन कर रहे हैं।
20.	जहां भी अच्छे उपभोक्ता अथवा सहकारी बाजार हैं, उनकी जांच क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए तथा उपयुक्त पाए जाने पर, पड़ोसी जिले के विद्यालयों को इन सोसायटियों से वस्तुएं, राशन खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए।	सहकारी बाजारों से चीजें खरीदने की प्रणाली को विद्यालयों द्वारा अपनाया जा रहा है।
21.	कुकिंग गैस, दूध तथा छात्रों के लिए वर्दी के लिए भी इसी तरह का इंतजाम किया जा सकता है।	सहकारी बाजारों से चीजें खरीदने की प्रणाली को विद्यालयों द्वारा अपनाया जा रहा है।
22.	हाऊस सिस्टम को छात्रावास-वार पुनर्गठित किया जाना चाहिए, वर्तमान प्रणाली के बजाय किसी शिक्षक/हाऊस मास्टर को एक छात्रावास के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए, इनकी सहायता के लिए अंशकालिक मेट्रल/सहायक होना चाहिए जो किसी अध्यापक की पत्नी या संविदा कर्मचारी हो सकता है।	जे.एन.वी. में विद्यमान हाऊस सिस्टम समीक्षाधीन है। उपलब्ध छात्रावास भवनों के अनुरूप इसे पुनर्गठित किया जाएगा। स्कूलों में अल्पकालिक महिला मेट्रन की नियुक्ति की जा रही है।
23.	सिफारिश की गई कि बालिका छात्रावास की चारदिवारी अलग हो तथा गेट पर सुरक्षा कर्मचारी तैनात हो।	बालिका छात्रावास के लिए अलग चारदिवारी बनाने के लिए प्रस्तावों के आधार पर उपलब्ध वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता आधारित संस्वीकृतियां जारी की जाती हैं।
24.	प्रत्येक विद्यालय में चारदिवारी होनी चाहिए तथा बच्चों के आवागमन पर नजर और नियंत्रण रखने के लिए गेट पर सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए जाने चाहिए।	चारदिवारी के निर्माण हेतु वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता आधारित संस्वीकृतियां जारी की जाती हैं। विद्यालयों को छात्रों की समुचित सुरक्षा के लिए वसूले गए शुल्क से व्यवस्था करने के लिए भी अधिकृत किया गया है।
25.	अंशकालिक डाक्टर प्रत्येक दूसरे दिन कम से कम दो घंटे के लिए विद्यालय में उपलब्ध होने चाहिए। जहां विद्यमान नर्स पुरुष हो वहां दूसरी नर्स की व्यवस्था होनी चाहिए। अंशकालीन डाक्टर तथा परामर्शदाता मनोचिकित्सक का पारिश्रमिक 5000 रु. प्रतिमाह के आस-पास होना चाहिए।	जहां नर्स पुरुष हैं वहां प्रधानाचार्यों को संविदा आधार पर अतिरिक्त महिला स्टाफ नर्स को काम पर रखने के लिए अधिकृत किया गया है। अंशकालीन डाक्टर का पारिश्रमिक बढ़ाकर 1000 रु. प्रतिमाह किया गया है।

1	2	3
26.	शिक्षकों की सेवा-शर्तें आकर्षक नहीं हैं। कार्य की अवधि भी लम्बी है। इसके लिए शिक्षकों को कोई वित्तीय लाभ दिया जाना चाहिए।	नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वेतनमान एवं भत्ते दिए गए हैं। उन्हें निःशुल्क आवास तथा उनके प्रतिपाल्यों को विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। फिलहाल उन्हें अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
27.	के.वी.एस. की तरह नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को भी पेंशन योजना के तहत लाया जाना चाहिए।	सरकार ने नीतिगत मामले के रूप में कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित नहीं किया है।
28.	नवोदय विद्यालय के शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र भत्ता संस्वीकृत करने पर विचार करने की सरकार से सिफारिश की गई।	नवोदय विद्यालय के कर्मचारियों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
29.	जहां वाहन उपलब्ध नहीं कराया गया है वहां महीने में सात दिन तक दैनिक किराया के आधार पर वाहन लगाने के लिए प्रधानाचार्यों को अधिकृत किया जाना चाहिए।	जिन विद्यालयों में वाहन उपलब्ध नहीं कराए गए हैं या जिनके वाहन खराब हो गए हैं वहां के प्रधानाचार्यों को संविदा आधार पर वाहन लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
30.	पैनल निरीक्षण हेतु अधिकांशतः जिले और आस-पास के विद्वान व्यक्तियों का प्रयोग। स्कूल प्रबंधन के विभिन्न पक्षों की देखभाल हेतु पैनल में ऐसे व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए जो विभिन्न विषय क्षेत्रों यथा प्रशासन, चिकित्सा आदि से जुड़े हों।	विद्यालय के निरीक्षण हेतु गठित किए जाने वाले पैनल में विभिन्न कार्यक्षेत्रों एवं अनुभव के व्यक्तियों को शामिल किया जा रहा है।
31.	इस पैनल को पूर्ववर्ती रिपोर्टों पर ध्यान देना चाहिए और अधिकतम 6-8 प्राथमिकता मदों से अधिक पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए	विभिन्न घटकों, जैसे शिक्षाविद, आवासीय आदि के दृष्टिकोण से प्राप्त पैनल निरीक्षण रिपोर्टों का विश्लेषण किया जा रहा है।
32.	यह सिफारिश की जाती है कि 24000 रु. प्रति वर्ष से अधिक कमाने वाले माता-पिताओं से 200 रु. प्रतिमास का शुल्क एकत्र किया जाना चाहिए। जाति अथवा समुदाय के आधार पर किन्हीं सामाजिक श्रेणियों को छूट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज का अपना विवरण दिए बगैर परिवारों की भुगतान करने लायक क्षमता पर विचार करते हुए निर्धारित किया जाने वाला यह एक नितांत आर्थिक निर्णय है।	जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों से शुल्क वसूल करने के लिए निर्णय लिया गया है और 1.8.2003 को आदेश जारी किए गए। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों, बालिकाओं, विकलांग बच्चों तथा गरीबी रेखा से नीचे के छात्रों को छोड़कर कक्षा 9 से 12 के छात्रों से 200 रु. प्रतिमास की दर से शुल्क वसूल किया

1	2	3
33.	शुल्क से प्राप्त आय को विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों के लिए अनन्य रूप से विद्यालयों पर ही छोड़ देना चाहिए।	संग्रह किए गए शुल्क को विद्यालय विकास निधि नामक एक पृथक लेखा शीर्ष के अंतर्गत रखा जाता है। स्कूलों के विकासात्मक कार्यकलापों के लिए "विद्यालय विकास निधि" के उपयोगार्थ प्राचार्य को आदेश जारी किए गए हैं।
34.	यह सिफारिश की जाती है कि और नए नवोदय विद्यालय खोलना अगले तीन वर्षों के लिए बंद कर देना चाहिए और इस बीच उपलब्ध संसाधन का उपयोग अस्थायी आवास में चल रहे 98 स्कूलों के लिए भवनों के निर्माणार्थ किया जाना चाहिए।	नए जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत करते समय समिति यह सुनिश्चित करने की हरसंभव कोशिश करती है कि विद्यालय शुरू करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम बुनियादी अवसंरचना संबंधी सुविधाएं राज्य सरकार प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि पहले ही संस्वीकृत विद्यालय राज्य सरकार प्राधिकारियों से विद्यालय सही ढंग से संचालित करने के लिए अन्य बुनियादी सुविधाओं सहित उपयुक्त अस्थायी आवास उपलब्ध कराके यथासंभव शीघ्र शुरू करने का आग्रह करके संचालित किया जाए।
35.	यह सिफारिश की जाती है कि शिक्षकों की भर्ती का उत्तरदायित्व एक स्वायत्त भर्ती बोर्ड को सौंपा जाना चाहिए जो केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति, दोनों के लिए समान हो सकता है।	इस समय शिक्षकों की भर्ती/चयन एडसिल आदि जैसी बाह्य एजेंसी द्वारा की जा रही है। इस पद्धति को संतोषजनक पाया गया है और इस समय कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।
36.	भर्ती बोर्ड का एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होना चाहिए जिसकी सहायता अंशकालिक सदस्यों द्वारा की जाए।	किसी स्थायी भर्ती बोर्ड का गठन नहीं किया गया है।
37.	आतंकवादी समस्याओं तथा स्थानीय व्यक्तियों के आतंकवादी गुटों के साथ संपर्क के कारण पूर्वोत्तर को छोड़कर स्कूल स्तर पर की जाने वाली भर्ती जारी रहनी चाहिए।	प्राचार्यों द्वारा स्कूल स्तर पर शिक्षणेतर पदों पर भर्ती स्थानीय आधार पर की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में आतंकवादी गुटों के साथ संपर्क रखने वाले लोगों से बचने के लिए आवश्यक उपचारी उपाय किए जा रहे हैं।
38.	नवोदय विद्यालय समिति द्वारा तैयार की गई शिक्षकों की स्थानांतरण नीति अच्छी है।	-
39.	शिक्षकों को आमतौर पर सात वर्ष के लिए स्थानांतरित किया जाना चाहिए-पूर्वोत्तर में पदस्थापन के लिए 3 वर्ष का एक निश्चित कार्यकाल होना चाहिए। शिक्षकों को उनके मूल स्थान से 200 कि.मी. के भीतर पदस्थापित नहीं किया जाना चाहिए। यह बाध्यता गैर-शिक्षण स्टाफ पर भी लागू होनी चाहिए।	पूर्वोत्तर में पदस्थापित शिक्षकों के लिए 3 वर्ष का एक नया कार्यकाल निर्धारित किया गया है। शिक्षकों को उनके मूल जिलों में पदस्थापित नहीं किया जा रहा है।

1	2	3
	असम को छोड़कर पूर्वोत्तर में शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को उसी जिले में पदस्थापित किया जाना चाहिए।	
40.	गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए एक स्थानांतरण नीति को भी अंतिम रूप दिया जाना है।	गैर-शिक्षण स्टाफ का स्थानांतरण भी काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा है।
41.	अधिगम प्रबोधितों की ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी ओर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया है।	अधिगम की ओर बल दिया गया है। छात्र केन्द्रित शिक्षण गतिवधि और अंत: क्रियात्मक शिक्षण सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।
42.	बोलने और पढ़ने के कौशलों पर बल दिया जाना चाहिए। प्रत्येक कक्षा के लिए बड़ी संख्या में पर्याप्त पुस्तकों की पहचान कर उन्हें उप श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। छात्रों को प्रत्येक श्रेणी में से एक पुस्तक चुनने और उसकी कक्षा में एक सेमिनार में सारांश प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए। विशेष रूप से बोलने का कौशल तृतीय भाषा के मामले में अधिक महत्वपूर्ण हैं।	परिचालित नए दिशानिर्देशों (पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों के संबंध में) के अनुसार माह के द्वितीय सप्ताह को वार्तालाप योग्यताओं/कौशलों के विकास से संबंधित पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां आयोजित करने हेतु आरक्षित किया गया है। जैसा कि क्लस्टर प्रभारियों से प्राप्त रिपोर्टों से पता चला है, ये पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां सफलतापूर्वक आयोजित की जा रही हैं।
43.	नवोदय विद्यालयों को अंकों के स्थान पर ग्रेडों से मूल्यांकन करना चाहिए। ग्रेडों में छात्रों की पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियों में भागीदारी के मूल्यांकन का प्रावधान होना चाहिए। यह कक्षा 6 से 9 तक सभी कक्षाओं में किया जाना चाहिए।	कक्षा 6 को छोड़कर सभी गैर बोर्ड कक्षाओं के लिए वार्षिक परीक्षा 2004 से आर.ओ. के माध्यम से एक संयुक्त परीक्षा के रूप में आंतरिक परीक्षा आयोजित की गई थी। जवाहर नवोदय विद्यालयों में सी.सी.ई. कार्यान्वित करते हुए सह-शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन करते समय ग्रेडिंग का प्रयोग किया जा रहा है। शैक्षिक गतिविधियों में ग्रेडिंग केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से दिशानिर्देश प्राप्त होने के बाद शुरू की जाएगी।
44.	शिक्षण पद्धति में तत्काल सुधार की जरूरत है। व्याख्यान के स्थान पर बातचीत के तरीके को अपनाने के लिए शिक्षकों के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने है।	नए भर्ती शिक्षकों के लिए नवोदय लीडरशिप संस्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभिचिन्हित शिक्षकों (जिनका सी.बी.एस.ई. परीक्षा में परिणाम निम्न रहा) के लिए विभिन्न क्षेत्रों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।
45.	शिक्षकों में यह धारणा बहुत अधिक फैली हुई है कि उनका कार्यभार बहुत अधिक है। जबकि कोई अतिरिक्त कार्यभार नहीं है, समिति का रुख इस प्रकार की धारणा के प्रति सब कुछ अच्छा निर्धारित करने का हो। इसलिए पाठ्यक्रम सहगामी	विज्ञान के प्रोन्नयन, वार्तालाप योग्यता कौशलों, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा कला एवं प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली सह-शैक्षिक गतिविधियां चुनने के बारे में विद्यालयों से विस्तृत पत्र-व्यवहार किया गया है। उनसे छात्रों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

1	2	3
	गतिविधियों को 3 अथवा 4 समूहों में बांटा जाना चाहिए। प्रत्येक छात्र से एक गतिविधि चुनने के लिए कहा जाए और उसका मूल्यांकन उसी गतिविधि के आधार पर किया जाना चाहिए।	
46.	एस यू पी डब्ल्यू को और अधिक सार्थक बनाने के लिए प्रत्येक कक्षा को 5-6 छात्रों के ग्रुप में बांटा जाना चाहिए और उनसे साफ-सफाई आदि का ध्यान रखने के लिए कहा जाए।	श्रम का महत्व संबंधी आदत पैदा करने के लिए बच्चों को छात्रावासों और विद्यालयों की सफाई का दायित्व सौंपा जाता है।
47.	छात्रों के मानसिक अनुभवों में वृद्धि करने के लिए विद्यालय को बच्चों को संबोधित करने के लिए विभिन्न व्यवसायों से जुड़े प्रख्यात लोगों को आमंत्रित करना चाहिए।	विभिन्न व्यवसायों के प्रख्यात लोग जवाहर नवोदय विद्यालयों में आमंत्रित किए जा रहे हैं, हालांकि व्याख्यानों की ऐसी सूची, माह में दो बार विद्यालय कलेन्डर में नहीं दी गई। प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 2004-2005 के दौरान इसे अपनाया नहीं गया है।
48.	कम्प्यूटरों में नवोदय विद्यालय समिति द्वारा दी गई पाठ्यचर्या अवास्तविक है। छात्रों को विन्डो/सेंडिंग एण्ड रीचिंग ई-मेल आदि जैसी बुनियादी चीजों को चलाना सीखना चाहिए।	नवोदय विद्यालय के सभी छात्रों को एम एस वर्ल्ड तथा पावर पाईन्ट का बुनियादी अनुप्रयोग का उपयोग करना सिखाया जाना चाहिए। संचालन प्रणाली अर्थात विन्डो को सिखाने के अलावा उनको इन्टरनेट का प्रयोग तथा ई-मेल भेजना भी सिखाया जाना चाहिए।
49.	अस्थिरता से प्रभावित विद्यालयों के लिए प्रवजन को लागू नहीं किया जाना चाहिए जिससे अनुशासनहीनता बढ़ेगी और उन विद्यालयों पर भी लागू नहीं की जानी चाहिए जो अस्थायी आवास में कार्य कर रहे हैं।	ऐसे जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवजन सम्बन्ध पर पुनः विचार किया गया।
50.	गति निर्धारक कार्यकलापों के लिए ठोस कार्रवाई बड़ी संख्या में करने के बजाय कम संख्या में करनी चाहिए।	अड़ोस-पड़ोस वाले विद्यालयों के बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा कार्यक्रम, पर्यावरण सुधार परियोजना संसाधनों का परिवर्तन और प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम में प्रशिक्षत किया जा रहा है।
51.	क्षेत्रीय आधार पर शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं केन्द्रीय विद्यालय संगठन के साथ संयुक्त रूप से नवोदय विद्यालय के लिए स्थापित की जानी चाहिए या ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाएं अलग-अलग भी स्थापित की जा सकती है। प्रशिक्षण का बल, विषय, प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी, मूल्यपरक शिक्षा तथा कम्प्यूटर साक्षरता आदि पर दिया जाना चाहिए।	शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए नवोदय लीडरशिप इंस्टीच्यूटस नामक पांच प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़, गाजियाबाद, गोवा, गुण्टूर तथा रंगारेड्डी में स्थापित किए गए हैं। इस समय इन संस्थाओं का संचालन अनुभवी प्रधानाचार्यों तथा समिति के सहायक निदेशकों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों में बाहरी विशेषज्ञों की सहायता ली जाती है।
52.	हालांकि, खेल तथा शरीरिक शिक्षा महत्वपूर्ण तथा वांछनीय हैं, इस बात पर समुचित विचार किया जाना चाहिए। यदि छात्र उत्कृष्टता के लक्ष्य को प्राप्त करने के बजाय खेल-कूदों में उत्साह के साथ नियमित रूप से भाग लेते हैं।	विद्यालय स्तर पर खेलकूदों में छात्रों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रत्येक छात्र सुबह पी टी, योगा तथा शाम को चुनिंदा खेलकूदों में भाग लेते हैं।
53.	योग में प्रशिक्षण देते समय नवोदय विद्यालय समिति को योग संस्थाओं की सावधानीपूर्वक जांच करनी चाहिए और केवल अच्छे स्तर की योग संस्थाओं को अनुमोदित करना चाहिए।	कैवल्याधाम लोनावाला के सहयोग से देश के चुनिंदा जवाहर नवोदय विद्यालयों में विशेष योग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

विवरण II

12.8.2005 की स्थिति के अनुसार देश में गैर-कार्यात्मक नवोदय विद्यालयों का स्तर (जिला-वार)

क्र.सं.	राज्य	जिला/ज.न.वि. गैर कार्यात्मक	संस्वीकृति का वर्ष	गैर-कार्यात्मक स्थिति के कारण
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम कमांग	2005-06	
2.	बिहार	रोहतास	2001-02	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
3.	बिहार	लखीसराय	2003-04	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
4.	छत्तीसगढ़	बस्तर	2004-05	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
5.	गुजरात	डांगस	2002-03	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
6.	गुजरात	आनंद	2005-06	
7.	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	2001-02	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
8.	झारखण्ड	जामतारा	2002-03	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
9.	केरल	वयनाद	2004-05	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
10.	मध्य प्रदेश	गुना	2004-05	हाल ही में अगस्त, 2004 में संस्वीकृत किया गया। अस्थाई आवास की व्यवस्था की जानी है।
11.	मध्य प्रदेश	शहडोल	2004-05	
12.	मिजोरम	मामित	2003-04	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
13.	मिजोरम	अइजॉल	2002-03	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
14.	मिजोरम	केलाशिब	2002-03	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
15.	मिजोरम	चिम्तुपुई (लाँग-तलाई)	1992-93	कम नामांकन तथा प्रशासनिक कारणों से बंद कर दिया गया।
16.	मिजोरम	लुंगलेई	1987-88	कम नामांकन तथा प्रशासनिक कारणों से बंद कर दिया गया।
17.	मिजोरम	सेहा	2005-06	
18.	मिजोरम	चन्फाई	2005-06	
19.	नागालैण्ड	किफायर	2005-06	
20.	उड़ीसा	नयागढ़	2005-06	
21.	सिक्किम	ईस्ट सिक्किम	2005-06	
22.	त्रिपुरा	उत्तरी त्रिपुरा	2002-03	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं

1	2	3	4	5
23.	उत्तर प्रदेश	सारास्वती	2002-03	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
24.	उत्तर प्रदेश	अम्बेडकर नगर	2003-04	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
25.	उत्तरांचल	देहरादून	2002-03	अस्थाई आवास उपलब्ध नहीं
26.	उत्तरांचल	पौड़ी गढ़वाल	2005-06	
27.	पश्चिम बंगाल	हुगली	2004-05	अस्थाई आवास की मरम्मत की जा रही है।
28.	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी	2005-06	
29.	पश्चिम बंगाल	बांकुरा	2005-06	
30.	पश्चिम बंगाल	उत्तर दिनाजपुर	2005-06	
31.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम	2005-06	
	कुल 31			

विवरण III

उन जिलों की सूची जहां नवोदय विद्यालय नहीं खोले गए हैं

क्र.सं.	राज्य	जिलों की क्रम संख्या	जिले का नाम
1	2	3	4
1.	छत्तीसगढ़	1	जसपुर
		2	कांकेर
		3	कावर्धा
		4	कोरिया (बैकुण्ठपुर)
2.	मध्य प्रदेश	5	उमरिया
		6	बुरहानपुर
3.	उड़ीसा	7	जगतसिंहपुर
		8	झजपुर
		9.	देवगढ़
		10.	बड़गढ़
		11.	भद्रक
4.	आंध्र प्रदेश	12	हैदराबाद
5.	दिल्ली	13	ईस्ट दिल्ली
		14	पश्चिम दिल्ली
		15	नार्थ दिल्ली
		16	साउथ दिल्ली
		17	सेन्ट्रल दिल्ली
		18	नार्थ ईस्ट दिल्ली
		19	साउथ ईस्ट दिल्ली
6.	हरियाणा	20	फतेहाबाद
7.	उत्तर प्रदेश	21	देवरिया
		22	रामपुर
		23	हमीरपुर
		24	गाजियाबाद
8.	बिहार	25	अरवल

1	2	3	4
9.	झारखण्ड	26	सिमडेगा
10.	पश्चिम बंगाल	27	कूच बिहार
		28	दक्षिण दिनाजपुर
		29	हावड़ा
		30	माल्दा
		31	पश्चिम मिदनापुर
		32	दक्षिण 24 परगना
		33	पुरुलिया
		34	कोलकाता (नवनिर्मित जिला)
11.	गुजरात	35	अमरेली
		36	अहमदाबाद
		37	नर्मदा
		38	नवसारी
		39	वलसाड
12.	महाराष्ट्र	40	मुम्बई
		41	मुम्बई उपशहरी
		42	धूले
		43	भंडारा
13.	अरुणाचल प्रदेश	44	कुरंग कुमे
		45	अपर दिवांग वैली
14.	असम	46	डुबरी
		47	नौगांव
		48	उत्तरी कछार पर्वत
		49	बोंगईगांव
15.	नागालैण्ड	50	दीमापुर
		51	जोनोबूटो

टिप्पणी: इसमें नवनिर्मित जिले शामिल हैं और तमिलनाडु राज्य शामिल नहीं है।

उड़ीसा को 'बी-1' राज्य के रूप में वर्गीकृत किया जाना

3126. श्री परसुराम माझी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्र से उड़ीसा को 'बी-1' राज्य के रूप में वर्गीकृत करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के अंतर्गत 75% केन्द्रीय वित्तपोषण हेतु उड़ीसा को बी-1 राज्य के रूप में वर्गीकृत करने हेतु उड़ीसा की राज्य सरकार से विगत में अनुरोध प्राप्त हुए हैं। राज्यों के पुनः वर्गीकरण सहित इस योजना को संशोधित करने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में मेगा सिटी परियोजना

3127. श्रीमती मिनाती सेन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि मेगा सिटी परियोजना संस्तुति संबंधी समिति के सदस्य हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में संस्तुति संबंधी समिति ने पश्चिम बंगाल में सड़कों, फ्लाईओवरों, पेयजल, जल निकासी प्रणाली, आवास आदि से संबंधित कार्यों को अंतिम रूप दिया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने जल, यातायात एवं परिवहन तथा आवास और क्षेत्रीय विकास की परियोजना को अनुमोदित कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के गठन के बाद सरकार ने कई शर्तें लगा दी हैं जो कि मेगा सिटी योजना को पूरा करने की राह में बाधा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां, मेगा शहरों में अवस्थापना विकास

की केन्द्र प्रवर्तित योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कोलकाता सहित सभी मेगा शहरों की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के सदस्यों में केन्द्र तथा राज्य सरकार के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(ख) जी हां, कोलकाता मेगा शहर के लिए सभी शहरी अवस्थापना परियोजनाएं कोलकाता मेगा शहर की राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है।

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा निम्नलिखित घटक अनुमोदित किए गए:

घटक	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)
जल आपूर्ति परियोजनाएं	453.31
यातायात एवं परिवहन	370.50
सीवरेज एवं जल निकासी	50.95
ठोस कचरा निपटान	21.59
आवास तथा क्षेत्र विकास	329.56
वाणिज्य परियोजनाएं	35.70
बस्ती सुधार	3.43
पर्यावरण में सुधार तथा पुनःस्थापना	2.31
योग:	1267.35

(घ) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजनाओं का अनुमोदन राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा किया जाता है और इसके लिए राज्य सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित नहीं है।

(ङ) और (च) जी नहीं। मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत स्वीकृत चालू परियोजनाएं/योजनाएं पूरी करने के लिए धनराशि केन्द्रीय अंश मुहैया कराया जाता है।

बंद पड़ी रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करना

3128. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने विशेषकर जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर जैसे अग्रवाद से प्रभावित राज्यों में बंद पड़ी रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों को पुनः चालू करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक जम्मू और कश्मीर में रुग्ण घोषित की गई बंद पड़ी लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या कितनी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जम्मू-कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में रुग्ण लघु उद्योगों (एस एस आई) के पुनर्वास पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को जनवरी, 2002 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ शामिल हैं— रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन करना, उनकी जीवनक्षमता, रियायती वित्त आदि का निर्णय करने के लिए मानदण्ड बनाना।

(ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा संकलित किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जम्मू एवं कश्मीर में रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या मार्च, 2002-2003 एवं 2004 के अंत में क्रमशः 2438, 2114 और 309 थी।

हीरा उद्योग में बैंजीन के प्रयोग पर प्रतिबंध

3129. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने हीरा उद्योग में बैंजीन के प्रयोग को प्रतिबंधित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार का बैंजीन पर प्रतिबंध के बारे में क्या दृष्टिकोण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी हां। गुजरात सरकार ने दिनांक 15 फरवरी, 1995 की अधिसूचना सं. जीएनएल एंड ईडी सं. जी आर/जीयूजे/40/एफएसी/1090/557-एम 3 द्वारा निम्नलिखित कार्यों में बैंजीन और बैंजीनयुक्त पदार्थों के प्रयोग को पहले ही प्रतिबंधित कर दिया है:

(1) वार्निशों, रोगनों और थिनरों का विनिर्माण।

(2) सफाई और ड्रेसिंग कार्य।

इसमें हीरा उद्योग भी शामिल है।

बगैर तराशे हीरों को मार्क करने के लिए बैंजीन के प्रयोग के फलस्वरूप श्रमिकों के स्वास्थ्य पर खतरनाक प्रभाव हो सकता है। देश में हीरा व्यापार स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने वाले बैंजीन के प्रतिबंध का समर्थन करता है। केन्द्र सरकार स्वास्थ्य को होने वाले खतरों को रोकने के लिए अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन कर सकती है।

[हिन्दी]

मोनो रेल चलाना

3130. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न शहरों में मोनो रेल चलाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात के कुछ शहरों में भी मोनो रेल चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की मोनो रेल के कब तक चलाए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) मोनो रेल शुरू करने के लिए भारत सरकार को किसी राज्य से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एस.टी.सी. द्वारा आई.एच.एच.एल. को सहायता

3131. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य व्यापार निगम (एस.टी.सी.) ने भारत में एल.जी. के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मैसर्स इण्डिया हाऊसहोल्ड एण्ड हेल्थ केरल लि. को सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एस.टी.सी. और आई.एच.एच.एल. के बीच कौन-कौन सी निबन्धन एवं शर्तों को अन्तिम रूप दिया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एस.टी.सी.) ने एल जी केयर, कोरिया के स्किन केयर बॉडी केयर और अन्य हेल्थ केयर उत्पादों के आयात हेतु मै. इंडिया हाउसहोल्ड एण्ड हैल्थकेयर लि. (आईएचएचएल), बंगलौर के साथ दिनांक 26.3.2004 के आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी अवधि को इन पक्षकारों की सहमति से आगे और बढ़ाया जा सकता है। समझौता ज्ञापन के अनुसार एसटीसी ने निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन वर्ष 2004-2005 के दौरान 100 करोड़ रुपए तक मूल्य की वस्तुओं के आयात के लिए साख-पत्र की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। लेकिन इस व्यवस्था के जरिए अब तक केवल 17 करोड़ रुपए मूल्य की वस्तुओं का आयात किया गया था। सभी आयातित वस्तुओं के पूर्ण भुगतान के तहत पक्षकारों के सुपुर्द कर दिया गया है। समझौता ज्ञापन के मूलभूत निबंधन एवं शर्तें यह हैं कि आयात प्रत्येक वस्तु सूची के लिए पक्षकार द्वारा 20% की अग्रिम राशि के निक्षेप को प्रस्तुत करने पर किया जाएगा और माल की सुपुर्दगी सामग्री का पूर्ण भुगतान प्राप्त होने पर समुद्र के बीच अथवा बांडेड भाण्डागार के द्वार पर अथवा गोदाम पर की जाएगी।

[हिन्दी]

वाहनों की चोरी

3132. श्री मनोज कुमार: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान हजारों चुराये गए वाहनों का दिल्ली में पता नहीं चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान। वर्ष 2002, 2003, 2004 और 2005 (31 जुलाई तक) के दौरान, चुराये गए वाहनों के दिल्ली में सूचित मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	सूचित मामले	अभी तक बरामद नहीं किए गए वाहनों की संख्या
2002	7434	5422
2003	7444	5868
2004	8873	6890
2005 (31 जुलाई तक)	4906	4063

(ख) चुराये गए वाहनों का पता न चलने के मुख्य कारण है कि वाहन उठाने वाले ऐसे वाहनों को पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर तथा नेपाल सहित दूर-दराज के स्थानों पर बेच देते हैं जहां से ऐसे वाहनों की बरामदगी मुश्किल देती है; और राज्यों के परिवहन विभागों का वाहनों के पंजीकरण से संबंधित नियमों के उपबंधों को सावधानीपूर्वक लागू करने में असफल होना है।

(ग) दिल्ली में वाहन-चोरी की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल है: प्रत्येक जिले में वाहन-चोर विरोधी दस्ता तैयार करना; सीमा जांच चौकियों पर उचित सतर्कता बनाए रखना; आसूचना एकत्र करने के लिए सादे कपड़ों में पुलिस कार्मियों को तैनात करना; वाहन-चोरों के संबंध में आंकड़े एकत्र करना; वाहन चोरों को पकड़ने के लिए लुभा कर फंसाने वाले वाहनों की तैनाती करना; पड़ोसी राज्यों के साथ सूचना का आदान-प्रदान करना; विंडशिल्डों पर वाहनों के नम्बर उकेरना; एस एम एस सेवा का प्रयोग करना ताकि चुराए गए वाहनों की बरामदगी/उससे संबंधित सूचना प्राप्त करना सुकर बनाया जा सके; सूचना के ऑनलाइन आदान-प्रदान के लिए पड़ोसी राज्यों के जिलों के साथ जोनल इंटिग्रेटिड पुलिस नेटवर्क (जैड आई पी एन ई टी) का इस्तेमाल करना आदि है।

आतंकवादियों द्वारा अर्द्धसैनिक बलों की हत्या

3133. **श्री बापू हरी चौरे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आतंकवादी हमलों में सीआरपीएफ और अन्य अर्द्धसैनिक बलों के बल-वार मारे गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या उनके आश्रितों ने अनुकम्पा के आधार पर नौकरियों के लिये आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कुल कितने आवेदन लम्बित हैं; और

(ङ) इन आवेदनों को कब तक मंजूरी दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान, उनके कैम्पों पर आतंकवादी हमलों में प्रति वर्ष मारे गए केन्द्रीय पुलिस बलों (सी सी एफ) के कार्मिकों की बल-वार संख्या नीचे दी गई है:

बल	मारे गए कार्मिकों की वर्ष-वार संख्या		
	2002	2003	2004
के.रि.पु. बल	14	04	23
सी.सु. बल	05	07	01
के.औ.सु. बल	शून्य	02	शून्य
स.सी. बल	02	शून्य	01

(ख) और (ग) ऐसे हमलों में मारे गए सी पी एफ कार्मिकों के आश्रितों की संख्या, जिन्होंने अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन किया है, निम्नानुसार है:

के.रि.पु. बल	–	14
सी.सु. बल	–	04
के.औ.सु. बल	–	02
स.सी. बल	–	01

(घ) और (ङ) 19 लम्बित आवेदन कार्रवाई की विभिन्न अवस्थाओं में है। योग्य उम्मीदवारों को रिक्तियों की उपलब्धता की शर्त पर रोजगार दिया जाएगा, इसलिए समय-सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

[अनुवाद]

कृषि भूमि की बिक्री एवं खरीद

3134. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में कृषि भूमि की बिक्री और खरीद प्रतिबंधित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए कृषि भूमि के उपयोग को रोकने के लिए फार्म हाउस की बिक्री एवं खरीद पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि उन्होंने 1 जून, 2005 को इस आशय के आदेश जारी किए हैं कि कृषि भूमि के छोटे भूखंडों का प्रत्यक्ष रूप से गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में कोई विक्रय विलेख अथवा सामान्य मुख्तारनामा पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

(ग) और (घ) जिन फार्म हाउसों का गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जा रहा है अथवा जहां अनुमेय सीमा से अधिक निर्माण किया गया है उनके विरुद्ध संबंधित राजस्व सहायक द्वारा दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 81 के तहत कार्रवाई की जाती है और धारा 81 के तहत कार्रवाई लंबित होने अथवा परिणामस्वरूप वह भूमि गांव सभा में निहित होने के मामले में बिक्री की अनुमति नहीं दी जाती।

[हिन्दी]

तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना

3135. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ नये तकनीकी विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

शिवकाशी से आतिशबाजी का प्रेषण

3136. श्री रघुनाथ झा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में शिवकाशी स्थित आतिशबाजी और पटाखों के विनिर्माता डीलरों के प्रतिदिन के प्रति बीजक पर ध्यान दिये बिना ही उन्हें आतिशबाजी और पटाखे अधिक मात्रा में प्रेषण करते हैं और वे विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के उपबंधों और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार ने विस्फोटक अधिनियम के उपबंधों और नियमों को कड़ाई से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) गत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के उपबंधों और नियमों का उल्लंघन करने वाले विनिर्माताओं और डीलरों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है; और

(ङ) उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ग) विस्फोटक नियमावली, 1983 के नियम 7 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि इन नियमों के तहत लाइसेंस के साथ अथवा लाइसेंस के बिना, पहुंचाये जाने वाले अथवा प्रेषित किए जाने वाले विस्फोटकों की मात्रा किसी भी हाल में उससे अधिक नहीं होगी, जितनी मात्रा को रखने के लिए वह व्यक्ति प्राधिकृत होगा जिसे विस्फोटक पहुंचाये जा रहे हों या प्रेषित किये जो रहे हों। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पूर्व में, विस्फोटक विभाग) के लाइसेंसधारकों द्वारा तमिलनाडु स्थित शिवकाशी में बनायी जाने वाली आतिशबाजी और पटाखे देश के विभिन्न भागों में लाइसेंसधारकों की क्षमता के अनुसार ही उन्हें प्रेषित किये जाते हैं। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के नोटिस में ऐसी कोई जानकारी नहीं आयी है जिसमें विनिर्माताओं द्वारा लाइसेंसीकृत मात्रा से अधिक माल प्रेषित कर नियम का उल्लंघन किया गया हो। पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के शिवकाशी उप-मंडल और दूसरे मंडलीय/उप-मंडलीय कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा विनिर्माताओं तथा थोक व्यापारियों के रिकार्डों के सत्यापन हेतु आवधिक निरीक्षण एवं औचक निरीक्षण किये जा रहे हैं, ताकि विस्फोटक अधिनियम और नियमावली के उपबंधों का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(घ) और (ङ) संबंधित प्राधिकरणों से सूचना एकत्र की जा रही है।

नक्सलवाद से प्रभावित राज्य

3137. श्री तथागत सत्पथी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से नक्सलवाद प्रवण क्षेत्रों के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता देने हेतु और अधिक जिलों को शामिल करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने नक्सलवादी समस्या के समाधान के लिए महत्वपूर्ण रणनीति निर्णय के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए नक्सलवाद प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर राज्य सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(छ) नक्सलवादी समूहों की गतिविधियों को रोकने के लिए क्या उपाय किय जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के तहत और जिलों को शामिल करने के लिए नक्सल प्रभावित विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच करने के बाद सरकार ने नक्सल प्रभावित 21 अतिरिक्त जिलों नामतः गुंटूर, प्रकाशम, अनंतपुर, करनूल, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी और श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश); पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अरवल, नवदा और जमुई (बिहार), पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सराइकेला-खारसवान (झारखंड); मंडला (मध्य प्रदेश); कोरिया (छत्तीसगढ़); सुंदरगढ़ और क्योंझर (उड़ीसा) को 2004-2005 से सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आई ई) योजना में शामिल किया है।

(घ) से (च) नक्सल प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों तथा पुलिस महानिदेशकों से अनुरोध किया गया है कि नक्सल समस्या को हल करने तथा सुरक्षा, विकास और लोक अवधारणा प्रबंधन के क्षेत्रों में भी समन्वित दृष्टिकोण अपनाएं।

उनसे यह भी कहा गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास को उच्च प्राथमिकता दें तथा इस विषय पर हुई विभिन्न बैठकों में लिए गए निर्णयों के आधार पर समयबद्ध कार्य योजना बनाए। राज्य सरकारों ने इस संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है।

(छ) केन्द्र सरकार ने नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए बहु-आयामी रणनीति अपनाई है जिसमें (क) प्रभावित राज्यों द्वारा जब कभी संभव हो उन नक्सली ग्रुपों के साथ शांति वार्ता करना जो हिंसा का मार्ग त्यागने के इच्छुक हों, (ख) राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण और उन्हें मजबूत बनाना, अर्द्ध-सैनिक बलों की लंबे समय तक तैनाती करना, आसूचना आधारित सु-समन्वित नक्सल-विरोधी अभियान तेज करना, (ग) प्रभावित क्षेत्रों के समन्वित विकास पर ध्यान केन्द्रित करना, और (घ) लोगों के सामाजिक-सांस्कृतिक अलगाव को दूर करना, लोक शिकायत निवारण प्रणाली को सक्रिय बनाना और स्थानीय प्रतिरोध ग्रुपों का सृजन करना शामिल है।

औद्योगिक इकाइयों में पूंजी निवेश

3138. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में निजी/सरकारी क्षेत्र में कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन इकाइयों में कितनी पूंजी निवेश की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) 1 अप्रैल, 2002 से 31 मार्च, 2005 तक की अवधि के दौरान 43632 करोड़ रुपये के प्रस्तावित निवेश सहित महाराष्ट्र राज्य के लिए दायर किये गये औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आईईएमएस) तथा जारी किये आशय-पत्रों (एलओआईएस)/ प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों (डीआईएलएस) की संख्या 2010 थी।

[हिन्दी]

बिना उद्योगों वाले जिले

3139. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बिना उद्योगों वाले जिलों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जिलों में उद्योगों की स्थापना के लिए सरकार की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान इनके लिए धनराशि की क्या व्यवस्था है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वित्तीय अवसंरचनात्मक तथा औद्योगिक मानदण्डों के आधार पर तैयार कि गई अखिल भारतीय वर्गीकरण सूची (आल इंडिया ग्रेडेशन लिस्ट) के अनुसार निम्नलिखित जिलों की "बिना उद्योग वाले" जिलों के रूप में पहचान की गई है।

जिला	राज्य
गोड्डा, गुमला, अररिया, मधेपुरा, खगरिया, किशनगंज, मधुबनी, जहानाबाद, सहरसा, लौहारडग्गा	बिहार
सिद्धार्थनगर, महाराजगंज	उत्तर प्रदेश
उत्तरकाशी, चमोली	उत्तरांचल
बाडमेर, जैसलमेर, चुरू	राजस्थान
छत्तरपुर, सुरगुजा	मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़
कूल बिहार, बांकुरा, मालदा, जलपाइगुर्डी	प. बंगाल
कालाहांडी, फूलबनी	उड़ीसा
वायानाड, इड्डुक्की	केरल

(ग) और (घ) औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकास केन्द्र योजना 1998 में शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत चुनिन्दा औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों में देश भर में स्थापित करने के लिए 71 विकास केन्द्र अनुमोदित किये गये हैं। चालू वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान में 1.00 करोड़ रुपये की राशि रखी गई है।

[अनुवाद]

विदेशों में प्रदर्शनियां

3140. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विदेशों में प्रदर्शनियां आयोजित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कौन-कौन से देशों में प्रदर्शनियां आयोजित की गई;

(ग) इन पर कितना खर्च हुआ है; और

(घ) इन प्रदर्शनियों के क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है:

वर्ष	देश
2002-2003	स्विटजरलैण्ड, जर्मन, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, स्पेन, यूएई, यूके, लीबिया, रोमानिया, अल्जीरिया, जाम्बिया, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, ईरान, इराक, सूडान, रूस, इथियोपिया, ब्राजील, जापान, कोरिया, हांगकांग, मैक्सिको, पनामा, यूएसए
2003-2004	स्विटजरलैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूएई, यूके, लीबिया, अल्जीरिया, जाम्बिया, हंगरी, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, ईरान, सूडान, रूस, इथियोपिया, पुर्तगाल, तंजानिया, तुर्की, मोजाम्बिक, पोलैण्ड, उज्बेकिस्तान, मिस्र, कनाडा, चीन, हांगकांग, जापान, मैक्सिको, मलेशिया, पनामा, यूएसए
2004-2005	स्विटजरलैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूएई, यूके, लीबिया, अल्जीरिया, दक्षिण अफ्रीका, युगांडा, सूडान, रूस, इथियोपिया, पुर्तगाल, तंजानिया, मोजाम्बिक, पोलैण्ड, उज्बेकिस्तान, मिस्र, सीरिया, यूनान, क्रोएशिया, बहरीन, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, कोलम्बिया, जापान, कोरिया, मैक्सिको, मंगोलिया, न्यूजीलैण्ड, पनामा, यूएसए, वियतनाम

(ग) अपेक्षित विवरण निम्नलिखित है:

वर्ष	कुल खर्च (लाख रु.)
2002-03	2050.67
2003-04	1782.20
2004-05	1275.23 (अनंतिम)

(घ) इन प्रदर्शनियों में भारतीय उत्पाद की सक्षमता को प्र र्शित और प्रायोजित किया गया था। विदेशों में प्रदर्शनियों में भारतीय

कंपनियों की सहभागिता के आयोजन से भारतीय उत्पादों के अधिक प्रदर्शन और अधिक जानकारी उत्पन्न करने के जरिए इन देशों में भारतीय निर्यात की वृद्धि में उत्प्रेरक प्रभाव हुआ है। प्रतिभागियों की रिपोर्ट के अनुसार इन मेलों के दौरान किया गया व्यवसाय था:

वर्ष	उत्पन्न व्यवसाय (करोड़ रु.)
2002-03	727.74
2003-04	666.74
2004-05	1081.21

सुरक्षा बलों द्वारा लोगों की हत्या

3141. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज तक देश भर में, विशेषकर जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा बलों द्वारा गलती से कुल कितने निर्दोष व्यक्ति मारे गए; और

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों के दौरान सुरक्षा बल (केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों और सेना) द्वारा गलती से मारे गए निर्दोष व्यक्तियों की संख्या के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

राज्य का नाम	2003	2004	2005 (31 जुलाई)
जम्मू-कश्मीर	10	9	7
मणिपुर	शून्य	1	शून्य
असम	शून्य	1	1

राज्य पुलिस बलों से संबंधित संगत सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ख) सरकार ने सभी सुरक्षा बलों को कार्रवाई में संयम बरतने, विवेक का इस्तेमाल करने तथा मानवीय ढंग से सभी तलाशी तथा विद्रोह-विरोधी अभियान चलाने हेतु सुग्राही बनाने के उद्देश्य से समय-समय पर अनुदेशों को दोहराया है। सुरक्षा बलों को कम से कम बल प्रयोग करने के सिद्धांत का सख्ती से पालन करने, निहत्थे सिविलियनों पर गोली न चलाने, रिहायशी बस्तियों से दूर घात लगाने तथा केवल निर्धारित रणनीतिक प्रक्रियाएं अपनाने के पश्चात ही गोली चलाने के संबंध में शिक्षित किया गया है। गलत पहचान के कारण होने वाली संपार्श्विक क्षति की घटनाओं को टालने के लिए स्थानीय जनता को निर्धारित कर्फ्यू आदेशों का सख्ती से पालन करने और आपातिक मामलों में, रात में लालटेन/टॉर्च ले जाने के प्रति चेताया गया है। सुरक्षा बलों द्वारा संपार्श्विक क्षति की किसी भी कथित घटना को गंभीरता से लिया जाता है और तुरंत पारदर्शी ढंग से जांच की जाती है तथा दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करके जांच को युक्तियुक्त निष्कर्ष तक पहुंचाया जाता है।

बहुराष्ट्रीय कंपनियां

3142. श्री जुएल ओराम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उद्योगों की स्थापना करने वाली विदेशी/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्या नाम हैं;

(ख) क्या इनमें से एल.एस. कोरिया जैसी कुछ कंपनियों ने अपने संस्थापन को बंद कर दिया है जिसके कारण इस कंपनी में निवेश करने वाले भारतीय परिवारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के विरुद्ध और भारतीय परिवारों की सुरक्षा के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने एक उदार, पारदर्शी और निवेशकों के अनुकूल एक नीति लागू की है जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में स्वतः मार्ग के जरिये 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के क्षेत्र-वार अनुमोदनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

उदारीकृत आर्थिक माहौल में, निवेश संबंधी निर्णय, जिनमें कारोबार स्थापित करना, कार्यकलाप चलाना तथा कारोबार बंद करना शामिल हैं; निवेशकों द्वारा अपनी व्यावसायिक समझ तथा लागू कानूनों, विनियमों, आदि के अधीन अन्य प्रासंगिक बातों के अनुसार लिए जाते हैं।

विवरण

सरकार द्वारा अगस्त, 1991 से मई, 2005 के दौरान अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के क्षेत्र-वार ब्यौरे

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम	अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की राशि
1	2	3	4
1.	धातु उद्योग		
	फैरस	161	7103.32
	नौन-फैरस	42	782.65
	विशेष अलाय	79	2031.76
	खनन सेवा	88	4479.83
	विविध (अन्य मदें) धातुकर्म	64	1266.04
	क्षेत्र कुल	434	15663.60
2.	ईंधन (विद्युत और तेल रिफाइनरी)		
	विद्युत	279	38427.24
	तेल रिफाइनरी	156	18244.25
	विद्युत (अन्य)	100	5501.79
	तेल रिफाइनरी (अन्य)	63	4440.23
	अन्य (ईंधन)	121	3464.17
	क्षेत्र कुल	719	70077.68
3.	बॉयलर तथा भाप उत्पादन संयंत्र	37	147.16
4.	विद्युत के अलावा प्राईम मूवर	23	91.72
5.	विद्युत उपकरण (सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रोनिक सहित)		
	विद्युत उपकरण	868	5894.29
	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग	3345	9490.31
	इलेक्ट्रोनिक्स	476	3289.60
	कम्प्यूटर हार्डवेयर	32	381.57
	अन्य (एस/डब्ल्यू)	63	176.05
	क्षेत्र कुल	4784	19231.82

1	2	3	4
6. दूर संचार			
	दूर संचार	366	12779.44
	रेडियो पेजिंग	47	1248.90
	सेलूलर मोबाइल/बेसिक टेलीफोन सेवा	198	23381.60
	दूर संचार (आई एंड बी)	146	3253.98
	अन्य (दूर संचार)	69	877.18
	क्षेत्र कुल	826	41541.09
7. परिवहन उद्योग			
	आटोमोबाइल उद्योग	408	5205.54
	हवाई/समुद्री परिवहन	257	1738.06
	पैंसिजर कार	82	8329.10
	आटो सहायक उपकरण/पुर्जे	212	2670.26
	पत्तन	34	1876.64
	अन्य (परिवहन)	127	1517.84
	क्षेत्र कुल	1120	21337.44
8. औद्योगिक मशीनरी		682	1709.10
9. मशीन औजार		146	416.26
10. कृषि मशीनरी		19	460.11
11. अर्थमूविंग मशीनरी		35	248.94
12. विविध मैकेनिकल और इंजिनीयरी		656	1880.95
13. वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण		80	1165.56
14. चिकित्सा और सर्जिकल उपकरण		115	419.96
15. औद्योगिक उपकरण		111	180.37
16. वैज्ञानिक उपकरण		31	65.81
17. गणितीय सर्वेक्षण और ड्राइंग		4	38.37
18. उर्वरक		13	147.65
19. रसायन (उर्वरक को छोड़कर)		1084	12635.23

1	2	3	4
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म और पेपर	22	238.25
21.	डाइ-स्टाफ	20	128.77
22.	औषध और भेषज	373	2806.19
23.	वस्त्र (रंगे, छपे हुए सहित)	658	3231.78
24.	कागज उत्पाद सहित कागज और लुग्दी	137	3115.87
25.	चीनी	15	1063.43
26.	फर्मन्टेशन उद्योग	64	1544.51
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग		
	खाद्य उत्पाद	682	9454.67
	समुद्री उत्पाद	79	98.93
	विविध (खाद्य उत्पाद)	28	130.51
	क्षेत्र कुल	789	9684.11
28.	वनस्पति तेल और वनस्पति	65	320.58
29.	साबुन, कास्मैटिक और प्रसाधन	49	401.51
30.	रबड़ की वस्तुएं	137	1420.09
31.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं पिकर	182	576.10
32.	ग्ल्यू और जिलेटिन	5	5.93
33.	शीशा	114	2523.95
34.	सेरेमिक्स	184	667.40
35.	सीमेन्ट और जिप्सम उत्पाद	79	1988.72
36.	टिम्बर उत्पाद	24	38.46
37.	रक्षा उद्योग	0	0.00
38.	परामर्शी सेवाएं		
	डिजाइन और इंजीनियरी सेवाएं	358	1276.60
	प्रबंध सेवाएं	353	912.51
	विपणन	62	58.76
	निर्माण	19	57.52
	अन्य (परामर्शी सेवाएं)	60	176.49
	क्षेत्र कुल	852	2481.88

1	2	3	4
39. सेवा क्षेत्र			
	वित्तीय	484	8069.83
	गैर-वित्तीय सेवाएं	369	3489.06
	बैंकिंग सेवाएं	41	603.87
	बीमा	33	480.36
	अस्पताल और नैदानिक केन्द्र	155	1238.39
	आउटसोर्सिंग	29	190.06
	अनुसंधान और विकास	53	899.51
	शिक्षा	105	1250.15
	अन्य सेवाएं	91	938.41
	क्षेत्र कुल	1360	17159.64
40. होटल और पर्यटन			
	होटल और रेस्टोरेंट	347	3821.23
	पर्यटन	158	892.75
	अन्य (होटल और पर्यटन)	39	270.51
	क्षेत्र कुल	544	4984.49
41. व्यापार			
	व्यापार	258	469.66
	व्यापार (निर्यात के लिए)	268	415.47
	व्यापार (कार्यकलाप)	301	2287.99
	ई-कामर्स	44	211.49
	क्षेत्र कुल	871	3384.60
42. विविध उद्योग			
	बागवानी	81	245.06
	कृषि (संकर बीज और बागवानी)	127	513.20
	पुष्प खेती	116	291.05
	हीरा	23	152.45

1	2	3	4
	जेवर और सोना	33	127.10
	निर्माण कार्य और स्थावर संपदा	185	2576.10
	चाय/काफी	10	72.47
	सिगरेट	3	12.73
	पुस्तकों की छपाई, आदि	25	144.07
	कॅयर	9	4.97
	अन्य (विविध उद्योग)	937	3184.96
	क्षेत्र कुल	1549	7324.16
कुल जोड़		19012	252549.27

[हिन्दी]

विशाखापट्टनम जिले में भुखमरी से हुई मौतें

3143. **श्री ब्रजेश पाठक: क्या जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में, विशेषकर आंध्र प्रदेश में जनजातीय क्षेत्रों में भुखमरी के कारण बड़ी संख्या में जनजातीय लोगों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भुखमरी से होने वाली मौतों को रोकने के लिए कोई कदम उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) वांछित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

काजू की गिरी का मूल्य

3144. **श्री पी. राजेन्द्रन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारत से निर्यात की गई काजू की गिरी के मूल्यों में आई गिरावट की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान मूल्य स्तर और इससे अर्जित की गई विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मूल्य में गिरावट को रोकने और घरेलू उद्योग को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के लिए तथा चालू वर्ष के प्रथम तीन महीनों के दौरान काजू गिरी की औसत इकाई निर्यात कीमत तथा निर्यात मूल्य निम्नानुसार हैं:

वर्ष	औसत इकाई निर्यात कीमत (रु./कि.ग्रा.)	निर्यातों का मूल्य (मिलियन अम. डॉलर)
2002-03	185.62	401.11
2003-04	178.96	392.78
2004-05	213.89	602.98
अप्रैल 2005	225.08	54.31
मई 2005	229.51	59.77
जून 2005	227.55	54.52

(स्रोत: सीईपीसी)

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

अंडमान में लघु उद्योगों का कार्य न करना

3145. श्री मनोरंजन भक्तः क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सुनामी आपदा के बाद से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकतर लघु उद्योग बंद हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संघ क्षेत्र (यू टी) प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि 1716 पंजीकृत लघु उद्योगों (एस एस आई) में से 155 इकाइयां द्वीपसमूह में सुनामी और भूकम्प के कारण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई हैं, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 7.48 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान है।

(ग) संघ क्षेत्र (यू टी) प्रशासन द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को राहत के एक विशेष पैकेज के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग के लिए कदम उठाए गए हैं। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में 821.88 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के एक पैकेज का अनुमोदन किया है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आई.आई.डी. केन्द्र

3146. श्री गणेश सिंहः क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में समेकित अवसंरचना विकास केन्द्र और इंजीनियरिंग क्लस्टर की स्थापना का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केन्द्र की स्थापना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है, न ही लंबित है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सीआरपीएफ चिकित्सकों के पदोन्नति के अवसर

3147. श्री हरिसिंह चावड़ाः
श्री जसवंत सिंह बिश्नोईः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय पुलिस संगठनों के चिकित्सकों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के उनके असैनिक सहयोगियों के समान ही पदोन्नति के अवसर मिलते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार के पास केन्द्रीय पुलिस संगठनों के लिए चिकित्सकों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के चिकित्सकों के समान ही पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) चिकित्सा अधिकारियों हेतु डायनामिक एश्योर्ड कॅरिअर प्रोग्रेशन स्कीम (डी ए सी पी) के अंतर्गत केन्द्रीय पुलिस बलों (सी पी एफ) के डाक्टरों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सेलेक्शन ग्रेड) के रैंक तक, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के समतुल्य समयबद्ध प्रोन्नति उपलब्ध हैं। वर्ष 2004 में सरकार द्वारा सी पी एफ के मेडिकल कॉडर के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप, सी पी एफ के डाक्टरों के प्रोन्नति अवसर, उच्च प्रशासनिक ग्रेड अर्थात अपर महानिदेशक (चिकित्सा) के रैंक तक, बढ़ा दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) चिकित्सा काडर को पुनर्गठित करने के पश्चात उपलब्ध पदों पर शीघ्र प्रोन्नति हेतु डाक्टरों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अपर महानिदेशक (चिकित्सा) का पद पहले ही भरा जा चुका है।

कृषि उत्पादों का आयात

3148. श्री हन्नान मोल्लाहः क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अमरीका और यूरोपियन संघ के देशों से वस्तु-वार और देश-वार कितनी कृषि वस्तुओं का आयात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कृषि उत्पादों के मूल्य में मद-वार कितनी गिरावट आई है; और

(ग) सरकार द्वारा भारतीय किसानों को बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अमरीका और यूरोपीय संघ से प्रमुख कृषि वस्तुओं का देशवार आयात संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित अन्य कृषि वस्तुओं का विवरण वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खंड-2 (आयात)-वार्षिकांक" प्रकाशन में देखा जा सकता है जो संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) उन कृषि वस्तुओं जिनकी कीमतें कम हो गई हैं, के मदवार थोक मूल्य सूचकांक संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) आयातों के मात्रात्मक प्रतिबंध को हटाने के फलस्वरूप सरकार ने घरेलू किसानों को संरक्षण प्रदान करने के लिए अनेक कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिए हैं। इसके अतिरिक्त आयातित काली मिर्च की घरेलू बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश के किसानों को कोई कठिनाई न हो, सरकार ने संवेदनशील मदों के आयात जिनमें अधिकांश कृषि वस्तुएं शामिल हैं, पर निगरानी रखने के लिए एक उचित तंत्र स्थापित किया है।

विवरण I

यूरोपीय संघ (ईयू)

(मूल्य लाख रु. में)

	यूएसए	ऑस्ट्रिया	बेल्जियम	डेनमार्क	फिनलैण्ड	फ्रांस	जर्मनी	यूनान	आयरलैण्ड	इटली	लक्समबर्ग	नीदरलैण्ड	पुर्तगाल	स्पेन	स्वीडन	यूके
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
गेहूं																
2002-03	-शून्य-															
2003-04	-शून्य-															
2004-05(अ)	-शून्य-															
चावल																
2002-03	-शून्य-									0.2	0	0.5	शून्य			
2003-04	0.56	शून्य														
2004-05(अ)	-शून्य-															
अन्य अनाज																
2002-03	13.71	-शून्य-														2.65
2003-04	10.39	-शून्य-														
2004-05(अ)	38.25	-शून्य-														0.7
दलहन																
2002-03	1286.19	शून्य		1384.37	0	29439.7	3401.9	शून्य				0.34	शून्य			243.72
2003-04	739.01	शून्य				14478.2	शून्य					शून्य				9.86
2004-05(अ)	639.3	शून्य		145.97	0	8426.31	शून्य									2.79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
चाय																
2002-03	27.03	शून्य					121.82	20.47	शून्य			0.63	0	14.62	0	101.79
2003-04	26.79	0	0.98	शून्य			90.17	शून्य		6.12	शून्य		0.2	0.03	0	246.99
2004-05(अ)	20.7	शून्य				23.29	112.66	शून्य		0.01	शून्य		0.27	0.02	0	153.62
दूध और क्रीम																
2002-03	25.36	0	48.29	354.24	0	338.21	38.67	शून्य				99.98	0	1.03	0	0.48
2003-04	428.4	0.06	932.64	299.88	0	666.39	736.75	0	326.35	0.11	0	287.23	0	21.33	0	816.61
2004-05(अ)	8.85	0	29.29	281.54	0	759.27	0			0.16	0	1.23	0	33.48	0	1.32
काजू गिरी																
2002-03	शून्य															57.51
2003-04	शून्य															
2004-05(अ)	0					28.71	शून्य								111.33	0
फल, गिरियां काजू गिरी के अलावा																
2002-03	20645.41	0	4.77	0		42.99	0.45	0		26.98	0	16.9	0	122.28	0	29.49
2003-04	25002.19	0		0.41	0	70.57	0	14.9	0	107.1	0	5.14	0	42.91	122.26	11.79
2004-05(अ)	47170.58	40.06	0	0.45	0	15.75	4.74	2.8	0	256.3	0	34.06	0	10.53	0	52.08
मसाले																
2002-03	765.21	0	43.17	0		285.02	87.08	0.01	0	35.87	0	58.59	0	34.56	0	232.04
2003-04	716.46	1.21	20.86	0	24.96	303.19	188.03	0.36	0	91.92	0	194.37	0	9.75	0	265.45
2004-05(अ)	954.09	3.02	20.63 '	0	28.36	214.37	126.03	0	0	164	1.06	212.49	0	36.37	0	181.48
चीनी																
2002-03	0	0.58	शून्य									5.81	शून्य			0.02
2003-04	4.12	-शून्य-														10.82
2004-05(अ)	39.72	0	0.02	8.9	0		91.79	0		7.34	0	14.04	शून्य			45.35
तिलहन																
2002-03	शून्य												7.64	शून्य		
2003-04	8.72	0	149.94	0		98.82	शून्य					0.12	शून्य			
2004-05(अ)	5.51	0				0.07	65.64		शून्य		0.03	शून्य				0.03
खाद्य तेल																
2002-03	26009.48	0	44.14	शून्य		86.2	31	शून्य				1.57	शून्य		6.73	48.57
2003-04	20002.28	0	117.43	शून्य		0.92	15.64	शून्य				179.3	शून्य		12.38	5.91
2004-05(अ)	5132.28	0	266.69	शून्य		0	149.56	शून्य				28.12	शून्य		19.39	0.47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
वसा																
2002-03	0		17.29	43.35	0	2.9	128.79	0	36.25	0.18	0	13.22	0			213.56
2003-04	12.74	0	2.88	8.4	0	0.07	168.48	0	2.04	15.28	0	5.76	0	4.28	0	317
2004-05(अ)	5.65	0	0	0	0	0.01	250.8	0	0	0	0	0.04	0	6.33	0	298.18
अन्न उत्पाद																
2002-03	6852.68	0	2.46	163.56	0	56.44	34.08	2.3	0	223.4	0	1162.18	0	4.59	0	118.78
2003-04	3332.48	14.41	64.25	80.2	0	105.04	86.8	2.54	0.23	224.5	0	983.06	0	11.69	0	165.19
2004-05(अ)	5215.64	0	57.79	213.84	1.56	41.52	66.06	5.85	4.71	360.5	0	843.8	0	3.69	0	200.75

(अ): अनंतिम

विवरण II

थोक कीमत सूचकांक

वस्तु	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4
बाजरा	190.3	178.6	183.0
मक्का	189.5	181.2	187.9
जौ	193.8	179.5	188.6
चना	149.7	142.5	137.1
मूंग	208.0	195.9	187.4
उड़द	139.8	217.4	216.3
आलू	190.0	111.4	169.8
कसावा	177.1	200.6	170.8
फूलगोभी	165.1	193.8	136.1
सेब	512.1	539.7	493.0
अंडे	187.3	134.8	136.7
मछली-अंतर्देशीय	287.0	254.0	269.6
कुक्कुटपालन कुक्कुट	102.4	91.6	84.5
काली मिर्च	246.2	226.4	192.1
मिर्च (सूखी)	258.9	294.3	225.9
इलायची	193.9	152.4	130.4

1	2	3	4
जीरा	137.9	116.7	115.6
लहसुन	246.1	197.8	187.7
धनिया	204.4	228.9	185.8
बिस्कुट	176.4	154.9	156.1
मूंगफली की खली	219.5	242.2	217.6

निर्यात प्रसंस्करण जोन

3149. श्री सनत कुमार मंडल: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्थान-वार कितने निर्यात प्रसंस्करण जोन स्थापित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जोन-वार विद्यमान क्षेत्रों का कार्य-निष्पादन कैसा है;

(ग) वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए इन क्षेत्रों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या इन जोनों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान, रियायत और प्रोत्साहन दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या निर्यात प्रसंस्करण जोनों की मंजूरी हेतु प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके अनुमोदन की राज्य-वार क्या स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) कांडला और सूरत (गुजरात), सांता क्रुज (महाराष्ट्र), कोचीन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (प. बंगाल), नोएडा (उ.प्र.) में स्थापित सभी आठ निर्यात संसाधन जोनों को विशेष आर्थिक जोनों में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा, साल्ट लेक-मणिकांचन (पश्चिम बंगाल), इंदौर (म.प्र.) और जयपुर (राजस्थान) में स्थित 3 नए विशेष आर्थिक जोनों ने वर्ष 2004-05 में कार्य करना शुरू कर दिया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में मौजूदा विशेष आर्थिक जोनों का निर्यात निष्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक जोनों में स्थित इकाइयों को प्रस्तावित प्रमुख प्रोत्साहनों में शामिल है: - वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात, घेरलू खरीद, घरेलू टैरिफ क्षेत्र से की गई आपूर्तियों पर केन्द्रीय बिक्री कर से छूट, पुनः प्रयुक्त लाभों पर सेवा कर से छूट और आय कर में पहले पांच वर्षों के लिए, 100% अगले 2 वर्षों के लिए 50% और अगले तीन वर्षों के लिए 50% से कम की छूट।

(च) और (छ) राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों से मंगलौर, बंगलौर, हासन (कर्नाटक), शास्त्री पार्क (नई दिल्ली), गाजियाबाद (उ.प्र.), मोहाली, अमृतसर (पंजाब), नागपुर (महाराष्ट्र) और त्रिवेन्द्रम (केरल) में एसईजेड की स्थापना हेतु हाल में प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है और इस संबंध में शीघ्र निर्णय लिए जाने की आशा है।

विवरण

विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) का निर्यात निष्पादन

(करोड़ रु. में)

जोन	2002-03		2003-04		2004-05	
	निर्यात लक्ष्य	उपलब्धि	निर्यात लक्ष्य	उपलब्धि	निर्यात लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र	550	729.29	1020	1018.82	1275	1060.14
एसईईपीजेड-एसईजेड (सांता क्रुज)	5850	6083.02	7600	7832.81	9790	8298.59

1	2	3	4	5	6	7
नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	1100	1001.17	1400	1534.17	1920	4266.00
मद्रास विशेष आर्थिक क्षेत्र	875	822.35	1040	1037.96	1295	1376.91
कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र	325	270.42	380	298.91	375	462.99
फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र	650	512.39	720	825.34	1030	569.15
विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र	300	357.27	500	435.67	545	579.27
सूरत विशेष आर्थिक क्षेत्र	350	280.71	400	869.90	1090	1539.72
इंदौर विशेष आर्थिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	55.02
जयपुर विशेष आर्थिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	5.27
मणिकंचन विशेष आर्थिक क्षेत्र	-	-	-	-	-	95.94
योग	10000	10056.62	13060	13853.58	17320	18309.00

दिल्ली में सड़कों की मरम्मत

3150. श्री राजेन्द्र कुमार: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली के विभिन्न भागों, विशेषकर सुभाष नगर, नई दिल्ली में नए सीवरेज पाइप डाले गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सीवरेज पाइप डालने के बाद सड़कों की मरम्मत नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन सड़कों की शीघ्र मरम्मत के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि हाल ही में नई दिल्ली के सुभाष नगर में विभिन्न स्थानों पर दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नई पाइप लाइनें बिछाई गई हैं। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सड़क पर की गई तोड़फोड़ की नियमित रूप से कच्चा पैबंद लगाकर मरम्मत की जाती है। वर्षा ऋतु के दौरान सड़कों की मरम्मत बिटुमन से करना संभव नहीं है। वर्षा ऋतु के बाद सड़कों की बिटुमन से मरम्मत करने के लिए प्रारंभिक कार्रवाई पहले ही दिल्ली नगर निगम द्वारा शुरू की जा चुकी है।

पारिस्थितिकीय वाहिनी

3151. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास असम में आत्मसमर्पण कर चुके आतंकवादियों को पूर्वोत्तर को पहली पारिस्थितिकीय वाहिनी में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वाहिनी के कार्यकरण में राज्य सरकार की भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस वाहिनी के प्रस्तावित कार्य क्या हैं और यह वाहिनी किस कमाण्ड के अधिकार क्षेत्र में कार्य करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) उक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

तिहाड़ जेल के कर्मचारी

3152. श्री मुनव्वर हसन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तिहाड़ जेल में तिहाड़ जेल के अधिकारियों की मिलीभगत से चलाई जा रही गैर-कानूनी गतिविधियों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान। जेल कर्मचारियों और कैदियों के बीच ऐसी सांठ-गांठ के इक्के-दुक्के दृष्टांत मिले हैं।

(ख) 1.1.2005 से 30.6.2005 के बीच ऐसे तीन मामले सूचित किए गए हैं जिनमें 3 वार्डर संलिप्त थे। दो मामलों में भरी दंड देने के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है और तीसरे मामले में दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक मामला दायर किया गया है।

वित्तीय अनियमितताएं

3153. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या दोषी पाए गए व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) राजभाषा विभाग में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता का कोई मामला सामने नहीं आया कुछ छोटी-मोटी वित्तीय अनियमितताओं के मामले सामने आए हैं जिन पर विभाग ने दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्रवाई की है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत लक्ष्य

3154. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्धारित किए गए लक्ष्यों तथा रोजगार के लिए प्राप्त आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ग) लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा वित्तीय उपबंधों के अंतर्गत उन्हें कितना ऋण संवितरित किया गया; और

(घ) कुल संख्या में से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूति जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (घ) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी गरीबों के लाभार्थ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई) नामक एक केन्द्र प्रयोजित रोजगारोन्मुखी शहरी गरीबी उपशमन स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लघु उद्यमों की स्थापना तथा उपयोगी सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए उनके श्रम का उपयोग करते हुए मजदूरी रोजगार के प्रावधान के जरिए शहरी बेरोजगार गरीबों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना है। दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि (2002-07) के दौरान एसजेएसआरवाई के स्वरोजगार घटक के तहत लघु/समूह उद्यमों की स्थापना के जरिए शहरी गरीबों को चार लाख रोजगार अवसर मुहैया कराने तथा पांच लाख शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है।

गत तीन वर्षों के दौरान एसजेएसआरवाई के स्वरोजगार घटक के तहत बैंकों को अग्रेषित किए गए ऋण के आवेदनों की संख्या, अनुमोदित आवेदनों की संख्या, दिये गये ऋण की कुल राशि, सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या तथा इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों की संख्या निम्नलिखित है:

वर्ष	बैंको को अग्रेषित किये गये ऋण के आवेदनों की संख्या	अनुमोदित आवेदनों की संख्या	दिये गये ऋण की कुल राशि	सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	कुल में से अनुसूचित जाति की संख्या	कुल में से अनुसूचित जनजातियों की संख्या
2002-03	259934	103615	22541.59	127880	20666	3981
2003-04	147616	68036	22163.29	100903	28378	13338
2004-05	192874	63790	17284.04	84813	16807	4392

आईटीबीपी जवानों की मृत्यु

3155. श्री पंकज चौधरी:
श्री पारसनाथ यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भानु (पंचकुला) में आई टी बी पी शिविर में दौड़ के दौरान जवानों की मृत्यु हो गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस गलती के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार ने प्रभावित जवानों के परिवारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) विदेश में स्थित मिशनों में तैनात आई टी बी पी कमान्डों को प्रतिस्थापित करने के लिए 22.6.2005 को बेसिक ट्रेनिंग सेन्टर, आई टी बी पी, भानू (हरियाणा) में एक चयन पूर्व परीक्षा आयोजित की गई थी। शारीरिक परीक्षा के प्रथम दौर अर्थात 10 कि.मी. दौड़ के दौरान, थकावट के कारण 16 कार्मिक बीमार हो गए जिनमें से 4 कार्मिकों की बाद में पी जी आई, चंडीगढ़ में मृत्यु हो गई।

(ग) और (घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के प्रति सावधानी बरतने और सभी उपाय करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों और फील्ड विरचनाओं को निर्देश दिए गए हैं।

(ङ) और (च) जांच समिति द्वारा घटना के लिए जिम्मेदार ठहराए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

(छ) और (ज) यथा स्वीकार्य तत्काल राहत प्रदान की गई है। जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुग्रहपूर्वक आदयगी, परिवार पेंशन आदि को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

मनोरोग से पीड़ित विचाराधीन कैदी

3156. श्री गणेश सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों तथा मुल्ला समिति में दिए गए हवालों के आधार पर देश की विभिन्न जेलों में मनोरोग से पीड़ित विचाराधीन कैदियों की देखभाल के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 11.9.1996 को सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को सलाह दी थी कि मनोरोग से पीड़ित कोई भी व्यक्ति 31.10.1996 के बाद किसी भी जेल में नहीं रहना चाहिए। यह, जेलों में डाले गए मनोरोग से पीड़ित व्यक्तियों को रांची स्थित मनोरोग आश्रम में भेजने के संबंध में पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार सरकार को दिए गए निदेश के संदर्भ में किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिनांक 11.9.1996 के पूर्व पत्र का संदर्भ देते हुए और इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कि मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987, जो 1.9.1993 को प्रभावी हुआ था तथा जो किसी मनोरोग से पीड़ित व्यक्ति को जेल में रखने की अनुमति नहीं देता है, का उल्लेख करते हुए अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 7.2.2002 को सभी मुख्यमंत्रियों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों से अनुरोध किया था कि वे जेलों के महानिरीक्षकों को यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निदेश जारी करें कि मनोरोग से पीड़ित किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में जेल में नहीं रखा जाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा जारी की गई सलाहों और मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को और कोई निदेश जारी करना अपेक्षित नहीं है।

[हिन्दी]

व्यापार संबंधी विवाद

3157. **श्री सीताराम सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1995 से भारत द्वारा विभिन्न देशों के विरुद्ध दायर व्यापार संबंधी विवादों तथा विभिन्न देशों द्वारा भारत के विरुद्ध दायर इन विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत विश्व व्यापार संगठन में अमरीका तथा यूरोपीय संघ से उन मामलों में पिछड़ गया, जहां कलपुर्जों के स्वदेशी विकास तथा निर्यात बाध्यताओं के संबंध में विदेशी ऑटो निर्माताओं को समझौते पर हस्ताक्षर करने थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) विवाद निपटान को शासित करने वाले नियमों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के समझौते (डीएसयू) के अंतर्गत विभिन्न व्यापार उपायों पर डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों के साथ समय-समय पर विचार विमर्श किए गए हैं ताकि इस मामले का पारस्परिक रूप से सहमत समाधान हासिल किया जा सके। यदि विचार-विमर्शों से मामले का पारस्परिक संतुष्टि के अनुरूप समाधान नहीं निकलता है तो शिकायतकर्ता सदस्य उसके दावों की जांच हेतु एक पैनल गठित करने के लिए डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय (डी एस पी) से अनुरोध कर सकता है। वर्ष 1995 से आज की तारीख तक भारत और डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों के बीच ऐसे विवादों की सूची संलग्न विवरण में है जो पैनल/अपीलीय निकाय के स्तर पर पहुंचे हैं और जिनमें भारत या तो शिकायतकर्ता पक्षकार रहा है या फिर उसके खिलाफ शिकायत की गई है।

(ख) और (ग) जी हां। अमरीका (यूएस) तथा यूरोपीय संघ (ईयू) के अनुरोध पर संयुक्त उद्यम कार विनिर्माता कंपनियों द्वारा कंप्लीटली नॉक्ड डाउन (सी के डी)/सेमी नॉक्ड डाउन (एसकेडी) किटों के आयात से संबंधित भारत की उस नीति की डब्ल्यू टी ओ सुसंगतता की जांच करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में एक विवाद निपटान पैनल का गठन किया गया था जिस नीति की घोषणा 12 दिसम्बर, 1997 की सार्वजनिक सूचना सं. 60 के तहत की गई थी और जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ समस्त कार विनिर्माता कंपनियों से एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने तथा सी के डी/एस के डी किटों के आयात हेतु लाइसेंसों की मंजूरी के बदले व्यापार संतुलनकारी एवं स्वदेशीकरण का दायित्व लेने की अपेक्षा की गई थी। दिनांक 21 दिसम्बर, 2001 को जारी अपने अंतिम जांच परिणामों में पैनल ने यह माना था कि सार्वजनिक सूचना सं. 60 तथा अपेक्षित "स्वदेशीकरण" एवं व्यापार संतुलनकारी अपेक्षा से संबंधित प्रावधानों सहित अनुवर्ती एम ओ यू डब्ल्यू टी ओ के संगत उपबंधों (गैट, 1994 के अनुच्छेद-III और अनुच्छेद-XI) के असंगत हैं। पैनल ने 1 अप्रैल, 2001 के बाद भारतीय नीति में किए गए परिवर्तनों की अलग से जांच "स्वदेशीकरण" और "व्यापार संतुलनकारी" दायित्व पर पड़ने वाले उनके प्रभाव के संदर्भ में की थी और यह पाया था कि इन उपायों से असंगतता दूर नहीं हुई है।

भारत ने 31 जनवरी, 2002 को अपीलीय निकाय में अपील हेतु एक नोटिस दायर किया था। उक्त अपील मुख्यतः पैनल के गठन के बाद लागू किए गए उपायों पर निर्णय देकर अपने विचारार्थ विषयों के दायरे से बाहर जाने के बारे में पैनल के कानूनी मुद्दे से संबंधित थी। नई ऑटो नीति जो डब्ल्यू टी ओ में की गई वचनबद्धताओं के सुसंगत होगी, की घोषणा को ध्यान में रखते हुए इस मामले को बंद करना उचित समझा गया था और अपील दिनांक 14 मार्च, 2002 को वापस ले ली गई थी।

डब्ल्यू टी ओ के विवाद निपटान निकाय (डी एस बी) ने दिनांक 5 अप्रैल, 2002 को इस विवाद में पैनल की रिपोर्ट पारित की थी। भारत ने 2 मई, 2002 को हुई डीएसबी की बैठक में 5 सितम्बर, 2002 तक की उचित समयावधि के भीतर उपुर्यक्त निर्णय का अनुपालन करने के बारे में अपनी मंशा जाहिर की थी। भारत ने इस विवाद में डीएसबी के निर्णय का उचित समयावधि के भीतर पूर्ण अनुपालन कर लिया था।

विवरण

वर्ष 1995 से आज की तारीख तक भारत और डब्ल्यू टी ओ के अन्य सदस्यों के बीच ऐसे विवादों की सूची जो पैनल/अपीलीय निकाय के स्तर पर पहुंचे हैं और जिनमें भारत या तो शिकायतकर्ता पक्षकार रहा है या उसके खिलाफ शिकायत की गयी है

क्र.सं.	विवाद का विषय	शिकायतकर्ता	के विरुद्ध	भारत द्वारा जीते/हारे गए
1	2	3	4	5
1.	भारत-कृषि, वस्त्र और औद्योगिक उत्पादों के आयातों पर मात्रात्मक प्रतिबंध	यूएसए	भारत	हारे
2.	भारत-भेषज और कृषि रसायन उत्पादों के लिए पेटेंट संरक्षण	यूरोपीय आयोग	भारत	हारे
3.	तुर्की-वस्त्र एवं कपड़ा उत्पादों के आयातों पर प्रतिबंध	भारत	तुर्की	जीते
4.	भारत-भेषज और कृषि रसायन उत्पादों के लिए पेटेंट संरक्षण	यूएसए	भारत	हारे
5.	यूएसए-कतिपय श्रिम्प एवं श्रिम्प उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाना	भारत	यूएसए	जीते
6.	यूएसए-महिलाओं और लड़कियों के ऊनी कोटों के आयात को प्रभावित करने वाले उपाय	भारत	यूएसए	जीते
7.	यूएसए-बुनी हुई ऊनी कमीजों और ब्लाउजों के आयात को प्रभावित करने वाले उपाय	भारत	यूएसए	जीते
8.	यूरोपीय आयोग-भारत से कॉटन टाइप बेड लिनेन के आयात पर पाटनरोधी शुल्क	भारत	यूरोपीय आयोग	जीते
9.	भारत-ऑटोमोटिव क्षेत्र को प्रभावित करने वाले उपाय (ऑटो नीति)	यूरोपीय आयोग	भारत	हारे
10.	भारत-ऑटोमोटिव क्षेत्र को प्रभावित करने वाले उपाय-(ऑटो नीति)	यूएसए	भारत	हारे
11.	यूएस-भारत से स्टील प्लेटों पर पाटनरोधी एवं प्रतिसंतुलनकारी उपाय	भारत	यूएस	जीते
12.	यूएस-लगातार पाटन और 2000 का सब्सिडी ऑफसेट एक्ट (बायर्ड संशोधन)	भारत एवं 8 अन्य देश	यूएस	जीते

1	2	3	4	5
13.	यूएस-वस्त्र एवं परिधान उत्पादों के लिए उद्गम के नियम	भारत	यूएस	हारे
14.	यूरोपीय आयोग-भारत से कॉटन टाइप बेड-लिनेन के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क (अनुच्छेद 21.5 पैनल)	भारत	यूरोपीय आयोग	जीते
15.	यूरोपीय आयोग-विकासशील देशों को टैरिफ अधिमान प्रदान करने हेतु शर्तें (ईसी-जीएसपी)	भारत	यूरोपीय आयोग	जीते

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याण योजनाएं

3158. श्री रनेन बर्मन:
श्री सुब्रत बोस:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले लोगों के कल्याण के लिए क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तारीख तक प्रदान किए गए अनुदान का राज्य-वार तथा योजना-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यान्वित की जा रही जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा और गत तीन वर्षों हेतु राज्यवार प्रत्येक योजना के लिए निर्मुक्त निधियां, जनजातीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है। इसकी प्रतियां लोक सभा सचिवालय के पुस्तकालय में रखी गई हैं। वर्ष 2005-06 से संबंधित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

वर्ष 2005-06 (11.8.2005 तक) के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अधीन राज्यवार निर्मुक्त निधियां

(लाख रु. में)

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हिमाचल प्रदेश	जम्मू कश्मीर	झारखण्ड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	मणिपुर
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता										...		...			
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान															
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं	गै.स.संगठन	21.00													
	सम्बद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा के लिए	कोचिंग												6.00		
	पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान	पुरस्कार					...									
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	राज्य सरकार				...					...	68.26				
	(राज्य सरकार)	गै.स.संगठन	...			...										
5.	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर		...	...	...	...	...	...		...	...	...	...	...	...	...

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगमों को सहायता-अनुदान										...		...			...
7.	ग्राम अन्न बैंक									...						...
8.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	राज्य सरकार	120.00			10.00	90.00	50.00		...	145.00	20.00	5.00	200.00	140.00	2.50
		गै.स. संगठन			...											...
9.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति		...	1200.32	...	1000.83	1361.07	6.61	97.02	200.00	1313.83	61.00	288.70	366.00	566.67
		पुस्तक बैंक											...	...	...	
		उन्नयन	...										3.00	59.97		
10.	अनु.जन.जा. लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	लड़कियों										...				
		लड़कों										...	...	...	...	
11.	जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूल			...								...				
12.	अनुसंधान, सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	अनुसंधान यात्राओं का आदान-प्रदान														

वर्ष 2005-06 (11.8.2005 तक) के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के अधीन राज्य-वार निर्मुक्त निधियां

क्र.सं.	योजना/कार्यक्रम का नाम		मेघालय	मिज़ोरम	नागालैंड	उड़ीसा	राजस्थान	सिक्किम	तमिलनाडु	त्रिपुरा	उत्तर प्रदेश	उत्तरांचल	पश्चिम बंगाल	अंडमान व निकोबार	गोवा
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता			...											
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत सहायता अनुदान				...	...						...	...	...	
3.	अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित गैर सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	गै.स. संगठन				...	...	...	...	...			...	...	...
		कोचिंग				...	...	...	...	...			...	...	...
		पुरस्कार				...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र (राज्य सरकार)	राज्य सरकार									...	...	...	...	
		गै.स. संगठन									...	...	...	...	
5.	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर							...			...		...	...	...
6.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगमों को सहायता-अनुदान				...			...				...	...	...	...
								...		...		...	...	...	...
7.	ग्राम अन्न बैंक											...			
8.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	राज्य सरकार				25	25	...	80	50		7.1	30	0.4	
		गै.स. संगठन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	मैट्रिकोत्तर पुस्तक बैंक उन्नयन	1925.31	327.02			750	9.94	17.86	131.01		...	85.02	117.65	1.37	6.02
10.	अनु.जन.जा. लड़कियों तथा लड़कों के लिए छात्रावास की योजना	लड़कियां लड़के														
11.	जनजातीय क्षेत्रों में आश्रम स्कूल															
12.	अनुसंधान, सूचना व जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	अनुसंधान यात्राओं का आदान-प्रदान				... ...	... ...	...				... ...				

नए होली -डे होम्स/गेस्ट हाउसों की स्थापना

3159. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और नए होली-डे होम्स/गेस्ट हाउसों को स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

शहरी विकास योजनाएं

3160. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों को विकसित करने की दृष्टि से शहरी विकास योजनाओं अर्थात लघु तथा मध्यम शहरों की समेकित विकास योजना को जिला सतर्कता समितियों के क्षेत्राधिकार में लाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) के मौजूदा दिशानिर्देशों में स्कीम को जिला सतर्कता समितियों के दायरे में लाने का कोई प्रावधान नहीं है। आईडीएसएमटी के दिशानिर्देशों के अनुसार स्कीमों को प्राथमिकता तथा मंजूरी का कार्य राज्य स्तरीय मंजूरी समिति द्वारा किया जाता है तथा उनका कार्यान्वयन संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है। दिशानिर्देशों में यह व्यवस्था भी है कि जिला कलेक्टर, जिला शहरी विकास एजेंसियों अथवा निगरानी सेल के जरिए, जिला स्तर पर स्कीम का समन्वयन, निगरानी और मूल्यांकन कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त आईडीएसएमटी स्कीम को, प्रस्तावित चुनिंदा शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन यू आर एम) तथा छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम में मिलाए जाने का प्रस्ताव है।

क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन

3161. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय आर्थिक असंतुलन के मद्देनजर सरकार ने हाल ही में राज्यों में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार असम और अन्य उत्तरी राज्यों को आर्थिक पैकेज देने के लिए एक योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र को आबंटित पैकेज का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) सरकार ने हाल ही में असम और मणिपुर के लिए विशेष पैकेजों की घोषणा की है (ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।) एन ई आर में अवसंरचना विकास के लिए सृजित अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल में से एन ई राज्यों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 31.3.2005 तक एन एल सी पी आर से जारी की गई निधियों की राज्यवार स्थिति इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	जारी निधियां (करोड़ रुपयों में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	301.64
2.	असम	785.55
3.	मणिपुर	330.74
4.	मेघालय	162.53
5.	मिजोरम	387.09
6.	नागालैण्ड	359.65
7.	सिक्किम	271.29
8.	त्रिपुरा	450.17
9.	एन ई आर के लिए एकसमान	18.46
	योग	3067.12

विवरण

असम और मणिपुर में आरम्भ किये जा रहे विकासात्मक कार्यक्रम और परियोजनाएं

असम

1. सरकार प्रभावी बाढ़ ढंग से नियंत्रण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने और अवसंरचना विकास के लिए एक सहचारी, स्वायत्त और स्व: अन्तर्विष्ट निकाय जो ब्रह्मपुत्र घाटी प्राधिकरण या उत्तर पूर्व जल संसाधन प्राधिकरण के नाम से जाना जायेगा, को स्थापित करने पर विचार करेगी। प्रबन्धकीय और वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त, उच्च श्रेणी की जनशक्ति से सज्जित और संसदीय संस्वीकृति प्राप्त, एक ऐसा निकाय होगा जो क्षेत्र का स्वरूप बदलने में सहायक हो सकता है। यह असम के लिए "नई डील" उपलब्ध कराने में साधक हो सकता है।

2. चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाढ़ से हुई हानि के बाद मरम्मत के लिए और अवसंरचना विकास के लिए 240 करोड़ रुपये की विशेष योजनागत सहायता।

3. बाढ़ राहत और पेयजल जलापूर्ति के लिए 45 करोड़ रुपये संस्वीकृत किये जा रहे हैं।

4. माजुजी द्वीप की बाढ़ और भूक्षरण से रक्षा के लिए पहले चरण में 41 करोड़ रुपये संस्वीकृत किये जा चुके हैं, बाद के कार्य के लिए अतिरिक्त निधियां दी जायेगी।

5. लमडिंग सिलचर जिरीबाम रेल लाईन को 2009-2010 तक ब्रॉड गेज में बदलना।

6. राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के नागॉव-जोरहाट-डिबरूगढ़ हिस्से को प्राथमिकता के आधार पर चार लेन में बदलना।

7. 9 राष्ट्रीय राजमार्गों (राष्ट्रीय राजमार्गों 36, 51, 52, 53, 54, 61, 152, 153 और 154) को प्राथमिकता के आधार पर दो लाईन वाला बनाना।

8. आई टी पी ओ द्वारा गुवाहटी में व्यापार केन्द्र की स्थापना और फिर असम सरकार को सौंप दिया जाना।

9. चाय उद्योग के लिए शीघ्र ही सहायता पैकेज की घोषणा

10. साल के अन्त तक गुवाहाटी और बैंकाक के बीच सप्ताह में दो बार उड़ान को फिर से आरम्भ करना।

11. एक वर्ष के भीतर नाबार्ड द्वारा 20,500 स्व: सहायता समूहों को बैंक ऋण उपलब्ध कराना।

12. भारतीय गैस प्राधिकरण (जी ए आई एल) असम गैस क्रैकर परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा ताकि अंतिम निर्णय शीघ्र ही लिया जा सके। भारत सरकार प्रक्रिया को तेज करेगी।

13. राष्ट्रीय खेलों, 2005 के लिए वित्तीय सहायता और अन्य सहायता उपलब्ध कराई जायेगी।

14. ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार के लिए असम को नई केन्द्रीय पहल के तहत शामिल किया जायेगा।

15. गुवाहाटी मेडिकल कालेज, असम मेडिकल कालेज और सिलचर मेडिकल कालेज का आधुनिकीकरण।

16. अव्यपगत केन्द्रीय संसाधन पूल (एन एल सी पी आर) और पूर्वोत्तर परिषद (एन ई सी) के लिए परियोजना अनुमोदन प्रक्रिया और निधि जारी करने की प्रक्रिया का नवीकरण किया जायेगा ताकि विलम्ब को कम किया जा सके।

17. पूर्वोत्तर परिषद को, प्रभावी क्षेत्रीय योजना निकाय और क्षेत्रीय आवश्यकताओं का और अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इसका नवीकरण किया जायेगा।

18. 2009 तक 100 प्रतिशत ग्राम विद्युतीकरण प्राप्त करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता में वृद्धि।

19. लघु जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए राज्य सरकार को सहायता दी जायेगी।

20. सड़कों और पुलों के सुधार के लिए पुनसंरचना सहायता पर साकारात्मक रूप से विचार किया जायेगा।

21. बारहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात राज्य की वित्तीय स्थिति की पुनसंरचना पर विचार किया जायेगा।

22. राज्य सरकार और अन्य निकायों के परामर्श से योजना आयोग द्वारा रोजगार के लिए एक खाका तैयार किया जायेगा।

मणिपुर

1. जिरीबाम तुपुल (इम्फाल के पास) रेलवे लाईन।

2. नये राजधानी परिसर का निर्माण।

3. 16 विनिर्दिष्ट सड़कों को चौड़ा करना और सुधार करना एवं सड़क संरचना का उन्नयन करने के लिए मारम-पाटेन सड़क को दो लेन का बनाना।

4. 7 जिला मुख्यालयों (इम्फाल को छोड़कर सभी जिले) ओर कंगपोकपी मोरे और जिरिवाम के ए डी सी के 3 मुख्यालयों में लघु सचिवालयों, आवासीय क्वार्टरों, आन्तरिक सड़कों और अन्य सुविधाओं का विकास।

5. लोकटक डाऊनस्ट्रीम पन बिजली विद्युत परियोजना (90 मे वा)।

6. सिंचाई विस्तार के लिए बाह्य सहायता ने खुग्गा और थोबल सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना और त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम।

7. सिंचाई विस्तार के लिए बाह्य सहायता के साथ त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत दोलाईबाबी बाँध का निर्माण।

8. अगले दो वर्षों के दौरान राज्य के सभी जनजातीय ग्रामों का विद्युतीकरण किया जायेगा। इस कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वित किया जायेगा।

9. विद्यमान सुविधाओं का एक बार रख-रखाव और मरम्मत सहित खुमान लम्पक में खेल अकादमी की स्थापना।

10. मणिपुर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना।

11. प्रौद्योगिकी कालेज इम्फाल को नये केन्द्रीय विश्वविद्यालय का घटक कालेज बनाना।

12. राजकीय प्रौद्योगिकी कालेज के लिए अवस्थापना विकास।

13. कृषि, पशुपालन, मत्स्यकी, चिकित्सा, क्लीनिक, कृषि क्लीनिक, फार्मेसियों, लघु उद्योगों, व्यापार और सेवाओं के लिए 15 हजार व्यक्तियों के वास्ते रियायती ऋणों के लिए विशेष रोजगार उत्पत्ति कार्यक्रम।

14. ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षा सुधार के लिए एक नई केन्द्रीय पहल के अंतर्गत शामिल राज्यों में मणिपुर को भी शामिल करना।

15. सभी प्रभागीय मुख्यालयों में एल पी जी आउटलेट खोलना।

[हिन्दी]

लघु उद्योग उत्पाद

3162. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय अवसंरचना योजनाओं के लिए लघु उद्योग उत्पादों की आपूर्ति हेतु निर्धारित सामग्री सुपुर्दगी लक्ष्य को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार द्वारा लघु उद्योग क्षेत्र को सुविधा प्रदान करने हेतु कोई प्रयास किया गया है ताकि वे इंटरनेट के माध्यम से अपने उत्पादों का निर्यात कर सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने केन्द्रीय अवसंरचनात्मक योजनाओं के लिए लघु उद्योग उत्पादों की आपूर्ति के लिए कोई सामग्री सुपुदर्गी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए हैं।

(ग) और (घ) सरकार एक योजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित करने हेतु उत्पादों को भेजने के लिए लघु उद्योगों को सहायता दी जाती है। इसके अलावा, इंटरनेट की मदद से लघु उद्योग विकास संगठन (सीडो) और उसके क्षेत्र संगठन लघु उद्योगों के लाभ के लिए निर्यात से संबंधित डाटाबेस तैयार करते हैं।

[अनुवाद]

कॉफी/चाय

3163. श्री एम. शिवन्ना:
श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री ए. के. मूर्ति:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में कॉफी का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या कॉफी के मूल्य में जबरदस्त कमी से देश में विशेषकर कर्नाटक में कॉफी उत्पादक प्रभावित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने चाय तथा कॉफी उत्पादकों के लिए किसी पैकेज की स्वीकृति दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कॉफी का उत्पादन और चालू वर्ष के लिए अनुमानित उत्पादन निम्नानुसार है:

(हजार टनों में)

2003-04	2004-05	2005-06
270.50	275.50*	294.00**

*अनंतिम **परिपक्वयन पूर्व अनुमान

(ख) और (ग) पिछले तीन से चार वर्षों के दौरान कॉफी की कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण कॉफी उपजकर्ताओं को ऋण एवं ऋण से जुड़ी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ा था। तथापि, हाल के महीनों में कॉफी की कीमतों में पर्याप्त सुधार हुआ है।

(घ) और (ङ) कॉफी उपजकर्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ऋण सुधार के उद्देश्य से एक पैकेज को अनुमोदित किया है। इस पैकेज में निम्नानुसार व्यवस्था है- (1) बैंकों, सरकार और कर्जदार उपजकर्ताओं के बीच तीन वर्ष की स्थगन अवधि के दौरान विशेष कॉफी आवधिक ऋण (एससीटीएल) पर 287.10 करोड़ रुपए के कुल ब्याज भार के एक-एक तिहाई हिस्सों से रूप में समान भागीदारी (2) बैंकों से यह अनुरोध करना कि वे एस सी टी एल ऋणों की शेष वापसी भुगतान अवधि के दौरान एस सी टी एल पर लगाई गई ब्याज दरों को मैजूदा 11 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत करें अथवा कृषि क्षेत्र पर लागू ब्याज दर, जो भी कम हो, लगाएं (3) कॉफी बोर्ड द्वारा भारत सरकार को देय ब्याज समेत लगभग 21 करोड़ रुपए के कॉफी विकासात्मक ऋण को बट्टे खाते डालने की परिकल्पना की गयी है- इसके बदले कॉफी बोर्ड केवल उन उपजकर्ताओं को इसके द्वारा दिए गए लगभग 64.59 करोड़ रुपए के पुराने विकासात्मक ऋणों को माफ कर देगा जिनके पास 10 हैक्टे. से कम की जोत है (4) कार्यशील पूंजीगत ऋणों पर ब्याज सब्सिडी स्कीम लघु उपजकर्ताओं के लिए (10 हेक्टेयर से कम) 5 प्रतिशत की दर पर और बड़े उपजकर्ताओं के लिए 3 प्रतिशत की दर पर 10वीं योजना के शेष वर्षों के लिए भी जारी रखी जा रही है। उन उपजकर्ताओं के मामले में 3 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज सब्सिडी में 1 प्रतिशत की कमी की जाएगी जो स्थगन अवधि के दौरान एस सी टी एल पर कम किए गए ब्याज के भार का लाभ प्राप्त करेंगे। इस पैकेज से अनेक कॉफी उपजकर्ताओं का ऋण भार कम हो जाएगा।

चाय उपजकर्ताओं की सहायता के लिए सरकार ने हाल में निम्नलिखित दो स्कीमों को चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूली से सृजित विशेष निधि से उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशियों से 93 करोड़ रु. के अनुमानित परिव्यय के साथ 10वीं योजना अवधि के दौरान चाय बोर्ड के जरिए कार्यान्वित करने के लिए अनुमोदित किया है। इन स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(1) 65 करोड़ रु. के अनुमानित परिव्यय से 1 जनवरी, 2005 से 31 मई, 2007 तक पिछले वर्ष की तुलना में उत्तरोत्तर मात्रा के लिए 2 रु./कि.ग्रा. की दर पर अतिरिक्त प्रोत्साहन के साथ पत्ती ग्रेड के लिए परम्परागत चाय के उत्पादन के लिए 3 रु./कि.ग्रा. की दर पर और उत्पादन के वर्तमान स्तरों पर डस्ट ग्रेड के लिए 2 रु./कि.ग्रा. की दर पर सब्सिडी प्रदान करना। इससे परम्परागत चाय का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है जिससे निर्यातों में सुधार हो सकता है।

(2) दो अनुसंधान और विकास संस्थानों अर्थात टोकलेई (असम) में चाय अनुसंधान एसोसिएशन (टीआरए) और यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन फॉर साऊथ इंडिया-टी रिसर्च फाउंडेशन (उपासी-टी आर एस) तमिलनाडु के 2004-05 से पांच वर्ष की अवधि के लिए वास्तविक घाटों को पूरा करना जो खर्च की कुछ मदों पर खर्च के अधिकतम 80% के अध्यधीन है जिसमें से 49% चाय बोर्ड के सामान्य योजना परिव्यय से और शेष विशेष निधि से पूरा किया जाएगा। वर्ष 2004-05 से पांच वर्ष की अवधि अर्थात वर्ष 2004-05 से वर्ष 2008-09 के लिए इस स्कीम का अनुमानित परिव्यय 28 करोड़ रु. होगा। इससे चाय क्षेत्र में अनुसंधान प्रयासों में वृद्धि होगी।

पाकिस्तान को चीनी का निर्यात

3164. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने सड़क मार्ग से भारत से चीनी आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या भारत से चीनी के आयात के संबंध में भारत तथा पाकिस्तान के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस समझौते के परिणामस्वरूप 2005-06 के दौरान पाकिस्तान को कुल कितनी मात्रा में चीनी की आपूर्ति किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। पाकिस्तान सरकार ने विश्वव्यापी स्रोतों से होने वाले आयात पर उद्ग्रहणीय शुल्कों और करों पर भूमार्ग के जरिए सहित सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा भारत से अपरिष्कृत एवं परिष्कृत चीनी के आयात की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

रुग्ण उद्योग

3165. **श्री एम. अंजनकुमार यादव:**
श्री बीर सिंह महतो:
श्री कमला प्रसाद रावत:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग के रुग्ण होने का इंतजार करने तथा उन्हें बी आई एफ आर को रैफर करने के स्थान पर सरकार की आरंभिक चरणों में लघु उद्योग की रुग्णता को रोकने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार कोई ऐसी योजना तैयार करने पर विचार कर रही है जिसके अंतर्गत अल्प रूप से रुग्ण उद्योग अथवा वे उद्योग जिनके रुग्ण होने की आशंका है, वे आरंभिक स्तर पर सरकारी एजेंसी से सहायता ले सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (घ) सरकार लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता की समस्या से पूरी तरह अवगत है और संभावित जीवनक्षम रुग्ण उद्योगों की समयोजित पहचान और पुनर्वास को सुगम बनाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं। इनमें प्रत्येक राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक के संयोजन के तहत राज्यस्तरीय अंतर-संस्थानिक समिति की स्थापना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरंभिक चरण में रुग्णता की पहचान और उपचारात्मक उपाय करने और संभावित जीवनक्षम के रूप में पहचानी गई रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए जनवरी 2002 में बैंकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए। इन दिशा-निर्देशों में, आरंभिक

चरण में रुग्णता की पहचान और संभावित जीवनक्षम रुग्ण लघु इकाइयों के पुनरुज्जीवन के लिए उपचारात्मक उपाय करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ, रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षम निर्धारित करने के मानक, रियायती वित्त, इत्यादि शामिल हैं।

[अनुवाद]

बुनियादी/नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु सहायता अनुदान

3166. डा. राजेश मिश्रा:
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में आई बाढ़ के बाद गुजरात को बुनियादी/नागरिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु किसी सहायता अनुदान को स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड ने आवास तथा अन्य अवसंरचना के विकास के लिए गुजरात को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय ने यह बताया है कि आवास और नगर विकास निगम लिमिटेड (हडको) को गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, हडको ने गुजरात राज्य में 1.1.1970 से 30.6.2005 तक जल आपूर्ति, सीवरेज, सड़कें/पुल, ठोस कचरा प्रबंधन, रेल संपर्क, इंफोसिटी, वाणिज्य, पोर्ट तथा विद्युत परियोजनाओं के लिए 47 अवस्थापना स्कीमें मंजूर की हैं। इन परियोजनाओं के लिए परियोजना लागत 10479.15 करोड़ रु. है और ऋण सहायता 3315.63 करोड़ रु. की है। 1972.80 करोड़ रु. की धनराशि जारी की जा चुकी है।

आवासीय परियोजनाओं के अंतर्गत, हडको ने 1100 स्कीमें मंजूर की हैं जिनमें 556338 रिहायशी यूनिटों के निर्माण और 7742 भूखंडों का विकास करने के लिए 3566.16 करोड़ रु. की परियोजना लागत तथा 899.51 करोड़ रु. की ऋण सहायता है।

नक्सलवाद

3167. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नक्सलवादियों को मुख्यधारा में लाने के लिए उनका पुनर्वास करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित आत्मसमर्पण नीति के प्रोत्साहन पैकेजों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) प्रमुख नक्सलवादी प्रभावित राज्यों में ऐसे नक्सलवादियों के लिए आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास स्कीमें हैं जो हिंसा को त्यागना और मुख्यधारा में शामिल होना चाहते हैं। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में प्रोत्साहन पैकेज भिन्न-भिन्न हैं, केन्द्र सरकार नक्सलवादी प्रभावित राज्यों को इस तथ्य पर निर्भर करते हुए कि नक्सलवादियों ने शस्त्रों सहित अथवा बिना शस्त्रों के आत्मसमर्पण किया है, आत्मसमर्पण करने वाले प्रत्येक नक्सलवादी पर 20,000 रुपए तक व्यय की प्रतिपूर्ति, सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति स्कीम के अधीन करती है।

[हिन्दी]

लिब्राहन आयोग

3168. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अयोध्या की घटना की जांच करने के लिए गठित लिब्राहन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंप दिये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) अयोध्या की घटना की जांच करने के लिए गठित लिब्राहन अयोध्या जांच आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है। आयोग की वर्तमान अवधि 30 सितम्बर, 2005 तक है।

नवोदय विद्यालयों में नामांकन का प्रतिशत

3169. श्री अजीत जोगी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-2005 के दौरान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का नवोदय विद्यालयों में राज्य-वार विशेषकर छत्तीसगढ़ में नामांकन का प्रतिशत कितना रहा;

(ख) क्या सरकार का विचार नामांकन प्रतिशत में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) छत्तीसगढ़ सहित नवोदय विद्यालयों में नामांकित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों का राज्यवार प्रतिशत संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

जवाहर नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की राज्यवार प्रतिशतता

क्र.सं.	राज्य	कुल	अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या	प्रतिशतता	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की संख्या	प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
1.	मध्य प्रदेश	17168	4343	25.30	364	2.12
2.	छत्तीसगढ़	3654	768	21.02	1107	30.30
3.	उड़ीसा	7191	1611	22.40	1915	26.63
4.	राजस्थान	12568	3022	24.05	2061	16.40
5.	हरियाणा	5718	1799	31.46	29	0.51
6.	दिल्ली	904	235	26.00	29	3.21
7.	बिहार	12343	2642	21.40	476	3.86
8.	झारखंड	5695	1053	18.49	1690	29.68
9.	पश्चिम बंगाल	18377	3812	20.74	2185	11.89
10.	हिमाचल प्रदेश	4528	1533	33.86	642	14.18
11.	जम्मू-कश्मीर	3957	620	15.67	917	23.17
12.	पंजाब	5703	2605	45.68	42	0.74
13.	चंडीगढ़	463	147	31.75	2	0.43
14.	आंध्र प्रदेश	9813	2337	23.82	1076	10.97
15.	कर्नाटक	11296	2271	20.10	1059	9.38
16.	केरल	6256	1320	21.10	190	3.04

1	2	3	4	5	6	7
17.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	519	11	2.12	102	19.65
18.	पांडिचेरी	1251	333	26.62	3	0.24
19.	लक्षद्वीप	224	0	-	218	97.32
20.	महाराष्ट्र	11318	2801	24.75	1209	10.68
21.	गुजरात	6020	1230	20.43	813	13.50
22.	गोवा	610	33	5.41	18	2.95
23.	दमन और दीव	432	39	9.03	12	2.78
24.	दादरा और नगर हवेली	128	13	10.16	49	38.28
25.	उत्तर प्रदेश	22203	7205	32.45	219	0.99
26.	उत्तरांचल	2902	757	26.09	190	6.55
27.	अरुणाचल प्रदेश	1999	39	1.95	1682	84.14
28.	असम	6839	1180	17.25	1948	28.48
29.	मेघालय	1339	47	3.51	1120	83.64
30.	मणिपुर	3520	424	12.05	1734	49.26
31.	मिजोरम	292	0	-	292	100.00
32.	नागालैण्ड	807	12	1.49	751	93.06
33.	सिक्किम	785	72	9.17	355	45.22
34.	त्रिपुरा	994	255	25.65	394	39.64

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों की वित्तीय समस्या

3170. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विश्वविद्यालय वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं तथा उच्चतर शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा पर खर्च कम करने को बाध्य हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों द्वारा अपने संसाधन सृजित करने के लिए कोई रणनीति बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यू.जी.सी. को 10वीं योजना के आबंटन के रूप में 3294 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है जो पिछली योजनावधि के परिव्यय से अधिक है।

इसी प्रकार जहां तक तकनीकी शिक्षा का संबंध है, उसके लिए निधियों में कोई कटौती नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यू.जी.सी. ने संसाधनों के संग्रह की एक योजना शुरू की है जिसमें विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा संग्रह किए गए संसाधनों का 25%, जो अधिकतम 25.00 लाख रु. हो सकता है, प्रोत्साहन के रूप में दिया जाता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रिक्त पद

3171. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मंत्रालय के अधीन विभागों तथा उपक्रमों में कार्यरत विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है तथा नई भर्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तथा चालू वर्ष में विभिन्न श्रेणियों में की गई नई भर्तियों का वर्ष-वार तथा श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की भर्ती तथा पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन कोई विभाग कार्य नहीं कर रहा है। इस मंत्रालय के तत्वावधान में केवल एक उपक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम कार्य कर रहा है, जिसे अप्रैल, 2001 में संस्थापित किया गया था। निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए आरक्षित कोई पद खाली नहीं पड़ा है।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में है।

(ङ) जी, हां।

(च) चूंकि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की भर्ती एवं पदोन्नति संबंधी आरक्षण संबंधी निर्धारित नियमों का पालन किया जा रहा है इसलिए कोई उपचारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई पदोन्नति का ब्यौरा

क्र.सं.	पदों की श्रेणी	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			सामान्य			कुल		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1.	क	-	-	-	2	1	-	3	2	-	5	3	-
2.	ख	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-
3.	ग	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-
4.	घ	3	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	-
	कुल	3	1	-	2	2	-	6	5	-	11	8	-

गत तीन वर्षों के दौरान भर्ती का ब्यौरा

क्र.सं.	पदों की श्रेणी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	सामान्य	कुल	भर्ती का वर्ष
1.	क	–	–	–	1	1	2005
2.	ख	–	–	–	–	–	लागू नहीं
3.	ग	1	–	4	6	11	2005
4.	घ	1	1	1	–	3	2004
	कुल	2	1	5	7	15	

[अनुवाद]

मुक्त व्यापार समझौता

3172. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की कोई संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका देश में ऑटोमोबाइल उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत सरकार ने सार्क सदस्यों के साथ दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा), दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ (आसियान) के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सी ई सी ए) संबंधी कार्यढांचे करार, बंगाल की खाड़ी पहल बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग मुक्त व्यापार करार के लिए कार्यढांचे करार (बिमस्टेक एफ टी ए), सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय सी ई सी ए, नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करारों पर हस्ताक्षर किए हैं और कुछ अन्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय सी ई सी ए पर हस्ताक्षर करने के लिए वार्ता कर रही है। तथापि, इस समय एशियाई देशों के बीच कोई एकल मुक्त व्यापार करार किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) विभिन्न मुक्त व्यापार करारों (एफ टी ए एस) के अंतर्गत शामिल की गई वस्तुओं और टैरिफ उदारीकरण कार्यक्रम को घरेलू पणधारकों जिनमें देश का ऑटोमोबाइल उद्योग शामिल है, के साथ उचित परामर्श करने के पश्चात अंतिम रूप दिया जाता है ताकि उनके विचारों और संवेदनाओं को वार्ताओं में शामिल किया जा सके।

[हिन्दी]

आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति का कल्याण

3173. **श्री चन्द्रभान सिंह:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने धिवर, मोई, कश्यप, सोंधिया, मल्लाह, निषाद-राइकाकर, बर्मन तथा भजवार जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में अधिसूचित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार को कोई अनुशंसा की है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने सिफारिश की है कि मोई, मल्लाह, निषाद समुदायों को राज्य की अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित किया जाए। अनुसूचित जनजातियों की सूची में कश्यप, सोधिया, धिवर, निषाद-राइकाकर, बर्मन तथा भजवार जैसे समुदायों की अधिसूचना हेतु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रस्ताव पर यथा-अनुमोदित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

[अनुवाद]

लौह अयस्क का आयात/निर्यात

3174. **श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री परसुराम माझी:
श्री जुएल ओराम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत से कौन-कौन से देश लौह अयस्क का आयात कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इन देशों को लौह अयस्क का निर्यात बंद करने का है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार देश में कम एल्युमिना वाले लौह-अयस्क का आयात करने की अनुमति देने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार लौह अयस्क के आयात/निर्यात की समीक्षा करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसका इस्पात उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) भारत से लौह अयस्क का आयात करने वाले प्रमुख देश चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान हैं।

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मौजूदा विदेश व्यापार नीति में लौह अयस्क के मुक्त आयात की अनुमति पहले से ही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) वर्तमान विदेश व्यापार नीति जिसमें लौह अयस्क का आयात/निर्यात शामिल है, 2004 से 2009 तक वैध है, की आवश्यकतानुसार समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

अनिवासी भारतीयों द्वारा उद्योगों की स्थापना

3175. **श्री हितेन बर्मन:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अब तक अनिवासी भारतीयों द्वारा राज्य-वार कितने उद्योगों की स्थापना की गई है;

(ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर राज्यों में कितने उद्योगों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) राज्य-वार अनुमोदित एफ.डी.आई. प्रस्तावों को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने एक उदार, पारदर्शी तथा निवेशक अनुकूल नीति लागू की है जिसमें स्थापना स्थल पर ध्यान दिये बिना अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों के लिए, जिनमें अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश भी शामिल है, स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। उदारीकृत आर्थिक माहौल के अंतर्गत, स्थापना स्थल के चयन सहित, निवेश संबंधी निर्णय उद्यमियों द्वारा उनकी वाणिज्यिक समझ तथा अन्य संगत बातों के आधार पर लिए जाते हैं।

विवरण

अगस्त, 1991 से मई, 2005 तक एन.आर.आई. निवेश के राज्य-वार अनुमोदन

क्र.सं.	राज्य का नाम	वित्तीय	(करोड़ रु. में)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	198	2186.18
2.	असम	3	1.11
3.	बिहार	2	2.27
4.	गुजरात	99	796.46
5.	हरियाणा	59	506.94
6.	हिमाचल प्रदेश	6	9.67
7.	कर्नाटक	176	1877.20
8.	केरल	43	212.20

1	2	3	4
9.	मध्य प्रदेश	28	95.87
10.	महाराष्ट्र	305	2407.14
11.	उड़ीसा	12	47.88
12.	पंजाब	27	115.46
13.	राजस्थान	40	461.85
14.	तमिलनाडु	205	713.01
15.	उत्तर प्रदेश	53	114.80
16.	पश्चिम बंगाल	39	481.76
17.	छत्तीसगढ़	4	6.25
18.	झारखण्ड	3	1.57
19.	चंडीगढ़	5	3.36
20.	दादरा और नगर हवेली	4	28.62
21.	दिल्ली	151	989.75
22.	गोवा	3	0.22
23.	पांडिचेरी	9	35.88
24.	दमन और दीव	4	9.00
25.	दर्शाये नहीं गए	118	1250.51
	कुल योग	1596	12354.97

[हिन्दी]

यमुना किनारे मलिन बस्तियां

3176. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने जुलाई, 2005 में निदेश दिया है कि यमुना नदी का जल स्तर बढ़ने के कारण खाली की गई भूमि पर पुनः मलिन बस्तियां बनाए जाने की अनुमति नहीं दी जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा यहां से हटाए गये मलिन बस्ती निवासियों के पुनर्वास की कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम भारत संघ व अन्य के मामले में सिविल रिट याचिका सं. 689/2004 में दिनांक 27.7.2005 को निदेश दिया है कि यमुना नदी तल के वे हिस्से, जहां अब बाढ़ आई है, पर किसी को भी कब्जा/पुनः कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

दिल्ली में स्लम वासियों का पुनर्वास/पुनर्स्थापन नीति के अंतर्गत शासित होता है, जिसमें अतिक्रमण स्थल के संबंध में बिना कोई भेदभाव किए पात्र स्लम वासियों का भूखंड आबंटित करने का प्रावधान है।

मामला न्यायाधीन है।

[अनुवाद]

बाजार स्थिरीकरण निधि

3177. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कॉफी, चाय तथा रबड़ जैसी फसलों के लिए 1000 करोड़ रुपये की बाजार स्थिरीकरण निधि स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त सूची में तम्बाकू को शामिल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) कॉफी, चाय और रबड़ जैसी फसलों के लिए 1000 करोड़ रुपए की बाजार स्थिरीकरण निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार ने चाय कॉफी, रबड़ तथा तम्बाकू के लघु उपजकर्ताओं के लाभार्थ हाल ही में 500 करोड़ रुपए की संग्रह राशि से कीमत स्थिरीकरण निधि की स्थापना की है।

शहरी विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

3178. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री गणेश सिंह:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शहरी विकास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए राज्य सरकारों को अपनी ओर से सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को सरकार द्वारा वर्ष-वार कितनी धनराशि/अनुदान प्रदान किया;

(घ) क्या सरकार को प्रशिक्षण तथा प्रबन्धन केन्द्रों की स्थापना के संबंध में राज्य सरकारों विशेषकर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) हालांकि, सरकार ने राज्य सरकारों को इस आशय का कोई विशिष्ट आश्वासन नहीं दिया है कि वह शहरी विकास प्रशिक्षण कायक्रम शुरू करने के लिए उनकी सहायता करेगी लेकिन शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहल-प्रयास किये गये हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) निर्वाचित महिला पार्षदों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण की कुल लागत के 50% तक राज्य सरकारों को सहायता दी जाती है। इस सहायता की अधिकतम सीमा 1500 रुपये प्रति कार्यक्रम प्रति महिला पार्षद है। महिला पार्षदों के प्रशिक्षण हेतु पिछले 3 वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को दी गई धनराशियों का ब्यौरा नीचे लिखे अनुसार है:

2002-03	
केरल	1.50 लाख रुपये
उत्तरांचल	4.77 लाख रुपये
मध्य प्रदेश	17.32 लाख रुपये
महाराष्ट्र	18.00 लाख रुपये
2003-2004	
कर्नाटक	14.42 लाख रुपये
त्रिपुरा	1.62 लाख रुपये
छत्तीसगढ़	4.73 लाख रुपये
पश्चिम बंगाल	13.41 लाख रुपये
हरियाणा	4.30 लाख रुपये
गोवा	1.33 लाख रुपये
दिल्ली	1.22 लाख रुपये
असम	2.44 लाख रुपये
पंजाब और चंडीगढ़	6.92 लाख रुपये
2004-2005	
गुजरात	11.71 लाख रुपये
हिमाचल प्रदेश	1.54 लाख रुपये
राजस्थान	9.64 लाख रुपये
कर्नाटक	14.42 लाख रुपये
छत्तीसगढ़	4.74 लाख रुपये
तमिलनाडु	24.62 लाख रुपये

2005-2006: राज्यों को अब तक कोई धनराशि नहीं दी गई है।

(2) क्षेत्रीय विभागों के अधीन कार्यरत शैक्षिक संस्थाओं को राज्य जल आपूर्ति तथा स्वच्छता विभागों के कार्यरत इंजीनियरों के तकनीकी तथा प्रबंध कौशल को बढ़ाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों के आयोजन हेतु मंत्रालय के लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी (पी एच ई) प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अधीन अनुदान दिए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के लिए अनुदान राज्य सरकारों को जारी नहीं किए जाते हैं।

(3) मंत्रालय ने शहरी स्थानीय निकायों के कार्मिकों तथा निर्वाचित पदाधिकारियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करने हेतु हैदराबाद, लखनऊ तथा मुम्बई में क्षेत्रीय शहरी और पर्यावरण अध्ययन केन्द्रों एवं आई आई पी ए, नई दिल्ली में शहरी अध्ययन केन्द्र की भी स्थापना की है। पिछले तीन वर्ष के दौरान मंत्रालय ने प्रशासनिक तथा स्थापना पर होने वाले खर्चे को वहन करने के लिए इन संस्थानों को निम्नलिखित अनुदान दिए हैं:

2002-03	195.50 लाख रुपये
2003-04	234.67 लाख रुपये
2004-05	247.95 लाख रुपये
2005-06 (12.8.2005 तक)	37.30 लाख रुपये

शहरी विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत स्वायत्त संस्था "राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान" (एन आई यू ए) को भारत सरकार ने भारत-अमरीकी सहायता वित्तीय संस्था सुधार तथा विस्तार (एफ आई आर ई)- (डी) परियोजना के समग्र समन्वय के लिए नोडल एजेंसी बनाया है। उपर्युक्त कार्यक्रम के अधीन इस संस्थान द्वारा निभाये जाने वाले एक प्रमुख दायित्व का संबंध क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने से है। प्रशिक्षण से संबंधित अपना दायित्व का निर्वाह करने के लिए राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान देश भर में प्रशिक्षण संस्थानों का एक नेटवर्क बनाया है जिसमें 15 प्रशिक्षण संस्थान हैं। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान क्षमता निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन तथा अनुसंधान करने के लिए नेटवर्क प्रशिक्षण संस्थाओं को नीतिगत सहायता प्रदान करता है। उपर्युक्त कार्यक्रमों के अधीन आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण कार्यशालाओं को इस तरह तैयार किया जाता है ताकि ये कार्यशालाएं निर्वाचित तथा नियुक्त दोनों ही प्रकार के म्यूनिसिपल पदाधिकारियों के ज्ञान तथा कौशल को बढ़ाकर शहरी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी कार्यक्षमता को विकसित कर सकें। प्रशिक्षण प्रयोजना के लिए उपर्युक्त कार्यक्रमों के अधीन राज्य सरकारों को कोई धनराशि नहीं दी जाती है।

(5) छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास से सम्बद्ध स्कीम (आई डी एस एम टी) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने तथा आई डी एस एम टी स्कीम का कार्यान्वयन करने वाले कार्मिकों को प्रशिक्षण देने तथा उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रयास करती आ रही है। तदनुसार शहरी विकास मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन शहरी स्थानीय निकायों के विभिन्न पदाधिकारियों के लिए अल्पावधिक प्रबोधन कार्यशालाओं/पाठयक्रमों का आयोजन करता है। तथापि, आई डी एस एम टी स्कीम के अधीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु राज्य सरकारों को कोई धनराशि नहीं दी जाती है।

(6) प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी सूचना प्रणाली (एन यू आई एस) के अधीन, जिसे सरकार द्वारा कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित कर दिया गया है, सूचना एकत्र करने, एन यू आई एस का अनुरक्षण तथा प्रचालन करने और शहरी आयोजना प्रबन्धन हेतु डाटा-बेस बनाने के लिए राज्य तथा स्थानीय निकायों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। इस स्कीम का उद्देश्य शहरी आयोजना हेतु भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) डाटा-बेस का विकास करना है।

(7) मंत्रालय ने म्यूनिसिपल लेखांकन सुधार के लिए पहल-प्रयास किए हैं ताकि शहरी स्थानीय निकाय दोहरी प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली में अपने लेखे रख सकें। इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय ने राष्ट्रीय म्यूनिसिपल लेखांकन नियम पुस्तिका तैयार करके सभी राज्यों को भेजी है। अब शहरी स्थानीय निकायों के लेखा कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है ताकि वे दोहरी प्रविष्टी लेखांकन प्रणाली को कार्यान्वित कर सकें। इस प्रयोजनार्थ भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यालय की सहायता ली जा रही है। बारहवें वित्त आयोग ने प्रमुख म्यूनिसिपल सेवाओं के प्रचालन तथा अनुरक्षण और ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नगरपालिकाओं को 5000 करोड़ रुपये दिए हैं। मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय, प्रशासनिक तौर पर जिसका संबंध राज्य सरकारों को उपर्युक्त अनुदान देने से है, को सुझाव दिया है कि वह कार्मिकों के प्रशिक्षण सहित लेखांकन सुधारों के कार्यान्वयन हेतु 250 करोड़ रुपये की राशि नियत करें।

(8) मंत्रालय में नगरपालिकाओं के लिए ई-गवर्नैंस से संबंधित मिशन मोड परियोजना को तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। इस परियोजना के अधीन नगरपालिकाओं के पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जायेगा ताकि वे सूचना प्रौद्योगिकी की विभिन्न विधाओं का उपयोग करके म्यूनिसिपल सेवाएं दे सकें।

(9) प्रस्तावित राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन यू आर एन) तथा छोटे और मझौले कस्बों के लिए शहरी अवसंरचना विकास स्कीम (यू आई डी एस एस एम टी) का एक घटक शहरी विकास प्रशिक्षण भी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

भूमि पर निर्माण कार्य

3179. श्री राजीव रंजन सिंह: "ललन"
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है;

(ख) उक्त क्षेत्रफल में से कितनी भूमि क्षेत्र पर निर्माण कार्य किया गया है;

(ग) क्या आवासीय तथा अन्य प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य करने के लिए 250 वर्ग किलोमीटर भूमि ही उपलब्ध है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं तथा वर्तमान में आवासीय प्रयोजनार्थ निर्माण कार्य शुरू करने के लिए भूमि निर्धारित कर दी गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 1483 वर्ग कि.मी. है, जिसमें से अनुमाननुसार 702 वर्ग कि.मी. निर्मित क्षेत्र है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की क्षेत्रीय योजना 2021 तथा दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसार 2021 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विकास हेतु उपलब्ध अनुमानित नगरीय भूमि प्राकृतिक विशेषताओं वाले क्षेत्रों (रिज, नदी, यमुना, वन, वन्य प्राणि अभ्यारण्य, अन्य जल निकाय/नाले) और ठोस कचरा निपटान, सुविधाओं, हरित पट्टी इत्यादि के लिए अपेक्षित भूमि को छोड़कर करीब 275-280 वर्ग कि.मी. है। उपलब्ध नगरीय भूमि का रिहायशी उपयोग सहित विभिन्न प्रकार से उपयोग करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

3180. श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में बेसहारा बच्चों को शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सरकार द्वारा राज्य-वार विशेषकर गुजरात को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या इनमें से कुछ संगठनों ने इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानकों को पूरा नहीं किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा किन-किन संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय बेघर बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम नामक एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत आश्रय, पोषण, स्वास्थ्य देखभाल, सफाई तथा स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल, मनोरंजन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने वाली परियोजनाओं को सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार ऐसा कोई मामला नहीं है जहां इन संगठनों ने इस प्रयोजनार्थ निर्धारित मानदंडों का पालन न किया हो।

विवरण

''बेघर बच्चों हेतु एक समेकित कार्यक्रम'' नामक योजना के तहत गैर-सरकारी संगठनों को राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-03 राशि लाख रु. में	2003-04 राशि लाख रु. में	2004-05 राशि लाख रु. में
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	154.45	124.56	124
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3.	असम	13.03	11.65	21.07
4.	बिहार	3.43	5.01	6.2
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0

1	2	3	4	5
6.	गोवा	5.78	1.52	8.12
7.	गुजरात	101.86	120.58	112.34
8.	हरियाणा	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	0	0	0
11.	झारखंड	2.76	3.47	5.79
12.	कर्नाटक	37.5	37.52	58.17
13.	केरल	17.87	27.5	38.19
14.	मध्य प्रदेश	11.66	8.57	15.5
15.	महाराष्ट्र	141.99	79.28	134.92
16.	मणिपुर	2.95	4.75	13.03
17.	मेघालय	4.66	2.18	10.6
18.	मिजोरम	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	0	0
20.	उड़ीसा	13.49	18.79	26.08
21.	पंजाब	13.97	14.28	12.09
22.	राजस्थान	33.5	30.77	27.96
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	83.98	92.65	6.76
25.	त्रिपुरा	3	3.95	6.76
26.	उत्तर प्रदेश	88.67	89.09	94.63
27.	उत्तरांचल	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	259.13	223.93	273.61
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	19.84	13.16
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0

1	2	3	4	5
33.	दिल्ली	101.61	67.88	78.76
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	1100	990	1178.41

सुपारी का अवैध आयात

3181. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्क व्यापार समझौते का उल्लंघन करते हुए बंगलौर के रास्ते हमारे देश में सुपारी का अवैध आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे अवैध आयातों को रोकने के लिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सुपारी के अवैध आयात को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं। सार्क व्यापार समझौते का उल्लंघन करते हुए बंगलौर जोन के रास्ते सुपारी के किसी आयात की सूचना नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नीली बत्ती लगी कारों को चलाया जाना

3182. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजधानी में लाल या नीली बत्ती तथा तेज आवाज वाले सायरन लगे बहुत से वाहन अनधिकृत रूप से चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बत्तियों की बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं होने के कारण निर्माता/डीलर पहचान आदि जाने बिना ही कारों पर ऐसी बत्तियां लगा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो राजधानी में बत्तियों के उत्पादन/बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जायेंगे।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। दिल्ली पुलिस अनधिकृत रूप से लगाई गई लाल/नीली बत्तियों वाले वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।

(ग) और (घ) लाल/नीली बत्तियों के निर्माण/बिक्री पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस समय, बत्तियों के निर्माण/बिक्री पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जैव-उर्वरक तथा जैव-औषधि परियोजना

3183. श्री मदन लाल शर्मा:
श्री अनंत गुढे:

क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग का विचार देश में जैव उर्वरक तथा जैव औषधियों का उत्पादन करने के लिए परियोजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) 2001-02 से एक जैव-उर्वरक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के तहत, केवीआईसी पायलट

परियोजनाओं के रूप में जैव-खाद विस्तार केन्द्रों की स्थापना करता है और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत जैव-खाद परियोजनाओं का संवर्धन करता है।

इसके अतिरिक्त, केवीआईसी ने अब तक देश में 6 लाख से अधिक बायोगैस प्लांटों के इंस्टालेशन को प्रोत्साहित किया है। ये प्लांट जैव-पाच्य घोल उत्पन्न करते हैं जो खाद के रूप में खेतों में प्रयुक्त होता है।

हालांकि, केवीआईसी ने जैव-औषधि के संवर्धन के लिए कोई कार्यक्रम नहीं आरंभ किया है।

केवीआई क्षेत्र में निर्मित जैव-उर्वरक का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

लघु उद्योगों पर 'गैट' का प्रभाव

3184. श्री सुरेश चन्देल:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैट प्रणाली लागू होने के बाद के समय में लघु उद्योगों के हितों की रक्षा करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) और उसके पूर्ववर्ती संगठन जेनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड (गैट) का संस्थापक सदस्य है। सरकार डब्ल्यूटीओ वातावरण से पूर्ण रूप से परिचित है और उसने उदारीकरण तथा वैश्वीकरण की चुनौतियों से निपटने हेतु लघु उद्योगों को तैयार करने के लिए उपयुक्त उपाय किए हैं। इनमें प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए योजनाएं/कार्यक्रम, ऐसे उद्योगों के क्लस्टरों का विकास, 5 लाख रुपये तक के बैंक ऋण को कोलेटरल मुक्त बनाना, 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए 75 प्रतिशत क्रेडिट गारंटी, निर्यात संबंधी मुद्दों के बारे में इन उद्योगों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना और उन्हें व्यापार उदारीकरण की उभरती चुनौतियों से अवगत कराना, आईएसओ 9000/14001 प्रमाणीकरण प्राप्त करने की लागत की 75,000 रुपये तक प्रतिपूर्ति, उत्पादों की बार कोडिंग अंगीकृत करने के लिए 15,000 रुपये तक पंजीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, इत्यादी शामिल है।

सरकार ने लघु उद्योगों सहित घरेलू उद्योगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आयात लाइसेंसिंग, आयात में वृद्धि के खिलाफ सुरक्षोपाय और एंटी-डंपिंग उपाय जैसी उपयुक्त व्यापार-सुरक्षा प्रणालियां भी आरंभ की हैं।

[हिन्दी]

गन फैक्ट्री

3185. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निजी गन फैक्ट्रियां कितनी हैं;

(ख) गन विनिर्माण कोटा निर्धारित करने के लिए मानदंड क्या हैं;

(ग) जोधपुर, राजस्थान स्थित गन फैक्ट्री के विनिर्माण कोटा में वृद्धि न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त गन फैक्ट्री के कोटा में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) देश में 97 निजी गन निर्माण फैक्ट्रियां हैं जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा लाइसेंस जारी किए गए हैं।

(ख) गन विनिर्माण कोटा विभिन्न कारकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है जैसे संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश, फर्म का आधारभूत ढांचा/क्षमता, इसकी आर्थिक व्यवहार्यता और पूर्ववृत्तों का सत्यापन।

(ग) और (घ) अपेक्षित रिपोर्टें प्राप्त होने के पश्चात ही निर्णय लिया जा सकता है।

[अनुवाद]

कॉयर उत्पादों का निर्यात

3186. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कॉयर उत्पादों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य बहाल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कॉयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कॅयर एवं कॅयर उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बहाल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) कॅयर एवं कॅयर उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(1) कॅयर क्षेत्र में छोटे निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2000-2001 में एक योजना लागू की गई है, जिसका शीर्षक "बाह्य बाजार विकास सहायता" है। इस सहायता में क्रेता-विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों एवं विदेशों में प्रदर्शनियों में निर्यातकों एवं उनके प्रतिनिधि मंडलों द्वारा वायु यात्रा स्टालों के किराए से संबंधित व्यय के मुख्य भाग की पूर्ति के लिए सरकारी अनुदान प्रदान करना शामिल है। योजना बिक्री-एवं-अध्ययन दौरे करने तथा विदेशों में व्यापार प्रतिनिधि मंडलों, व्यापार मेलों प्रदर्शनियों आदि में भाग लेने के लिए व्यक्तिगत छोटे निर्यातकों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(2) इसी प्रकार सरकार का कॅयर बोर्ड व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, उत्पादन संवर्धन कार्यक्रमों तथा विदेशों में कैटलॉग शो में भाग लेता है, ताकि उत्पादनों के निर्यात का संवर्धन किया जा सके, जो अन्यथा व्यक्तिगत निर्यातकों आदि द्वारा प्रदर्शित नहीं हो पाता है।

शहरी विकास संबंधी प्रस्ताव

3187. डा. के.एस. मनोज: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान केरल सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे गए शहरी विकास संबंधी प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजनावार कितनी सहायता प्रदान की गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) शेष प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) शहरी विकास मंत्रालय (1) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना (2) छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) की केन्द्र प्रवर्तित योजना (3) केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) तथा (4) 10 चुनिंदा एयरफील्ड कस्बों में ठोस कचरा प्रबंधन की केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। केरल सरकार ने त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम और छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास के अंतर्गत इस मंत्रालय को परियोजना प्रस्ताव प्रसतुत किए हैं। छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम के अंतर्गत 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान क्रमशः 271.50 लाख रु., 384.00 लाख रु. तथा 225.00 लाख रु. की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। वर्तमान वित्त वर्ष 2005-2006 में (अब तक) केन्द्रीय सहायता की पहली किस्त की 284.46 लाख रु. की आंशिक बकाया राशि 2004-2005 में शामिल 7 कस्बों को जारी की जा चुकी है। कस्बा-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। जहां तक केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम का संबंध है, प्राप्त परियोजना प्रस्तावों और अनुमोदित प्रस्तावों तथा साथ ही गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रदत्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण-*II* में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम और छोटे तथा मझोले कस्बों का एकीकृत विकास स्कीम दोनों ही छोटे तथा मझोले कस्बों की शहरी अवस्थापना विकास स्कीम (यूआईडीएसएसएमटी) नामक प्रस्तावित नई स्कीम में शामिल कर दी जाएगी। अतः वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की मौजूदा स्कीमों के अंतर्गत नई परियोजनाओं के लिए कोई धनराशि जारी नहीं की जाएगी।

विवरण I

गत तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष में (अब तक) केरल सरकार से आईडीएसएमटी स्कीम के अंतर्गत प्राप्त प्रस्ताव तथा जारी केन्द्रीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बा/परियोजनाएं/प्रस्ताव	शामिल करने का वर्ष	जारी केन्द्रीय सहायता			
			2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1.	ओट्टापालम	1999-2000	60.00	-	-	-
2.	कोठामंगलम	1999-2000	60.00	-	-	-
3.	नोर्थ पेरावूर	2000-01	-	-	59.55	-
4.	कुडुनगल्लुर	2001-02	7.50	-	-	-
5.	पाला	2001-02	5.00	-	45.00	-
6.	पोन्नामी	2001-02	25.00	-	-	
7.	कुन्नामकुलम	2002-03	24.00	-	-	-
8.	अंगामली	2002-03	45.00	-	-	-
9.	पेरुमबदूर	2002-03	45.00	-	-	-
10.	वाइकोम	2003-04	-	-	-	-
11.	अर्टिगल	2003-04		43.00	-	-
12.	मावेलिक्कारा	2003-04		36.00	10.00	-
13.	कालामस्सरी	2003-04		35.00	5.00	-
14.	त्रिपुनीथुरा	2003-04		70.00	5.80	-
15.	तालीपारंबा	2003-04		60.00	5.00	-
16.	कोइलेन्डी	2003-04		70.00	5.00	-
17.	कान्हागाद	2004-05		70.00	17.50	-
18.	पेयनूर	2004-05		-	17.50	57.50
19.	चितूर-थाटामंगलम	2004-05		-	10.00	53.76
20.	कुथुपारंबा	2004-05		-	10.00	35.00
21.	पैरावूर	2004-05		-	10.00	35.00
22.	मट्टनूर	2004-05		-	10.00	35.00
23.	पेरिनथलमन्ना	2004-05		-	10.00	35.00
24.	अडूर	2004-05		-	4.65	-
	कुल		271.50	384.00	225.00	284.46

विवरण II

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों और अनुमोदित प्रस्तावों तथा साथ ही प्रदत्त वित्तीय सहायता के ब्यौरे

	कस्बे का नाम	अनुमोदित लागत (लाख) (रु. में)	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)
2002-03	कोलाझी	158.35	79.18
	कोट्टूर	212.76	106.23
	पोट्टोर	123.71	61.86
	मंजेस्वरम	206.78	103.39
	छलकारा	371.24	185.62
2003-04	शून्य		
2004-05	पट्टियम	779.05	389.53
	कोट्टयम	484.85	242.43
	वड़क्केकरा	294.23	147.12
	तिरुवंतकुलम*	0.00	0.00
	केडामंगलम*	0.00	0.00
2005-06	शून्य	0.00	0.00

*एयूडब्ल्यूएसपी के अंतर्गत पात्र नहीं और अक्टूबर 2004 में वापस।

वर्षवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	वर्ष	जारी केन्द्रीय अंश (लाख रु. में)
1.	2002-03	268.21
2.	2003-04	268.21*
3.	2004-05	231.55
4.	2004-05	शून्य

*धनराशि केवल 2003-04 के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए जारी की गई थी।

सुनामी प्रभावित देशों में पुनर्वास कार्य

3188. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी प्रशासन ने हिंद महासागर में सुनामी प्रभावित देशों में पुनर्वास कार्य हेतु 901 मिलियन डालर की अतिरिक्त धनराशि जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सुनामी पीड़ितों के पुनर्वास हेतु भारत द्वारा अब तक कुल कितनी अमरीकन सहायता प्राप्त की गई है; और

(ग) इस अमरीकी सहायता से कितने पीड़ित लाभान्वित हुए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) भारत सरकार ने तत्काल राहत और कार्रवाई के लिए विदेशी सहायता स्वीकार नहीं की है क्योंकि सुनामी आपदा से निपटने के लिए देश के पास स्वयं के पर्याप्त संसाधन थे। योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप दिए जा रहे सुनामी पुनर्वास कार्यक्रम में कोई अमेरिकी सहायता शामिल नहीं की गई है। अमेरिकी सरकार ने, भारत में अमेरिकी सहायता (यू एस एड) के जरिए 3.1 मिलियन अमेरिकन डालर से अधिक की सहायता उपलब्ध करवाई है जिसमें स्थानीय प्रशासन और गैर-सरकारी संगठनों के साथ फील्ड टीम समन्वय शामिल है।

[हिन्दी]

'इग्नू'

3189. श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में स्थानवार कितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में विभिन्न राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में कुछ और अधिक मुक्त विश्वविद्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए किस पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) आज तक की स्थिति के अनुसार देश में एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और 11 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय हैं। स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के माध्यम से की जाती है। मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षा प्रणाली में मानकों के स्तरोन्नयन, समन्वय तथा रखरखाव के लिए इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 के अंतर्गत स्थापित दूरवर्ती शिक्षा परिषद मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करने में राज्य सरकारों का मार्ग प्रशस्त करती है। दूरवर्ती शिक्षा परिषद द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, असम, उत्तरांचल, उड़ीसा तथा केरल राज्यों ने अपने-अपने यहां मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव किया है। महाराष्ट्र राज्य के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जब कभी राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना हो जाती है, ये अपनी प्रकृति तथा स्थानीय जरूरतों के अनुसार कार्यक्रमों तथा पाठ्यचर्या के सम्बन्ध में निर्णय लेंगे।

विवरण

मुक्त विश्वविद्यालयों की सूची

	संसद के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय		स्थापना का वर्ष
1.	इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, नई दिल्ली		1985
	राज्य मुक्त विश्वविद्यालय	राज्य का नाम	स्थापना का वर्ष
1.	डा. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	1982
2.	वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा	राजस्थान	1987
3.	नालन्दा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना	बिहार	1987
4.	यशवन्त राव चह्वान महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक	महाराष्ट्र	1989
5.	एम.पी. भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल	मध्य प्रदेश	1991
6.	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, अहमदाबाद	गुजरात	1994
7.	कर्नाटक राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, मैसूर	कर्नाटक	1996
8.	नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	1997
9.	यू.पी. राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	1998
10.	तमिलनाडु मुक्त विश्वविद्यालय, चेन्नई	तमिलनाडु	2002
11.	पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर	छत्तीसगढ़	2004

[अनुवाद]

वन महोत्सव

3190. **श्री एस. अजय कुमार:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण राजधानी में अपने पार्कों में बड़ी संख्या में पौधे और झाड़ियां उगाने के लिए "वन महोत्सव" का आयोजन कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दि. वि. प्रा. द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान पौधारोपण के लिए वर्षवार किए गए

खर्च का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष के लिए बजट अनुमान कितना है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार पौधारोपण कार्य में गैर-सरकारी संगठन को लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) जी हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण यह बताया है कि वर्ष 2005-06 के दौरान 570 लाख रुपये के बजट अनुमान से 1,22,300 पेड़ और 2,57,700 पौधे लगाये जाने हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान पेड़-पौधे लगाने पर किया गया व्यय नीचे लिखे अनुसार है:

वर्ष	राशि (लाख रु. में)
2002-03	704.00
2003-04	732.30
2004-05	670.00

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दिल्ली में 20 स्थानों पर पेड़-पौधे लगाए जाने में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों ने सहयोग दिया है।

नवयुग स्कूल

3191. **श्री असादुद्दीन ओवेसी**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवयुग स्कूल एजुकेशनल सोसायटी के गठन के बाद एनडीएमसी के नवयुग स्कूलों में शिक्षा का स्तर बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सोसाइटी के गठन का क्या औचित्य है;

(ग) क्या इन स्कूलों विशेषकर पेशवा रोड के स्कूल में अध्यापकों की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो इन स्कूलों में अध्यापकों की उपलब्धता और स्तरीय शिक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सोसायटी गठित करने के पीछे उद्देश्य, स्कूलों के कार्यकरण को सरल बनाने के लिए स्थापना और लेखा कार्य को अलग-अलग करना था ताकि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब से बचा जा सके।

(ग) और (घ) नवयुग स्कूल, पेशवा रोड में अध्यापक का एक पद रिक्त है। तथापि, नियमित नियुक्तियां किए जाने तक, जरूरत को पूरा करने के लिए अनुबंध के आधार पर अध्यापकों की नियुक्तियां की जाती हैं। शिक्षा की गुणवत्ता और सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए नवयुग स्कूल एजुकेशन सोसायटी, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों से सहायता ले रही है।

रबर पार्क

3192. **श्री पी.सी. थामस**: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय रबर पार्कों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) तत्संबंधी प्रगति का ब्यौरा क्या है और इन पार्कों द्वारा अब तक राज्यवार रोजगार के कितने अवसरों का सृजन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में और अधिक पार्क स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत सरकार ने निम्नलिखित तीन रबड़ पार्कों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है:

1. केरल राज्य में कोच्ची के निकट ईरापुरम में;
2. तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले में चेम्बकरमनपुतूर में;
3. त्रिपुरा राज्य के पश्चिमी त्रिपुरा जिले में बोधजंगनगर में;

रबड़ पार्क इंडिया (प्रा.) लि., द्वारा ईरापुरम में स्थापित रबड़ पार्क, रबड़ बोर्ड के जरिए भारत सरकार और केरल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन (किन्फ्रा), के जरिए केरल सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें 107 एकड़ क्षेत्र में दोनों की

1000 लाख रुपये की बराबर इक्विटी भागीदारी है। इस परियोजना का कुल परिव्यय 3650 लाख रुपये था। इस पार्क का निर्माण पूरा होने वाला है और इस रबड़ पार्क में कुछ इकाईयों ने कार्य करना शुरू कर दिया है।

तमिलनाडु के चेम्बकरमनपुतूर में 1452 रुपए के कुल परिव्यय से स्थापित किया जा रहा रबड़ पार्क 115 एकड़ क्षेत्र में है। इस परियोजना का संवर्धन तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टीको) और मै. अक्सा टेक्नोंलाजीज, चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। इस पार्क की स्थापना निर्यात हेतु बुनियादी सुविधाओं के विकास हेतु राज्यों को सहायता (ए एस आई डी ई) स्कीम (राज्य संघटक) के अंतर्गत 415 लाख रुपये और ए एस आई डी ई (केन्द्रीय संघटक) के अंतर्गत 355 लाख रुपये की वित्तीय सहायता से की जा रही है।

त्रिपुरा सरकार द्वारा रबड़ बोर्ड के सहयोग से त्रिपुरा के बोधजंगनगर में 700 लाख रुपये के परिव्यय से 50 एकड़ क्षेत्र से एक रबड़ पार्क की स्थापना की जा रही है जिसमें ऐ एच आई डी ई (केन्द्रीय संघटक) के अंतर्गत 140 लाख रुपये तथा ए एस आई डी ई (राज्य संघटक) के अंतर्गत 560 लाख रुपये की राशि शामिल है। इस परियोजना का कार्यान्वयन त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।

ईरापुरम, केरल स्थित रबड़ पार्क से अब तक 79 व्यक्तियों के लिए स्थाई रोजगार का सृजन हुआ है।

(ग) इस समय रबड़ पार्कों की स्थापना हेतु कोई अन्य प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गैर-सरकारी संगठन को धनराशि

3193. श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आदिम जनजातियों के विकास के लिए गैर-सरकारी संगठन को धनराशि आबंटित करने हेतु सरकार की कोई योजना अस्तित्व में है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा आबंटित धनराशियों का राज्य-वार, योजना-वार, गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) जी, हां। यह मंत्रालय आदिम जनजातीय समूहों सहित अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए जनजातीय क्षेत्रों में कोचिंग एवं सम्बद्ध योजना तथा अनुकरणीय सेवाओं के लिए पुरस्कार कम साक्षरता वाले क्षेत्रों में शैक्षणिक परिसर एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान नामक योजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को निधियां उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 1998-99 से एकांतिक रूप से आदिम जनजातीय समूहों के फायदे के लिए आदिम जनजातीय समूहों का विकास नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा गैर-सरकारी संगठनों को निधियां आबंटित की जाती हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों के राज्यवार एवं गैर-सरकारी संगठन-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(लाख रुपए में)

			2002-03 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2003-04 के दौरान निर्मुक्त धनराशि	2004-05 के दौरान निर्मुक्त धनराशि
			1	2	3
योजना का नाम-आदिम जनजातीय समूहों का विकास					
1.	आंध्र प्रदेश	(1) सेवा भारती, खम्माम आंध्र प्रदेश	11.31	8.93	0.000
		(2) श्री सरस्वती विद्यापीठ, हैदराबाद	0.000	34.64	35.64
		(3) सेंटर फार एनवयारनमेंट एंड कनसर्न बरकतपुरा, हैदराबाद	0.000	9.000	25.90

			1	2	3
2.	छत्तीसगढ़	(1) अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम, जैशपुर नगर	5.78	0.000	0.000
		(2) एटेरनल केयर, भोपाल	4.46	0.000	0.000
		(3) विश्वास, नारायण, बस्तर जिला	0.000	25.10	0.000
		(4) रामकृष्ण मिशन आश्रम, नारायणपुर, जिला बस्तर	0.000	66.30	0.000
3.	गुजरात	(1) एसिल नौवसेंजने रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन, लिमबादी, जिला सुरेन्द्रनगर, गुजरात	0.000	0.000	8.50
4.	झारखंड	(1) स्वामी विवेकानंद सेवा ट्रस्ट, जमशेदपुर	42.18	0.000	0.000
		(2) भारत सेवा आश्रम संघ, सोनारी, जमेशदपुर	156.10	135.80	168.48
		(3) भारत सेवा आश्रम संघ घाटशिला, ईस्ट सिंहभूम जिला	75.63	618.61	0.000
		(4) विकास भारती, गुमला, ईस्ट सिंहभूम	13.07	0.000	19.24
		(5) भारत सेवाश्रम संघ, पाकुर	58.02	0.000	25.65
5.	कर्नाटक	(1) स्वामी विवेकानंद यूथ मूवमेंट, मैसूर जिला	1.75	18.64	9.97
		(2) विवेकानंद फाउंडेशन, मैसूर	0.000	6.93	0.000
6.	मध्य प्रदेश	(1) सेवा भारती, भोपाल	45.70	73.51	13.50
		(2) बोंडेड लिबेशन फंड, नई दिल्ली	15.45	0.000	0.000
7.	महाराष्ट्र	(1) ट्राइबल एंड वीकर सेक्शन एम्पावरमेंट सोसायटी, पूणे	27.00	13.117	14.429
		(2) दि डबलिंग, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एसोसिएशन, विले-केल्टी, पो. धल्ली, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश	0.00	0.000	6.600
8.	मणिपुर	(1) सेनापति जिला इकोनोमोमिक डेवलपमेंट एसोसिएशन, सेनापति जिला	6.25	0.912	11.54
9.	उड़ीसा	(1) परकल्पा, क्योंझर जिला	0.000	4.00	0.000
		(2) वनवासी सेवा परकल्पा, जिला कालाहांडी	0.000	15.60	0.000
10.	राजस्थान	(1) एसडब्ल्यूआरसी, अजमेर	24.00	0.000	13.50

आई.आई.टी. और आई.आई.एम. की स्थापना

3194. **श्री किन्जरपु येरननायडु:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंगापुर, मारीशस और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान के साथ समझौता करने में रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में उक्त देशों से वार्ता की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी बैठक में क्या निर्णय निकले;

(घ) क्या आईआईटी और आईआईएम के साथ समझौता करने के लिए अमरीका और यूरोप से भी जानकारी मांगी गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

चीन की मुद्रा का प्रभाव

3195. मोहम्मद शाहिद: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयात और निर्यात व्यवसाय में लगे उद्योगों पर चीन की मुद्रा के पुनर्मूल्यांकन के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आगामी वर्ष में भारतीय निर्यात में बढ़ोत्तरी होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के दौरान निर्यात में कितनी प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) चीन ने मुद्रा समूह के संदर्भ में बाजार ताकतों के आधार पर एक प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर व्यवस्था का प्रस्ताव किया है। अभी से भारतीय निर्यातों पर चीनी मुद्रा की नई प्रचालित व्यवस्था के प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। तथापि, भारत द्वारा अतिरिक्त प्रतिस्पर्धात्मकता और व्यापार का लाभ प्राप्त करने की उम्मीद है हालांकि प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों पर अलग-अलग हो सकता है।

(ग) और (घ) जी, हां। डी.जी.सी.आई. एंड एस. के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार चालू वर्ष के लिए निर्यात निष्पादन इस प्रकार है:

(मूल्य करोड़ रुपए)

भारतीय निर्यात

अप्रैल, 04-मई, 04	अप्रैल, 05-मई, 05 (अ)
51342	60896
प्रतिशत वृद्धि	18.6

[अनुवाद]

सहरिया जनजातियों के उत्थान के लिए योजना

3196. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातियों के विशेषकर राजस्थान में सहरिया जनजातियों के उत्थान के लिए किसी केन्द्रीय योजना को प्रायोजित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। यह मंत्रालय पूरे देश में ''सहरिया जनजाति'' सहित अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं चला रहा है। राजस्थान में सहरिया जनजाति को आदिम जनजातीय समूहों के रूप में चिन्हित किया गया है। यह मंत्रालय विनिर्दिष्ट रूप से राजस्थान की ''सहरिया जनजाति'' सहित चिन्हित 75 आदिम जनजातीय समूहों के एकांतिक लाभ के लिए 1998-99 से ''आदिम जनजातीय समूहों को विकास'' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना चला रहा है। इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-2005 के दौरान एकांतिक रूप से सहरिया लोगों के विकास के लिए राजस्थान सरकार तथा अजमेर जिले के स्वार्क नामक गैर-सरकारी संगठन को क्रमशः 62.50 लाख तथा 13.50 लाख रुपए की धनराशि जारी की जा चुकी है। सहरिया परिवारों के 5000 मुखियाओं को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2005-06 के दौरान राजस्थान सरकार को 25 लाख रुपए की धनराशि और प्रदान की गई। आदिम जनजातीय समूहों सहित सभी जनजातियों के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाओं के ब्यौरे मंत्रालय का वर्ष 2004-05 की वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं तथा 2005-06 का योजना-वार बजट आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	2005-06 के लिए आबंटन (लाख रुपए में)
1	2	3
1.	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	72701.00
2.	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान	38000.00
3.	अनुसूचित जनजातीय छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, पुस्तक बैंक तथा प्रतिभा उन्नयन की योजना	23065.00

1	2	3
4.	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	2475.00
5.	लघु वन उत्पाद के लिए राज्य जनजातीय विकास निगमों को सहायता-अनुदान	1080.00
6.	कम साक्षरता वाले पॉकेटों में शैक्षिक परिसर	600.00
7.	जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र	540.00
8.	अनुसूचित जनजातियों सहित कोचिंग एवं सम्बद्ध तथा अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान	23065.00
9.	अनुसंधान सूचना, जन शिक्षा, जनजातीय उत्सव तथा अन्य	510.00
10.	राष्ट्रीय/राज्य वित्त विकास निगमों को समर्थन	2700.00

दिल्ली पुलिस में एचआईवी के मामले

3197. श्री रविन्दर कुमार राणा:
श्री गणेश प्रसाद सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली पुलिस में हाल ही में एचआईवी/एड्स के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कौन से कारक जिम्मेदार हैं;

(ग) क्या इस बल में एचआईवी/एड्स पीड़ित रोगियों का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस के पास कोई प्रणाली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग) से (ङ) इस दिशा में दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, सभी पुलिस कार्मिकों के स्वास्थ्य की वार्षिक जांच करना; एच आई वी संक्रमण/एड्स के बारे में कार्मिकों को अवगत करने के लिए नियमित कक्षायें आयोजित करना; अलग-अलग जिलों/यूनिटों में दिल्ली एड्स नियंत्रण सोसायटी द्वारा एच आई वी/एड्स-जागरूकता कार्यशालायें आयोजित करना आदि शामिल है।

विश्वविद्यालयों को यू.जी.सी. अनुदान

3198. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब में विभिन्न विश्वविद्यालयों और पंजाब सरकार से पहले रोक दिए गए यू.जी.सी. अनुदानों को बहाल करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंजाब राज्य के तीन विश्वविद्यालयों को धारा 2(एफ) और 12(बी) के अंतर्गत 10वीं योजनावधि के दौरान सामान्य विकास सहायता योजना के अंतर्गत आवंटित/जारी किए गए अनुदान निम्नलिखित है:

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	10वीं योजना आवंटन	10.8.05 तक जारी किए गए अनुदान (2002-05)
1.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	429.00	343.20
2.	पंजाब विश्वविद्यालय	489.70	391.76
3.	पंजाबी विश्वविद्यालय	370.50	222.30

जम्मू और कश्मीर से अर्द्ध-सैनिक बलों को वापस बुलाना

3199. श्रीमती सुशीला बंगारू लक्ष्मण: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों से अर्द्ध-सैनिक बलों को वापस बुलाने के परिणामस्वरूप अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति बड़ी संख्या में वहां से पलायन कर रहे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों को आतंकवादियों द्वारा अपना धर्म बदलने की धमकी दी जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के लिए बनाई गई कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर राज्य के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों से न तो अर्द्ध सैनिक बलों को वापस बुलाया गया है न ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का बड़ी संख्या में पलायन हुआ है।

(ग) अभी तक ऐसी कोई घटना/शिकायत ध्यान में नहीं आई है।

(घ) राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) कश्मीर घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय के गांवों/बस्तियों में सुरक्षा बलों की पिकटें तैनात की गई हैं।

(2) इन पिकटों में पर्याप्त हथियार और संचार सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं और साथ-साथ पाकेट के आस-पास के क्षेत्र को आतंकवाद मुक्त करने का कार्य पास की सुरक्षा बल यूनिटों को सौंपा गया है।

(3) जम्मू प्रान्त में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों से बसे दूर दराज के क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समितियां (वीडीसी) स्थापित की गई हैं।

(4) भीतरी प्रदेश और इन स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों की आबादी वाले क्षेत्रों में सुरक्षा बल सतत चौकसी रखते हैं।

(5) इन स्थानों पर अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के सुरक्षित रहने के लिए कश्मीर घाटी के शेखपुरा, बडगाम, मट्टान अनंतनाग तथा खीर भवानी श्री नगर में आवासीय घरों के समूहों का निर्माण किया गया है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में समान सत्र

3200. श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सभी शिक्षा संस्थानों विशेष रूप से जुलाई 2005 में देश में कार्य कर रहे सभी विश्वविद्यालयों में शिक्षा के समान सत्र शुरू करने के संबंध में केन्द्र सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कोई दिशानिर्देश अथवा नोटिस जारी किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को अपना उत्तर भेज दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालयों के लिए समान कैलेन्डर रखने का है;

(च) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (छ) माननीय उच्च न्यायालय ने सुश्री अनु अग्रवाल द्वारा कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया तथा अन्य के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दाखिल रिट याचिका (सी) सं. 2005 का 11903 में 26 जुलाई, 2005 को दिए गए अपने अंतरिम आदेश में निम्नलिखित टिप्पणी की है "छात्रा/याचिकाकर्ता को जिस विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा वह उसके द्वारा उत्पन्न की गई नहीं है क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय ने परीक्षा परिणाम घोषित करने में विलंब किया है। बड़ा मुद्दा है इस तरह की आए दिन आने वाली समस्या का उन्मूलन। चूंकि सभी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अपना निधियन/वित्तपोषण लेते हैं इसलिए एक ऐसी समयसूची तैयार करना विश्वविद्यालयों के लिए संभव होना चाहिए कि जिसका सभी विश्वविद्यालय तथा नसे संबद्ध संस्थाएं पालन करें। ऐसी स्थिति में पूरे देश में विश्वविद्यालयों

में दाखिले को विनियमित ढांचे से प्रभावी बनाया जा सकता है।''

''उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता'' पर गठित केब समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की है यद्यपि प्रत्येक विश्वविद्यालय को अपना शैक्षिक कैलेंडर तैयार करना चाहिए जिसमें दाखिले की तिथियों, अवकाश की सूची, परीक्षाओं के आयोजन तथा परीक्षा परिणामों की घोषणा का प्रावधान हो, इस दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए कि कम से कम एक राज्य के भीतर चल रहे विश्वविद्यालयों के शैक्षिक कैलेंडर तुल्यकालिक हों ताकि जरूरत पड़ने पर एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में जाने की स्थिति में छात्रों को कोई असुविधा न हो। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। यू.जी.सी. को दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिका का तदनुसार प्रतिवाद करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

निजी शैक्षणिक संस्थाएं

3201. श्री ए. वेंकटेश नायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी शैक्षणिक संस्थाएं देश के युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की उच्च तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो देश में आई.एस.ओ. प्रमाण पत्र प्राप्त और बिना लाभ तथा हानि के आधार पर कार्यरत एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन संस्थाओं को उच्च शिक्षा के साथ तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) उच्च शिक्षा के मानदण्डों को बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (स्थापना तथा निजी विश्वविद्यालयों में मानदण्डों का रख-रखाव) विनियमन, 2003 दिनांक 27.12.2003 को जारी किए गए थे और ये लागू हैं। ये विनियमन राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य अधिनियम के अंतर्गत निगमित प्रत्येक विश्वविद्यालय पर लागू होते हैं चाहे विश्वविद्यालय सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित हो या किसी अन्य प्रकार से। विनियमन ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की गई सभी डिग्रियों/डिप्लोमाओं/प्रमाणपत्रों पर लागू होते हैं जो अधिसूचना की तारीख को प्रचालन में थे और उन विश्वविद्यालयों पर भी लागू होते है जो अधिसूचना के बाद स्थापित हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के इस प्रयोजनार्थ अपने विनियमन हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद 'निरीक्षण समितियां भेजकर विश्वविद्यालयों का स्थल निरीक्षण भी करती है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि विनियमनों के निर्धारित प्राचलों का पालन हो रहा है।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

3202. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने तालीबान शासन के दौरान अफगानिस्तान से आए हिन्दुओं विशेषकर सिखों की समस्याओं के समाधान हेतु समिति गठित करने और उन्हें स्थायी भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए लिखा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) कोई भी समिति गठित करना जरूरी नहीं पाया गया है। अफगान राष्ट्रिकों सहित उन विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है जो नागरिकता अधिनियम, 1955 और नागरिकता नियम, 1956 के उपबंधों के तहत पात्र होते हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली

3203. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान कुछ केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार और जिलावार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों में मूलभूत अवसंरचना प्रदान की गई है और अपेक्षित संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि द्वितीय पाली के विद्यार्थी प्रार्थना के लिए 1.00 बजे दोपहर खुले आसमान में ग्राउंड में आते हैं जिस समय तापमान अपने चरम पर होता है;

(च) यदि हां, तो क्या इससे विद्यार्थियों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान 8 केन्द्रीय विद्यालयों में द्वितीय पाली शुरू की गई है। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) द्वितीय पाली केवल उन्हीं केन्द्रीय विद्यालयों में प्रारंभ की गई हैं, जहां आधारभूत सुविधाएं मौजूद है। इन विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों के पद संस्वीकृत किए गए हैं और अपेक्षित संख्या में शिक्षकों की तैनाती संबंधी कदम उठाए जा रहे हैं। शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) से (छ) ग्रीष्मकाल तथा बरसात के मौसम में द्वितीय पाली के विद्यार्थियों को प्रार्थना हेतु खुले में नहीं बुलाया जाता है क्योंकि दोपहर के समय तापमान बहुत अधिक होता है। विद्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे असेम्बली किसी प्राकृतिक छांव/निर्माण किए गए शेड अथवा क्लास रूप में आयोजित करें। यदि कोई घोषणा करनी हो तो यह केन्द्रीयकृत सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली के माध्यम से की जाती है।

विवरण I

उन केन्द्रीय विद्यालयों के नामों की सूची जिनमें वर्ष 2005-06 के शैक्षिक सत्र से द्वितीय पाली प्रारंभ की गई है।

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	जिला	राज्य
1.	सं. 1 शाही जाग, अहमदाबाद	अहमदाबाद	गुजरात
2.	सं. 2 ग्वालियर	ग्वालियर	मध्य प्रदेश
3.	हल्द्वानी	नैनीताल	उत्तरांचल
4.	सं. 1 रायपुर	रायपुर	छत्तीसगढ़
5.	सं. 2 रायपुर	रायपुर	छत्तीसगढ़
6.	सं. 1 अर्मापुर, कानपुर	कानपुर	उत्तर प्रदेश
7.	कानपुर छावनी	कानपुर	उत्तर प्रदेश
8.	ए.एम.सी. लखनऊ	लखनऊ	उत्तर प्रदेश

विवरण II

वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान उन केन्द्रीय विद्यालयों में, जिनमें दूसरी पाली प्रारंभ की गई है, शिक्षकों के पदों की संस्वीकृत संख्या तथा वास्तव में तैनात किए गए शिक्षकों की संख्या

क्र.सं.	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	शिक्षक के पदों की संस्वीकृत संख्या	तैनात किए गए शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4
1.	सं. 1 अहमदाबाद	14	12
2.	सं. 1 ग्वालियर	12	12

1	2	3	4
3.	हल्द्वानी	24	11
4.	सं. 1 रायपुर	14	12
5.	सं. 2 रायपुर	14	11
6.	सं. 1 अर्मापुर, कानपुर	14	14
7.	कानपुर छावनी	14	14
8.	ए.एम.सी. लखनऊ	14	09
	कुल	120	95

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी कर्मियों को बीमा सुविधा

3204. श्री कैलाश बैठा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों में विशेषकर बिहार राज्य में आंगनवाड़ी कर्मियों को राज्यवार बीमा सुविधा प्रदान की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत कर्मियों के दो बच्चों की शिक्षा हेतु मासिक भत्ता दिए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कांति सिंह): (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम की सामाजिक सुरक्षा समूह स्कीम के अंतर्गत "आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना" नामक बीमा योजना के माध्यम से 1 अप्रैल, 2004 से बिहार सहित सभी राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं को बीमा सुविधा उपलब्ध करायी है। इस स्कीम में बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता भी शामिल है। स्कीम के अंतर्गत अनुमेय लाभ हैं:

घटना	लाभ
1. दुर्घटना के अलावा अन्य कारणों से मृत्यु	20,000/- रुपये
2. दुर्घटना के कारण मृत्यु	50,000/- रुपये
3. दुर्घटना के कारण पूर्ण स्थायी अपंगता	50,000/- रुपये
4. दुर्घटना में दोनों आंखों अथवा दोनों बाजुओं या एक आंख और एक बाजू की क्षति	50,000/- रुपये
5. दुर्घटना में एक आंख अथवा एक बाजू की क्षति	25,000/-रुपये
6. कक्षा 9-12 तक में अध्ययन करने वाले बच्चों (2 बच्चों तक सीमित) के लिए प्रति बच्चा 300/-रुपये तिमाही छात्रवृत्ति	300/- रुपये
7. निम्नलिखित गंभीर बीमारियों में से किसी एक के होने पर गंभीर बीमारी का अतिरिक्त लाभ:	20,000/-रुपये

(1) स्तन कैंसर

(2) अंडाशय कैंसर/फैलोपियन ट्यूब कैंसर

(3) ग्रीवा कैंसर

(4) गर्भाशय कैंसर

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 6.81 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां और सहायिकाएं इस स्कीम में शामिल हुई हैं।

[अनुवाद]

विशेष आर्थिक क्षेत्र

3205. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्तमान विशेष आर्थिक क्षेत्रों का राज्यवार कार्यनिष्पादन क्या है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या नए आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु सभी राज्यों को केन्द्रीय सहायता स्वीकृत और जारी की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो शेष राज्यों को इसके कब तक जारी होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) विद्यमान विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड) के निर्यात कार्य-निष्पादन की तुलना में पिछले तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन जोनों ने सभी प्रकार से अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है।

(घ) विशेष आर्थिक जोन स्कीम में नये विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए किसी केन्द्रीय सहायता की परिकल्पना नहीं की गई है और जोनों को निजी क्षेत्र अथवा राज्य सरकार के सहयोग से संयुक्त क्षेत्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा स्वयं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

विशेष आर्थिक जोनों (एस ई जेड्स) का निर्यात कार्य निष्पादन

(करोड़ रुपये)

जोन	2003-03		2003-04		2004-05	
	निर्यात लक्ष्य	उपलब्धि	निर्यात लक्ष्य	उपलब्धि	निर्यात लक्ष्य	उपलब्धि
कांडला एस ई जेड (गुजरात)	550	729.29	1020	1018.82	1275	1060.14
सीप्ज एस ई जेड (सांताक्रुज) महाराष्ट्र	5850	6083.02	7600	7832.81	9790	8298.59
नोएडा एस ई जेड (उ.प्र.)	1100	1001.17	1400	1534.17	1920	4266.00
मद्रास एस ई जेड (तमिलनाडु)	875	822.35	1040	1037.96	1295	1376.91
कोचीन एस ई जेड (केरल)	325	270.42	380	298.91	375	462.99
फाल्टा एस ई जेड (पश्चिम बंगाल)	650	512.39	720	825.34	1030	569.15
विशाखापत्तनम एस ई जेड (आंध्र प्रदेश)	300	357.27	500	435.67	545	579.27
सूरत एस ई जेड (गुजरात)	350	280.71	400	869.90	1090	1539.72
इंदौर एस ई जेड (म.प्र.)	-	-	-	-	-	55.02*
जयपुर एस ई जेड (राजस्थान)	-	-	-	-	-	5.27*
मणिकंचन एस ई जेड (पश्चिम बंगाल)	-	-	-	-	-	95.94*
जोड़	10000	10056.62	13060	13853.58	17320	18309.00

*नये एस ई जेड ने वर्ष 2004-05 में प्रचालन शुरू किया है।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी योजना

3206. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जल निकासी योजना किस सीमा तक सफल रही है;

(ख) उक्त योजना के कार्यान्वयन में कौन-कौन सी कठिनाइयां सामने आई हैं; और

(ग) उन्हे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) इस समय, शहरी विकास मंत्रालय 10 चुनिन्दा एयरफील्ड कस्बों, नामत: अम्बाला, सिरसा (हरियाणा), आदमपुर (पंजाब), बरेली, हिंडन (उ.प्र.), डुंडीगल (आंध्र प्रदेश), ग्वालियर (म.प्र.), जोधपुर (राजस्थान), पुणे (महाराष्ट्र) तथा तेजपुर (असम) में 99.34 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर केन्द्रीय सेक्टर की ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी स्कीम कार्यान्वित कर रहा है ताकि रक्षा विमानों को पक्षियों के जोखिम से बचाया जा सके और प्रशिक्षित पायलेटों के बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। वर्ष 2004-2005 के दौरान सिरसा, जोधपुर, ग्वालियर, बरेली तथा पुणे में परियोजनाओं के लिए 40 करोड़ रु. जारी किए जा चुके हैं। स्कीम कार्यान्वयन के चरण में है। स्कीम की सफलता जांचने के लिए इसके मूल्यांकन की जानकारी परवर्ती वर्षों में इसके निष्पादन के जरिए जानी जा सकेगी।

(ख) स्कीम के कार्यान्वयन में संबंधित राज्य सरकारें, शहरी स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा स्थानीय भारतीय वायुसेना स्टेशन शामिल हैं। स्कीम के कार्यान्वयन में शामिल अनेक एजेंसियों के साथ सम्पर्क करने के लिए समय पर समन्वयन करने की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न प्रकार की समस्याएं आई हैं, जिसमें शहरी स्थानीय निकायों के पास विशेषज्ञा उपलब्ध न होना, पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होना, भूमि अर्जन में प्रक्रियात्मक विलंब तथा राज्य सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को समय पर धनराशि जारी न करना है।

(ग) शहरी स्थानीय निकायों के पास विशेषज्ञा उपलब्ध न होने के कारण हडको, एनबीसीसी, तथा उत्तर प्रदेश जल निगम को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच एक उच्च कोटि का समन्वय सुनिश्चित किया जाता है। इसके अलावा, धनराशि जारी करने के संबंध में प्रगति की समीक्षा करने के लिए राज्य शहरी विकास सचिवों/संबंधित शहरी स्थानीय निकायों के आयुक्तों के साथ मंत्रालय में उच्च स्तरों पर नियमित समीक्षा की जा रही है और सामने आ रही समस्याओं से निपटने के लिए तत्काल समुचित कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

ब्रॉड गेज में मेट्रो ट्रैक का बिछाया जाना

3207. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्टैण्डर्ड गेज की बजाय ब्रॉड गेज में मेट्रो ट्रैक बिछाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मेट्रो प्रशासन ने स्टैण्डर्ड गेज हेतु सुझाव दिया था; और

(ग) यदि हां, तो इसे ब्रॉड गेज में बनाने के क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली मेट्रो के लिए यद्यपि डीएमआरसी ने स्टैण्डर्ड गेज की सिफारिश की थी तथापि इसके लिए ब्रॉड गेज का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया ताकि भारतीय रेल आवश्यक बैंक स्टापिंग और परियोजना के लिए अवसंरचना आधार मुहैया कर सके और अंतर संचालनता की जरूरतें पूरी हो सकें और भविष्य में स्वदेशी क्षमता पर निर्भरता का विकास किया जा सके। तथापि, यह आम निर्णय नहीं है जो कि देश में सभी मैट्रो रेल प्रणालियों पर लागू होगा।

[अनुवाद]

विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और नियमों का उल्लंघन

3208. श्री रघुनाथ झा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस के ध्यान में पटाखों के विनिर्माण हेतु निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन का कोई उदाहरण आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और 31 जुलाई, 2005 तक के दौरान दिल्ली में पटाखों के अप्राधिकृत विनिर्माण का केवल एक मामला सूचित किया गया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस ने चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा लाइसेंसधारक को उसका लाइसेंस रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया है।

(ग) दिल्ली पुलिस, स्थलों के चयन; लाइसेंसधारकों द्वारा अपनाए जाने वाले सुरक्षा उपायों; दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन; और पटाखों आदि के लिए ध्वनि मानदंडों सहित विस्फोटकों/पटाखों के विनिर्माण, बिक्री और इस्तेमाल के लिए लाइसेंस प्रदान करते हेतु प्रक्रिया निर्धारित करते हुए समय-समय पर व्यापक अनुदेश जारी करती हैं। दिल्ली पुलिस यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि इन अनुदेशों को सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा पालन किया जाए।

पाकिस्तान को कृषि उत्पादों का निर्यात

3209. श्री अनन्त नायक: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में पाकिस्तान को कृषि उत्पादों का निर्यात रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

हडको द्वारा गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण

3210. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हडको) ने जम्मू और कश्मीर में आवास निर्माण हेतु कई गैर-सरकारी संगठनों का वित्तपोषण किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में वर्षवार जम्मू और कश्मीर में हडको द्वारा प्रत्येक गैर सरकारी संगठन को आवास निर्माण हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या ऐसे संगठनों द्वारा निम्न आय वर्ग हेतु आवासों का निर्माण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा बलों हेतु हवाई आवरण

3211. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की उग्रवाद का मुकाबला करने में लगे सुरक्षा बलों को हवाई आवरण प्रदान करने की योजना है जैसाकि दिनांक 25 जुलाई, 2005 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन बलों और क्षेत्रों की पहचान की गई है; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) विद्रोह-विरोधी कार्यों में लगे सुरक्षा बलों को बचाव, राहत, चिकित्सा के प्रयोजनार्थ वहां से हटाने तथा अन्य ऑपरेशनल सहायता के प्रयोजनार्थ हवाई सहायता प्रदान की जा रही है।

समुद्री सीपियों का निर्यात

3212. श्री मनोरंजन भक्त: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुनामी आपदा के पश्चात अण्डमान से समुद्री सीपियों के निर्यात में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता करने हेतु समुद्री सीपियों के लिए आयात मालभाड़े पर राजसहायता प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या अन्य प्रोत्साहन दिए जाते हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) समुद्री सीपियों के लिए निर्यात भाड़े पर सब्सिडी प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बागवानी उपज का निर्यात

3213. **श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:**
श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बागवानी उपज का कितना निर्यात हुआ और उससे देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान बागवानी उपज का निर्यात बढ़ा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान मुख्य आयातक देशों को प्रसंस्कृत बागवानी उत्पाद सहित बागवानी उत्पादों का निर्यात निम्न प्रकार है:

(मात्रा मी. टनों में; मूल्य: लाख रुपये में)

देश	2001-02		2002-03		2003-04	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
यू.एस.ए.	63403.34	25991.68	86617.45	28492.62	79969.33	28574.33
जापान	10128.28	4093.61	7385.71	4721.18	4480.2	4398.36
कुवैत	20257.9	4966.46	21283.87	5210.26	21230.48	4851.57
मलेशिया	159653.62	15010.62	165990.14	13859.75	184224.58	17810.15
फिलीपिन्स	2979.83	650.19	1465.69	4439.87	1755.33	592.32
सऊदी अरब	55843.17	12448.66	84875.31	18970.98	77150.58	15937.65
श्रीलंका	133339.65	14103.72	150983.01	10880.12	124164.28	10960.2
यू.के.	39743.04	13269.85	44285.75	16501.74	38854.6	15556.51
यू.ए.ई.	149758.77	22004.73	205510.14	26927.05	202858	28795.17
बंगलादेश	268795.09	30100.64	20618.25	25501.91	524184.97	53707.39

(ख) और (ग) कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा वर्ष 2004-05 के लिए उपलब्ध कराए गए अनंतिम आंकड़ों से यह मालूम होता है कि प्रसंस्कृत उत्पादों सहित बागवानी उत्पाद के निर्यात वर्ष 2003-04 में 3005 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 3133 करोड़ रुपए के हो गए हैं। वर्तमान वर्ष के लिए निर्यात के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

[अनुवाद]

चिकित्सा अधिकारियों के संवर्ग का पुनर्गठन

3214. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय पुलिस संगठन में चिकित्सा अधिकारियों के संवर्ग का पुनर्गठन करने का कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) केन्द्रीय पुलिस संगठनों में चिकित्सा अधिकारियों के संवर्ग का पुनर्गठन करने में अपर महानिदेशक (चिकित्सा) का 1 पद, महानिरीक्षक (चिकित्सा) के 7 पद और उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) के 35 पद सृजित किए गए हैं।

आई.आई.टी. निदेशालय

3215. श्री जुएल ओराम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के कार्यकरण की देख-रेख हेतु अलग से निदेशालय स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या निदेशालय की शाखाएं प्रत्येक उस राज्य में खोले जाने का प्रस्ताव है जहां भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय लिए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

फलों और सब्जियों का निर्यात

3216. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीयन रिटेल पार्टी मानकों का अनुपालन करने पर भारत से फलों और सब्जियों के निर्यात में वृद्धि होगी;

(ख) यदि हां, तो क्या अंगूर उत्पादकों ने इन मानकों का अनुपालन करने का विकल्प चुन लिया है;

(ग) क्या ''फिक्की'' ने नार्वेजियन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से भारत में यूरोपीयन रिटेल पार्टी मानकों को बढ़ावा देने की परियोजना आरंभ की है;

(घ) यदि हां, तो क्या यूरोप के प्रमुख खाद्य उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों ने सुरक्षित और सतत् कृषि को सुनिश्चित करने हेतु वैश्विक भागीदारी के लिए यूरोपीय रिटेल पार्टियों का गठन किया है;

(ङ) क्या ''फिक्की'' देश में बागवानी कृषकों के बीच यूरोपीय संकल्पना का प्रचार-प्रसार करने में सफल रहा है; और

(च) यदि हां, तो इन यूरोपीय मानदंडों से भारत में फलों और सब्जियों के निर्यात में कितना बढ़ावा मिला है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जी, हां।

(ङ) भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने सूचित किया है कि उन्होंने यूरेपगैप मानकों का संवर्धन करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया है। इस कार्यक्रम के एक भाग के रूप में उसने विभिन्न राज्यों में 26 संगोष्ठियां आयोजित की हैं, परामर्शदाताओं को यूरेपगैप के बारे में प्रशिक्षण दिया है और 50 सलाहकारों, निर्यातकों एवं कृषि प्रबंधकों को यूरेपगैप मानकों से संबंधित उन्नत प्रशिक्षण का आयोजन किया।

(च) निर्यात योग्य उत्पादों के उत्पादन एवं प्रसंस्करण के लिए यूरेपगैप मानकों के कार्यान्वयन एवं प्रमाणन से वर्ष 2003-04 में फलों एवं सब्जियों का निर्यात 9.34 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर वर्ष 2004-05 में 12.91 लाख रुपए होने में मदद मिली है।

नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास

3217. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान अर्थात वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास करने हेतु आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) शहरी क्षेत्रों में नागरिकों हेतु मूलभूत सुविधाओं का विकास करने हेतु बनाई गई नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और विभिन्न राज्यों को आबंटित किए जाने वाले धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य के उत्तरी हिस्सों में शहरी नागरिकों हेतु मूलभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए एक विशेष पैकेज हेतु कोई विशेष प्रस्ताव सरकार को प्रस्तुत किये हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या इन प्रस्तावों में राज्य का हुगली-धारवाड़ नगर निगम सम्मिलित है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) गत तीन वर्षों अर्थात 2002-03 से 2004-05 के दौरान शहरी विकास मंत्रालय की केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के नागरिक अवस्थापना के विकास के लिए वर्षवार व राज्यवार जारी राशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में है।

(ख) शहरी क्षेत्रों में नागरिक अवस्थापना के विकास के लिए सुधारों से जुड़ी केन्द्रीय सहायता के लिए चुनिन्दा शहरों के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन तथा अन्य शहरों के लिए छोटे तथा मझोले कस्बों के शहरी अवस्थापना विकास की स्कीम बनाने का एक प्रस्ताव है। स्कीमों को ब्यौरों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) से (ङ) कर्नाटक शहरी अवस्थापना विकास और वित्त निगम ने हुबली-धारवाड़ सहित नार्थ कर्नाटक में 20 कस्बों में शहरी अवस्थापना विकास के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से 250 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण सहायता प्रस्ताव भेजा है। परियोजना घटकों में जल आपूर्ति, सीवरेज सड़कें, गरीबी उपशमन कार्यक्रम, वर्षा जल की निकासी, ठोस कचरा प्रबंधन, नगरपालिका सुधार तथा क्षमता निर्माण शामिल है।

विवरण

2002-03 से 2004-05 के दौरान मंत्रालय की केन्द्रीय स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार जारी राशि

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2002-2003	2003-2004	2004-2005	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3458.52	5645.34	8707.43	17811.29
2.	अरुणाचल प्रदेश	71	316.16	2123.27	2510.43
3.	असम	3187.6	1938.22	2376.11	7501.93
4.	बिहार	509.05	703.05	543.7	1755.8
5.	छत्तीसगढ़	736.52	675.69	583.76	1995.97
6.	गोवा	75.29	0	16.08	91.37
7.	गुजरात	865.07	1763.83	1957.83	4586.73
8.	हरियाणा	1063.48	846.11	1511.24	3421.43
9.	हिमाचल प्रदेश	582.24	107.46	302.15	991.85
10.	जम्मू-कश्मीर	44.4	543.14	1330.87	1918.41
11.	झारखंड	520.97	0	417.93	938.9
12.	कर्नाटक	3929.6	5432.75	7914.43	17276.78
13.	केरल	539.71	652.21	456.55	1648.47
14.	मध्य प्रदेश	1949.58	2077.34	2009.68	6036.6
15.	महाराष्ट्र	4134.01	6317.25	11091.11	21542.37
16.	मणिपुर	2035.8	1732.36	3061.07	6829.23

1	2	3	4	5	6
17.	मेघालय	1212.6	300	380	1892.6
18.	मिजोरम	688.57	1611.57	248	2548.14
19.	नागलैण्ड	1148.42	1524	2069	4741.42
20.	उड़ीसा	431.33	547.36	834.39	1813.08
21.	पंजाब	146.24	227.88	203.82	577.94
22.	राजस्थान	851.27	1433.86	3700.64	5985.77
23.	सिक्किम	581.97	1218.97	1764	3564.94
24.	तमिलनाडु	3881.65	4986.83	7376.27	16244.75
25.	त्रिपुरा	533.26	2035.55	1265.53	3834.34
26.	उत्तर प्रदेश	3254.43	3760.27	4037.49	11052.19
27.	उत्तरांचल	320.97	417.61	231.77	970.35
28.	प. बंगाल	3574.45	5444.13	8023.86	17042.44
29.	पांडिचेरी	0	36	0	36
	कुल	40328	52295.54	74537.98	167161.52

इसके अलावा, 2004-05 के दौरान पोर्टब्लेयर में सूनामी कार्यों के लिए 400.00 लाख जारी किए गए।

[हिन्दी]

आवासीय इकाइयों का निर्माण

3218. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रह रहे कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया और कितनी आवासीय इकाइयां उन्हें सौंपी गयीं;

(ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विशेषकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में कितनी आवासीय इकाइयों को सौंपे जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार विशेषकर उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के कमजोर वर्गों हेतु राज्यवार कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण करने का लक्ष्य है और वर्तमन वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि नियत की गई हैं?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) का कार्यान्वयन कर रहा है जो केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50 : 50 के अनुपात में वित्तपोषण पैटर्न वाली एक मांगमूलक केन्द्र प्रायोजित स्कीम है तथा जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के सदस्यों सहित गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले शहरी स्लमवासियों के लिए सफाई सुविधाएं सहित आवासों के निर्माण एवं उन्नयन में सुविधा देना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बताया है कि अभी तक उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर वर्गों को 4379 वाम्बे आवास सौंपे गये हैं। निर्मित आवासों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने यह बताया है कि वर्तमान वित्त वर्ष में लाभार्थी अंश जमा किए जाने पर 8010 निर्मित वाम्बे आवास चुने गये लाभार्थियों को सौंपे जायेंगे।

(ग) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) के तहत निर्मित आवासों के राज्यवार ब्यौरों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 2001-02 से 31.5.2005 तक निर्मित आवासों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	30167
2.	अरूणाचल प्रदेश	-
3.	असम	-
4.	बिहार	-
5.	छत्तीसगढ़	4360
6.	गोवा	-
7.	गुजरात	20294
8.	हरियाणा	-
9.	हिमाचल प्रदेश	-
10.	जम्मू-कश्मीर	273
11.	झारखंड	-
12.	कर्नाटक	25799
13.	केरल	17372
14.	मध्य प्रदेश	2188
15.	महाराष्ट्र	30561
16.	मणिपुर	888
17.	मेघालय	-
18.	मिजोरम	-
19.	नागालैण्ड	806
20.	उड़ीसा	220
21.	पंजाब	-
22.	राजस्थान	3700
23.	सिक्किम	-
24.	तमिलनाडु	51099
25.	त्रिपुरा	1179
26.	उत्तरांचल	441
27.	उत्तर प्रदेश	8116
28.	पश्चिम बंगाल	2929
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-
30.	चंडीगढ़	-
31.	दादरा व नगर हवेली	-
32.	दमन व द्वीव	-
33.	दिल्ली	167
34.	पाण्डिचेरी	214
	कुल	200773

विवरण II

वर्ष 2005-06 के लिए वाम्बे के तहत केन्द्रीय धनराशि के राज्य-वार नियतन तथा लक्षित आवासों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	नियतन (लाख रु. में) 2005-06	आवास के लक्ष्य 2005-06
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2423.00	9694
2.	अरुणाचल प्रदेश	15.00	60
3.	असम	235.00	939
4.	बिहार	1071.00	4283
5.	छत्तीसगढ़	304.00	1216
6.	गोवा	46.00	184
7.	गुजरात	1385.00	5540
8.	हरियाणा	405.00	1622
9.	हिमाचल प्रदेश	65.00	260

1	2	3	4
10.	जम्मू-कश्मीर	313.00	1254
11.	झारखंड	357.00	1428
12.	कर्नाटक	715.00	2862
13.	केरल	663.00	2651
14.	मध्य प्रदेश	822.00	3288
15.	महाराष्ट्र	4325.00	17299
16.	मणिपुर	46.00	182
17.	मेघालय	47.00	187
18.	मिजोरम	46.00	186
19.	नागालैण्ड	24.00	98
20.	उड़ीसा	451.00	1806
21.	पंजाब	763.00	3051
22.	राजस्थान	1315.00	5260
23.	सिक्किम	5.00	20
24.	तमिलनाडु	1756.00	7022
25.	त्रिपुरा	36.00	144
26.	उत्तरांचल	155.00	621
27.	उत्तर प्रदेश	2950.00	11801
28.	पश्चिम बंगाल	2649.00	10598
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	21.00	82
30.	चंडीगढ़	86.00	344
31.	दादरा व नगर हवेली	2.00	6
32.	दमन व द्वीव	6.00	22
33.	दिल्ली	1312.00	5247
34.	पाण्डिचेरी	86.00	343
	कुल	24900.00	99600

[अनुवाद]

लघु उद्योगपतियों का उत्पीड़न

3219. श्री रामसिंह कस्वां:
श्री अजीत कुमार सिंह:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:
श्री रमेन बर्मन:
श्री वाई.जी. महाजन:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ख) औद्योगिक इकाइयों के बंद होने के कारण श्रेणी-वार कितने मजदूर बेरोजगार हो गए हैं और इन कामगारों और तकनीशियनों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि लघु उद्योगपतियों को बिक्रीकर, आय कर, विद्युत बोर्ड और राज्य वित्तीय संस्थाओं जैसी अवंसरचनात्मक/तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन इकाइयों के सुचारू ढंग से संचालन हेतु इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) हालांकि किसी लघु उद्योग का बंद होना संबंधित लघु इकाई के निर्णय पर निर्भर करता है, परंतु लघु उद्योग के बंद होने के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारक हैं, विशिष्ट उत्पादों के लिए मांग में कमी, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, कार्य पूंजी की अपर्याप्तता और कमी, कच्ची सामग्री की कमी, विपणन समस्याएं, प्रतिस्पर्धात्मकता का अभाव, प्रबंधकीय अपर्याप्तता, इत्यादि।

(ख) लघु उद्योग के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिकों की संख्या पर आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, किसी लघु उद्योग के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए कामगार और तकनीशियन पूरे देश में केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आईजीपी) के तहत स्व-रोजगार अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।

(ग) और (घ) लघु उद्योग का संवर्धन और विकास मुख्यत: राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। क्रेडिट की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन, आधारभूत संरचना और

विपणन सुविधाओं के संबंध में लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा झेली जा रही समस्याओं के समाधान के लिए, केन्द्र सरकार इन प्रयासों के अनुपूरण के लिए कई योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन भी करती है।

भारतीय भाषाओं को अन्य देशों में बढ़ावा देना

3220. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में स्थित विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीठों (चयेर्स) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी भाषा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न विश्वविद्यालयों में भारतीय भाषाओं के शिक्षण हेतु कितने विजिटिंग प्रोफेसरों को अन्य देशों में भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद विदेशों में भारतीय भाषाओं की 14 पीठों को अनुरक्षित करती है जिनमें से 12 पीठ हिन्दी की है और तमिल तथा संस्कृत भाषाओं में 1-1 पीठ है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान परिषद ने विदेशों में उपर्युक्त भाषा पीठों का संचालन करने के लिए 20 प्रोफेसरों/सहयोगी प्रोफेसरों को प्रतिनियुक्त किया है।

भारत एवं बांग्लादेश के बीच स्थित एन्कलेव

3221. श्रीमती मिनाती सेन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और बांग्लादेश के बीच बने एन्कलेवों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन एन्कलेवों के निवासियों को अभी तक किसी भी देश की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है;

(ग) क्या इन एन्कलेवों में रहने वाले लोगों को पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं एवं बिजली इत्यादि उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन एन्कलेवों को नियमित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) बांग्लादेश में 111 भारतीय एन्कलेव हैं भारत में 51 बांग्लादेश एन्कलेव हैं।

(ख) बांग्लादेश में भारतीय एन्कलेवों के निवासी भारतीय राष्ट्रिक हैं। तथापि, दोनों देशों द्वारा 1974 में हस्ताक्षरित भू-सीमा समझौते के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच एन्कलेवों के स्थानान्तरण के समय उन्हें नागरिकता का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

(ग) चूंकि इन एन्कलेवों तक हमारी कोई पहुंच नहीं है अतः यह बता पाना कठिन है कि क्या इन एन्कलेवों में रहने वाले लोगों को पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं एवं बिजली इत्यादि उपलब्ध है या नहीं। तथापि यह पता चला है कि इन एन्कलेवों के निवासियों ने इस संबंध में कुछ स्थानीय व्यवस्था की है।

(घ) भारत सरकार ने इस मुद्दे को दिसम्बर, 2000 में विदेश सचिव स्तरीय वार्ता में उठाया था जहां लंबित सीमा संबंधी मुद्दों पर विचार करने के लिए दो संयुक्त सीमा कार्यकारी ग्रुप गठित करने का निर्णय लिया गया था और बाद में जून, 2001 में उक्त ग्रुपों का गठन किया गया था। दोनों देश इन इन्कलेवों के निवासियों का पता लगाने के लिए संयुक्त सर्वेक्षण करवाने और नागरिकता का विकल्प प्रदान करने के लिए सहमत थे। हाल में, भारत और बांग्लादेश के बीच नई दिल्ली में इस वर्ष जून में आयोजित विदेशी सचिव स्तरीय बैठक में सीमा संबंधी मुद्दों पर विचार करने सहित एन्कलेवों की अदला-बदली हेतु संयुक्त कार्यकारी ग्रुपों की बैठकें शुरू करने का निर्णय लिया गया था।

[हिन्दी]

तुगलकाबाद गांव के लाल डोरा क्षेत्र में वृद्धि

3222. श्री सज्जन कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तुगलकाबाद गांव के लाल डोरा क्षेत्र में गत 95 वर्षों से वृद्धि नहीं की गई है जबकि गांव की जनसंख्या में 35 गुना वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त गांव के लाल डोरा क्षेत्र में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह बताया है कि तुगलकाबाद गांव से संबंधित लाल डोरा क्षेत्र में 1908 में सीमांकित किया गया था। चूंकि यह एक शहरी गांव है, इसलिए लाल डोरा क्षेत्र बढ़ाया नहीं जा सकता है।

[अनुवाद]

शिक्षकों के स्थानांतरण की एक समान नीति

3223. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना पूरे देश के शिक्षकों पर लागू होने वाली स्थानांतरण की एक समान नीति लाने की है;

(ख) यदि हां, तो इस हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

3224. **श्री हेमलाल मुर्मु:** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन बोर्डों को हुए घाटे का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन बोर्डों को भंग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) देश में कार्यरत खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (के वी आई बीज) संबंधित राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए सांविधिक निकाय हैं। के.वी.आई.बीज. संबंधित राज्यों में खादी और ग्रामोद्योगों के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों के लाभ न कमाने वाले संगठन हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र (यू.टी.) के.वी.आई. बोर्डों का प्रशासनिक व्यय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाता है। इसलिए, इन बोर्डों को हुए घाटे का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) के.वी.आई.बीज को चालू रखने अथवा बंद करने के मामले का निर्णय संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्डों के नाम
1	2
1.	चंडीगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
2.	दिल्ली खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
3.	हरियाणा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
4.	हिमाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
5.	जम्मू और कश्मीर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
6.	पंजाब खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
7.	राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
8.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
9.	बिहार खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
10.	झारखंड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
11.	उड़ीसा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
12.	प. बंगाल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
13.	अरुणाचल प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
14.	असम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
15.	मणिपुर खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
16.	मेघालय खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
17.	मिजोरम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

1	2
18.	नागालैण्ड खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
19.	त्रिपुरा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
20.	सिक्किम खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
21.	आंध्र प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
22.	कर्नाटक खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
23.	केरल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
24.	लक्षद्वीप खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
25.	पांडिचेरी खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
26.	तमिलनाडु खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
27.	गोवा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
28.	गुजरात खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
29.	महाराष्ट्र खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
30.	छत्तीसगढ़ खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
31.	मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
32.	उत्तरांचल खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड
33.	उत्तर प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड

विश्वविद्यालयों में कुलपति और व्याख्याताओं के रिक्त पद

3225. श्री प्रदीप गांधी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपति ओर व्याख्याताओं के पद रिक्त पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन पदों के कब तक भरे जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालयों में प्रत्येक विशविद्यालयों द्वारा कितना वार्षिक व्यय किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से दिल्ली विश्वविद्यालय, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय तथा हैदराबाद विश्वविद्यालय नामक तीन विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद रिक्त पड़े हैं। जबकि उक्त रिक्त पदों के संबंध में नियुक्ति की प्रक्रिया को पहले ही शुरू किया जा चुका है लेकिन इन पदों को कब तक भरा जाएगा, इस संबंध में कोई निश्चित समय अवधि नहीं बतायी जा सकती।

जहां तक व्याख्याता के पदों का संबंध है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय 31 मार्च, 2005 तक संस्वीकृत रिक्त पदों को दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है। प्रत्येक केन्द्रीय विश्वविद्यालय में व्याख्याता के पदों के लिए नियुक्ति सम्बद्ध विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद/प्रबंध बोर्ड द्वारा विश्वविद्यालय की संविधि में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण में की जाती है। तथापि यह एक सतत प्रक्रिया है, फिर भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को नियुक्ति की प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करने के निदेश दिए हैं।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के आधार पर वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय-वार जारी किये गये योजनेतर अनुदान को दर्शाने वाला विवरण-II संलग्न है।

विवरण I

31 मार्च 2005 की स्थिति के अनुसार व्याख्याताओं के केन्द्रीय विश्वविद्यालयों संस्वीकृत रिक्त पद

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	शून्य
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	301
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	396
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	36
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	32
6.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	42
7.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	25
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	17
9.	विश्व भारती	66
10.	असम विश्वविद्यालय	32

1	2	3
11.	तेजपुर विश्वविद्यालय	10
12.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	10
13.	मिजोरम विश्वविद्यालय	93
14.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	शून्य
15.	महात्मा गांधी अंतराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	12
16.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	126
17.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	25
18.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	उपलब्ध नहीं*

*14 जुलाई 2005 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना।

विवरण II

वर्ष 2004-05 के दौरान जारी किया गया योजनेतर केन्द्रीय विश्वविद्यालय-वार अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	राशि
1	2	3
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	15943.26
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	17351.78
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	13717.99
4.	हैदराबाद विश्वविद्यालय	3231.52
5.	जामिया मिलिया इस्लामिया	4311.19
6.	जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय	5664.33
7.	पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	3794.47
8.	पांडिचेरी विश्वविद्यालय	1384.38
9.	विश्व भारती	3653.90
10.	असम विश्वविद्यालय	699.04
11.	तेजपुर विश्वविद्यालय	362.26
12.	नागालैण्ड विश्वविद्यालय	1505.28
13.	मिजोरम विश्वविद्यालय	746.94
14.	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय	210.70
15.	महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय	180.33
16.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय	340.50
17.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय	0*
18.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	0**

*इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपने द्वारा सृजित आन्तरिक संसाधनों में से अपनी योजनेतर आवश्यकता को पूरा करता है।

**14 जुलाई 2005 को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बना।

गैर-सरकारी अस्पतालों को भूमि का आवंटन

3226. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने गैर-सरकारी अस्पतालों और औषधालयों के लिए रियायती मूल्य पर भूमि आवंटन पत्रों में रोगियों को नि:शुल्क अंतरंग और बाहिरंग उपचार प्रदान करने की शर्त शामिल नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस शर्त को शामिल न करने के लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी;

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि गैर सरकारी अस्पताल और औषधालय रोगियों के लिए नि:शुल्क अंतरंग और बाहिरंग उपचार उपलब्ध कराये;

(घ) क्या सरकार ने पट्टा अनुबंधन के अनुसार गरीब लोगों को नि:शुल्क उपचार न करने वाले जस्साराम अस्पताल, करोलबाग, नई दिल्ली और कुछ अन्य अस्पतालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राजधानी में गरीब लोगों को निशुल्क उपचार प्रदान करने में लापरवाही बरतने वाले गैर-सरकारी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है; और

(छ) इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किये जाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि कुछ मामलों में यह शर्त नहीं लगाई गई थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसे सभी मामलों की जांच और जहां कहीं व्यवहार्य हो वहां शर्तों को शामिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले में कृत्याकृत के विशिष्ट मामलों के लिए जिम्मेदार पाए गए अधिकारी संगत नियमावली के अनुसार कार्रवाई के पात्र हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के साथ परामर्श करके एक पाक्षिक रिपोर्ट प्रणाली बनाई है जिसके साथ अस्पतालों द्वारा गरीबों को मुफ्त इलाज के बारे में शर्त के अनुपालन की निगरानी के लिए संयुक्त निरीक्षण शामिल है।

(घ) से (छ) जस्सा राम अस्पताल को पूर्ववर्ती दिल्ली सुधार न्यास द्वारा भूमि आबंटित की गई थी और गरीबों को मुफ्त उपचार संबंधी शर्त आबंटन के निबंधनों और शर्तों में शामिल नहीं है। तथापि, अस्पताल को एक कारपोरेट इकाई को कथित रूप से बेचने के बारे में उन्हें एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

इसके अतिरिक्त डीडीए ने यह सूचित किया है कि जिन 10 मामलों में शर्तों का उल्लंघन पाया गया था उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और आबंटन के निबंधनों के अंतर्गत आने की कार्रवाई शुरू की गई है। भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एण्ड डीओ) ने भी सूचित किया है कि आवंटन की विभिन्न शर्तों का पालन न करने के कारण विद्यासागर इंस्टीट्यूट ऑफ मेन्टल हेल्थ एण्ड न्यूरोसाइंसेज (विमहंस) तथा मूलचंन्द अस्पताल के पक्ष में किए गए भूमि आबंटन रद्द कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

जनजातीय गांवों संबंधी परियोजना का पुनःसर्वेक्षण

3227. श्री पंकज चौधरी: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से जनजातीय गांवों संबंधी परियोजना के पुनःसर्वेक्षण के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता की मांग का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से जनजातीय, ग्राम परियोजना के पुनःसर्वेक्षण के लिए, जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्रीय सहायता मांगने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

गेट अर्हता प्राप्त छात्रों को सहायता

3228. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गेट अर्हता प्राप्त छात्रों को उनकी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए सहायता प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने छात्रों को ऐसी सहायता प्रदान की गई है;

(ग) क्या मंत्रालय के पास बड़ी संख्या में आवेदन लम्बित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन आवेदनों के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम के स्नातकोत्तर छात्रों के लाभार्थ छात्रवृत्ति स्कीम चलाती है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान जिन छात्रों को सहायता दी गई है उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) वित्त वर्ष 2004-05 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने 146 स्नातकोत्तर तकनीकी संस्थाओं को 27.93 करोड़ रु. तक का सहायता अनुदान प्रदान किया है। निधियों की कमी की वजह से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद वित्त वर्ष 2004-2005 के दौरान गेट छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत 25 करोड़ रु. तक की निधि प्रदान नहीं कर सकी। तथापि, वर्तमान वर्ष के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने उन और 52 संस्थाओं को 13.56 करोड़ रु. का सहायता अनुदान प्रदान किया है जिन्हें पिछले वर्ष में निधि प्राप्त नहीं हुई थी। इस स्कीम सहित विभिन्न स्कीमों के लिए वर्ष 2005-2006 में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को योजनागत के अंतर्गत 100 करोड़ रु. की राशि का विस्तारित प्रावधान भी है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	विद्यार्थियों की संख्या		
		2002-03	2003-04	2004-05
1.	आंध्र प्रदेश	404	578	750
2.	छत्तीसगढ़		57	50
3.	असम	9	11	
4.	बिहार			
5.	चंडीगढ़	19	25	40
6.	गोवा	10	19	10
7.	हरियाणा	32	59	60
8.	जम्मू-कश्मीर		5	5
9.	केरल	245	593	510
10.	कर्नाटक	151	185	220
11.	मध्य प्रदेश	172	321	360
12.	महाराष्ट्र	462	863	900
13.	उड़ीसा	10	7	32
14.	पांडिचेरी	7	84	75
15.	पंजाब	40	28	69
16.	राजस्थान	16	4	14
17.	तमिलनाडु	240	52	41
18.	उत्तर प्रदेश	53	134	145
19.	उत्तरांचल			
20.	पश्चिम बंगाल	180	202	324
21.	हिमाचल प्रदेश			
22.	दिल्ली	72	74	263
23.	गुजरात	156	365	380
	कुल	2278	3666	4248

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों में विद्यार्थियों के लिए आरक्षण

3229. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थानों जैसी शैक्षिक संस्थाओं में ग्रामीण विद्यार्थियों के लिए सीटें आरक्षित करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मसाला बोर्ड

3230. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण में मिर्च उत्पादकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में एक बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मिर्च के विकास एवं निर्यात पर मौजूदा संस्थानों द्वारा भलीभांति ध्यान दिया जाता है जैसा कि मिर्च के निर्यात में मात्रा और मूल्य, दोनों रूपों में हो रही वृद्धि से स्पष्ट हो जाता। मिर्च के लिए पृथक बोर्ड की स्थापना किए जाने से कार्य एवं व्यय दो गुना हो जाएगा जो प्राप्तव्य लाभों के अनुरूप नहीं होगा।

भेषज पेटेंट

3231. श्री आलोक कुमार मेहता: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक भेषज पेटेंटों संबंधी देशवार और संपाकवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) अभी तक देशवार और संपाकवार कितने आवेदनों को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है; और

(ग) शेष पेटेंटों के संबंध में कब तक मंजूरी प्रदान किये जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भेषज उत्पादों हेतु पेटेंट आवेदनों के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत पेटेंट आवेदन के बारे में कार्रवाई करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया में आवेदन भरने की तिथि से सामान्य तौर पर लगभग 50 से 60 महीने का समय लगता है। भेषज के संबंध में अब तक कोई उत्पाद पेटेंट प्रदान नहीं किया गया है।

विवरण

देश का नाम	भेषज उत्पादों के लिए पेटेंट आवेदनों की संख्या*
1	2
संयुक्त अरब अमीरात	1
आस्ट्रिया	30
आस्ट्रेलिया	55
बैल्जियम	170
ब्रिटिश विर्जिन आईलैण्ड	4
ब्राजील	21
बरमुडा	5
कनाडा	63
स्विटजरलैण्ड	538
चिली	1
चीन	12
क्यूबा	10
क्रोशिया	23
जर्मनी	1090

1	2
डेनमार्क	261
मिश्र	1
स्पेन	16
फिनलैण्ड	39
फ्रांस	289
यूनाइटेड किंगडम	573
हवाई	1
हंगरी	7
आयरलैण्ड	35
इजरायल	51
भारत	1312
ईरान	1
इंडोनेशिया	5
इटली	104
जापान	434
डेमोक्रेटिक पिपुलस रिपब्लिक ऑफ कोरिया	54
कोरिया गणराज्य	45
मलेशिया	2
मैक्सिको	1
मोनाको	2
नीदरलैण्ड	120
नाइजीरिया	3
नार्वे	27
न्यूजीलैण्ड	34
रूस	1
सउदी अरब	1
सोलमोन आईलैण्ड	1
स्वीडन	351
सिंगापुर	8
स्लोवाकिया	10
तुर्की	1
ताईवान	12
संयुक्त राज्य अमरिका	2111
वेस्ट इंडीज	7
दक्षिण अफ्रीका	10

*संपाकवार सूचना नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

कुटीर उद्योगों को बढ़ावा

3232. श्री कमला प्रसाद रावत:
श्री काशीराम राणा:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों के विकास के लिए कोई योजना तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 2001-2002 के दौरान और उसके पश्चात कुटीर उद्योगों के विकास के लिए सरकार द्वारा आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय रोजगार सृजन की अपनी दो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजनाओं अर्थात (1) ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे कस्बों में कुटीर उद्योगों सहित कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता द्वारा ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आईजीपी); तथा (2) ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के

लिए रोजगार अवसरों के सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के लिए निधियां प्रदान करता है (अनुवाद है कि स्थापित पीएमआरवाई इकाइयों का लगभग पचास प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में है)। इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकार्य सब्सिडी बैंकों द्वारा प्रदान किए गए ऋण के संयोजन में बैंकों के माध्यम से जारी की जाती है।

(ग) वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान आरईजीपी के अंतर्गत प्रदान की गई मार्जिन मनी सहायता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। पीएमआरवाई के अंतर्गत सब्सिडी का आबंटन तथा निधियों का जारी किया जाना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्यों से संबंधित है। सब्सिडी राशि भारतीय रिजर्व बैंक को सीधे ही दी जाती है, जो उसके पश्चात कार्यान्वयन बैंकों को अपेक्षित राशियां जारी करता है। वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक को जारी की गई सब्सिडी की राशियां नीचे दी गई हैं:

वर्ष	पीएमआरवाई के तहत जारी सब्सिडी (करोड़ रुपये में)
2001-02	171.50
2002-03	154.00
2003-04	148.61
2004-05	192.09

राज्य/संघ क्षेत्रवार ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है।

वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान पीएमआरवाई के अंतर्गत उद्यमिता संबंधी विकास और आकस्मिताओं के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी किए गए अनुदान संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण-I

आरईजीपी के तहत प्रदान की गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मार्जिन मनी सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
I.	उत्तरी क्षेत्र				
1.	चंडीगढ़	47.56	0.40	10.24	21.45
2.	दिल्ली	19.35	16.16	12.31	8.09
3.	हरियाणा	1123.47	884.91	1938.96	2142.25
4.	हिमाचल प्रदेश	954.73	643.78	757.11	657.72
5.	जम्मू-कश्मीर	436.50	179.00	363.45	584.55
6.	पंजाब	1438.62	1744.62	819.03	1834.63
7.	राजस्थान	2211.91	2189.08	2890.28	2064.33
II.	पूर्वी क्षेत्र				
1.	अंडमान व निकोबार	22.90	78.24	28.44	4.16
2.	बिहार	37.46	108.13	186.03	281.69
3.	झारखण्ड	49.34	421.01	198.08	320.60
4.	उड़ीसा	297.89	156.78	784.11	863.05

1	2	3	4	5	6
5.	प. बंगाल	822.20	1202.17	1593.51	1999.62
III.	उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
1.	अरुणाचल प्रदेश	11.21	45.36	52.77	66.03
2.	असम	143.00	375.68	806.83	1277.42
3.	मणिपुर	2.98	110.53	41.19	73.66
4.	मेघालय	110.50	135.94	121.79	196.03
5.	मिजोरम	16.83	224.40	61.10	257.48
6.	नागालैण्ड	168.89	50.15	117.20	204.46
7.	त्रिपुरा	49.54	106.23	224.02	214.14
8.	सिक्किम	0.00	6.70	127.67	165.78
IV.	दक्षिणी क्षेत्र				
1.	आंध्र प्रदेश	1307.02	1775.01	1675.40	3394.19
2.	कर्नाटक	1067.94	1560.05	1692.17	1063.83
3.	केरल	1789.10	1196.03	2753.15	1027.95
4.	लक्षद्वीप	3.00	–	7.42	0.00
5.	पांडिचेरी	7.06	0.29	11.38	9.05
6.	तमिलनाडु	567.34	604.08	1362.17	1147.28
V.	पश्चिमी क्षेत्र				
1.	दादरा-नगर हवेली	2.47	9.49	4.13	0.00
2.	दमन दीव	0.00	–	–	0.00
3.	गोवा	311.95	198.06	82.98	88.90
4.	गुजरात	46.85	102.23	130.34	530.55
5.	महाराष्ट्र	153.08	1541.92	873.25	1439.17
VI.	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	छत्तीसगढ़	297.99	427.33	1098.00	1000.91
2.	मध्य प्रदेश	1096.50	605.97	1355.07	2125.71
3.	उत्तरांचल	318.00	378.01	979.70	578.63
4.	उत्तर प्रदेश	2706.95	2293.52	3415.18	3596.64
	कुल योग	19025.13	19371.26	26574.46	29239.95

विवरण-II

पीएमआरवाई के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी केन्द्रीय अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा*

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	109.65	63.92	191.44	293.34
2.	असम	42.85	110.73	58.97	100.71
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.74	3.81	3.47	5.39
4.	बिहार	0.00	0.00	101.54	19.87
5.	छत्तीसगढ़	17.00	0.00	36.08	50.84
6.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गोवा	0.47	0.00	0.00	0.00
8.	गुजरात	31.88	666.94	20.27	53.07
9.	हरियाणा	19.73	38.86	68.99	74.20
10.	हिमाचल प्रदेश	7.13	16.96	19.48	5.12
11.	जम्मू-कश्मीर	4.29	2.49	13.16	0.00
12.	झारखंड	45.00	0.00	0.00	34.56
13.	कर्नाटक	121.27	49.76	148.93	173.19
14.	केरल	117.72	55.26	112.21	175.75
15.	मध्य प्रदेश	94.98	120.21	149.32	265.38
16.	महाराष्ट्र	72.28	29.15	191.31	173.92
17.	मणिपुर	4.50	0.00	5.57	4.55
18.	मेघालय	13.56	1.86	7.10	8.29
19.	मिजोरम	1.62	4.71	3.61	3.24
20.	नागालैण्ड	2.99	6.84	1.00	17.12
21.	उड़ीसा	75.50	20.50	91.34	147.50
22.	पंजाब	103.23	30.22	78.18	81.45
23.	राजस्थान	0.00	57.83	106.01	104.30
24.	तमिलनाडु	106.70	40.29	147.94	136.75

1	2	3	4	5	6
25.	त्रिपुरा	21.40	17.35	18.23	21.24
26.	उत्तर प्रदेश	368.92	204.37	402.53	644.91
27.	उत्तरांचल	34.00	0.00	25.83	92.76
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	19.12
29.	अंडमान व निकोबार	1.06	0.59	1.06	2.51
30.	चंडीगढ़	0.48	0.37	0.47	1.02
31.	दमन व दीव	0.18	0.07	0.04	0.03
32.	दादरा व नगर हवेली	0.26	0.11	0.15	0.20
33.	लक्षद्वीप	0.11	0.08	0.12	0.14
34.	पांडिचेरी	1.69	1.02	5.37	4.74
35.	सिक्किम	0.15	0.10	0.48	0.25
	कुल	1422.36	1544.38	2010.20	2715.43

*स्थापित इकाइयों में से लगभग पचास प्रतिशत का ग्रामीण क्षेत्रों में होने का अनुमान है

[अनुवाद]

भारत में रह रहे नेपाली लोग

3233. श्री रेवती रमन सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अनुमानतः कितने नेपाली गोरखे हैं;

(ख) क्या सरकार को यह जानकारी है कि सेना में सीमित रिक्तियों के कारण अनेक नेपाली गोरखे माओवादियों के समर्थन में हथियार उठा रहे हैं; और

(ग) सरकार इस स्थिति का समाधान करने के लिए किन कदमों पर विचार कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) सरकार के पास नेपाली गोरखाओं के आंकड़े नहीं हैं। तथापि, 2001 की जनगणना के अनुसार, 6,40,862 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म तो नेपाल में हुआ है और गणना भारत में की गई है।

(ख) यह सुझाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है कि सेना में नौकरी के कम अवसरों के कारण नेपाली गोरखा माओवादियों के लिए शस्त्र उठा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

3234. श्री रामदास आठवले: क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन विभागों तथा उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है तथा इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नई नियुक्तियों का वर्षवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (च) इस मंत्रालय के अधीन सभी चार उपक्रमों के सम्बन्ध में सूचना विवरण-I, II, III एवं IV में संलग्न है।

विवरण I

उत्तर पूर्वी विकास वित्त निगम. लिमिटेड (नेडफी)

(क)	क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद रिक्त हैं;	सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों के चार बैकलाग पर रिक्त है तथापि ये बैकलॉग रिक्तियां 13 दिसम्बर, 2003 जिस तिथि से नेडफी में आरक्षण नीति प्रभावी हुई से पहले की गई भर्ती की बकाया थीं।
(ख)	यदि हां, तो आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;	प्रबन्धकीय ग्रेड क (03- अनुसूचित जाति) कार्यपालक कर्मचारी-1 (01-अनुसूचित जाति)
(ग)	क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन विभागों तथा उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है तथा इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां की गई है;	जी हां, तथापि पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान न ही किसी व्यक्ति की पदोन्नति की गई है और न ही कोई नई भर्ती की गई है।
(घ)	यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नई नियुक्तियों का वर्षवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;	प्रबन्धकीय प्रशिक्षु ग्रेड क (सामान्य-01, 2002 में) कार्यपालक सहायक प्रशिक्षु (सामान्य-01, अनुसूचित जनजाति-01, 2002 में)
(ङ)	क्या अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया; और	13 दिसम्बर, 2004 तिथि जब से नेडफी में आरक्षण नीति नेडफी प्रभावी हुई उसके बाद से न कोई भर्ती की गई है और न ही कोई पदोन्नति की गई है। भविष्य में पदोन्नति के लिए कोई भी भर्ती निर्धारित नियमों के अनुसार की जायेगी।
(च)	यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?	लागू नहीं होता।

विवरण II

उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (नेरामैक)

(क)	क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के/लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद रिक्त है;	निगम में किसी भी वर्ग में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पद रिक्त नहीं है।

(ख)	यदि हां, तो आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;	लागू नहीं होता
(ग)	क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन विभागों तथा उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है तथा इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां की गई हैं;	लागू नहीं होता
(घ)	यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नई नियुक्तियों का वर्षवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;	लागू नहीं होता
(ङ)	क्या अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित व्यक्तियों की नियुक्ति और पदोन्नति के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है
(च)	यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?	लागू नहीं होता

विवरण III

उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड

(क)	क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद रिक्त हैं;	21 अनुसूचित जनजाति कर्मचारी अधिक है जबकि 5 अनुसूचित जाति पदों का समायोजन किया जाना बाकी है।
(ख)	यदि हां, तो आज तक तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;	ऊपर जैसा ही
(ग)	क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन विभागों तथा उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है तथा इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां की गई हैं;	जी हां
(घ)	यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नई नियुक्तियों का वर्षवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;	समूह क अधिकारी (अनुसूचित जनजाति-01, 2003 में)

(ङ)	क्या अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और	जी हां
(च)	यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?	लागू नहीं होता

विवरण IV

पूर्वोत्तर परिषद

(क)	क्या उनके मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद रिक्त हैं;	शून्य	
(ख)	यदि हां, तो आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;	प्रश्न नहीं उठता	
(ग)	क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन विभागों तथा उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है तथा इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां की गई है;	2002 पदोन्नति-अ.जा.(01), अ.ज.जा., (06) नई भर्ती-अ.जा. (शून्य), अ.ज.जा.,(01)	
(घ)	यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नई नियुक्तियों का वर्षवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;	पदोन्नति	नई नियुक्ति
		2002	
		अ.जा.-01	शून्य
		अ.ज.जा.-03	01
		2003	
		अ.जा.-शून्य	शून्य
		अ.ज.जा.-शून्य	शून्य
		2004	
		अ.जा.-शून्य	शून्य
		अ.ज.जा.-01	शून्य
		2005	
		अ.जा-शून्य	शून्य
		अ.ज.जा.-02	शून्य
(ङ)	क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित लोगों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के सम्बन्ध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और	हां	
(च)	यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?	प्रश्न नहीं उठता	

[अनुवाद]

आवास क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा

3235. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आवास क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करने का है ताकि यह क्षेत्र कम लागत वाले संस्थागत ऋण सरलतापूर्वक प्राप्त कर सके और दीर्घकालिक ऋण का दोहन कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) यह मामला वित्त मंत्रालय से संबंधित है। इसलिए प्रस्ताव को उपयुक्त कार्रवाई हेतु वित्त मंत्रालय भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को पुरस्कार

3236. श्री बापू हरी चौरे: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा प्रतिभा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए कोई पुरस्कार निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को ध्यान में रखकर इन पुरस्कारों में वृद्धि करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। प्रतिभा उन्नयन योजना के अंतर्गत उपलब्ध 370 पुरस्कारों में से, नौवीं से बारहवीं कक्षा तक प्रत्येक के लिए 39 पुरस्कार (अर्थात 39 × 4 - 156) महाराष्ट्र की जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में महाराष्ट्र सरकार को आबंटित कर दिए गए हैं।

(ग) ये आबंटन प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जनजाति के अनुपात पर आधारित है। पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

अ.जा./अ.ज.जा. के प्रति अत्याचार

3237. डा. के धनराजू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्यों और विशेष रूप से कुछ दूर-दराज के गांवों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर हुए अत्याचारों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूर-दराज के गांवों में अत्याचारों के अनेक मामलों का पता नहीं चलता है/मामले दर्ज नहीं होते हैं;

(घ) यदि हां, तो दूर-दराज के क्षेत्रों में ऐसे मामलों को दर्ज करने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ङ) वर्ष 2005-06 और आज की तारीख तक न्यायालयों में कितने मामले दायर किए गए और कितनी गिरफ्तारियां की गई; और

(च) सरकार द्वारा देश में ऐसे अपराधों पर नियंत्रण लगाने/रोकने हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं। अनुसूचित जातियों (एस सी) और अनुसूचित जनजातियों (एस टी) के प्रति अत्याचारों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी), वार्षिक आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में आंकड़े संकलित करता है। वर्ष 2003 और 2004 के लिए संकलित आंकड़ों के अनुसार, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध के मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) और (घ) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत, यदि कोई व्यक्ति (चाहे वह किसी दूर दराज के गांव या किसी और जगह रहता हो) संबंधित पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाने में असमर्थ होता है तो वह अपनी शिकायत संबंधित पुलिस अधीक्षक को लिखित रूप में और डाक द्वारा भेज सकता है।

(ङ) वर्ष 2005-06 की अपेक्षित सूचना को एन सी आर बी द्वारा अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि वह राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

(च) चूंकि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, इसलिए ऐसे अपराधों को रोकने और नियंत्रित करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को कारगर रूप से कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों के अंतर्गत जिला प्रशासन की है। केन्द्र सरकार ने इस अधिनियम के उपबंधों को कड़ाई से लागू करने के संबंध में सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को कई सलाहें भेजी हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुसूचित जाति के प्रति कुल अपराध								अनुसूचित जनजाति के प्रति कुल अपराध							
		2003				2004				2003				2004			
		सी आर	पी ए	सी एस	सी ओ	सी आर	पी ए	सी एस	सी ओ	सी आर	पी ए	सी एस	सी ओ	सी आर	पी ए	सी एस	सी ओ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	3559	4300	1984	319	3255	4313	1774	287	571	751	370	77	566	873	275	46
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	66	16	40	0	75	43	57	0
3.	असम	67	111	41	5	20	26	25	3	20	18	11	4	12	20	12	4
4.	बिहार	1747	2959	1249	151	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए	52	60	32	4	एन ए	एन ए	एन ए	एन ए
5.	छत्तीसगढ़	709	1118	666	203	803	1416	809	170	774	969	722	166	855	1011	798	149
6.	गोवा	2	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	1165	3061	1116	25	1309	3083	1163	35	241	778	219	12	241	461	185	13
8.	हरियाणा	195	393	169	12	217	453	183	20	0	0	0	0	0	0	0	2
9.	हिमाचल प्रदेश	107	178	58	5	89	91	42	2	12	30	4	0	11	15	8	0
10.	जम्मू-कश्मीर	5	8	5	1	4	14	6	1	1	1	1	0	1	2	1	1
11.	झारखंड	76	265	66	14	126	194	66	14	108	202	82	11	123	198	81	11
12.	कर्नाटक	1844	4345	1473	30	1643	4623	1267	35	167	463	159	8	173	536	138	2
13.	केरल	439	513	257	27	438	510	195	13	65	101	47	1	82	166	54	1
14.	मध्य प्रदेश	5507	11453	5237	889	4699	10043	4541	1084	1779	3784	1675	228	1667	2874	1668	340
15.	महाराष्ट्र	697	2136	631	30	715	2344	556	48	217	493	201	2	231	724	207	17
16.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	4	21	1	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19.	नागालैण्ड	27	3	10	2	5	1	9	22	263	214	159	180	41	142	148	665
20.	उड़ीसा	1157	1675	994	111	1398	2397	1163	133	484	722	449	39	519	762	399	57
21.	पंजाब	127	270	76	11	134	256	70	17	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	4329	4270	2445	980	4360	4730	2728	825	912	1057	512	207	1031	1318	532	204
23.	सिक्किम	7	7	7	2	16	6	5	0	6	6	6	2	32	9	8	0
24.	तमिलनाडु	1495	2738	1140	403	1156	2169	803	562	67	378	45	4	27	60	15	9
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	2821	6605	2453	2675	3785	8263	3077	2430	47	142	31	77	5	17	4	23
27.	उत्तरांचल	129	234	84	40	137	300	73	47	5	6	4	4	3	7	2	6
28.	पश्चिम बंगाल	5	7	6	2	16	23	10	0	3	4	6	1	13	19	5	1
	कुल (राज्य)	26216	46653	20169	5937	24326	45257	18565	5748	5864	10216	4776	1027	5708	9257	4597	1551
29.	अ. और नि. द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	0
30.	चंडीगढ़	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	9	0	0	23	24	15	0	4	3	9	1
32.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	28	1	0
33.	दिल्ली	13	5	8	0	10	6	एन ए	एन ए	0	0	0	0	1	0	एन ए	एन ए
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	22	65	7	0	23	45	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	36	71	16	0	33	60	17	2	25	25	17	0	7	32	12	1
	कुल (अखिल भारत)	26252	46724	20185	5937	24359	45317	18582	5750	5889	10241	4793	1027	5715	9289	4609	1552

दर्ज किए गए मामले (सी आर), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पी ए), वे मामले जिनमें आरोप-पत्र दखिल किए गए (सी एम) और दोषसिद्ध मामले (सी ओ)

नोट:(1) एन ए से अभिप्राय है आंकड़े उपलब्ध नहीं

(2) वर्ष 2004 के आंकड़े अनंतिम हैं।

निर्यातोन्मुखी इकाइयां

3238. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्यवार कितनी निर्यातोन्मुखी इकाइयां हैं;

(ख) जिन-जिन इकायों ने निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है/पूरा नहीं किया है उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसे पूरा न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन इकाइयों को वर्तमान में किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी निर्यातोन्मुखी इकाइयों की निगरानी करने और इन इकाइयों द्वारा की गई निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और निर्यातोन्मुखी इकाइयां स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) कार्यरत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयूएस) की राज्यवार सूची और निर्यात वचनबद्धताओं की स्थिति संलग्न विवरण में है। इकाइयों द्वारा निर्यात वचनबद्धताएं पूरी न करने के कारणों में वित्तीय बाधाएं, निर्यात आर्डरों की कमी, इकाई के रूग्ण/निष्क्रिय होना आदि शामिल हैं।

(ग) इस समय निर्यातोन्मुख इकाइयों के समक्ष आ रही समस्याओं में सेवा कर, केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य की लेवियों के भुगतान से इकाइयों को छूट न देना और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) के लिए भंडारण की सुविधा को वापस लेना शामिल हैं।

(घ) निर्यातोन्मुख इकाइयों के कार्य-निष्पादन पर 6 महीने के आधार पर संबंधित विशेष आर्थिक जोन के विकास आयुक्त और सीमाशुल्क/उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से निगरानी रखी जाती है। सभी निर्यातोन्मुख इकाइयों के लिए सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) का अर्जक होना आवश्यक है। सकारात्मक एनएफई प्राप्त करने में विफल रहने वाली इकाइयों पर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है।

(ङ) और (च) निर्यातोन्मुख इकाइयां व्यक्तिगत उद्यमियों द्वारा स्थापित की जाती हैं और सरकार द्वारा अनुमोदित की जाती हैं।

विवरण

कार्यरत ईओयूएस का राज्य-वार वितरण एवं निर्यात वचनबद्धताओं की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2003-04	
		इकाइयों की सं.	प्राप्त की गई इकाइयां एनएफई*	प्राप्त न की गई इकाइयां एनएफई*
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	188	108	51
2.	असम	2	-	-
3.	बिहार	1	1	-
4.	छत्तीसगढ़	3	-	-
5.	गुजरात	260	260	-
6.	हरियाणा	60	52	7
7.	हिमाचल प्रदेश	9	1	-
8.	जम्मू-कश्मीर	1	1	-
9.	झारखंड	7	6	-
10.	कर्नाटक	301	217	27
11.	केरल	44	41	3
12.	मध्य प्रदेश	27	22	5
13.	महाराष्ट्र	261	152	2
14.	उड़ीसा	6	5	4
15.	पंजाब	42	24	1

1	2	3	4	5
16.	राजस्थान	81	71	4
17.	तमिलनाडु	380	192	188
18.	उत्तर प्रदेश	82	51	2
19.	पश्चिम बंगाल	85	69	8
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	4	2	2
21.	चंडीगढ़	2	–	–
22.	दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव	37	20	–
23.	दिल्ली	34	19	4
24.	गोवा	21	11	–
25.	पांडिचेरी	14	7	7
26.	उत्तरांचल	2	–	–
	जोड़	1954	1332	315

*एनएफई: निवल विदेशी मुद्रा

*उन इकाइयों, जो 1 वर्ष से कम से उत्पादन कर रही हैं की विदेश व्यापार नीति के अनुसार निगरानी नहीं की जाती है।

लघु और मध्यम उद्योग विकास संबंधी नया कानून

3239. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री ए.के. मूर्ति:
प्रो. एम. रामदास:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दक्षिण राज्यों की 'एसोचेम' ने सरकार से लघु और मध्यम उद्योग विकास विधेयक, 2005 के स्थान पर लघु और अति लघु उद्योगों के लिए एक नया कानून लाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) लघु, अति लघु और मध्यम उद्योग घोषित करने हेतु क्या वर्तमान मानदण्ड अपनाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय के लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) भूमि और भवन सहित प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ रुपये से कम निवेश वाले उद्योगों को वर्तमान में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के प्रावधान के तहत लघु उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि, 71 चयनित उत्पादों का निर्माण करने वाले लघु उद्योगों के लिए, इस सीमा को 5 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है। लघु उद्योगों के एक उप-क्षेत्र अति लघु उद्योगों को प्लांट और मशीनरी में 25 लाख रुपये तक के निवेश वाले उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया है। मध्यम उद्योग की श्रेणी वर्तमान में परिभाषित नहीं की गई है।

(घ) लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005 को 12 मई 2005 को लोक सभा में पेश किया गया।

लघु उद्योग के समक्ष चुनौतियां

3240. श्री गणेश सिंह: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय लघु उद्योग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धात्मक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योग की सहायता हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारतीय लघु उद्योगों के लिए बहुत से अवसर और चुनौतियां, दोनों प्रस्तुत करती है, उन्हें व्यापक बाजार मिलने के साथ-साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना भी करना पड़ता है।

(ग) लघु उद्योगों को उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में मदद करने की दृष्टि से, केन्द्र सरकार कई योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित करती है, जो लघु उद्योगों की, अन्य बातों के साथ-साथ, क्रेडिट तक अधिक आसान पहुंच, 5 लाख रुपये तक कोलेटरल मुक्त ऋण, 25 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी, प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी, उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण की सुविधा, अधिकतम 75,000 रुपये तक आईएसओ 9000/14001 प्राप्त करने की लागत के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति, इत्यादि, उपलब्ध कराते हैं।

मेवों का निर्यात

3241. श्री मदन लाल शर्मा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में देशवार किस-किस किस्म की मेवा का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई; और

(ख) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मेवों का अधिकतम मूल्य प्राप्त करने हेतु उनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) प्रमुख आयातक देशों को किए गए मुख्य-मुख्य मेवों के निर्यातों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(मात्रा मी. टन में, मूल्य करोड़ रुपए में)

वस्तु	देश	2001-02		2002-03		2003-04	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8
काजू गिरी	यूएसए	44429	864.61	53725	1015.89	48504	881.55
	नीदरलैण्ड	13104	249.19	13315	244.69	12237	215.03
	यूएई	3251	61.37	5765	100.80	6239	102.42
	जापान	4783	91.97	4123	80.34	5522	101.95
	यूके	6551	125.11	5192	100.73	5392	95.61
	फ्रांस	2517	53.64	2236	44.56	2444	43.61
	स्पेन	1669	33.49	1678	33.52	2198	41.11
	सऊदी अरब	1791	33.30	2501	42.46	2011	32.95
	जर्मनी	1031	18.19	2423	23.08	1574	26.11
	कनाडा	1749	30.57	1502	27.16	13.54	22.72
	इटली	1265	23.97	1070	20.17	986	17.74
	नार्वे	464	9.36	445	8.55	890	15.90

1	2	3	4	5	6	7	8
	ग्रीस	638	12.76	915	17.81	830	15.57
	कुवैत	469	9.93	434	8.33	847	15.34
अखरोट	आस्ट्रेलिया	216.67	2.74	245.78	3.13	108.94	1.48
	डेनमार्क	345.80	5.64	313.55	5.16	294.91	5.17
	स्पेन	1686.90	29.48	1787.94	31.34	1859.09	31.84
	जर्मनी	918.75	13.32	758.75	11.27	737.43	11.52
	यूके	650.49	9.47	571.30	8.50	546.60	7.98
	ग्रीस	566.90	7.73	729.34	10.33	345.11	4.99
	कुवैत	127.09	2.70	123.07	2.35	181.46	3.63
	नीदरलैण्ड	342.35	5.77	412.45	6.43	325.35	5.16
शुष्क खुबानी	बांग्लादेश	उ.न.	उ.न.	27.00	0.04	59.00	0.04
	नोपाल	उ.न.	उ.न.	0.79	0.0048	2.68	0.08
रेजिन	आस्ट्रेलिया	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	1.61	0.022
	बेल्जियम	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	11.50	0.08
	यूके	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	15.89	0.10
	श्रीलंका	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	15.07	0.09
	सऊदी अरब	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	6.51	0.05

उ.न.: उपलब्ध नहीं

(ख) मेवों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं-अखरोट के लिए कृषि निर्यात जोनों (एईजेड) की स्थापना, प्रमुख व्यापार मेलों में भागीदारी करना क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करना और अवसंरचना विकास, बाजार विकास, गुणवत्ता विकास के लिए कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) की योजना स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता देना आदि।

मेगा सिटीज स्कीम के अंतर्गत लाभ

3242. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मेगा सिटीज, मेगा सिटीज स्कीम के अवसंरचनात्मक विकास के अंतर्गत लाभ नहीं उठा पा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं। मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के तहत शामिल सभी शहरों ने शहरी अवस्थापना विकास के लिए स्कीम का पूरा लाभ उठाया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एचआईवी/एड्स के संबंध में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की बैठक

3243. **श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों में एचआईवी/एड्स पर काबू करने के लिए हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैठक में किन-किन संगठनों ने भाग लिया और बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई; और

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक एचआईवी/एड्स से बल-वार कुल कितने अर्द्धसैनिक बल कर्मियों की मृत्यु हुई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) पुलिस कार्मिकों और उनके परिवारों के बीच एचआईवी/एड्स नियंत्रण के प्रमुख क्षेत्रों और उनके लिए अपेक्षित विशेष प्रयासों का पता लगाने के लिए माननीय गृह मंत्री तथा माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के बीच 22.6.2005 को एक परामर्श बैठक हुई थी। गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एन.ए.सी.ओ.), अपर महानिदेशालय (चिकित्सा) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल, असम राइफल्स सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा बल, सशस्त्र सीमा बल, आसूचना ब्यूरो, राष्ट्रीय सुरक्षा गारद, विशेष संरक्षा ग्रुप, राष्ट्रीय अपराध और रिकार्ड ब्यूरो, सिविल सुरक्षा तथा दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एच आई वी/एड्स के कारण मारे गए अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों की संख्या नीचे दी गई है:

सी.पी.एफ.	मारे गए कार्मिकों की संख्या (वर्ष-वार)				
	2002	2003	2004	2005 (आज तक)	कुल
असम राइफल	11	6	13	9	39
सीमा सुरक्षा बल	0	6	7	2	15
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल	19	26	26	15	86
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल	4	10	7	5	26
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस	2	1	0	2	5
सशस्त्र सीमा बल	0	0	0	0	0
कुल	36	49	53	33	171

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का आयात/निर्यात

3244. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्यान्न के आयात और निर्यात का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निर्यात प्रतिशतता में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा खाद्यान्न के निर्यात हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक के दौरान अनाजों और दालों का कुल निर्यात और आयात इस प्रकार है:

	2002-2003		2003-2004		2004-05 (अनुमानित)	
	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
निर्यात	9186137	8098.12	8263241	7285.29	8012635	9113.59
आयात	1994848	2738.86	1725372	2287.26	1348743	1792.71

पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित/निर्यातित खाद्यान्नों के देशवार ब्यौरों से संबंधित सूचना वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खंड-II (आयात)-वार्षिकांक" और "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खंड-I (निर्यात)-वार्षिकांक" प्रकाशनों में देखी जा सकती है जो संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) जी हां। वर्ष 2004-05 में वर्ष 2003-04 की तुलना में अनाजों और दालों के निर्यात का प्रतिशत मूल्य के अनुसार लगभग 25% बढ़ गया है।

(घ) कृषि उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सरकार ने नई पहले की हैं जो इस प्रकार हैं:

(1) फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वनोत्पादों, डेयरी, कुक्कुट और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से दिनांक 31.8.2004 को विशेष कृषि उपज योजना (विशेष कृषि उत्पाद स्कीम) नामक एक नई स्कीम की घोषणा की गई थी।

(2) कृषि निर्यात जोनों (एईजेड) के विकास के लिए एएसआईडीई के अंतर्गत निधियों का निर्धारण किया जाएगा।

(3) ईपीसीजी के अंतर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं को एईजेड में कहीं भी स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

[अनुवाद]

सी.आई.एस.सी.ई.

3245. कुंवर मानवेन्द्र सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में केन्द्र सरकार के ध्यान में काउंसिल ऑफ इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन के कार्यकरण में किसी अनियमितता की बात आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इसकी जांच की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सरकार ने भारतीय स्कूल शिक्षा प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा सचिव के कार्यों तथा शक्तियों से संबंधित कुछ मुद्दे परिषद के सुपुर्द किए थे ताकि उन पर आगे की आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इन मुद्दों तथा परिषद की कार्यकारी समिति की रिपोर्ट पर दिनांक 6.5.2005 को आयोजित परिषद के आम निकाय की 88वीं बैठक में चर्चा की गई थी। परिषद ने फैसला किया है कि इन मामले की आगे की जांच हेतु न्यायाधीश एम.एफ. सलधाना (सेवानिवृत्त) को सौंप दिया जाए।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

बाराखम्बा से दिलशाद गार्डन तक मेट्रो रेल ट्रांजिट का निर्माण

3246. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मेट्रो रेल ट्रांजिट के दूसरे चरण में बाराखम्बा से दिलशाद गार्डन तक मेट्रो रेल का निर्माण कार्य शुरू कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को शुरू करने की संभावित तरीख क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एमआरटीएस के अंतर्गत शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ भूमि अधिग्रहण हेतु भू-स्वामियों पर भूमि अर्जन अधिनियम को अनिवार्य रूप से लागू कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस मार्ग पर भू-स्वामियों को कितना मुआवजा दिए जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार ने इस परियोजना को पूरा करने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ड) दिल्ली मेट्रो परियोजना के चरण-II के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रिठाला-शाहदरा कॉरीडोर के दिलशाद गार्डन तक विस्तार का प्रावधान है। यह विस्तार 3.08 कि.मी. का है तथा इसमें बीच में दो स्टेशन, नामत: गुरू तेग बहादुर अस्पताल तथा झिलमिल होंगे।

परियोजना के तहत अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के तहत किया जायेगा और दिया जाने वाला मुआवजा इस अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया जायेगा। परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद ही भूमि की वास्तविक आवश्यकता का पता चलेगा।

परियोजना आरंभ होने की तिथि से 39 माह के भीतर पूरी की जायेगी।

[हिन्दी]

औद्योगिक इकाई का उत्पादन

3247. मोहम्मद शाहिद:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन में गिरावट आने के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बिजली की कमी के कारण राज्यवार कितनी उत्पादन इकाइयों का उत्पादन प्रभावित हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी इकाइयों को बचाने हेतु क्या उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण पर आधारित केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार एककों की संख्या तथा उत्पादन का मूल्य के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) एकक में उत्पादन किसी एकक के प्रबंधन, तकनीक तथा आन्तरिक कारणों के अलावा मांग तथा आपूर्ति संबंधी दोनों के संयोजन द्वारा निर्धारित किया जाता है। विद्युत जैसे अकेले कारण को उत्पादन में परिवर्तन हेतु उत्तरदायी ठहराना उपयुक्त नहीं होगा।

(घ) सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां लागू की हैं। औद्योगिक क्षमता को लाइसेंस मुक्त करने के, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर इन्पुट सुलभ कराने के लिए विदेशी व्यापार व्यवस्था का उदारीकरण करने के अलावा सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कर दरों को योक्तिकरण करने तथा उनमें कमी करने के कार्य को आगे बढ़ाया है। वर्ष 2005-2006 के लिए बजट में भी विनिर्माणकारी तथा अवसंरचना से संबंधित अनेक उपाय निहित हैं जिसमें औद्योगिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव सम्मिलित है। इसके अलावा औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आईआईयूएस) शुरू की गई है ताकि कार्यशील समूहों में गुणवत्ता अवसंरचनात्मक सुविधा प्रदान करके घरेलू उद्योग की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिल सके। सरकार ने त्वरित विद्युत विकास तथा सुधार कार्यक्रम शुरू किया है जिसके जरिये राज्य विद्युत बोर्डों/सेवाओं को पारेषण तथा वितरण प्रणालियों को उन्नत तथा सुदृढ़ बनाने के लिए निधियां जारी की जाती हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 में क्षेत्र में सुधार को प्रोत्साहित करने तथा इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा का समावेश करने के लिए मूल ढांचे की व्यवस्था की गई है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 से 2002-2003 तक के लिए (नवीनतम उपलब्ध वर्ष) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) पर आधारित राज्यवार एककों की संख्या तथा उत्पादन का मूल्य

राज्य	एककों की संख्या				उत्पादन का मूल्य (लाख रुपए में)			
	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03	1999-2000	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7	8	9
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	22	23	24	21	6602	3572	2246	1188
आंध्र प्रदेश	13164	14029	14238	14635	5849398	6134702	6391951	8228642

1	2	3	4	5	6	7	8	9
असम	1648	1435	1422	1532	777592	874144	802276	1250610
बिहार	1570	1535	1478	1403	667046	725487	671339	807680
चंडीगढ़	323	295	275	254	120409	97994	106043	114081
छत्तीसगढ़	1380	1275	1277	1253	1295791	1274307	1258175	1449707
दादरा और नगर हवेली	846	902	976	961	1350090	1366486	1741086	1488898
दमन और दीव	1118	1275	1411	1355	869561	730458	1040199	1391891
दिल्ली	3596	3498	3416	3436	1734591	1429795	1556445	1724437
गोवा	477	524	506	542	696293	808931	833137	895740
गुजरात	14710	14090	13950	13180	11855115	12797728	14755010	18269979
हरियाणा	4296	4448	4437	4437	4445636	4467504	4555990	5261740
हिमाचल प्रदेश	508	507	500	509	529917	648156	607227	611899
जम्मू-कश्मीर	393	356	348	340	164584	134272	154879	175631
झारखंड	1423	1500	1430	1417	2227465	1927781	1884468	2476429
कर्नाटक	6952	7010	6987	6956	4250452	4625883	5513481	6568082
केरल	4845	4853	4812	4687	2486296	2671055	2396971	2665085
मध्य प्रदेश	3269	3221	3019	2995	4408900	3671234	3822625	3805750
महाराष्ट्र	19009	18528	17853	17570	18133252	18497146	18122281	21759551
मणिपुर	61	59	61	44	1283	1773	1896	2042
मेघालय	27	30	34	41	6884	10049	16011	29746
नागालैण्ड	147	129	117	119	7060	9214	10363	10072
उड़ीसा	1591	1665	1709	1679	1182658	1324267	1342672	1486235
पांडिचेरी	462	524	540	606	536656	600801	652464	850733
पंजाब	6910	7137	7249	6987	3817561	3501849	3802610	4057079
राजस्थान	5063	5112	5279	5409	2995996	3078418	3122742	3311696
तमिलनाडु	20249	20601	18912	19550	9459777	10353989	9436057	10807543
त्रिपुरा	206	239	240	259	12226	31061	28374	25080
उत्तर प्रदेश	10303	9635	9157	8980	6104692	6485418	6703704	8052063
उत्तरांचल	616	744	698	715	314162	488441	521444	603559
पश्चिम बंगाल	6373	6091	6195	6085	3485892	3918267	4391497	4873244

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

[अनुवाद]

लघु उद्योगों का विकास और उन्नयन

3248. श्री सुरेश अंगडि: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों से लघु उद्योगों के विकास और उन्नयन हेतु राज्यवार प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन प्रस्तावों को स्वीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) लघु उद्योग वैयक्तिक उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं। अत:, राज्य सरकारें लघु उद्योगों के विकास और उन्नयन के लिए केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव नहीं भेजती। इसके अलावा, लघु उद्योग के संवर्धन और विकास के लिए मुख्यत: राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र जिम्मेदार हैं। हालांकि, केन्द्र सरकार राजस्व और क्रेडिट सहयोग, आधारभूत संरचना विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, विपणन, उद्यमिता विकास, इत्यादि से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन द्वारा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों का सहयोग और अनुपूरण करती है। इन योजनाओं को पूरे देश में एक समान कार्यान्वित किया जाता है।

[हिन्दी]

दिल्ली में पानी की दरों में वृद्धि

3249. प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली में पानी की दरों में कुल कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या दिल्ली में पानी की दरों में और वृद्धि किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने पानी की दरों में वृद्धि न करने का वायदा किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके द्वारा यह वायदा पूरा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि वर्ष 2004-05 के दौरान पानी का शुल्क दो भागों में संशोधित किया गया, सेवा प्रभार और परिमाणात्मक पानी खपत प्रभार। सेवा प्रभार 1.12.2004 से लागू किया गया था और परिमाणात्मक पानी खपत प्रभार 1.4.2005 से लागू किया गया था। दरों में वृद्धि की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि पानी की दरों में वृद्धि का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से ऐसी कोई सूचना उन्हें प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

पानी की दरों में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

श्रेणी	प्रतिमाह पानी खपत	संशोधन पूर्व दरों के अनुसार पानी बिल की राशि (अर्थात 30.11.04 तक की दरें)	संशोधित दरों के अनुसार पानी के बिल की राशि (अर्थात 1.12.2004 से सेवा प्रभार में जमा 1.4.2005 से परिमाणात्मक पानी खपत प्रभार)
1	2	3	4
श्रेणी-I (क) 200 वर्ग मीटर तक	6 किलो लीटर	30/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	40/- रु.
निर्मित क्षेत्र वाले मकान	10 किलो लीटर	30- रु. (न्यूनतम प्रभार)	52/- रु.
	20 किलो लीटर	30/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	82/- रु.

1	2	3	4
श्रेणी-I (ख) (घरेलू)	6 किलो लीटर	30/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	120/- रु.
200 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र	10 किलो लीटर	30/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	132/- रु.
वाले मकान	20 किलो लीटर	30/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	162/- रु.
श्रेणी-II (गैर घरेलू)	10 किलो लीटर	150/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	400/- रु.
निर्मित क्षेत्र लागू नहीं	20 किलो लीटर	150/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	550/- रु.
	30 किलो लीटर	225/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	775/- रु.
श्रेणी-III (गैर घरेलू)	25 किलो लीटर	450/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	1163/- रु.
निर्मित क्षेत्र लागू नहीं	35 किलो लीटर	450/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	1538/- रु.
	50 किलो लीटर	600/- रु. (न्यूनतम प्रभार)	2100/- रु.

[अनुवाद]

पेट्रोल पंप/एलपीजी एजेंसी हेतु भू-आवंटन

3250. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कारगिल शहीदों के काफी आश्रित दिल्ली में पेट्रोल पंप/एलपीजी एजेंसी हेतु भू-आवंटन की अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) डीडीए ने दिल्ली में अभी तक किन-किन शहीदों के आश्रितों को भूमि आवंटित की है;

(घ) किन-किन शहीदों के आश्रित भू-आवंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं; और

(ङ) भूमि आवंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं और भूमि कब तक आवंटित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद: (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि कारगिल शहीदों के संबंध में पेट्रोल पंप/एलपीजी एजेंसी हेतु भूमि आबंटन के लिए कोई आवेदन उनके पास लंबित नहीं है।

(ग) 1. स्व. कैप्टेन सुमित रॉय

2. स्व. कैप्टेन अनुज नैय्यर

3. स्व. स्क्वा.ली. अजय आहूजा

4. स्व. मेजर राजेश सिंह अधिकारी

5. स्व. ला.ना. राकेश कुमार

6. स्व. मेजर सी.बी. द्विवेदी

7. स्व. रा.मै. अनुसूया प्रसाद धियानी

8. स्वी. श्री अमित वर्मा

9. स्व. स्क्वा.ली. राजीव पुण्डीर

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर को देखते हुए लागू नहीं।

भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार

3251. श्री राबापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के प्रधानमंत्री की जुलाई में अमेरिका की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय व्यापार पर कोई चर्चा हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश प्रवाह को बढ़ाने हेतु ठोस उपाय किये है/कर रहे है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। प्रधानमंत्री ने अमरीकी राष्ट्रपति के निमंत्रण पर दिनांक 17 से 20 जुलाई, 05 तक अमरीका का दौरा किया। विचार-विमर्श के लिए कार्यसूची में अन्य बातों के साथ-साथ द्विपक्षीय आर्थिक और व्यापार संबंधों को मजबूत करना शामिल था।

(ग) और (घ) द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध को और अधिक मजबूत करना सरकार की एक सतत और चालू प्रयास है। यात्रा के दौरान दोनों नेता अमरीका-भारत आर्थिक वार्ता को पुनः शुरू करने, भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच स्थापित करने और दोनों देशों के बीच मौजूदा आर्थिक संबंध को और बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की शक्ति और विचार प्राप्त करने हेतु सीईओएस मंच आरंभ करने के लिए सहमत हुए थे।

[हिन्दी]

पिछड़े जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु संयुक्त उद्यम

3252. **श्री ब्रजेश पाठक**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विदेशी सरकारों के सहयोग से संयुक्त उद्यम स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन देशों के सहयोग से विभिन्न राज्यों में संयुक्त उद्याम स्थापित किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने एक उदार पारदर्शी और निवेशक के अनुकूल नीति लागू की है जिसमें स्वतः मार्ग के अंतर्गत स्थापना स्थल की ओर ध्यान दिये बिना अधिकांश क्षेत्रों/कार्यकलापों में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। उदारीकृत आर्थिक वातावरण के अंतर्गत क्षेत्रों और स्थापना स्थलों के चयन सहित संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने से संबंधित निर्णय उद्यमियों द्वारा अपनी वाणिज्यिक सूझबूझ और अन्य संगत विवेचनों के आधार पर लिये जाते हैं। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुमोदनों से संबंधित देश-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अगस्त 1991 से मई, 2005 तक अनुमोदित एफ.डी.आई. का देश-वार ब्यौरा

क्र.सं.	देश	अनुमोदित एफडीआई की राशि (मिलियन में)	
		(रुपये में)	(अमरीकी डालर में)
1	2	3	4
1.	अमरीका	591845.72	16396.30
2.	मारीशस	388318.06	9810.67
3.	यू.के	249866.96	6407.75
4.	जापान	119045.48	3224.77
5.	कोरिया (दक्षिण)	99080.44	2653.28
6.	नीदरलैण्ड	96408.54	2447.03
7.	जर्मनी	96404.83	2642.59
8.	आस्ट्रेलिया	69258.21	1916.59
9.	फ्रांस	66644.69	1737.50
10.	सिंगापुर	63077.67	1642.13
11.	मलेशिया	61050.30	1679.71
12.	इटली	49705.94	1330.83
13.	बेल्जियम	46407.44	1184.20
14.	इजराइल	42565.45	1349.67
15.	केमान द्वीप समूह	38992.92	1070.80
16.	स्विटजरलैण्ड	34094.34	1002.47
17.	कनाडा	30662.84	863.78
18.	थाइलैण्ड	26798.33	830.77
19.	हांगकांग	23238.36	652.25
20.	स्वीडन	20847.91	576.26
21.	दक्षिण अफ्रीका	19251.26	491.68
22.	यू.ए.ई	12242.67	328.95
23.	डेनमार्क	9952.51	257.02

1	2	3	4
24.	बरमुदा	8721.62	244.40
25.	सऊदी अरब	8447.97	234.97
26.	चीन	7549.42	234.05
27.	ओमान	6526.23	203.66
28.	वेस्ट इंडीज	6494.39	165.09
29.	पनामा	6428.47	178.42
30.	कुवैत	6041.28	177.74
31.	इंडोनेशिया	5270.98	149.91
32.	ताईवान	5017.10	117.56
33.	कतर	4622.52	109.42
34.	स्पेन	4214.55	106.01
35.	फिलिपींस	4095.38	120.23
36.	न्यूजीलैण्ड	3922.22	100.50
37.	आस्ट्रिया	3095.61	85.92
38.	ब्रिटिश विर्जीनिया	3021.72	68.66
39.	चेक गणराज्य	2951.86	72.20
40.	फिनलैण्ड	2857.70	80.24
41	आयरलैण्ड	2774.01	84.62
42.	लक्समबर्ग	2584.75	73.46
43.	मेक्सिको	2524.21	82.59
44.	बहरीन	2389.27	60.30
45.	पुर्तगाल	1957.05	62.14
46.	आइल ऑफ मान	1664.58	41.93
47.	रूस	1657.63	52.30
48.	चैनल द्वीप	1645.15	37.28
49.	नाइजीरिया	1569.84	43.26
50.	नार्वे	1301.53	32.37
51.	जिब्राल्टर	989.76	31.46
52.	मोरक्को	784.00	16.33
53.	अफगानिस्तान	761.01	21.22
54.	ईरान	738.71	19.03
55.	श्रीलंका	642.62	15.46
56.	बंगलादेश	603.20	15.02
57.	साइप्रस	563.66	13.12
58.	बहामास	465.35	12.72
59.	वर्जिन आइलैण्ड	332.77	7.32
60.	कीनिया	315.61	6.65
61.	नेवसि	315.00	7.33
62.	लिचवेंस्टिन	308.74	8.61
63.	क्यूबा	249.30	5.43
64.	अर्जेन्टीना	184.00	5.35
65.	स्कॉटलैण्ड	156.37	3.46
66.	पोलैण्ड	156.23	4.18
67.	हंगरी	126.66	3.05
68.	यूक्रेन	120.79	3.36
69.	एस्टोनिया	73.10	2.38
70.	स्लोवेनिया	67.74	1.51
71.	कोरिया (उत्तरी)	43.81	0.95
72.	युगोस्लाविया	34.50	0.94
73.	नेपाल	33.79	0.96
74.	तुर्की	33.72	0.78
75.	आइसलैण्ड	26.55	0.65
76.	बुल्गारिया	25.43	0.75
77.	जोर्डन	23.20	0.58
78.	रोमानिया	21.00	0.60

1	2	3	4
79.	यूनान	20.59	0.54
80.	आर्मीनिया	20.31	0.59
81.	क्रोशिया	19.29	0.40
82.	पापुआ न्यु गिनी	19.24	0.61
83.	ट्यूनीनिशया	16.00	0.35
84.	ब्राजील	15.42	0.37
85.	कजाकिस्तान	15.00	0.49
86.	मालद्वीव	14.27	0.39
87.	जमैका	10.00	0.29
88.	सोमालिया	10.00	0.24
89.	उरुगुवे	9.23	0.20
90.	वियतनाम	9.19	0.22
91.	मोनको	6.71	0.16
92.	यमन	5.36	0.13
93.	तंजानिया	5.28	0.12
94.	जार्जिया	5.00	0.10
95.	गर्नसे	5.00	0.11
96.	जांबिया	4.64	0.10
97.	म्यांमार	4.44	0.10
98.	मिस्र	3.95	0.11
99.	लैटविया	3.60	0.12
100.	लाइबेरिया	2.50	0.06
101.	लेबनान	2.01	0.04
102.	स्लोवाकिया	1.55	0.04
103.	ब्रिटिश आइल्स	1.21	0.03
104.	सीरिया	1.20	0.03
105.	वनौतू	0.95	0.02
106.	पेरू	0.73	0.02
107.	फिलीस्तीन प्राधिकरण	0.50	0.01
108.	अनिवासी भारतीय	123549.74	3291.41
109.	दर्शाए न गए देश	28403.81	750.15
	कुल जोड़	2,525,492.70	67,773.04

आई.एस.आई. एजेन्टों की गिरफ्तारी

3253. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान दिल्ली, नोएडा और आसपास के क्षेत्रों से आई.एस.आई. एजेन्टों को गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004 तथा इसके बाद विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किए गए आई.एस.आई. एजेन्टों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या इन एजेंटों से पूछताछ के दौरान स्थानीय पुलिस/रक्षा अधिकारियों और आई.एस.आई. एजेन्टों के बीच किसी सांठ-गांठ का पता चला है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी जांच के आदेश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2004 और 2005 (31.7.2005 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किए गए आई.एस.आई. एजेंटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (च) हाल के, आई.एस.आई. जासूसी मोड्यूल में, असम पुलिस ने इस तरह की सांठ-गांठ का पता लगाया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 121-क, और शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत

पलटन बाजार पुलिस स्टेशन, गुवाहाटी, असम में दिनांक 11.7.2005 को प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 263/2005 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है।

विवरण

पाक जासूसी मोड्यूल में संलिप्त और 2004 और 2005 (31.7.2005 तक) के दौरान विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किए गए आई.एस.आई. एजेंटों का ब्यौरा

राज्य	2004	2005 (37.7.2005 तक)
आंध्र प्रदेश	2	–
असम	–	1
दिल्ली	4	4
गुजरात	–	1
हरियाणा	–	2
जम्मू-कश्मीर	1	2
मध्य प्रदेश	1	–
पंजाब	2	1
राजस्थान	5	5
उत्तर प्रदेश	4	5
उत्तरांचल	2	–
पश्चिम बंगाल	7	–

शौचालयों के निर्माण हेतु अनुदान

3254. श्री पंकज चौधरी: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने केन्द्र सरकार को निम्न लागत स्वच्छता योजना के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु शत-प्रतिशत अनुदान की मांग करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है अथवा लेने का प्रस्ताव है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने कम लागत सफाई स्कीम के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए हडको को एक प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार ने उसके लिए शत प्रतिशत अनुदान की मांग नहीं की है।

(ग) प्रस्ताव का हडको में मूल्यांकन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

पब्लिक स्कूलों हेतु भूमि आबंटन

3255. श्री रघुनाथ झा: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1990 में दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) को केवल उन्हीं पब्लिक स्कूलों को भूमि आबंटित करने का निर्देश दिया था जो दिल्ली में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत स्थान आरक्षित करने को तैयार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिविप्रा को यह भी निर्देश दिए गए थे कि ऐसे विद्यालयों के प्रबन्धन बोर्ड या नामांकन समिति में केन्द्र सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विद्यालयों को जारी भूमि आबंटन पत्रों में इन निर्देशों को शामिल नहीं किया गया जिसके परिणामतः केन्द्र सरकार के कर्मचारी लक्षित लाभ से वंचित हो गए;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या दिविप्रा के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) पब्लिक स्कूलों में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा और शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवास क्षेत्र संबंधी नीति में परिवर्तन

3256. श्री ई. पोन्नुस्वामी:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री अनन्त नायक:
श्री उदय सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (दिविप्रा) ने हाल ही में आवास क्षेत्र संबंधी अपनी नीति में कुछ परिवर्तन करने का निर्णय लिया है जैसाकि दिनांक 25 जुलाई, 2005 को प्रमुख सामाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) दिविप्रा की नीतियों में ये परिवर्तन करने के क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में तय किए गए दिशा-निर्देश क्या हैं;

(ङ) निजी भवन निर्माताओं हेतु निर्धारित मानदण्डो का ब्यौरा क्या हैं;

(च) दिविप्रा द्वारा निजी क्षेत्र को क्या कार्य सौंपा जाएगा; और

(छ) मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कम लागत के घर उपलब्ध कराने पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (छ) दिल्ली के ड्राफ्ट मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 में न केवल सरकारी एजेंसियों द्वारा बल्कि निजी क्षेत्रों की भी भागीदारी के जरिए आवास के विकास, स्लम पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण तथा सुविधायुक्त भूमि देने का प्रावधान किया गया है। उसके अनुसरण में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 19.7.2005 को हुई अपनी बैठक में भू-स्वामियों सहित विभिन्न हितबद्धों (स्टैकहोल्डर्स) के परामर्श से एक नीति बनाने का प्रस्ताव किया है। इस नीति के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत प्राविधियों तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए दिशानिर्देशों एवं मानकों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा

3257. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मार्च, 2006 में आयोजित होने वाली परीक्षा में परीक्षा के प्रत्येक दिन बारहवीं कक्षा के छात्रों को सी.बी.एस.ई. बोर्ड परीक्षा के आरंभ होने से पहले आधे घंटे का समय देने का है ताकि छात्र प्रश्न पत्र को पढ़ सकें और अपने आपको मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्नों के उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न पत्र पढ़ने हेतु पन्द्रह मिनट का अतिरिक्त समय देने का निर्णय लिया गया है। इस सुविधा को कक्षा-X तथा XII दोनों के छात्रों को 2006 की परीक्षा हेतु प्रदान किया जाएगा।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

3258. **श्री रामदास आठवले:** क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधीन विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान इन विभागों तथा उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है तथा इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत नई नियुक्तियों का वर्षवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अभियांत्रिकी की उपाधि

3259. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय महाविद्यालयों के इंजीनियरों को विदेश में रोजगार मिलने में कठिनाई

होती है क्योंकि उनकी उपाधियों विशेषत: गैर-आईआईटी कॉलेज से अभियांत्रिकी की उपाधियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को छोड़कर अन्य विश्वविद्यालयों की इंजीनियरिंग डिग्री रखने वाले भारतीय विद्यार्थियों के सामने आ रही किसी कठिनाई का कोई मामला उनके पास नहीं आया है क्योंकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों सहित भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली इंजीनियरिंग डिग्रियों को अन्य देशों में इनकी गुणवत्ता के लिए ऊंचा दर्जा दिया जाता है और उन्हें मान्यता दी जाती है। प्रत्यायन के लिए जिम्मेदार निकाय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड तकनीकी संस्थानों को उनके तकनीकी कार्यक्रमों हेतु प्रत्यायन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु कदम उठाता रहा है क्योंकि अनेक देशों में कार्यरत इंजीनियरों के रूप में व्यावसायिक पंजीकरण केवल प्रत्यायित स्नातकों को ही प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड भी वाशिंगटन समझौते का सदस्य बनना चाहता है जिससे समझौते के सदस्य देशों अर्थात यू.एस.ए., यू.के., कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, आयरलैण्ड, जापान, हांगकांग, और न्यूजीलैण्ड की समकक्ष डिग्रियों के साथ इन डिग्रियों की इंजीनियरों के रूप में कार्य करने के लिए व्यावसायिक पंजीकरण हेतु पर्याप्त समतुल्यता सुनिश्चित होगी।

जाली पासपोर्ट/वीसा

3260. डा. के. धनराजू:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2004-05 के दौरान और तत्पश्चात विभिन्न विमानपत्तनों पर विमानपत्तन-वार कितने व्यक्तियों को जाली यात्रा कागजातों पर यात्रा करते हुए पाया गया है;

(ख) ऐसे कागजात जारी करने में लिप्त पाए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है; और

(ग) जाली पासपोर्ट/वीसा जारी करने के स्रोत का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2004-05 और 30.6.2005 तक के दौरान मुख्य विमानपत्तनों पर जाली यात्रा कागजातों पर यात्रा करते पाए गए व्यक्तियों की संख्या, विमानपत्तन-वार निम्नानुसार है:

(1)	दिल्ली	:	797
(2)	मुम्बई	:	1014
(3)	कोलकाता	:	50
(4)	चेन्नै	:	333
(5)	अमृतसर	:	56
(6)	तिरुवनंतपुरम	:	81
	कुल	:	2331

(ख) और (ग) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना एकत्र की जा रही है।

स्वच्छता में निजी क्षेत्र की भागीदारी

3261. श्री अनन्त नायक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बड़े शहरों में सरकारी क्षेत्र में स्वच्छता कार्य हेतु निजी क्षेत्र की भागदारी को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) से चरणबद्ध तरीके से स्वच्छता और अन्य रखरखाव के कार्य हटा लिए जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) सफाई व्यवस्था राज्य का विषय है और अपने-अपने शहरी क्षेत्रों में सफाई प्रबंध की योजनाएं बनाना, डिजाइन करना, उनका निष्पादन, परिचालन व रखरखाव करना राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकायों का दायित्व है। तथापि, भारत में शहरी जल और सफाई सेवाओं में सुधार के लिए इस मंत्रालय ने "क्षेत्र सुधार तथा सपुल सार्वजनिक निजी भागीदारी" पर दिशानिर्देश तैयार करके सभी राज्य सरकारों व संघ शासित प्रदेशों को परिचालित कर दिए हैं।

(ग) और (घ) सफाई प्रबंध (केवल बहुमंजिली इमारतों के कूड़ेदानों से पास के डलाव में कूड़ा डालने के अलावा) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नहीं किया जाता। फिलहाल, के.लो.नि.वि. से अनुरक्षण कार्य वापस लेने का कोई प्रस्ताव नही है।

क्वार्टरों का बंद होना

3262. श्री अब्दुल रशीद शाहीनः क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली से टाईप-वार कितने सरकारी क्वार्टर मरम्मत कार्यों, पूर्व आबंटिती द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड को बिजली का बिल न चुकाने, आबंटितियों द्वारा स्वीकार न किए जाने तथा अन्य कारणों से छह महीने से भी अधिक समय से बंद पड़े हैं;

(ख) क्या कई सरकारी क्वार्टरों की गत छह वर्षों से मरम्मत/सफेदी नहीं की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली सामान्य पूल के कुल 1405 मकान मरम्मत कार्य चलने पूर्व आवंटियों द्वारा दिल्ली विद्युत बोर्ड को बिजली बिलों का भुगतान न करने, आबंटियों द्वारा स्वीकार न किए जाने, प्रतीक्षा सूची समाप्त होने इत्यादि के कारण 6 माह से अधिक समय से बंद पड़े हैं। विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपर्युक्त (ख) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

दिल्ली में बंद पड़े समान्य पूल के सरकारी क्वार्टरों की संख्या के ब्यौरे

क्र.सं.	वास की टाइप	बंद क्वार्टरों की संख्या
1.	I	497
2.	II	702
3.	III	60
4.	IV	37
5.	V	14
6.	VI और उससे ऊपर	04
7.	हॉस्टल	91
	कुल	1405

स्कूल बसें

3263. श्री मदनलाल शर्मा:
श्री अनंत गुढ़े:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय के निदेशों के बाद भी स्कूल बसों के चालन और प्रबन्ध में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं आया है और विद्यालय जाने वाले बच्चे अब भी सड़कों पर हताहत हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बसों में खड़े होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या की कोई सीमा है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ङ) पुलिस द्वारा इस कानून को लागू नहीं करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या कमजोर कानून के कारण लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले आसानी से छूट जाते हैं; और

(छ) यदि हां, तो इन मौतों को रोकने तथा लापरवाह चालकों को सख्त सजा देने के लिए क्या मूर्त कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (छ) उच्चतम न्यायालय के निदेशों का पालन करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने दिल्ली मोटर वाहन नियमों के अंतर्गत एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में स्कूलों की अपनी/भाड़े पर ली गई बसों में यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों की सुरक्षा से संबंधित कई मुद्दे शामिल किए गए हैं। इस अधिसूचना में कड़े मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जारी अनुदेशों के अनुसार, एक बस में, बैठने की पंजीकृत क्षमता से 1.5 गुणा तक स्कूली बच्चों/यात्रियों को ले जाने की अनुमति दी जाती है।

दिल्ली पुलिस इस कानून को सख्ती से लागू कर रही है और नियमों/न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने वाले स्कूल बसों के दोषी चालकों के खिलाफ मुकदमा चलाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तथापि, भारतीय दंड संहिता की धाराएं 279, 337, 338 और 340-क के तहत जमानत हो जाती है और

दंड बड़ा नहीं है। स्कूली बच्चों/यात्रियों को ले जाने वाली बसों को दुर्घटनाओं से बचाने हेतु हर संभव उपाय शुरू किए गए हैं। दिल्ली यातायात पुलिस का अनुसंधान प्रकोष्ठ दुर्घटनाओं को रोकने हेत, प्रवर्तन, सड़क इंजीनियरिंग संबंधी सुधार या शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करके रणनीतियां अपनाने हेतु दुर्घटना संबंधी आंकड़ों का विश्लेषण और आकलन करता है। इसके अलावा, दिल्ली पुलिस तेज गति से और लापरवाही से गाड़ी चलाने के दोषी पाए गए चालकों के खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई करती है। इन कदमों के परिणामस्वरूप, वर्ष 2005 में घातक दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल को औद्योगिक प्रोत्साहन

3264. श्री प्रदीप गांधी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जनवरी, 2003 से औद्योगिक नीति के अंतर्गत नए राज्यों-उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और झारखंड को दिए गए प्रोत्साहनों और रियायतों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) नए राज्यों को ऐसी रियायतें दिए जाने के लिए क्या मानदण्ड तय किए गए हैं;

(ग) क्या नए राज्यों को रियायत देने में मानदण्डों का सख्ती से अनुपालन किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) 29 मार्च, 2002 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसरण में उत्तरांचल राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 7 जनवरी, 2003 को आर्थिक प्रोत्साहनों के एक पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज के तहत आयकर छूट, उत्पाद-शुल्क छूट तथा नए औद्योगिक एककों एवं मौजूदा औद्योगिक एककों को पहचाने गए स्थापना-स्थलों में उनके पर्याप्त विस्तार पर पूंजी निवेश राजसहायता जैसे विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इन रियायतों की घोषणा उत्तरांचल राज्य के पहाड़ी, दूरस्थ एवं बाजार से दुर्गम होने तथा निम्न अवसंरचना सुविधा के भी होने के कारण संबंधी तथ्य को ध्यान में रखते हुए की गई थी। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड राज्यों को इसी तरह के प्रोत्साहनों तथा रियायतों के पैकेज उपलब्ध नहीं कराये गए हैं।

[अनुवाद]

सीमा क्षेत्र विकास योजना

3265. श्री रविप्रकाश वर्मा:
श्री गणेश सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे सभी राज्यों के सीमावर्ती ब्लॉकों में 'सीमा क्षेत्र विकास योजना (बीएडीपी)' कार्यान्वित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम में किन बातों पर विशेष बल दिया गया है;

(ग) राज्यों के बीच धनराशि के बंटवारे के लिए क्या मानदण्ड अपनाया गया है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत विभिन्न राज्यों हेतु निर्धारित योजना परिव्यय कितना है; और

(ङ) विभिन्न राज्यों को अब तक उक्त योजना के दौरान योजनावार कितनी राशि आबंटित और जारी की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह कार्यक्रम, सीमा क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर ध्यान केन्द्रित करने के साथ और वहां रह रहे लोगों के बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाने हेतु सीमा प्रबंधन के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का एक हिस्सा है।

(ग) और (घ) बी.ए.डी. के तहत ऐसा कोई पंचवर्षीय योजना परिव्यय निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, योजना आयोग द्वारा वार्षिक रूप से निधियां आबंटित की जाती हैं जो (1) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई (कि.मी.) (2) सीमा ब्लॉकों की जनसंख्या, और (3) सीमा ब्लॉक का क्षेत्र (वर्ग कि.मी.) को ध्यान में रखते हुए सीमा राज्यों को पुनः आबंटित की जाती हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार को निधियां 100% केन्द्रीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाती हैं।

(ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमावर्ती राज्यों को आबंटित और जारी निधियां संलग्न **विवरण** में दी गई हैं।

विवरण

10.8.2005 की स्थिति के अनुसार बी.ए.डी.पी. के अंतर्गत वर्ष 2001-02 से 2005-06 तक के लिए आबंटित और जारी निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06	
		आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी	आबंटन	जारी
1.	अरुणाचल प्रदेश	1351.00	1351.00	1351.00	900.00 @	1351.00	1351.00	1681.00	-
2.	असम	748.00	748.00	748.00	748.00	748.00	998.00 $	1081.00	720.67^
3.	बिहार	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	728.00	1693.00	
4.	गुजरात	1026.00	1026.00	1026.00	684.00 @	1026.00	1313.06 $	1106.00	603.94 ^
5.	हिमाचल प्रदेश	416.00	1098.00 $	416.00	416.00	416.00	1148.96 $	553.00	368.67
6.	जम्मू-कश्मीर	10000.00 $	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	8695.00 $	10000.00	4166.67
7.	मणिपुर	416.00	416.00	416.00	277.00 @	416.00	555.00 $	527.00	351.33 ^
8.	मेघालय	470.00	800.00 $	470.00	705.00 $	470.00	900.00 $	494.00	-
9.	मिजोरम	832.00	1632.00 $	832.00	1248.00 $	832.00	1556.00 $	902.00	571.31 ^
10.	नागालैण्ड	416.00	446.00 $	416.00	416.00	416.00	416.00	416.00	-
11.	पंजाब	1008.00	1008.00	1008.00	1008.00	1008.00	992.51	1008.00	-
12.	राजस्थान	3032.00	4032.00 $	3032.00	3032.00	3032.00	3695.29 $	3687.00	1864.00
13.	सिक्किम	572.00	572.00	572.00	572.00	572.00	1256.20 $	572.00	23.54
14.	त्रिपुरा	1296.00	1819.00 $	1296.00	1296.00	1296.00	2109.60 $	1296.00	780.98
15.	उत्तर प्रदेश	832.00	1745.00 $	832.00	832.00	832.00	1654.70 $	1284.00	402.76
16.	उत्तरांचल	416.00	523.00 $	416.00	416.00	416.00	1389.94 $	955.00	268.81
17.	पश्चिम बंगाल	3956.00	4556.00 $	3956.00	2637.00 @	3956.00	3739.95 $	4550.00	374.33 ^
	कुल	27515.00	32500.00	27515.00	25915.00	27515.00	32499.21 $	31805.00	10497.01
						4985.00*		695.00 #	
	कुल योग					32500.00		32500.00	..

*बेहतर निष्पादन करने वाले और जरूरतमंद राज्यों हेतु रखा गया।

@केवल प्रथम किश्त जारी की गई।

#बाद में किए गए जाने वाले संभावित आपसी कार्य हेतु आरक्षित रखा गया।

$एक बारगी अतिरिक्त राशि शामिल है।

$प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुसार जंम्मू और कश्मीर को 100 करोड़ रु. के आबंटन के कारण।

^संस्तुत लेकिन अभी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जानी है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आबंटन

3266. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) दिल्ली विकास प्राधिकरण नियमों का उल्लंघन करते हुए अनेक व्यक्तियों को एक से अधिक फ्लैट आबंटित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या तथा ऐसे आबंटियों के नाम तथा पते क्या हैं;

(ग) उक्त अवैध आबंटन करने के लिए जिम्मेदार दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) ऐसे आबंटन रद्द करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट के आबंटन के लिए किसी व्यक्ति और उसके आश्रितों द्वारा किये जाने वाले आवेदनों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। पात्रता मानदण्डों के अनुसार आवेदक को इस आशय का एक शपथपत्र प्रस्तुत करना होता है कि दिल्ली/नई दिल्ली/दिल्ली छावनी में उसके नाम पर अथवा उसकी पत्नी/पति के नाम पर अथवा उसके नाबालिक अथवा आश्रित बच्चों के नाम पर लीजहोल्ड आधार पर या फ्रीहोल्ड आधार पर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से कोई रिहायशी प्लाट अथवा फ्लैट उसके स्वामित्व में नहीं है। आवेदकों को फ्लैटों का आबंटन निष्पक्ष जजों/जनता की उपस्थिति में पारदर्शी कम्प्यूटरीकृत ड्रा द्वारा किया जाता है। अपने आश्रितों सहित यदि किसी व्यक्ति को एकाधिक आवेदन प्रस्तुत किये जाने के कारण ड्रा में एक से अधिक फ्लैटों का आबंटन प्राप्त होता है तो उस स्थिति में वह केवल एक ही आबंटन रख सकता है तथा उसे अन्य आबंटन वापिस करने होंगे। इसके अतिरिक्त, जब कभी यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने गलत घोषणा/तथ्यों की गलत ब्यानी से एकाधिक फ्लैट के आबंटन प्राप्त कर लिए हैं तो फ्लैट के आबंटन को रद्द करने हेतु कार्यवाही करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाता है।

फर्जी विश्वविद्यालय

3267. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों का उल्लंघन कर चलाए जा रहे 20 विश्वविद्यालयों की सूची जारी की है जैसा कि 2 अगस्त 2005 के हिन्दुस्तान टाईम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन फर्जी विश्वविद्यालयों के संबंध में लोगों में जागरूकता लाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश ले चुके छात्रों का भविष्य क्या होगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करते हुए चल रहे फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के कार्यकरण पर रोक लगाने के लिए और लोगों तथा छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आकांक्षी छात्रों को यह परामर्श देते हुए प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है कि वे ऐसी संस्थाओं में उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में दाखिला न लें। यह जोर दिया जाता है कि इन फर्जी संस्थाओं की स्वयं को यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय कहने और ऐसी 'डिग्री' प्रदान करने की कोई विधिक सत्ता नहीं हैं जो शैक्षिक प्रयोजन/रोजगार के प्रयोजन से वैध नहीं समझी जाती। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपनी वेबसाइट पर ऐसी फर्जी संस्थाओं की सूची भी दर्शाता है। हाल ही में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस मामले को विभिन्न राज्य सरकारों के शिक्षा सचिवों के साथ भी उठाया है।

विवरण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पता लगाए गए फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं की सूची

बिहार

1. मैथिली यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय, दरभंगा, बिहार

दिल्ली

2. वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) जगतपुरी, दिल्ली
3. कमर्शियल यूनिवर्सिटी लिमिटेड, दरियागंज, दिल्ली

4. यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, दिल्ली

5. वोकेशनल यूनिवर्सिटी, दिल्ली

6. दिल्ली विश्व विद्यापीठ, 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-110009

7. ए.डी.आर.-सेंट्रिक ज्यूरीडिकल यूनिवर्सिटी, हाऊस, 8जे, गोपाल टावर, 25 राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008

कर्नाटक

8. बडागनवी सरकार वर्ल्ड ओपन यूनिवर्सिटी एजुकेशन सोसायटी, गोकाक, बेलगांव (कर्नाटक)

9. हैंडराइटिंग यूनिवर्सिटी इंडिया, नं. 16 चर्च रोड, बसावनगुडी, बंगलौर-560004

केरल

10. सेंट जोंस यूनिवर्सिटी, किशनट्टम, केरल

मध्य प्रदेश

11. केसरवाणी विद्यापीठ, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

महाराष्ट्र

12. राजा अरेबिक यूनिवर्सिटी, नागपुर

तमिलनाडु

13. डी.डी.बी. संस्कृत यूनिवर्सिटी, पुत्तुर, त्रिची, तमिलनाडु,

उत्तर प्रदेश

14. महिला ग्राम विद्यापीठ/विश्वविद्यालय (वूमेन्स यूनिवर्सिटी) प्रयास

15. इंडियन एजुकेशन काउंसिल ऑफ यू.पी., लखनऊ (उत्तर प्रदेश)

16. गांधी हिन्दी विद्यापीठ, प्रयास, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)

17. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रोकाम्पलेक्स होम्योपैथी, कानपुर

18. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस यूनिवर्सिटी (ओपन यूनिवर्सिटी) अचलताल, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)

19. उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय, कोसीकलां, मथुरा (उत्तर प्रदेश)

20. महाराणा प्रताप शिक्षा निकेतन विश्वविद्यालय, प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)

संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन

3268. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं योजनावधि के दौरान संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन हेतु अब तक राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और व्यय की गई है;

(ख) क्या संस्कृत को विद्यालयी पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में शुरू किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या संस्कृत को दूरवर्ती शिक्षा के रूप में भी पढ़ाया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो संस्कृत भाषा को सिखाने वाली संस्थाएं कौन-कौन सी हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सरकार ने संस्कृत भाषा को प्रोन्नति और विकास हेतु तीन सम विश्वविद्यालय नामतः श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली तथा एक स्वायत्त संगठन महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन, स्थापित किए हैं। 10वीं योजना के वर्ष 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 के दौरान 11,778 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है जिसमें से 11588 लाख रु. प्रदान किए गए है। संस्कृत शिक्षा के विकास हेतु केन्द्रीय योजना स्कीम के अंतर्गत भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 10वीं योजना के लिए 6500 लाख रु. की राशि आबंटित की गई है जिसमें से 10वीं योजना के वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान इन स्कीम के अंतर्गत, 3316 लाख रु. दिए गए हैं। इस स्कीम के अंतर्गत दी गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। कक्षा VIII तक पढ़ाई जाने वाली तीन भाषाओं में से एक भाषा संस्कृत है। माध्यमिक स्तर पर संस्कृत दो अनिवार्य भाषाओं में से एक के रूप में या अतिरिक्त भाषा के रूप में तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर कोर या वैकल्पिक भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली दूरस्थ माध्यम से संस्कृत में बुनियादी पाठ्यक्रम संचालित करता है और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली द्वारा मुक्त और दूरस्थ अधिगम पद्धति के माध्यम से माध्यमिक स्तर पर संस्कृत पढ़ाई जाती है।

विवरण

10वीं योजना के वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान संस्कृत के विकास हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रदान की गई राशि (रु. लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	63.83
2.	असम	7.87
3	गुजरात	38.53
4.	हरियाणा	4.80
5.	हिमाचल प्रदेश	380.86
6.	केरल	741.46
7.	कर्नाटक	165.92
8.	महाराष्ट्र	36.89
9.	मध्य प्रदेश	1412.15
10.	मणिपुर	6.44
11.	उड़ीसा	56.07
12.	राजस्थान	10.53
13.	तमिलनाडु	59.65
14.	त्रिपुरा	26.56
15.	उत्तर प्रदेश	58.58
16.	पश्चिम बंगाल	47.18
17.	दिल्ली	132.78
18.	गोवा	0.33
19.	चंडीगढ़	18.59
20.	सिक्किम	44.69
21.	जम्मू-कश्मीर	2.03
22.	छत्तीसगढ़	0.24

भारत-बांग्लादेश व्यापार

3269. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बांग्लादेश के व्यापार घाटे के संबंध में कोई आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भी भारत में और बांग्लादेश में भारतीय निवेश संबंधी व्यापार प्रदर्शनी आयोजित कर दोनों देशों के बीच आर्थिक संपर्क बढ़ाने के लिए बांग्लादेश को आश्वस्त किया है; और

(घ) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने हेतु किस सीमा तक कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि बंगलादेश का व्यापार घाटा कम करने के लिए भारत ने गैर-टैरिफ और अर्द्ध-टैरिफ बाधाओं को हटाने जैसे उपायों के जरिए सहित इस संबंध में बंग्लादेश की चिंताओं का निराकरण करने के प्रति अपनी सदिच्छा जाहिर की है। हाल ही में ढ़ाका में 1-2 अगस्त, 2005 को सम्पन्न संयुक्त कार्यदल की तीसरी बैठक के दौरान गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी), व्यापार सुगमीकरण, द्विपक्षीय व्यापार करार की समीक्षा तथा भारत और बंग्लादेश के बीच मुक्त व्यापार करार की व्यवहार्यता संबंधी अनेक बकाया मुद्दे उठाए गए थे।

(ग) और (घ) भारत व्यापार संवर्धनात्मक कार्यकलापों की व्यवस्था करने में बंग्लादेश की सहायता करता आ रहा है उदाहरणार्थ नई दिल्ली में दिनांक 14-27 नवम्बर, 2004 को आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बंग्लादेश ने रियायती आधार पर भागीदारी की थी। बंग्लादेशी कंपनियों को भी कोलकाता, गुवाहाटी और अगरतला में आयोजित व्यापार मेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भारत और बंग्लादेश द्वारा गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने तथा अपेक्षाकृत अधिक सीमाशुल्क सहयोग के संबंध में हाल में की गई पहलें ऐसे कदम हैं जिनसे एक दूसरे देश में निवेश अधिक होगा, जिसके परिणामस्वरूप दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सुधार होगा।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. के रिक्त पद

3270. श्री रामदास आठवले: क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अ.जा./अ.ज.जा. के व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों के कुछ पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान इन विभागों और उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई है तथा इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष में अब तक विभिन्न श्रेणियों में की गई नियुक्तियों का वर्ष-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी के लोगों की नियुक्तियों और प्रोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया; और

(च) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (च) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय 1.9.2001 को अस्तित्व में आया। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में स्टॉक के संबंध में संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग है। इसलिए, विभिन्न श्रेणियों/ग्रेडों के अंतर्गत सभी प्रोन्नतियों एवं भर्तियां समग्र रूप से की जाती हैं, न कि कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के लिए विशेष रूप से। कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कोई संलग्न/अधीनस्थ कार्यालय अथवा कोई सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है।

[अनुवाद]

गुड़ का निर्यात

3271. **श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में गुड़ का निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार गुड़ के निर्यात को बढ़ावा देने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान गुड़ के निर्यातों की मात्रा और उससे अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार रही है:

वर्ष	मात्रा (मी. टन से)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
2001-2002	364492	423.71
2002-2003	189692	198.91
2003-2004	289795	296.70

स्रोत: एपीडा/डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता

(ख) और (ग) जी, हां। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा विभिन्न स्कीमें चलाई जाती है जिनके अंतर्गत बाजार विकास, अवस्थापना विकास, गुणवत्ता विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा परिवहन के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

पत्थर/रत्न परीक्षण केन्द्र

3272. **श्री ब्रजेश पाठक:**
श्री बालासाहिब विखे पाटील:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय राज्य-वार कितने रत्न/पत्थर परीक्षण केन्द्र चल रहे हैं और उनके नाम क्या-क्या हैं;

(ख) क्या धनराशि की कमी के कारण कुछ केन्द्र बंदी के कगार पर हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्थिरीकरण कोष योजना (स्टेबीलाइजेशन फंड स्कीम) के अंतर्गत रत्न/पत्थर परीक्षण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रायोजित

व्यापार के एक प्रतिनिधि स्वायत्त निकाय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी), मुम्बई द्वारा प्रदान की गई उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में रत्न परीक्षण केन्द्रों के ब्यौरे निम्न प्रकार है:

महाराष्ट्र 1. जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
29, गुरुकुल चैम्बर्स,
187/189 मुम्बादेवी रोड
मुम्बई-400002

2. सेंटस जोवियर्स कॉलेज
जेमोलॉजी डिविजन
जियोलॉजी डिपार्टमेंट
महानगर पालिका मार्ग,
मुम्बई-400001

3. इंटरनेशनल जेमोलॉजी इंस्टीट्यूटस
मित्तल कोर्ट,
नरीमन प्वाइंट,
मुम्बई-400021

4. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वैलरी
बेगमल लक्ष्मीचंद पारीख कैम्पस,
प्लाट नं. 111/2, एमआईडीसी
अंधेरी (पूर्व) मुम्बई-400069

5. पैन रत्न परीक्षण प्रयोगशाला,
पैन जेम इंटरप्राजिज,
10, संगीता, पंचरत्न के पीछे,
ताडीवाला रोड, पुणे-411011

राजस्थान 6. रत्न परीक्षण प्रयोगशाला,
राजस्थान चैम्बर भवन,
मिर्जा इस्माईल रोड,
जयपुर-302003

पश्चिम बंगाल 7. रत्न परीक्षण प्रयोगशाला, सीपीएल
जीएसआई, 27 जे.एन. रोड
कोलकाता-700116

तमिलनाडु 8. रत्न परीक्षण प्रयोगशाला
66, कैथेडरल रोड,
चेन्नई-600086

9. श्री रामकृष्णा रत्न परीक्षण प्रयोगशाला,
70, पेरननगर मेन रोड,
सेलम-600086

10. त्रिची रत्न परीक्षण, प्रयोगशाला
ईपूर काम्पलेक्स,
86, डायमंड बाजार,
त्रिची-620002

आंध्र प्रदेश 11. रत्न परीक्षण प्रयोगशाला,
4-3-346 राजा भगवानदास मार्ग,
बैंक स्ट्रीट, हैदराबाद-500195

केरल 12. रत्न परीक्षण प्रयोगशाला,
केरल मिनरल ई एंड डी प्रोजेक्ट (केरल सरकार)
केशवदासपुरम, पोटम पैलेस,
पीओ त्रिवेन्द्रम-695004

दिल्ली 13. इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट,
''एफ'' ब्लाक, झंडेवालान
फ्लेटिड फैक्ट्रीज काम्पलेक्स,
रानी झांसी रोड, नई दिल्ली-110055

गुजरात 14. इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट,
कटारगाम जीआईडीसी,
सुमुल डेयरी रोड, सूरत-395008

(ख) सरकार को इन राज्यों में रत्न परीक्षण केन्द्रों के इस प्रकार के बंद होने की जानकारी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रत्न परीक्षण केन्द्र को स्थिरीकरण निधि स्कीम के अंतर्गत लाने की सरकार की ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एन.सी.पी.यू.एल. द्वारा डिप्लोमा पाठ्यक्रम

3273. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर एप्लीकेशन और मल्टीलिंगुअल डी.टी.पी. में एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित करने हेतु एम.सी.पी.यू.एल. द्वारा कितने कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) इन कम्प्यूटर केन्दों की स्थापना हेतु क्या मानदंड/तरीका अपनाया गया और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उन पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) एन.सी.पी.यू.एल. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पांडुलिपियों के प्रकाशन किताबों की थोक खरीद और संगोष्ठी/मुशायरा आयोजित करने हेतु गैर-सरकारी संगठनों और व्यक्ति विशेष को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और गैर-सरकारी संगठनों तथा व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्दू के प्रोत्साहन में राज्य-वार कितने अंश-कालिक शिक्षक लगे हैं; और

(ङ) उर्दू के प्रोत्साहन हेतु एन.सी.पी.यू.एल. द्वारा आयोजित 'कुल हिन्द उर्दू मेलों' से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय उर्दू भाषा सवंर्द्धन परिषद ने विगत तीन वर्षों के दौरान 17 राज्यों में 76 कम्प्यूटर एप्लीकेशन और मल्टीलिंगुअल डीटीपी केन्द्र स्थापित किए हैं। इन केन्द्रों को स्थापित करने के लिए अपनाए गए मानदंड/प्रणाली इस प्रकार है: संगठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और उसका पंजीकरण तीन वर्ष पुराना हो, परमार्थ आधार पर शैक्षिक कार्यकलापों में लगा हो; यह प्रमाणिक, क्षमता और सामर्थ्य तथा किसी भी तरह भ्रष्टाचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसका उपयुक्त आधारभूत ढांचा होना चाहिए और संगठन के लेखाओं की राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद द्वारा लेखा परीक्षा की जा सकती है। विगत तीन वर्षों के दौरान कम्प्यूटर केन्द्रों पर खर्च की गई कुल राज्यवार राशि संलग्न विवरण I में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद द्वारा:

(1) पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(2) बड़ी संख्या में पुस्तकें खरीदने के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(3) सेमिनारों के लिए प्रदत्त वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद मुशायरों के लिए वित्तीय सहायता नहीं देती है।

(घ) विगत तीन वर्षों में उर्दू के संवर्द्धन कार्य में लगे अंशकालीन शिक्षकों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-V में दिया गया है।

(ङ) राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्द्धन परिषद ने अभी तक 6 'कुल हिन्द उर्दू किताब मेले', जिनमें से दिल्ली और महाराष्ट्र में दो-दो तथा आंध्र प्रदेश और जम्मू और कश्मीर में एक-एक आयोजित किए।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों (2002-2003 से 2004-2005) के दौरान कम्प्यूटर केन्द्रों पर राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद द्वारा किया गया खर्च

(लाख रुपये में)

राज्य	2002-03 में किया गया खर्च	2003-04 में किया गया खर्च	2004-05 में किया गया खर्च
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	4.91	4.36	-
बिहार	-	8.72	11.1
दिल्ली	4.91	8.72	3.70
गुजरात	शून्य	शून्य	7.40
हिमाचल प्रदेश	4.91	-	-
हरियाणा	4.91	-	3.70
जम्मू-कश्मीर	24.55	34.88	29.6

1	2	3	4
कर्नाटक	9.82	4.36	–
महाराष्ट्र	4.91	8.72	3.70
मध्य प्रदेश	शून्य	4.36	–
पूर्वोत्तर	–	4.36	7.40
उड़ीसा	शून्य	शून्य	3.70
पंजाब	शून्य	4.36	शून्य
राजस्थान	शून्य	4.36	शून्य
उत्तर प्रदेश	29.46	47.96	14.8
उत्तरांचल	शून्य	शून्य	3.70
पश्चिम बंगाल	9.82	–	3.70
कुल	98.2	135.16	92.5

कम्प्यूटर केन्द्रों पर तीन वर्षों में खर्च की गई कुल राशि: 325.86 लाख रुपये

विवरण II

विगत तीन वर्षों 2002-03 से 2004-05 के दौरान पांडुलिपियों के प्रकाशन के लिए लेखकों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	शीर्षक	लेखक	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4
		2002-2003	
1.	इंजीनियरिंग, ड्राइंग गाइड	श्री एम.एस. बख्तियारी पो.बा.नं. 241, जी.पी.ओ. हैदराबाद	17,290 रु.
2.	जदीद तंकीद का मंजरनामा	डा. इरतिजा करीब सी-21, छात्र मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	25,000 रु.
3.	किताब-उत-तकलीस	डा. इकबाल अहमद कासमी, इलमुल अदबिया विभाग, अजमल खान तिब्बिया कालेज, ए.एम.यू. अलीगढ़	13,628 रु.
4.	मुताल-ए- हिन्दुस्तानी	श्री बशीर अहमद नई दिल्ली	25,000 रु.

1	2	3	4
5.	तहरीक-ए-आजादी-ए हिन्द और हिन्दुस्तानी मुसलमान	डा. मुख्तार अहमद मक्की (प्रधानाचार्य)	21,076 रु.
6.	तदरीस-ए-शेरो-ओ-शायरी	डा. गजनफर अली प्रधानाचार्य, यू.टी.आर.सी. लखनऊ	11,511 रु.
7.	उर्दू जबान की तनकीदी तारीक	डा. शमशाद जैदी 4/79, टेरेसा लॉज, बरगोड हाउस, लालडिग्गी, सिविल लाइन्स, पटियाला	25,000 रु.
8.	उर्दू तालीम और स्कूल	श्री फिरोज बख्त, नई दिल्ली	21,076 रु.
9.	केसेंट खबरनामा	केसेंट स्कूल, दरियागंज नई दिल्ली	25,000 रु.
10.	इसरिया-आज-कल (1942-2000)	डा. जमील अख्तर 314, मुनीरका गांव नई दिल्ली	34,425 रु.
11.	अलंमुंतखाब वल मुख्तार फिन नवादीर वल असार	डा. एम.एन. खान, अध्यक्ष, अरबी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	25,000 रु.
12.	अल-हब तेहतुल मित्रा	डा. आयसा कमाल, प्रो. और विभागाध्यक्ष, अरबी विभाग, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	16,724 रु.
		कुल	26,0730 रु.
		2003-2004	
1.	आइना-ए-फल्कियत	श्री मोहम्मद फुरकान मुरादाबाद	18,423 रु.
2.	पावर ट्रांसफारमर डिजाइनिंग एंड वाइंडिंग	श्री एम. नियामतुल्लाह खान, कुरनुल	25,000 रु.
3.	फिजिकल जिओग्राफी	श्री मोहम्मद शमसूल हक, पटना	25,000 रु.
4.	तारीक-ई-अहद-ई-वुस्ता	प्रो. एस.एम. अजीजुद्दीन हुसैन, इतिहास एवं संस्कृति विभाग, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली-110025.	25,000 रु.

1	2	3	4
5.	मुस्लिम अकबरीन (अनुवाद)	डा. जफर अहमद निजामी, नई दिल्ली	25,000 रु.
6.	शरीर काबरी शखसियाल और फन	श्री सईद मोहम्मद दाउद अख्तर काबरी दाउद	11,579 रु.
7.	हैदर बख्श हैदरी हयात-ओ-अदबी, कारनामे, खंड-I और II (नख-ओ-नज्म)	डा. शीमा रिजवी लखनऊ, उत्तर प्रदेश	25,000 रु.
8.	इजहार-ए-ख्याल	श्री गुलाम नबी ख्याल, 15, रावलपुरा हाउसिंग कालोनी, श्रीनगर, कश्मीर	14,192 रु.
9.	फारुकी मह-ओ-गुफतगू	डा. बदीउद्दीन, नई दिल्ली	25,000 रु.
10.	कुर्रातुल-एन-हैदर से बातचीत	डा. जमील अख्तर नई दिल्ली-67	25,000 रु.
11.	तजकिरा-ए-उर्दू मकतुतात खंड II और III	इदारा-ए-अदबिआत-ए-उर्दू, आइवान-ए-उर्दू पंजगुता, हैदराबाद आंध्र प्रदेश	25,000 रु.
12.	दीवान ए जफर जट्टाली	प्रो. रशीद हसन खान उत्तर प्रदेश	25,000 रु.
13.	नई फुलबारी (बच्चों के लिए)	डा. महबूब राही, उत्तर प्रदेश	11,244 रु.
14.	इस्लामी कहानियां (उर्दू) (बच्चों के लिए)	श्री एहतेशामुद्दीन सिद्दकी, उ.प्र.	11,579 रु.
15.	जानवर	डा. अहसानुल्लाह अहमद पटना	11,244 रु.
16.	कौमी वतनी शायरी का मंजरनामा खंड-I	डा. मंजर एजाज, पटना	25,000 रु.
17.	तिब्बी शाहेफ	एच.के. अशार कादिर नई दिल्ली-25	15,195 रु.
18.	कश्मीर का इतिहास और संस्कृति	श्री बिजय साकी नई दिल्ली-23	22,207 रु.

1	2	3	4
19.	अल्लामा इकबाल चन्द जहतेन	डा. मुख्तार अहमद मक्की झारखंड	17,848 रु.
20.	तारीख हसनपुर (हमारी तहजीब के आइने में)	डा. तनकीर अहमद खान दिल्ली	25,000 रु.
21.	मोलाना आजाद की साइंसी बसीरात	प्रो. एस.ए. बाहव प्रभारी कुलपति मोलाना आजाद राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, हैदराबाद	17,532 रु.
22.	कैफी आजमी (फन और शख्सियत)	श्री शाहिद महेली	25,000 रु.
23.	उर्दू और हिन्दी जबान कर इरतिका और उनका लसनियाती रिश्ता	डा. नजमूस सेहर नई दिल्ली-25	25,000 रु.
24.	अरबाव ए उर्दू तहरीर-ओ-तस्वीर के आइने में	डा. असमां रिफात हुसैन 91, बागमुन्नू, नया गांव लखनऊ	24,113 रु.
25.	असलाहे सिक्के और डाकटिकट में इस्लानियत	श्री वाहिद नजीर, पटना	25,000 रु.
26.	दिल्ली में क्लासिकी उर्दू गजल	श्री मोहम्मद जाकिर 496, गली टीकावली चूड़ीवालान, जामामस्जिद दिल्ली-6	13,310 रु.
27.	शाहवलीउल्लाह और दीगर मुफ्फासिरीन के मफाहिज का तक्काबुली मुटेला	डा. एम.साउदआलम, एफ/ओ वियोलॉजी, ए.एम.यू., अलीगढ़	22,496 रु.
28.	अहद-ए-मुगलिया में फारसी तारीक नवेशी	डा. जैड ए. पटेल कलन्दरिया उर्दू जूनियर कालेज मंगरूलपीर, जिला वाशिम एम.एस.	22,043 रु.
29.	तरक्की पसंदी, जदियादियात और मा-बाद जादियादियात	श्री अतर अजीज सेने बिल्डिंग, द्वितीय तल, नानाभाई लेन, फ्लोरा फाउंटेन, मुम्बई 400001	25,000 रु.

1	2	3	4
30.	रोल आफ वीमिन इन दि डेवलपमेंट आफ अरबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर थ्रू दि एजेज	डा. फरहाना सिद्दीकी जे.एम.आई., नई दिल्ली	25,000 रु.
31.	कसर-उल-असनान	प्रो. अफजल उररहमान जे.एम.आई., नई दिल्ली	15,173 रु.
32.	इबलाघियत	डा. मोहम्मद शाहिद हुसैन जे.एन.यू., नई दिल्ली	25,000 रु.
33.	इशारिया दिलगुदाज	श्री मोहम्मद कमर सलीम	17,241 रु.
34.	तशीह लिसान-अल-अरब-(अरबी)	प्रो. एम.एन.खान, दिल्ली	9,065 रु.
35.	अमाथील-उ-कश्मीर (अरबी)	डा. एम.एम.एच. नदवी श्रीनगर	25,000 रु.
36.	प्रैक्टीकल एप्रोच टू दि अरेबिक लैंग्वेज (ए बुक आफ ग्रामर एंड एक्सरसाईज) (अरबी)	डा. वली अख्तर सी-125/3 अबुल फजल एनक्लेव, नई दिल्ली-25	25,000 रु.
		कुल	75,69,52 रु.

2004-05

1.	लर्न उर्दू विद, इन ए वीक	डा. सबीहा नसरीन हैदराबाद	22,137
2.	मुर्शिदाबाद लाइब्रेरी के उर्दू मख्तूतत की तौजीही फरहंग	डा. उमर गजली उर्दू विभाग, मौलाना आजाद कालेज, कोलकाता डब्ल्यू बी.ई.एस.	15,515
3.	मेरी आवाज सुनो	श्री शाहिद माहुली नई दिल्ली	25,000
4.	कवानीन-ए-तहफ्फुज-ए-सेरेफीन (उपभोक्ता संरक्षण कानून)	श्री ख्वाजा मुन्तकिम (एडवोकेट) नई दिल्ली	25,000
5.	कौवा झूठ बोलता है (बाल)	श्री मोहसिन खान लखनऊ	10,536
6.	खेल खेल में (बाल)	डा. मुजफ्फर हंफी डी-40, बाटला हाऊस, नई दिल्ली-25	10,331

1	2	3	4
7.	मेरी तनकीद और इसलाहें	जाकिन उस्मानी नगझीरी वार्ड, रावर, जिला जलगांव महाराष्ट्र	16,597 रु.
8.	जोगिन्दर पाल की कहानियां	प्रो. जोगिन्दर पाल	17,311 रु.
9.	मासूम मोहब्बत (बाल)	श्री रहीम रजा खिर्नी पुरा, यावल जिला-जलगांव-425301	8038 रु.
10.	साजिश (कहानी) (बाल)	श्री वकील नजीब नजीब मंजिल, लाल स्कूल के पास, मोमिनपुरा, नागपुर	10,331 रु.
11.	इकबाल के उर्दू कलाम की मबसूत फरहंग-ए-उर्दू	डा. सैयद सादिक अली उर्दू लेक्चरर, राजकीय स्नातकोत्तर कालेज, टोंक राजस्थान	25,000 रु.
12.	उर्दू नस्त्र-एक मुताला (आरंभिक चरण से उर्दू पद्य का अध्ययन)	श्री काजी मुश्ताक अहमद बी/6, रेवेन्यू सोसायटी, 9 सी.एस. कालोनी पुणे-411007	12097 रु.
13.	सैयादुत सदात मखदूम जहानिया	श्री तन्हा निजामी मार्फत सुहैल बुखारी, 173/2 आखेला गांव	15,515 रु.
		योग	2,13408 रु.

विवरण III

वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक पुस्तकों को थोक खरीदारी के लिए राष्ट्रीय उर्दू भाषा संवर्धन परिषद द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	लेखक/संस्थान	शीर्षक	दी गई राशि
1	2	3	4
		2002-03	
1.	डा. सबीर संभाली, मुरादाबाद	नकद वा बसर	2250
2.	डा. एम. शर्फुद्दीन साहिल नागपुर	नागपुर का मुस्लिम मुआसरा, खंड-III	3750
3.	इरफान अब्बासी, लखनऊ	तज्कीरा शोयरा, उत्तर प्रदेश	5625

1	2	3	4
4.	डा. गुलाम कुददुस फहमी, मधुबनी	आईना-ए-इकबालियत: खंड-I	2812.5
5.	मोहम्मद इसा आजमी, आजमगढ़	सात आसमां और उसकी बुलंदिया	6562.5
6.	मोबाशिर करीमी, अलीगढ़	तर्जुमां ''फौक करीमी नं''	3750
7.	श्रीमती नुरूलेन अली, मुम्बई	वो बोलते क्यों नहीं	1875
8.	मोहम्मद मुजिबर रहमान बज्मी, रांची	सच्ची मोती	4125
9.	अमीरूद्दौला पब्लिक लाइब्रेरी	तारीख-ए- सादत	9375
10.	डा. मजहर अहमद, दिल्ली	आजादी के बाद उर्दू शायरी में तन्जो मिजाह	8437.5
11.	सैयद शाहिद इकबाल, गया	तजकीरा महदवान	2250
12.	मोहम्मद खालिद अली, बिलासपुर	कुल्लियत-ए-मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद	7500
13.	डा. इकबाल ए. कास्मी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	किताबुल मुफीदत	7031.25
14.	अरशद मसूद हाशमी, गोपालगंज	नफ्सी तजुर्बे और अदबी तखलीक	4687.5
15.	अंसार मोहम्मद शाहीन, मालेगांव	अदीबुल अतफाल: एम. युसुफ अंसारी: हयात और कारनामे	4687.5
16.	मो. युसुफ तैयंग, कश्मीर	जस्ता जस्ता	1687.5
17.	डा. एम.एम. शेख, औरंगाबाद	साईस सोई	5625
18.	मौ. नुरूद्दीन खान, हैदराबाद	कलाम साफी में एख्तलाफी अशार	750
19.	रहीमनी सलीम अहमद, मालेगांव	आलमी मालूमात	1125
20.	डा. के.सी. कंदा, दिल्ली	मॉस्टर कप्लेट्स ऑफ उर्दू पोएट्री	13125
21.	वकील नजीब	पांच भाई	4500
22.	डा. हनीफ सैफ हाशमी, शिमोगा	ए क्रिटिकल सर्वेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द ग्लोरियस कुरान इन उर्दू वर्स	6000

1	2	3	4
23.	मसरूर हाशमी, दिल्ली	तालीम का सफर	3750
24.	रऊफ खैर, हैदराबाद	किन्तर	7500
25.	मौलाना अताउर रहमान कासमी, दिल्ली	हिन्दू मन्दिर और औरंगजेब के फरमान	1500
26.	डा. शबाना नजीर, दिल्ली	नजर-ए-रिफात सरोश	9375
27.	संपादक, मुम्बई	स्कूल टाइम्स, मासिक	10500
28.	मो. अमन अली साकिब सबरी हैदराबादी	शान मखदूम सबीर पाक	4875
29.	कौसर मजहारी, दिल्ली	जावाज-ओ-इंतेखाब: 80 और बाद की गजलें	11250
30.	संपादक, रामपुर	बच्चों का हिलाल	5250
31.	डा. भास्कर राज सक्सेना, हैदराबाद	हैदराबाद के अदबी रतन	11250
32.	शेख सलीम मोहम्मद, जलगांव	अयादत या मुसीबत	4500
33.	डा. तनवीर अहमद अल्वी, दिल्ली	जुनूब मगरबी आरिया में हमारा तहजीबी वर्सा	11250
34.	मो. रमजान अब शकूर, नासिक	तार्रुफ-ए-मौसिकी	3000
35.	प्रो. मुहीउद्दीन बोम्बेवाला, अहमदाबाद	गुजरात में इल्मी व अदबी सरगर्मियां	9375
36.	जी.के. मानकतला, मुम्बई	प्रेमचन्द्र का सेकुलर किरदार और दीगर मजमीन	11250
37.	डा. मुग्नी तब्स्सुम, हैदराबाद	शायर-ओ-हिकमत	11250
38.	मजहर ईमाम, दिल्ली	निगारीशात आरजू जलीली	7031.23
39.	अदील हयात, दिल्ली	छोटी गुड़िया	1575
40.	डा. असलम जमशेदपुरी, दिल्ली	जादीदीयात और उर्दू अफसाना	5625
41.	डा. ताबिश मेहदी, दिल्ली	ताहिर तिलहाकी शख्स और शायर	7500
42.	अदील असीर, दिल्ली	बच्चों के इकबाल	3000
43.	डा. दीपक जोशी, ऋषिकेश	जियाबीतिस	5100
44.	डा. शकीलुर रहमान, गुडगांव	मंटो शानसी	9375
45.	जफर अहमद सिद्दिकी, अलीगढ़	मौलाना शिबली बहैसियत सीरत निगार	9375
46.	अब्दुल्ला रशीद सिद्दीकी, मालेगांव	उर्दू मजूम नवेसी मा कवायद	3937.5

1	2	3	4
47.	मुनव्वर पीरभोए, पुणे	पुणे का मुसलमान	11250
48.	शबीब अनवर अल्वी, लखनऊ	हकीकत-अल-हकीक	1500
49.	कुतुब खाना अनवरिया, लखनऊ	मनाकिब-उल-मुर्तजा मिन मवाहिब-अल मुस्तफा	15000
50.	ताहिर महमूद, दिल्ली	जुर्रत-ए-रन्दाना	14062.5
51.	प्रो. अकबर रहमानी, जलगांव	गुफ्तगू	11250
52.	रशीद खलील, अलीगढ़	आसमॉ-ए-आसमॉ	11250
53.	सुल्तान आजाद, पटना	सांचों को आंच नहीं	3000
54.	साहिल अहमद, इलाहाबाद	गजल पसमंजर	15000
55.	एमएकेएए और पीआरआई, टोंक	तजीकिरातुल औजान	2775
56.	एमएकेएए और पीआरआई, टोंक	खजीनातुल मख्तूतत खंड-V, I	10350
57.	एमएकेएए और पीआरआई, टोंक	आईना-ए-खुर्शिदनुमा	6187.5
58.	जी-एन-मोमिन, कल्याण	रौशन सितारे	4500
59.	मिस्न मरयम, कश्मीर	हामिद काश्मीरी, हयात और शायर	11250
60.	ए.ए. सौदागर, धारवाड	मोह्सिन बा कमाल: अब्दुर रहमान दिलवई	4500
61.	डा. जमील अख्तर दिल्ली	इस्मत चुगताई नकद की कसौटी पर	11250
62.	गालिब संस्थान, दिल्ली	दाग दहलवी	1875
63.	गालिब संस्थान, दिल्ली	मिर्जा मो. रफी सौदा	5625
64.	गालिब संस्थान, दिल्ली	गालिब और अहद-ए-गालिब	5625
65.	गालिब संस्थान, दिल्ली	गालिब की फारसी शायरी	5625
66.	डा. निशात वहाब, अहमद नगर	अहमदनगर दक्कन में उर्दू	4687.5
67.	ख्यार हसन, मुम्बाई	हिन्दी सीखिए उर्दू के जरिए	3000
68.	डा. सैयद शाहिद अली, जामिया मिलिया इस्लामिया	मुसलमानन-ए-हिन्दी	9000
69.	अहमद उस्मानी, मालेगांव	मोती की वापसी	900
70.	डा. जावीदा हबीब, चेन्नई	शुमाली आर्कोट, वनियमबदी अम्बूर, उमरबाद पेरमपेट में उर्दू	11250

1	2	3	4
71.	अलीब सबा नावेदी, चेन्नई	ख्वातीन तमिलनाडु की दीनी व इल्मी खिदमत	12000
72.	श्रीमती तनवीर सिद्दकी, भोपाल	भोपाल तस्वीर के "आईने में"	3750
73.	नवाक हमजापुरी, गया	तदब-ए-अदब	8437.5
74.	डा. इब्ने कंवल, दिल्ली	दस्तान से नोवेल तक	10500
75.	शोएब शम्स, मोतिहारी	शकिलपुर रहमान एक लैजेंड	12000
76.	अब्दुल अजीम सिद्दीकी, दिल्ली	हिदायत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2000	13500
77.	एम. शमीउद्दीन, अलीगढ़	चंद कदम घर से	1500
78.	डा. परवेज अहमद वानी, कश्मीर	उमराव जान अदा का तहजीबी मुताला	11250
79.	अंसारी इम्तियाज कैसर, मालेगांव	सितारे परचम तले	3000
80.	मजीद मुजमार, श्रीनगर	रंग बातें करें	10500
81.	प्रो. इफ्तीकार आलम खाँ, अलीगढ़	सर सैयद और फन-ए-तमीर	13125
82.	मदन गोपाल, 01	प्रेमचन्द्र की आपबीती	15000
83.	डा. जी वाई अंजुम, दिल्ली	तारीख माशेख कादिस्या-खंड-2	13125
84.	गुर्जर देश चैरीटेबल ट्रस्ट, जम्मू	शाहने-ए-गुर्जर	15000
85.	डा. अलीम अशरफ खान, दिल्ली	हयात वा इल्मी खिदमद-ए-शेख अब्दुल हक मुहादिस	12000
86.	डा. मल्लिका बी. मिस्त्री, पुणे	किरतास सदाकत	2250
87.	अल्ताफ अहमद आजमी, दिल्ली	खतबत-ए-इकबाल इक मुतालिया	7500
88.	शमीनूल हक, बिहार	तरीका तालिम उर्दू	3750
89.	गजानफर अली, लखनऊ	जबान ओ अदब का तदरीसी पहलू	9000
90.	प्रो. शाह मोहम्मद वसीम, ए.एम.यू.	सर-सैयद माशी अफकार और तारकीयती मंसूबे	7500
91.	असमा रफत हुसैन, लखनऊ	अरबाब उर्दू तहरीर-ओ-तस्वीर के आईने में, खंड-IV	5625
92.	अनवर कमाल हुसैनी, दिल्ली	सोने का महल	5250

1	2	3	4
93.	नन्द किशोर विक्रम, दिल्ली	आलमी उर्दू अदब 2001	13125
94.	डा. हाफिज अब्दुल मन्नान "तरजी" दारबानहा	रफ्तगान-ओ-कीमा	16875
95.	मजीद अनवर, नासिक	वह कौन था	900
96.	प्रो. अब्दुल कलाम कासमी, ए.एम.यू.	शायरी की तनकीद	11250
97.	रियाज अहमद, ओखला	फसलाती तालीम और उर्दू हिन्दुस्तानी पास मंजर में	11250
98.	डा. एम. अशरफ शाह, श्रीनगर	ल्यूकोडर्मा	5625
99.	डा. मोहम्मद शोएब, गोरखपुर	लखनऊ में उर्दू नसर 1800 से 1850	11250
100.	डा. इलयास सिद्दकी, मालेगांव	मालेगांव में उर्दू नसर निगारी	11250
101.	फाहिम मोहम्मद जन फिराज, मोतिहारी	उर्दू और बंगला अफसाने पर तकसीम हिन्द का असर	9375
102.	डा. तसकीना फाजिल, श्रीनगर	फाजिल कश्मीरीः शक्स और शायर	16500
103.	खुर्शीद अहमद, अलीगढ़	मतन-ओ-मानी	9375
104.	डा. यूसुफ ताकी, कोलकाता	तमहीस ओ ताजिया	11250
105.	डा. मोहम्मद शाहिद हुसैन, जे.एन.यू.	ड्रामा फज और रूआयत	6825
106.	डा. श्रीमती एम.ए. दल्वी, मुम्बाई	कोकण और मुम्बाई के लोकगीत	15000
107.	डा. नोशबा सरदार, दिल्ली	बीसवीं सदी में उर्दू तंकीद का इर्तेका, खंड-I	15750
108.	डा. आफताब अहमद अफाकी, दिल्ली	क्लासिकी नस्र के असलीब	10500
109.	अली जवाद जैदी, लखनऊ	अहल-ए-काबिला	18750
110.	बाबा फरीद एजुकेशन सोसाइटी, अमरोहा	हजरफ शेख सदरूद्दीन मोहम्मद याकुब झंडा शहीद	3000
111.	प्रो. निसार अहमद फरूखी, जामिया नगर	अनवार-ए-कुरान	6750
112.	प्रो. अतिकउल्लाह, डी.यू.	तर्जीहत	26250
113.	प्रबंध संयोजक, इलाहाबाद	हिन्दुस्तानी तहजीब का मर्दे-अहानः डा. मुरली मनोहर जोशी	28125

1	2	3	4
114.	डा. अकील अहमद, गाजियाबाद	फन-ए-तजमीन निगारी: तंकीद वा ताजिया	12000
115.	डा. वजाहत हुसैन रिजवी लखनऊ	उर्दू नावलेटो का तहकीकी वा तंकीदी ताजिया	11250
116.	मोहम्मद नूरूल इस्लाम निस्तर, दरभंगा	सैयाल लहरें	7500
117.	सचिव, उमीरुद्दोला पब्लिक लाइब्रेरी, लखनऊ	बुरहानुल-उस्तरलाब	8437.50
118.	अखलाक अहमद अहां, जे.एन.यू., दिल्ली	मसाला-ए-तामसी देर अदाबियत-ए-फारसी	9375.00
119.	शफी अहमद हाशिम, जे.एन.यू., दिल्ली	द रोल ऑफ वक्फ इन सोशल डेवलपमेंट	8437.50
120.	आर आई फयां, जे एम आई दिल्ली	द एसेंशियल अरेबिक: ए लर्नर'स प्रैक्टिकल गाइड	9000.00
121.	रेहना खातून, डीयू, दिल्ली	इरानी के मन दीनम	3750.00
122.	फरहाना, सिद्दकी, जे.एम.आई., दिल्ली	कन्ट्रीब्यूशन आफ वीमेन टू अरेबिक लिट्रेचर	8437.50
123.	एस.बी.एफ. हुसैनी, दिल्ली	लाहैआत-ए-सिकन्दर शाही, खंड-I	11250.00
124.	प्रो. मोहम्मद असलम खान, दिल्ली	तजकीरा-तु-शोआरा	9000.00
125.	डा. जुबैर अहमद फारूकी, जे.एम.आई. दिल्ली	कन्ट्रीब्यूशन टू दारूल उलम देवबन्द	9000.00
		योग	1023956.50

2003-04

1.	रशीद सिद्दकी, मालेगांव (एम एस)	वैल्यू एजुकेशन	2625.00
2.	मजीद मुजमार, श्रीनगर (ज. एंड क.)	कश्मीर में ड्रामा	7875.00
3.	प्रो. अकबर रहमानी, जलगांव (एम एस)	माइक्रो टीचिंग	2250.00
4.	रौफ शेख कादिर, जलगांव (एम एस)	उजाले अपनी यादों के	7500.00
5.	डा. पी एम रहमानी, मालेगांव (एम एस)	हाफ्त रंग	9000.00
6.	शमीम तारिक, मुम्बई (एम एस)	गालिब और हमारी तहरीक-ए-आजादी	7500.00
7.	रशीद अनवर रशीद, जमशेदपुर	नये अफसाने का मानवी इस्तीरा	8438.00
8.	डा. प्रवीण फातिमा, चेन्नई (टी.एन.)	सहाफत: फन्नी वा इर्तेका साफर	7500.00
9.	नईम गुलशन रैना, रजौरी (ज. व क.)	नक्श-ए-नामाम	8438.00
10.	सचिव, उड़ीसा	उड़ीया जबान के नुमाइन्दा अफसाने	6000.00

1	2	3	4
11.	डा. एसजीआई हैदर, कोलकाता (प. बं.)	सईद हुरमातु इकराम: हयात वा खिदमत	7500.00
12.	गुजाम हसन मीर, बारामुल्ला (ज. व क.)	मौजूदा दौर में साइंस के करीशमात	9375.00
13.	नीलोफर नाज नाहरी, श्रीनगर (ज. व क.)	गनी कश्मीरी: हयात और शायरी	9844.00
14.	इदारा-ए-हसनत, रामपुर (यू.पी.)	हिलाल (मासिक)	9000.00
15.	डा. मोहम्मद असलम परवेज, नई दिल्ली	उर्दू साइंस (मासिक)	11250.00
16.	डा. तसखीर फेहमी, दिल्ली	रिसाला रहनुमा-ए-तालीम (मासिक)	7500.00
		योग	121595.00

2004-05

1.	जनाब शेख हुसैनुल हक, गया	आसार-ए-हजरत वासी	3750.0
2.	अब्दुल हनान सिवानी, लखनऊ	इरफान अब्बासी: हयात वा खिदमत	5625.0
3.	जनाब अलीफ अंसारी, कोलकाता	साईरात-ए-बंगाल: हयात वा खिदमत	5625.0
4.	जनाब सैयद अहमद कादरी, गया	अंजुम मैनपुरी: फनकार से फन तक	3750.0
5.	जनाब जफरूल इस्लाम इस्लाही, अलीगढ़	सलतीन-ए-दिल्ली और शरीयत इस्लामिया एक मुक्तसर जैयजा	5625.0
6.	डॉ. कलीम जिया, मुम्बई	लालची बैरा	1687.5
7.	जनाब इकबाल नियाजी, मुम्बई	दस रंगी तमासे	3750.0
8.	जनाब रफीक गुलाब, मुम्बई	आओ चांद पर चलें	1875.0
9.	प्रो. कासिम इमाम, मुम्बई	खेल तमाशा	5625.0
10.	जनाब इनायत अली, औरंगाबाद	याद-ए-वज्द	9000.0
11.	डॉ. मोहम्मद जाकिर हुसैन, पटना	अफकार-ए-जाकिर	5625.0
12.	डॉ. मोहम्मद तैयब अंसारी, हैदराबाद	डा. मोहम्मद तैयब अंसारी: शख्स और अक्स	6750.0
13.	मोहम्मद तैयाब देहलवी, दिल्ली	अंग्रेजी तरजुमा-ए-का फन	9000.0
14.	डॉ. तबीश मेहदी, नई दिल्ली	शफीक जौनपुरी: एक मुतला	7500.00
15.	डॉ. मोहम्मद गुफरान, पुणे	फार्माकोलॉजी	7500.0

1	2	3	4
16.	जनाब मोहम्मद जईम आबादी, देवबंद	अंग्रेजी ग्रामर	7500.00
17.	दाबिर अहमद, कोलकाता	अजान-ओ-इसखास	5625.0
18.	प्रो. मकबूल अहमद, कोलकाता	सदा-ए-जरास	6000.0
19.	जनाब ख्वाजा रब्बानी, नागपुर	अचलपुरः तारीख और सकाफत	4687.5
20.	जनाब मोहम्मद कय्यूम मेव, मुम्बई	नन्ही गुड़िया	2250.0
21.	डॉ. रईस अहमद आजमी, आजमगढ़	रईस मीटरिया मेडिका	9843.8
22.	जनाब सुहैल अहमद फारूकी	बीसवीं सदी का मिजाज	5625.0
23.	जनाब काजी अफजल हुसैन, अलीगढ़	रक्स-ए-सहरा	6750.0
24.	डॉ. ख्वाजा अफजल इनाम, पटना	मजमीन अफजल	3750.0
25.	डॉ. अब्दुल अजीज इरफान, अकोला	श्मा फरोजां	2250.0
26.	जनाब मोहम्मद सनौल्ला नादवी	क्लासिकी अदबियत यूरोप पर इस्लाम का असर	9375.0
27.	डॉ. खालिक अंजुम, दिल्ली	रोशनी के मीनार	7500.0
28.	जनाब मोहम्मद रफीक, वावत	हमारी अजीम शख्सियतें	1500.0
29.	अल्ताफ हुसैन हालीः तहकीकी व तनकीकी जायजे	गालिब इंस्टीट्यूट, दिल्ली	10500.0
30.	जनाब काजी मुश्ताक अहमद, पुणे	उर्दू शायरीः मीर से परवीन शाकिर तक	7500.0
31.	संजय गोडबोले, पुणे	दीवान मीरः (दोयम)	10125.0
32.	जनाब इफ्तिखार आलम खान, अलीगढ़	मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कहानी	7500.00
33.	प्रो. सैयदा जफर, हैदराबाद	तारीख अदब उर्दूः 4 खण्ड	37800.0
34.	डॉ. हसन रजा, रॉंची	शीन मुजफ्फरपुरीः शख्सियत और फन	7500.0
35.	प्रो. एम.आई. काजी, पुणे	गुबार-ए-खातिरः एक मुताला	4500.0
36.	डॉ. हबीबुर रहमान नियाजी	मोहम्मद अली शाह, मैकश अकबराबादीः हयात और कारनामे	9750.0
37.	डा. नदीम अहमद, दिल्ली	तरक्की पंसदी, जदीदियात माबाद जदीदियात	6750.0
38.	जनाब वहीद इमाम, जलगांव	मासूम एहतजाज	1875.0
39.	जनाब एम. हमाग हसनी नादवी, रायबरेली	मकतूबातः मौलाना सैयद अब्दुल हसन आला नादवी	6000.0
40.	जनाब सैयद बिलाल अब्दुल हाय, रायबरेली	सार्वंग मुफक्किर इस्लामः हजरत मौलाना अब्दुल हसन आला नादवी	5850.0

1	2	3	4
41.	नाब एम राबे नादवी, लखनऊ	गुबार कारवां	5250.0
42.	प्रो. शमीम अख्तर, वाराणसी	औराक परेशॉ	8437.5
43.	डा. मोहम्मद मोहसिन, पटना	लम्हों का कारवॉं	9000.0
44.	जनाब शीश मोहम्मद इस्माइल आजमी, दिल्ली	दराशत इस्लामिया के फरोग में हिन्दुओं का हिस्सा	9375.0
45.	जनाब जमाल ए. खान, दरभंगा	मजहर इमाम: नए मंजर नामे में	6750.0
46.	जनाब एस. एजाज हसनैन, शाहिबाबाद	तलाश-व-जुस्तजू	7500.0
47.	जनाब मोहम्मद तकी अली आबिदी, लखनऊ	इक्द सुरैया (उर्दू)	7500.00
48.	जनाब मिर्जा आगा बेग, औरंगाबाद	वली औरंगाबादी (खंड-II)	7500.0
49.	जनाब इजहार खिजार, पटना	इरतियाश कलाम	7500.0
50.	जनाब एम. ओबैदुल्लाह कती नादवी, दिल्ली	अल्लमा बुरहान हरगयाणवी: साहब हादया	1875.0
51.	सचिव, गाल्बि अकादमी, दिल्ली	तालमीहात गालिब	5625.0
52.	डा. अबू सूफयां इस्लाही, दिल्ली	असरी और इस्लामी तसव्वुर अमन: एक तकाबली मुतला	8250.0
53.	जनाब फक-ए-आलम आजमी, हैदराबाद	अमजद गजनवी: बज्म शिबली की आखिरी शमा	7500.0
54.	जनाब रईस रामपुरी, रामपुर	रोहिलखंड उर्दू लोगात	3750.0
55.	जनाब एफ.एस. एजाज, कोलकाता	मौकीफ	9375.0
56.	जनाब अताउर रहमान कासमी, दिल्ली	जमारूल कुरान	9000.0
57.	जनाब लियाकत रहमान, दिल्ली	हयात-ए-अजमाल	7500.0
58.	जनाब कासिम फरीदी, औरंगाबाद	ऐतबार-ए-नजर	3750.0
59.	जनाब इब्राहिम अश्क, मुम्बई	अंदाज बयॉं और	3750.0
60.	जनाब मसूदुल हक, दिल्ली	तालीम समाज, उस्ताद: उस्तादों की तरबियत या तालीम?	6750.0
61.	जनाब आबाद जाफरी, नैनीताल	अटल बिहारी वाजपेयी: शख्सियत और खिदमत	9375.0

1	2	3	4
62.	जनाब रफीफुद्दीन नसीर, औरंगाबाद	तजुर्बात हयातयात (कक्षा XII की विज्ञान के लिए)	2250.0
63.	जनाब फारूक अर्गली, दरियागंज	डा. हरिवंश राय बच्चन: फन शख्सियत	3750.0
64.	जनाब जे.ए. वाजिद, दिल्ली	कशफुल अल्फाज दीवान गालिब	9000.0
65.	जनाब निदा फाजली, दिल्ली	चेहरे	9750.0
66.	जनाब असलूब अहमद अंसारी, अलीगढ़	गजल तनकीद: वली दकनी से इकबाल और मा-बाद इकबाल तक	9000.0
67.	प्रो. शाह मकबूल अहमद, कोलकाता	शख्सियत व तस्सुरात	9000.0
68.	प्रो. युसूफ तकी, कोलकाता	मुर्शिदाबाद के चार क्लासिकी शोरा	5625.0
69.	एम.ए.के.ए.ए. एण्ड पी.आर.आई., टोंक	किताबुल तलाक	7350.0
70.	जनाब मोहम्मद असीमुल कादरी, दिल्ली	रहनुमा-ए-मजारत दिल्ली	6750.0
71.	डा. रफीउल्लाह अहाबाबाद	अदीब-ओ-आबाद	9000.0
72.	जनाब साहिल अहमद, दिल्ली	नज्म निजारां	9000.0
73.	सुश्री मूनिस शहर, भोपाल	अदबी तकीक-ए-तनकीद	9375.0
74.	डा. शेख अकील, गाजियाबाद	मुगीसुद्दीन फरीदी और कतात-ए-तकीक	9000.0
75.	डा. मोहम्मद अताउल्लाखान, हैदराबाद	सुखनवारा-ए-अहदे-महबूबिया	9000.0
76.	डा. राजी हैदर, मुजफ्फरपुर	उर्दू अदब की तहरीकात और नजरियात की तदरीस	6562.5
77.	जनाब सुल्तान आजमी, मऊ	मा-फुकुल फितरत	7500.0
78.	डा. एम. नसीम आजमी, मऊ	तालीमी तजजीया	7500.0
79.	जनाब अनिल चंद्रा, दिल्ली	अजीम है इंसान	7031.3
80.	जनाब चरणदास सिंधु, दिल्ली	भगतसिंह शहीद	9562.5
81.	डा. रजिया हमीद, भोपाल	मोहम्मद अहमद सब्जवारी: फन और शख्सियत	6562.5
82.	जनाब एम. एस. उसमानी एंड सुधीन्द्र कुमार, दिल्ली	उर्दू हिंदी शब्द कोष	18000.0

1	2	3	4
83.	जनाब मोहम्मद अली, दिल्ली	अजमत हिन्दुस्तान और अहद-ए-वास्ता	7500.0
84.	डा. खुर्शीद आलम, नोयडा	रोमन उर्दू/हिन्दी डिक्शनरी	9750.0
85.	जनाब वसीम मिनाई, शाहजहांनगर	शाहजहांपुर में उर्दू अफसाना	5625.0
86.	जनाब मोहम्मद अली, कोलकाता	बदलते जाइए	5625.0
87.	जनाब मिसबा अहमद सिद्दिकी, अमरोहा	तजकिरा उलामा अमरोहा	9375.0
88.	जनाब निगार अजीम, दिल्ली	मंटो का सरमाया फिक्र-ओ-फन	9450.0
89.	जनाब बी. शेख अली, मैसूर	नूर-ए-बसीरथ	1500.0
90.	जोस व फिराक लिटरेसी सोसायटी, इलाहाबाद	इसारत	9000.0
91.	प्रो. मोहम्मद हसन, दिल्ली	आखिरी सलाम	9000.0
92.	प्रो. अब्दुल हक, दिल्ली	मौलाना अब्दूल कलाम आजाद: अफकर व असालिब	9000.0
93.	जनाब मौलाना सैयद सहवार हुसैन, अमरोहा	तजकिरा उलामा अमरोहा	2812.5
94.	जनाब रसीदुद्दीन, हैदराबाद	चोर पे मोर	5625.0
95.	डा. अतलाफ अहमद आजमी, दिल्ली	आहया-ए-मिलात	7875.0
96.	डा. मोहम्मद ताहिर, आजमगढ़	मुस्ताक अहमद यूसुफी के अदबी खिदमत	5625.0
97.	हाजी गुलाम मोहम्मद आजम एजुकेशनल ट्रस्ट पुणे	अली सरदार जाफरी: शख्स शायर और अदीब	9000.0
98.	जनाब सफिल अदीब, हैदराबाद	माता-ए-फिक्र-ओ-नज्र	6750.0
99.	डा. एम. सौद आलम कासमी, अलीगढ़	मिन्हाज-उल-तफसीर	7500.0
100.	डा. वाजिद कुरेशी, उज्जैन	प्रेमचंद के अफसानों में हकीकत का अमल	9375.0
101.	हकीम असहार कादिर, दिल्ली	तारीख तिब व एखालकियात	7312.5
102.	जनाब मुजफ्फर अहमद/ प्रो. अहमद सज्जाद, रांची	प्रो. अहमद सज्जाद: अहद-ओ-असर	9000.0
103.	जनाब मोहम्मद फारूख आजम, जलगांव	नकुश-ए-हराम	4500.0
104.	डा. नुरूस सईद अख्तर, बोम्बे	जरबे तिशा	6000.0

1	2	3	4
105.	जनाब इकबाल जावेद, कोलकाता	आगा हश्र कश्मीरः हयात और ड्रामा निगारी	6562.5
106.	प्रो. जाहिदा जैदी, अलीगढ़	लिज्जत-ए-असनाई	6000.0
107.	डा. मंजर हुसैन, रांची	जगन्नाथ आजाद एक कसीरूल शख्सियत फनकार	6750.0
108.	जनाब नईम गुलसन रैना, मंडी	नक्स ना तमान	5625.0
109.	डा. सहजाद अंजुम, दिल्ली	दीदा-वर नकादः गोपीचंद नारंग	10125.0
110.	डा. अनीस सिद्दिकी, गुलबर्गा	कर्नाटक में उर्दू सहाफत	7500.0
111.	डा. प्रेमी रोमानी, जम्मू	बृज प्रेमी, शख्सियत और फन	9000.0
112.	सुश्री शबाना आजमी, दिल्ली	कैफियत	9187.0
113.	डा. मुस्ताक आजमी, आसनसोल	तारीख परे	3750.0
114.	जनाब अनवर हुसैन अनवर, भोपाल	डा. मोहम्मद नूमनः मंजिल बा मंजिल	6750.0
115.	मंजर ऐजाज, पटना	फैज अहमद फैज और शलीबिया मेरे दरीचे की	5625.0
116.	जनाब मोहम्मद अरमान हुसैन, मुंगेर	अब्दुल शमद फरद बनाम नावल	5625.0
117.	डा. ख्वाजा नसीम अख्तर, कोलकाता	अख्तरूल ईमाम, तफीम व तस्खुस	9187.0
118.	प्रो. असफाक अंजुम, नासिक	मालेगांव और राजा नारो शकरदानी	6000.0
119.	डा. साकिर मुजफ्फरपुर	उर्दू में तारीखी चावल निगारी	6562.0
120.	डा. एस.एम. जेड गोहर, मुजफ्फरपुर	उर्दू में रापुर्ताज निगारी और इस्तेफा	6750.0
121.	जनाब रिफात सरोस, दिल्ली	खानवाडा नूर	7500.0
122.	जनाब मोहम्मद इसहाक खान, श्रीनगर	कश्मीर में इसहात-ए-इस्लाम	11250.0
123.	प्रो. एस. महमूदुल हसन रिजवी, लखनऊ	उर्दू तनकीद में नफसियाती अनासीर	6750.0
124.	जनाब मुक्ति वर्मा, दिल्ली	तनाजूरः कामरेड रघुनाथ घई नामा	6000.0
125.	प्रो. मोहम्मद जमान आजुरदा, श्रीनगर	गुलदस्ता चार खंडों में	9750.0

1	2	3	4
126.	फोरम फार माडर्न थोट एंड लिटरेचर, हैदराबाद	हिन्दुस्तानी मुसलमान मंजिल की तलाश में	9375.0
127.	डा. सैयद हुसैन जाफरी, दिल्ली	मसनद-ए-फखरू-ओ-इरशाद	9375.0
128.	डा. सबिहा नसरीन, हैदराबाद	सजर-ए-तौबा	675.0
129.	जनाब अबुजर हासमी, अलीपुर	मोहम्मद सलीम, शख्स और अक्श	4500.0
130.	जनाब मुर्तजा साहिल तशलीमी, रामपुर	फूल और कलियां	5625.0
131.	जनाब सादिक नवाब, खोपाली	फूल से प्यारे जुगनूं	750.0
132.	जनाब मोहम्मद अब्दुल हाय, औरंगाबाद	गुलिस्ता खुलदाबाद	9000.0
133.	एम.ए.एस. सर्किल, रांची	अब्दुल कलानियात	4500.00
134.	जनाब नसीम अहमद, वाराणसी	मुतालिकात सौदा: तहकीकी मेजमीन	6000.0
135.	जनाब लायक सलाह, हैदराबाद	अरस्तु जाह	6562.0
136.	जनाब अब्दुल कय्यूम, हैदराबाद	हिन्दुस्तान की हुकूमत और सियासत	5625.00
137.	मोहम्मद हबीब, पटियाला	इलाका मेवात का समाजी और तहजीबी मुताला	5625.00
138.	जनाब एस.एम. जफर अली, दिल्ली	कौन है कलाम	10368.00
139.	जनाब मोहम्मद यूनुस, अलीगढ़	अमराज मोतद्दी व वबाई	6750.00
140.	जनाब, नजीर फतेहुपुरी, पुणे	तारीख-ओ-तजकिरा-ए-फतेहपुर शेखावाटी	9000.0
141.	जनाब मोहम्मद जुनेद सिद्दिकी, दिल्ली	किताब-उस-सुमूम	6000.00
142.	जनाब मोहम्मद अनवर, दिल्ली	किताबुल तस्खीस	6000.00
143.	जनाब मोहम्मद आफताब अहमद, दिल्ली	कुलियात इलमूल अदवीया	7031.00
144.	कुतुबखाना अनवारिया, लखनऊ	मुकालात-उस-सूफिया	6000.0
145.	जनाब वाहब कैसर, हैदराबाद	सवालों में रंग	6750.00
146.	सुश्री समीमा खातून अंसारी, रांची	शहीद शेख भिखारी: हयात-ओ-खिदमत	3750.00
147.	सुश्री नुसरत नहीद, लखनऊ	हिन्दुस्तान की नामवार मुस्लिम कहावतें	7875.00
148.	जनाब मोहम्मद शमीउलाह असद, कोलकाता	कुरान मंजूम मा फरहंग मा तफसीर	6750.00

1	2	3	4
149.	जनाब अनीसुर रहमान, बुरहानपुर	किताबुल मुयालजात	6750.00
150.	जनाब सैयद अतहर, औरंगाबाद	अर्जे मुकद्दस फिलिस्तीन	4500.00
151.	प्रो. नजमा महमूद, अलीगढ़	सैयद हमीद: एक गम-उसमें हैं अफाक	9375.00
152.	एसोसिएशन आफ उर्दू एजुकेशनल सोसायटी, औरंगाबाद	साईस इस्तलाहत	2812.00
153.	जनाब मोहम्मद इस्हाक, हैदराबाद	तालीम एक तहरीक और मुतफरीक मजमीन	8437.00
154.	जनाब मोहम्मद याहया अंजुम, दिल्ली	तारीख मासेक कादरीया खंड I	6187.00
155.	जनाब समसुद्दीन अहमद, श्रीनगर	सहीफा सुलतानी	6693.00
156.	संपादक, हैदराबाद	अल अंसर	4500.00
157.	जनाब अनीस चिश्ती, पुणे	उर्दू तालीम आज और कल	5400.00
158.	जनाब अजीज अहमद कादरी, औरंगाबाद	दिमागी सेहत	5625.00
159.	जनाब जमीर काजमी, मुम्बई	चांद का बेटा	1875.00
160.	जनाब जहीर गाजीपुरी, हजारीबाग	मुताला इकबाल के चंद अहम पहलू	7031.00
161.	जनाब उस्मान शहीद, धारवाड़	पैगाम यकजहती	3000.00
162.	सुश्री रेहाना खातून, दिल्ली	लुगात-ए-शाहजहांनी	7875.00
163.	जनाब बसीर अहमद नेहवी, मार्फत मीजान, श्रीनगर	इकबाल: इरफान की आवाज	7500.00
164.	जनाब चरनजीत लाल सहगल, जम्मू	तंत्र: सुफियाना दस्तूर-ए-जिन्दगी	5625.00
165.	जनाब याकूब यावर, वाराणसी	तफक्कीर-ओ-तफहीम	8437.00
166.	जनाब एस. हनीफ अहमद नकवी, वाराणसी	मीर-ओ मुसाफी	9000.0
167.	जनाब एच.डी. मखमुर, जम्मू	शहद की मक्खियों का पालन	6750.00
168.	जनाब यूसुफ सरमस्त, हैदराबाद	नजरी और अमली तनकीद	9375.0
169.	जनाब औबेदुर रहमान, दिल्ली	कुछ साईस से	8437.5
170.	जनाब रेहाना जावेद, नागपुर	इकबाल का फिक्र-ओ-फन: सामाजी और मजहबी पसमंजर में	6000.0

1	2	3	4
171.	जनाब फैयाज रिफात, मुम्बई	इंदिरा गांधी	9000.0
172.	जनाब अंबर बहराइची, लखनऊ	संस्कृत बूटिका	900.00
173.	जनाब फारूख सलील, हैदराबाद	खातूत बनाम महबूब अली खान अखगार	6000.0
174.	प्रो. नसरीन बेगम, आगरा	जोश मलीहाबादी की नसरी खिदमत	5625.0
175.	जनाब खुसहाल जैदी, दिल्ली	उर्दू अदब अतफात में ख्वातीन का हिस्सा	5625.0
176.	जनाब मोहम्मद अरशद, नई दिल्ली	मगरीब और इस्लाम बुनियाद परस्ती	3750.0
177.	डा. जौहर कुदुसी, श्रीनगर	उर्दू के 25 लुगातगोसोरा (वालीदकानी से सलाहद्दुद्दीन परवेज तक)	9375.0
178.	जनाब मोहम्मद सिद्दिक नकवी, अदोनी	सकीलुर रहमान और मौलाना रोमी की जमालीयत	6750.0
179.	जनाब हकानी अल कासमी, दिल्ली	तवाफ-ए-दस्त-ए-जुनून	7500.0
180.	जनाब वहाजुद्दीन अलवी, दिल्ली	गुफ्तगू-व-जुस्तजू	5625.0
181.	जनाब गुलम मोहम्मद बरकालू, श्रीनगर	कथाकार अगई और करातूरल आईन हैदर का तकाबली मुताला	7875.0
182.	दारूल मुसानफीन, आजमगढ़	दारूलमुसानफीन की तारीख और इलमी खिदमत	9450.0
183.	हकीम अब्दूल मनान, ए.एम.यू.	तजुर्बात-ए-मताब	6750.0
184.	मौलाना हसरत मोहनी फाउण्डेशन, दिल्ली	उर्दू अदब में हुकूम इंसानी और अमन	8437.5
185.	जनाब नजीरफतेहपुरी, पुणे	तनाजुरः अलमाकालीदास गुप्ता रीजा नम्बर	4500.0
186.	जनाब असगर कमाल, दिल्ली	शागिर्दा-ए-दाग की अदबी खिदमत	6750.0
187.	जनाब गुलाम हुसैन, उज्जैन	ख्वाजा अहमद अब्बास	7500.0
188.	जनाब सीमाब अहमद, दिल्ली	आब-ओ-गिल	9000.0
189.	कुरतुल आईन, श्रीनगर	आईना गुमा	11250.0
190.	गालिब इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	यादगार-ए-गालिब (फारसी)	9000.0
191.	डा. मोहम्मद फजीलुद्दीन, हैदराबाद	मजहर-उल-बरकत (अरबी)	9000.0
192.	डा. मुहम्मद यूसुफद्दीन/बी.ए. इकबाल, हैदराबाद	तफसीर धारी-उल मजीद (अमेरिका)	8438.0
193.	सुश्री नर्गिस जहान, डी.यू.	दास्तान है पयम्बरां-दार शायर अख्तर ई-निशारपुरी	8438.0
194.	डा. फरहाना सिद्दिकी, नई दिल्ली	नाजिक-उल मलाईका (अमेरिका)	10500.0
195.	सुश्री सयेदा बिलकिस फातेमा हुसैनी दिल्ली	लहाजत-ई-सिकन्दरशाही खंड-II (फारसी)	9375.0

1	2	3	4
196.	बाबा फरीद एजुकेशनल सोसाइटी, अमरोहा	जरनी की वक्त आखिर या मौत (अमेरिका)	9375.0
197.	डा. मतिन अहमद, मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश	संजिश-ई-अदाब (फारसी)	4688.0
198.	जनाब राजेन्द्र कुमार दिल्ली	पंज दास्तान अज मुन्शी प्रेम (फारसी)	7500.0
199.	डा. एच. शब्बीर अहमद हैदिरी मुजफ्फरपुर, बिहार	इन्तेखाव-ए-दीवान मुहम्मद अफजल सरखुश (फारसी)	7875.0
200.	जनाब अस्फाक अहमद, दिल्ली	20वीं शताब्दी के दौरान अरबी गद्य में भारतीय योगदान	7500.0
201.	जनाब मुहम्मद जाकिया शारीफ, दिल्ली	जबद अखबार ली सावनहुल अलसर (फारसी)	9375.0
202.	जनाब अनजार शाह कश्मीरी दयोबैड, हिमाचल प्रदेश	नूलहातूल अम्बर (अरेबिक)	6563.0
203.	जनाब कमार जुबेर अहमद, नई दिल्ली	हमेशा बहारा (फारसी)	5625.0
204.	डा. अखतार मेहदी, दिल्ली	शाह मुहम्मद अजमल इलाहाबादी वा अदाब फारसी (फारसी)	10125.0
205.	शाह हमदन पब्लिकेशन ट्रस्ट, श्रीनगर	चह असगर-ए-फारसी	9375.0
206.	जनाब अम्मार अनीस निगरानी, लखनऊ	तजकारा प्रोफेसर मौलाना मुहम्मद यूनुस निगरामी	6000.0
207.	डा. एम शरफुद्दीन साहिल, नागपुर	नागपुर में फारसी (फारसी)	7500.0
208.	डा. शाईस्ता अख्तर जावेद, मुम्बई	नवाब गाजी शायरी फारसी गोथी	3000.0
209.	डा. मुहम्मद सुलेमान अख्तर, मुजफ्फरपुर	जलाली खाबनसारी शायरी अहवाल वा आसार	7500.0
210.	गालिब इंस्टीट्यूट, दिल्ली	नक्श नीम रूख तरजुमा है फारसी गालिब	2700.0
211.	डा. चन्द्रशेखर, दिल्ली	फरहंग हिन्दी फारसी	10500.0
		कुल	1496514.0

विवरण IV

पिछले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05) के दौरान सेमिनारों पर खर्च किया गया व्यय

क्र.सं.	वर्ष	व्यक्ति/संघ का नाम	विषय	उद्देश्य	जारी की गई राशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6
		2002-03			
1.	2002-03	सचिव, उड़ीसा उर्दू अकादमी पयातन भवन, म्यूजियम कम्पलेक्स, भुवनेश्वर-751014	समेकित विकास में उर्दू भाषा की भूमिका	सेमिनार	10,750
2.		आयोजक ह्यूमन राईट्स यूनियन आफ सुप्रीम कोर्ट लायरस, नई दिल्ली	साहित्य एवं मानव अधिकार में शांति	सेमिनार	67,500

1	2	3	4	5	6
3.		अध्यक्ष, श्री मुहम्मद हरून ओल्ड स्टूडेंट एसोसिएशन आफ एम.एच. शाबा सादिक इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेकनोलॉजी, मुम्बई	मोहाकिक और शायर कालीदास गुप्ता रजा	सेमिनार	24,000
4.		प्रमुख, फारसी एवं उर्दू विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला	पंजाब में उर्दू	सेमिनार	15,000
5.		अंजुमन-ई-तरक्की उर्दू हिन्दी अली मंजिल कुचन पंडित, दिल्ली-6	योएम-ई-गालिब	सेमिनार	25,000
6.		प्रो. नसीर अहमद खान मास मीडिया सेन्टर आफ इंडियन लैन्गविज एंड लिटरेचर एंड कल्चर स्टडी, जे.एन.यू., नई दिल्ली	ओमर खय्याम	सेमिनार	16,250
7.		अध्यक्ष, श्री जलील पाशा अखिल भारतीय उर्दू शिक्षा समिति, हैदराबाद	अखिल भारतीय उर्दू सम्मेलन	सम्मेलन	25,000
8.		सचिव, गालिब अकादमी बस्ती हजरत निजामुद्दीन, नई दिल्ली-13	मिर्जा गालिब के जन्म एवं मृत्यु के अवसर पर सेमिनार	सेमिनार	11,000
9.		मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सार्वजनिक वाचनालय, यावल जिला-जलगांव, एम.एस.	बाल साहित्य	सेमिनार	12,500
10.		किरदार कला अकादमी, 40/8, गरीब हुसैन हाऊस, कुरैश नगर, कुर्ला, मुम्बई-400070	हबीब तनवीर फन और शख्शियत	सेमिनार	12,500
11.		आलम बाजार उर्दू पुस्तकालय, 198, महाराजा नालंदा कुमार रोड (उ), कोलकाता	मदरसों में जदीद तालिम का फारूख	सेमिनार	4,950
12.		अध्यक्ष, शाहीन समाज कल्याण तथा शैक्षिक सोसाइटी, 3716/20 दरबार गली, बेलगांव, कर्नाटक	विद्यालयों में उर्दू शिक्षण में सुधार	सेमिनार	8,500
13.		बिहार उर्दू अकादमी अशोक राजपथ, पटना	कबीर लाइफ एंड वर्क	सेमिनार	26,075
14.		हदीस ए दिल पाक्षिक (हिन्दी व उर्दू)	"मीर अनीश" की दूसरी जन्म शताब्दी	सेमिनार	14,000
15.		सचिव, अंजुमन तर्राकी उर्दू, (हिन्दी) उर्दू	अंजुमन तर्राकी उर्दू (हिन्दी) का शताब्दी समारोह	सेमिनार	1,28,000
16.		सेक्रेड एजुकेशन मिशन सोसायटी, न्यू एयरपोर्ट रोड हमहुमा बदगाम, जम्मू-कश्मीर	कश्मीर में अल्पसंख्यक शिक्षा का बदलता परिदृश्य	सेमिनार	25,000
17.		मुर्तजीवा, एजुकेशनल एंड कल्चरल फाउंडेशन ऑफ साउथ इंडिया, तमिलनाडु, चेन्नई	उर्दू की शैक्षणिक तथा विकासात्मक विषय पर सम्मेलन	सेमिनार	25,000

1	2	3	4	5	6
18.		ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एशोसिएशन, नई दिल्ली	समकालीन उर्दू साहित्य में आधुनिकता के आयाम	सेमिनार	4,384
19.		द कश्मीर एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी, बी-36, पम्पोश एन्कलेव, नई दिल्ली-48	उर्दू तथा कश्मीरी के बीच तालमेल	सेमिनार	40,000
					4,95,409
		2003-04			
1.	2003-04	अध्यक्ष, पारसी केन्द्र केन्द्रीय एशियाई अध्ययन, जे.एन.यू. नई दिल्ली-67	ओमर ख्य्याम एंड इंडिया	सेमिनार	25,000
2.		महासचिव, हरमेन एजुकेशन सोसायटी, 118 प्रताप खंड झिलमिल के समीप, दिल्ली-95	उर्द भाषा सूचना प्रौद्योगिकी और दिल्ली स्कूल प्रणाली	सेमिनार	12,500
3.		विभागाध्यक्ष, उर्दू शिक्षा शिबली स्नातकोत्तर कालेज, आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश)	कैफो आजमी: जीवन तथा कार्य	सेमिनार	12,500
4.		अध्यक्ष, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षा समिति, आसिफ नगर, हैदराबाद-500028	अखिल भारतीय उर्दू सम्मेलन	सेमिनार	25,500
5.		अध्यक्ष, यूनाइटेड एजुकेशन सोसाइटी, यूनिटी हाई स्कूल, वाल्पोई, गोवा	उर्दू तथा 21वीं सदी	सेमिनार	12,500
6.		हरियाणा उर्दू अकादमी, 431, सेक्टर-2, पंचकुला-134112 (हरियाणा)	बाबा फरीद एंड एपेशल फॉर सोशल हार्मोनी	सेमिनार	12,500
7.		प्रमुख, उर्दू स्नातकोत्तर विभाग, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	मीर अनीस तथा मिर्जा तबीर	सेमिनार	12,500
8.		अध्यक्ष, कश्मीर सोसाइटी इश्वर निषात, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर)	उर्दू लैंग्वेज आफ उर्दू	सेमिनार	12,500
9.		श्री ई. मोहम्मद, विभागाध्यक्ष, उर्दू विभाग, गर्वनमेंट बर्नान कॉलेज, धर्मादम थालसेरी, उत्तर केरल	केरल में उर्दू भाषा तथा साहित्य		25,000
10.		महासचिव, अंजुमन तारिक-ए-उर्दू हिन्द, जिला-करासेरी-76503 (केरल)	21वीं शताब्दी में उर्दू	सेमिनार	11,500
11.		अध्यक्ष, एशोसिएशन ऑफ मराठवाड़ा उर्दू जर्नलिस्ट, औरंगाबाद (एम.एस.)	महाराष्ट्र उर्दू जर्नलिस्ट	सेमिनार	12,500
12.		अध्यक्ष, डेक्कन कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एशोसिएशन, औरंगाबाद (एम.ए.)	काजी सलीम	सेमिनार	12,500

1	2	3	4	5	6
13.		अध्यक्ष, महाराष्ट्र मुस्लिम कल्याण सोसाइटी, 204, ग्रीन पार्क, एडटा मार्ग, रत्नाग्री (एम.एस.)	उर्दू के फरूम की हिक्मत-ए-अमली	सेमिनार	12,500
14.		प्रिंसिपल, कालंदिरा उर्दू जूनियर कॉलेज, मंगरूलपीर, जिला-वसोम, (एम.एस.)	अमरावती डिवीजन में उर्दू भाषा के संवर्धन में हेडमास्टरों की भूमिका	सेमिनार	23,500
15.		नवाब शेर मो. खान उर्दू पारसी तथा अरबी उच्चतर अध्ययन संस्थान पंजाब विश्वविद्यालय मालेरकोटला, पंजाब	उर्दू भाषा तथा साहित्य के संदर्भ में पंजाब	सेमिनार	12,500
16.		अध्यक्ष, एकेडमी ऑफ मास कम्युनिकेशन, शाह ट्रेड सेन्टर, द्वितीय तल, हजरत गंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	उर्दू भाषा साहित्य तथा संस्कृति के संवर्धन में उर्दू नाटक का योगदान	सेमिनार	25,000
17.		प्रिंसिपल, डा. रमा सहरिया, राजकीय महिला स्नातकोत्तर कॉलेज, रामपुर (उ.प्र.)	उर्दू जबान की अहमियत, जरूरत और मुस्तकबिल	सेमिनार	24,000
18.		अलकारी एजुकेशन वेल्फेयर एंड कल्चरल सोसाइटी, नया बाजार, इलाहाबाद (उ.प्र.)	अरेबिक मदरिम एंड मॉडर्न एजुकेशन	सेमिनार	25,000
19.		प्रबंधक, जन्नत निशान तालीमी मिशन पीर गालिब, मुरादाबाद (उ.प्र.)	उर्दू शिक्षकः समस्याएं एवं समाधान	सेमिनार	12,500
20.		डा. ए.ए. फातमी, सचिव, जोश एंड फरक लिटरेरी सोसाइटी, इलाहाबाद (उ.प्र.)	अकबर इलाहाबादी	सेमिनार	12,500
21.		सचिव, जियाउद्दीन इसलाही दारूल मुसानीफीन, आजमगढ़ (उ.प्र.)	अल्लामी शिबली नोमानी: जीवन तथा कार्य	सेमिनार	12,500
22.		मदरसा इसरातून निसा निसवान, 60/2, कसारी मसारी, इलाहाबाद (उ.प्र.)	अरेबिक मादरिस एंड मॉडर्न एजुकेशनः सुलेख तथा ग्राफिक डिजाइन की प्रतियोगिता	सेमिनार	12,500
			कुल		3,59,000
			2004-2005		
1.	2004-05	अखिल भारतीय उर्दू शैक्षिक समिति 10-2-521, आसिफ नगर, हैदराबाद	21वीं सदी मे उर्दू भाषा का योगदान	सेमिनार	12,500
2.		अध्यक्ष, बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना	मदरसों की तालीम में उलूम-ए-असरिया से मुतालिक कौमी उर्दू काउंसिल के असरत	सेमिनार	12,500

1	2	3	4	5	6
3.		महासचिव, कुरैश नगर पब्लिक वेलफेयर सोसाइटी 7542, हाकिम जी स्ट्रीट कुरैश नगर, सदर बाजार, दिल्ली-6	कवि तथा लेखक स्वर्गीय फजल हक डा. कामिल कुरैशी की जीवनी तथा उपलब्धियां	सेमिनार	5,000
4.		सचिव, प्रगतिशील लेखक संगठन, नई दिल्ली	सजाद जहीर शताब्दी	सेमिनार	25,000
5.		निर्माता, आसिफ प्रोडक्शन अशरफ स्टूडिओ, आसिफ रोड, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश	उर्दू साहित्य में ताजमहल	सेमिनार	12,500
6.		उड़ीसा उर्दू अकेडमी पारयातन भवन, म्यूजियम कॉम्पलेक्स, भुवनेश्वर	उड़ीसा राज्य में उर्दू का दर्जा	सेमिनार	12,500
7.		प्रमुख, उर्दू तथा फारसी विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर	अखिल भारतीय उर्दू विश्वविद्यालय शिक्षक सम्मेलन	सेमिनार	25,000
8.		सचिव, राबता सेवा संस्थान (फुलवारी) बाराबंकी (उत्तर प्रदेश)	उर्दू साहफत और मौलाना अब्दुल माजित दारयाबादी	सम्मेलन	12,500
9.		यादगार-ए-हुसैनी इंटर कॉलेज, 110 नखास कोइना, इलाहाबाद-उत्तर प्रदेश	अल्पसंख्यक शिक्षा तथा अधिकारिता, उर्दू भाषा संवर्द्धन तथा रोजगार के अवसर	सेमिनार	12,500
10.		महासचिव, शाहवालीउलाह संस्थान, नई दिल्ली-25	अब्दुल माजिद दरियाबादी	सेमिनार	18,750
11.		श्री बशीर अहमद, अध्यक्ष, भाषा तथा शिक्षा प्रोन्नयन संगठन, ए-78/जी-3, दिलशाद कॉलोनी, नई दिल्ली-95	उर्दू शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु संभावित उपाय	सेमिनार	18,750
12.		महासचिव, अब्दी मारकाज कामराज आलमदार कॉलेज ऑफ एजूकेशन, कोर्ट रोड, सोपोर-जम्मू एवं कश्मीर	कश्मीर के प्रकांड विद्वान शैकुत आलम द्वारा रचित लोकप्रिय आध्यात्मिक तथा सांस्कृतिक कविताओं का उर्दू भाषा में अनुवाद	सेमिनार	15,000
13.		प्रधानाचार्य, औरंगाबाद महिला, नावकनंदा जुबली पार्क, औरंगाबाद-400101, एम.एस.	मौलाना अब्दुल कलाम की इल्मी वा अदाबी नजारातियत	सेमिनार	18,750
14.		अध्यक्ष, ग्लोबल एनावायरमेंट एंड वेलफेयर सोसाइटी, 284/सेक्टर-3, पाकेट-2, द्वारका, नई दिल्ली	सूफी तथा भक्ति आंदोलन	सेमिनार	18,750
15.		अध्यक्ष, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षा समिति, आसिफ नगर, हैदराबाद	21वीं सदी में महिलाओं की भूमिका	सेमिनार	18,750

1	2	3	4	5	6
16.		महासचिव, अखिल भारतीय उर्दू विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	अवर स्नातक, स्नातक तथा स्नातकोत्तर कॉलेजों में उर्दू की पाठ्यचर्या का पुनर्निर्धारण तथा पुस्तकों को समय पर उपलब्ध कराना	सेमिनार	18,750
17.		महासचिव, अखिल भारतीय फारसी शिक्षक संगठन, 98, हाजी भवन, सदर बाजार, दिल्ली-6	फारसी अध्ययन के विकास में भारत को योगदान	सेमिनार	20,000
				कुल	2,77,500

विवरण V

पिछले तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05) में उर्दू शिक्षण हेतु दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	2002-03 में शिक्षकों की संख्या	2003-04 में शिक्षकों की संख्या	2004-05 में शिक्षकों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	67	06	04
2.	असम	50	02	-
3.	बिहार	04	07	06
4.	छत्तीसगढ़	06	07	02
5.	हिमाचल प्रदेश	02	-	01
6.	कर्नाटक	04	02	04
7.	मणिपुर	50	-	-
8.	पंजाब	03	-	-
9.	राजस्थान	02	02	02
10.	उत्तर प्रदेश	28	38	36
11.	दिल्ली	-	02	02
12.	महाराष्ट्र	-	-	10
13.	पश्चिम बंगाल	-	-	02
14.	चंडीगढ़	-	02	-
15.	मध्य प्रदेश	-	-	06
	कुल	216	68	75

सूचना का अधिकार अधिनियम

3274. श्री रघुनाथ झा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्धारित समय के भीतर सूचना उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए/किए जा रहे तथा निपटान के लिए 30 दिनों से अधिक समय से कुल कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) क्या सरकार का सूचना उपलब्ध कराने में विलंब करने के जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अब तक कितने मामलों में अपराध के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद, दिल्ली नगर निगम और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली सूचना का अधिकार अधिनियम, 2001 के अंतर्गत मांगी गई सूचना सामान्यत: अधिनियम के विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर उपलब्ध करवा दी जाती है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने निर्धारित समय के अंदर सूचना भेजने हेतु, प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए सभी विभाग प्रमुखों को उपयुक्त निर्देश जारी किए हैं। 30 दिनों से अधिक समय से निपटान हेतु लम्बित आवेदनों के ब्योरे नीचे दिए गए हैं:

(1) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का भूमि और भवन विभाग	-	09
(2) स्लम और जे जे विभाग, दिल्ली नगर निगम	-	15
(3) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद	-	01

(ग) से (ङ) लोक शिकायत आयोग ने दिल्ली नगर निगम के चार मामलों, जो जांचाधीन हैं, सहित 18 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश की है।

भारत पाकिस्तान चाय व्यापार

3275. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2005 के दौरान पाकिस्तान से चाय संबंधी प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो चाय क्षेत्र में दोनों देशों के बीच कौन-कौन से मुख्य समझौते हुए;

(घ) क्या इस दौरे के दौरान इन दोनों राष्ट्रों के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन समझौतों से भारत को कितना लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) वर्ष 2005 में पाकिस्तान से किसी शिष्टमंडल ने भारत का दौरा नहीं किया है। उपलब्ध सूचना के अनुसार पाकिस्तान से दो प्रशिक्षणार्थियों ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया था।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

3276. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों तथा उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए विभिन्न श्रेणियों में कुछ पद रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो आज की स्थिति के अनुसार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इन विभागों तथा उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति की गई है तथा इन विभागों/उपक्रमों में नई नियुक्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नई नियुक्तियों का वर्षवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लोगों की नियुक्ति तथा पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का पालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

केन्द्रीय सरकार के क्वार्टर्स

3277. श्री ब्रजेश पाठक: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अन्य राज्यों में केन्द्रीय सरकार के टाइप-वार कितने क्वार्टर हैं;

(ख) आज की स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थानों पर कितने क्वार्टर खाली पड़े हैं और तत्संबंधी राज्य-वार और श्रेणी-वार क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार दिल्ली और अन्य राज्यों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए कुछ और क्वार्टरों का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसका कार्यान्वयन कब तक कराए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण I

दिल्ली तथा अन्य राज्यों में सामान्य पूल में केन्द्र सरकार के क्वॉटरों की कुल संख्या तथा खाली पड़े आवासों के ब्यौरे

क्र.सं.	स्टेशन का नाम	आवास का प्रकार	कुल उपलब्धता	खाली क्वॉटर	कारण
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	I	16594	(1) 466 (2) 96	(1) मरम्मत अधीन/खतरनाक घोषित (2) बिजली बिल का भुगतान न किया जाना
		II	23587	(1) 402 (2) 396	(1) मरम्मत अधीन/खतरनाक घोषित (2) आबंटी द्वारा स्वीकार न किया जाना
		III	12877	(1) 35 (2) 25	(1) मरम्मत अधीन/खतरनाक घोषित (2) बिजली बिल का भुगतान न किया जाना
		IV	5720	(1) 36 (2) 01	(1) आबंटी द्वारा स्वीकार न किया जाना (2) बिजली बिल का भुगतान न किया जाना
		IV स्पेशल	802	शून्य-	
		V	1483	(1) 02 (2) 12	(1) मरम्मत अधीन/खतरनाक घोषित (2) आबंटी द्वारा स्वीकार न किया जाना
		VI और उससे ऊपर	1696	06	आबंटी प्राप्त स्वीकार न किया जाना
		हॉस्टल (सिंगल)	423	52	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई

1	2	3	4	5	6
		हॉस्टल (डबल)	1465	56	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
2.	मुम्बई	I	2568	580	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई, कोई और आवेदक नहीं।
		II	3457	403	अलोकप्रिय जगह/स्थान/बकाया बिजली बिल के कारण
		III	1569	161	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		IV	440	25	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		IV स्पेशल	28	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		V	261	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		VI	93	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		हॉस्टल (सिंगल)	38	28	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		हॉस्टल (डबल)	106	8	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		कुल	8560		
3.	कोलकाता	I	1676	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		II	2650	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		III	1558	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		IV	214	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		V	118	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		VI	103	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		हॉस्टल (सिंगल)	50	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		हॉस्टल (डबल)	56	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		रूफ टॉप (ड्यूटी क्वार्टर)	90	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		कुल	6515		
4.	चेन्नई	I	450	81	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई।
		II	944	37	आबंटित किए जा रहे हैं।

1	2	3	4	5	6
		III	658	37	आबंटित किए जा रहे हैं।
		IV	379	7	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		V	122	1	आबंटित किए जा रहे हैं।
		VI	20	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		हॉस्टल (सिंगल)	20	3	आबंटित किए जा रहे हैं।
		हॉस्टल (डबल)	30	3	आबंटित किए जा रहे हैं।
		कुल	2623		
5.	नागपुर	I	245	41	अलोकप्रिय क्वार्टर।
		II	928	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		III	434	66	अलोकप्रिय क्वार्टर
		IV	171	14	अलोकप्रिय क्वार्टर।
		V	93	4	-वही-
		VI	11	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		आऊट हाऊस	12	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		कुल	1894		
6.	शिमला	I	347	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		II	365	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		III	324	शून्य	सभी में अधिभोगी है।
		IV	93	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		V	25	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		VI	05	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		कुल	1159		
7.	चंडीगढ़	I	664	27	मरम्मत अधीन।
		II	1070	40	मरम्मत अधीन।
		III	542	18	मरम्मत अधीन।

1	2	3	4	5	6
		IV	109	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		V	32	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		VI	02	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		कुल	2419		
8.	फरीदाबाद	I	482	344	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		II	832	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		III	328	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		IV	140	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		V	52	6	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		VI	16	8	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		कुल	1850		
9.	गाजियाबाद	I	176	53	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई.
		II	480	59	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		III	132	15	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		IV	24	6	प्रतीक्षा सूची पूरी हो गई
		V	08	शून्य	सभी में अधिभोगी हैं।
		कुल	820		

विवरण II

सामान्य पूल रिहायशी आवास—चल रहे कार्य

क्र.सं.	कार्य का नाम	पूर्ण करने की लक्ष्य तारीख
1	2	3
1.	राष्ट्रपति इस्टेट नई दिल्ली में 48 अदद टाइप-III क्वार्टरों का निर्माण	अप्रैल, 2006
2.	एन्ड्रयूजगंज नई दिल्ली में 319 ट्रांजिट फ्लैटों का निर्माण	दिसम्बर, 2005
3.	श्रीनगर में 88 अदद टाइप-III 120 अदद टाइप-II का निर्माण	अगस्त, 2005
4.	जोधपुर में 105 अदद टाइप-I, 102 अदद टाइप-II, 90 अदद टाइप-III, 20 अदद टाइप-IV, 4 अदद टाइप-V, 3 अदद टाइप-VI का निर्माण	मार्च, 2006
5.	शिलॉंग में 8 अदद टाइप-II, 8 अदद टाइप-III का निर्माण	अगस्त, 2005

1	2	3
6.	मलवानी में 112 अदद टाइप-IV का निर्माण	मार्च, 2006
7.	अकरूडी, पूना में 215 क्वार्टरों का निर्माण	मार्च, 2006
8.	बसंत नगर चेन्नई में 16 अदद टाइप-V क्वार्टरों का निर्माण	मार्च, 2006
9.	एचएसआर बंगलौर में 165 यूनिटों का निर्माण	अगस्त, 2005
	शुरू किये जाने के लिए प्रस्तावित सामान्य पुल रिहायशी आवास	
1.	डीआईजैड एरिया, नई दिल्ली ने 60 अदद टाइप-III क्वार्टरों का निर्माण	निर्माण कार्यक्रम संबंधित निकायों द्वारा विन्यास योजनायें आदि अनुमोदित किये जाने और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
2.	राउज एवेन्यू नई दिल्ली ने 340 टाइप-IV, 140 टाइप-V और 104 टाइप-VI का निर्माण	
3.	देवनगर नई दिल्ली में 90 अदद टाइप-IV, 360 टाइप-II, 400 टाइप-III, 180 अदद टाइप-IV, 196 अदद हॉस्टल का निर्माण	
4.	अलीगंज में 300 अदद टाइप-II का निर्माण	
5.	शिमला में 246 अदद टाइप-II और टाइप-III का निर्माण	
6.	इंदौर में 8 अदद टाइप-V, 2 अदद टाइप-VI का निर्माण	
7.	हैदराबाद में 28 अदद टाइप-IV क्वार्टरों का निर्माण	
8.	काने नगर, मुंबई में 176 अदद टाइप-III तथा IV क्वार्टरों का निर्माण	
9.	पुणे में 65 यूनिटों का निर्माण	
10.	ट्राजिट हॉस्ट नागपुर	
11.	सिलीगुडी में 63 यूनिटों का निर्माण	

[अनुवाद]

एसएसए के अंतर्गत अध्यापकों की नियुक्ति

3278. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
श्री हितेन बर्मन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र सरकार द्वारा एसएसए के अंतर्गत स्वीकृत अध्यापकों के पदों को नहीं भरा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कुछ राज्यों द्वारा अध्यापकों के पदों को न भरे जाने के मामलों को संजीदगी से लिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) चूंकि शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, अतः भारत सरकार ने इस मामलो को संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाया है।

नकदी फसलों के आयात पर प्रतिबंध

3279. श्री एस. अजय कुमार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार रबड़ और इलायची के आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में कोचीन या अन्य भागों के माध्यम से किन-किन देशों से उपर्युक्त मदों का आयात किया जा रहा है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, नहीं; आयात टैरिफों के जरिये विनियमित होते हैं। इलायची पर मूल सीमाशुल्क 70% है जबकि प्राकृतिक रबड़ पर मूल सीमाशुल्क 20% से 70% के बीच है।

(ग) जिन देशों से इलायची एवं रबड़ का आयात किया जाता है, उनके नाम वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड-II (आयात)" नामक प्रकाशन में उपलब्ध हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

सी.पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा बागवानी के लिए बजटीय आवंटन

3280. **श्री असादुद्दीन ओवेसी**: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्राधिकारी बागवानी पर बजट आवंटन की बड़ी राशि व्यय कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सी.पी.डब्ल्यू.डी. के बागवानी विभाग द्वारा बरती गई अनियमितताओं के संबंध में कितनी शिकायत प्राप्त हुई हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में जांच करवाई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए या उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं। के.लो.नि.वि. को आबंटित वार्षिक रखरखाव बजट का लगभग 9% प्रत्येक वर्ष बागवानी रखरखाव पर खर्च किया जाता है।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बागवानी विंग के संबंध में 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केलोनिवि के सतर्कता विंग द्वारा उनकी जांच की जा रही है। केलोनिवि में जांच और शेष प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए समर्थ है कि आबंटित धनराशि का उपयोग निर्धारित प्रक्रियाओं और यथोचित ढंग से किया जाए।

सहकारी आवास

3281. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई**: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रोजगार और गरीबी उपशमन में सहकारी आवास की भूमिका पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों में सहकारी आवास निर्माण स्थलों के कराये गए क्षेत्र सर्वेक्षण की स्थिति क्या है; और

(घ) इसके लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) "रोजगार सृजन और गरीबी उपशमन में सहकारी आवास की भूमिका" के संबंध में एक अध्ययन इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ द्वारा कराया गया है। यह अध्ययन लोगों को उनकी सामर्थ्य के अनुसार आवास मुहैया कराने तथा नौकरियों के सृजन में सहकारी आवास की भूमिका का आकलन करने और गरीबी उपशमन पर इसके प्रभाव को जांच करने के लिए कराया गया था।

(ग) देश के विभिन्न भागों में सहकारी आवास परिसरों के सैम्पल निर्माण स्थलों का सर्वेक्षण किया गया तथा इस अध्ययन के तहत प्राक्कलन तैयार करने के लिए देश भर के लगभग 100 सहकारी आवासों से लिये गये विस्तृत आंकड़े का उपयोग किया गया।

(घ) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ द्वारा यह संपूर्ण अध्ययन 12 माह के भीतर पूरा किया गया था।

औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, केरल

3282. **श्री पी.सी. थामस**: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम (के.एस.आई.डी.सी.) ने अम्बालमुगल; कोच्वी, केरल में सामान्य उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (टी.एस.डी.एफ.) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता हेतु औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.) के अंतर्गत परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस परियोजना के संबंध में पर्यावरणीय अध्ययन कराया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना के अंतर्गत कोच्चि, केरल में सामान्य खतरनाक अपशिष्ट उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (सीएचडब्ल्यूटीएसडीएफ) की स्थापना करने के लिए विभाग में एक परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसकी अनुमानित परियोजना लागत 53.50 करोड़ रुपये है। इस विभाग में इस प्रस्ताव की जांच औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना की अपेक्षाओं के अनुसार की जा रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। परियोजना रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के अंतर्गत परियोजना के कार्यकलापों के प्रतिकूल प्रभाव की जांच की गई है और वायु, पानी, मिट्टी, वनस्पति और जीव-जन्तुओं, इत्यादि पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए उपायों का सुझाव दिया गया है तथा तदनुसार सुविधाओं की भी योजना बनाई गई है।

अपराह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

पिछले सप्ताह के दौरान सभा में हुआ कार्य

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आपके सूचनार्थ में गत सप्ताह के दौरान सभा में हुए कार्य की मुख्य मदों का संक्षेप में पुन: उल्लेख करना चाहता हूं।

स्वीकृत 100 तारांकि प्रश्नों में से मात्र 18 प्रश्नों का मौखिक उत्तर दिया जा सका है। शेष तारांकित प्रश्नों और 1029 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभापटल पर रखे गए। साथ ही, एक अल्प सूचना प्रश्न तथा 2 आधे घंटे की चर्चा भी ली गयी थी।

इस अवधि के दौरान प्रश्न काल के प्रश्चात 40 अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाए गए। नियम 377 के अधीन 41 मामले भी उठाए गए।

सभा ने 3 ध्यानाकर्षण विषय भी लिए (1) ''सरकार द्वारा हाल ही में जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया को जारी अनुदेशों से उत्पन्न स्थिति'' के बारे में श्री प्रबोध पाण्डा द्वारा मुद्दा उठाया गया; (2) ''बीड़ी उद्योग में विद्यमान स्थिति और बीड़ी कर्मकारों के समक्ष आ रही समस्याएं'' के बारे में श्री पी. करुणाकरन द्वारा मुद्दा उठाया गया; और (3) ''देश में मस्तिष्क शोथ के फैलने से उत्पन्न स्थिति'' के बारे में श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मुद्दा उठाया गया।

सभा ने श्री सुखदेव सिंह ढींडसा द्वारा प्रस्तुत ''नानावती आयोग द्वारा अभ्यारोपित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में सरकार की विफलता'' के बारे में स्थगन प्रस्ताव भी लिया। प्रस्ताव पर 8 घंटे 17 मिनट तक चर्चा करने के पश्चात सभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया।

सभा ने 4 अगस्त 2005 को नियम 193 के अधीन अल्पकालीन चर्चा में प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा उठाए गए, ''राम जन्म भूमि परिसर पर हमले सहित देश में आतंकवाद'' विषय पर चर्चा की।

वित्तीय कार्य के संबंध में सभा ने 4 घंटे 23 मिनट तक अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2005-2006 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य)-2002-2003 पर चर्चा की और इससे संबंधित विनियोग विधेयक पारित किये।

सभा ने अनुपूरक अनुदान की मांग (रेल)—2005-2006; और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल)—2002-2003 पर भी लगभग 7 घंटों तक चर्चा की और संबंधित विनियोग विधेयक पारित किये।

गैर सरकारी कार्य के संबंध में, 11 विधेयक पुर:स्थापित किए गए और 2 विधेयकों पर पर सभा द्वारा विचार किया गया। श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा प्रस्तुत बालक श्रम का उत्सादन विधेयक, 2005 पर 2 घंटे 18 मिनट तक चर्चा चली। सभा की अनुमति से विधेयक को वापस लिया गया। प्रत्येक गांव में सभी चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करने की व्यवस्था हेतु श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक, 2004 को भी विचारार्थ लिया किया किन्तु चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गत सप्ताह व्यवधानों तथा परिस्थितिजन्य स्थगनों के कारण 6 घंटे 25 मिनट का कीमती समय नष्ट हुआ, आवश्यक कार्यमदों को करने के लिए सभा देर तक चली और 7 घंटे 47 मिनट अतिरिक्त समय तक कार्य किया।

जो 7 घंटे 47 मिनट सभा देर तक चली उसमें से सभा के सामान्य कार्य निपटाने के बाद अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाने पर 59 मिनट लगाए गये।

कार्यवाही के संचालन में माननीय सदस्यगण को उनके उदार सहयोग हेतु मैं अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): महोदय, मैं 31 दिसम्बर, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सम्पदा निदेशालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार 5 प्रतिशत वैवेकिक कोटा के अंतर्गत किए गए आबंटनों के बारे में वार्षिक विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2612/05]

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं–

(1) कयर उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (3) के अंतर्गत कयर उद्योग (दूसरा संशोधन) नियम, 2004 जो 28 अक्टूबर, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 1199(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2613/05]

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड), लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड), लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2614/05]

(3) (एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III (यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड), लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III (यू.पी. एजुकेशन फॉर ऑल प्रोजेक्ट बोर्ड), लखनऊ के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2615/05]

(5) (एक) गुजरात काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) गुजरात काउंसिल ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2616/05]

(7) (एक) औरोविल फाउंडेशन, औरोविल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) औरोविल फाउंडेशन, औरोविल के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) औरोविल फाउंडेशन, औरोविल के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2617/05]

(9) दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2618/05]

(11) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 की धारा 29 की उपधारा (4) के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2619/05]

(13) (एक) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2620/05]

(15) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 2621/05]

(17) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 33 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) एनसीटीई (अंशदायी भविष्य निधि) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 1 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना एफ. 9-8-2005/एनसीटीई (एस्ट) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एनसीटीई (मान्यता के लिए आवेदन का प्ररूप, आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा, अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों को मान्यता देने के लिए सन्नियम और मानकों का अवधारणा तथा नया पाठ्यक्रम अथवा प्रशिक्षण आरंभ करने की अनुमति) (चौथा संशोधन) विनियम, 2005 को 1 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. 49-5/2005-एनसीटीई (एन एंड एस) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 2622/05]

(18) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना एवं प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(19) उपर्युक्त (18) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2623/05]

(20)(एक) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, मुम्बई के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(21) उपर्युक्त (20) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2624/05]

(22) (एक) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(23) उपर्युक्त (22) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 2625/05]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): महोदय, मैं संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत, मार्च, 2004 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन-संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) (2005 का संख्यांक 15)- आयुध निर्माणियां—आयुध निर्माणियों में उच्च क्षमतावान गोला-बारूद के विनिर्माण की कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2626/05]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) महोदय, मैं दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अंतर्गत दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) (दूसरा संशोधन) नियम, 2005 जो 14 जुलाई, 2005 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना सख्या एफ. 13/5/2005/-एचपी-1/एस्ट. में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 2627/05]

अपराह्न 12.07 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(1) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 12 अगस्त 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित श्री चित्रा तिरुनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(2) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 12 अगस्त 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित विस्थापित व्यक्ति दावे तथा अन्य विधि निरसन विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

(3) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 12 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित आप्रवास (वाहक दायित्व) (संशोधन) विधेयक, 2005 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

2. महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा 12 अगस्त, 2005 को हुई अपनी बैठक में पारित निम्नलिखित तीन विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

1. श्री चित्रा तिरूनल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, त्रिवेन्द्रम (संशोधन) विधेयक, 2005;
2. विस्थापित व्यक्ति दावे तथा अन्य विधि निरसन विधेयक, 2005;
3. आप्रवास (वाहक दायित्व) (संशोधन) विधेयक, 2005।

अपराह्न 12.08 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

अध्ययन दौरा प्रतिवेदन

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

(1) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-एक के अक्टूबर, 2005 के दौरान हैदराबाद, चेन्नई, बंगलौर, तिरूवनंतपुरम और मुम्बई के अपने दौरे के संबंध में दौरा प्रतिवेदन; और

(2) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के अध्ययन दल-दो के अक्टूबर-नवम्बर, 2004 के दौरान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, मुम्बई और पुणे के अपने दौरे के संबंध में दौरा प्रतिवेदन।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या 9, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, मैंने विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाइए। मैं उठाए गए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा आरंभ करने का प्रयास कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे अभी निर्णय लेना है। पहले मैंने आज के लिए कहा था, बाद में मैंने अगले सप्ताह के लिए कहा था। अभी दो दिन बाकी हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय जो नियम है, हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उचित समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक-एक करके बोलें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप किसके बारे में बात कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि गैर-सहायता प्राप्त व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश के लिए राज्य आरक्षण लागू अथवा कोटा या प्रतिशत निर्धारित नहीं कर सकते।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे जोर देकर अनुरोध करता हूं। कृपया सहयोग किजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार तथा उपलब्ध समय में सभी वर्गों के सदस्यों को अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

डा. एम. जगन्नाथ: यह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के हितों पर घातक प्रहार है। यह अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है। अतः इस पर तुरन्त चर्चा की जानी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे उठाने का यह सही तरीका नहीं है। डा. जगन्नाथ आप जानते हैं मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय: यदि आप मेरी अनुमति के बिना बोलेंगे, तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान) *

डा. एम. जगन्नाथ: यह अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है। यह स्थिति की गंभीरता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: बहुत सारे मामले हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको 'विशेष उल्लेख' का इंतजार करना चाहिए, बशर्ते आपने कोई नोटिस दिया हो।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ: महोदय, मैंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: तब आप इसके लिए इंतजार कर सकते हैं। आप सभी इस समय वरिष्ठ सदस्य हैं। कार्य में व्यवधान पैदा करके आप हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ: हमारा आशय सदन के कार्य में व्यवधान डालना नहीं है। किन्तु यह मुद्दा अत्यधिक अविलंबनीय महत्व का है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह सही तरीका नहीं है। आप इसे सारे दिन जारी रख सकते हैं, उससे मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; मैं आपसे कह सकता हूं।

...(व्यवधान)

डा. एम. जगन्नाथ: कृपया मुझे अनुमति दीजिए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। आपको अभी तक इसे समझ लेना चाहिए था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, प्रिविलेज मैटर के संबंध में नियम 225 है। नियम 225 के (2) में "यदि अनुमति दिए जाने पर आपत्ति हो" के संबंध में लिखा है। यह प्रिविलेज का मामला केवल आपसे जुड़ा नहीं है, वह पूरे सदन से जुड़ा है। संसद के आसन का मतलब है *...(व्यवधान)* संसदीय लोकतंत्र में यह आसन सर्वोच्च है। यह केवल आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, यह सदन की प्रॉपर्टी है इसलिए मैं इस सवाल को उठाना चाहता हूं। आम नियम के तहत कोई फैसला करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपके द्वारा उठाया गया है। मैंने कहा है कि मैं अपना विनिर्णय दूंगा। अंतोगत्वा, मुझे विनिर्णय देना है चाहे यह सभी से संबंधित हो या मुझसे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आपकी रूलिंग सर्वोच्च है, हम शिरोधार्य हैं। *...(व्यवधान)* अगले सप्ताह जब भी नियमन देना हो *...(व्यवधान)* आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। संसद में पहली बार अभूतपूर्व प्रीसिडैंट हुआ और माननीय मल्होत्रा जी ने उस पर आपत्ति की थी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप दोनों एक साथ नहीं बोल सकते। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नियम 225(2) में साफ लिखा है कि-

"यदि अनुमति दी जाने पर आपत्ति की जाए तो अध्यक्ष उन सदस्यों से जो अनुमति दी जाने के पक्ष में हों, अपने स्थानों पर खड़े होने के लिए कहेगा और तदनुसार यदि कम से कम पच्चीस सदस्य खड़े हों तो अध्यक्ष सूचित करेगा कि अनुमति दी जाती है। यदि 25 से कम सदस्य खड़े हों, तो अध्यक्ष सदस्य को सूचित करेगा कि उसे सभा की अनुमति नहीं है।"

नियम 226 में लिखा है कि-

"यदि नियम 225 के अंतर्गत अनुमति दे दी जाए, तो सभा प्रश्न पर विचार कर सकेगी और विनिश्चिय कर सकेगी या विशेषाधिकार प्रश्न उठाने वाले सदस्य द्वारा या किसी अन्य सदस्य द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उसे विशेषाधिकार समिति को सौंप सकेगी।"

यह आपको अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अधिकार तो है लेकिन उसका प्रयोग करने के लिए मौका दीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यदि आप केवल इसे अपने साथ जोड़ते हैं तो मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* संसदीय लोकतंत्र में जो सर्वोच्च संस्थ है, वह स्थायी है। यह संस्था किसी की प्रॉपर्टी नहीं है चाहे कोई भी पक्ष हो, सत्ता पक्ष हो या विरोध पक्ष हो। यह केवल सदन के आसन का सवाल नहीं है। इससे सम्पूर्ण सदन की मर्यादा भंग हुई है। जानबूझकर विधायिका पर हमला किया गया है। एक लेखक के जरिए जिस तरह का रिमार्क हुआ है, वह अभूतपूर्व है। इसे प्रिविलेज समिति को भेजा जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और कुछ नहीं आपको मेरे विनिर्णय का इंतजार करना होगा। आजकल मेरे बहुत से आलोचक हैं और बहुत से प्रशंसक भी। मुझे बहुत सारी सलाह कागजों पर भी मिल रही हैं। मुझे बहुत से सलाहकारों का लाभ भी मिल रहा है। मुझे प्रेस में प्रतिदिन सलाह मिल रही है। मैंने कहा है मैंने अपना विनिर्णय सुरक्षित रखा है। मैं इसे आज देने के लिए बाध्य नहीं हूं। पिछले शुक्रवार को मैंने कहा था मैं इसे आज दूंगा। परन्तु पिछले शुक्रवार को ही मैंने बाद में कहा था कि मैं इसे इस सप्ताह दूंगा। आज इस सप्ताह का पहला कार्यदिवस है। अभी दो कार्यदिवस और हैं।

अपराह्न 12.11 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) 27 जुलाई, 2005 को ओ एन जी सी के बाम्बे हाई ऑयल प्लेटफार्म में लगी विनाशकारी आग, जिसके फलस्वरूप जीवन तथा करोड़ों रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ, से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखना चाहता हूं। महोदय, 27 जुलाई, 2005 को मुंबई हाई के ओएनजीसी के ऑयल प्लेटफार्म में लगी विनाशकारी आग के फलस्वरूप जीवन तथा करोड़ों रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। इससे उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की ओर मैं माननीय पेट्रोलियम मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसकी ज्यूडिशल इंक्वायरी के लिए मांग करता हूं।

***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** अध्यक्ष महोदय, दिनांक 27 जुलाई, 2005 को सायं 4.05 बजे मुम्बई हाई उत्तर (एमएचएन) प्लेटफार्म में एक बड़ी आग दुर्घटना हुई। मैंने लोक सभा में 28 जुलाई, 2005 को प्रश्न काल के तुरन्त बाद एक वक्तव्य दिया था। तत्पश्चात ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के इस संबंध में मैंने 3.8.2005 को राज्य सभा में एक वक्तव्य दिया। अब मैं 27 जुलाई, 2005 को एमएचएन पर हुई दुर्घटना पर सम्माननीय सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराने का अवसर चाहता हूं।

प्रारंभिक सूचना द्वारा सुझाव दिया गया कि बहु-उद्देश्य सहायता पोत (एमएसवी) "समुद्र सुरक्षा" जो कि ओएनजीसी के स्वामित्व में है और जिसका प्रचालन व रखरखाव सर्विस संविदा आधार पर भारतीय शिपिंग कार्पोरेशन (एससीआई) द्वारा किया जाता है, ने दिनांक 27 जुलाई, 2005 को मेडिकल एवैक्युऐशन के लिए एमएचएन प्लेटफार्म से संपर्क किया था। मेडिकल एवैक्युएशन के प्रचालन के दौरान, एमएसवी एकदम नियंत्रण से बाहर हो गया और प्लेटफार्म से टकरा गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाए रखें। यह एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा हो रही है।

---

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2628/05]

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, इसके दौरान कुछ स्थानीय राइजरों (प्लेटफार्म तक हाइड्रोकार्बन पहुंचाने वाली पाइपलाइन) में टूट-फूट हुई जिसके परिणामस्वरूप हाइड्रोकार्बन दबाव में आ गया और उसमें आग लग गई।

ओएनजीसी ने सूचित किया है कि कुल 383 कार्मिकों को जलते हुए प्लेटफार्म, एक बहु-उद्देशीय सहायता जहाज (एमएसवी), समुद्र सुरक्षा और वेधन रिग एनसी येस्टर को छोड़ना पड़ा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप कोई बातचीत करना चाहते हैं तो कृपया सभा से बाहर चले जाइए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। इस आदत को त्यागना होगा।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है। इतनी महत्वपूर्ण बहस चल रही है और आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आप बोलिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्ष महोदय, ओएनजीसी ने सूचित किया है कि कुल 383 कार्मिकों को जलते हुए प्लेटफार्म, एक बहु-उद्देशीय सहायता जहाज (एमएसवी), समुद्र सुरक्षा और वेधन रिग एनसी येस्टर को छोड़ना पड़ा। सदन को यह जानकर संतोष होगा कि 383 कार्मिकों में से 361 कार्मिकों को बचा लिया गया था जिनमें 6 गोताखोर शामिल हैं जो दुर्घटना के समय विसम्पीड़न में थे और प्रभावित जहाज को तुरन्त छोड़ नहीं सकें।

दुखद रूप से अब तक 11 कर्मियों के मरने की पुष्टि हो चुकी है जिनमें से 8 ओएनजीसी के हैं, 2 एनसी येस्टर के हैं और एक भारतीय जहाजरानी निगम का है। इसमें 11 व्यक्तियों के लापता होने की सूचना है। लापता व्यक्तियों में 7 ओएनजीसी के हैं, 2 पवन हंस के हैं और 2 कर्मचारी उन संविदाकारों के हैं, जो ओएनजीसी के लिये कार्य कर रहे हैं। व्यापक खोज और बचाव कार्य शुरू किये गये थे जिसमें ओएनजीसी, भारतीय नौसेना, तटरक्षक पोतों, पवन हंस हैलीकाप्टरों तथा भारतीय वायु सेना शामिल है। बीजी और कैर्न एनर्जी जैसी निजी तेल और गैस कंपनियों ने भी मदद के लिये हाथ बढ़ाया है। दिनांक 28 जुलाई, 2005 को प्रमुख बचाव कार्य पूरा कर लिया गया था, तथापि, लापता व्यक्तियों के लिये संयुक्त खोज कार्य 1 अगस्त, 2005 की शाम तक तथा 3 अगस्त, 2005 तक तटरक्षक द्वारा जारी थे। किसी भी जीवित कर्मी की तलाश के लिये जहाज ट्रांसिटिंग क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नेट में तटरक्षक भी सक्रिय था। लापता व्यक्तियों को कानूनी तौर पर मृत घोषित करने की प्रक्रिया अभी लम्बित होते हुये भी ओएनजीसी के मंडल ने सभी लापता व्यक्तियों के परिवारों को 11 मृतकों के परिवारों के समान ही पूर्ण सहायता राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। मैंने राष्ट्र की ओर से शोकग्रस्त परिवारों को अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट की है और प्राण गंवाने वाले और लापता प्रत्येक व्यक्ति की पत्नी को व्यक्तिगत तौर पर पत्र भेजे हैं जिनमें उनको यह आश्वासन दिया है कि उनका पुनर्वास करना हमारा परम कर्तव्य होगा। मैं सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि आज से 6 दिन बाद 22 अगस्त को समस्त पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जायेगा और ओएनजीसी के हर पीड़ित परिवार के एक सदस्य को रोजगार दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, तलाश करने और बचाव के कार्यों की तीव्रता और प्रभाविकता की मीडिया में बहुत प्रशंसा हुई है। मैं आशा करता हूं कि सदन मेरे साथ ओएनजीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, उनके निदेशक (वित्त) जिन्होंने मुम्बई से जहां वह असहाय थे, तत्काल आपात उपायों की निगरानी की और ओएनजीसी के अन्य सभी अधिकारियों और कर्मचारीगण को उनकी तत्परता और सुव्यवस्थित प्रतिक्रिया के लिये बधाई देना चाहेंगे जिसमें सैंकड़ों मूल्यवान जिन्दगियों को बचाया जा सका। मुम्बई शहर में बाढ़ और वर्षा द्वारा पैदा हुई गंभीर अस्तव्यस्तता के कारण उनकी उपलब्धि और भी अधिक उल्लेखनीय है। विद्युत विफलता के कारण बांद्रा (पूर्व) में नियंत्रण कक्ष ने काम करना बंद कर दिया था। सभी संचार सम्पर्क कट गये थे। बाढ़ की स्थिति के कारण जुहू हैलीबेस पर चार्टर्ड हैलीकाप्टरों का बेड़ा पूर्णत: जमीन पर खड़ा करना पड़ गया था। फिर भी प्रतिक्रिया का कारगर ढंग से प्रबंधन करने के लिये एक आपात नियंत्रण केन्द्र तत्काल स्थापित किया गया।

दुर्घटना के बाद हवाई अड्डे पर उतरने वाली पहली उड़ान से ओएनजीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और दिल्ली स्थित उनके वरिष्ठ अधिकारी मुम्बई पहुंच गये, थे। दुर्घटना स्थल का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद मैं प्रधानमंत्री जी की विशेष उड़ान से 28 जुलाई की दोपहर बाद मुम्बई पहुंच गया। वहां पहुंचते ही मैं इन्दिरा डॉक गया जहां अनेक जीवित बचे लोगों से मिलने और उनहें सांत्वना देने के लिए मैं मौजूद रहा। उनसे मुझे उदाहरणीय अनुशासन का प्रत्यक्ष रूप से देखने का मौका मिला जिससे दुर्घटना स्थल से निकलने की कवायद पूरी हुई और दुर्घटना में फंसे लोगों द्वारा प्रदर्शित महान साहस दिखाया गया।

ओ.एन.जी.सी. के उन अग्नि बचाव कर्मचारियों के एक ग्रुप की कहानी विशेष रूप से दिल दहलाने वाली थी, जिन्होंने इंजिन

[श्री मणि शंकर अय्यर]

कक्ष में फंसे कुछ व्यक्तियों को बचाने में सफलता हासिल की परन्तु जब वे दूसरों को बचाने के लिए वापस गये तो स्वयं मारे गये। मुझे विश्वास है कि यह सदन उनकी सहादत को श्रद्धांजलि देने में मेरा साथ देगा।

ओ.एन.जी.सी. के सहायता और आपूर्ति जहाजों को खोज और बचाव कार्य के लिए तुरंत जुटाया गया और जीवन रक्षक नावों, जीवन रक्षक नौकाओं और तरंगित समुद्र से अनेक जीवित लोगों को बचाया गया। परन्तु सबसे पहले मैं राष्ट्र की ओर से नौसेना तथा तटरक्षक बल को कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने खोज और बचाव कार्यों को बहुत सफलतापूर्वक करने में उल्लेखनीय कार्य किया।

जब हमारा अधिकांश पवन हंस बेड़ा मुम्बई में जमीन पर खड़ा था तो अपतट कार्य में लगाए गए हैलीकाप्टरों ने आसपास के इलाके में 20 मानव रहित ढांचों में से प्रत्येक तक ओ.एन.जी.सी. कर्मिकों के साथ उड़ान सार्टीज का उल्लेखनीय कार्य किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कट आफ वाल्वस को पहले से ही रोकने का प्रबंध करने के लिए बंद किया जा सकें, जो अन्यथा भारी पर्यावरणीय संकट बन सकते थे।

दुर्घटना के परिणामस्वरूप तेल के किसी बहाव की संभावना के प्रभाव को कम करने हेतु विक्षेपी पदार्थों से प्रभावित क्षेत्र में तुरन्त छिड़काव करने के लिए तटरक्षकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। सौभाग्यवश तेल का बिखराव सतह पर एक पतली परत है, इसकी प्रकृति अवशिष्ट है और यह आपदा के उसी क्षेत्र तक सीमित रहता है और इसलिए यह बिना किसी गंभीर प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणामों के बिना बिखरा हुआ था।

यद्यपि, एमएचएन प्लेटफार्म इस पर मौजूद एक पवन हंस हैलीकाप्टर के साथ दो घंटे से कम समय में क्षतिग्रस्त हो गया था, इस कारण से ओ.एन.जी.सी. को कोई भारी वित्तीय हानि नहीं होगी, क्योंकि प्लेटफार्म 195 मिलियन अमरीकी डालर के लिए बीमाकृत था। एमएसवी समुद्र सुरक्षा, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 2 अगस्त, 2005 को बहुत सुबह जब उसे पत्तन की ओर खींचा जा रहा था, तट से करीब 28 नाटिकल मील की दूरी पर डूब गया। ओएनजीसी, की अपतट पैकेज बीमा नीति के तहत प्लेटफार्म के साथ-साथ एमएसवी 60 मिलियन अमरीकी डालर के लिए बीमाकृत था। डूबे एमएसवी का पानी के नीचे गिर गए सर्वेक्षण और इस संबंध में किसी आगामी कार्रवाई पर केवल मानसून के पश्चात ही निर्णय लिया जा सकता है। ओ.एन.जी.सी. दुर्घटना से उत्पन्न हुए घाटों को पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करवाने की प्रक्रिया में है। तथापि, ओ.एन.जी.सी. ने प्लेटफार्म के लिए लगभग 195 मिलियन अमरीकी डालर तथा एमएसवी समुद्र सुरक्षा के लिए 60 मिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का बीमा कराया था।

जहां तक उत्पादन की हानि का संबंध है, प्लेटफार्म के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही तत्काल 1,23,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावि हुआ है, जो देश के घरेलू उत्पादन का 15% से अधिक बनता है। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि दुर्घटना के कुछ घंटों के अंदर ही एक आपातकालीन योजना को अमल में लाने के परिणामस्वरूप, ओ.एन.जी.सी. सितम्बर, 2005 के प्रथम सप्ताह तक उत्पादन हानि का 70% पुनः प्राप्त करने में सक्षम हो जायेगी।

हमें आशा है कि इसके बाद कुछ सप्ताह के अंदर शेष उत्पादन को काफी हद तक प्राप्त कर लिया जाएगा। मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि इस दुर्घटना से किसी भी रूप में देश की ऊर्जा सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया। मुम्बई हाई में हो सकने वाली उत्पादन हानि को पूरा करने के लिए कच्चे तेल की किसी सीमांत अतिरिक्त प्रमात्रा की खरीद के लिए हमारे पास वित्तीय संसाधन हैं।

दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए ओएनजीसी द्वारा एक आंतरिक जांच के आदेश दिये गए हैं। इसके अध्यक्ष ओएनजीसी के पूर्व अध्यक्ष, श्री एस.के. मांगलिक होंगे और इसमें ओएनजीसी के पूर्व निदेशक, श्री ईश्वरी दत्त तथा गेल के पूर्व अध्यक्ष, श्री एच.एस. चीमा शामिल होंगे। शैल ने जांच में मदद का प्रस्ताव किया है और शैल के एक विमानन विशेषज्ञ को भी सलाहकार के तौर पर लिया गया है। समिति को अपनी रिपोर्ट ओएनजीसी को प्रस्तुत करने के लिए अक्टूबर, 2005 तक का समय दिया गया है।

इसके अलावा, मैं दुर्घटना होने की परिस्थितियों और अन्य संबंधित मामलों की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच समिति का गठन करने की प्रक्रिया में हूं। संबंधित एजेंसियां जैसे फ्लैग अफसर, रक्षा सलाहकार समूह तथा सलाहकार अपतटीय सुरक्षा एवं रक्षा, भारत सरकार (एफओडीएजी), महानिदेशक, जहाजरानी और बीमा कंपनी का प्रतिनिधि तथा डीजी, डीजीएच को समिति की सहायता करने और अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तावित हैं। इस बीच, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है। इस प्रस्ताव पर चर्चा के समापन के बाद एक उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच समिति के गठन को अंतिम रूप देने का प्रस्ताव करता हूं ताकि इस संबंध में मेरे कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले इस सदन का मतैक्य मुझे उपलब्ध हो जाए।

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो लोग इस हादसे में मारे गए, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः हम भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। हम पहले ही अपनी चिन्ताएं व्यक्त कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो 11 लोग अभी भी मिसिंग हैं, वे बच जाएं, हालांकि यह चमत्कार ही हो सकता है। ओएनजीसी के कर्मचारियों को बचाने के लिए जिन लोगों ने भी मदद की, चाहे वे कोस्ट गार्ड के हों या दूसरे लोग हों, उनके प्रति मैं सदन की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने अर्द्धसत्य बताया है। मैं कोई पोलिटिकली मोटिवेटेड बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं मांग करता हूं देश को जो करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है उसकी ज्यूडीशियल इनक्वायरी होनी चाहिए। मंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट में इनक्वायरी कमेटी की स्थापना की बात की है। इस इनक्वायरी कमेटी में कौन लोग हैं—एक्स चेयरमैन ओएनजीसी। ओएनजीसी का ऐसा रिवाज है कि कोई भी डायरैक्टर पांच वर्ष ओएनजीसी में काम करता है तो उसके रिटायर होने के बाद भी उसे घर दिया जाता है, सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, लैपटॉप दिया जाता है, क्लब मैम्बरशिप भी दी जाती है। लेकिन यदि कोई कर्मचारी 30-40 साल काम करके एकाध महीने भी ज्यादा मकान में रहता है तो उस पर पैनल्टी लगा दी जाती है, जबकि इनके यहां रॉयल्टी दी जाती है। ऐसी जगह से कैसे न्याय मिल सकता है? इस लिए मैं सुप्रीप कोर्ट के तहत इसकी ज्युडिशियल इनक्वायरी की मांग करता हूं।

मंत्री जी ने कहा कि ओएनजीसी प्लेटफार्म के लिए लगभग 195 मिलियन अमरीकी डालर, यानी 505 करोड़ रुपये मूल्य का बीमा कराया गया था। नया प्लेटफार्म लगाए जाने पर करीब 400 करोड़ रुपये लगेंगे। यानी 105 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। परसों मैंने सवाल पूछा था कि इसमें जो 8500 करोड़ रुपये इनवैस्ट किये गए, चार-पांच सालों में, वे कहां गए? 15000 करोड़ रुपये बॉम्बे हाई नॉर्थ और बॉम्बे हाई साउथ में इनवैस्ट हुए, उसका नुकसान कौन भरेगा? 15000 करोड़ रुपये इनवैस्टमैंट का नुकसान हो गया। इन्होंने सुरक्षा बोट का खर्च 60 मिलियन डालर बताया। 60 मिलियन डालर का मतलब 240 करोड़ रुपया होता है। अगर आप नई बोट खरीदने जाएंगे तो उसका दाम क्या होगा, यह आप सोच लीजिए। उससे हमें घाटा हुआ है। उसका दाम सौ मिलियन डालर से ज्यादा होगा। हमें 107 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। यदि डालर को चालीस रुपये माना जाए, तो भी इतना ही घाटा होता है। इन्होंने कहा है कि 1 लाख 23 हजार प्रति दिन का उत्पादन है। मैंने हिसाब लगाया था और आपने स्टेटमेंट दिया था कि एक महीने में हम लोग सब ठीक कर देंगे, लेकिन तीस प्रतिशत घाटा एक दिन में लें, पहले मैंने एक महीने का घाटा लिया था, यानी चालीस रुपए प्रति बैरल। हम साठ डालर एक बैरल की कीमत लेते हैं, आजकल तो 67 डालर एक बैरल का रेट है। साऊदी अरब और ईरान उत्पादन करते हैं, हमारे यहां उत्पादन बंद हो गया है। इस तरह से 70 से 90 डालर तक प्रति बैरल कीमत हो सकती है। 11 महीनों में 2445 करोड़ रुपयों का घाटा हो रहा है और एक महीने में 720 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है—इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मुझे पहले से पता है और मुम्बई के बहुत से लोग वहां काम करते हैं, इसलिए मुझे इस बारे में जानकारी है कि बीएचएनएल में जो काम करते हैं, वे जोखिम लेकर काम करते हैं। उनका और दुनिया का आपस में कोई संपर्क नहीं रहता है। बीएचएनएल में एनएच 7 पर काम हो रहा था। जो घायल आदमी लाया गया, वह कहां है? वह जिंदा है या मर गया, मंत्री महोदय ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है। वह घायल आदमी एनएच 7 में था। मेरे पास एससीए की रिपोर्ट है। इसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने बताया कि एनएच-7 में जो सुरक्षा बोट है, उसका सिर्फ कठिन परिस्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाता है। उसमें फायर फाइटिंग के सभी इक्वीपमेंट्स हैं। जो घायल था, वह किचन में काम करने वाला लड़का था, उसे लाने के लिए बीएचएनएल के कर्मचारी भी प्लेटफार्म पर गए थे। जब क्रेन का कंट्रोल छूटा, तब उसका बास्केट नीचे गिर गया। उसका कंट्रोल कैसे छूटा? वर्ष 1982 में यह जहाज खरीदा गया था, वह जहाज वहां ले कर जाने की क्या जरूरत थी? अगर उस आदमी को लाने की उस जहाज की कैपेसिटी नहीं थी, तो उस जहाज को क्यों भेजा गया? मेरे पास फोटो भी हैं, शायद मंत्री जी के पास न हों। जिस तरह से वह जहाज घूम कर आया उसकी वजह से वह टकरा गया। अगर उसकी कैपेसिटी नहीं थी तो उस आदमी को लाने के लिए किस ने आदेश दिया? क्या ओएनजीसी के किसी अधिकारी ने आदेश दिया था कि घायल आदमी को सुरक्षा बोट से लाया जाए? वहां एक हेलीकाप्टर था। मेरी जानकारी के मुताबिक उस दिन शाम को हेलीकाप्टर उड़ने वाला था। घायल आदमी को हेलीकाप्टर से भी लाया जा सकता था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जिस इंजन में ताकत नहीं थी, उस जहाज को जाने क्यों दिया गया? किसी भी जख्मी व्यक्ति को लाने का काम सिर्फ सप्लाई बोट का होता है। उस दिन सप्लाई बोट को क्यों नहीं भेजा गया? मैंने पढ़ा कि सप्लाई बोट एक घंटे में वहां पर पहुंचव गई यानी पांच नॉटिकल माइल्स के अंदर वह सप्लाई बोट थी।

वहां उस बोट का इस्तेमाल नहीं किया। आपने क्यों इतनी जानें गवाईं? उन्हें निकालने का आदेश किसने दिया? सरकार कहती है कि हमने 11 लोगों को पैसा दिया। इस प्रकार सरकार सदन को गुमराह करना चाहती है। सरकार ने पैसा दिया, लेकिन क्या

[श्री मोहन रावले]

आप उनकी जान भी वापस ला सकते हैं? जिनकी जान गई, उनके परिवारों को पैसा देने या उनके आश्रितों को नौकरी देने से उनकी जान वापस नहीं आ सकती। उन की जान की कीमत करोड़ों रुपए देकर भी नहीं चुकाई जा सकती। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों की जानें गई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है?

महोदय, समुद्र में स्टॉर्म था, लेकिन सप्लाई बोट वहां आ सकती थी। सप्लाई बोट का काम इन्ज्योर्ड पर्सन्स को लाना होता है। वह इन्ज्योर्ड पर्सन्स को लेकर जा सकती थी। वहां से एस.एच.-7 दूर था, लेकिन एन.एच.-7 भेजा सकता था, ओ.एन.जी.सी. के ऑफीसर को भेजा जा सकता था। स्टॉर्म था, लेकिन वैदर रफ नहीं था। यदि वैदर रफ था, तो दूसरी बोट कैसे चली गई। मुझे वहां के बारे में मालूम है, मैं वहां गया हूं, वहां बरसात बहुत कम होती है। ऑफशोर बरसात कम होती है। दूसरी बोट रफ सी में कैसे चली गई? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं मानता हूं कि इन मामलों की जांच होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, इसकी जुडीशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने यह बात बोली है।

श्री मोहन रावले: मेरे पास बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। सदन को इस बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए मैं सदन को बताना चाहता हूं और मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि स्पष्ट और सत्य उत्तर दें।

मैंने परसों भी एक प्रश्न किया था, उसका भी इन्होंने सत्य उत्तर नहीं दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो-तीन दिन पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि ओ.एन.जी.सी. ने 8,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, उससे कितने तेल का उत्पादन हुआ, वह बढ़ा या नहीं, लेकिन मंत्री जी ने उसका भी सही जवाब नहीं दिया। मैं इनके ऊपर प्रिविलेज मोशन ला सकता हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: यह बहुत गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन रावले, जो कुछ घटित हुआ है वह काफी गंभीर मामला है। आपने इस मामले को सही उठाया है। आपने लोगों को बचाने हेतु। किए गए प्रयासों की स्वयं प्रशंसा की है। इस संबंध में जांच चल रही है। आप अन्य लोगों पर टिप्पणी करने के बजाय कृपया अपना प्रश्न पूछिए जिसका उत्तर दिया जा सके। कृपया अपना प्रश्न पूछिए। मैं आश्वस्त हूं कि माननीय मंत्री महोदय, निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे तथा समिति भी इस पर निर्णय ले सकेगी।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: सर, इससे पहले कृष्णा-गोदावरी बेसिन में आग लगी थी। उसकी जांच भी इनकी इंटरनल कमेटी ने की थी। गुजरात पाइपलाइन से तेल चोरी हुआ था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये दूसरी बातें हैं।

...(व्यवधान)

श्री मोहन रावले: सर मैं बता रहा हूं। करोड़ों रुपए की हानि हुई है। इन सबकी जांच के लिए इनकी इंटरनल कमेटी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बातें कह दी हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: इनकी इंटरनल कमेटी है। उससे कैसे न्याय मिल सकता है। जिस ओ.एन.जी.सी. के डायरेक्टर को* वह कैसे न्याय दे सकता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: व्यक्तिगत आक्षेप को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: सर, इसकी इन्क्वायरी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपने इस विषय पर अपनी बात कह दी है। मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

आपने सुप्रीम कोर्टस के रिटायर्ड जज से इन्क्वायरी करने की मांग की है।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: मैं आपको बताना चहाता हूं कि मेरे पास फोटो हैं। इनमें हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाया गया है। वह बी.एच.एस. का हेलीकॉप्टर था। वहां मुम्बई हाई साउथ का भी हेलीकॉप्टर था। वहां से हेलीकॉप्टर क्यों इनजर्ड आदमियों को बचाने के लिए नहीं बुलाया और उन्हें क्यों नहीं बचाया गया। वहां से हेलीकॉप्टर लाया जा सकता था और उन्हें बचाया जा सकता था। ओ.एन.जी.सी. की गलती की वजह से वे लोग मारे गए। इन्होंने अपनी पॉवर का मिसयूज किया। रांग डिसीजन लिया। रफ सी में भी ये लोग हेलीकॉप्टर को लेकर जा सकते थे। वहां सामान्य बोट भी जा सकती थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप अपनी बात ठीक प्रकार से रख चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: फिर ओ.एन.जी.सी. ने ये मैजर क्यों नहीं लिए? उस जगह विमान उड़ सकता था। मेरे पास जो फोटोग्राफ हैं, उन्हें देखने से लगता है कि वहां हेलीकॉप्टर भी उड़ सकता था। इनका हेलीकॉप्टर है। जब हेलीकॉप्टर उड़ सकता था, तो जहां आग लगी थी, वहां हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अब यह बहुत हो गया।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: सर, मेरा इल्जाम है कि ऐवीडेंस को छुपाने के लिए बोट डुबाई गई। जहां एक्सीडेंट हुआ, वहां 72 मीटर डीप में बोट थी। जब बोट डूबी, उसके बाद चार दिन मिले थे। वह बोट 31 जुलाई को निकाली गई। वहां से जहाज निकाला गया। ओ.एन.जी.सी. के अफसर ने क्या किया? जब वहां 22 मीटर डैप्थ थी तो वहां बोट कैसे डूब गई, इसकी सारी इन्क्वायरी होनी चाहिए? अभी तक जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, इनमें हमारा कितना नुकसान हुआ है, उसकी भी सारी इन्क्वायरी होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे ज्ञात है कि आपने बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है। कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मुझे बहुत बोलना था। मैं ओ.एन.जी.सी. के बारे में जानता हूं, मेरे पास बहुत मैटीरियल है, लेकिन क्या सदन संतुष्ट हैं, कोई संतुष्ट नहीं है। इसकी सुप्रीप कोर्ट के जरिये इन्क्वायरी होनी चाहिए और जो सच है, वह बाहर आना चाहिए। लास्ट टाइम इंग्लैंड में जैसा एक्सीडेंट हुआ था, उसकी पब्लिक इन्क्वायरी हुई थी और उसकी गाइडलाइंस हैं कि इसकी पब्लिक इन्क्वायरी होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* इस कमीशन को बन्द किया गया था, इसलिए मैं इसकी मांग करना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: मुझे तो बहुत बोलना था। मैं लास्ट में बोल रहा हूं कि मैं जो बोला हूं सब सच बोल रहा हूं। जो ए.पी.एम. का ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः हर मैम्बर सच बोलता है।

श्री मोहन रावले: उन्होंने गलत बताया, इसलिए मैं बता रहा हूं, उन्होंने जो गलत जवाब दिया है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं एक बार पुनः यह कहूंगा कि मेरे लिए, इस पावन सभा में गलत उत्तर देना, वस्तुतः, विशेषाधिकार हनन का आरोप है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः इसे उठाने के तरीके हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं चाहता हूं कि वह बेबुनियाद आरोप लगाने के बजाय मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएं। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले: मैं लाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप इसका उत्तर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: देवगौड़ा जी के समय में इन्होंने ए.पी.एम. का फैसला लिया था। इन्होंने अभी बताया कि हमारी सरकार को बदनाम करने की इन्होंने कोशिश की है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब माननीय मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैंने अपने मूल वक्तव्य में यह कहा है कि इस सभा के विचार प्राप्त करने के बाद ही मैं उस उच्चस्तरीय जांच की प्रकृति का अंतिम रूप से निर्धारण करूंगा जिसका मैंने आदेश देने का प्रस्ताव किया है। मुझे श्री मोहन रावले की सलाह प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे इस सभा के अन्य पक्षों से सलाह लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। परन्तु, अनौपचारिक रूप से मैं उन्हें इस संबंध में जानकारी दे सकता हूं। दोनों प्रकार के कार्य करने के पूर्वोदाहरण मौजूद हैं— या तो विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच करवाएं अथवा न्यायिक जांच गठित करें। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात तथ्यों को यथाशीघ्र प्राप्त करना है। परिभाषत: जांच आयोग अपनी रिपोर्ट न्यायिक जांच की तुलना में शीघ्र प्रस्तुत करेगा। हमें तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। इस प्रकार मुझे मंगलिक जांच की रिपोर्ट अक्टूबर माह में प्राप्त होगी और मैं उन निष्कर्षों पर तत्काल कार्रवाई करूंगा। इस बीच इस सभा के विभिन्न पक्षों को सूचित करते हुए, मैं यह निर्धारित करूंगा कि तथा न्यायिक जांच होनी चाहिए या नहीं।

श्री मोहन रावले ने कई प्रश्न उठाए हैं। मैं उन पर वही आरोप लगाने की इच्छा नहीं रखता जो वह मुझ पर लगा रहे हैं। यह गुमराह करने का प्रयास है। मैं यह मानता हूं कि श्री रावले इस सभा को गुमराह करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं बल्कि उन्हें उनके खबरी लोगों ने गुमराह किया है। उन्होंने यहां कई मुद्दे ऐसे रखे हैं जिनका कोई आधार नहीं है। मैं उनका एक-एक कर उल्लेख करता हूं।

यह संभव है कि ध्वस्त हो चुके प्लेटफार्म की बीमा राशि की तुलना में उस स्थल पर नया प्लेटफार्म बनाना मंहगा होगा। यद्यपि, मैं इसे सत्यापित करने की स्थिति में तब तक नहीं हूं जब तक कि हम इस संबंध में निविदाएं जारी नहीं करते। यही मैं कहना चहता हूं। क्या वहां नए प्लेटफार्म की सचमुच आवश्यकता है? ओ एन जी सी के हमारे विद्वान अभियंताओं ने यह कर दिखाया है कि एन क्यू प्लेटफार्म पर पाईपलाइनों को जोड़कर हम 70 प्रतिशत उत्पादन को फिर से बहाल करेंगे और इसे चालू करेंगे? कुछ परिवर्तन के साथ हो सकता है हमें ध्वस्त प्लेटफार्म को बदलने की आवश्यकता न पड़े। परन्तु मैं नहीं सोचता कि यह सभा के समक्ष बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है जैसाकि श्री रावले ऐसा विश्वास करते हैं कि वर्ष 2005 में खरीदा गया नया प्लेटफार्म कुछ समय पूर्व खरीदे गए प्लेटफार्म, जो कि ध्वस्त हो चुका है, से ज्यादा मंहगा होगा क्योंकि आपके पास एक बीमा पॉलिसी है जिसमें आपका नुकसान सम्मिलित होगा, यद्यपि, कि इसमें बदले जाने की पूरी लागत सम्मिलित नहीं है।

परन्तु, यहां मैं एक समझौता करूंगा। मैं नहीं चानता हूं कि बदलने पर कितनी लागत आएगी और मुझे यह भी नहीं पता कि हमें बदलने की आवश्यकता पड़ेगी या नहीं। इसलिए, हम इस समय विचार करेंगे।

दूसरे नया प्लेटफार्म खरीदने के प्रश्न के संबंध में, श्री रावले एक बार पुनः आरोप लगाते हैं और जैसाकि अवसर मिलने पर वह हमेशा ऐसा कहते हैं, कि ओ एन जी सी के निवेश का क्या हुआ? वह कहते हैं, ''मुझे तेल कहीं नहीं दिखाई देता।'' इसलिए, मैंने उन्हें जवाब दिया कि आप भिंडी बाजार से कच्चा तेल नहीं खरीद सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कैसे बोल रहे हैं। क्या ये किसी भिंडी बाजार में बोल रहे हैं। ये हमारा अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर गौर करूंगा।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: आप ये क्या भिंडी बाजार बोल रहे हैं? आप किसी भिंडी बाजार में नहीं बैठे हैं। आप हाउस में बैठे हैं। आप एक मंत्री हैं और आपको एक मंत्री की तरह जवाब देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मोहन रावले: आप सभा में बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

यह आपको ध्यान में रखना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: महोदय, मैंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने आपकी बात समाप्त नहीं की है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: आप किसी भिंडी बाजार में नहीं बोल रहे हैं। आप किसी भंगर वाले से बात नहीं कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी, भिंडी बाजार का उल्लेख न करें। उन्हें भिंडी बाजार पर आपत्ति है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने लास्ट टाइम भी ऐसे ही बोला था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने मजाक में बोला होगा।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहल रावले: महोदय, ये इस समाचार के ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हैं। ये अपने आप ही गुस्सा हो रहे हैं। ये ऐसे ही गुस्सा करते हैं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, हाउस में बैठे सभी लोग यही बोलते हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मोहन जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, इसे हाउस की प्रोसिडिंग से निकलवाया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मैं देख लूंगा। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने भी आपकी तरफ से हस्तक्षेप किया है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: आप बाजार से तेल नहीं खरीद सकते हैं। आप को इसे खरीदने के लिए रिफायनरी रखनी होगी।

मैंने श्री रावले को कई बार आंकड़े दिए हैं ओ यह दर्शाते हैं कि यद्यपि, सामान्य गति से ओ एन जी सी के उत्पादन में गिरावट होती। जैसाकि 1990 के दशक के अंतिम वर्षों में हो रहा था, परन्तु तेल निकालने के बेहतर तरीकों से हम उत्पादन में हो रही गिरावट को रोकने में समर्थ रहे हैं। इस प्रकार, देश में उत्पादित हो रहे 33 मिलियन टन तेल में लगभग 30 मिलियन टन तेल का उत्पादन ओ एन जी सी करता है।

इस स्थिति में, ओ.एन.जी.सी. के कार्य-निष्पादन को अनावश्यक रूप से अवमानित करना स्वीकार्य नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें अपना भाषण समाप्त करने दें, हो सकता है आप उनसे सहमत न हों लेकिन आपको उनकी पूरी परी बात सुननी होगी।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: जब प्लेटफार्म के कुल विनाश से बड़ी भारी क्षति की बात आती है, तो माननीय सदस्य से इस बात की वकालत करूंगा कि उन्होंने अपनी गणना में सही गणित का

[श्री मणि शंकर अय्यर]

उपयोग किया है, यदि पूरे वर्ष प्रतिदिन 1,23,000 बैरल की क्षति होती रही तो उन्हें वहीं आंकड़े मिलेंगे जिन्हें उन्होंने अपने अनुमान में पाया है, हमारे ओ.एन.जी.सी. इंजीनियरों की प्रतिभा का धन्यवाद— इसका मेरी योग्यता से कुछ लेना-देना नहीं है और मुझे तेल प्रौद्योगिकी के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कि इस प्रतिफल का 70 प्रतिशत लगभग एक माह के अंदर बहाल कर दिया जाएगा। इसलिए जो 15 प्रतिशत उत्पादन की क्षति वार्षिक रूप से होनी थी, तो पहले माह में हमें इस हानि के बारहवें हिस्से की हानि उठानी पड़ेगी; जो कि 15 प्रतिशत का बाहरवां हिस्सा एक प्रतिशत से थोड़ा अधिक के है, उस क्षेत्र से पूरे उत्पादन का एक प्रतिशत से थोड़ा अधिक की हमें हानि होगी।

अगले कुछ महीनों बाद हमें कुछ अधिक हानि होने की सम्भावना है। यह प्रति माह लगभग 0.4 प्रतिशत या थोड़ा अधिक हो सकती है, इसलिए, कुल मिलाकर, मैं यह अनुमान लगा सकता हूं कि हमें इस तरह से चालू उत्पादन के लगभग 2 प्रतिशत की हानि होगी। यह हानि उस प्लेटफार्म पर संशोधित कच्चे तेल की होगी। जैसा कि मैंने अपने मूल वक्तव्य में कहा था कि यह हमारे लिए बहुत छोटी मात्रा की होगी और हम इसकी प्रतिपूर्ति विदेश से खरीदकर कर सकते हैं और इस प्रकार यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा में कोई ह्रास न हो।

मुझसे माननीय सदस्य, श्री रावले ने पूछा था कि इस प्रकार की चिकित्सा को शुरू करने के लिए एम.एस.वी. का उपयोग क्यों किया गया था, एक एम.एस.वी. ओ.एस.वी. से अलग होता है, एक अपतटीय आपूर्ति पोत बहुउद्देशीय सहायता पोतों से इस कारण अलग होता है क्योंकि ओ.एस.वी. द्वारा जो सभी कार्य किये जा सकते हैं और किए जा रहे हैं उन्हें एस.एस.वी. द्वारा भी किया जा सकता है लेकिन एस.एस.वी. में एक विशेष गुण होता है कि इसके थ्रसटर्स जो कि नाव के चारों कोनों में अवस्थित होते हैं उन्हें कम्प्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस लिए, यह ओ एस वी से कहीं बेहतर होता है और पोत को पानी में खड़ा रख सकता हैं।

पानी में खड़ा रहना एम.एस.वी. का अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है क्योंकि गोताखोरों को पोत से छलांग लगाने के पश्चात गहरे समुद्र में जाना होता है, यह सुनिश्चित करने के लिए पोत को ठीक उसी स्थान पर खड़ा रखना होता है, जहां से गोताखोर छलांग लगाएं और जब वे ऊपर आएं तो उन्हें डिकम्प्रेशन चैम्बर तक ले जाने के लिए पोत उपलब्ध रहे। यह थ्रसटर्स अत्याधुनिक यंत्र होते हैं जो कि एम एस वी को अपनी स्थिति में रखते है और विशेषकर ऐसी परिस्थितियों में जहां समुद्र अत्यधिक भयानक और मौसम अत्यधिक खराब होता है, यह निर्णय लिया गया कि चिकित्सा के लिए एम.एस.वी. द्वारा नजदीकी सुविधा उपलब्ध कराई जाए न कि ओ.एस.वी. द्वारा, यह तो जानबूझकर अपनी उंगली मिक्सी में डालकर कटवाने जैसी बात हो गई। मैं समझता हूं, यदि हम ओ.एस.वी. को लेते तो संबंधित अधिकारी गलती करते लेकिन एस.एस.वी. लेकर हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे थे कि सभी संबंधितों की सुरक्षा बढ़ाई जाए और उसमें कटौती न की जाए।

अब, माननीय सदस्य ने पूरी तरह से गलतफहमी वाला वक्तव्य दोहराया है कि जो मीडिया में बार-बार आता रहा है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः रावले जी, यह सही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावलेः मैं जानकारी के लिए पूछ रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः रावले जी, कृपया नियमों का अनुपालन करें, मैं नहीं जानता कि कितने माननीय सदस्यों को इस मामले में विशेषज्ञता प्राप्त है। यह जांच किए जाने वाला मामला है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः रावले जी, आप केवल एक प्रश्न पूछने के हकदार हो लेकिन मैंने आपको 13-14 मिनट बोलने के लिए दिए है।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यरः उन्होंने बताया कि एम.एस.वी. प्लेटफार्म की गलत ओर गया। मैंने प्रेस में इस वक्तव्य को देखा है। मामले की सच्चाई यह है कि वह एम एस वी प्लेटफार्म के दोनों ओर नियमित रूप से जाता रहता है। किसी एम.एस.वी. के लिए प्लेटफार्म के उत्तर या दक्षिण में दोनों ओर जाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है।

जैसा कि वह मुझे फोटोग्राफ दिखा रहे थे, मुझे ये उन्हें सौंपने में खुशी होगी और वास्तव में आपकी इच्छानुसार सभा में भी इन्हें उपलब्ध कराने में भी। इन फोटोग्राफ्स में प्लेटफार्म का डिजायन दिखाया गया है कि एम एस वी का दोनों ओर नियमित रूप से आना संभव है। इस विशेष मामले में, जो कि प्लेटफार्म की दक्षिण की ओर था में दो रबड़ के खम्बे रबड़ संरक्षण के लिए लगे हैं

जिस पर यह विशेष पोत आया था, अब जांच समिति हमें बताएगी कि वास्तव में क्या हुआ ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें जांच समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए।

श्री मणि शंकर अय्यर: यदि आप बुरा न मानें तो क्या मैं अभी बता सकता हूं? मैं समझता हूं कि गलत धारणाओं को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। मैं नहीं जानता कि क्या यह थ्रसटर्स ही था जो असफल रहा है, यह तो पूरी तरह असंभव है कि चारों थ्रसटर्स एक साथ असफल हो गए लेकिन ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी जांच की जानी है।

जो वहां हुआ लगता है कि वहा अचानक जल वृद्धि और अप्रत्याशित उछाल आया जिसने इस पोत को अभूतपूर्व तरीके से फैंक दिया जिससे यह पोत रेलिंग के ऊपर चढ़ गया और एम.एस.वी. का निचला हिस्सा प्लेटफार्म से लगकर टूट गया, इससे राइजर्स टूट गया, इसे सामान्यत: नहीं किया जाता है क्योंकि वहां ऐसी रेलिंग होती है जो प्लेटफार्म के चारों ओर लगी होती है और यह सामान्यत: ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए काफी ऊंची होती हैं।

इस तथ्य को बढ़ाचढ़ कर कहा जा रहा है कि प्लेटफार्म से बास्केट को घायल मरीजों को लाने के लिए गिराया जा रहा था। यह सामान्य मानक प्रक्रिया है और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई गलत बात है, वह कह रहे थे कि प्लेटफार्म पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। वास्तव में वह वहां था क्योंकि इन राइजर्स को टक्कर लगी थी और हाइड्रोकार्बन अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं जिससे आग लग गई।

अब जब इसमें आग लग गई, हम जानते हैं कि पवन हंस हेलीकॉप्टर नष्ट हो गया था। परन्तु क्या यह हेलीकॉप्टर सीधे लपटों के लगने के कारण नष्ट हो गया था या यह एविएशन टर्बाइन फ्यूल बैरल के टकराने से नष्ट हो गया था जो कि हेलीकॉप्टर के निकट स्टोर किया गया था यह कुछ ऐसी बात है जिसकी जांच की जाएगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तब, आपको ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बजाय नियम 193 के अधीन चर्चा के लिए कहना चाहिए था।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां कमेंटरी जारी नहीं रह सकती है। मैंने विषय के महत्व को समझा है। मैंने आपको लगभग 15 मिनट तक बोलने की अनुमति दी है जबकि आप केवल एक प्रश्न पूछने के हकदार हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: यह कहना भी अत्यधिक गुमराह करने वाला है कि एम एस वी में इंजिन पावर का अभाव था। इसमें इस विशेष आपरेशन के लिए अपेक्षित इंजिन पॉवर से अधिक पॉवर थी। मेरा विश्वास है कि इस सदन में कुछ झूठों का पर्दाफाश करना आवश्यक है जो कि इस सदन में नहीं कहा गया क्योंकि कोई इस सदन में झूठ नहीं बोल सकता है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गलत सूचना।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: परन्तु हमने जो मीडिया में कुछ झूठ देखे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उसे सही कर दिया है। उसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार (नालंदा): यह असंसदीय ...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: यदि आप सदन में कहते हैं तो असंसदीय है। यदि आप इसे सदन के बाहर कहें तो यह असंसदीय नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय, बुरा मत मानें। श्री नीतीश कुमार के हस्तक्षेप पर प्रतिक्रिया व्यक्त मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: इन परिस्थितियों में, मुझे अत्यंत खेद है कि इस चर्चा का नैतिक स्तर उससे काफी कम हो गया है जितना राज्य सभा में था। मेरे विचार से इस जैसे गंभीर मामले पर हमें इसका निवारण गंभीरतापूर्वक करना चाहिए। जांच समिति यह कर रही है। मैं माननीय सदस्य श्री मोहन रावले द्वारा दिए गए सुझाव को मानने का इच्छुक हूं। परन्तु हम इस पर केवल तभी कार्रवाई करेंगे जब सभी वर्गों की सहमति होगी, यह सदन उच्च स्तरीय स्वतंत्र जांच की न्यायिक जांच को प्राथमिकता देगा जो विचार पहले मेरे मन में था।

अपराह्न 12.58 बजे

(दो) बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की जीर्ण-शीर्ण हालत से उत्पन्न स्थिति

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार राज्य के राजमार्गों की टूटी-फूटी हालत के संबंध में माननीय मंत्री सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, आप सभी को पूरी जानकारी है और हम इस ध्यानाकर्षन प्रस्ताव को अनुमति देने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। आप केवल एक स्पष्टीकरण मांगने के हकदार हैं। श्री प्रभुनाथ सिंह जैसे एक अनुभवी सदस्य ने भी अन्य माननीय सदस्य के नोटिस पर हस्ताक्षर किए हैं। नियमों के अंतर्गत यह माना जाएगा कि उन्होंने नोटिस नहीं दिया है। यह मेरा निर्णय नहीं है। परन्तु आज उन्होंने इसकी मांग की है। मैं उन्हें अनुमति दूंगा परन्तु इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल एक स्पष्टीकरण मांगिए। माननीय मंत्री महोदय अति विस्तृत उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संभवत: मैं भविष्य में माननीय मंत्रियों से यह अनुरोध करूंगा कि वे भाषण की प्रतियां संबद्ध सदस्यों को पहले ही दे दें ताकि इन्हें पूरी तरह से पढ़कर सुनाने की आवश्यकता न रहे। यह तीन पृष्ठ का वक्तव्य है।

...*(व्यवधान)*

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी. आर. बालू): महोदय, क्या मैं इसे सभा पटल पर रखूं?

...*(व्यवधान)*

*बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3629 कि.मी. है जिसमें से इस समय 799 कि.मी. मार्ग के विकास और रख-रखाव का कार्य भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा किया जा रहा है और शेष 2830 कि.मी. मार्ग के सुधार और रख-रखाव का कार्य इस मंत्रालय की ओर से सड़क निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग स्कंध), बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है।

बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति के बारे में ताजा जानकारी प्राप्त करने के लिए, मैंने अपने मंत्रालय के अधिकारियों और बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग (आरसीडी) के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ जून, 2004 में दौरा किया। मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि मैंने राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की समीक्षा के लिए सबसे पहले बिहार राज्य को चुना। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की गई जिसमें केन्द्रीय रेल मंत्री, केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री, मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री, कृषि, खाद्य और उपभोक्ता मामले राज्य मंत्री और बिहार के संसद सदस्य भी मौजूद थे। मैंने स्वयं पटना से मुजफ्फरपुर तथा मुजफ्फरपुर से कटुआझा तक सड़क से दूरी तय की। राज्य सरकार के साथ चर्चा करके और वास्तविक स्थितियों के आधार पर 890 कि.मी. दूरी के नौ राष्ट्रीय राजमार्गों के विभिन्न खण्डों की पहचान इन्हें चार लाइनों वाले मार्गों में बदलने के लिए की गई। ये खण्ड राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एन एच डी पी) चरण-3 में शामिल कर लिये गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-30 के पटना बख्तियारपुर खण्ड और राष्ट्रीय राजमार्ग-77 के हाजीपुर-मुजफ्फरपुर खण्ड वाले दो कार्यों के लिए निविदाएं 'बनाओ-चलाओ-हस्तांतरण (बी.ओ.टी.)' के आधार पर आमन्त्रित की गई किन्तु उद्यमियों ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। इस मामले के समाधान के लिए, मैंने 28 अप्रैल, 2005 को अपने मंत्रालय और बिहार सरकार के अधिकारियों तथा संसद सदस्यों के साथ एक बैठक थी। उल्लेखनीय है कि एन एच डी पी चरण-3 के अंतर्गत परियोजना को व्यवहार्य बनाने के लिए केन्द्र सरकार परियोजना की कुल सिविल लागत के अधिकतम 40 प्रतिशत के अनुदान को अनुमति देती है। यह व्यवहार्ता अन्तर वित्त पोषण कहलाता है। 28 अप्रैल, 2005 को हुई बैठक में विचार-विमर्श तथा बी.ओ.टी. प्रारूप के अंतर्गत निविदाओं के लिए कोई भी प्रतिक्रिया न आने से सम्बन्धित मुद्दों की गहन जांच के आधार पर यह महसूस किया गया कि अधिकतम व्यवहार्यता अंतर वित्त पोषण की सीमा को बढ़ाने से सम्भाव्य बोलीदाता सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित हो सकते हैं। इसीलिए, इस परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाने के शर्त पर व्यवहार्य अन्तर वित्त पोषण की मौजूदा अधिकतम सीमा को 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है।

बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों के महत्वपूर्ण मार्ग खण्डों में तत्काल मरम्मत हेतु 20 करोड़ रुपये के कार्यों की पहचान कर ली गई है और इनमें से अधिकतर कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किये गए हैं। ये कार्य बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग प्रकोष्ठ द्वारा क्रियान्वित किये जायेंगे।

एन एच डी पी चरण-1 के अंतर्गत स्वर्णिम चतुर्भुज के एक अंश के रूप में एन एच-2 के 206 कि.मी. के खण्ड को चार लाइनों का बनाया जा रहा है। 137 किमी. के खण्ड का कार्य पूर्ण हो चुका है और 69 किमी. का कार्य प्रगति पर है।

*ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2629/05

एन एच डी पी चरण-2 के अंतर्गत, एन एच-28, एन एच-31 और एन एच-57 पर 513 किमी. मार्ग के पूर्व-पश्चिम गलियारे के अंश के रूप में चार लाइनों का बनाया जा रहा है। 122 किमी. के खण्ड पर कार्य क्रियान्वयनाधीन है तथा शेष 391 किमी. के मार्ग के निर्माण कार्य के लिए एन एच ए आई एजेंसी को अंतिम रूप दे रही है।

इसके अलावा, एन एच-57क और एन एच-28क पर कुल 80 कि.मी. के मार्ग को नेपाल से बेहतर ढंग से जोड़ने के उद्देश्य से इसका विकास और मरम्मत एन एच ए आई को सौंप दिया गया है। ये खण्ड एन एच डी पी चरण-3 में शामिल कर लिये गए हैं। एन एच. डी. पी. चरण-3 के शेष 810 किमी. लम्बे सड़क खण्ड का विकास एवं रख-रखाव वर्तमान में बिहार सरकार के सड़क निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजमार्ग के 2830 किमी. की दूरी में से, जो एन.एच.डी.पी. का अंश नहीं है और जिनका रख-रखाव एजेंसी आधार पर मंत्रालय की ओर से राज्य आर सी डी द्वारा किया जा रहा है, 2105 कि.मी. की कुल दूरी को 2000-01 से अब तक सुधार, विकास एवं मरम्मत के लिए अनुमोदित किया गया है। 1685 किमी. की दूरी का कार्य पूरा हो चुका है और शेष 420 कि.मी. की दूरी प्रगति के विभिन्न स्तरों पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग की शेष 725 कि.मी. की दूरी की आयोजना अनुवर्ती वर्षों में की जायेगी।

मैं इस सम्माननीय सभा को यह सूचित करना चाहता हूं कि गत 5 वर्षों के दौरान बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 352.03 करोड़ रुपये और रख-रखाव के लिए 194.06 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की जा चुकी है। चालू वर्ष के दौरान विकास के लिए 79.00 करोड़ रुपये और रख-रखाव के लिए 30.78 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की गई है।

नौवीं पंचवर्षीय योजना और दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, बिहार में 2,373 कि.मी. के राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। ये मार्ग जब राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को हस्तांतरित किये थे तो ये मुख्यत: एकल लाईन/मध्यवर्ती लाइन थे और खराब स्थिति में थे। इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर बहुत ही कम चौड़ाई और ऊंची पट्टी, घटिया ज्योमितिय, कमजोर एवं संकरे पुल तथा पुलिया, अपर्याप्त सुरक्षोपाय आदि थे। इन मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों के स्तर तक लाने के लिए बहुत बड़े निवेश की आवश्यकता है। तथापि, इन कमियों को चरणबद्ध प्रक्रिया से क्रमवार दूर करने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं जो वित्त की उपलब्धता और अन्य कार्यों के बीच प्राथमिकता पर निर्भर है।

उत्तर-बिहार में हर वर्ष आने वाली विनाशकारी बाढ़, सक्षम ठेकेदारों का कमी, बरौनी रिफाइनरी से बिटुमिन की अनियमित आपूर्ति, बिहार के आर सी डी द्वारा कार्य सौंपने में विलम्ब, कानून व्यवस्था की समस्या, वाहनों पर अधिक लदान आदि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार की राह में मुख्य समस्याएं हैं।

माननीय संसद सदस्य, श्री रघुनाथ झा ने पहले भी मुझसे बिहार के एन एच-77, एन एच-104, एन एच-28 क और एन एच-57 के बारे में उल्लेख किया था। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर चरणबद्ध तरीके से सुधार कार्य हो रहा है।

जहां तक एन एच-77 का संबंध है, मंत्रालय ने बागमती नदी की सहायक नदियों पर छह पुलों के पुनर्निर्माण और इम्प्रूवमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी प्रोग्राम (आई आर क्यू) के अंतर्गत 45 कि.मी. के मार्ग के सुधार कार्य को मंजूरी दे दी है। इन पुलों के पूरा होने के बाद यह आशा की जाती है कि एन एच-77 पर यातायात की आवाजाही में पर्याप्त सुगमता आ जायेगी।

एन.एच.-104 एकल लाइन मार्ग है। मंत्रालय ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग के 50 किमी. के खण्ड के सुधार कार्यों को मंजूरी दे दी है। बागमती नदी पर धुब्बाघाट पर उच्चस्तरीय पुल के पुनर्निर्माण कार्य को मंजूरी दे दी गई है और इसे क्रियान्वयन के लिए बिहार राज्य पुल निगम को सौंप दिया गया है।

राष्ट्रीय राजमार्ग-28ए पर पीपर को ही तथा रॉक्सोल के बीच के मार्ग के अनुरक्षण तथा विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपा गया है। इस कार्य को पटरी के साथ-साथ दो लेन का बनाने के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा तैयार की जा रही है।

मुजफ्फरपुर से आरंभ होने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग-57 पूर्वी-पश्चिमी गलियारे का भाग है। पूर्णिया और फोर्बसगन्ज के बीच 79 किलोमीटर लंबे मार्ग के दो पैकेजों के लिए कार्य पहले ही सौंपे जा चुके हैं। शेष 231 किलोमीटर का कार्य सौंपने की प्रक्रिया चल रही है।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि हम बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों के सुधार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: भाषण की प्रति पहले उपलब्ध थी। श्री रघुनाथ झा, मुझे आशा है कि आपको वह पहले ही मिल गई होगी। यह अच्छा है। इसे सभा पटल पर रखा गया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रघुनाथ झा, अपना प्रश्न करिए।

...(*व्यवधान*)

श्री टी. आर. बालू: महोदय, मैंने वक्तव्य सभा-पटल पर रख दिया है।

...(*व्यवधान*)

श्री नीतीश कुमार (नालंदा): महोदय, यह सभा का ध्यान आकर्षित करने के बारे में है।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: छोड़िए भई। कल से होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए श्री रघुनाथ झा और श्री प्रभुनाथ सिंह, दोनों को अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया था। ...(*व्यवधान*)

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रति अनुग्रहीत हूं कि गत वर्ष 24-25 जून को जब उत्तर बिहार लगभग पूरा बाढ़ में डूबा हुआ था और सारा आवागमन ठप्प था, उस समय आपने स्वयं बिहार जाने का कष्ट किया था और सुदूर इलाके में भी गये थे तथा वहां की स्थिति को देखा था और लौटकर आने पर पटना में तत्कालीन मुख्यमंत्री तथा राज्य सरकार के पदाधिकारियों और भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री के साथ बैठक करने के पश्चात इन्होंने घोषणा की थी कि यह एनएचडीपी-फेज-3 के अंतर्गत 890 कि.मी. पथों का यथाशीघ्र फोर लेनिंग सुपर हाइवे बनाया जाएगा जिससे कि बिहार में पथ-परिवहन की मूलभूत सुविधाओं में सुधार हो और उन्होंने यह भी निर्देश दिया था कि यह कार्य एनएचएआई के द्वारा कराया जाएगा।

अपराह्न 1.00 बजे

महोदय, एनएचएआई ने माननीय मंत्री जी के उपरोक्त निर्देश के अनुरूप डी पी आर बनाने हेतु कंसल्टेंट बहाल कर लिया तथा कंसल्टेंट द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया, जो इस प्रकार है- पुरनिया से खगड़िया, एनएच-31-140 किलोमीटर, खगड़िया से बख्तियारपुर, एनएच—31-115 किलोमीटर, मोतिहारी से रक्सौल, एनएच-28ए—67 किलोमीटर, फार्बिसगंज से जोगबनी, एनएच-57ए—13 किलोमीटर, गोपालगंज-छपरा-हाजीपुर, एनएच-85 एवं 19—53 किलोमीटर, पटना से बक्सर, एनएच-84—132 किलोमीटर सोनबरसा से मुजफ्फरपुर, एनएच-77—89 किलोमीटर और मोकामा से मुंगेर, एनएच-80—70 किलोमीटर।

महोदय, उसके बाद इन्होंने बिहार के सांसदों के साथ भी बैठक की और बैठक के बाद अपनी सदिच्छा जाहिर की थी कि मैं यह चाहता हूं कि बिहार की स्थिति में सुधार हो। इन्होंने जो 890 किलोमीटर सड़कों की फोर लेनिंग करने का फैसला किया, उसमें इन्होंने कहा कि 40 प्रतिशत खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी और 60 प्रतिशत उद्यमियों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके लिए टेण्डर भी आमन्त्रित किए गए, लेकिन उसमें किसी भी उद्यमी ने उस टेण्ड में अपनी हिस्सेदारी नहीं की।

महोदय, यह सदन और देश आज पूरी तरह से इस बात से अवगत है कि बिहार की आर्थिक स्थिति क्या है और बिहार में ऐसा कोई उद्यमी नहीं है जो इसमें उस तरह से पैसा लगा सके, जिस तरह से बंगालोर, चेन्नई, मुंबई या कोलकाता में लगाते हैं। इसलिए यह 60 प्रतिशत जो पैसा लगाना है, उसके बारे में मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्य का शत-प्रतिशत खर्च इस विशेष परिस्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा? मैं इसे विशेष परिस्थिति इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि स्वर्गीय राजीव गांधी जी जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 5,500 करोड़ रुपए बिहार को सड़क परिवहन के मद में देने की घोषणा की थी। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार ने इसे स्वीकार करते हुए अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सम्मिलित किया है। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह का कोई प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के पास ले जाना चाहते हैं कि बिहार की बदहाली, गरीबी, बेबसी, आवागमन की स्थिति और नेपाल की नदियों से होने वाले नुकसान को मद्देनजर रखते हुए, सड़कों को फोर लेनिंग करने में आने वाले खर्च को एक विशेष पैकेज के रूप में बिहार को दिया जाए और इस कार्य को पूरा करवाया जाए? इस विशेष पैकेज को जिसकी सड़क परिवहन मद में देने की घोषणा स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने की थी और जिसे इस सरकार ने स्वीकार किया है, आप उसे देकर बिहार की सड़कों को बनवाने का काम करेंगे?

अध्यक्ष महोदय: कॉलिंग अटेंशन में सभी रोड्स नहीं बनवाई जा सकती हैं।

श्री रघुनाथ झा: महोदय, दूसरी बात यह है कि हमारे यहां जो सड़कें हैं, आप अगर देखें तो उनकी हालत बहुत खराब है।

अध्यक्ष महोदय: वह एक सड़क नहीं बनवा रहे हैं और आप बहुत-सी मांग रहे हैं।

श्री रघुनाथ झा: महोदय, लगभग 2600 किलोमीटर सड़कों की स्थिति बिल्कुल जर्जर है। उसमें से 1100 किलोमीटर ऐसी सड़कें जो बिल्कुल चलने लायक नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि यह बहस का समय नहीं है, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री रघुनाथ झा: ये सभी सड़कें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कें हैं और आपने पैसे देने की बात अपने उत्तर में कही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से दो-तीन प्रश्न पूछता चहता हूं—पहले मैंने कहा है कि क्या आप सड़कों की फोर लेनिंग करने के बारे में कैबिनेट के निर्देश से कोई विशेष प्रस्ताव सरकार को देंगे? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण करने के लिए क्या आपने कोई चरणबद्ध योजना बनाई है कि किस सड़क को आप कब तक पूरा कर देंगे? तीसरी बात यह है कि जो सड़कें बिल्कुल चलने लायक नहीं हैं, क्या आप उनको चलने लायक बनाएंगे? मंत्री जी यह भी बताएं कि क्या इसके लिए कोई समय सीमा तय करेंगे कि इतने समय के अंदर बिहार में राजमार्ग की जो टोटल सड़कें हैं, चाहे फोर लेनिंग हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सड़कें हो या ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर योजना की सड़कें हों, इन सभी योजनाओं को आप कब तक पूरा कराएंगे, कृपया अपने जवाब में यह स्पष्ट करें?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह केवल एक प्रश्न पूछेंगे।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अगर एक प्रश्न पूछने की इजाजत देंगे, तो वह लम्बा हो जाएगा इसलिए मैं दो छोटे-छोटे प्रश्न पूछ लेता हूं। ठीक है, दो छोटे-छोटे प्रश्न पूछ लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे पूर्व उदाहरण न समझा जाए। चूंकि आपने गलत हस्ताक्षर कर दिए थे, इसलिए मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

ठीक है, दो छोटे-छोटे प्रश्न पूछ लें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, बिहार में लगभग 4200 किलोमीटर का नेशनल हाइवे है। अभी तक राज्य सरकार से इस 4200 किलोमीटर सड़क के बारे में जो प्राक्कलन आया है, उसके अनुसार कितने पैसे की मांग की गई है और कितनी सड़कों के निर्माण के लिए यह पैसा मांगा गया है? मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करें कि 4200 किलोमीटर में से कितने किलोमीटर सड़क अच्छी है और कितने किलोमीटर सड़क चलने की स्थिति में नहीं है? सड़क निर्माण के लिए टेंडर की प्रक्रिया होती है। उसके बाद केन्द्र सरकार से पैसा जाता है, जिसे राज्य सरकार अपने हिसाब से खर्च करती है। इस प्रक्रिया में कई त्रुटियां हैं। मैं उदाहरणस्वरूप बताना चाहता हूं कि नेशनल हाइवे नम्बर 19 और 101 के बारे में जब टेंडर निकाला गया, वह करीब सात-आठ महीने से पेंडिंग है। जबकि इन रोड्स की स्थिति जर्जर है और इन पर वाहन चलने की स्थिति में नहीं हैं। इसलिए टेंडर की प्रक्रिया में जो गड़बड़ होती है, उसकी मानिटरिंग के लिए क्या केन्द्रीय स्तर पर कोई व्यवस्था है कि टेंडर प्रक्रिया में तत्काल कार्यवाही हो और रोड्स का निर्माण किया जाए?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय अब उत्तर देंगे। इस पर पहले ही सहमति हो चुकी है। यह सही बात नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय अब उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): मैंने सुबह आठ बजे नोटिस दिया था।

अध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस बाद में आया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप देख लें, मैंने आठ बजे नोटिस दिया है। मैं इस बात को चैलेंज करता हूं। यह ठीक नहीं हो रहा है। मेरा नोटिस बोर्ड पर लगा होगा। आप चेक कर लें। यह बिहार के विकास का मामला है। अगर मेरा नोटिस नहीं होगा, तो मैं नहीं बोलूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप दोनों कृपया अपने-अपने स्थानों पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः यह गंभीर चिंता का विषय है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः नहीं तो मुझे सभा को स्थगित करना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः आप जांच कर लें कि मैंने नोटिस दिया है और समय पर दिया है या नहीं। ...*(व्यवधान)* इस तरह से हमारे नोटिस को अनदेखा न किया जाए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर वैसे भी चार सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं। आप चाहें तो नियम देख लें। मैंने समय पर नोटिस दिया है। जो समय पर नहीं देते, उन्हें मौका दे दिया जाता है। यह ठीक नहीं हो रहा। आप स्वयं चैक कर लें। यदि मैंने नोटिस नहीं दिया, तो मुझे बोलने न दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः चूंकि, मुझे कुछ भी कहने का कोई अवसर नहीं मिल रहा हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः मंत्री महोदय, कृपया अपने स्थान पर बैठिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, मैं क्षमा चाहता हूं। आप यह अच्छी तरह जानते हो कि चार सदस्यों के लिए कोई नियम नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः रूल है। मैं अभी कोट करता हूं। ध्यानाकर्षण में यह यह नियम है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः मैं नियम कोट करूंगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कोट कीजिए। जब तक आप उसे ढूंढेंगे मैं अपनी टिप्पणियां कर लेता हूं। यदि आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें तो, बहुत कुछ कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः जो कोआपरेट नहीं करते हैं, उन्हें समय दे दिया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आप हमेशा ही अध्यक्षपीठ को चुनौती देते हैं। यही समस्या है।

[हिन्दी]

आप रूल निकालिए और देखिए।

[अनुवाद]

कृपया अपनी पार्टी के माननीय नेता से पूछिए। मैंने सभी माननीय नेताओं के साथ बैठक की थी, जिसमें एक माननीय नेता उपस्थित थे। इस बात पर सहमति हुई थी कि केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को अनुमति दी जाएगी, जिनके नाम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हैं। श्री प्रभुनाथ सिंह ने आज गलती से श्री रघुनाथ झा के साथ नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, मैंने इसे शामिल कर लिया मैंने नियमों से बाहर जाकर यह किया। मैंने यह बिलकुल स्पष्ट कर दिया था।

मैं सभा की कार्यवाही किसी प्रकार चला सकता हूं, यदि आप पूर्वाह्न 10.30 पर कुछ बातों पर सहमत होते हैं और अपराह्न 12.30 बजे उनका उल्लंघन करते हैं?

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः अध्यक्ष जी, मैंने समय से नोटिस दिया है। मैं गैर-जिम्मेदार बात नहीं बोल सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नोटिस देने से ही नहीं होता हैं। आप नियम दिखाइए। सुबह 6 बजे नोटिस देने से भी नहीं होगा। कालिंग अटेंशन देने की प्रक्रिया है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप हर दिन एक नोटिस देते हैं। शायद, श्री शैलेन्द्र कुमार ने 20 नोटिस दिए हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नियम में यह स्पष्ट है कि कालिंग अटेंशन पर अगर हस्ताक्षर हैं तो चार माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा, लेकिन इस सदन में एक परम्परा हो गई है कि 10 बजे से पहले नोटिस देना है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसकी अनुमति दे दी होती और मैं इस पर विचार कर रहा था। परन्तु यदि आप ...

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: ठीक है, सर हम नहीं बोलेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह नहीं कहा था। यह बहुत ही गलत है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: सदन की प्रोसिडिंग देख ली जाए, जिन्होंने 10 बजे से पहले नोटिस दिया है उनको आपने बराबर समय दिया है, ...*(व्यवधान)* मेरा दर्द यही है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अध्यक्ष का स्थान ग्रहण करने को कहूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, हम भी एक प्रश्न पूछने की अनुमति देने का आपसे अनुरोध कर रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने भी नोटिस दिए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने ध्यानाकर्षण नोटिस समय से नहीं दिया है, या फिर नियमों के अनुसार नहीं दिया है। मैं फिर भी अनुमति देने का प्रयास कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हम नियम पुस्तिका को फेंक दें?

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया हस्तक्षेप मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा था, किन्तु किसी के दबाव से नहीं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: एक-एक मिनट का समय दे दीजिए और एक-आध मिनट का हमें भी समय दे दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव। किन्तु इसे पूर्वोदाहरण के तौर पर न लिया जाए। यह नहीं माना जाए कि सदन में थोड़ी समस्या उत्पन्न करने से मैं समर्पण करता हूं। कोई भी सिर्फ एक प्रश्न नहीं पूछ रहा है। श्री मोहन रावले ने लगभग 15 मिनट लिए तथा उन्होंने सात मिनट तक ले लिए जब नियम यह कहता है कि केवल एक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है बोलिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष जी, कल ही स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

महत्वाकांक्षी चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना को और तेजी से बढ़ाया जायेगा, 30 हजार किलोमीटर के राजमार्ग पर निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है और जल्द ही समूचे स्वर्ण चतुर्भुज को बनाया जाएगा। बिहार राज्य के सभी 3600 किलोमीटर लम्बे राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब है और राजमार्गों को उनके मापदंडों के अनुसार पुनर्निर्माण की आवश्यकता है। इनके सुधार हेतु विशेष पैकेज देकर कालबद्ध कार्य-योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार या माननीय मंत्री जी द्वारा पहल करने की कोई कार्य-योजना है, यदि है तो क्या है?

एनएच-57 जो मुजफ्फरपुर से फारबिसगंज तक, जिस सड़क को चार लेन, जो ईस्ट-वेस्ट कोरीडोर का अंश है, वर्ष 2007 तक पूरी करने की योजना है। एनएच-57 का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जाएगा। साथ ही एनएच-104 मीठामोड़ से जयनगर-लोकहा-लौकही तक सड़क कार्य कब शुरू करने की योजना है और एनएच-105 दरभंगा से जयनगर कार्य अधूरा है, उसका कार्य कब तक पूरा किया जाएगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह ध्यानाकर्षण नोटिस अलग-अलग सड़कों के लिए नहीं होता है। श्री सुशील कुमार मोदी जी बोलेंगे। किन्तु इसे पूर्वोदाहरण के तौर पर नहीं लिया जाये और इस संदर्भ में कल इसका उल्लेख किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो पैसा आपने बिहार के लिए दिया है, वहां सड़कों की हालत बहुत खराब है। एनएच-80 में 35 से लेकर मिर्जा-चौकी तक 10 किलोमीटर के स्ट्रेच पर डेढ़ फीट लम्बे और 12 फीट चौड़े गड्ढे हैं। वहां साल दिन से जाम लगा हुआ है। किन्तु कोई भी सड़क पर ट्रैफिक जाम की चिन्ता नहीं कर रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि 35 से लेकर मिर्जा-चौकी तक के स्ट्रेच के लिए आप तत्काल आदेश दीजिए, जिससे वहां मरम्मत का काम शुरू हो सके।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, कृपया मुझे माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: जब हम उड़ीसा की सड़कों का जिक्र करेंगे तब मैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए कहूंगा। मैं आपको उस समय वरीयता दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री टी. आर. बालू: महोदय, मैंने सबसे पहले बिहार राज्य का दौरा किया था। माननीय सदस्य पहले ही बता चुके हैं कि हम 890 कि.मी. लंबी चार लेन की सड़क प्रदान करना चाहते थे। अतएव मैंने अपने अधिकारियों को तुरन्त डी पी आर तैयार करने के सख्त आदेश दिए हैं तथा डी पी आर तैयार कर ली गई है।

डी पी आर तैयार करने के पश्चात हमने निविदाएं आमंत्रित की। तथापि, पिछले एक वर्ष से अनुसूची खरीदने के लिए भी कोई आगे नहीं आया। अत: इसे हमने पिछली मई में बंद कर दिया। कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गई इसका अर्थ है कि लोगों की चार लेन की संविदा में रुचि नहीं है। साथ ही भारत में मैंने जो सबसे बुरी सड़कें देखी हैं, वे बिहार में हैं और मेरा दिल बिहार की सड़कों के लिए रोता है।

मैं जुलाई 2004 में दो दिन बिहार में रहा। मैं लगभग सभी अधिकारियों से मिला। मैं पूर्व मुख्यमंत्री तथा वर्तमान रेलमंत्री आर एंड बी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री तथा सभी से मिला। मैंने 200 से 300 कि.मी. की यात्रा की। मैं नेपाल तक भी गया। मैं एक फासले विशेष को पार नहीं कर सका क्योंकि वहां पर बाढ़ आई हुई थी। मैंने वहां पर सड़कों की दयनीय स्थिति देखी। इसी कारण से मैंने वहां सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की मेरे अधिकारी भी वहां मेरे साथ थे तथा हमने 890 किलोमीटर में चार लेन प्रदान करने का निर्णय लिया। तथापि, वह नहीं किया जा सका। मैं आपको उन क्षेत्रों की संख्या बता सकता हूं जिनके लिए हमने निविदाएं आमंत्रित की। कोई भी आगे नहीं आया।

अब, मैंने एक प्रस्ताव पहले ही बना लिया है और यह देखने के लिए कि 40 प्रतिशत के व्यवहार्य अंतराल को 60 प्रतिशत के स्तर तक किया जाए और इस संदर्भ में एक मंत्रिमंडल नोट पहले ही परिचालित किया जा चुका है। 60 प्रतिशत प्रदान करने के स्थान पर वे 40 प्रतिशत प्रदान कर सकते हैं तथा सरकार 60 प्रतिशत देगी। यह मामला पहले ही परिचालित किया जा चुका है। अपने-अपने मंत्रियों से टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात मैं मामले को मंत्रिमंडल में उठाऊंगा। यही नहीं, मैंने यह मामला योजना आयोग के साथ-साथ भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के साथ दो बार उठाया है। मैंने उन्हें दो पत्र भेजे हैं। मैं वित्त मंत्री के साथ-साथ माननीय प्रधानमंत्री के साथ निरंतर संपर्क बनाए हुए हूं।

मेरे मित्र ने 100 प्रतिशत ईपीसी कोष में प्रस्तावित किया है। हमने फारबिसगंज-सिमराही (40 किलोमीटर), सिमराही-रिंग बंद के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं। दोनों ही सड़कों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं किन्तु कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुई। रिंग बंद-झांझरपुर तथा झांझरपुर-दरभंगा के लिए हमें केवल एक निविदा प्राप्त हुई। चारों निविदाएं निरस्त कर दी गई तथा हमने

दूसरी बार निविदाएं आमंत्रित की हैं। उनके बाद निविदा के दौरान हमें तीन परियोजनाओं के लिए तीन निविदाएं तथा एक परियोजना के लिए दो निविदाएं प्राप्त हुई। अत: इस पर तुरन्त निर्णय लिया जाना है। क्या वे नियमों के अंतर्गत आती हैं, यह देखने के लिए उनकी जांच की जाएगी।

जहां तक सं. 81, 28-बी, 101, 103, 104 तथा 110 का संबंध है, वे सभी 1994 से 2004 के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जा चुके थे। मुझे यह बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इनमें से 583 किलोमीटर एकल लेन वाले हैं। आपको उन्हें एकल लेन मात्र कहना होगा, वास्तव में वे मानक सड़क नहीं हैं। सड़क 20 किलोमीटर में दो लेन वाली है। मुझे यहां यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि वे लगभग धान के खेतों का हिस्सा हैं। धान के खेतों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया था। वे स्तर के अनुरूप नहीं हैं। यदि यह एकल लेन सड़क है तो इसे स्तरीय होना चाहिए। यदि यह दो लेन की सड़क है तो इसे स्तरीय होना चाहिए।

वास्तव में, हम बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। साथ ही मुझे तथ्यों के कहने में कोई हिचक नहीं है। जो हुआ है वह यह है कि 30 से 40 प्रतिशत से अधिक बिहार प्रतिवर्ष चार से पांच महीने पानी में रहता है।

चर्चा के दौरान एक इंजीनियर विशेष से—वहां पर कई इंजीनियर थे—मैंने पूछा—क्या उसके पास कोई समोच्च नक्शा है। उसने उत्तर दिया कि आप किस प्रकार के समोच्च नक्शे की बात कर रहे हैं। जब मैंने पूछा कि क्या उसके पास कोई लेवल है, उसने उत्तर दिया कि कोई लेबल नहीं है। मिट्टी बिछायी सड़कें बनाई जानी चाहिए। डीपीआर बनाने से पहले सैकड़ों वर्षों के जल स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए। कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं था। वहां कुछ नहीं था। मैंने उन्हें एक घंटे तक सिखाया कि सड़कें कैसे बनाते हैं, तथा सड़कें बिछाने से पूर्व मिट्टी कैसे बिछायी जाती है और सबग्रेड कैसे ढूंढते हैं आदि। मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ीं। वास्तव में मैं बिहार की सहायता करना चाहता हूं। मैं सदन को वे सारे आंकड़े दे सकता हूं जो सदन मुझसे चाहता है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, बिहार के कॉन्टैक्सट में माननीय मंत्री जी ने कहा कि सिंगल लेन रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया। मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में नेशनल हाइवेज में कितनी सिंगल लेन हैं? मुझे भी इस मिनिस्ट्री को कुछ दिन चलाने का मौका मिला है। उस समय 40 हजार में से 18 हजार किलोमीटर सिंगल लेन थी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह ध्यानाकर्षण के क्षेत्र से काफी परे है।

श्री नीतीश कुमार: मंत्री महोदय सिर्फ बिहार पर दोष क्यों लगा रहे हैं? वह यह दोष क्यों लगा रहे हैं कि 1999 से 2004 के बीच कुछ धान के खेतों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया था *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई भी बिहार के खिलाफ नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: उन्होंने पूर्व सरकार पर आक्षेप लगाये हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं किसी को किसी पर आक्षेप लगाने की अनुमति नहीं दूंगा। बिहार हमारे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है। हमारी इस सभा में बिहार के कई योग्य प्रतिनिधि हैं।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: पूरे देश में नेशनल हाईवेज कितनी सिंगल लेन हैं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

देश में कितनी सिंगल लेन वाली सड़कें हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, कृपया अपनी बात समाप्त करें। आप उन प्रत्येक से नहीं निबट सकते।

श्री टी. आर. बालू: 2063 किलोमीटर सिंगल लेन में से *...(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: मैं सिर्फ जानना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: वे दूसरी जगह भी होंगी।

...(व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार: कितनी सिंगल लेन्स को नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया गया। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, इस ध्यानाकर्षण में ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता। मैं आपको दूसरा प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दूंगा। मंत्री महोदय, मैं समझता हूं, आपने पूरा उत्तर दे दिया है।

श्री टी.आर. बालू: 2 लेन से कम की कुल लंबाईव 2630 किलोमीटर है, वह 57 प्रतिशत है और दो लेन वाली सड़क की लंबाई 1416 किलोमीटर है, जो कि 39 प्रतिशत है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अभी पूरे देश में नेशनल हाईवेज कितने किलोमीटर हैं और उनमें कितनी सिंगल लेन हैं तथा किस स्टेट की कितनी सिंगल लेन हैं?

[अनुवाद]

हम जानना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं कि कितने धान के खेतों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री नीतीश कुमार, आपके प्रति मेरा कितना प्यार है, आप जानते हैं। लेकिन अभी नहीं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: देते सभी हैं, लेकिन उसे कोई-कोई लेते हैं।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: ...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसका उत्तर नहीं दें। माननीय मंत्री जी, इस हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू: अखिल भारतीय औसत का घनत्व है प्रति हजार वर्ग मीटर पर 19.97 कि.मी., जबकि बिहार को प्रति हजार वर्ग मीटर पर 38.54 किलोमीटर मिला है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे ध्यानाकर्षण को रोकना पड़ेगा। इस सभा में यह एक रिकार्ड है।

...*(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार: मंत्री महोदय जिस तरह से बाता रहे हैं, लगता है कि बिहार में सड़कों की स्थिति बहुत खराब है, ...*(व्यवधान)* यह दूसरी चीज है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नियम 193 के अंतर्गत नोटिस दीजिए, मैं इसकी अनुमति दूंगा। कृपया ऐसा न करें।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, एक-दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप बहुत विस्तार से बोले हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग जानते हैं। जान-बूझकर ऐसा किसलिए करते हैं? कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू: 603 सड़कों के कुछ खंड की स्थिति बहुत खराब है। ...*(व्यवधान)* इन सड़कों का रख-रखाव बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग द्वारा किया जाता है। हमें 122 करोड़

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं हमने 47.00 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिये हैं। अन्य 6.3 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इसे शीघ्र ही स्वीकृत कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने 13 प्रस्ताव भेजे हैं। संसद सदस्यों के साथ हुई बैठक के बाद, हमने राष्ट्रीय राजमार्गों 77, 84, 107, 85, 104, 31 आदि के लिए 22.2 करोड़ रुपए के आठ प्रस्ताव स्वीकृत कर दिए हैं।

इसी समय, मैं कोई शिकायत या अन्य कोई चीज प्राप्त करने के लिए यहां हमेशा उपलब्ध हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बिहार के संसद सदस्यों के साथ बैठक की है।

श्री टी.आर. बालू: मैं बिहार के संसद सदस्यों से दो बार मिला हूं। शायद नीतीश कुमार वहां नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, क्या मैं आपसे यह निवदेन कर सकता हूं कि बड़े प्रयास के साथ हम इसकी अनुमति देने की कोशिश कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: आप अपनी जानकारी के लिए ही मांग लीजिए कि कितने सिंगल लेन नेशनल हाईवे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको बता देंगे। देखकर आपको बता देंगे।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, एक ही निवेदन करना था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया कोई उत्तर न दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और कोई भी महत्वपूर्ण मामले नहीं उठाए जाएंगे। आप लोगों को इतनी अपील कर रहे हैं। हम इस चौदहवीं लोक सभा में पहले 43 या 44 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर चुके हैं।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: मैं अपने मित्र के केवल एक प्रश्न का उत्तर दूंगा क्योंकि वह बहुत चिंतित है। पूरे भारत में सिंगल लेन का प्रतिशत 35 है दो लेनों का 56 प्रतिशत है और चार लेनों का नौ प्रतिशत है। यह इससे भी अधिक है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कहा है। आप इतने क्षुब्ध क्यों हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: रिकार्ड में हो या न हो, लेकिन आपके मन में तो हो गया।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हमारे मन में हो गया।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, हमारा उत्तर तो करवा दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह जगह लंबे भाषण की नहीं है, अगर ऐसा होगा तो हम एलाट नहीं करेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इससे ज्यादा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यहां तक कि मंत्री के वक्तव्य को भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब हम विशेष उल्लेख लेंगे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, अभी उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है उसके अनुसार निजी मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कालेज तथा अन्य प्रोबेशन कोर्सिस में केन्द्र और राज्य सरकारों का जो आरक्षण होता है, वह पूरी तरह

[श्री रामजीलाल सुमन]

समाप्त हो गया है। इस तरह से इन निजी कॉलेजों को खुली छूट मिल जाएगी। ज्यादातर मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज निजी क्षेत्र में हैं, यही परीक्षाएं आयोजित करेंगे और उन्हीं को प्रवेश देने का अधिकार होगा। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से सामाजिक रूप से पिछड़े और निर्बल वर्ग के छात्र वंचित रह जाएंगे। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला प्राकृतिक और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा है कि इस सरकार की वचनबद्धता है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण देने का काम करेगी। उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है इससे गरीब, पिछड़े और दलित लोगों को किसी भी कीमत पर पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह ठीक नहीं है। मैं कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देने जा रहा हूं। मैंने आपको केवल इसका उल्लेख करने को कहा था और यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा चुका है। कार्यवाही-वृत्तांत में श्री सुशील कुमार मोदी, श्री वी. राधाकृष्णन, डा. सत्यनारायण जटिया के नाम इसके साथ संबद्ध सदस्यों के रूप में सम्मिलित किए जाएंगे। मैं कल एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: हम चाहते हैं कि सरकार तत्काल इसका निदान करे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. एम. जगन्नाथ का नाम भी सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप व्यवधान करेंगे तो मैं सभा स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे उठाए जाने की अनुमति दी है। मैंने आपके नाम को सम्मिलित किए जाने की अनुमति दी है। कल मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनुमति दे रहा हूं। और अधिक विस्तृत उत्तर दिया जाएगा। फिर भी आप खुश नहीं हैं। डा. जगन्नाथ का नाम सम्मिलित किया जा रहा है। इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूं? आज मैंने पहले विषय को विशेष उल्लेख के अंतर्गत उठाने की अनुमति दी है। कल मैं एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को अनुमति दे रहा हूं। फिर भी आप संतुष्ट नहीं हैं। क्या किया जा सकता है?

...*(व्यवधान)*

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर): महोदय, मेरा नाम भी संबद्ध किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सोनोवाल बोलेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि माननीय सदस्यगण कार्यवाही में भाग ले रहे हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल (डिब्रूगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में में चाय उद्योग ही एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसमें सर्वाधिक संख्या में कामगार लगे हैं। किन्तु इस उद्योग में लगे कामगारों की स्थिति दयनीय है। कोई चिकित्सा सुविधाएं नहीं है; अच्छे स्कूल नहीं हैं। उनकी समस्याओं का कभी निराकरण नहीं किया गया है आज, असम में चाय समुदाय एक सशक्त श्रमिक बल है। फिर भी वे मध्यकालीन यूरोप के किसानों के समान जीवन जी रहे हैं। आजकल चाय उद्योग को सर्वाधिक महत्वपूर्ण आधुनिक कृषि उद्योगों में से एक माना जाता है। कोई भी उनके जीवन स्तर के उत्थान में रुचि नहीं रखता है। कठोर परिश्रम करने वाले कामगारों के अधिकारों की कीमत पर बागान मालिक लोलुपता कर रहे हैं।

भारत की स्वतंत्रता के 58 वर्षों के बाद भी चाहे वह केन्द्र सरकार हो अथवा राज्य सरकार अब तक कर संग्रहण ही एकमात्र कर्तव्य रहा है।

अतएव, किसी न किसी को चाहे वह सरकार हो अथवा मालिक हो या समाज के नेतागण हों, उन्हें कामगारों की ओर सहयोग का हाथ बढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए।

महोदय, मैं आपके समक्ष लिखित रूप में कतिपय विनम्र निवेदन रखना चाहता हूं। इस सम्माननीय सभा में इस पर कई बार चर्चा हुई है किन्तु न तो असम की राज्य सरकार ने और न ही भारत सरकार ने चाय मजदूरों की खास समस्याओं को निपटाया है। अतएव, मैं भारत सरकार से सविनय अनुरोध करूंगा कि असम में चाय बागान के कामगारों के विषय को गंभीरता से लें।

[हिन्दी]

श्री भंवर सिंह डांगावास (नागौर): अध्यक्ष महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है और यह पूर्णत: बरसात पर निर्भर है। हमारे यहां कभी बरसात कम होती है और कभी अधिक होती है। ऐसी स्थिति में फसल बरबाद होने के दो कारण हैं—फसल बोने के बाद बरसात न आने से तथा फसल बोने से पहले बरसात नहीं होने से। मैं राजस्थान की बात बताना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: यह स्टेट मैटर है। अच्छा, बोलिये।

श्री भंवर सिंह डांगावास: मैं अपने क्षेत्र में तीन दिन घूमकर आया हूं। वहां फसलें जल रही हैं। यहां पर 15 अगस्त के पहले गिरदावरी नहीं होती है। मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि फसलों का सर्वे करने के लिये एक टीम भेजी जाये। बरसात नहीं आने से राजस्थान में सूखा है। वहां दो तरह के अकाल हैं—एक तो जहां बाढ़ आई है, वहां फसलें बरबाद हो गई हैं और दूसरा, जहां बरसात नहीं हो रही है, वहां फसलें जल रही हैं। इसलिये मेरी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि वहां यथाशीघ्र सर्वे टीम भेजी जाये। महामहिम राष्ट्रपति जी ने 15 अगस्त की पूर्व संध्या को राष्ट्र के नाम संदेश में नदियों को जोड़ने की योजना पर जोर दिया है। इससे बाढ़ और अकाल को रोकने में मदद मिलेगी। इस योजना को कार्यरूप दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, चूंकि आपका विषय महत्वपूर्ण था, मैंने आपको इसे अभी उठाने की अनुमति दी है। अन्य विषय जिन्हें पहले ही स्वीकार किया जा चुका है, उन्हें सायं 6 बजे के बाद लिया जाएगा।

अपराह्न 1.33 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, सभा मद सं. 11 लेगी।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 12 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 12 अगस्त, 2005 को सभा में प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के पन्द्रहवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 1.33 बजे

तत्पश्चात, लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.21 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.21 बजे पुन: समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 12 पर चर्चा करेगी; श्री पलानीमनिक्कम।

सरकारी विधेयक—*पुर:स्थापित*

(एक) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): महोदय, श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1980 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खंड 2, दिनांक 16.8.2005 में प्रकाशित।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): यह विधेयक तेरहवीं लोक सभा में सरकारी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से कम करके 33 प्रतिशत करने के प्रावधान को छोड़कर पुर:स्थापित किया गया था। जब यह विधेयक पुर:स्थापित किया गया था तब भी मैंने अपना विरोध व्यक्त किया था क्योंकि यह मामला बैंकों के निजीकरण से संबंधित था।

हम सभी जानते हैं कि भारतीय बैंकों का 1969 में राष्ट्रीकरण किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इस अध्यादेश को संविधान के अधिकारातीत पाया। तत्पश्चात, संसद ने वर्ष 1970 में परिसम्पत्तियों के अर्जन और अधिग्रहण के संबंध में विधेयक पारित किया। उस विधेयक को पारित करने का उद्देश्य भारत में निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना था।

यदि इन संशोधनों को लागू किया जाता है तो अंतिम परिणाम 'निजीकरण' होगा और इसीलिए मुझे इस पर आपत्ति है। मैं मंत्री जी के साथ पूरी तरह सहमत हूं और मैं उनका इस बात के लिए आभारी हूं कि उन्होंने सरकारी हिस्सेदारी को 51 प्रतिशत से 33 प्रतिशत करने के उपबंध का लोप किया है। इस प्रकार यह अच्छी बात है तथा मैं वर्तमान संप्रग सरकार द्वारा अपनाए गए रुख की प्रशंसा करता हूं।

रा.ज.ग. सरकार इसे घटाकर 33 प्रतिशत करने का प्रयास कर रही थी। परन्तु उन्होंने अपनी बुद्धिमता व विवेक का प्रयोग करते हुए इस विशेष प्रावधान का लोप किया है और पिछली सरकार द्वारा सभा के समक्ष लाए गए इस विधेयक को पुर:स्थापित किया है। मेरा निवेदन है कि सरकारी हिस्सेदारी के संबंध में उस धारा का लोप किए जाने के बाद भी अन्य कई ऐसे संशोधन हैं जिससे अंतत: बैंकों का निजीकरण किया जा सकता है।

विद्यमान विधेयक में बोर्ड में निदेशकों के रूप में वर्तमान एक से छह शेयरधारकों के स्थान पर एक से तीन शेयरधारकों को स्थान दिए जाने की अनुमति का प्रावधान किया गया है। इससे शेयरधारकों को बोर्ड में बेहतर अवसर मिलेगा। इसके अलावा, वार्षिक लेखा और अन्य चीजें सरकार के बजाय आम सभा द्वारा पारित की जाएंगी।

ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जो अंतत: निजीकरण की ओर ले जाएंगे। इनसे कम से कम निजीकरण का रास्ता तो साफ होगा ही। अतएव मैं इस प्रक्रिया से डरते हुए इस विधेयक का विरोध कर रहा हूं। यदि मैं राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया के बारे में अपनी असहमति व्यक्त नहीं करता हूं तो मैं अपने कर्तव्य से चूंक जाऊंगा तथा यह 1970 के मूल अधिनियम की मौलिक बातों के विरुद्ध होगा।

इसे मुख्यत: राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य से किया गया था। अब इसके साथ खिलवाड़ की जा रही है। यह खिलवाड़ का स्पष्ट मामला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को इसके वर्तमान रूप में पारित नहीं किया जाना चाहिए यदि हम राष्ट्रीकरण की प्रक्रिया को सफल बनाना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: आपकी अनुमति से, मैं कहना चाहता हूं कि यह खिलवाड़ नहीं है। यह निश्चित तौर पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण की अवधारणा को मजबूत करेगा। इन संशोधनों के बाद भी राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तरह ही काम करते रहेंगे क्योंकि सरकार सबसे बड़े शेयरधारक के रूप में बनी रहेगी। सरकार मुख्य कार्यकारी और अन्य पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति करने का कार्य करती रहेगी। वह शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित निदेशकों को छोड़कर अन्य गैर-सरकारी निदेशकों को नामित करने का कार्य भी जारी रखेगी। वह अधिनियम के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने हेतु विनियमों को स्वीकृत करने का कार्य करती रहेगी। उसके पास जनहित संबंधी नीतियों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने की शक्ति बनी रहेगी। इन बैंकों पर संसदीय नियंत्रण यथावत बना रहेगा। इसलिए, मैं माननीय वरिष्ठ सदस्य, श्री वरकला राधाकृष्णन से अनुरोध करता हूं कि वह विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध करने वाले अपने नोटिस को वापस ले लें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.24 बजे

(दो) उपकर विधि (निरसन और संशोधन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): महोदय, अपने सहयोगी श्री कमल नाथ की ओर से

*भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-दो, खंड 2, दिनांक 16.8.2005 में प्रकाशित।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कतिपय मदों पर उपकर के उद्ग्रहण से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य कार्यनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कतिपय मदों पर उपकर के उद्ग्रहण से संबंधित कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने और कतिपय अन्य अधिनियमितियों का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 2.24½ बजे

(तीन) कारखाना (संशोधन) विधेयक, 2005*

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री के. चन्द्रशेखर राव): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि करखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि कारखाना अधिनियम, 1948 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री के. चन्द्रशेखर राव: महोदय, मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 2.25 बजे

नियम 377 के अधीन मामले***

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाए। उन्हें कार्यवाही का भाग माना जाए।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड 2, दिनांक 16.8.2005 में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

***सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड में कथित अनियमितताओं की सी बी आई जांच कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): महोदय, कोल इंडिया लिमिटेड के विभिन्न अनुषंगी इकाइयों में अनियमितता व्याप्त है। कोयला उत्पादन/ट्रांसपोर्टिंग करने के लिए टैंडरों में भी अनियमितताएं बतायी जा रही हैं। ऐसा संदेह है कि इसमें करोड़ों की हेराफेरी प्रतिदिन हो रही है। ठेकेदारों द्वारा कोयले का उत्पादन/ट्रांसपोर्टिंग बिल्कुल गैर-कानूनी और कोल माइन्स नेशनेलाइजेशन एक्ट के विरुद्ध है।

ई-ऑक्शन के द्वारा कोयले की बिक्री में भी अनियमितताएं व्याप्त हैं। रेलवे वैगन से जाने वाले जिस कोयले का मूल्य इ-ऑक्शन के द्वारा 1200 रुपये प्रति टन है, इसी ग्रेड एवं क्वालिटी के कोयले को ट्रक से लेने वाले व्यापारियों को 3800 रुपये प्रति टन के मूल्य से बेचा जा रहा है, जिससे अरबों रुपये की क्षति हो रही है। अधिकारियों द्वारा करीब 40 कोल ब्लॉक आबंटित किया गया है, जिसमें अधिकांश कारखाना चलाने वाले उद्यमियों को नहीं देकर कोयला उत्पादित कर काला बाजार में बेचने वालों को दिया गया है, जिसमें करोड़ों का सौदा हुआ है। लिंकेज कोयला आबंटन में भी हजारों बोगस कारखाना के नाम पर लिंकेज कोयला दिया जा रहा है और जो कारखाना वास्तव में चल रहा है उसे कोयला नहीं दिया जा रहा है, जिससे उद्योग बंद हो रहे हैं और लाखों लोग बेकार हो रहे हैं।

आपके माध्यम से कोयला मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि क्या वे उक्त मदों से संबंधित कोल मंत्रालय तथा कोल इण्डिया एवं उसके अनुषंगी इकाइयों के कार्यों की जांच सी.बी.आई. से कराकर लाखों लोगों को बेरोजगार होने से बचाने तथा दोषी अधिकारियों को दंडित करने की दिशा में अविलम्ब कार्यवाही की जाये।

(दो) अलवर और दिल्ली के बीच डी एम यू सेवा शुरू किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, मेरा लोक सभा क्षेत्र अलवर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अलवर के अलावा क्षेत्र के खैरथल, अजरका, हरसौली व हरियाणा के रिवाड़ी स्टेशन से हजारों की संख्या में प्रतिदिन दैनिक यात्री दिल्ली रोजगार हेतु आते हैं। केन्द्रीय सरकार व निजी क्षेत्र में काम करने वाले

[डा. करण सिंह यादव]

दैनिक यात्रियों के आवागमन का उचित साधन नहीं है। इस रूट पर चलने वाली एक दो सुपरफास्ट ट्रेन सम्पूर्ण रूप से आरक्षित हैं तथा सामान्य श्रेणी के यात्रियों के बैठने के लिए एक अथवा डेढ़ ही डिब्बे लगे हुए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की इस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेरी माननीय रेल मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे शीघ्र ही एक डी.एम.यू. अलवर से दिल्ली के बीच चलाने की कृपा करें।

(तीन) पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद जिले को सांस्कृतिक धरोहर (हेरिटेज डेस्टिनेशन) घोषित करने और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): वर्तमान सरकार अतुल्य भारत के बैनर तले पर्याप्त विकास पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित कर रही है। जिसके लिए कई कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। इस संबंध में, मैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का जिक्र करना चाहूंगा जो कि पर्यटन की सम्भावनाओं से भरपूर है। प्राचीन इतिहास की विरासत इस जिले में साझी हैं। इसमें कई मंदिर, स्मारक, मस्जिद, गिरजाघर शामिल हैं जो कि अभी उन दिनों में व्याप्त बहु-सांस्कृतिक आयाम के प्रमाणों को धारण किए हुए हैं। यद्यपि इस जिले में प्रत्येक वर्ष स्वदेशी पर्यटक आते हैं लेकिन पर्यटकों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यटक अवसंरचना का विकास नहीं किया गया है। इस जिले से पावन-गंगा बहती है और अपने पीछे मनोरम दृश्य छोड़ती है जो कि पर्यटकों को आकर्षित करता है।

इसलिए, मैं सरकार से इस जिले को भारत के पर्यटक-मानचित्र में शामिल करने और इसे पश्चिम बंगाल में विरासत गंतव्य के रूप में घोषित करने का अनुरोध करता हूं। पर्यटन के विकास से इस जिले के आम लोगों को जीविकोपार्जन में काफी योगदान मिल सकेगा।

(चार) आयातित सिल्क पर उच्चतर शुल्क लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सिल्क उद्योग को संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): महोदय, मैं केन्द्र सरकार का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से वाराणसी क्षेत्र में कार्यरत स्माल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटन इंडस्ट्रीज, वुडन ट्वाय इंडस्ट्रीज को आ रही समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। आज वैश्वीकरण के युग में जिस प्रकार विदेशी कंपनी बाजार में अपना व्यवसाय जमा रही हैं और हमारे देश की उत्पादित वस्तुएं उनके साथ कम्पटीशन में पिछड़ रही हैं, उस दृष्टि से इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वाराणसी क्षेत्र में जितने भी उद्योग लगे हैं, उनमें निर्मित वस्तुओं की देश में ही नहीं विदेशों में भी भारी मांग है। लेकिन संसाधनों की व्यवस्था न होने के कारण हमारे उद्योग पिछड़ते जा रहे हैं। विदेशी वस्तुओं के मुकाबले हमारे देश में निर्मित हर सामान अच्छा और टिकाऊ है। मार्केटिंग के क्षेत्र में बुनकरों द्वारा निर्मित सिल्क कर ड्यूटी लगायी जाती है जबकि विदेशी सिल्क में जो ड्यूटी लगायी जाती है, वह कम होने के कारण विदेशों का माल सस्ता और पूर्वी उत्तर प्रदेश में निर्मित माल काफी मंहगा हो जाता है। इसलिए विदेशों के सामानों और सिल्क पर और ज्यादा ड्यूटी होनी चाहिए ताकि बुनकर बाजार में उनका मुकाबला कर सकें। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा राहत दी जाये।

(पांच) व्यापारी समुदाय के हित में कर प्रणाली को सरल बनाए जाने की आवश्यकता

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): महोदय, भारत सरकार के राजस्व विभाग के अधिकारी जब किसी व्यापारी के यहां छापा मारते हैं तो सभी प्रक्रिया उसी समय तैयार कर ली जाती है। उसी वक्त व्यापारियों के बयान दर्ज कर लिये जाते हैं। परन्तु राजस्व विभाग के अधिकारी नाहक व्यापारियों को अपने कार्यालयों में बुलवाते हैं और उन्हें तंग करते हैं और उन्हें डराने और धमकाने का काम करते हैं। व्यापारी लोग जब इसकी शिकायत करते हैं तो उन्हें कोई सहायता नहीं दी जाती है और यह अधिकारी लोग इस प्रकार से वातावरण तैयार करते हैं, जिसके कारण व्यापारियों को चोर कहा जाता है। उद्योग चलाने के लिए एवं व्यापार चलाने के लिए इन नियमों में सरलीकरण और व्यापारियों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पाता है। अगर कोई व्यापारी कर नहीं देता है तो उसको दंड दिया जाये और उससे पेनल्टी ली जाये। परन्तु, उन्हें बार-बार बुलाना और तंग करना व्यापार को बढ़ाने के हित में नहीं है।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि कर व्यवस्था में जो राजस्व अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को बुलाने का अधिकार है, उसको समाप्त किया जाये, जिससे उद्योग, और व्यापार बढ़ सके और इसके बढ़ने से देश में बेरोजगारी को दूर भी किया जा सकता है।

(छह) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में फसल बीमा योजना पर प्रभारित प्रीमियम को घटाए जाने की आवश्यकता

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली में एवं अमरेली के आसपास कपास की खेती काफी होती है और किसानों के परिवार कपास की खेती पर निर्भर है। वर्तमान समय में कपास की खेती पर फसल बीमा योजना का प्रीमियम 14.5 प्रतिशत लिया जा रहा है। मेरी जानकारी में आया है कि इसे बढ़ाकर 15.5 प्रतिशत किया गया है। किसान बैंकों से 12 प्रतिशत की दर से लोन लेते हैं और प्रीमियम एवं ब्याज की दर दोनों मिलाकर 27.5 प्रतिशत बैठती है, जिससे कपास के उत्पादन की लागत बढ़ती है एवं किसानों को अधिक लागत होने से कपास के उत्पादन से लाभ भी नहीं मिल पाता है। कृषि फसल बीमा योजना किसानों के हित और उनको प्राकृतिक आपदा में राहत देने के लिए बनायी गयी थी, किन्तु बीमा योजना में भुगतान बहुत देर से मिलता है। किसानों को इस बीमा राशि को प्राप्त करने हेतु दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि फसल बीमा योजना का जो प्रीमियम 14.5 है, उसे कम किया जाये एवं फसल बीमा योजना का भुगतान हेतु समय सीमा का निर्धारण किया जाये।

(सात) कर्नाटक में हेबसुर-धारवाड़-रामनगर सड़क का उन्नयन करके राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): मेरे निर्वाचन क्षेत्र अर्थात धारवाड़ जिला, कर्नाटक से लोगों की काफी समय से लम्बी मांग रही है कि हेबसुर-धारवाड़-रामनगर सड़क का राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन किया जाना चाहिए। मैं इस बात को सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि धारवाड़ अलनावर और रामनगर सड़क पर प्रतिदिन मैगनीज की ढुलाई करने वाली सैकड़ों गाड़ियों की आवाजाही रहती है। धारवाड़ और अलनवर के बीच 32 कि.मी. सड़क की हालत खराब है। राज्य सरकार ने हेबसुर राष्ट्रीय राजमार्ग 216 से राष्ट्रीय राजमार्ग 4-ए से जुड़ने वाले लगभग 95 कि.मी. लम्बी सड़क को धारवाड़ शहर से होकर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-4 और राष्ट्रीय राजमार्ग-4ए से जोड़ने और इसका राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में उन्नयन करने सम्बन्धी प्रस्ताव सड़क परिवहन तथा राजमार्ग और पोत परिवहन मंत्रालय को भेजा है ताकि क्षेत्र में ट्रैफिक आवाजाही व्यापार और व्यवसाय फले-फूले।

इसलिए मैं सरकार से इस कार्य को तत्काल स्वीकृति देने का अनुरोध करता हूं।

(आठ) मध्य प्रदेश और राजस्थान में राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से किसानों को क्रेडिट कार्ड शीघ्र उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, किसानों के हित में उन्हें अपनी कृषि आवश्यकताओं व सामग्री की पूर्ति की दृष्टि से सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में किसान क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गयी, जिसका लाभ आज देश में लाखों किसान उठा रहे हैं किन्तु, मध्य प्रदेश और राजस्थान के राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दी गयी इस सुविधा का लाभ बैंकों की आवश्यक पूर्तियां होने के बाद भी लगातार कई महीनों तक बैंकों के चक्कर काटने के बाद भी उक्त किसान क्रेडिट कार्ड नहीं दिये जा रहे हैं, जिसकी लगातार शिकायतें जनप्रतिनिधियों एवं सरकार को भी प्राप्त हो रही हैं। उक्त लाभकारी योजना के क्रियान्वयन में उक्त राज्य के बैंकों द्वारा किये जा रहे विलंब और समय पर कार्ड न दिये जाने से किसानों में काफी असंतोष है।

अत: मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि उक्त योजना का लाभ यथा अवसर किसानों को मिल सके। इस हेतु आवश्यक निर्देश बैंकों को प्रदान करने का कष्ट करें।

(नौ) फौज में भर्ती होने वाले उत्तरांचल के उम्मीदवारों को ऊंचाई में दी जाने वाली छूट वापिस लिए जाने वाले आदेश को रद्द किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत "बचदा" (अल्मोड़ा): महोदय, उत्तरांचल क्षेत्र के सैनिकों का देश की रक्षा में बहादुरी का इतिहास रहा है। सैनिक से सर्वोच्च कमांडर के पद के निर्वहन से लेकर परमवीर चक्र, महावीर चक्र व अनगिनत पदक उत्तरांचल के सैनिकों ने प्राप्त किये हैं।

उत्तरांचल के पर्वतीय भाग में उद्योग-धंधे व लाभकारी खेती नहीं है। इसकी सीमा तिब्बत, चीन व नेपाल से मिली होने से पूरा क्षेत्र अति संवेदनशील है। भारतीय सेना में भर्ती होना रोजगार का भी प्रमुख साधन है, अन्यथा यहां पर भीषण बेरोजगारी व्याप्त है।

आजादी के पहले से ही यहां के युवकों को इनकी कम लम्बाई व छोटे डील-डौल के कारण सेना में भर्ती के लिये लम्बाई, सीना, वजन आदि में विशेष छूट प्राप्त थी। परन्तु, हाल में रक्षा मंत्रालय द्वारा उत्तरांचल के पहाड़ी नौजवानों को लम्बाई में जो तीन सेंटीमीटर की विशेष छूट प्राप्त थी, उसे समाप्त कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय द्वारा इस छूट को समाप्त करने से भारतीय सेना में भर्ती योग्य हजारों नवयुवकों को भर्ती से वंचित होना पड़

[श्री बची सिंह रावत 'बचदा']

रहा है, जिस कारण उनमें बहुत हताशा व्याप्त है। यह हताशा इस शांतिप्रिय क्षेत्र को अशांति की ओर भी धकेल सकती है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तरांचल के पहाड़ी नवयुवकों को सेना में भर्ती के लिये लम्बाई में पहले से प्राप्त तीन (3) सेंटीमीटर छूट को पुन: बहाल किया जाये।

(दस) जालौन संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में झांसी-कानपुर-मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाले मलंगा नाले पर एक पुल का पुनर्निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन गरौठा उत्तर प्रदेश के तहसील कोंच नगर से वाया सेसा होकर झांसी-कानपुर-मुम्बई हाईवे को जोड़ने वाले रोड पर मलंगा नाले पर बना पुराना पुल बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है। पुल टूटने से कभी भी कोई बड़ा हादसा या दुर्घटना हो सकती है।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि यथाशीघ्र इस पुल का निर्माण कराया जाये तथा इस मार्ग के लिये राज्य सरकार को निर्देश के साथ आवश्यक धन उपलब्ध कराया जाये।

(ग्यारह) सुहागी और चारघाट के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 का उचित रखरखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 जो कि बहुत ही जीर्णशीर्ण अवस्था में है, उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-27 सुहागी के आगे और उत्तर प्रदेश के आरंभ होने के पहले चारघाट तक बहुत ही खराब स्थिति में है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजमार्ग है और प्रतिदिन यहां से हजारों की संख्या में वाहनों का आगमन होता है। इस राजमार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयां, स्कूल, विद्यालय एवं स्नातक स्तर के विद्यालय हैं, जिस कारण यह मार्ग हमेशा व्यस्त रहता है। इस राजमार्ग के अत्यधिक जीर्णशीर्ण अवस्था में होने के कारण हमेशा दुर्घटना का भय बना रहता है और दुर्घटनाएं होती भी हैं।

अत: मेरा भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री से अनुरोध है कि इस राजमार्ग क्रमांक-27 के महत्व को देखते हुए इसको तुरन्त ठीक कराने हेतु योग्य निर्देश प्रदान करें, ताकि इस मार्ग पर चलने वाले लोग दुर्घटना आदि के भय से बच सकें।

(बारह) बी आई एफ आर द्वारा यथासंस्तुत 53 बीमार वस्त्र इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन की स्थापना देश में 121 कपड़ा एककों के पुन: चालू करने और उन्हें शक्ति प्रदान करने के लिए कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। दुर्भाग्य से भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति से इन एककों की रुग्णता और बढ़ गई। अंतत: बी आई एफ आर के एक पैकेज के माध्यम से 127 एककों में से 53 एककों को पुन: चालू करने का निर्णय लिया गया था।

परन्तु यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 53 सड़कों को पुन: चालू करने के लिए भारत सरकार की ओर से गंभीरतापूर्वक पहल नहीं की गई है। यह भी पता चला है कि मंत्री समूह ने केवल 15 एककों को चलाने का सुझाव दिया है।

मैं माननीय वस्त्र मंत्री से बी आई एफ आर पैकेज के अनुसार 53 एककों को पुन: चालू करने हेतु उचित कदम उठाए जाने का अनुरोध करूंगा।

(तेरह) देश में नाट्यकर्मियों के हितों के संरक्षण की दृष्टि से "नाट्य प्रदर्शन अधिनियम, 1876" को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, 22-23 जून को अरविन्द गौड़ द्वारा निर्देशित नाटक जिन्ना का मंचन दिल्ली के हैबिटेट सेंटर प्रेक्षाग्रह में होना था। 21 जून की रात को इस नाटक के मंचन पर रोक लगा दी गयी। इस नाटक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने मोहम्मद अली जिन्ना के निजी जीवन पर झांक कर उस पक्ष पर अपनी उंगली रखी है, जो नितांत मानवीय है। जिस आधार पर इस नाटक के मंचन पर रोक लगायी गयी है, वह 16 दिसम्बर, 1876 का ड्रेमेटिक परफोरमेंन्सेज एक्ट है। यह कानून अंग्रेजों ने इसलिए बनाया था ताकि कोई उनके शासन के विरुद्ध नाटक न खेल सके। कई मामलों में यह कानून स्पष्ट नहीं है और इसका लाभ सत्ता में बैठे लोग अपनी सुविधानुसार उठाते हैं। विडंबना यह है कि आजादी के बाद भी जब तक इस कानून का उपयोग रंगमंच के विरुद्ध किया जाता रहा है। मिस्टर जिन्ना के मंचन को रोकना सीधे-सीधे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है, लोकतंत्र में सभी को अपने विचार व्यक्त करने की आजादी है। स्वर्गीय मधु लिमये ने लोक सभा में इस बिल का

भारी विरोध किया था लेकिन तत्कालीन सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। 1956 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ पीठ के न्यायाधीश आनन्द नारायन मुल्ला ने अपने निर्णय में कहा था कि इस अधिनियम की धाराएं भारतीय संविधान के विरुद्ध हैं। देश भर के रंग कर्मियों तथा संस्कृति कर्मियों में भारी आक्रोश है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस ड्रेमेटिक परफोरमेंन्सेज एक्ट 1876 को अविलंब समाप्त करे।

(चौदह) मनमाड और तिरूपति के बीच परभनी और सिकंदराबाद होते हुए एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील (परभनी): महोदय, दक्षिण मध्य रेलवे ने मनमाड से तिरूपति, परभनी एवं सिकंदराबाद एक एक्सप्रेस रेलवे सेवा चलाने हेतु एक प्रस्ताव डेढ़ साल पहले भेजा था। इस रेल सेवा से महाराष्ट्र के लोगों को तिरूपति जाने में और आंध्र प्रदेश के लोगों की शिरडी बाबा के यहां जाने में सुविधा होगी क्योंकि अभी महाराष्ट्र के लोगों को तिरूपति जाने के लिए सिकंदराबाद जाना पड़ता है। इस रेल सेवा से सीधे तरूपति जाने में शिरडी बाबा में आस्था रखने वाले लोगों को सुविधा मिल सकेगी। इस रेल सेवा की मांग कई दशकों से की जा रही है। अगर इस रेल सेबा की शुरूआत इसी साल से हो जायेगी तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र की जनता रेल मंत्री जी के प्रति अत्यंत आभारी होगी।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मनमाड से तिरूपति जाने हेतु वाया परभनी एवं सिकंदराबाद एक रेल एक्सप्रेस सेवा शीघ्र शुरू किया जाये।

(पन्द्रह) झारखंड में बीमार उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए समुचित उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): महोदय, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले में 1994 से वासल का कारखाना बंद है। यहां पर तीन हजार मजदूर काम करते थे, जिसमें लगभग दो हजार मजबूर बीमारी, भुखमरी से तबाह होकर छः-सात सालों के इंतजार के बाद मात्र 25 हजार वी.आर.एस. की राशि लेकर चले गये। आज भी एक हजार से अधिक मजदूर इस आशा में हैं कि कारखाना खुलेगा तो उन्हें रोजगार मिलेगा। लेकिन अब तो वासल के कारखाने का सामान भी धीरे-धीरे बिकने लगा है। तीन दर्जन से अधिक लड़कियां आत्महत्या कर चुकी हैं और 50 से अधिक मजदूरों की मौत भूख और बीमारी से हो चुकी है। इस तरह झारखंड में गिलास फैक्ट्री, खलारी का सीमेंट कारखाना, सिन्दरी का खाद कारखाना सहित छोटे-बड़े दो हजार से अधिक उद्योग बंद हो गये हैं और पांच सालों में डेढ़ लाख लोगों की रोजी-रोटी छीन ली गयी है।

केन्द्र सरकार से आग्रह है कि खनिज सम्पदा से भरपूर झारखंड के कल कारखानों को बंदी होने से रोकने एवं बंद उद्योगों को खोलने हेतु समुचित कार्रवाई करें।

(सोलह) महाराष्ट्र के सतारा और सांगली जिलों में कराड़ और सांगली में कृष्णा नदी के तटबंध को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़): महाराष्ट्र में सतारा और सांगली जिले में कराड़ और सांगली में कृष्णा नदी के तटबंधों पर बाढ़ से बचाव कार्य किए जाने की आवश्यकता है जिसके कारण वहां पर कृष्णा नदी में अत्यधिक बाढ़ के कारण जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। भारत के स्वर्गीय पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री वाई.बी. चव्हाण की समाधि पर दीवार बनाकर विशेष सुरक्षा किए जाने की आवश्यकता है ताकि कराड़ में अत्यधिक बाढ़ के दौरान इसको बचाया जा सके।

(सत्रह) बिहार के सारण जिले के मांझी क्षेत्र में एक आवासीय रेलवे स्कूल खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, बिहार प्रांत के सारण जिलांर्तगत मांझी प्रखंड मुख्यालय बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर खड़ा है। मांझी के बगल में प्रमुख पर्यटक स्थल गौतम स्थान अवस्थित है, जहां हजारों की संख्या में पर्यटक आते रहते हैं। मांझी बिहार और उत्तर प्रदेश को सड़क, जल एवं रेल मार्गों से जोड़ता है। मांझली में प्रखंड मुख्यालय, थाना, हास्पीटल आदि सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। मांझी एवं इसके आसपास के क्षेत्रों में हजारों की संख्या में रेलवे में कार्यरत एवं रेलवे के सेवा निवृत कर्मचारी, निवास करते हैं। सारण जिले का मांझी प्रखंड मुख्यालय एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, परन्तु मांझी में एक भी रेलवे का विद्यालय नहीं होने की वजह से यहां के रेल कर्मचारियों को मजबूर होकर शिक्षा अध्ययन हेतु अपने बच्चों को दूसरे शहर में भेजना पड़ता है, जिसके कारण अभिभावकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ का वहन करना पड़ता है।

ज्ञातव्य हो कि मांझा सरयू नदी के तट पर अवस्थित है, जहां 70-80 एकड़ रेलवे की जमीन खाली पड़ी है। मांझी सरयू नदी

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

पर अवस्थित पुल के पास नदी के तट को प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की योजना केन्द्र सरकार के विचाराधीन है, जिसकी अनुमानित लागत 12-15 करोड़ रुपया है। मांझा में कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की योजना पूर्व से ही स्वीकृत है।

मांझा में रेलवे का एक आवासीय विद्यालय, देहरादून-मसूरी के बीच झारीपानी में नॉर्दर्न रेलवे का ओक ग्रो आवासीय विद्यालय की तरह खुल जाये तो इस क्षेत्र के कर्मचारियों एवं आम लोगों की बहुत बड़ी समस्या का स्थायी समाधान हो जायेगा।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि बिहार प्रांत के मांझी जिला सारण में रेलवे का एक आवासीय विद्यालय शीघ्र खोला जाये।

(अठारह) टाटा-कटिहार लिंक रेल सेवा पुनः शुरू किए जाने और टाटा नगर एवं पटना के बीच एक नई सुपरफास्टस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में रहने वाले लोगों को हो रही असुविधाओं एवं कठिनाइयों की तरफ दिलाना चाहता हूं। टाटा कटिहार लिंक एक्सप्रेस 1995 से चल रही है, जिसमें पूर्व उत्तर बिहार के लोगों एवं बिहार के उत्तर पूर्व क्षेत्र में यात्रा करने वालों को इस रेल सेवा से बहुत ही सुविधा थी क्योंकि टाटा ने उत्तर पूर्व बिहार के बीच यही एकमात्र रेल सेवा थी। परन्तु, अभी इसको बंद कर दिया है, जिसके कारण टाटा में और आसपास के जिलों में रहने वाले उत्तर पूर्व बिहार के लोगों को बहुत ही असुविधा हो रही है। दूसरी समस्या दक्षिण बिहार एक्सप्रेस पटना से टाटा के बीच चलती है, जिसे बढ़ा दिया है, जिसके कारण टाटा शहर के लोगों को पटना में आने-जाने में बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि इस गाड़ी में टाटा शहर के लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाता है और इस गाड़ी में बहुत ही भीड़ रहती है। अगर पटना से टाटा के बीच एक और रेलगाड़ी चलायी जाये तो बेहतर होगा।

सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि टाटा कटिहार लिंक रेल सेवा को पुन: चलाया जाये एवं टाटा नगर और पटना के बीच एक नयी सुपरफास्ट रेल सेवा चलायी जाये, जिससे बिहार और झारखंड के लोगों के बीच आने-जाने वालों को कोई असुविधा न हो।

(उन्नीस) छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रेलवे भर्ती बोर्ड का कार्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): महोदय, बिलासपुर शहर मध्य भारत में एक प्रसिद्ध रेलवे कालोनी है। यह शहर अपने विशाल और भिन्न संरचना के लिए जाना जाता है जो कि जन उपयोग के लिए प्रत्येक कल्पनीय अवसर उपलब्ध कराती है। यह अवसंरचना 100 वर्षों से भी अधिक पुरानी है और इसे अति महत्वपूर्ण केंद्र मध्य भारत समझा जाता है जो पूरे देश को जीवन रेखा प्रदान करता है।

अवसंरचना का भारतीय रेल की मांग वाले मानकों को पूरा करने के लिए नियमित रूप से उन्नयन किया जाता है। परंतु अब तक बिलासपुर में रेलवे भर्ती बोर्ड के गठन के लिए विचार नहीं किया गया है हालांकि, भारत में 19 भर्ती बोर्ड हैं और बिलासपुर इष्टतम सुविधाएं प्रदान कर सकता है।

फिलहाल बिलासपुर द.पू.म.रे. जोन का मुख्यालय है जो कि रेलवे की भर्ती का आयोजन कर पाने के लिए इसकी मौजूदा विकसित अवसंरचना के समर्थन में एक अन्य मुद्दा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्री को इस मुद्दे पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और बिलासपुर में रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय खोलना चाहिए।

(बीस) मणिपुर में सुरक्षा बलों द्वारा सीज फायर ग्राउंड रूल्स अपनाए जाने की आवश्यकता

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): पिछले दो सप्ताह के दौरान, तामंगलोंग जिले में कार्यरत 35 असम राइफल्स के जवान तामंगलोंग जिले, मणिपुर की निर्दोष जनता को विभिन्न तरीकों से परेशान कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों 15-16 बार रोका जाता है। लोगों को बसों से उतारकर गैर-जरूरी प्रश्न पूछे जाते हैं विशेषकर नौजवान लड़के और लड़कियों से उन्हें एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के लिए कार्य करने वाले समझकर ऐसा किया जाता है। प्रात: 6 बजे इम्फाल से रवाना होने वाली बसें आमतौर पर तामंगलोंग दोपहर 1.00 या 1.30 तक पहुंच जाती हैं किन्तु यात्रियों को गैर-जरूरी परेशान करने के लिए ये बसें तामंगलोंग सायं 6 से 7 बजे तक पहुंचती हैं।

असम और मणिपुर में यह हर कोई जानता है कि भारत सरकार और एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) के बीच अनौपचारिक रूप से युद्ध विराम समझौता लागू है। युद्ध किसम चाहे औपचारिक हो

अथवा अनौपचारिक हो इसके मूल नियम समान होते हैं और दोनों पक्षों द्वारा उन्हें अक्षरशः सब जगह लागू किया जाना चाहिए।

मैं इसलिए गृहमंत्री से कड़े अनुदेशों को जारी करने का अनुरोध करता हूं। (1) निर्दोष जनता को तत्काल ही परेशानी से मुक्त किया जाए (2) दोनों पक्षों द्वारा संयम बरतना क्योंकि मणिपुर सरकार और ए.एन.एस.ए.एम. ने सौहार्दपूर्ण माहौल तैयार करने के उपाय आरम्भ कर दिए हैं (3) युद्ध विराम के मूल नियमों का अक्षरशः पालन करना (4) गलतफहमी की वजह से दोनों पक्षों द्वारा मूल नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए भारत सरकार और एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के निगरानी प्रकोष्ठ की संयुक्त बैठकों को बढ़ाना।

अपराह्न 2.29 बजे

नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद संख्या 16 और 17 पर एक साथ विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): महोदय, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 2005 को प्रख्यापित नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, श्री शिवराज पाटील की ओर से मैं, प्रस्ताव करता हूं:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो इस बिल का विरोध करने का कोई कारण नहीं है, पर जिस ढंग से यह बिल आर्डिनेंस के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, यह सरकार का रवैया गलत है और इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं थी और सरकार को लगा कि आर्डिनेंस के माध्यम से जब चाहे बिल पेश कर दे। मेरा मानना है कि सरकार को इस दिशा में ध्यान देना चाहिए और अनावश्यक आर्डिनेंस के माध्यम से सरकार को चलाने का कार्य नहीं करना चाहिए। यह कोई बहुत बड़ा बिल नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि आजादी के बाद लगातार जो देश से बाहर हमारे लोग रहते हैं, वे हमारी संसदीय दल या शिष्ट मंडल के जो भी सदस्य विदेश जाते थे, उनसे निरंतर मांग करते थे।

वहां जो हिन्दुस्तान के लोग रहते थे, वे इस बात की मांग करते थे कि हमें दोहरी नागरिकता दी जाए और निरन्तर, वर्षों तक यह बात चलती रही। जब एन.डी.ए. की सरकार आई, तब एन.डी.ए. की सरकार ने इस बात को समझा। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि तब 9 जनवरी, 2003 को माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, प्रथम प्रवासी दिवस में विदेशी हिन्दुस्तानी नागरिकों को संबोधित करने के लिए गए। वहां उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया और यह कहा था कि हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं और इसमें जो भी कदम उठाया जा सकता है, वह उठाया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष जी, श्री अटल बिहारी जी की सरकार ने इस बारे में फैसला लिया और तत्काल अपनी इस घोषणा को मूर्त रूप देने का फैसला करते हुए मई, 2003 में आवश्यक कानून पेश किया। उसके बाद अगले वर्ष फिर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रवासी भारतीयों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं को समझा। तब पहली बार मई 2003 में जो बिल पेश हुआ, उसमें दुनिया के सभी देश शामिल नहीं थे, केवल 16 देश शामिल किए गए थे। उसके बाद यह सोचा गया था कि सरकार इसके बारे में सही ढंग से, एक-एक कदम उठाकर, इस दिशा में विचार कर के, फैसला ले, क्योंकि कुछ देशों में समस्याएं सामने आ रही थीं। वहां यह लगने लगा था कि दोहरी नागरिकता देने पर देश के अंदर समस्याएं पैदा हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब तीसरी बार, सरकार बदलने के बाद प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में वर्तमान प्रधानमंत्री जी गए, तो लगता है कि उन्होंने तत्काल एक राजनीति की घोषणा कर दी और उसी घोषणा के तहत यह बिल यहां प्रस्तुत हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल राज्य सभा में पारित हो चुका है और हम लोगों ने वहां इसका समर्थन किया था। इसमें बहुत

[श्री संतोष गंगवार]

सी बातों की ओर ध्यान दिया गया है और सारे देश इसमें खोल दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि-

"केंद्रीय सरकार, ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, इस निमित्त किए गए किसी आवेदन पर-

(क) किसी वय:प्राप्त और पूर्ण सामर्थ्य के ऐसे व्यक्ति को,-

(1) जो दूसरे देश का नागरिक है, किंतु संविधान के प्रारंभ के समय या उसके पश्चात् किसी समय भारत का नागरिक था; या

(2) जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होने के लिए पात्र था; या

(3) जो दूसरे देश का नागरिक है किंतु ऐसे राज्यक्षेत्र का है जो 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् भारत का भाग बना है; या

(4) जो किसी ऐसे नागरिक का पुत्र/पुत्री या पौत्र-पौत्री है;"

मेरा आग्रह है कि हम इसके विरुद्ध नहीं हैं, लेकिन इस समय हमारे देश के अंदर पैदा हुए लोग, जो विदेशों में जाकर बस गए हैं और वहां रहकर देश के विरुद्ध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। यह बात सही है कि अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर बाकी सारे देशों को शामिल किया गया है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं, जो इन देशों के अलावा भी दूसरे देशों में जाकर ऐसी गतिविधियों में लिप्त हैं। इस ओर क्या सरकार ने ध्यान दिया है या कभी कोई ऐसा समस्या सामने आई, तो हम उस समस्या का निस्तारण कैसे करेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे। हम यह भी मानते हैं कि चीन के अंदर जब उसने दोहरी नागरिकता को स्वीकार किया, तो वहां निवेश आया और उससे लगा कि उन्हें अपने देश से प्रेम है, वे देश की सेवा करना चाहते हैं, देश के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसे वे निभाना चाहते हैं। इस हिसाब से वे सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से इतना आग्रह जरूर करना चाहूंगा कि क्या ऐसी सारी बातों पर विचार कर लिया गया है क्योंकि ऐसी समस्याएं हमारे सामने भी आएंगी। पंजाब में अभी जो आतंकवादी लोग पकड़े गए, उनकी जिस प्रकार की गतिविधियां हमारे सामने आईं और इजस प्रकार से हमारे देश के वे लोग जो दूसरे देशों में रह रहे हैं, वे हमारे देश में इस प्रकार के कदम उठा रहे हैं, ऐसी कार्रवाइयां कर रहे हैं, वह सब लोगों के लिए चिन्ता का विषय है।

महोदय, मैं इस विषय में अधिक न बोलते हुए क्योंकि इस विषय में सभी का समर्थन है और हमारे एन.डी.ए. के फैसले को देश के बाहर के देशों ने काफी सराहा है, इसे काफी पसन्द किया है, लेकिन मेरा माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस दिशा में निश्चित रूप से विचार कर लें क्योंकि हमारे देश के विदेशों में रहने वाले लोगों की छोटी-मोटी संख्या नहीं है, बल्कि करीब ढाई करोड़ लोग हैं, जो विदेशों में रह रहे हैं और जो इस देश के शुभ-चिन्तक हैं और जो अपने संबंधों को हिन्दुस्तान के साथ और मधुर बनाकर अपने आप को हिन्दुस्तान के साथ जोड़ना चाहते हैं, लेकिन इनमें से कुछ थोड़े से ऐसे लोग हैं, जो इसका लाभ उठाकर हमारे देश के अंदर समस्याएं पैदा कर रहे हैं, इसे हम कैसे रोकेंगे और इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे, यह हम सब के लिए चिन्ता का विषय है। तब जबकि पूरी दुनिया के अन्दर आतंकवाद फैल रहा है और दुनिया के अधिकांश लोग इस बात को समझ रहे हैं कि आतंकवादी ऐसी समस्या के रूप में पैदा हो रहा है कि सब लोग मिलकर इसकी रोकथाम करें, उसके हिसाब से कदम उठायें।

मैं अधिक न कहते हुए यही कहूंगा कि हमारी पार्टी इस बिल के समर्थन में है। यह निश्चित रूप से एक अच्छा कदम है और दुनिया के अन्दर इससे हमारी अच्छी पहचान बनेगी। हम आग्रह भी करेंगे कि लोग इस माध्यम से आकर हमारे देश के अन्तर सुविधा प्राप्त करके, देश के अन्दर निवेश करें और हमारे देश के अन्दर अपने व्यापार को बढ़ायें, देश के प्रति जो उनकी चिन्ता है और उसे सही रूप में लिए जाने का काम करें।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस माननीय सदन में कल नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005 प्रस्तुत किया था। इस विधेयक का उद्देश्य पूरे विश्व में फैले हुए अप्रवासी भारतीयों को अपनी मातृ-भूमि के साथ दोबारा सम्बन्ध स्थापित करने की आकांक्षा की पूर्ति करना है।

डा. एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में अप्रवासी भारतीयों की उच्च स्तरीय समिति ने ऐसे भारतीयों, जो दिनांक 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत से प्रवास कर गए थे और जिन्होंने अन्य देशों की नागरिकता ग्रहण कर ली है तथा अपनी मातृ-भूमि के साथ मानसिक एवं भावनात्मक सम्बन्ध रखते हैं, को दोहरी नागरिकता देने की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और वर्ष 2003 में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया, ताकि पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर 16 विनिर्दिष्ट देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को प्रवासी भारतीय नागरिकता, जिसे दोहरी नागरिकता के रूप में जाना जाता है, प्रदान की जा सके। ये देश यू.एस.ए., यू.के., आस्ट्रेलिया,

न्यूजीलैण्ड, कनाडा, फिनलैण्ड, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, इजराइल, इटली, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन, स्विटजरलैंड और साइप्रस गणराज्य हैं। नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 3.12.2004 से लागू हो गया था।

सरकार को उपर्युक्त उल्लिखित 16 देशों के अतिरिक्त अन्य देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों से बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें भी दोहरी नागरिकता प्रदान किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए। दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रपत्र और प्रक्रिया को सरलीकृत किए जाने के लिए भी विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अभ्यावेदनों की जांच के उपरान्त जनवरी में मुम्बई में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस, 2005 के अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों में रह रहे भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है, बशर्ते कि उनका देश अपने स्थानीय कानूनों के तहत किसी न किसी रूप में दोहरी नागरिकता की अनुमति देता हो। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रपत्र और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा और उन लाभों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिसके वे पात्र हैं।

सरकार ने प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं:

1. दोहरी नागरिकता प्राप्त करने के लिए प्रपत्रों और प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु नागरिकता नियम, 1956 में संशोधन किया गया है।

2. फायदों का विशेष उल्लेख करते हुए संगत अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचनाएं जारी की गईं।

वे निम्नानुसार हैं:

(क) भारत आने के लिए बहुप्रवेश, बहुप्रयोजन, आजीवन वीजा।

(ख) भारत में कितनी भी लम्बी अवधि तक रहने पर पुलिस प्राधिकारियों को रिपोर्ट करने से छूट।

(ग) कृषि या बागान सम्पत्तियों को छोड़कर वित्तीय, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार।

मैं इस सम्बन्ध में इस माननीय सदन के सदस्यों को आश्वासन देना चाहूंगा कि उन्हें कोई मताधिकार लोक सभा/राज्य सभा/विधान परिषद के चुनाव लड़ने, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसे संवैधानिक पद धारण करने के अधिकार नहीं दिये गए हैं।

सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता देने के अवसर देने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए कदम उठाये हैं। सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ परामर्श करने की प्रक्रिया में लगे समय के कारण, विधेयक को संसद के बजट सत्र में पेश नहीं किया जा सका।

प्रवासी भारतीय दिवस, 2005 पर प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य ने प्रवासी भारतीयों में काफी उत्सुकता और कौतुहल पैदा किया। सभी देशों के प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने के बारे में प्रधानमंत्री के वक्तव्य के बाद सरकार के निर्णय के कार्यान्वयन में होने वाले विलम्ब के कारण प्रवासी भारतीयों द्वारा चिन्ता व्यक्त की जा रही थी। क्योंकि संसद का सत्र चालू नहीं था और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट थे ऐसी परिस्थितियां मौजूद हो गई थीं जो उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के लिए आवश्यक थीं, 28 जून, 2005 को नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का अध्यादेश 2) प्रख्यापित किया गया।

हमारा इस स्कीम को जल्दी ही लागू करने का प्रस्ताव है। प्रवासी भारतीयों को भारत के प्रवासी नागरिक के रूप में अपने पंजीकरण के उपरान्त न केवल किसी भी समय और किसी भी प्रयोजन के लिए और कितनी भी लम्बी अवधि के लिए अपने देश का दौरा करने का अवसर मिलेगा, बल्कि वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में खुले दिल से सहयोग देकर उचित विकास के राष्ट्रीय लक्ष्य में भी योगदान देंगे।

मैं इस माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के स्थान पर नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 2005 को प्रख्यापित नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

श्री के.एस. राव, आप अपना भाषण आरम्भ करने से पहले कृपया अपनी निर्धारित सीट पर जाइये और तब बोलिए।

श्री के.एस. राव (एलूरु): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो मैं प्रथम बैंच से बोलना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री के.एस. राव: माननीय मंत्री जी द्वारा लाए गए इस विधेयक का उद्देश्य 28 जून, 2005 को जारी अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने का है। इसका यह अर्थ है कि औपचारिक रूप से सभी दल, कुछेक संशोधनों जो यहां किए जायेंगे, इससे सहमत हैं। प्रमुख संशोधन एन.डी.ए. के शासन काल में 2003 के दौरान किया गया जिसे संसद के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से पारित किया था। इसका अर्थ हुआ कि सम्पूर्ण देश भारतीय मूल के व्यक्तियों (पी.आई.ओ.) को दोहरी नागरिकता प्रदान करने के पक्ष में है।

मैंने इसका विस्तार से अध्ययन किया है। अब जो संशोधन किये जा रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य दोहरी नागरिकता की सुविधा पिछले संशोधन की चौथी अनुसूची में उल्लिखित न केवल 16 देशों अपितु संसार के सभी देशों तक बढ़ा दी गई है। पहले जो समयावधि 2 वर्ष निर्धारित की गई थी उसे घटाकर एक वर्ष किया जा रहा है। यह भी अच्छी बात है। पंजीकृत और पंजीकृत होने वाले विदेशी भारतीय नागरिकों के भागीदारी के क्षेत्रों के बारे में प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण सदैव शुभ होता है। यह देश आज केवल कई चीजों को जटिलताओं की वजह से ही परेशानी का सामना कर रहा है। प्रक्रियाओं का सरलीकरण न केवल इस क्षेत्र में अपितु अन्य क्षेत्रों में भी किया जाना चाहिए। पंजीकृत विदेशी भारतीय नागरिकों को आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक और सामाजिक क्षेत्रों में भागीदारी की अनुमति प्रदान की जा रही है। उन्हें विधायिकाओं में आने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है और न ही उनके पास वोट देने का अधिकार आदि होगा। अत: उससे देश का वर्तमान संतुलन प्रभावित नहीं होने वाला।

आज देश की जरूरत है निवेश। हम विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए निरंतर कई कानून बना रहे हैं तथा बहुत से क्षेत्रों को निवेश हेतु उदार बना रहे हैं। हम उन्हें 50 प्रतिशत से भी अधिक निवेश करने की अनुमति दे रहे हैं, जिसके लिए हम पहले तैयार नहीं थे। अगर सही कार्य भारतीय मूल के लोगों द्वारा किया जाए तो इससे बेहतर और क्या होगा। वस्तुत: इसमें इतना विलंब नहीं किया जाना चाहिए था। बहुत पहले ही यह हो जाना चाहिए था। परंतु सच यह है कि उन दिनों आतंकवाद था और कुछ लोगों अथवा कुछ विधायकों ने आशंकाएं व्यक्त की थीं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के कार्यकाल के दौरान ही यह हो सकता था। वह उसके पक्ष में थे। कांग्रेस सरकार ने 1990 में इस दिशा में पहल की थी। अन्तत: एन.डी.ए. शासन के दौरान संशोधन किए गए। अब, एक बार फिर इसका विस्तार किया जा रहा है और उसे उदार बनाया जा रहा है तथा अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए इसे सरल बनाया जा रहा है।

महोदय, यह सभी जानते हैं कि विश्व के बहुत से देशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों को छोड़ भी दिया जाए तो केवल अमरीका में रहने वाले लगभग 2 मिलियन अनिवासी भारतीयों की बात की जाए तो उनके पास 2 ट्रिलियन अमरीकी डालर हैं। इस संशोधन के साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने लगभग 150 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश की आशा की थी। अनिवासी भारतीयों को पास जो धन है, यह उसका छठवां भाग है अथवा उससे भी कम है।

इस संदर्भ में, मैं इस सम्माननीय सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि जब संसद में हमने कई परियोजनाओं पर चर्चा की थी तो उन्होंने कहा था कि धनराशि की कमी है। एक दिन मैंने नदियों को जोड़ने का उल्लेख किया था। श्री प्रभु द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार नदियों को जोड़ने के लिए लगभग 5.6 लाख करोड़ रु. खर्च आएगा। पिछले प्रधानमंत्री, जिन्होंने श्री प्रभु की अध्यक्षता में उस समिति का गठन किया था, उन्होंने यह जानने के बाद कि इस पर 5.6 लाख करोड़ रु. खर्च आएगा, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से जब इस सरकार को भी यह बताया गया तो उनकी भी यही राय थी कि इस सरकार द्वारा इतनी धनराशि का प्रबंध नहीं किया जा सकता, वे भी इस परियोजना को बंद कर देंगे।

महोदय, 5.6 लाख करोड़ रु. का अर्थ है केवल 120 बिलियन अमरीकी डालर जबकि उनके पास 2,000 बिलियन अमरीकी डालर हैं। कोई भी अनिवासी भारतीय यहां आवें और निवेश करने के लिए प्रसन्न, प्रेरित प्रोत्साहित तथा बहुत खुश होगा। निवेश के साथ हमारा सकल घरेलू उत्पाद दो अंकों में पहुंच जाएगा। सरकार इस अधिनियम द्वारा, अनिवासी भारतीयों को प्रोत्साहित करके सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाकर केवल 8 प्रतिशत करने की आशा कर रही है। मेरे मस्तिष्क में यह बात बिलकुल स्पष्ट है कि यदि नागरिक अधिनियम में संशोधनों का विधान लाकर पर्याप्त प्रोत्साहन देकर तथा अनिवासी भारतीयों में यह विश्वास जगाकर कि उन्हें न केवल निवेश करने बल्कि इस देश के नागरिकों की सेवा करने की भी स्वतंत्रता होगी। वे बड़ी संख्या में यहां आकर बहुत प्रसन्न होंगे और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से ज्यादा निवेश करेंगे।

महोदय, हम जानते हैं कि अमरीका में रहने वाले अधिकतर अनिवासी भारतीय पेशेवर हैं। उनमें से अधिकतर बहुत योग्यता प्राप्त तथा प्रख्यात वैज्ञानिक, इंजीनियर, डाक्टर, वकील, लेखा-परीक्षक हैं। उनकी आय 2,00,000 अमरीकी डालर से लेकर 5-10 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष के बीच है। वे लोग न केवल व्यवसाय कर रहे हैं बल्कि वे पेशेवर लोग हैं। कुछ हृदय रोग विशेषज्ञ 5-10 मिलियन अमरीकी डालर प्रतिवर्ष अर्जित कर रहे हैं। वे नहीं जानते कि कहां निवेश करना चाहिए। उनके पास यहां आने और निवेश करने के लिए धन है, परन्तु निवेश करने के लिए उन्हें इस देश से उचित प्रेरणा नहीं मिल पाती। मेरा स्पष्ट विचार है कि बहुत से लोग न केवल निवेश करना चाहते हैं, परन्तु धर्मार्थ कार्य भी करना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में, चाहे वर्तमान सरकार हो अथवा पहले की सरकारें हों, उन सबने यह कहा था कि यदि एक व्यक्ति, एक अनिवासी भारतीय अपने गांव में स्कूल, कालेज खोलना चाहता है अथवा कोई धर्मार्थ कार्य करना चाहता है तो सरकार भी उनके जितना ही निवेश करेगी और अनिवासी भारतीय को वहां अपना नाम लिखवाने की अनुमति होगी कि यह धर्मार्थ कार्य उसके द्वारा किया गया। इस कारण हजारों लोगों ने अपने-अपने गांवों में काफी धनराशि का निवेश किया तथा स्थानीय ग्रामीणों की सहायता की। परन्तु सामान्यत: हम में से कोई भी, चाहे जहां भी हमारा जन्म हुआ हो, जहां भी हम जाएं तथा जो भी पुरस्कार सराहना हमें देश से बाहर मिले, यदि हमारे स्वयं के गांव, स्वयं के देश में हमारी योग्यता को पहचाना जाता है तो इससे बड़ी खुशी दूसरी नहीं हो सकती। इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। यदि मैं अमरीका जाऊं और वहां बहुत-सी उपलब्धियां प्राप्त करूं तथा वहां लोग मेरी सराहना करते हैं तो उससे मुझे उतनी खुशी नहीं मिलेगी जितनी मुझे अपने देशवासियों की प्रशंसा से मिलेगी।

इसी प्रकार से यदि मेरे गांव वाले मेरी सराहना करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। उपनी मातृभूमि से हमें ऐसा प्यार है। अपने लोगों से हमें ऐसा प्यार है। यही कारण है कि हमारे बहुत से विख्यात लोग विदेश चले गए, जिसे हम प्रतिभा पलायन कहते हैं क्योंकि यहां उन्हें अच्छी पहचान नहीं मिल पाई थी। उनका स्पष्ट विचार था कि इस देश में उनकी योग्यताओं को पहचाना नहीं जा रहा; उन्हें अन्य तौर-तरीकों पर निर्भर होना पड़ता वे इस प्रकार के शार्ट कट नहीं अपना सकते थे, इसीलिए वे वहां चले गए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने वहां कड़ी मेहनत की। उन्होंने अपने कार्य-निष्पादन से यह सिद्ध कर दिया कि वे विकसित देशों के नागरिकों की तुलना में कहीं अधिक बुद्धिमान तथा सक्षम हैं। चाहे किसी भी कारण से वे गए हों, उन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने जबर्दस्त परिणाम प्राप्त किए हैं। उन्हें अच्छी आय अर्जित करने में सफलता मिली है। उन्होंने बहुत-सी उपलब्धियां प्राप्त की हैं। उन्होंने अच्छे संपर्क स्थापित किए हैं। आज, अमरिका में रहने वाले बहुत से अनवासी भारतीय कई बिलियन डालर यहां ला सकते हैं। वे वित्तीय संस्थाओं को यह समझा सकते हैं कि उनका धन पर्याप्त होगा।

आज, यदि मैं इस देश में एक उद्योग आरम्भ करना चाहूं तो मुझे संस्थाओं से 12 से 18 प्रतिशत ब्याज दर पर धन उधार लेना पड़ता। उसी समय यदि सरकार इतने ही धन के निवेश की अनुमति अनिवासी भारतीयों को देती तो मुझे धनराशि 2 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलती। तो उनको भी लाभ होता। वे कम ब्याज दरों पर इतनी ही धनराशि लाकर यहां निवेश कर सकते हैं।

मैं यहां कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। यदि हम उन्हें अनुमति दें और चाहें कि वे यहां निवेश करें, तो अन्य देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों को छोड़िए, सिर्फ अमरीका में रहने वाले अनिवासी भारतीय ही पर्याप्त धनराशि ला सकते हैं। नदियों को जोड़ने में 125 बिलियन डालर से ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। यदि हम नदियों को जोड़ देते है तो 35 मिलियन हेक्टेयर भूमि को कृषि योग्य बना सकते हैं और हम 35000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। कृषि के अतिरिक्त हम नौवहन सुविधाएं भी प्राप्त कर सकते है। हम अपने चारों ओर हरियाली ला सकते हैं और अन्य अनेक लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

आज हम लगभग 100000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के विकास का महत्वपूर्ण आधार उर्जा है। यदि देश में पर्याप्त ऊर्जा है तो राष्ट्र खुशहाल होगा। आज हर कहीं बिजली की कमी है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में तो घरेलू उपयोग के लिए भी बिजली नहीं है। औद्योगिक उपयोग की तो बात ही छोड़िए और तो और कुछ अन्य राज्यों में भी बिजली की कमी है वहां बिजली की कटौती (पावर कट) भी होती है। वहां पर बिजली का ब्रेकडाउन हो जाता है। वहां बिजली की अबाधित आपूर्ति नहीं होती। यदि हम अप्रवासी भारतीयों से बिजली के उत्पादन के लिए निवेश करने के लिए कहेंगे तो इससे लाभ होगा। आज लगभग 100000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इसकी लागत 50 बिलियन डालर से अधिक नहीं हो सकती।

इसी प्रकार हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में हाल ही में मैंने देखा था कि हमारे माननीय मंत्री श्री मणिशंकर अय्यर एल.एन. मित्तल से हाथ मिला रहे हैं। यह देश में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण हेतु प्रस्ताव से संबंधित था। हम पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। माना आप किसी देश में ऐसी प्रौद्योगिकी लाना चाहते हैं जो उस देश

[श्री के.एस. राव]

में उपलब्ध नहीं है मैं इसे समझ सकता हूं। इसका मुख्य कारण निवेश बताया गया है। श्री एल.एन. मित्तल और अधिक निवेश कर सकते हैं वह एक अप्रवासी भारतीय हैं। इसका कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार इसे किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को यह कार्य सौंपने के स्थान पर इस कार्य को अप्रवासी भारतीयों को दिया जा सकता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी हमारे देश के धन को बाहर ले जाएगी। इससे हमारे देश को क्या लाभ होगा? यदि श्री एल.एन. मित्तल को बुलाया जाता है जो एक अप्रवासी भारतीय हैं तो ये कुछ अधिक आकर्षक निवेश कर सकते हैं और तब वे इसे जैव-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी इसे फैला सकते हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम जो कि शुरू से ही हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में आज उस प्रकार का निवेश प्राप्त नहीं कर सकता जो श्री एल.एन. मित्तल अथवा रिलायंस उद्योग प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते है कि कृष्णा-गोदावरी बेसिन में करोड़ों रुपए की गैस और तेल का भंडार है। यह खेदजनक है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम इन वर्षों में यह कार्य नहीं कर सका है, ठीक है, अब हम ऐसा अप्रवासी भारतीयों को आमंत्रित करके कर सकते है। दुःखद बात यह है कि भारत में रह रहे लोगों को प्रेरित नहीं किया जा रहा है।

इसी प्रकार यह कहा गया है कि जैव-प्रौद्योगिकी का भविष्य उज्ज्वल है। अनुसंधान और विकास अकल्पनीय है। इस देश में औषध और भेषज, वस्तुओं और विनिर्मित चीजों को बाहर से लाया जाता है और उसे वास्तविक लागत से दस गुना अधिक कीमत पर वेचा जाता है। ऐसा केवल उनके द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के कारण है। अधिकतर सभी प्रकार के अनुसंधान और विकास अप्रवासी भारतीयों द्वारा किए गए हैं। यह सारा दिमाग सारी मेहनत हमारी है। इसका सीधा सा कराण है कि उन्हें प्रेरित किया गया है और इस कार्य में लगाया गया क्योंकि उन देशों ने इसमें निवेश किया है इसलिए उनकी उपलब्धियां संभव हैं।

मूलतः मानव संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पास बड़े पैमाने पर मानव संसाधन उपलब्ध है। हमें इसका उल्लेख ही नहीं करते हैं। हम देश में उपलब्ध मानव संसाधन महत्व को नहीं समझा पाए हैं। साधारणतयः हम इसे 'शिक्षा' कहते हैं जो कि बेकार है। इससे किसी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती, इससे सृजनात्मक मस्तिष्क का विकास नहीं किया जा सकता, ऐसा केवल रटाकर और परीक्षा लेकर किया जाता है।

इसलिए महोदय, मेरा स्पष्ट मत है कि इस संशोधन के द्वारा यदि हम वास्तव में उदारीकरण प्रक्रिया को सरल बनाकर अथवा और पूर्व में दी गई कठिन रियायतों और सभी कठिनाइयों को कम करके अप्रवासी भारतीयों को प्रेरित करना चाहते हैं तथा उनमें विश्वास का सृजन करना चाहते हैं तो इससे मुझे वास्तव में सबसे अधिक प्रसन्नता होगी और देश को भी इससे खुशी होगी। यद्यपि, ऐसा केवल अप्रवासी भारतीयों के लिए ही किया गया है जैसाकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान ऐसा वायदा किया था। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को इस देश में घर जैसा माहौल देने के लिए कुछ और किया जाना चाहिए। उन्हें डर है कि देश में लालफीताशाही होगी और चीजों पर निर्णय नहीं लिया जाएगा। सरकार भी निर्णय लेने में महीने और वर्षों लगा देगी। हम अपनी तुलना चीन से कर सकते हैं। पांच और छः वर्ष पहले मैं चीन गया था। मैंने देखा है कि हमारे साम्यवादी मित्र यहां पर बहुत कुछ बोलते हैं। चीन में पिछले 15 वर्षों से अधिक समय 'हायर एंड फायर' की नीति विद्यमान है। यद्यपि वे अपनी अर्थव्यवस्था को ''साम्यवादी अर्थव्यवस्था'' कहते हैं। उनके पास साम्यवादी बाजार अर्थव्यवस्था है लेकिन तब भी वे लोगों को बाहर निकाल देते हैं और मामले का निर्णय बातचीत से होता है। यदि वहां पर कोई अमरीकी प्रतिनिधिमंडल निवेश के लिए आता है उदाहरणस्वरूप वह 10 बिलियन डालर का निवेश करना चाहता है तो वे उस प्रतिनिधिमंडल को बिना निर्णय लिए वापस नहीं जाने देते। उस प्रतिनिधिमंडल को कोई न कोई निर्णय लेना ही पड़ता है अथवा किसी समझौता ज्ञापन पर या ऐसी ही किसी चीज पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं इसके बाद ही उन्हें वापस भेजा जाता है।

दुर्भाग्यवश हम इस देश में पिछले कई वर्षों से वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण और अन्य बहुत सी चीजों के बारे में बोल रहे हैं। हाल ही में मैंने एक समाचार-पत्र में पढ़ा है कि देश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अप्रवासी भारतीयों द्वारा जो प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए हैं उनमें से कुछ प्रस्ताव कई वर्षों से मंजूर नहीं किए गए है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश की सबसे बड़ी बाधा लाल-फीताशाही और अनिर्णय है। इसीलिए मैं माननीय मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी से इस देश में विद्यमान ऐसी बाधाओं को दूर करने और इस राष्ट्र को अमरीका जैसा राष्ट्र बनाने के लिए इस विधेयक को आवश्यक संशोधन के साथ पुरःस्थापित करने का अनुरोध करता हूं। आगामी एक या दो दशकों में हम निश्चय ही भारत को विश्व का अग्रणी देश बना सकते है। मैं देख सकता हूं कि इसमें 20 से 25 वर्ष से ज्यादा समय नहीं लगेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): महोदय, नागरिकता संशोधन विधेयक, 2005 पर चर्चा करने के लिए जो सुअवसर आपने प्रदान

किया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जब यहां एनडीए की सरकार थी और प्रथम अप्रवासी भारतीय सम्मेलन में मान्यवर अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, तब उन्होंने घोषणा की थी कि जो विदेशों में भारतीय मूल के लोग निवास करते हैं, उन्हें दोहरी नागरिकता प्रदान की जाए, लेकिन तब उद्देश्य साफ था कि जो अप्रवासी भारतीय मूल के लोग बाहर गए हुए हैं, वे इस देश के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ सकें, इस देश के उद्योग और विकास में अपना अधिक से अधिक योगदान दे सकें, निवेश कर सकें। यह उद्देश्य था। उसमें एक सतर्कता बरती गयी थी कि देश की आन्तरिक सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो और जो विधेयक पेश किया गया था, उसमें इस बात की सतर्कता बरती गयी थी। इसीलिए प्रारम्भ में 16 देशों को जिसमें अमेरिका, इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे राष्ट्र शामिल थे।

अपराह्न 3.00 बजे

वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों के लिए यह प्रावधान किया गया था। सरकार फूंक-फूंक कर कदम उठा रही थी। लेकिन यह जो नया संशोधन विधेयक आया है, इसमें विदेश में रहने वाले जो भारतीय भारत के खिलाफ राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, उसकी रोकथाम के लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया है।

मैं इस संशोधन विधेयक की मूल भावना से तो सहमत हूं, लेकिन मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करे कि जिससे इसे इतना सरल कर दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। मूल भावना से सस्ती लोकप्रियता के लिए कहीं ऐसा न हो कि भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाए। हम सभी को मालूम है कि इस देश के कई लोग विदेशों में जाकर भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं और वे कई आतंकवादी संगठनों के मुखिया हैं। अगर उन लोगों को भी इस दोहरी नागरिकता का लाभ मिल जाएगा, तो वे भी जब चाहें भारत आ सकेंगे और जितने दिन रुकना चाहें, रुक सकेंगे। मैं समझता हूं यह राष्ट्रहित में नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इसे तो स्वीकार करे, लेकिन साथ ही इस बात का भी ध्यान रखे कि इस संशोधन के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा को कोई खतरा उत्पन्न हो सके। आज इस प्रकार की कई घटनाएं विदेश में हो रही हैं। हमारे यहां के लोग विदेश जाकर आतंकवादी संगठों के समारोह में शामिल होते हैं और वहां पर उन्हें सरोपा इत्यादि भेंट किया जाता है। अगर उन लोगों को यह लाभ मिल जाएगा, तो मामला खतरनाक हो जाएगा। इसलिए इस पर सतर्कता बरतने की बात कह कर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को जनवरी, 2005 में आयोजित ''प्रवासी भारतीय दिवस'' के मौके पर माननीय प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह द्वारा किये गये वायदे को पूरा करने के लिए इस सभा के समक्ष लाया गया है, विदेशों में रह रहे भारतीयों की यह लंबे समय से चली आ रही मांग है और मैं उनकी मांगों का समर्थन करता हूं। इसलिए मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं जिसे माननीय गृह राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

महोदय, इस विधेयक से उन सभी भारतीय मूल के लोगों की इच्छाएं और आकांक्षाएं पूरी होंगी, जो विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे हैं। करीब 110 देशों में भारतीय मूल के करीब 30 मिलियन लोग रहते हैं और इस विधेयक के पारित होने के बाद उन्हें दोहरी नागरिकता दी जाएगी।

अब, प्रश्न यह है कि भारतीय विदेशों में क्यों जा रहे हैं? वे विदेशों में इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें यहां रोजगार नहीं मिलता है और यह हमारी कमी है। लेकिन विदेशी मुद्रा के रूप में उनसे देश को लाभ हो रहा है जिसकी हमें नितांत आवश्यकता है। मैं महसूस करता हूं कि विदेशों में रह रहे भारतीय और अनिवासी भारतीय हमारे देश के आर्थिक विकास और प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हमारे देश के प्रति उनका प्रेम और स्नेह है। इसलिए, हमारे देश को मदद देने के लिए हमें उन्हें सुविधा देनी होगी।

महोदय, मुझे चीन की यात्रा करने का कई बार अवसर मिला है। चीन से मैंने सूचना एकत्रित की है कि चीन से बाहर रह रहे चीनी लोगों ने अपने देश के विकास के लिए बहुत योगदान दिया है और अनिवासी चीनियों से चीन को विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है। मैं जानता हूं और यह बात सरकार को भी मालूम है कि विभिन्न देशों में भारतीय मूल के कुशाग्र बुद्धि के काफी लोग रहते हैं और वे अपने संबंधित क्षेत्रों में काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं।

हमें उन पर गर्व है, लेकिन हमारे देश के विकास विशेष रूप से हमारी भावी पीढ़ी के लिए उनकी सेवाओं के उपयोग के बारे में हमारी क्या योजना है, क्या माननीय मंत्री जवाब देंगे?

प्रो. अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार विजेता हमारी परिसम्पत्ति हैं। उनका जन्म और लालन-पालन भारत में हुआ। पढ़ाई ''शांति निकेतन'', पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा विदेश में की। अपने ''प्रतीची न्यास'' के माध्यम से वह गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सर्व शिक्षा हेतु लड़ाई लड़ रहे हैं और उन माता-पिताओं को

[श्री सुधांशु सील]

उत्प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं जो स्वयं शिक्षित नहीं हैं लेकिन उन्हें अपने बच्चों को शिक्षार्थ भेजना चाहिए। वह निरक्षरता दूर करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे देश को इस प्रकार के व्यक्तित्वों की जरूरत है और उनके लिए सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता दी जानी चाहिए। हालांकि, मैं सरकार से भारत के प्रति उनके सराहनीय योगदान हेतु उन्हें "भारत रत्न" पुरस्कार प्रदान किये जाने का अनुरोध करूंगा जो कि विदेशी मुद्रा से ज्यादा है और इसे प्राथमिक शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्र के ओ.आई.एस. सहायता समझा जा सकता है। मैं माननीय मंत्री से जवाब चाहूंगा कि हमारे देश के पद दलित लोगों के सुधार के लिए उनके विचारों एवं अनुदेशों को हम कैसे प्रदान कर रहे हैं और उन्हें "भारत रत्न" पुरस्कार दिये जाने के प्रस्ताव पर भी हम क्या कर रहे हैं।

जहां तक प्रावधान का संबंध है, वर्तमान विधेयक में यह बिल्कुल सरल दिखता है और इसमें पारदर्शिता है। इससे अपने संबंधित देश में, जहां वे रह रहे हैं, आवेदन करने में समर्थ होंगे। इसके अतिरिक्त बहुउद्देशीय और बहुप्रवेशी आजन्म वीजा अर्थात् "यू" वीजा दिए जाने से उन्हें देश में रहते हुए पुलिस को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं होगी और इससे उन्हें न केवल कभी भी किसी भी उद्देश्य के लिए अपनी मातृभूमि में आने के अवसर प्रदान होंगे अपितु भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में भी उनकी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

जहां तक आंतरिक सुरक्षा का संबंध है, मैं सरकार से इस तरह का तंत्र शुरू करने का अनुरोध करूंगा जिससे राष्ट्रहित में आपराधिक रिकार्ड के व्यक्तियों, जो यहां कोई अपराध करके भारत से भागकर अन्य देशों में बसे हैं, के आगमन पर रोक लगायी जाये।

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी हाल की अमरीका यात्रा के दौरान हमारे संबंधों को मजबूत किया है, अमरीका में हमारी एक छोटी समस्या है, सामाजिक सुरक्षा फंड के नाम पर, अमरीकी सरकार दस वर्षों के कम समय से वहां काम कर रहे हजारों कामगारों द्वारा जमा कराई गई राशि को रख रही है। हमें "टोटलाइजेशन पैक्ट" की आवश्यकता है और उसके लिए हमें भी उसे संधि का एक पक्ष बन जाने की जरूरत है जैसा कि अमरीका की 20 अन्य देशों के साथ संधि है, और इस संधि से, अमरीका में कार्यरत लाखों भारतीय मूल के नागरिक अथवा अप्रवासी भारतीय लाभान्वित होंगे और सामाजिक सुरक्षा फंड के रूप में उनकी जमा राशि वापस देश में आ सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी ने प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता देने की बात कही है, यह एक सराहनीय कार्य है। लेकिन अभी कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर जो चिंता जाहिर की है कि कहीं ऐसा न हो कि इस कारण कुछ भुगतना पड़े, उस पर भी गौर करना चाहिए।

हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी का भी अपना खास महत्व है। 9 जनवरी, 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। उसी दिवस के रूप में हमें प्रवासी भारतीय दिवस आज तीन वर्ष से मना रहे हैं और 26 जनवरी 1950 के बाद अन्य देशों में भी जो लोग बसे हैं, उनकी दोहरी नागरिकता देने की बात कही गयी है। लेकिन हमें एक तरफ और भी सोचना पड़ेगा कि हमारे बहुत से ऐसे प्रवासी भारतीय हैं जो रोजी-रोटी के नाम पर विदेश गये थे, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए चले गये थे। उनके पास प्रतिभा और ज्ञान था और वहां जाकर उन्होंने अपना नाम रोशन किया। लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं जैसे कुवैत है, जहां भारतीय गये थे या दूसरे गल्फ कंट्रीज हैं जहां से उनको इराक भेजा गया। वहां उनका बंधक बनाकर शोषण किया गया। इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देना होगा। पड़ोसी देश पाकिस्तान और बंगलादेश की बात कही गयी थी कि इनको छोड़कर, तो हमें इस ओर भी महसूस करना होगा। सन् 2003 में, राज्य सभा में हमारे प्रधान मंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने इस बात की भी सिफारिश की थी कि बंगलादेश में अत्याचार भुगत रहे बहुत से लोग जो भारत आये हैं, उन पर भी विचार करना पड़ेगा। हमारे देश के बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जो बंटवारे के समय चले गये, लेकिन वहां उन्हें अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है, उनकी ओर विशेष ध्यान देना होगा। मैं यही कहना चाहूंगा कि इस ओर जो कदम उठाए गये हैं, उनमें हमें यह भी देखना होगा कि कहीं पर हमारा नुकसान तो नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि भारत को लाभ मिलेगा क्योंकि बहुत सी हमारी प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनका हम उपयोग नहीं कर पाए हैं या जो हमारे भाई विदेश गये थे और यहां आकर विनिवेश करेंगे, तो अच्छी तरह से हमें उनका लाभ भी मिलेगा।

गल्फ देशों में हमारे बहुत से भाई रोजगार के लिए गये हैं और वे वहां से विदेशी मुद्रा लाते हैं तो उससे उनकी आर्थिक स्थिति और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार आना लाजिमी है। माननीय मंत्री जी जो नागरिक संशोधन विधेयक लाए हैं, मैं इसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं यहां पर नागरिकता प्राप्त करने का उपबंध करने वाले नागरिक (संशोधन) विधेयक, 2005 के बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम में कहा गया है कि जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीयकरण से और क्षेत्र को सम्मिलित करके संविधान के शुरू से ही नागरिकता प्राप्त करने का इसमें उपबंध किया गया है। इसमें नागरिकता समाप्त करने और उससे वंचित करने का भी उपबंध है। हम नागरिकता अधिनियम के बारे में बात कर रहे हैं और भारतीय मूल के विदेशी व्यक्तियों संबंधी उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने वर्ष 2001 में उक्त अधिनियम में कतिपय विशेष देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता प्रदान करने हेतु उक्त अधिनियम में संशोधन की सिफारिश की थी। केन्द्र सरकार ने तदनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर अन्य 16 विशेष देशों के भारतीय मूल के व्यक्तियों द्वारा भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के लिए उपबंध करके वर्ष 2003 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने इस वर्ष जून की 28 तारीख को एक अध्यादेश भी पुरःस्थापित किया है जिसमें इस अधिनियम की अनुसूची 4 को हटाकर वर्ष 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया है और इसके द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति भारत के विदेशी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के हकदार हो जायेंगे।

इस संशोधन में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के हकदार होने के लिए यहां ठहरने की अवधि को दो वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। गृह मंत्रालय एक नये प्रकार का 'यू' वीजा जारी करेगा जो बहुउद्देशीय, बहुप्रवेश और जीवन पर्यन्त का वीजा होगा। इससे ओ.सी.आई. कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य के लिए कितनी ही अवधि के लिए किसी भी देश में जाने के हकदार हो सकेंगे। इसके अतिरिक्त, ओ.सी.आई. पंजीकृत व्यक्ति को देश में कितनी ही अवधि तक के अपने ठहराव की सूचना पुलिस को नहीं देनी पड़ेगी। उन्हें इस शर्त से मुक्त कर दिया गया है। अतः इन सभी मामलों पर चर्चा किये जाने की आवश्यकता है।

यद्यपि ऐसे व्यक्तियों को वित्तीय आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों की तरह ही सभी अधिकार प्रदान किये गये हैं फिर भी उन्हें कृषि अथवा वनरोपण संपत्ति का कोई अधिकार नहीं होगा। निःसंदेह ये सभी बातें अच्छी हैं। लेकिन सरकार ने अध्यादेश का रास्ता क्यों अपनाया? इस अध्यादेश को दिनांक 28 जून, 2005 को पुरःस्थापित करने की तात्कालिकता क्या थी? यह सरकार मानसून सत्र तक इन्तजार कर सकती थी और वह इस विधेयक को उस समय ऐसे ही प्रस्तुत कर सकती थी जैसे कि अब किया है। ऐसी तात्कालिकता क्या थी?

सभी विदेशी भारतीयों के लिए दोहरी नागरिकता की शुरूआत कर दी गयी है। ऐसा एक पुराना उपबंध है जो अब भी लागू होता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सभा का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि यह केवल तभी लागू होना चाहिए जब मेजबान देश अपने कानून के अन्तर्गत दोहरी नागरिकता की छूट दे। निःसंदेह सरकार ने देश में भारतीय मूल के लोगों को अपनी मातृभूमि से जुड़ने का एक अवसर प्रदान किया है। उनके द्वारा न केवल व्यापार क्षेत्र में अपितु सामाजिक विकास कार्यों में और बुनियादी विकास में निवेश किये जाने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा में, अनिवासी भारतीय सार्थक रुप से भागीदारी भी कर सकते हैं लेकिन उनके योगदान को सरकार तक ले जाने की जरूरत नहीं है। यहां पर यह उपबंध किया गया है कि उनका अंशदान पंजीकृत समितियों और गैर-सरकारी संगठनों तक भी ले जाया जा सकता है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार को इसके वित्तीय प्रभाव का ज्ञान हैं अथवा नहीं।

सरकार केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में सोच रही है लेकिन इस विश्व में ऐसे भी देश हैं जिन्होंने भारत से शत्रुता रखने वाले व्यक्तियों को शरण दे रखी है। आज प्रासंगिक प्रश्न यह है कि दोहरी नागरिकता दिये जाने से कौन लाभान्वित होगा? इससे कोई व्यक्ति यह सुनकर गर्व महसूस कर सकता है कि दोहरी नागरिकता विदेशों में रहने वाले सभी भारतीयों को प्रदान कर दी गयी है लेकिन हकीकत में इसका कोई बड़ा अर्थ नहीं है। मैं नहीं समझता कि इससे किसी को तत्काल कोई लाभ मिलेगा। कुछ वर्ष गुजर जाने के बाद लाभ मिल सकता है लेकिन इससे तत्काल अथवा वर्ष 2006 में भी किसी को कोई तत्काल नहीं नहीं मिलेगा। मैं इसके कारणों की चर्चा करूंगा। वर्ष 2004 में विदेशी भारतीय नागरिकता का लाभ 16 देशों के व्यक्तियों को उपलब्ध कराया गया जिनके बारे में मेरे सहयोगियों ने भी बोला है, और श्री के.एस. राव ने भी जिनके बारे में उल्लेख किया है—आस्ट्रेलिया, कनाडा, फिनलैंड, फ्रांस, यूनान, आइसलैंड, इस्राइल, इटली, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, साइप्रस, स्वीडन, स्वीट्जरलैंड, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका।

यह विधेयक बांग्लादेश और पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों पर लागू है। लेकिन अब भी दो दरारें है। ये दो दरारे हैं: जिन्होंने 26 जनवरी, 1950 के बाद प्रवास किया है वे भारतीय नागरिक बन सकते हैं और दूसरा यह है जो अधिक महत्वपूर्ण है, कि वे तभी इस देश की दोहरी नागरिकता हासिल कर पायेंगे जब उन्हें वह देश और उसका कानून इसकी अनुमति प्रदान करें जहां वे रह रहे हैं।

आज भी माननीय मंत्री जी से अथवा विदेश मंत्रालय से ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि दूसरे देशों को दोहरी नागरिकता

[श्री भर्तृहरि महताब]

प्रदान करने के लिए मनाने का कोई कूटनीतिक प्रयास किया जायेगा। इसलिए, कौन-कौन सक्षम लाभार्थी है? महोदय, आपके माध्यम से, मैं यह प्रश्न सीधे सरकार से पूछ रहा हूं। श्री एल.एम. सिंघवी के नेतृत्व वाली भारतीय मूल के विदेशी व्यक्तियों संबंधी समिति की वर्ष 2001 की रिपोर्ट के अनुसार, 10,000 से अधिक विदेशी भारतीयों वाले 50 देश हैं जिसमें अनिवासी भारतीय भी शामिल हैं और जो भारतीय नागरिक हैं। इन 50 देशों में से, इन 16 में 12 देशों को वर्ष 2004 के गत वर्ष के प्रस्ताव में शामिल कर लिया गया। उन्हें इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया। शेष 38 देशों को शामिल किया जाना अभी शेष है। अब आपने हमारे दो पड़ोसी देशों को छोड़कर सभी देशों को यह प्रदान कर दी है। लेकिन लाभ किसे मिलेगा? केवल एक आध को। एक देश स्पेन है। केवल स्पेन, रूस, लेबनान और नाइजीरिया में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को लाभ मिलेगा। निकट भविष्य में इससे अधिक कुछ भी होने वाला नहीं है।

महोदय, आपके माध्यम से, सरकार से मेरा एकमात्र प्रश्न यही है। जल्दबाजी क्या थी? यदि अन्य देशों में दोहरी नागरिकता प्रदान करने की किसी कूटनीतिक गतिविधि अपनाने का मन नहीं बनाया है तो ऐसे अध्यादेश की क्या आवश्यकता थी? मुझे इसका कोई कारण नजर नहीं आता। मंत्री जी कोई आश्वस्त करने वाला उत्तर देकर हमें जानकारी दे सकते हैं। लेकिन ऐसी नीति से जैसी की यह है दोहरी नागरिकता लाभप्रद है। विदेशों में रहने वाले लोग विभिन्न क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ न केवल सरकार वरन् विभिन्न पंजीकृत समितियों विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से आने वाले धन की निगरानी की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं इस मद को अपराह्न 4 बजे तक समाप्त करना चाहूंगा। अतः मैं माननीय सदस्यों से मात्र दो से तीन मिनट तक बोलने का अनुरोध करता हूं।

अब श्री इलियास आजमी आप दो से तीन मिनट तक बोल सकते हैं। पहले आपको अपने स्थान पर जाना होगा।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): महोदय मैं यहीं से बोलने की इजाजत चाहता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं सिटिजनशिप के बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं क्योंकि यह हमारी राष्ट्रीय जरूरत है और राष्ट्रहित में भी है। उन भारतीयों को, जो दूसरे मुमालिग में जा कर बस गए, वहां बिजनेस किया, कारोबार किया, मुल्क का भी फायदा किया, अपने देश का नाम रोशन किया, दोहरी सदस्यता देना जरूरी भी है और हमारे राष्ट्रीय हित में भी है। अभी हमारे भाजपा के दोस्त बोल रहे थे कि उनको कुछ शंकाएं आतंकवादियों के बारे में थी। मैं ऐसी सोच रखने वाले लोगों से कहूंगा कि आतंकवादियों को किसी वीजा, पासपोर्ट, नागरिकता, शहरीयत या कानून की कोई जरूरत नहीं होती, उनको कोई कानून अब तक नहीं रोक पाया, जब टाडा और पोटा नहीं रोक पाए तो कौन सा कानून है जो उनको रोकेगा। आतंकवाद और आतंकवादियों की यह चीज बिल्कुल अलग है और यह कानून देश की जरूरत है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि इससे बांग्लादेश और पाकिस्तान को अलग रखा गया है और कुछ मानवता के सवाल पैदा होते हैं। मेरी जानकारी के मुताबिक एक साहब पाकिस्तान में बूढ़े हो गए थे, उनकी लड़की मेरे पास के घर में ब्याही थी, उनको किसी ने बता दिया कि यह पालिटिक्स में हैं तो वे मेरे पास आकर अकेले में रोने लगे, हालांकि वे पाकिस्तान में बहुत खुशहाल थे, पांच-दस लाख की उनको कोई प्राब्लम नहीं थी लेकिन वे यहां गरीब थे।

उन्होंने मुझसे कहा कि आप मुझे या तो नागरिकता दिला दीजिए या वीजा दिला दीजिए, क्योंकि मैं वहीं मरना चाहता हूं, जिस मिट्टी से उठा हूं, उस मिट्टी में जाना चाहता हूं। उस वक्त मैं एम.पी. भी नहीं था, मैंने कहा कि यह मेरे वश में नहीं है। उस बेचारे की जब कभी तबियत खराब होती थी और उसे वीजा मिल जाता था, तो वह यहां चला आता था। उसकी ख्वाहिश ही ऐसी थी कि वह मरे तो यहीं मरे और वह वीजा लेकर आया और यहीं मर गया। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जो 65 वर्ष के हो गए हैं, सीनियर सिटीजन होने के बाद यदि वे भारतीय मूल के आदमी हैं और पाकिस्तान या बांग्लादेश चले गए हैं तथा वे इसी मिट्टी में मिलना चाहते हैं, ऐसे में यदि उनको दोहरी नागरिकता न दें तो कम से कम उनकी इस तरह की ख्वाहिश को ध्यान में रखकर उन्हें लांग टर्म वीजा देकर उन्हें इसका मौका दें, क्योंकि यह मानवता का भावनात्मक मामला है।

महोदय, मैं ज्यादा न कहकर इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, श्री सी.के. चन्द्रप्पन।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचुर): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप पहले अपनी सीट पर जाने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: मैं अपनी सीट पर हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे बताया गया था कि आप अपनी सीट पर नहीं हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: हाल ही में मैंने इसे बदला है।

महोदय, 16 देशों में रह रहे भारतीयों को नागरिकता देने के स्थान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर सभी देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता उपलब्ध कराने के हमारे प्रधानमंत्री द्वारा की गयी घोषणा को पूरा करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। यह बहुत सही निर्णय था। यदि आप इसे देखें तो इसकी एक पृष्ठभूमि है। यदि आप स्मरण करें तो भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में कनाडा में रहने वाले सिखों ने गदर पार्टी बनाने में और कामागाटा मारू भेजने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। यह सभी हमारे इतिहास हैं। हमने न केवल भारत में अपनी आजादी के लिए लड़ाई की बल्कि जो भारतीय विदेशों में बसे थे-मैं उन सब भारतीयों की बात कर रहा हूं जो इंग्लैंड, फ्रांस, मैक्सिको, जापान, जर्मनी, कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में रहते थे-हमारी तरह स्वतंत्रता हेतु लड़े थे। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी भारत के नागरिक थे जिन्होंने अपने जीवन का बड़ा भाग विदेश में बिताया था। मैं श्री एम.एन. राय, मैडम कामा और श्री वी.के. कृष्णा मेनन जैसे लोगों को स्मरण कर रहा हूं जिन्होंने केरल में या भारत में नहीं बल्कि लंदन में आजादी की लड़ाई लड़ी। अत: आजादी की लड़ाई में उन्होंने बड़ा योगदान किया।

महोदय, यदि हम इस बात को समझें तो इसका बड़ा अर्थ है। कुछ लोगों ने भिन्न संदर्भ में चीन का उल्लेख किया था। चीनवासी विदेशों में बसे चीनियों को सम्मान व आदर देते हैं। सभी यह स्वीकार करते हैं कि चीन को विदेशों में बसे चीनियों से भारी वित्तीय सहायता मिलती है। हमें भी यह प्राप्त होता है और हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम इसका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भारतीय विदेशों में रह रहे हैं उन्हें भारतीय नागरिक के समान मानकर हम एक मान्यता प्रदान कर रहे हैं। अत: इस पहलू से मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

मेरे विचार से, एक और परिस्थिति से निपटने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। माननीय गृह मंत्री अवगत होंगे कि केरल से लाखों लोग विदेशों में विशेषत: खाड़ी देशों में रहते हैं और उनका योगदान इतना बड़ा है कि यह स्वीकार किया गया है कि विदेशी मुद्रा संबंधी हमारी दिक्कते सरकारी खजाने में उन लोगों के अंशदान से जो विदेशों में काम कर रहे हैं, दूर होती हैं। अत: इसे देखते हुए क्या हम उन्हें कोई लाभ दे रहे हैं?

खाड़ी देशों में रहने वाले केरल के लोगों की बड़ी साधारण मांग है। तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के समर्थन में हाल ही में विभिन्न खाड़ी देशों से सभी लोगों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई थी। वे चाहते थे कि उन्हें मतदान का अवसर दिया जाना चाहिए। वे अन्य देश के नागरिक नहीं हैं। वे भारतीय नागरिक हैं। वे नौकरी की तलाश में गए थे और विदेश में रह रहे हैं। वे बराबर अपने देश आते रहते हैं और हमारी अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करते हैं। अत: उनकी मांग है कि सर्वप्रथम उनके नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाएं। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार इसमें एक कमी है। केवल वे जो सामान्यत: भारत में रहते हैं उन्हें ही मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। वे सामान्यत: भारत में नहीं रहते हैं। वे सामान्यत: भारत से बाहर रहते हैं किन्तु भारत के प्रति बड़ा योगदान कर रहे हैं। अत: एक ऐसा संशोधन लाया जाना चाहिए कि जो लोग अर्थव्यवस्था और समाज के लिए काफी कुछ कर रहे हैं किन्तु बाहर काम कर रहे हैं और अपनी भारतीय नागरिकता बनाए हुए हैं उन्हें मतदाता सूची में सम्मिलित करने और चुनाव के समय यदि वे यहां हों तो मतदान करने का अवसर दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से, यह बहुत आवश्यक है और हमें ये बातें ध्यान में रखकर संशोधन करना चाहिए। मैं इस विधेयक को अग्रगामी कदम के रूप में देखता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन के संबंध में इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

मुख्यत: केरल से लोग खाड़ी देशों में जाकर काम कर रहे हैं। भारतीय दूतावास में उनकी जरूरतों का ख्याल रखने का बहुत कम इंतजाम है। सऊदी अरब से हमारे कुछ लोगों ने मुझे इस आशय के पत्र लिखे हैं कि एक भारतीय त्यौहार आने वाला है किन्तु भारतीय दूतावास वहां के मलयाली आबादी का उचित ध्यान नहीं रख रहा है। वहां रह रहे भारतीयों में इनकी संख्या सर्वाधिक है किन्तु वे भारतीय त्योहार का हिस्सा नहीं हैं। नौकरशाही द्वारा किया जा रहा यह विचित्र भेदभाव है जो देश हित के विरुद्ध है।

जैसाकि आप जानते हैं, कई भारतीय पाकिस्तान की जेलों में बंद हैं। हाल ही में मुझे केरल से एक शिकायत मिली है। केरल पाकिस्तान से बहुत दूर है। किन्तु जो मछुआरे मछली पकड़ने जाते

[श्री सी.के. चन्द्रप्पन]

हैं वे अन्तर्राष्ट्रीय जल सीमाएं नहीं जानते और मछली पकड़ने के दौरान हो सकता है कि उन्होंने सीमाओं का उल्लंघन किया हो। उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है किन्तु दूतावास या भारत सरकार द्वारा उनकी सहायता करने के लिए ताकि वे वापस आ सकें, कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया है। अत: मैं अनुरोध करता हूं कि राजनयिक स्तर पर इस समस्या से निपटने में भारत सरकार को गहरी रुचि दिखानी चाहिए। हाल ही में जब कम्यूनिस्ट नेतागणों ने पाकिस्तान का दौरा किया था और पाकिस्तान के राष्ट्रपति से मिले थे, उन्होंने इस विषय को उठाया और उन्होंने कहा था कि वे इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे किन्तु साथ ही उन्होंने कहा कि इसे सरकार द्वारा उठाया जाना चाहिए। अत: भारत सरकार को पाकिस्तान की जेलों में बंद भारतीयों की समस्या की गंभीरता से उठाना चाहिए ताकि उन्हें यथाशीघ्र वापस बुलाया जा सके।

इन शब्दों के साथ तथा इस आशा के साथ कि सरकार इन बातों पर काम करेगी, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं इस बिल का स्वागत और समर्थन करता हूं, क्योंकि इस विधेयक की बहुत आवश्यकता थी। मैं माननीय मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वह अपनी घोषणा के अनुसार इस विधेयक को सदन में लाये। आल पार्टीज ने इस विधेयक का समर्थन किया है। वर्तमान परिवेश में एन.आर.आईज. को दोहरी नागरिकता मिले, इसकी बहुत आवश्यकता थी। निश्चित तौर पर भारतीय मूल के लोगों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन चिंता का विषय यह है कि कई ऐसे देश हैं, जिन्हें सूची में नहीं लिया गया है। भारतीय मूल के लोग बहुत बड़े पैमाने पर सूरीनाम, मारीशस, फिजी तथा गल्फ कंट्रीज में रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि इस सूची में उनका नाम नहीं है। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका आदि भी कई ऐसे देश हैं, जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यदि गल्फ कंट्रीज की बात करें तो वहां 90 प्रतिशत गरीब भारतीय मजदूर रहते हैं, छोटा-मोटा काम करने वाले मैकेनिक, कपड़े साफ करने वाले तथा स्किल एवं अनस्किल्ड लेबर क्लास के लोग रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जो सुविधा एन.आर.आईज. को मिलनी चाहिए, उस सुविधा से वे वंचित थे। इस बिल के माध्यम से उन्हें बहुत लाभ मिलेगा। उनकी बहुत बड़ी आबादी के धन से भारतीय अर्थतंत्र को मजबूती मिलेगी। वे लोग रोजाना कमाते हैं, मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं। भारतीय मूल के जो गरीब तबके के तथा लेबर के लोग हैं, यदि वे अपने बच्चों का इंजीनियरिंग, मेडिकल या दूसरे कोर्सेज में नामांकन कराना चाहते हैं तो वे उस लाभ से वंचित हो जाते थे, चूंकि उन्हें एन.आर.आई. ट्रीट किया जाता था। परन्तु जो डाक्टर्स, इंजीनियर्स तथा दूसरे बड़े ओहदों पर बड़े लोग हैं, यदि उन्हें एन.आर.आई. ट्रीट किया जाता है तो वे हैन्डसम अमाउन्ट पे करके अपने बच्चों का नामांकन करा लेते हैं। लेकिन जो गरीब, मजदूर या कांट्रैक्ट लेबर क्लास के लोग हैं, जो दो-तीन वर्ष के लिए विदेश जाते हैं और उसके बाद वापस भारत आ जाते हैं, ऐसे लोग जो भारतीय मूल के लोग हैं, उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मजदूर वर्ग, गरीब तबके के लोग गल्फ कंट्रीज या दूसरे अन्य देशों में रहते हैं, उनके लिए अलग से कोई योजना बनाई जाए, उनके लिए कानून में व्यवस्था की जाए। ताकि वे लोग एन.आर.आईज. रहकर भी लाभ उठा सकें और कम कीमत में उन्हें फायदा मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि आज हमारा कम्पिटीशन हो रहा है। हम विकसित देश नहीं हैं, हम विकासशील देश हैं। लेकिन आज जिस तरह से पूरे भारतीय स्तर पर हर चीज में प्रतियोगिता हो गई है। हम विकसित देशों के पैमाने के समकक्ष नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इस बिल के माध्यम से भारतीय मूल के लोग बड़े पैमाने पर अपने धन को भारत में इनवैस्ट करेंगे, ताकि भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। उनको दोहरी नागरिकता मिलेगी। मेरे मन में एक बात आई है जिसके संबंध में माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि आज जो सुविधा एनआरआईज को दोहरी नागरिकता के इस बिल के माध्यम से होगी, बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर मालूम नहीं क्या व्यवस्था है। जो लाभ हम भारतीय मूल के लोगों को दे पाएंगे, पता नहीं अमेरिका, कनाडा और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के कानून में क्या प्रावधान है। वे यह सुविधा दे पाएंगे या नहीं। हम पासपोर्ट इश्यू कर रहे हैं। वे पासपोर्ट इश्यू कर पाएंगे या नहीं, यह भी चिन्ता का विषय है। मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी जवाब देते समय इस पर भी बताएं। हमारे मन में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि वैसे भारतीय मूल के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा या नहीं। जो लाभ हम दे पा रहे हैं, वे दोहरी नागरिकता के मापदंड करा पाएंगे या नहीं, या वहां पहले से है या नहीं है। माननीय मंत्री जी जवाब देते वक्त तो इस संबंध में बताएं। अगर वहां ऐसा नहीं है तो विदेश मंत्रालय को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा और डिप्लोमैटिक तरीके से इस बात का निदान करना पड़ेगा ताकि हम जिस दृष्टिकोण से अपने भारतीय मूल को फायदा और हक दिलाने की बात कर रहे हैं, उनको यह सहूलियत दूसरे देशों में भी मिल सके।

उपाध्यक्ष जी, हमारे नेता डा. लोहिया की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है। उन्होंने कहा था कि पासपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। उनका जो दर्शन था, उन्होंने कहा था कि पूरे विश्व की मानव जाति एक है और पासपोर्ट जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। मैं जानता हूं कि उसमें बहुत कठिनाइयां हैं। मैं विषय को उनके दर्शन की ओर नहीं ले जाना चाहता, लेकिन आज दुनिया ओपन हो रही है, एक होने की बात की जा रही है, तो मुझे लगता है कि डा. लोहिया का दर्शन कितना सही था। आज निश्चित तौर पर हमें उस पर विचार करना चाहिए और पासपोर्ट सिस्टम को खत्म करना चाहिए। लोग एक दूसरे देशों में जाएं तो उससे सद्भावना भी बढ़ेगी, प्यार-मोहब्बत बढ़ेगा और सभी देश विकसित और विकासशील बन पाएंगे।

अंत में मैं माननीय मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी और यूपीए सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वे इस बिल को लाए। इनकी कटिबद्धता है कि जो कहते हैं, वह करते हैं। कामन मिनिमम प्रोग्राम में हम लोगों ने जो कहा है, उसको करने का काम किया है। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि गल्फ में रहने वाले लोगों की तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। इसके अलावा कई छोटे-छोटे देश जैसे सूरीनाम, फिजी, मारीशस और मलेशिया आदि हैं जहां बड़े पैमाने पर भारतीय मूल के लोग रहते हैं। मेरा निवेदन है कि आप उन पर ध्यान दें और खास तौर से गल्फ देशों की ओर ध्यान दें, जहां से हमें बहुत आमदनी होती है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री राम कृपाल यादव: मेरा निवेदन है कि गल्फ में रहने वाले लोगों की तरफ मंत्री जी ध्यान देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: आप तीन बार यह बात कह चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव: मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी ओर मंत्री जी विशेष ध्यान देंगे और अपने जवाब में कुछ प्रकाश डालेंगे।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा पुर:स्थापित किया गया यह विधेयक काफी समय से लंबित था और सरकार ने अब जाकर गत कई दशकों से विदेशों में रहने वाले भारतीयों की चिरलंबित मांग को पूरा किया है। वस्तुत: इस विधेयक का स्वागत करते समय हमें इस महत्वपूर्ण बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या यह विधान अन्यत्र रह रहे और दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त भारतीय मूल के व्यक्तियों को दोहरी नागरिकता दिए जाने की उनकी मांग को पूरा भी करता है अथवा नहीं?

महोदय, हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री सहित कई प्रधानमंत्रियों ने अलग-अलग समय पर यह घोषणा की थी कि हम उन्हें दोहरी नागरिकता देने जा रहे हैं। यह बहुत ही दुख की बात है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के उत्तरवर्ती प्रधानमंत्रियों द्वारा उच्चतम स्तर पर ऐसी घोषणाएं होने के बावजूद आज तक हम एक व्यापक विधान नहीं ला पाए हैं। अत: विभिन्न लोगों की मांग वाकई महत्वपूर्ण है। हमें यह जानना चाहिए कि वे इसकी मांग क्यों कर रहे हैं? हमें भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता क्यों देनी चाहिए, इसके अनेक कारण हैं। एक कारण भावनात्मक है। यदि कोई अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ महसूस करता है तो उसे यहां पर रहने का अधिकार है और हमें यह बात माननी चाहिए। कई दूसरे देश दोहरी नागरिकता दे रहे हैं। इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए। किंतु हमारे अपने दृष्टिकोण से इसका एक आर्थिक कारण भी है। चीन में 55 बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है। गत वर्ष, वहां पर 55 बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ था। भारत में इसका 10 प्रतिशत भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं हुआ। चीन में होने वाला लगभग 85 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश चीनी मूल के व्यक्ति करते हैं अर्थात् जो व्यक्ति अब ताइवान, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमरीका अथवा विश्व के दूसरे भागों में बस गए हैं। यह दर्शाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कहीं भी बस गया हो और उसे किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त हो, अपनी मातृभूमि को नहीं भूलता है। भारत काफी लंबे समय से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए संघर्ष कर रहा है और हम प्रगति नहीं कर पा रहे हैं।

हमने इस बात का विश्लेषण किया है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए हैं। इसका मूल कारण यह है कि भावनात्मक जुड़ाव लोगों को अपनी जीवन भर की कमाई दूसरे देशों में निवेश करने हेतु प्रोत्साहित करता है। वे निवेश तभी करेंगे जब वे उस देश में काफी सहज महसूस करेंगे। अत: भारत मूल के लोग निश्चित रूप से खुश होंगे और निवेश करने के बारे में सोचेंगे।

इस पृष्ठभूमि के मद्देनजर मुझे विश्वास है कि यह संशोधन करते समय सरकार दो बातों का ख्याल रखेगी। सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने कहा है, जब हम यह कानून बना रहे हैं तो घोषणा करने और विधान लाने के बीच काफी अधिक फासला है। हमें जल्दी से जल्दी कानून बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अन्यथा, ऐसा होगा कि संसद कानून तो पारित कर देगी किंतु काफी लंबे समय तक कानून नहीं बन पाएगा और इसलिए उसे लागू नहीं किया जा सकेगा। दूसरे, कानून इस तरह से बनाए जाएं कि वे इस कानून को पारित करने की मंशा को पूरा न होने दें। ऐसा न हो कि

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

नागरिकता पाने और अपना नाम पंजीकृत कराने में इन लोगों को इतनी कठोर प्रक्रिया से गुजरना पड़े कि कोई भी व्यक्ति नागरिकता ही न प्राप्त कर पाए। हमें इस महत्वपूर्ण बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

कुछ सदस्यों ने इस बात का उल्लेख किया है कि क्या हमें ऐसे नागरिकों को वोट देने का अधिकार देना चाहिए अथवा नहीं। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। हमें ऐसा जरूर करना चाहिए क्योंकि भारत में रहने वाले कई लोगों में से लगभग 55 प्रतिशत लोग वोट देते हैं और उनमें से 45 प्रतिशत लोग कभी भी वोट नहीं देते। इसलिए क्या यह जरूरी नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति वास्तव में वोट देने का इच्छुक है तो हमें इस आधार पर उसे वोट देने से वंचित नहीं करना चाहिए कि वह इस देश का निवासी नहीं हैं। इसलिए हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए।

अब मैं उड़ीसा के मेरे मित्र श्री भर्तृहरि महताब द्वारा कही गई बात पर आता हूं। जब भी हम कोई अध्यादेश लाते हैं तो हमें काफी सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि अध्यादेश अंतिम उपाय होना चाहिए। जब संसद का सत्र बुलाया जाना होता है तो उससे लगभग एक सप्ताह पूर्व अध्यादेश जारी किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि समय सीमा समाप्त नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि भविष्य में हमें यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न करना चाहिए कि कोई भी विधान अन्तर-सत्रावधि में नहीं अपितु सत्र के दौरान लाया जाना चाहिए। मैं यह देख रहा हूं कि इस सत्र में हम संसद में ज्यादा विधान नहीं ला पाए हैं। संभवतया हम ऐसा कर सकते थे और इसलिए अध्यादेश अंतिम उपाय होना चाहिए।

नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005 के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने हेतु दिए जा रहे अधिकारों के संबंध में, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें नैसर्गिक रूप से नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों के समान अधिकार प्राप्त होंगे अथवा दोनों के बीच कोई अंतर होगा? मुझे अशा है, कि मंत्री जी इसे स्पष्ट करेंगे।

श्री फ्रान्सिस फैन्थम (नामनिर्दिष्ट): महोदय, मैं नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 के स्थान पर लाए गए नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं। यह कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से उन युवकों के लिए जो कि विदेश के रहते हैं तथा इसका काफी समय से इन्तजार था। मैंने कई लोगों विशेष रूप से युवा पीढ़ी के लोगों से बातचीत की और उन्होंने कई बार उल्लेख किया कि उनकी ऐसी कोई इच्छा नहीं कि वे भारतीय न रहे परन्तु उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके माता-पिता ने विदेशी नागरिकता ले ली। मातृभूमि से जुड़ने और इस राष्ट्र की आकांक्षाओं के साथ सम्बद्ध होने की इस भावना से अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे जिससे हमारे भावनात्मक बंधन अब और मजबूत हो पायेंगे।

यह विधेयक हमें यह भी अवसर प्रदान करता है जिससे हम लोगों को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम बना सकते हैं विशेष रूप से इस संदर्भ में कि हमने आज वैश्विक समुदाय पर भी ध्यान देना है। आज हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो हमारे माता-पिता या हमारे पूर्वजों की दुनिया से कही अधिक जटिल है। इसी जटिलता के कारण नए किस्मों के कानून और अवसरों के नए मंचों की आवश्यकता है। इससे लोग इन मंचों से इस राष्ट्र के लिए आवश्यक तथा इच्छित प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सक्षम हो सकेंगे। अत: मेरे विचार से दोहरी नागरिकता देने का यह मंच अत्यंत ही प्रगतिशील एवं समर्थकारी है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो इस विश्व की जटिलताओं पर विचार करने की प्रक्रिया में सहायता करेगा। इस मंच के उपलब्ध हो जाने से जनता को और अधिक लचीला माहौल मिलेगा और वह और भी अधिक बहुलता से विश्व की विविधता के रूबरू हो पाएगी। ये वह अवसर हैं जिन पर पूरा विश्व एक राष्ट्र के रूप में हम से विचार करने की अपेक्षा रखता है।

मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि एक तरह से यह विधेयक भी 'स्वदेशी' और 'विदेशी' में भेद करने वाली दूरी को कम करता है। मेरा यह विचार है कि दोहरी प्रणाली के साथ अब हम एक राष्ट्र के रूप में बढ़ने, एकता, भाईचारे की संकल्पना में, एक ऐसी संकल्पना में विकसित हो सकते है कि चाहे हम भारत में रहे या विदेश में रहें-हम दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। यह राजनीतिक समझ से अलग है।

उपाध्यक्ष महोदय, इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और सिफारिश करता हूं कि यह विधेयक सदन द्वारा अपनाया जाए।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष जी, काफी कुछ इस बिल के बारे में कहा जा चुका है। जो एन.आर.आईज. की कंट्रीब्यूशन है, वह काबिले गौर है। वे अपनी धरती से अभी भी जुड़े हैं। इसका एक उदाहरण मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के एक गांव खरौदी का देना चाहता हूं। एन.आर.आईजी. ने वह गांव एडाप्ट किया। वहां सीवरेज और इलैक्ट्रिसिटी, दो बातों का प्रबन्ध उन्होंने किया और मुझे इस हाउस को यह बताते हुए खुशी हो

रही है कि उस गांव को हमारे प्रैसीडेंट साहब ने भी विजित किया। इससे हम समझ सकते हैं कि एन.आर.आईज. की कितनी कंट्रीब्यूशन हमारे गांवों और शहरों की तरफ है।

महोदय, यदि आप पंजाब के गांवों को देखें, तो आप पाएंगे कि हर गांव के बाहर एक बड़ा सा गेट बनाकर अपने फोर-फादर्श का नाम लिखवाकर उस गांव का एक अट्रैक्शन बनाने का काम हमारे यहां लोग कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या है जिसकी तरफ मैं समझता हूं कि सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। जो बुजुर्ग वहां से विदेश गए, उनका प्यार अपनी धरती से अब भी है, लेकिन जैसे-जैसे जनरेशन गैप आता जा रहा है, वह प्यार और वह ललक कम होती जा रही है। पहले जब भी एन.आर.आईज. विदेश से अपने गांव आते थे, तो कुछ न कुछ जमीन खरीद कर जाते थे।

अपराह्न 3.55 बजे

[श्री बालासाहिब विखे पाटील *पीठासीन हुए***]**

एक के पास एक कीला है, एक बार आया तो दो कीले हो गये, तीसरी बार तीन एकड़ हो गयी। लेकिन यह अब ट्रेण्ड कम होकर जमीन बेचने का ट्रेण्ड शुरू हुआ है। कारण यह है कि बच्चों में जैनरेशन गैप है। अपने गांव के प्रति और अपने देश के प्रति लगाव कुछ कम हुआ है। एक बात और है कि जो भारतीय मूल के लोग विदेश में गये हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि हमारे पंजाब में श्री उज्ज्वल दोसांझ, जो कनाडा के हैल्थ मिनिस्टर हैं, जब वे पंजाब आये तो उन्होंने डिफरेंट हास्पीटल्स का विजिट किया। जब उन्होंने हास्पीटल्स की कंडीशन देखी तो उनके मन में एक वेदना हुई कि जहां हम कनाडा में रहते हैं, जहां का मैं हैल्थ मिनिस्टर हूं, वहां के हास्पीटल्स और पंजाब, जहां से मैं गया हूं, वहां के हास्पीटल्स की फैसिलिटीज में बड़ा अन्तर है तो उन्होंने काफी कंट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने प्रोमिस किया था कि मैं इन हास्पीटल्स को सुधारने की कोशिश करूंगा।

माननीय होम मिनिस्टर जी, एक समस्या है, जो खास तौर पर पंजाब के एन.आर.आई. पैदा करते हैं। वह समस्या यह है कि जो एन.आर.आई. विदेश से शादी करने पंजाब में आते हैं तो वे आलरेडी वहां मैरिड होते हैं। उनकी दो या तीन शादियां पहले ही हुई होती हैं। पंजाब के लोगों के मन में है कि जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को बाहर भेजें तो बिना वैरीफिकेशन किए हुए, क्योंकि उनके पास वैरीफिकेशन करने का कोई सोर्स नहीं है कि वहां मैरिड हैं या नहीं। वे यहां आकर शादी करते हैं और यहां 15-20 दिन रहकर बहुत सा दहेज लेकर वे वापस चले जाते हैं। ऐसी हजारों लड़कियां अब पंजाब में हैं, मैं दो डिस्ट्रिक्ट्स की बात करता हूं, एक होशियारपुर की, जहां से मैं हूं और एक जालन्धर है। वहां हजारों लड़कियां ऐसी हैं, जिनका स्टेटस न मैरिड है, न विडो में है, न डाइवोर्सी हैं। कारण क्या है कि उनकी शादी हुई, वे बाहर चले गये। मैं चाहूंगा कि जब भी आप रूल्स बनायें, बिल में कोई ऐसा प्रोवीजन हो कि कम से कम जब एन.आर.आई. शादी करने आयें तो उनका मैरिड स्टेटस क्या है, उसका पता चलना चाहिए।

सिर्फ एक बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पंजाब में एन.आर.आई. सभा बनी हुई है, जो एन.आर.आई. की समस्याएं हैं, उनके सोल्यूशन के लिए वे सभाएं काम करती हैं. ...*(व्यवधान)* मैं खत्म कर रहा हूं।

अगर देश भर में सभी जगह उन समस्याओं को हल करने के लिए कोई उपबंध हो जाये तो मैं समझता हूं कि हम उनके लिए काफी मदद करेंगे। जो बात त्रिपाठी जी ने कही थी, वह सही है कि यह बिल एडाप्ट करते हुए नेशनल सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा जाये।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): सभापति महोदय हम 26 जनवरी 1950 के पहले और बाद की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि सूरीनाम, फिजी, मॉरिशियस, दक्षिण अफ्रीका और अफ्रीका अथवा दक्षिण अमरीका के अन्य भागों के लोगों को आज लाए गए इस संशोधन से लाभ नहीं मिलेगा। किसी भी समझदार भारतीय के मन में यही प्रश्न उठता है कि इस संशोधन की किसे जरूरत है अथवा इस संशोधन से किसे लाभ मिलेगा?

पार्टी मतभेदों से ऊपर उठकर सभी ने इस विधेयक का समर्थन किया। परन्तु यहां मैं एक बात का उल्लेख करना चाहूंगा हालांकि यह इस समय उचित न लगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि ये अप्रवासी भारतीय कौन हैं? उन्होंने देश कब छोड़ा? उन्होंने इस देश की सामाजिक अवसंरचना से लाभ उठाया। भारतीय समाज ने उनके पालन-पोषण उनकी शिक्षा के लिए पैसा खर्च किया। फिर जब सही समय आया उन्होंने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया। वे अपने निजी लाभ के लिए इस देश से चले गए।

यदि आप अमरीका जैसे देशों की नागरिकता मांगेगे तो वह आपसे यह वचन लेंगे कि आप अपनी जन्मभूमि के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हैं। यह अमरीका में एक अनिवार्य कानून है। आज हम यह भूल जाते है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मातृभूमि को छोड़ दिया, उन्होंने अपनी मातृभूमि को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वे स्वयं अथवा अपने करीबी, सीमित, परिवारों के लिए धन अथवा आर्थिक लाभ चाहते थे।

[श्री तथागत सत्पथी]

अपराह्न 4.00 बजे

जैसे केवल एक बीवी होना जरूरी है; हमें एक ही राष्ट्र भी जरूरी कर देना चाहिए। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं कई देशों की नागरिकता अथवा कई देशों से संबंध रखूंगा आपको एक देश से प्रेम करना होगा और यह देश आपकी जन्मभूमि ही होगा। इन लोगों ने अपने स्वयं के लाभ के लिए अपनी ही जन्मभूमि को छोड़ दिया। यदि वे अपनी मातृभूमि से भावनात्मक रूप से जुड़े होते, तो क्या वे इस तरह अपने देश को छोड़ देते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री निखिल कुमार।

श्री तथागत सत्पथी: हम सदा से भारतीय मूल के अप्रवासियों की तुलना चीनी अप्रवासियों के साथ करते हैं। परन्तु यह सभी जानते हैं कि चीनी लोग जहां भी जाते हैं वे अपनी नागरिकता बनाए रखते हैं; वे अपने देश से प्यार करते हैं। वह अपने सम्पर्क, अपने देश के साथ बनाए रखते हैं। अतः हम भारतीय मूल के अप्रवासियों की तुलना विदेश में रह रहे चीनी लोगों से नहीं कर सकते।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्री तथागत सत्पथी: अतः हमें यह कबूल करना चाहिए कि भारतीय मूल के ये लोग इस देश में वापस आना चाहते है क्योंकि वे सोचते है कि भारत समृद्ध हो रहा है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: चार बजे तक का इसका समय था, जो खत्म हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: समय समाप्त हो चुका है। आप इस तरह बात जारी नहीं रख सकते। कृपया बैठ जाएं। आपको दो मिनट का समय दिया गया है। आपने पांच से छः मिनट का समय ले लिया है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: कृपया सहयोग करें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। इस सदन में हर चीज महत्वपूर्ण है। किसी भी बात का महत्व कम नहीं है। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: चार बज चुके हैं। हमने महंगाई पर भी चर्चा करनी है। मंत्री महोदय आप क्या कहना चाहते हैं? 10 या 15 मिनट समय बढ़ाने का सुझाव है। मुझे नहीं पता कि मंत्री जी कितना समय लेंगे। मंत्री महोदय, आपको कितना समय चाहिए

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, पांच-दस मिनट लगेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: यदि सभा सहमत हो, हम इस विधेयक को 15 मिनट के भीतर पूरा कर देंगे। तत्पश्चात् हम नियम 193 के अधीन मूल्य वृद्धि के बारे में चर्चा कर सकते हैं। बुलेटिन में यह पहले से उल्लेख है कि हम चार बजे इस चर्चा को आरंभ करें।

अब, मैं श्री वरकला राधाकृष्णन जी से संक्षेप में बात कहने का निवेदन करूंगा। उनके पश्चात् श्री निखिल कुमार। प्रत्येक माननीय सदस्य के लिए केवल दो मिनट।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: समग 15 मिनट बढ़ा दिया गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: महोदय, आप बहुत जल्दबाजी में हैं।

सभापति महोदय: मैं बहुत जल्दबाजी में नहीं हूं। आपको दो मिनट का समय दिया गया था लेकिन आप छह मिनट तक बोलते रहे।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: क्षमा कीजिए, प्रत्येक विधेयक की एक समय सीमा होती है। कार्य मंत्रणा समिति समय निर्धारित करती है। किसी विशेष कार्य के लिए आबंटित समय के अनुसार हम किसी

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पार्टी को उसकी सदस्य संख्या के आधार पर समय आवंटित करते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी: मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* यह एक गंभीर चर्चा है। अधिक समय दिया जाना चाहिए। आओ हम जल्दबाजी न करें। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लेकिन सभा को इसके लिए सहमत होना चाहिए। सभा का मत हमारे मत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कृपया सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं क्या कर सकता हूं। यह सभा द्वारा निर्धारित किया जाता है। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ इस तरह की वार्ता मत कीजिए। इसके अलावा विचार व्यक्त करने का यह अच्छा तरीका भी नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): जब मैं बोलूं तो कृपया व्यवधान उत्पन्न न करें। मुझे कई बातें कहनी हैं।

महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। लेकिन जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है उससे मैं असहमत हूं। यह एक ऐसा मामला है जिसमें देश की नागरिकता एक अध्यादेश द्वारा प्रदान की जा रही है। यह बहुत अलोकतान्त्रिक और अनुचित है। अध्यादेश अति महत्वपूर्ण मामलों के लिए होते हैं न कि नागरिकता प्रदान करने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक घोषणा की थी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सिर्फ यह पूछना चाहता हूं। कल उन्होंने लालकिले पर एक घोषणा की थी। क्या वह इसे एक अध्यादेश द्वारा कार्यान्वित करने वाले हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई घोषणाएं की थीं। लेकिन इसे ही अध्यादेश द्वारा कार्यान्वित नहीं किया जायेगा। नागरिकता प्रदान करने का मामला लंबे समय से लंबित है। सामान्य रूप से इस विधेयक को सभा के समक्ष लाने में क्या दिक्कत थी? अध्यादेश के स्थान पर विधेयक क्यों होना चाहिए? यह उचित नहीं है। यदि मैं कहूं तो जहां तक हमारी संसदीय प्रक्रिया का संबंध है यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पर्याप्त समय उपलब्ध है तो आपको विधानमंडल की उपेक्षा क्यों करनी चाहिए? नागरिकता प्रदान करना नई बात नहीं है, यह कोई महत्वपूर्ण मामला नहीं है। इसे उचित ढंग से सामान्य ढंग से किया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। क्यों? मुझे यह समझ नहीं आता। ऐसा किया जा सकता था। अब यह समर्पित विधान बन गया है। मैं इसमें किसी संशोधन का सुझाव नहीं दे सकता क्योंकि इसे राज्य सभा पहले ही पारित कर चुकी है। हमें अब इस पर अपनी मोहर लगानी होगी। इससे अधिक कुछ भी नहीं किया जा सकता। संसद सदस्य क्यों दर्शक बनें और विधायी प्रक्रिया में लगें? मुझे समझ नहीं आता ऐसी कोई अनिवार्यता है। संविधान निर्माताओं ने कभी ऐसी प्रक्रिया के बारे में विचार नहीं किया था। आप लोगों पर कोई अर्थदंड नहीं लगा सकते यदि वे यह कह रहे हैं कि संविधान के साथ अन्याय है वो भी नागरिकता अधिकार प्रदान करने के लिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अब, कार्यपालिका किसी भी हद तक जा सकती है। यह इस अध्यादेश से स्पष्ट है।

मैं एक या दो उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे राज्य केरल में, भारतीय मूल के सैकड़ों लोग हैं। पहले के मालाबार, कन्नानौर, कोझीकोड और अलपुझा जैसे जिलों के बंटवारे के समय सैकड़ों लोग पाकिस्तान में थे। वे व्यावसायिक कारणों से पाकिस्तान में थे। वे वहां फंस गये थे। वे भारत की ओर नहीं लौट सके थे। स्वाभाविक रूप से वे पाकिस्तान के नागरिक बन गये। उनकी माताएं, पुत्र और पुत्रियां कोझीकोड में हैं। उन लोगों को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी। मैं इसका जिक्र कर सकता था यदि कोई अध्यादेश नहीं आता और संशोधन दे दिया जाता। कराची का एक बूढ़ा मुसलमान है जो अपनी पत्नी और बेटों से मिलने कालीकट आया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इसी मामूली कारण से उसे वापस भेज दिया गया कि वह पाकिस्तान का नागरिक है। वह भारतीय मूल का व्यक्ति है। यह उसकी अपनी गलती नहीं है। यह केवल व्यावसायिक कारणों से हुआ कि वह वहां रुक गया और अपनी संपत्ति सहित भारत न लौट सका। स्वाभाविक रूप से वह अपनी मर्जी से नहीं अपितु अपने निवास से पाकिस्तान का नागरिक बन गया और इस दोहरी नागरिकता का प्रावधान उसके विरुद्ध है। क्या किया जा सकता है? वह शत-प्रतिशत एक भारतीय है। वह भारत के प्रति वफादार है। यहां उसकी पत्नी है; पोते हैं। उसे वीजा नहीं दिया जायेगा। यह एक स्थिति है। इसे रोका जा सकता था। मैं यह सुझाव दूंगा कि भारतीय मूल के लोग जो बंटवारे के समय भारत का सच्चे नागरिक थे उन्हें इस विधेयक की धारा 7 क के अनुसार अनिवासी भारतीयों के रूप में अपने नाम पंजीकृत कराने की अनुमति मिलनी चाहिए। पूरे निषेध के बावजूद उन्हें पाकिस्तान और बांग्लादेश की नागरिकता से उत्पन्न निषेध के बावजूद अनुमति मिलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: उनके भारतीय नागरिकता प्राप्त करने पर प्रतिबंध है। इस पहलू को रोका जा सकता था।

अब उन गरीब लोगों के बारे में क्या हुआ जो जेलों में बंद हैं? वे वास्तविक भारतीय हैं। वे हमारे ही तरह भारत के सच्चे

[श्री वरकला राधाकृष्णन]
नागरिक हैं। लेकिन उन्हें इस परंतुक के कारण भारतीय नागरिकता नहीं मिल सकती।

इसलिए, कुछ संशोधन अवश्य होना चाहिए। क्या मैं संशोधन ला सकता हूं? नहीं, यह संभव नहीं है ...*(व्यवधान)* यह संभव नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, उन्हें एक बात और कहनी है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: मैं एक मुद्दे पर बोलने वाला हूं।

सभापति महोदय: आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। समय बहुत कम है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: सभापति महोदय, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं भाषण समाप्त कर रहा हूं।

एक और दोहरा मानदंड है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय नागरिक कार्य कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, वे सम्बन्धित बिन्दु को ही उठा रहे हैं।

सभापति महोदय: असम्बद्ध बिन्दुओं को कौन उठा रहा है? सभी सदस्य सम्बन्धित बिन्दु ही उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आप कृपया अपना भाषण एक मिनट में समाप्त कीजिए। अन्यथा, मैं माननीय मंत्री से उत्तर देने के लिए कहूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, लाखों भारतीय नागरिक खाड़ी देशों में कार्य कर रहे हैं। लेकिन वे भारत में मतदान नहीं कर सकते। नागरिकता में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार शामिल है। लेकिन इस मूल अधिकार से खाड़ी देशों में काम के लिए गए लाखों लोगों को वंचित रखा गया है। वे अपनी गलती से खाड़ी देशों में नहीं गए हैं बल्कि इसलिए गए हैं कि हमारा देश उन्हें रोजगार उपलब्ध नहीं करा सकता है। वे लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं।

सभापति महोदय: यह बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: लेकिन उन लोगों को, यदि वे चुनावों के समय भारत में होते हैं चुनावों में उनके मताधिकार से वंचित किया जा रहा है।

इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि इस विधेयक में संशोधन नहीं किया जा सकता है। कम से कम माननीय मंत्री को लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की पहल करनी चाहिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में इस प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिए कि कामगार, कर्मचारी जो खाड़ी देशों में जा चुके हैं, उनके नाम उन मतदाता सूचियों में रखे जाएं, जहां वे विदेश जाने से पहले रहते थे। उनके नामों को रखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय: आपको धन्यवाद। अपना भाषण समाप्त कीजिए। आप पहले ही सात से ज्यादा मिनट का समय ले चुके हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि खाड़ी में कार्यरत मलयाली लोगों तथा खाड़ी से वापस आए लोगों को भारत में चुनावों में मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए वे तुरन्त कदम उठाएं। यह मूल अधिकार है। यदि यह नहीं किया जाता है तो खाड़ी देशों में कार्य कर रहे उन भारतीय लोगों के प्रति भेदभाव होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए कहने से पूर्व श्री निखिल कुमार को मैं दो मिनट का समय देता हूं। इसलिए आपको बहुत संक्षेप में कहना होगा।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप पहले वक्ता होते तो आपको ज्यादा समय मिला होता।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, विधेयक में यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मूल के लोगों को अपने मूल देश के साथ केवल वैध रूप से एक भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में सहायक होगा बल्कि वास्तव में भी अपने मूल देश के साथ संबंध रखने में भी सहायक होगा। इसलिए, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

मैं केवल तीन बिन्दु उठाना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत कम है। पहला बिन्दु यह है। मैंने नागरिकता (संशोधन) विधेयक के प्रारूप का अध्ययन किया है। खंड 7क में इस बात का उल्लेख है। मैं उल्लेख करता हूं विदेशों में रहने वाले भारतीय (नागरिक) के रूप में पंजीकरण। अब, इन शब्दों ''विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिक'' से पहले हम वाकिफ नहीं थे। जब तक कि इन शब्दों का कोई विशेष विधिक अर्थ नहीं है तो इसे ''अप्रवासी भारतीयों'' से क्यों न प्रतिस्थापित किया जाए, जिससे हम सब

वाकिफ हैं? जब तक कि कोई बात महत्वपूर्ण न हो तथा जिसे मैं समझता हूं, माननीय मंत्री जी स्पष्ट करना चाहेंगे।

दूसरा बिन्दु यह है कि मूल कानून में, जब हमने यह लाभ अप्रवासी भारतीयों को दिया था तो इसमें केवल 16 देशों को शामिल किया गया था। अप्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता संबंधी प्रावधान को अनेक देशों के लिए लागू करने के लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं। वस्तुत: भारतीय मूल के व्यक्ति केवल 16 देशों अर्थात् संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम में ही नहीं है। यह लोग मलेशिया तथा दक्षिण अफ्रीका, विशेषरूप से दक्षिण अफ्रीका में भी है। प्रथम चरण में दक्षिण अफ्रीका को शामिल नहीं किये जाने पर मुझे आश्चर्य हुआ। यह अच्छी बात है कि इसे शामिल कर लिया गया हैं, तथा मैं इसके लिए सरकार की प्रशंसा करता हूं।

तीसरा बिन्दु धारा 7(क) में है। इसमें शर्तें तथा प्रतिबन्ध निर्धारित किये जा सकते हैं का संदर्भ हैं। जहां तक बिल के मसौदे के मेरे द्वारा एक बार पढ़े जाने की बात है। यह प्रतीत होता है कि इसमें एक शर्त यह लगायी गई है कि उस व्यक्ति का भारत से स्वयं का या उसके पूर्वजों का कोई संबंध होना चाहिए। लेकिन यदि कोई और शर्तें लगायी जानी है तो उन्हें पूर्ण विचार के बाद ही लगाया जाना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तो मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सुविधा हम 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत में रह रहे नागरिकों को भी प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। यदि इस प्रक्रिया में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यक्तियों को भी शामिल करें तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वास्तव में, यह हमारे लिए यह अच्छी बात होगी क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत का दौरा करना चाहते हैं लेकिन वीजा न मिल पाने के कारण नहीं कर पाते हैं।

मुझे यह भी याद है कि कुछ समय पूर्व केरल के किसी सदस्य ने कहा था कि केरल के भारतीय मूल के बहुत से लोग भारत आना चाहते हैं लेकिन उन्हें वीजा नहीं दिया गया तथा उन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए भी आवेदन किया था। यदि उस श्रेणी के लोगों को दोहरी नागरिकता दे दी गई होती तो ऐसी समस्या नहीं हुई होती। इसलिए मैं यह माननीय मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा तथा आशा करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाएगा।

सभापति महोदय: यह अच्छा सुझाव है।

अब माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: सभापति महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि सम्पूर्ण सदन ने इस विधेयक का जोरदार समर्थन किया है। केवल कुछ प्रश्न और कुछ आशंकाएं हमारे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा जरूर उठाई गई हैं जिनका मैं थोड़ा सा खुलासा कर देना चाहता हूं। मैं शुरूआत श्री राधाकृष्णन जी की आशंकाओं से करता हूं। राधाकृष्णन जी ने कहा है कि केरल के कुछ मुस्लिम परिवार के लोग बंटवारे के समय वहां फंसे रहे थे और वे भारत नहीं आ पाए। उनके लिए अपने बच्चों से मिलना, अपनी पत्नी से मिलना, अपने परिवार से मिलना अब असंभव हो जाएगा। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो भी लोग गये हैं या जो भी लोग वहां रह रहे हैं, वे अपनी राजी से और अपनी खुशी से गये हैं। इसलिए इस विधेयक में पाकिस्तान और बांग्लादेश को उस छूट से बिल्कुल अलग रखा गया है। लेकिन इत्तिफाक ऐसा होता है कि कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिनमें 100, 200, 400, 500 परिवार इस तरह के रह गये होंगे जो भारत आना तो चाहते थे लेकिन किसी-न-किसी कारण से वे वहां से नहीं निकल पाए, किसी कारण से वहां फंसे रह गये और उनके सामने ये दिक्कतें आ रही हैं। मैं राधाकृष्णन जी की बात को आदर देता हूं लेकिन यह बिल्कुल अलग विषय है। इस पर अलग से विचार किया जा सकता है और अगर कोई इस तरह का रास्ता निकल सके तो वह रास्ता जरूर निकाला जाएगा। खाड़ी के मलियालियों को मतदान के अधिकार के बारे में हमारे राधाकृष्णन जी बड़े विधिवेत्ता हैं, बड़े सीनियर मैम्बर हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट कानून मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। इसका भी इस विधेयक से कहीं कुछ लेना-देना नहीं है। माननीय राधाकृष्णन जी चाहें तो विधि मंत्रालय से सम्पर्क कर सकते हैं, अगर कोई रास्ता इसमें निकल सके तो उसके लिए बात की जा सकती है। माननीय चन्द्रमणि त्रिपाठी जी ने आन्तरिक सुरक्षा की बात उठायी और अन्य माननीय सदस्यों ने आन्तरिक सुरक्षा को लेकर थोड़ी सी चिन्ता जाहिर की है। मैं उनको साफ कर देना चाहता हूं कि ऐसी पूरी पुख्ता व्यवस्था कर ली गयी है कि जो भी व्यक्ति इस सुविधा का हकदार नहीं हो सकता है, उसे इस तरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। इस बात के लिए मैं पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं कि हमने ऐसी व्यवस्था की है कि जो लोग किसी ऐसे अपराध में फंसे रहे हैं, किसी ऐसे अपराध में उन पर मुकदमा चल चुका है या जिनका चरित्र संदिग्ध है, उन लोगों को यह सुविधा कत्तई प्रदान नहीं की जाएगी। इन बातों को पूरी जानकारी कर लेने के बाद ही उनको यह सुविधा दी जाएगी। हमारे माननीय सदस्य श्री राव जी ने इतनी जोरदार चीजें लाकर रखी हैं, मैं उनकी तारीफ करना चाहूंगा। जितनी दूर तक हमारी सरकार की दृष्टि नहीं गयी, उतनी दूरदृष्टि से राव साहब ने इसे

[श्री श्रीप्रकाश जायसवाल]

देखा है। आने वाले समय में इसके माध्यम से हम लोगों को जितने लाभ देने जा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा लाभ हमारे देश को हो सकता है। हमारे देश की बड़ी-बड़ी परियोजनाएं, चाहे वे ऊर्जा परियोजनाएं हो या नदियों को आपस में मिलाने की परियोजना, इस लाभ से हमारी इन परियोजनाओं को पूरा करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। यह इनकी दूरदृष्टि है कि इन्होंने हमें और ज्यादा गहराई से इस विधेयक के लाभों के बारे में जानकारी दी है।

माननीय सील साहब ने पुरस्कार देने का प्रस्ताव रखा है कि ऐसे लोगों को, हमारे अप्रवासी भारतीय लोगों को जो विदेशों से आकर यहां पर धन लगाना चाहते हैं और जो बहुत बड़ी मात्रा में धन लगाना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार दिया जाना चाहिए। हालांकि उन्होंने भारत रत्न पुरस्कार की बात कही है, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि भारत रत्न पुरस्कार दिया जाना सही होगा, लेकिन उनको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता है। प्रोत्साहन स्वरूप अगर किसी पुरस्कार की व्यवस्था की जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आने वाले समय में आप लोग बैठकर जैसा भी तय करेंगे, उसी तरीके की व्यवस्था की जा सकती है।

हमारे कई माननीय सदस्यों ने अध्यादेश का रास्ता क्यों अपनाया गया, इसके बारे में जरूर प्रश्न उठाए हैं। माननीय सभापति जी, इसमें कहीं कोई नयी बात नहीं है, इसमें कोई नयी चीज नहीं है, यह तो दो साल पहले ही लागू हो चुका था। हम अध्यादेश केवल इसलिए लाए हैं कि हम इसको 16 देशों से बढ़ाकर दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी लागू करना चाहते हैं। हमने कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं किया है, हम कोई नयी चीज लाए ही नहीं हैं, लेकिन इसे सारी दुनिया में लागू करते समय यह अवश्य ध्यान में रखना पड़ता है कि हम अपने देश में कोई ऐसा कानून बनाएं, जिसको कोई देश स्वीकार न करता हो, उस देश के प्रावधान स्वीकार न करते हों, तो यह हमारी गरिमा और प्रतिष्ठा के विपरीत होता है। इसलिए हमारे पास जिन-जिन देशों की सूचना थी कि वे ऐसे देश हैं, जो इस तरह की दोहरी नागरिकता के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। अभी हमने केवल ऐसे ही देशों को इस सूची में शामिल किया है। इसके मायने यह नहीं हैं कि जो देश इसमें शामिल नहीं है, हम उन्हें शामिल नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसके मायने केवल यह हैं कि उन देशों से हमें अभी तक यह सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि उनके मुल्क में, उनके विधान और संविधान में इस तरह का प्रावधान है अथवा नहीं है। जिन-जिन देशों से हमें इस तरह की सूचना प्राप्त होती रहेगी, जैसे मलेशिया और सिंगापुर की बात कही गयी है, जैसे ही हमें यह सूचना प्राप्त होगी कि उन देशों में भी यह प्रावधान है, हम इस सूची में उनके नाम भी बढ़ाते चले जाएंगे। हमारे आजमी साहब ने कहा कि पाकिस्तान और बंगलादेश को अलग क्यों रखा गया है। मैंने आपको स्पष्टीकरण दे दिया। इन दोनों देशों में लोग स्वेच्छा से गये थे, इसलिए इनको शामिल करने का औचित्य नहीं है। इस मिट्टी में मरने वाले लोगों को लांग-टर्म वीजा दिया जाए-आपकी भावनाओं की कद्र इस देश का कोई भी व्यक्ति करेगा और हम भी आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं कि जिन लोगों को अपने देश की मिट्टी से इतना लगाव है कि अंतिम दिनों में वे अपनी मिट्टी में ही मरना चाहते हैं, इसके लिए आपने प्रस्ताव किया है, लेकिन इस विधेयक से उसका कोई संबंध नहीं है। आपकी भावनाएं कद्र करने के लायक हैं लेकिन सिद्धान्त रूप में हम आपकी भावनाओं से सहमत नहीं हैं। हम चाहते हैं कि भविष्य में ऐसा समय आये कि बंगला देश और पाकिस्तान के लोगों को भी हम इसी तरह की व्यवस्था दे दें कि पाकिस्तान और बंगला देश से भी जो लोग आना चाहें, इस तरह की डबल-सिटीजनशिप चाहें तो वे प्राप्त कर सकें, लेकिन आने वाले समय में कैसी पालिसी बनेगी, कैसी परिस्थिति बनेंगी, कोई नहीं जानता है। ऐसा दिन आये तो वह हमारे देशवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन होगा, प्रसन्नता का दिन होगा। माननीय शैलेन्द्र जी ने तो पूरी तरह से इसका समर्थन किया है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि गल्फ देशों के जिन देशों को इस सूची में शामिल नहीं किया गया है, उनको इसलिए शामिल नहीं किया गया है कि वहां से अभी तक इस तरह की सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है कि उन देशों में यह प्रावधान है या नहीं है। जैसे ही सूचना प्राप्त हो जाएगी, हम गल्फ कंट्रीज के उन देशों को भी इस सूची में शामिल कर लेंगे। माननीय राम कृपाल यादव जी ने वहां के मजदूरों के बारे में एक प्रश्न उठाया था। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: खाड़ी देशों में कार्यरत लोगों को नागरिकता के अधिखार नहीं दिए जाते हैं। देश से बाहर कार्यरत भारतीयों को उस देश का नागरिकता अधिकार प्राप्त नहीं होगा। मैं यह अनुरोध करता हूं कि इन भारतीयों को मतदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए यदि वे चुनावों के समय भारत में मौजूद हों।

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, यदि आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें, तो संवाद की गुंजाइश स्वत: कम हो जाएगी।

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: यह मुद्दा भारतीय नागरिकों और खाड़ी देशों में कार्यरत लाखों भारतीय नागरिकों के बारे में है। इन भारतीय नागरिकों को भारत में मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: भारत सरकार को इस पर कोई ऐतराज नहीं हो सकता है। जो भी भारतीय नागरिक विदेश में काम करने के लिए गया है और उसको अगर वहां पर वोट देने का अधिकार नहीं है तो भारत में वह वोट देने के लिए एप्लाई कर सकता है। उनको भारत में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। उनको पूरी तरह से अधिकार मिल सकता है। उनको भारत में वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। उनको पूरी तरह से अधिकार मिल सकता है, उसमें दिक्कत की कोई बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: उनका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जा सकता है। यदि वे सामान्यत: भारत में निवास करते हैं तो उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: पीपल रिप्रेजेंशन एक्ट के अंतर्गत उनको मतदान का अधिकार दिया जा सकता है। अगर मतदाता सूची में उनका नाम काट दिया गया है तो वे एप्लाई करें और राज्य सरकार अपने स्तर पर फैसला ले सकती है। मतदाता सूची बनाने का काम राज्य सरकारों का होता है। अगर राज्य सरकार की मतदाता सूची में नाम काट दिया गया होता तो चुनाव आयोग और राज्य सरकार मिल कर मतदाता सूची में नाम बढ़ा सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन: महोदय जब तक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन नहीं किया जाता है तब तक ऐसा नहीं किया जा सकता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस एक्ट से इसका कोई सरोकार नहीं है। पीपुल्स रिप्रेजेण्टेशन एक्ट ला मिनिस्ट्री देखती है, इस एक्ट से उसका कोई सरोकार नहीं है। अगर आपको किसी तरह की कोई शिकायत है तो आप लॉ मिनिस्ट्री से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। हम आपकी भावनाओं को लॉ मिनिस्ट्री तक पहुंचा देंगे।

सभापति महोदय: ठीक है, कंक्लूड कीजिए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, इस एक्ट से उसका दूर-दूर तक कोई सरोकार नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मैंने अपने भाषण के दौरान माननीय मंत्री जी का ध्यान तीन महत्वपूर्ण विषयों की ओर आकर्षित किया था।

सभापति महोदय: आप अपनी बात संक्षेप में कहिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, बड़े पैमाने पर गल्फ कंट्रीज में कांट्रैक्ट लेबर हैं, जिनकी संख्या लगभग 50 लाख है। उन्हें भी दूसरे अनिवासी भारतीयों की तरह ट्रीट किया जाता है। मान लीजिए, उनके बच्चों का नामांकन या कोई लाभ मिलना है तो वह लाभ उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि वे गरीब मजदूर हैं और वे इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे मेडिकल कालेज में एडमीशन कराना हो, तो अप्रवासी भारतीय की हैसियत से उनको ज्यादा राशि देनी पड़ती है। डाक्टर्स इंजीनियर्स की बात तो समझ में आती है, मगर जो दो-तीन साल के लिए कांट्रैक्ट लेबर के रूप में जाते हैं, क्या सरकार उनकी सहूलियत के लिए, उनके आराम के लिए अलग से व्यवस्था करने जा रही है? महोदय, वे हमारी कंट्री को फीड कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और सबसे ज्यादा संख्या में भारत के लोग हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि वे इस पर प्रकाश डालें और बताए कि इस संबंध में वे क्या करने जा रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल (हापुड़): आप सीधे सवाल कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: आप भी क्या मंत्री बन गए हैं?

श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल: बनने वाला हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: भगवान करे आप जल्दी मंत्री बन जाएं। महोदय, मैंने ध्यान आकृष्ट कराया था, मगर अभी तक जवाब नहीं आया है।

सभापति महोदय: जवाब देंगे, उनको जवाब देने का मौका तो मिलना चाहिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, हम आपके जैसे सीनियर सदस्य नहीं हैं। आप डिस्टर्ब करेंगे तो हम कैसे बोल सकते हैं? अभी तो हम सीख रहे हैं।

सभापति महोदय: आप अपनी बात ज्यादा लंबी मत कीजिए।

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हमने दोहरी नागरिकता के विधेयक व कानून को मान लिया है, लेकिन दूसरे कई देश हैं जो इस कानून को नहीं मानेंगे। इस संबंध में हमारी क्या नीति है?

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, मैंने तो पहले ही जवाब दे दिया कि जिन देशों में इस तरह का प्रावधान होगा, उन्हीं देशों को इस सूची में शामिल किया जाएगा और जिन देशों में यह प्रावधान नहीं हैं, उनको सूची में कैसे शामिल किया जा सकता है? आने वाले समय में अगर वह देश अपने यहां संशोधन करके अपने यहां ऐसा प्रावधान लागू करते हैं तो हम उनको भी शामिल कर लेंगे। ...*(व्यवधान)* लेबर के मामले में भी हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि जो लोग वहां के नागरिक नहीं हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, अगर वे किसी तरह की सुविधा लेना चाहते हैं तो हमारे देश के नागरिकों को जो सुविधा प्राप्त है वह सारी की सारी सुविधा उनको मिल सकती है। ...*(व्यवधान)* यदि ऐसा नहीं होता है तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वे इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक हमारे देश में नहीं रहते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं। केवल यही कारण हो सकता है। कोई भी कानून उनको किसी भी अधिकार से वंचित नहीं करता है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: साढ़े चार बज गए हैं। चार बजे का समय दिया गया था।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, यहां ऐसा कोई कानून नहीं है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मंत्री महोदय, अब कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं चाहे लेबर क्लास के लोग हों, या दूसरे ग्रेड के लोग हों, जो सुविधाएं किसी नागरिक को भारत में प्राप्त हैं वह सुविधा अगर किसी व्यक्ति ने दूसरी नागरिकता नहीं ली है तो वह सुविधा उनको प्राप्त होगी। अगर किसी कारण से सुविधा नहीं मिल पा रही है तो वह उनकी अप्रोच की वजह से नहीं मिल पा रही है। ...*(व्यवधान)* मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो भारतीय लेबर विदेशों में गए हैं या जो एनआरआईज गए हैं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए मिनिस्ट्री आफ ओवरसीज इंडिया है। अगर किसी तरीके की कोई समस्या है, हम उस मिनिस्ट्री तक आपकी बात को पहुंचा देंगे। अगर उस समस्या का समाधान होने लायक होगा तो वह मिनिस्ट्री कर देगी। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मुझे माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण मांगना है जिसका उल्लेख मैंने इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते समय किया था। दो वर्ष पहले ही बीत चुके हैं। यह वर्ष 2005 है। मेरा प्रश्न यह है कि इस संशोधन के साथ-साथ दोहरी नागरिकता वाले देशों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या कूटनीतिक प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में स्पेन, रूस, नाइजीरिया और लेबनान मात्र इन्हीं चार देशों के पास दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। यही चार देश दोहरी नागरिकता प्रदान कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: विश्व के सभी देशों से हम लोग सूचना मांग कर एकत्रित कर रहे हैं। जिन देशों के यहां ऐसा प्रावधान होगा, हम उनको इस सूची में शामिल कर लेंगे। इसमें किसी देश को कम्पैल नहीं कर सकते हैं कि वे अपने यहां संशोधन करके इस तरीके का प्रावधान लाएं।

श्री इलियास आजमी: सभापति महोदय, जहां तक गल्फ कंट्रीज का ताल्लुक है, वहां हमारे 50 लाख लोग हैं लेकिन नागरिकता देने का मामला इतना टेढ़ा है कि मुश्किल से 50-100 लोगों को नागरिकता मिली होगी। यह कानून उन लोगों के लिए है जो दूसरे देशों की नागरिकता पा चुके हैं लेकिन जहां तक वोटर लिस्ट से नाम काटने का सवाल है, यह उस देश का मामला है। ...*(व्यवधान)* बहुत बड़ी तादाद में वहां केरल और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी समस्या नहीं है, केरल में हो सकती है।

सभापति महोदय: आपका क्या सवाल है?

श्री इलियास आजमी: गल्फ कंट्रीज में जो लोग लेबर की हैसियत से काम कर रहे हैं, उनका एनआरआई स्टेटस पूरी तरह तसलीम किया जाए। ...*(व्यवधान)* जिनको काम करने का परमिट मिला है।

सभापति महोदय: आपने इसका पहले ही उत्तर दे दिया है।

[अनुवाद]

आप पहले ही इसका उत्तर दे चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: मैं इसके बारे में पहले बता चुका हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: इस सांविधिक संकल्प को प्रस्तुत करने वाले, श्री संतोष गंगवार सभा में उपस्थित नहीं हैं। इसलिए, मैं इस संकल्प को सभा में मतदान हेतु रखता हूं।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 2005 को प्रख्यापित नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 2) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री श्रीप्रकाश जायसवाल: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.34 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): सभापति महोदय, आज मुझे उस मुद्दे पर बोलने का मौका मिल रहा है जिसके कारण आप भी प्रभावित हैं, मैं भी प्रभावित हूं, एक खेत में काम करने वाला मजदूर और सड़क में काम करने वाला मजदूर भी प्रभावित है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी सदन के सामने रखना चाहता हूं। सरकारों की जो इंटेन्शन होती है, लोगों के काम के ऊपर, प्रोडक्ट्स के ऊपर उसका पूरा असर होता है। एक बार किसी गांव में एक बच्चा संतरे के बाग के पास बैठा संतरे का जूस बेच रहा था। वह एक संतरा तोड़कर जूसर में डालता और एक जूस का गिलास भरकर बेचता। तभी राजा वहां से गुजरा, इसकी इच्छा हुई कि मैं भी जूस का स्वाद करूं। उसने बच्चे को कहा-बेटे मुझे संतरे का जूस पिलाओ। उस बच्चे ने वैसे ही किया, एक संतरा तोड़ा, जूस निकाला और राजा को दे दिया, इसी तरह से बच्चे ने कितने ही जूस के गिलास बेचे, राजा जूस भी पी रहा था और सोच रहा था कि इस बच्चे ने कितनी कमाई की है, अगर इस पर टैक्स लगा दिया जाए तो सरकारी कोष में बहुत धन आ सकता है। जूस बहुत स्वाद था, राजा ने फिर एक आर्डर दिया और कहा कि बेटे ऐसा करो, एक और गिलास जूस का निकाल कर दो, बच्चे ने फिर वही प्रक्रिया की, संतरा तोड़ा, जूसर में डाला लेकिन गिलास नहीं भरा। उसके बाद फिर दूसरा संतरा तोड़ा, जूसर में डाला लेकिन गिलास नहीं भरा। उसके बाद फिर तीसरा संतरा तोड़ा, जूसर में डाला और गिलास भर कर राजा को दे दिया। राजा के मन में प्रश्न हुआ कि पहले तो एक संतरे से गिलास भर गया लेकिन अब तीन संतरे तोड़े तब जाकर गिलास भरा, इसका कारण क्या है? तो उसने बच्चे से पूछा कि मैं कब से यहां खड़ा हूं, पहले तुमने एक ही संतरे से गिलास भर दिया था लेकिन अब तुमने तीन संतरे तोड़े तब गिलास भरा, इसका कारण क्या है? तब बच्चे ने सहज स्वभाव कहा-मुझे ऐसा लगता है कि यहां के राजा की नीयत में फर्क पड़ गया है। जब राजाओं की नीयत में फर्क पड़े, उनकी इच्छा लोगों की जेब पर हो और टैक्स पर टैक्स बढ़ाते जाएं तो वहां की जनता सुखी नहीं रह सकती।

महोदय, गरीबी क्या होती है? जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, उस क्षेत्र में शायद पीने का पानी भी सभी लोगों को नहीं मिलता। मैंने

[श्री अविनाश राय खन्ना]

एक घटना अपनी आंखों से देखी है-एक बच्चा स्कूल से आकर अपनी मां से जिद करने लगा और कहने लगा-''मां आज मेरा एक साथी मक्खन से रोटी खा रहा था लेकिन मेरे पास मक्खन नहीं था।'' ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: गंगवार जी आप सुनिए, आपका ही मैम्बर बात कह रहा है। उनको बुरा लग रहा है, हमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अविनाश राय खन्ना: तो उसकी मां चिंतित हो गई कि बड़ी मुश्किल से रोटी देती हूं अब मक्खन कैसे दूं? वह रात भर सोचती रही कि बेटे को भी खुश करना है और पैसे भी नहीं हैं, मक्खन कैसे दूं? उनसे रात को योजना बनाई और रुई को कातकर सफेद सा कुछ बना लिया और बेटे की थाली में रख दिया और कहा कि जो अमीर लोग हेते हैं उनका मक्खन गीला होता है, हम गरीब हैं, इसलिए हमारा मक्खन सूखा है। यह गरीबी की हद है।

महोदय, आज लोगों को पेट भर खाना नहीं मिल रहा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक वक्त खाना खाते हैं, बहुत से लोग हैं जो दो वक्त की रोटी खाते हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें कई बार दिन का खाना भी नहीं मिलता। काफी समय पहले की बात है, मैं एक बार शहर में गया, वहां पर पत्तल का रिवाज़ था, वह पत्तल में खाने का सामान बेचता था। वहां बच्चों की होड़ लगी थी, वे कहने लगे कि बाबूजी, खाने के बाद यह पत्तल हमें दे दो। उनकी होड़ यह नहीं थी कि हमें कुछ खरीद कर दे दो, उनकी होड़ थी कि हम जो चाट खा रहे हैं, वह उन बच्चों को दे दें। गरीबी और महंगाई की मार सब पर पड़ती है। इसकी मार पेट, जेल और रेल पर पड़ती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां इसकी मार न पड़ती हो।

सभापति जी, राशन पर भाषण बहुत दिये जाते हैं लेकिन भाषणों से राशन नहीं मिलता। इसके लिये कुछ प्रैक्टिकल रूप से काम करना पड़ेगा। इसके लिये कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे इस देश का हर एक आदमी कम से कम अपनी जरूरत पूरी कर सके। सब को रोटी, कपड़ा और मकान मिल सके। मैंने आदिवासी क्षेत्रों में देखा है कि एक साड़ी के साथ तीन-तीन औरतें गुजारा करती हैं। अगर घर पर कोई मिलने आ जाये तो जिस औरत ने साड़ी पहन रखी है, वह बाहर मिलने आयेगी, बाकी अंदर रहेंगे क्योंकि उनके तन पर कोई साड़ी नहीं है। भारतवर्ष में सब को रोटी, कपड़ा और मकान मिले, ऐसा हम सब को सोचना चाहिये। जब हमारा देश आजाद हुआ, तत्कालीन प्रधान मंत्री पं. जवाहर लाल नेहरु ने कहा था कि अब भारत में गरीबी नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देगी। आज भारतवर्ष को आजाद हुये 58 साल हो गये हैं लेकिन गरीबी घटी नहीं, और बढ़ती गई और गरीब बढ़ गये। उसके बाद एक नारा श्रीमती इन्दिरा गांधी ने दिया था-'गरीबी हटाओ'। यह नारा सुनते-सुनते हम कांग्रेस को सत्ता में ले आये लेकिन गरीबी तब भी नहीं हटी। पिछले लोक सभा चुनाव में कांग्रेस ने एक और नारा दिया-'कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ।' मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ है या उसका हाथ आम आदमी की गर्दन पर है? आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ गये हैं कि आम आदमी के लिये सहन करना मुश्किल हो गया है। मैं कुछ आंकड़े पढ़कर हैरान हो रहा था क्योंकि जो लिस्ट मुझे दी गई, उसमें लिखा था कि पहले दाम 5 साल में बढ़ते थे लेकिन अब एक दिन में दो-दो बार दाम बढ़ते हैं। यह कैसा मैनेजमेंट है? कभी सुना था कि यह देश सोने की चिड़िया था। हमें विदेशियों ने 1000 साल तक लूटा, तब यह देश गरीब नहीं हुआ लेकिन जब अपनों ने लूटा तो यह देश सोने की चिड़िया न होकर भिखारी बन गया।

सभापति जी, मैं जब बी.काम में था तो इकोनोमिक्स के एक टीचर ने मुझे एक कार्टून दिखाया कि इस देश की हालत क्या है। कार्टून में सोने की चिड़िया कहलाये जाने वाले देश का एक मंत्री विदेश जा रहा है जिसके तन पर कपड़ों पर टांकियां लगी हुई हैं और हाथ में मांगने वाला कटोरा पकड़े हुये है। कार्टून के नीचे लिखा था-'भारत का एक मंत्री विदेश से अपने देश को छुड़ाने के लिये कर्ज ले रहा है।' आज हमारे देश की ऐसी हालत हो गई है। मैं पेट्रोलियम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आम आदमी को जीना होगा तो उसे रोटी मिले, पहनने के लिये कपड़ा मिले और रहने के लिये घर मिले, ऐसी योजना सरकार को बनानी चाहिये।

सभापति जी, मैं सदन का ध्यान एक और खबर की ओर दिलाना चाहूंगा। खबर का शीर्षक था-'शादी हो गई ढाई करोड़ युवाओं के लिए हसीन ख्वाब।' उसमें कहा गया था कि हम चांद पर पहुंच गये हैं लेकिन हमने बहुत कुछ खो दिया। इसी गरीबी ने आज माताओं को मजबूर कर दिया, उस पिता को मजबूर कर दिया जब उसे पता चलता है कि मां के पेट में पैदा होने वाली बेटी है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर बेटी पैदा हुई तो वह उसकी शादी नहीं कर पायेगा, उसकी पढ़ाई नहीं कर पायेगा, उसका पालन-पोषण और शादी के लिये कर्जा नहीं चुका पायेगा। इसलिए जिस कन्या को इस देश में देवी माना जाता था, जिस कन्या का यहां मान-सम्मान किया जाता था, इस महंगाई के कारण उस कन्या को भी नहीं बख्शा गया, उसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। हालांकि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन यह भी सही है कि महंगाई ने ये सब हालात पैदा किये।

सभापति महोदय, मुझे पैट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए प्राइसेज पर अपनी बात यहां रखनी है और साथ ही महंगाई कितनी बढ़ी है, इसके बारे में भी मुझे बात करनी है। आपको याद होगा कि यहां एक निर्णय लिया गया था, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। मैं उसके लिए पेट्रोलियम मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उसमें कहा गया था कि हर महीने पांच रुपये गैस के दाम बढ़ेगा। जब आपने इसकी घोषणा की थी, तब शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि पांच साल के बाद जब आप चुनाव में जायेंगे तो एक सिलैन्डर का रेट तीन सौ रुपये बढ़ चुका होगा। यदि पांच रुपये प्रति माह बढ़ाये जाएं तो 12 महीने में 60 रुपये और पांच साल में 300 रुपये होते हैं। चूंकि लोगों का आप पर बहुत दबाव था, जिसके कारण आपने वे रेट वापस ले लिये। जिस दिन पैट्रोल और डीजल के रेट बढ़े, तभी से बहुत चिंता हुई कि अब जो लोग बड़ी-बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, उन्हें दोबारा बैलगाड़ी और रेहड़े पर न आना पड़े। मैंने चंडीगढ़ में अपनी पार्टी की तरफ से गवर्नर साहब से मिलने का समय लिया। हमने कहा कि जो अभी पैट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, उनके खिलाफ हमें गवर्नर साहब को एक मेमोरन्डम देने के लिए तथा अपनी पार्टी की तरफ से लोगों की वेदना गवर्नर साहब को कन्वे करने के लिए आना है। मैंने अपने साथियों को इकट्ठा किया तथा 22 रेहड़े इकट्ठे किये। उन पर बैठकर हमारे कार्यकर्ता गवर्नर साहब के आफिस की तरह जा रहे थे तो हमें पुलिस ने रोक दिया और कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते। मैंने कहा कि हमने गवर्नर साहब से 11 बजे का समय लिया हुआ है, अभी साढ़े दस बज गये हैं। हम लोग रेहड़ों पर उनसे मिलने जा रहे हैं, इस पर आपको क्या ऐतराज है? पुलिस ने फिर कहा कि आप ऐसे नहीं जा सकते, इससे सरकार की छवि खराब होती है। मैंने कहा कि जो समय आगे आने वाला है, जब पैट्रोल और डीजल कोई नहीं खरीद पायेगा तो इन बैलगाड़ियों और रेहड़ों ने ही हमारे काम आना है, यही बात हम गवर्नर साहब को बताने जा रहे हैं कि यदि इसी तरह से पैट्रोल और डीजल के रेट्स बढ़ते रहे तो हमें बैलगाड़ियों और रेहड़ों को ही बरतना पड़ेगा। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें उनसे मिलने जाने नहीं दिया गया और यह प्रदर्शन करने के लिए हमें गिरफ्तार कर लिया गया तथा हमारे विरुद्ध केस रजिस्टर किया गया और बाद में हमें छोड़ा गया। लोगों ने अपनी वेदना और भावनाएं व्यक्त करने के लिए हमें यहां चुनकर भेजा है और महंगाई की बात उठाने के कारण हमारे खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया।

सभापति महोदय, पैट्रोलियम मंत्री का संसद में एक कमिटमैन्ट था। इन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा था–

[अनुवाद]

उपभोक्ताओं पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित किए जाने वाले केरोसिन, घरेलू रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बोझ को कम करने हेतु यह निर्णय लिया गया था कि इस बोझ को सरकार और तेल कंपनियों को बराबर-बराबर सहना चाहिए।

[हिन्दी]

दूसरी तरफ आपने अखबारों में बयान दिये कि हम उन कम्पनियों को लासेज में नहीं बेच सकते। यदि आप कोई ऐसी पालिसी नहीं बनायेंगे, जिस पर यह बात कही जा सके कि यहां प्राइसेज में स्टेबिलिटी है तो मेरे ख्याल से हम अपने देशवासियों के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। जो बात मैंने पहले कही थी वह मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पहले पांच साल में रेट्स बढ़ते थे। मेरे पास वह लिस्ट है, उसके अनुसार वर्ष 1975 में पैट्रोल 3 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर बिकता था। अलग-अलग शहरों जैसे कोलकाता में 3 रुपये 27 पैसे, दिल्ली में 3 रुपये 27 और चेन्नई में 3 रुपये 19 पैसे रेट था। वर्ष 1980 में मुम्बई में 5 रुपये 15 पैसे लीटर रेट था। कोलकाता में 5.14 रुपये हुआ, दिल्ली में 5.11 रुपये हुआ और चेन्नई में 4.90 रुपये हुआ। फिर पांच साल बाद पेट्रोल का रेट 1985 में 7.85 रुपये मुम्बई में हुआ, कोलकाता में 7.16 रुपये हुआ, दिल्ली में 7 रुपये हुआ और चेन्नई में 7.39 रुपये हुआ। फिर 1990 में उसका रेट 10.76 रुपये मुम्बई में हुआ, 10.07 रुपये कोलकाता में, 9.84 रुपये दिल्ली में और 9.06 चेन्नई में हुआ। अब आपकी सरकार आने के बाद 16.6.2004 को जो रेट बढ़े, उसके बाद मुम्बई में 40.94 रुपये, कोलकाता में 38 रुपये, दिल्ली में 35.70 रुपये, चेन्नई में 38.96 रुपये हो गया। फिर एक महीने बाद 28.7.2004 को कितना रेट हुआ–मुम्बई में 38.55 रुपये, कोलकाता में 39.36 रुपये, दिल्ली में 36.26 रुपये और चेन्नई में 39.55 रुपये हो गया। फिर 5.11.2004 को रेट बढ़े। आप समझ सकते हैं कि आपकी सरकार आने के बाद दिनों और महीनों में पैट्रोल के रेट बढ़े जबकि हम पांच साल में रेट बढ़ा करते थे।

इसी तरह से डीजल के रेट का कंपैरिजन भी मेरे पास है। 1975 में डीजल का भाव मुम्बई में सिर्फ 1.06 रुपये हुआ करता था, कोलकाता में 1.10 रुपये, दिल्ली में 1.11 रुपये और चेन्नई में 1.15 रुपये हुआ करता था। फिर पांच साल बाद 1980 में इसका रेट मुम्बई में 2.21 रुपये, कोलकाता में 2.25 रुपये, दिल्ली में 2.28 और चेन्नई में 2.24 रुपये हुआ। पांच साल बाद फिर 1985 में मुम्बई में 3.52 रुपये, कोलकाता में 3.35 रुपये, दिल्ली में 3.47 रुपये और चेन्नई में 3.60 रुपये हुआ।

[श्री अविनाश राय खन्ना]

फिर पांच साल बाद 1990 में रेट कुछ और बढ़े। मुम्बई में 4.30 रुपये, कोलकाता में 4.20 रुपये, दिल्ली में 4.08 रुपये और चेन्नई में 4.36 रुपये हो गए। जब से यह सरकार आई, ये रेट बेहिसाब तरीके से बढ़े। मैं बात करता हूं 16.6.2004 की जब मुम्बई में यह रेट बढ़ते हुए 28.62 रुपये हो गया, कोलकाता में 25.03 हो गया, दिल्ली में 22.73 रुपये हो गया और चेन्नई में 25.35 रुपये हो गया।

फिर एक महीने बाद इसके रेट बढ़े। फिर 11वें महीने में रेट बढ़े। फिर छठे महीने में रेट बढ़े। अब डीजल का भाव 35 रुपये तक पहुंच गया है। इसी तरह से गैस और कैरोसीन आइल के रेट बढ़े हैं। जब हम यहां अपने साथी कम्यूनिस्ट पार्टी के सदस्यों की बात सुनते हैं तो, ऐसा लगता है कि गरीबों के लिए इनके मन में बहुत सहानुभूति है। उन्होंने भी अपना स्टेटमैंट दिया था जब पैट्रोल के रेट बढ़े थे। उन्होंने 28 तारीख को स्ट्राइक भी की थी। मुझे हैरानी हुई एक न्यूजपेपर कटिंग पढ़ते हुए, जो 21.6.05 के इकोनामिक टाइम्स की है। इसमें लिखा है-सी पी एम ने कांग्रेस से चुनाव के दौरान मूल्यों में वृद्धि नहीं करने का अनुरोध किया था। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपका मार्गदर्शन करने वाले सार्थियों के मन में कुछ और बात है, शब्द कुछ और प्रयोग करते हैं और काम कुछ और करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये आपको सही बात नहीं बताते। अगर पैट्रोल और डीजल के रेट न बढ़े होते तो एसैन्शियल कमोडिटीज़ के रेट भी नहीं बढ़ते। एक इकोनामिस्ट का क्या कहना है वह मैं बताना चाहता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

[**श्री अजय माकन** *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

"ईंधन के मूल्य में इस सप्ताह वृद्धि नहीं हुई है। आगामी महीनों में डब्ल्यूपीआई में 3.5 प्रतिशत की गिरावट हो सकती थी।"

[हिन्दी]

डीजल और पेट्रोल के प्राइसिज को आपने इतना बढ़ाया कि उसके कारण एसेंशियल कमोडिटीज के प्राइसेज भी बहुत हद तक बढ़ाए गए। आपने भी शायद चिंता जाहिर की थी। एक लहरी पैनल की बात आई थी। आपका क्या प्वायंट आप वियू था और पैनल का क्या प्वायंट आप व्यू। उन्होंने कहा था कि

[अनुवाद]

सभी पेट्रोलियम उत्पादों की एक समान आठ प्रतिशत की मूल्यानुसार दर। यथामूल्य से विशिष्ट उत्पाद शुल्क को अपनाना और कम से कम पेट्रोलियम और डीजल के लिए। केरोसिन और रसोई गैस पर 0.25 संभावित शुल्क सीमा शुल्क बराबर करना। आपने कहा था कि पूरा बोझ विपणन कंपनियों द्वारा वहन किया जाएगा।

[हिन्दी]

उन्होंने कहा था कि 10 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, लेकिन आपने 15 परसेंट इम्पोर्ट ड्यूटी लगाने की बात कही थी। हम एक्सपर्ट्स की बात नहीं मानते तो शायद सरकार गलत निर्णय ले लेती। अगर हम सार्क देशों के साथ रेट की तुलना करें तो भारत में पेट्रोल और डीजल का रेट सबसे ज्यादा है। मेरे पास पूरा डाटा है। उन्होंने दिल्ली को बेस माना है। पेट्रोल का रेट दिल्ली में 37.84 पैसे और सार्क देशों में जैसे पाकिस्तान में 27.84 पैसे, बंगलादेश में 25.06 पैसे, श्रीलंका में 30.35 पैसे और नेपाल में 35.13 पैसे है। इसी तरह से डीजल का रेट भारत में दिल्ली के अंदर 26.28 पैसे, पाकिस्तान में 18.37 पैसे, बंगलादेश में 15.19 पैसे, श्रीलंका में 19.08 पैसे, नेपाल में 21.26 पैसे है। अगर इन दोनों चीजों की तुलना करें तो बंगलादेश, पाकिस्तान और नेपाल देश हैं उनके रेट भी हमसे कम हैं। हमारे रेट इतने ज्यादा क्यों हैं, क्योंकि दिल्ली में या भारत में रेट ज्यादा होने का कारण टैक्स है। टैक्स के कारण इन चीजों के रेट हमारे यहां ज्यादा हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड में दिया गया है।

[अनुवाद]

"पैट्रोल और डीजल के मूल्यों में क्रमशः 42 प्रतिशत और 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है क्योंकि देश में प्रशासित मूल्य प्रणाली समाप्त कर दी गई है।"

[हिन्दी]

इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना होगा। अगर हम अपनी बात करें कि हमारे पास कितना रिजर्व है और कंजम्पशन की बात करें तो लगता है कि भारत की कंजम्पशन और रिजर्व भी बाकी देशों से कम है। सउदी अरब में तेल निकलता है इसलिए वहां का रिजर्व फिगर ज्यादा है-262.73 बिलियन बैरल, ईरान के पास 130.69 बिलियन बैरल, इराक के पास 115 बिलियन बैरल, यूएई के पास 970.80 बिलियन बैरल, कुवैत के पास 9650 बिलियन बैरल, रशिया के पास 69.10 बिलियन बैरल, लीबिया के पास 36 बिलियन बैरल, नाइजीरिया के पास 34.35 बिलियन बैरल, यूएसए के पास 29.35 बिलियन बैरल और भारत के पास 5.58 बिलियन

बैरल का रिजर्व है-इस तरह कंजम्पशन की बात करें तो भारत में कंजम्पशन कम है। यूएसए 20, चाइना 5.6, जापान 5.4, जर्मनी 2.6, रशिया 2.6 और भारत में 2.2 प्रतिशत कम्जम्पशन है।

इस प्रकार कम्जम्पशन, प्रोडक्शन और टैक्स, इन तीनों का ध्यान रखते हुए, सरकार को अपनी पालिसी बनानी पड़ेगी। जब मैं टैक्सों के बारे में पढ़ रहा था, तो जो बेसिक प्राइस पेट्रोल की है वह रु. 17.40 है और उसमें कस्टम रु. 1.60 है।

सभापति महोदय: अविनाश राय खन्ना जी, कृपया सम अप करिए। काफी समय हो गया है।

श्री अविनाश राय खन्ना: सर, मुझे समय बता दीजिए ताकि मैं उसमें समाप्त कर सकूं।

सभापति महोदय: आप 25 मिनट बोल चुके हैं। आपकी पार्टी का समय केवल 30 मिनट है।

श्री अविनाश राय खन्ना: ठीक है सर, मैं 5-6 मिनट में समाप्त कर दूंगा। एक्साइज रु. 14.74, सेल्स टैक्स रु. 6.75 है। इसी तरह डीजल की जो बेसिक प्राइस है वह रु. 18.42 है, कस्टम रु. 1.94, सेल्स टैक्स रु. 4.93 है। इस प्रकार डीजल की प्राइस रु. 28.45 बनती है। टैक्स और दोनों की बेसिक प्राइस, इनका भी कंपैरिजन करना पड़ेगा।

महोदय, इनकी सरकार आने के बाद जो बेसिक ऐंसेंश्यल कमोडिटीज हैं, उनके भी रेट्स बढ़े हैं। वह कंपैरीजन भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं-राइस 1 अप्रैल को रु. 11.13 से बढ़कर रु. 11.37, दाल तुअर रु. 29.73 से रु. 31.75, शुगर रु. 15.50 से 18.25, टी रु. 110 से बढ़कर रु. 137.75 प्रति किलो हुई। साल्ट जो आम आदमी के काम आता है, वह रु. 6.75 से रु. 7.12, जो मैट्रोपोलिटन सिटीज में हुआ है। इसी प्रकार जो मेजर सिटीज हैं या नार्थ ईस्ट के सिटीज हैं, उनमें इनके रेट्स बढ़े हैं। अत: वित्त मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आम आदमी की जिंदगी और इच्छा जो होती है, वह खासतौर से खजाना मंत्री जी के ऊपर होती है। जैसा मैंने पहले कहा कि सरकार यदि लोगों की जेबों की तरफ देखेगी, तो रेट्स अपने आप बढ़ते जाएंगे और अगर सरकार लोगों की सुविधा की तरफ देखेगी, तो रेट्स अपने आप कम होते जाएंगे। आज महंगाई बहुत बढ़ी है। महंगाई का असर पढ़ाई से ऊपर, मैडीकल फेसिलिटीज के ऊपर बहुत पड़ा है। आज महंगाई के कारण आम आदमी के लिए घर बनाना, एक सपना हो गया है। बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना एक सपना हो गया है। यहां दोनों मंत्री उपस्थित हैं। मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा कि कृपया ऐसी पालिसी बनाएं ताकि आम आदमी आराम की जिंदगी जी सके।

चूंकि चेयरमैन साहब, मेरी ओर बार-बार देख रहे हैं और इशारा कर रहे हैं कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, इसलिए मैं अंतिम बात कहकर आपसे माफी चाहूंगा। जाते-जाते मुझे एक बात याद आ गई। एक सज्जन थे, उन्होंने देखा कि उनके पड़ौसी के पास कुछ पैसे हैं। वे रोज ब्राह्मण को बुलाकर हलुआ और पूरी खिलाते थे। इसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर में ब्राह्मण को बुलाए। वह गरीब था। महंगाई के मारे कुछ खरीद नहीं पाता था। एक दिन उसने भी ब्राह्मण को घर में बुलाया। ब्राह्मण घर आया। उसने बड़े आदर भाव से उसके पैर धोये। उसे बैठने के लिए आसन दिया और वह पंखे से ब्राह्मण देव की हवा करने लगा। तीन-चार मिनट के बाद ब्राह्मण ने कहा कि कुछ लाओ। वह बोला, महाराज जब से यू.पी.ए. की सरकार आई है तब से मैं आपको कुछ खिलाने की स्थिति में नहीं हूं। सिर्फ हवा खिला सकता हूं या पानी पिला सकता हूं। इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे कुछ ऐसे उपाय करें जिससे महंगाई नीचे आए और आम आदमी अपनी रोटी का प्रबन्ध कर सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री एस.के. खारवेनथन जी।

श्री खारवेननथन जी कांग्रेस पार्टी को 32 मिनट दिए गए हैं और वक्ता दो हैं इसलिए मैं आपसे अपने भाषण को 16 मिनट तक सीमित रखने का अनुरोध करता हूं।

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि सहित आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से संबंधित चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

इस चर्चा को आरंभ करने वाले हमारे मित्र ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के लिए संप्रग सरकार को दोषी ठहराया है। इस देश में आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के लिए सरकार दोषी नहीं है। सभी को कारण पता हैं। पिछले तीन वर्षों से दक्षिण भारत में जल की अनुपलब्धता के कारण कृषि फसलों का उत्पादन पूरी तरह विफल रहा है क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में वृष्टि नहीं हुई थी। उचित समय पर जल की अनुपलब्धता के कारण कृषक चावल और अन्य खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने में समर्थ नहीं रहे थे। कृषक अपना कार्य नहीं कर पाए। कुछ साल पूर्व तक तंजावूर बेसिन में, जहां किसान मुख्यत: चावल का उत्पादन करते है, एक बूंद पानी भी नहीं था। यदि आप उत्तर भारत की ओर जाते हैं, तो वहां के अधिकतर राज्य बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हैं। किसान अपनी फसल नहीं उगा सकें हैं। यहीं आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि का मुख्य कारण है और यह सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

इस चर्चा को आरंभ करने वाले हमारे मित्र ने इंदिरा जी को भी दोषी बताया हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित नहीं किया गया था। उन्होंने घोषणा की थी 'गरीबी हटाओ'। विपक्ष के हमारे मित्र हमारी उस बात को भूल गए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि गांवों में महिलाएं एक साड़ी प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है।

वर्ष 1996 में, भाजपा ने 13 दिनों तक देश पर शासन किया, वर्ष 1998 में इसने तेरह महीनों तक शासन किया और फिर इसने वर्ष 1999 से 2004 तक लगभग पांच वर्षों तक शासन किया। पिछले चुनाव अभियान के दौरान भूतपूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में साड़ियां और धोतियां वितरित की थी जिसे पाने के लिए दूर-दूर से लोग आए थे और 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसी स्थिति थी। अब, हमारे मित्र इंदिरा जी के शासन पर दोष लगा रहे हैं। इस देश में हरित क्रांति का आरंभ हमारे भूतपूर्व कृषि मंत्री जी श्री सी. सुब्रमण्यम ने किया था। चौसठ साल पहले हमारे देश में कोई खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था और चावल और अन्य खाद्यान्नों का दूसरे देशों से आयात किया जाता था। अब हम पूरे विश्व को खाद्यान्न का निर्यात करने में सक्षम हैं। ऐसा कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई हरित क्रांति के कारण संभव हुआ है। ऐसा कांग्रेस सरकार की सफलता के कारण हुआ था।

जहां तक कृषि क्षेत्र का संबंध है, वर्ष 1950 में, तमिलनाडु में सिंचाई के लिए कोई बांध नहीं था। सभी बांध हमारे भूतपूर्व नेता श्री कामराज, डा. कलाईगनार और अन्य नेताओं ने निर्मित करवाए। आज, हम कृषि उत्पादन में अग्रणी हैं और ऐसा हमारे नेताओं की कर्मठता के कारण संभव हुआ। वे बेवजह कांग्रेस सरकार को दोष दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले पांच वर्षों में उन्होंने किसानों के लिए क्या किया है। हमारी जनसंख्या का पैंसठ प्रतिशत किसान वर्ग हैं और यह देश मुख्यतः किसानों पर निर्भर है। राजग सरकार ने इस देश की साठ प्रतिशत जनता के लिए क्या किया है?

वर्ष 1989 में, तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्य मंत्री डा. कलाईगनार करुणानिधि ''किसानों के लिए मुफ्त बिजली'' योजना आरंभ की थी और तमिलनाडु इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य था। आज, विपक्ष दो बातों का राजनीतिकरण करना चाहता है-आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि। आवश्यक वस्तु और और पेट्रोलियम मूल्यों में वृद्धि के कारणों का सभी को पता है। इस स्थिति में, संप्रग सरकार ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सभी कदम उठाए हैं।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, 30 जुलाई, 2005 की स्थिति के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक पर वार्षिक क्रमवार मुद्रास्फीति 3.8 प्रतिशत तक कम थी। यह एक वर्ष पहले दर्ज की गई आठ प्रतिशत से काफी कम है।

इसके अलावा, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने मूल्य वृद्धि विशेषकर पेट्रोलियम पदार्थों के संबंध में कई कदम उठाए हैं। मैं इस सम्माननीय निकाय के समक्ष कतिपय तथ्य रखना चाहता हूं। हमें अन्तर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों की प्रवृत्ति पर विचार करना है। भारत भारतीय तेलशोधन शालाओं में संसाधित कच्चे तेल का लगभग 76 प्रतिशत आयात कर रहा है। भारत को तेल निर्यात पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है। अन्तरराष्ट्रीय तेल मूल्य घरेलू कच्चे तेल के मूल्यों पर निर्णयात्मक प्रभाव डालते है और इसलिए घरेलू खुदरा उत्पाद मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ता है। अप्रैल 2005 से कच्चे तेल के मूल्यों ने अभूतपूर्व उचाइयां को छुआ है।

मैं केवल दो या तीन मुद्दों का ही उल्लेख करना चाहता हूं। मार्च 2002 माह में भारतीय बास्केट में कच्चे तेल का मूल्य 23.31 डालर प्रति बैरल था; पेट्रोल के मूल्य 26.43 डालर प्रति बैरल और डीजल का मूल्य 23.27 डालर प्रति बैरल था और केरोसीन का मूल्य 23.65 डालर प्रति बैरल था। यदि हम अप्रैल 2005 की तुलना जून 2005 से करें तो भारतीय बास्केट में कच्चे तेल का मूल्य 49.88 डालर प्रति बैरल, पेट्रोल का मूल्य 57.41 डालर प्रति बैरल, डीजल का मूल्य 61.28 डालर प्रति बैरल और केरोसीन का मूल्य 65.78 डालर प्रति बैरल था। इसलिए अन्तरराष्ट्रीय मूल्य वृद्धि पर मूल्य वृद्धि निर्भर करती है। यह इस सरकार का दोष नहीं है।

यद्यपि हमारी संप्रग सरकार ने मूल्य नियंत्रण और गरीब लोगों की मदद के लिए कई कदम उठाए है। मैं सरकार द्वारा जून 2004 से उठाए गए विशेषकर विभिन्न राजकोषीय और मौद्रिक उपायों का जिक्र करना चाहूंगा। मैं केवल कुछ ही मुद्दों को उठाऊंगा। 15 जून, 2004 को इस सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में वृद्धि के मद्देनजर घरेलू खुदरा मूल्यों को नियंत्रित करने के लिए कुछ चयनित पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क घटाया, पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क को 30 प्रतिशत से 26 प्रतिशत घटाया गया। हाई-स्पीड-डीजल को 14 प्रतिशत से 11 प्रतिशत और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस को 16 प्रतिशत से घटाकर आठ प्रतिशत किया गया। हमारी सरकार मूल्यों को नियंत्रित करने के लगातार कदम उठा रही है। इसलिए सरकार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। केवल परिस्थितियों और अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में कीमतों में वृद्धि के कारण देश में पेट्रोल, डीजल और केरोसीन के मूल्य बढ़े हैं। यह मेरा कहना है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): सभापति महोदय, पेट्रोलियम की कीमतों से देश में आम उपभोक्ता की वस्तुओं के जो दाम बढ़े हैं, उस पर इस सदन में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस पूरे वर्ष में हम देखें तो आम आदमी के उपभोग की वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। जनवरी 2004 से लेकर जुलाई 2005 तक गेहूं, चावल, दाल और सरसों के तेल आदि वस्तुएं महंगी हुई हैं और सब्जियों के दाम तो पचास से सौ फीसदी तक बढ़े हैं। महंगाई के सवाल पर रिजर्व बैंक आफ इंडिया के गवर्नर ने भी चिन्ता व्यक्त की है और वित्त मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने भी कहा है कि निश्चित रूप से महंगाई बढ़ना चिन्ता का विषय है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड आयल के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कच्चे तेल के दाम बढ़े हैं और इससे कीमतें भी बढ़ी हैं।

सरकार ने घोषणा की कि डीजल और पेट्रोल पर आयात शुल्क में 5 प्रतिशत भी कर दी जाएगी, परन्तु यह घोषणा सिर्फ धरातल पर ही रह गई। सन् 2004-2005 के दौरान पैट्रोल 166 टन एवं डीजल 366 टन आयात किया गया। हम आवश्यकता से ज्यादा डीजल और पैट्रोल पैदा करते हैं, तेल कम्पनियां पैट्रोल और डीजल का निर्यात करती हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ने जो 5 प्रतिशत आयात शुल्क कम किया, उसका व्यावहारिक मतलब क्या था।

पेट्रोलियम मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। ये बहुत समझदार व्यक्ति हैं, भारतीय विदेश सेवा में भी रहे हैं। मैं यह आरोप नहीं लगाना चाहता कि जब ये बी.जे.पी. के लोग सरकार में थे, तो इन्होंने क्या किया। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने फलां-फलां काम किए, जो उनके शासनकाल में हुए। मैं समझता हूं कि यह नकारात्मक प्रयास है। इस परिस्थिति से हम कैसे निकलें और महंगाई के सवाल पर आम जनता को कैसे राहत दे पाएं, हमारी चर्चा इसी केन्द्र बिन्दु तक सीमित रहे, तो इसके कुछ ज्यादा अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

अभी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जी ने भी देश के नाम सम्बोधन में कहा कि ईंधन के मामले में भारत की निर्भरता और ज्यादा बढ़ती जा रही है। पिछले डेढ़ दशक में जो निर्भरता मात्र 40 फीसदी थी, वह अब 73 फीसदी हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब तक यह खौफ रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और उस लिहाज से तेलों की कीमतें, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ाना हमारी मजबूरी है। असल और बुनियादी सवाल है कि हम अपने पैरों पर कैसे खड़े हों, दुनिया के बाजार पर कम से कम निर्भर रहें-सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय कंपनियों ने, विशेषकर सूडान, रूस, इराक, ईरान, सीरिया और आस्ट्रेलिया आदि देशों के साथ तेल और गैस की परियोजनाओं में भागीदारी के लिए भारी मात्रा में दौलत खर्च की, लेकिन आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हमारे देश में इसका उत्पादन कैसे बढ़े।

मैं आपकी मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि क्रूड ऑयल के उत्पादन की प्रमुख जिम्मेदारी ओएनजीसी की है, लेकिन लगता है कि यह संस्था अपने मूल उद्देश्य से मुंह मोड़कर अन्य क्षेत्रों में काम करने को उत्सुक है। पेट्रोलियम की स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार तेल खनन के लिए अभी 19 बेसिन आवंटित हुए हैं, परन्तु मात्र 7 बेसिन में काम हो रहा है। कमेटी ने निष्कर्ष निकाला है कि देश में तेल खनन का कार्य अत्यन्त दयनीय है। कमेटी ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि आधे से अधिक क्षेत्रों में दयनीय उत्पादन किया जा रहा है और यही कारण है कि लगातार पूंजी निवेश के बावजूद, तेल के नए क्षेत्र खोजने के बावजूद उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है।

अभी एक रिपोर्ट प्रकाश में आई, जिसके अनुसार ऑयल इंडिया लिमिटेड के पूर्व चेयरमैन डा. चूड़ामणि रतनम ने कहा है कि आसाम और अरुणाचल प्रदेश में क्रूड ऑयल के भंडारों तथा कोयला भंडारों से 140 मिलियन टन वार्षिक उत्पादन हो सकता है जो आगामी एक शताब्दी तक समाप्त नहीं होने वाला है। आज देश की अधिकतम आवश्यकता 110 मिलियन टन की है। यदि सरकार सही अर्थों में महामहिम राष्ट्रपति जी के सपनों को सार्थक करना चाहती है, तो इस दिशा में सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है।

अभी हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री जी ने तेल कंपनियों की वकालत की और कहा कि पिछले वर्ष तेल कंपनियों का घाटा, 4,000 करोड़ रुपये था, जो अब बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो गया है, इसलिए पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और केरोसीन के मूल्यों में वृद्धि करना आवश्यक है।

जहां तक तेल कंपनियों का सवाल है, पिछले साल अक्टूबर में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा, तो इस देश में भी पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा। मैं कहना चाहूंगा कि उसके बाद नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया, तो उस समय पूरे देश में यह मांग उठी की इनकी कीमतें कम होनी चाहिए, परन्तु उस समय मंत्री जी ने यह तर्क दिया कि पिछले दिनों तेल कंपनियों को उपभोक्ता मूल्य न बढ़ने के कारण जो घाटा हुआ है, उसे पूरा करने के लिए आवश्यक है कि कीमतें न घटाई जायें तथा सरकार भविष्य में एक मूल्य निर्धारण नीति बनायेगी और उसी के आधार पर कीमतें तय की जायेंगी।

[श्री रामजीलाल सुमन]

वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर कहा जा रहा है कि आगाभी वर्षों के दौरान हमारी जो सरकारी नवरत्न कंपनियां हैं, वे घाटे में चली जायेंगी। यह भी कहा गया है कि इन कंपनियों पर जो असर पड़ेगा, जो कंपनियां खुदरा बाजार में बेचती हैं, उनमें बीपीसीएल 13 महीने में, एचपीसीएल 20 महीने में और आईओसी 35 महीने में रुग्ण हो जायेंगी, लेकिन इसमें ओएनजीसी का जिक्र नहीं किया गया। अब सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का कुप्रभाव इस कंपनी पर क्यों नहीं पड़ा? जो कंपनियां तेल शोधन के काम में लगी हैं, उन पर महंगाई का प्रभाव नहीं पड़ा, केवल उन कंपनियों पर इसका प्रभाव पड़ा जो तैयार माल खरीदती हैं और उसे उपभोक्ता को बेचती हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो सरकारी मूल्य निर्धारण नीति है, वह निश्चित रूप से दोषपूर्ण है और उसी का परिणाम इन कंपनियों को भोगना पड़ रहा है।

मैं तेल शोधक कंपनियों के लाभ के बारे में कहना चाहूंगा कि जैसे-जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ती हैं, उसी दर से उनका लाभ भी बढ़ता जाता है। वर्ष 2002-2003 में जो लाभ 3.94 डालर प्रति बैरल था, वह अप्रैल, 2005 में बढ़कर 5.77 डालर प्रति बैरल हो गया। फिर अप्रैल, 2005 से जून 2005 तक यह बढ़कर 5.84 डालर प्रति बैरल हो गया। इस तरह तेल शोधन कारखाने पेट्रोल और डीजल को देश के उत्पादन लागत के आधार पर न बेचकर, आयातित मूल्य के आधार पर बेचते हैं, जिसमें उत्पाद शुल्क, माल भाड़ा, विक्रय लाभ, बिक्री कर आदि शामिल हैं। उसका परिणाम यह है कि सरकार जब इन खर्चों को बिक्री की कीमतों में जोड़ देगी, तो बेतहाशा मूल्य वृद्धि होगी। इसके अलावा सरकारी करों की भरमार है-पेट्रोल पर 57 फीसदी और डीजल पर 37 फीसदी टैक्स राज्य और भारत सरकारों के लगे हुए हैं। इसी सदन में बताया गया है कि उत्पादन प्रणाली की लागत 17 रुपये 50 पैसे है। आज पेट्रोल-डीजल के दाम जो आसमान को छू रहे हैं, उसका प्रमुख कारण राज्य और भारत सरकार के बेतहाशा टैक्स हैं।

मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे-जैसे पेट्रोल और डीजल की किल्लत बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोगों की निर्भरता गैस के ऊपर बढ़ रही है और गैस की मांग निरन्तर बढ़ती जा रही है। वर्ष 2002-2003 में जो गैस की मांग 145 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर थी, वह वर्ष 2005 में 176 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गयी, लेकिन अजीब बात है कि जो उत्पादन वर्ष 2002-2003 में 86 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर था, वह वर्ष 2004-2005 में 87 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर रहा-यानी मांग के अनुरूप उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह गैस की जो बिक्री की जा रही है, वह वर्ष 2002-2003 में 70 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर थी जबकि वर्ष 2004-2005 में 72 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर थी। सरकार यह भी व्यवस्था नहीं कर पा रही है कि हमारे पास जो गैस उपलब्ध है, उसे हम उपभोक्ता तक पहुंचा दें।

इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि तमाम वायदों के बावजूद गैस के दाम प्रशासनिक मूल्य प्रणाली के तहत निर्धारित किये जा रहे हैं। इस प्रणाली को खत्म करके उत्पादन लगात के आधार पर उपभोक्ता बिक्री मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए तभी स्थिति में सुधार हो सकता है। प्रशासनिक मूल्य प्रणाली के आधार पर गैस का मूल्य 2850 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर था। निजी कंपनियां और संयुक्त कंपनियां 5500 रुपये से लेकर 7000 रुपये मिलियन क्यूबिक तक तेल बेच रही है। मैं कहना चाहूंगा कि फिरोजाबाद मेरा संसदीय क्षेत्र है। पहले तो लोगों को गैस नहीं मिल रही है और मिल भी रही है तो इतने अधिक दामों पर मिल रही है कि आम उपभोक्ताओं के लिए उतना वहन करना मुश्किल काम है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदयः सुमन जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री रामजीलाल सुमनः विकासशील देशों के लिए जरूरी है कि ईंधन के स्रोतों की कीमतों को कम से कम रखा जाए लेकिन हमारे देश में यह विचार पूरी तरह से नदारद है। सन 2004-05 में सरकार ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष करों के माध्यम से 303099 करोड़ रुपया एकत्रित किया है। उसमें से 56,395 करोड़ रुपया उत्पादन सीमा शुल्क पेट्रोल डीजल से मिला है। आंकड़े दर्शाते हैं कि पेट्रोल और डीजल सरकार के लिए दुधारी गाय हैं और मैं समझता हूं कि इसमें जिस तरह से बेतहाशा टैक्स लगे हैं, उनके बारे में मणि शंकर अय्यर जी यहां बैठे हुए हैं, वह उसकी शुरूआत मुम्बई से करें क्योंकि सबसे अधिक कर महाराष्ट्र में है। मैं समझता हूं कि अगर इसकी शुरूआत वहां से की जाए तो बड़ी कृपा होगी।

अंत में, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले 15 सालों से, 1990 से हमारा उत्पादन 33 मिलियन टन पर स्थिर है, उसमें कोई वृद्धि नहीं है जबकि उपभोग की क्षमता 1990 से लेकर अब तक हमारे देश में दुगनी हो गई। भारत में विगत वित्तीय वर्ष में 15 अरब डॉलर के तेल आयात पर खर्च करके, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का तीन फीसदी है, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे अहम और बुनियादी सवाल यह है कि तेल के मामले में जब तक दुनिया के बाजार पर हम टकटकी लागये बैठे रहेंगे और अपना उत्पादन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक किसी भी कीमत पर इस समस्या से हम निजात नहीं पा सकते। दूसरे, जो बेतहाशा कर हैं, उन करो में कमी कैसे की जा सकती है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

तीसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दुनिया के तमाम देश पेट्रोल और डीजल पर ही निर्भर नहीं है, वे वैकल्पिक ईंधन की भी तलाश कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर चीन ने कहा है कि हम आने वाले दो वर्षों में हाइड्रोजन से संचालित दुपहिए, तिपहिए वाहन सड़क पर ले आएंगे। दुनिया के तमाम देश इस प्रयास में हैं कि पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत के चलते हमें वैकल्पिक ईंधन की भी तलाश करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इस दिशा में सरकार को प्रयास करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): सभापति महोदय, चर्चा का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं समझता हूं कि हमें इस विशेष मुद्दे पर घिसी-पिटी चर्चा नहीं करनी चाहिए। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही है, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कई कारण है। लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा जिससे आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं वह पेट्रोल, डीजल और केरोसिन आदि के मूल्यों में वृद्धि है, इसलिए इस पहलू पर बल देना चाहिए और हमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे को और महत्व देना चाहिए। सरकार अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के नाम पर पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि का तर्क दे रही है। मैं यह तर्क दूंगा जिससे वह स्पष्ट हो जाता है कि यह सब उचित नहीं है क्योंकि कच्चे तेल की उत्पादन लागत हमारे देश में सस्ती है और अन्य देशों की तरह तेल शोधन लागत भी कम है। इसलिए, यह तर्क सरकार ने दिया है हमें स्वीकार्य नहीं है। पेट्रोल, डीजल और केरोसिन जैसे पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य क्यों बढ़ रहे हैं? यह सब कराधान के संदर्भ में सरकारी नीति के कारण हो रहा है।

महोदय, इसका कारण निजी कंपनियों के लिए हमारे तेल क्षेत्र को खोलने की नीति है। एक वर्ष के अंदर संप्रग सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को चार बार बढ़ाया है। राजग शासन के दौरान 400 प्रतिशत से अधिक केरोसिन के मूल्य में वृद्धि हुई जिसका मुख्यत: हमारे देश के गरीब लोग उपयोग करते है; राजग सरकार के शासन के दौरान हमारे तेल क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोला गया था। वे मांग कर रहे थे कि उनके मूल्यों को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुसार निर्धारित किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, राजग सरकार ने प्रभारित मूल्य निर्धारण प्रणाली को खत्म करना शुरू कर दिया इस ए.पी.एन. को खत्म करने से किसे लाभ मिला? केवल निजी तेल कंपनियों को ही लाभ प्राप्त हुआ, उन्होंने इसमें भारी मुनाफा कमाया। सरकार को इससे कोई लाभ नहीं हुआ। बल्कि लोगों को ए.पी.एम. खत्म करने के कारण काफी कष्ट उठाना पड़ रहा है।

मैं पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य में वृद्धि के भार से दबे लोगों का उदाहरण दूंगा। भारत सरकार तेल कंपनियों पर उत्पाद शुल्क से लगभग प्रतिवर्ष 15,600 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करती है। यही नहीं, तेल क्षेत्र के संबंध में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त करों की राशि प्रतिवर्ष 1,18,000 करोड़ बैठती है। लगभग सरकारी राजस्व का 40 प्रतिशत तेल क्षेत्र से आता है। इसलिए यही एकमात्र कारण है जो कि पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि में योगदान कर रहा है। मैं समझता हूं कि सरकार आंखों में धूल झोंक रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के कारण सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य बढ़ाने के लिए बाध्य है। यह बिल्कुल सच नहीं है।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा जो कि मेरे तर्क को साबित करेगा। पेट्रोल की प्रतिलीटर कीमत 40 रुपये है, लेकिन सरकारी कर 23 रुपए प्रतिलीटर है। इसी तरह से डीजल का मूल्य 20 रुपये प्रतिलीटर है सरकारी कर 10 रुपये है। इसलिए, इस बात को आसानी से समझा जा सकता है कि हमारे देश के लोगों को अत्यधिक कष्ट देने वाली पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि का क्या कारण हैं। इससे प्रत्येक आवश्यक वस्तु की कीमतों में वृद्धि हो जाती है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है जिसे गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। अन्यथा, देश के लोगों को काफी कष्ट उठाना पड़ेगा।

गरीबी उपशमन और साक्षरता सम्भव नहीं होगी क्योंकि मेहनतकश जनता जो कि अपना खून और पसीना बहाकर अपनी रोजी-रोटी कमाती है कुछ भी नहीं बचा पाएगी और मूल्यों में वृद्धि के कारण सारी बचतें समाप्त हो जाएंगी। यदि लोग बचत नहीं करेंगे तो देश में गरीबी उपशमन और निरक्षरता को दूर करना सम्भव नहीं हो सकता है।

सरकार तेल क्षेत्र से इस तर्क पर राजस्व अर्जित कर रही है कि उनके पास अधिक राजस्व नहीं है और भारत की समेकित निधि में पर्याप्त धनराशि नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि बड़ी मात्रा में करों की वसूली की जाती है-लगभग 90,000 करोड़ रुपये के कर बकाया हैं।

सरकार बड़े घरानों से कर की बकाया राशियों को वसूल करने में पूरी तरह से असफल रही है। भारी मात्रा में काला धन जमा हो चुका है, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसका पता नहीं किया जा रहा है। मेरे विचार से काला धन कर चोरी के कारण उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद भारी मात्रा में गैर-निष्पादनकारी आस्तियां हैं। ये ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जिनके कारण सरकार के पास अपने वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में किए गए वादों का तब तक पूरा नहीं किया जा सकता है जब तक कि सरकार कर की बकाया राशियों की वसूली, काले धन का पता लगाकर,

[श्री लक्ष्मण सेठ]

गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बनने को रोककर और कर की चोरी को रोककर संसाधन नहीं जुटाती है। जब तक सरकार ये सब कार्य नहीं करेगी तब तक देश उन्नति नहीं करेगा। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। इस पर विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे पास वैकल्पिक प्रस्ताव भी हैं। हम सरकारी नीति की केवल भर्त्सना और आलोचना नहीं करते हैं। सरकार सड़क उपकर के नाम पर सड़क कर लगाती है, पैट्रोलियम उत्पादों से लगभग 9000 करोड़ रुपये की आय होती है, परन्तु इस राशि को सड़कों के लिए किए गए कार्यों पर हुए खर्चे में नहीं लिखाया जा रहा है। मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार को मुख्य स्थितिकरण कोष बनाना चाहिए और इसे इसके अंतर्गत लाया जाना चाहिए। सड़क उपकर के नाम पर वसूले जा रहे उपकर को मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं पेट्रोलियम उत्पादों पर लगाए जा रहे उत्पाद शुल्क को कम किया जाना चाहिए और इस उत्पाद शुल्क के कतिपय हिस्से को मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के नाम से एक कानून है। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार भारी राजस्व वसूल रही है और आज तक यह लगभग 51,000 करोड़ रुपये के बराबर बैठता है, परन्तु इस धनराशि को उपयोग तेल क्षेत्र के लिए नहीं किया जा रहा है। मैं यह सुझाव दूंगा कि 51000 करोड़ रु. की इस धनराशि को मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत लाया जाना चाहिए। ऐसा करके हम पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धि की चुनौती से निपट सकते हैं। इसके अतिरिक्त, स्वदेशी कच्चे तेल के संबंध में सरकारी क्षेत्र की कंपनियों पर प्रतिटन 1800 रुपये का उपकर लगाया जाता है। इस धनराशि का भी तेल-क्षेत्र के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। इस धनराशि को मूल्य स्थिरीकरण प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। यही मेरे सुझाव हैं।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा के समक्ष एक महत्वपूर्ण मुद्दा रखना चाहूंगा कुछ निर्यातकों को लगभग 200 करोड़ रुपये तक की राज्य सहायता दी जाती है क्योंकि तेल उत्पादों का कुछ निर्यात किया जाता है। हमारे उत्पादों के निर्यात के नाम पर निजी आपरेटरों और निजी कंपनियों को राज सहायता के रूप में एक वर्ष में 1200 करोड़ रुपये दिए जा रहे हैं और वे उससे भारी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए, व्यावहारिक रूप से हमारे देश के लोगों को धोखा दिया जा रहा है। इस राजसहायता को रोक दिया जाना चाहिए और इस धनराशि को मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत लाया जाना चाहिए।

मैं जानता हूं कि मानवीय पेट्रोलियम मंत्री मेरी प्रस्ताव से सहमत होंगे परन्तु वह मजबूर हैं क्योंकि वित्त मंत्रालय सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वित्त मंत्री उनके प्रस्ताव से सहमत नहीं होंगे। मैं यह जानता हूं, परन्तु यह कदम उठाए बिना मेरे विचार से राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में हमारे सभी वादे पूरे नहीं हो पाएंगे।

कल, माननीय प्रधानमंत्री ने लालकिले से गरीबी हटाओ का वादा किया था परन्तु उन्होंने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि गरीबी किस प्रकार हटाई जाएगी। अतः हमारे देश के लोगों के मन में संदेह है कि यह वादा पूरा नहीं हो पाएगा। सरकार को संसाधन जुटाने चाहिए और हमारे देश के आम आदमी को अहित किए बिना संसाधन जुटाने की पर्याप्त संभावना है।

सभापति महोदय: श्री लक्ष्मण सेठ, कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, हमारी प्रौद्योगिकी कच्चे तेल को सस्ती दरों पर प्रसंस्कृत करने के लिए पर्याप्त कुशल है। हमारे प्रौद्योगिकीविद, अभियंता और मंत्रालय भी कच्चे तेल की खोज के लिए काफी काम कर रहे हैं, परंतु हमें केवल इस पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए।

हमारे माननीय राष्ट्रपति ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता का आह्वान किया है। हमें हपने अन्य ऊर्जा स्रोतों नामतः सौर ऊर्जा, जैव ईंधन उत्पादों आदि का दोहन करने की आवश्यकता है। हमारे पास इन सभी संभावनाओं को दोहन करने की क्षमता है। यह एक और अन्य क्षेत्र है जिसमें मंत्रालय कार्य कर रहा हैं और हमारे प्रौद्योगिकीविद तथा अभियंता अपने भरसक प्रयास कर रहे हैं। परन्तु इस सबके अतिरिक्त हमें यह सुनिश्चित करना है कि हम मूल्यों में वृद्धि विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि को कैसे रोक सकते है। हमें इस मामले पर गंभीरतापूर्वक विचार करने तथा इसकी जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता है। मेरा विचार है कि हमारे देश के लोगों को अंतर्राष्ट्रीयकरण के नाम पर शिकार नहीं बनाया जाना चाहिए। यह मेरा आपसे नम्र निवेदन है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय: अब, माननीय पेट्रोलियम मंत्री इस बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। हम इस मद पर आगे की चर्चा कल भी करेंगे।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज्य मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मुझे सभा को सूचित करते हुए दुख हो रहा है कि कल ही-15 अगस्त- को जब हमारे माननीय राष्ट्रपति ने भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का

आह्वान किया था-भारत में कच्चे तेल का मूल्य पर पिछले सारे रिकार्ड ध्वस्त करते हुए 61 डालर 58 सेंट्स पर पहुंच गया ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): क्या यह जवाब हो रहा है?

श्री मणि शंकर अय्यर: जवाब तो माननीय वित्त मंत्री जी देंगे, मैं केवल दो शब्द बीच में कहना चाहता हूं। मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि बड़ी गंभीरता से आप इस सूचना को सुनें, जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं। कल 15 अगस्त को हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी ने नारा दिया कि हमें ऊर्जा के क्षेत्र में मुक्ति पानी है। उस दिन हमारे कच्चे तेल का जो इंडियन बास्किट है वह 61 डालर, 58 सेंट तक पहुंच गया। इसका मतलब यह होता है कि उस दिन से जबकि श्री संतोष गंगवार जी और इनके बड़े मंत्री और इनकी पूरी सरकार ने तय किया एपीएम का डिस्मेंटल होगा।

श्री संतोष गंगवार (बरेली): यह फैसला तो सन् 1991-1996 की सरकार का था।

श्री मणि शंकर अय्यर: इसको मैं तुलना में लाना चाहता हूं।

श्री अनिल बसु (आरामबाग): ये तो अपने को डिस्मेंटल करने में लगे हुए हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया माननीय मंत्री जी को परेशान न करें। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर: इसका मतलब यह निकलता है कि उस दिन, यानी अप्रैल, 2002 से कल तक जो कच्चे तेल का अंतर्राष्ट्रीय दाम था, उसमें वृद्धि 164.2 प्रतिशत हुई है। यह सबसे मूल यथार्थ है, जिसकी उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। इस परिस्थिति में जब कि कच्चे तेल का दाम 164 प्रतिशत ज्यादा हो चुका है, पेट्रोल का दाम 177.5 प्रतिशत ज्यादा हो चुका है, डीजल का दाम 203.6 प्रतिशत ज्यादा हो चुका है, केरोसिन का दाम 218 प्रतिशत ज्यादा हो चुका है और जबकि एलपीजी का अंतर्राष्ट्रीय दाम 108 प्रतिशत ज्यादा हो चुका है, तब हमारा यह फर्ज बनता है कि हम देखें कि जब अंतर्राष्ट्रीय दामों में वृद्धि हो रही थी, तब हमसे पहले जो सरकारें थी, उन्होंने क्या किया और उसके बाद हम कहां तक घरेलू दामों को सीमित रख पाए हैं?

[अनुवाद]

महोदय, मई 1996 और मई, 2004 अर्थात कांग्रेस के सत्ताच्युत होने और यू.पी.ए. के घटक के रूप में सत्तासीन होने की अवधि में भारतीय बास्केट के मूल्य में लगभग 18 डालर की वृद्धि हुई। मई, 2004 और जुलाई, 2005 के बीच में पिछले सोलह दिनों के दौरान हुई अत्यधिक वृद्धि की बात नहीं कर रहा हूं- भारतीय बास्केट के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में लगभग 18 डालर की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, गैर-कांग्रेस कार्यकाल और कांग्रेस के पेट्रोलियम मंत्री के समय में 18 डालर की वृद्धि तुलना के लिए सटीक आधार है।

मई, 1996 और मई, 2004 के बीच, पेट्रोल का मूल्य लगभग 16 रुपये बढ़ा। इसी अवधि के दौरान जब मूल्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समान दर पर बढ़े तो हमने पेट्रोल का मूल्य लगभग 7 रुपये बढ़ाया। पिछली सरकार ने इसी अवधि में पीडीएस करोसिन तेल का मूल्य-सांस रोक कर सुनिये-6.50 रुपये बढ़ाया: हमने इसमें 4 पैसे की वृद्धि की थी। अविनाश जी आप सुन रहे हैं न। डीजल-इसमें 15 रुपये की वृद्धि की; हमने 6 रुपये बढ़ाये थे। घरेलू रसोई गैस के एक सिलेंडर का मूल्य 145 रुपये तक बढ़ा दिया; हमने लगभग 54 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाया है।

इसलिए, हर कोई यह आशा करता है कि चूंकि वे सत्ता में थे, हम भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधि द्वारा आरम्भ किये गए प्रस्ताव पर इस प्रकार की भाषा नहीं सुनेंगे। हमारे ऊपर पत्थर फेंकने से पहले उन्हें स्वयं की शीशे के घर की ओर देखना चाहिए।

एन.डी.ए. सरकार की अवधि के दौरान, भाजपा के नेतृत्व में, पेट्रोल के मूल्यों में 33 बार परिवर्तन किये गए; हमने चार बार बदलाव किये हैं; डीजल के मूल्यों में 34 बार बदलाव किये गए; हमने 6 बार बदलाव किये है; घरेलू रसोई गैस के मूल्य 9 बार परिवर्तित किये गए; हमने तीन बार परिवर्तन किये हैं; पीडीएस के माध्यम से बेचे जाने वाले केरोसिन तेल के मूल्य पांच बार परिवर्तित किये गए; और हमने एक बार बदलाव किया है।

आश्चर्यजनक है कि एन डी ए के कार्यकाल के दौरान-अर्थात मार्च, 98 से मई, 2004 तक उन्होंने पेट्रोल के मूल्यों में 48 प्रतिशत वृद्धि की और वे मुझे बता रहे हैं कि इसमें 20 प्रतिशत की वृद्धि कौतूहलजनक है।

उन्होंने घरेलू रसोई गैस के मूल्यों में 78 प्रतिशत वृद्धि की थी। हमने केवल 22 प्रतिशत वृद्धि की है। उन्होंने डीजल के मूल्यों में, धिक्कार है उन पर, 112 प्रतिशत तक की वृद्धि की। हमने 31 प्रतिशत की वृद्धि की है। और उनके लिए सबसे अधिक धिक्कार

[श्री मणि शंकर अय्यर]

की बात यह है कि उनका भारत उदय का नारा भारत की वास्तविक स्थिति से इतना दूर था कि आज वे वहां बैठे हुए हैं और हम यहां बैठे हुए हैं। उन्होंने केरोसिन तेल का मूल्य आश्चर्यजनक रूप से 258 प्रतिशत तक बढ़ा दिया; हमने इसमें 0.03 प्रतिशत की वृद्धि की है। मैं नहीं समझता कि यह हमारे लिए जरूरी है हम उनसे कोई पाठ सीखें जिन्होंने तेल अर्थव्यवस्था का इस प्रकार कुप्रबन्धन किया था।

दूसरी ओर, मैं सोचता हूं हम अपने वामपंथी साथियों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो दुर्भाग्यवश मेरे दायीं ओर बैठे हुए हैं, प्रवक्ता, श्री लक्ष्मण सेठ, जिन्होंने सभा के सामने कई बार बुद्धिमता पूर्ण सुझाव दिये जिन्हें एन डी ए सरकार और मेरी सरकार ने सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के बारे में जो किया उसकी पूरी तरह से तुलना करके ही सही से समझा जा सकता है। मैं भूतपूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री, जो सौभाग्य से इस समय हमारे साथ सभा में हैं, यद्यपि उनके वरिष्ठ जो दुर्भाग्य से इस समय हमारे साथ सभा में नहीं है, को चुनौती देता हूं कि वे बताएं कि क्या यह सच नहीं है कि सत्ता में आने के बाद आप लोगों ने सबसे पहले पेट्रोल और कच्चे तेल पर सीमा शुल्क में वृद्धि नहीं की थी। उन्होंने पेट्रोल पर सीमा शुल्क को 30 से 32 प्रतिशत कर दिया था। तब, उन्हें 32 प्रतिशत से इसे 20 प्रतिशत तक लाने में 6 वर्ष लए गए। हमें पांच प्रतिशत की कटौती में केवल तीन माह का समय लगा और अन्य पांच प्रतिशत की कटौती में कुछेक माह का समय और लगा।

कच्चे तेल पर आज सीमा शुल्क 5 प्रतिशत है जो मार्च, 1998 में 27 प्रतिशत था। हमने इसे एक बटा पांच से भी कम कर दिया है। पेट्रोल पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत है जो कि मार्च, 1998 के 32 प्रतिशत का लगभग एक-तिहाई है। डीजल पर सीमा शुल्क 32 प्रतिशत की तुलना में 10 प्रतिशत है जो उन्होंने कार्यभार सम्भालते ही लगा दिया था। हमने केरोसिन तेल पर से सीमा शुल्क को शून्य तक कर दिया है और सभा को स्मरण होगा कि उन्होंने निर्धन वर्ग के लिए केरोसिन तेल, जिस पर 1998 में शून्य शुल्क था बढ़ा कर अब वे सत्ताच्युत हुए थे तो 10 प्रतिशत कर दिया था।

रसोई गैस के मामले में, मैं अपने भूतपूर्व मंत्री श्री गंगवार को बधाई देता हूं जिन्होंने अपने सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान सीमा शुल्क को 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया था। हमने पिछले बजट में इसे शून्य कर दिया।

अब मैं उत्पाद शुल्क की बात करता हूं। इसकी कहानी और भी दुखद है। एन डी ए सरकार ने कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क को सत्ता में आने के बाद 900 रु. प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर जब तक वे सत्ताच्युत हुए 1800 रुपये प्रति मी. टन कर दिया था। मैं नहीं सोचता कि यह उनकी जबान पर होगा यद्यपि यह श्री लक्ष्मण सेठ की जबान पर होगा जो हमें यह बतायेंगे कि कच्चे तेल पर उत्पाद शुल्क के बारे में क्या किया जाए। जब पेट्रोलियम की बात आती है तो एन डी ए सरकार का पेट्रोलियम पर उत्पाद शुल्क 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत बढ़ाने तथा 7.50 रु. प्रतिलीटर बढ़ाने का रिकार्ड है।

सायं 6.00 बजे

हमने यथामूल्य शुल्क पर कटौती आठ प्रतिशत तक कर दी है। जी, हां, यहां निर्धारित घटकों, विशिष्ट शुल्क में वृद्धि हुई है। हम इसे माननीय श्री लक्ष्मण सेठ द्वारा की गई टिप्पणियों के आलोक में देख सकते हैं।

डीजल के मामले में, अपने विपक्ष के मित्रों को डीजल पर उत्पाद शुल्क के सम्बन्ध में उनके उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने इसमें एक प्रतिशत तक की कटौती करने का साहस किया। उन्होंने यथामूल्य शुल्क को 15 प्रतिशत से 14 प्रतिशत तक कम कर दिया और तब हमें डरा दिया कि उन्होंने जो किया उसमें 1.50 रुपये प्रति लीटर का विशिष्ट शुल्क लगा दिया। यह उस दल का निष्पादन है जिससे श्री अविनाश राय खन्ना सम्बन्ध रखते हैं। हमारे दल जिसके साथ उन्हें सम्बन्ध न रखने का मान प्राप्त है, की उपलब्धि यह है कि हम यथा मूल्य दर को कम करके आठ प्रतिशत तक लाये है। विशिष्ट शुल्क में वृद्धि हुई है। हम इस पर श्री लक्ष्मण सेठ के कहे अनुसार विचार करेंगे।

पी डी एस एस के ओ के मामले में, सरकार, एन डी ए सरकार का यह रिकार्ड है कि ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बैठिए और सुनिए। किसी अन्य सदस्य की बात को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री मणि शंकर अय्यर: सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एस के ओ के संबंध में उनकी सरकार की प्रमुख उपलब्धि थी उत्पाद शुल्क को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत करना। मेरी सरकार की उपलब्धि है इसे 16 प्रतिशत से घटाकर शून्य करना।

घरेलू एल पी जी का उत्पाद शुल्क उन्होंने 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 16 प्रतिशत कर दिया था। हमने पहले इसे घटाकर आठ प्रतिशत किया और अब हमने इसे बिलकुल समाप्त कर दिया है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: आपने यहां बहुत सी बातें बताई। छः वर्ष तक हमारी सरकार की एक ही अचीवमेंट थी कि महंगाई न बढ़े। आपकी सरकार की क्या अचीवमेंट है, इस पर कुछ प्रकाश डालिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): इसके साथ एक और चीज बता दीजिए कि आने वाले दिनों में यही नीति चलती रहती, तो इसकी क्या कीमत हो गई होती। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मणि शंकर अय्यर जी, आप बोलिए। गंगवार जी बोले, मैंने उनको एलाउ किया था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ऐसा नहीं होगा, मैं एलाउ नहीं कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: मैंने गंगवार साहब को बोलने के लिए एलाउ किया था।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इस पर डिसक्शन कल भी है। ऐसा नहीं है, आप कल बोलना।

...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: क्या गंगवार जी अपनी बात नहीं कह पाए, ऐसे एकदम से ही ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: पवन कुमार बंसल जी, आप भी बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह ठीक नहीं है।

...*(व्यवधान)**

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (गढ़वाल): महोदय, मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि जब माननीय सदस्य मान रहे हैं तो उन्हें एक अवसर दिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। मैं अध्यक्षपीठ पर आसीन हूं। मंत्री महोदय, आप बोलना जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर: अध्यक्षपीठ ने मेरा मार्गदर्शन किया है। अध्यक्षपीठ ने मुझसे श्री खारबेल स्वाईं को बोलने का अवसर न देने का अनुरोध किया है। मैंने बोलने नहीं दिया।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप स्वयं ही मुझे बोलने का अवसर दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मणि शंकर अय्यर: हो सकता है वह ठीक न हो। वह अध्यक्षपीठ के आदेश हैं और सभा के अनुशासित सदस्यों के रूप में आपको और मुझे अध्यक्षपीठ के आदेशों का पालन करना चाहिए।

कुछ समय बाद मैं आपको हस्तक्षेप का काफी अवसर दूंगा और तब हम, सभा में मेरे द्वारा रखे गए तथ्यों के संबंध में आपके उत्तर सुनेंगे।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री मणि शंकर अय्यर]

मैं कोई बहस नहीं कर रहा हूं। मैंने केवल आंकड़े प्रस्तुत किए हैं तथा सभा के इस भाग, जो कि बिलकुल मेरे सामने है की सभी दलीलों का उत्तर देने के पश्चात अब मैं अपना ध्यान अपने वामपंथी मित्रों, विशेषकर माननीय श्री लक्ष्मण सेठ की ओर केन्द्रित करता हूं।

महोदय, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में कच्चे तेल की उत्पादन लागत, कुछ अन्य देशों की तुलना में शायद काफी कम है। मैं अब भी 'शायद' कहूंगा क्योंकि यह अभी तक पूरी तरह प्रमाणिक नहीं है। पिछले वर्ष हमने अपनी आवश्यकता के 76 प्रतिशत कच्चे तेल का आयात किया। हमारे तेल शोधन कारखाने अलग-अलग मूल्यों के आधार पर कार्य करे ऐसा आप नहीं सोच सकते। क्योंकि कच्चे तेल के आयात को 76 प्रतिशत का मूल्य एक समान होता हैं और उनके आगम के माल 24 प्रतिशत का मूल्य अलग होता है। इसलिए, हमें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर नहीं चलना चाहिए, इस मामले में मैं नहीं जानता कि 76 प्रतिशत आयात के संदर्भ में वामदलों ने क्या प्रस्ताव किया है। मुझे लगता है कि जहां तक कच्चे तेल के मूल्यों का संबंध है, उनमें आयात समानता होनी चाहिए और इसका अर्थ यह है कि ओ एन जी सी तथा ओ आई एल जैसी प्रमुख कंपनियों की आय, उनकी सामान्य आय से कहीं अधिक होगी।

प्रमुख प्रश्न यह है कि वे उस लाभ का क्या करेंगे। मैं आधे मिनट में ही इसका उत्तर देना चाहूंगा। हमारे तेल शोधक कारखाने, अन्य देशों के कारखानों की तुलना में लाभ का अधिक अंतर क्यों रखते हैं, इसका कारण हमारे करों का ढांचा है। सामान्यत: आदान पर कर उत्पादन की तुलना में अधिक होती है। इस देश में स्थिति इसके विपरीत है और यही कारण है कि हमारे देश में तेल शोधन लाभ का अंतर अधिक है। मैं स्वीकार करता हूं कि यह काफी अधिक है। और मैं इसी बात पर आ रहा हूं कि वे उस अधिक लाभ का क्या करते है।

तेल शोधन कारखानों के अधिक लाभ के अंतर को व्यापक राज सहायता के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है और ऐसा हमारा तेल क्षेत्र, भारतीय उपभोक्ताओं के लिए कर रहा है। वस्तुत: इसके परिणामस्वरूप वसूली बहुत कम होती है। हम प्रमुख तेल कंपनियों को यह आदेश दे रहे हैं कि वे राजसहायता में अपना अंशदान करें ताकि भारतीय उपभोक्ता को अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के घरेलू खुदरा मूल्यों पर पड़ रहे प्रभाव से अधिकतम सीमा तक बचाया जा सके।

मैं अब निजी क्षेत्र की ''वन स्टैंड एलोन रिफाइनरी'' का उल्लेख करूंगा। परन्तु भारत में प्रत्येक तेल शोधन कारखाना तथा इस समय कच्चे तेल का उत्पादन करने वाली कंपनियां सरकारी क्षेत्र की हैं। उनका लाभ, सरकार को दिए गए लाभांश के रूप में प्राप्त होता है और यह हमारे तेल क्षेत्र की सफलता है कि अंतत: वित्त मंत्री बच जाते हैं।

मैं जानता हूं कि मानीय श्री लक्ष्मण सेठ जी ने ध्यान दिलाया था कि तेल क्षेत्र, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के राजकोषों में लगभग 1,20,000 करोड़ रु. का योगदान देता हैं। हालांकि, इसमें बिक्री कर भी शामिल है। केन्द्र तथा राज्यों की सरकारों के बजट में आने वाली इस भारी धनराशि के भंडार से ही राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है।

अत: सिद्धान्त रूप में हमें इस कामधेनु को रूग्ण नहीं बनने देना चाहिए। हमारा तेल क्षेत्र स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही साथ तेल क्षेत्र को भी यह समझना चाहिए कि वे जनता की सेवा के लिए है और उसे हमारे उपभोक्ताओं को दी जा रही राज सहायता में अच्छी तरह से योगदान करना चाहिए तथा सरकार को राजस्व देना चाहिए।

क्या समायोजन की कुछ गुंजाइश है? मुझे विश्वास है कि गुजाईश है। श्री पी. चिदम्बरम के समक्ष चुनौती है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों को क्षति पहुंचाए बिना वह समायोजन हम किस प्रकार कर सकते हैं। वह वित्त नीति की बारीकियों के बारे में उत्तर देने में पूरी तरह सक्षम है। परन्तु, पेट्रोलियम मंत्री के रूप में मैं तेल क्षेत्र की कंपनियों का भार कम करना चाहूंगा तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर चल रहे मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में मेरा मानना है कि तेल क्षेत्र की कंपनियों के प्रभावी कार्यकरण से अधिक महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार अधिक प्रभावी रूप से कार्य करे। अत: एक संतुलन बनाना होगा।

आपने शायद वह सुझाव दिया है कि सड़क उपकर को मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से तेल क्षेत्र में अंशदान करना चाहिए। ऐसा हम अपने सड़क कार्यक्रम की कीमत पर ही कर सकते हैं। मैं नहीं समझता कि कोई भी ऐसा चाहेगा कि हम अपने सड़क कार्यक्रम को किसी भी प्रकार से रोके। इसके अतिरिक्त तेल उद्योग विकास उपकर भी है। तेल उद्योग विकास उपकर को समझने के लिए माननीय कामरेड श्री लक्ष्मण सेठ और उनके अन्य कामरेडों के लिए यह आवश्यक है कि वे पहले ओ आई डी अधिनियम की भाषा को सावधानीपूर्वक पढ़े। जिसमें उर्वरक उद्योग को एक तेल उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है। और माननीय वित्त मंत्री ने जो तर्क दिया है उसका न तो मैं खंडन करता हूं और न ही मेरे कामरेड इसका खंडन करने में समर्थ है। ओ आई डी की अधिकतर कार्यवाही उर्वरक उद्योग को राजसहायता देने की तरफ जाती है। यदि हम उर्वरक के संबंध में दी जाने वाली

राजसहायता में कमी करने का निर्णय लेते है तो इससे सबसे पहले हमारे किसान प्रभावित होंगे और यदि इसके परिणामस्वरूप भारत में कृषि उत्पादन में गिरावट आती है तो मैं किसी भी प्रकार से यह नहीं मानता हूं कि कृषि क्षेत्र की तुलना में पेट्रोलियम क्षेत्र को उच्च रेटिंग दी जा सकती है इसलिए अब हमारे सामने एक विधिक प्रश्न यह है कि क्या उर्वरक तेल उद्योग विकास के अंतर्गत आते है या नहीं इसके लिए हमें अधिनियम की भाषा पर गौर करना होगा और अधिनियम की भाषा के सावधानीपूर्वक अध्ययन से ऐसा ही प्रकट होता है और तत्पश्चात एक बड़ा राष्ट्रीय प्रश्न सामने आता है कि क्या हमें अपने किसानों और खेत मजदूरों को निराश करना चाहिए।

हालांकि यह बहुत आकर्षक विचार है लेकिन मुझे आशंका है यह इस प्रकार का नहीं है कि इसकी व्यवहारिकता तुरन्त दिखाई देगी। लेकिन मुझे इस विषय पर अपने वामपंथी कॉमरेड मित्रों के साथ हार्दिक प्रसन्नता होगी। मैं भी अपने वामपंथी मित्रों की तरह इस बात को स्वीकार करता हूं कि यदि हम इस विचार को व्यवहारिक रूप दे पाएंगे तो इससे मुझे भी प्रसन्नता होगी।

अब मैं "वन स्टैण्ड-एलौन रिफाइनरी" पर आता हूं यह रिफाइनरी रिलायंस है। मैं नहीं समझता हूं कि तेल नीति "वन स्टैण्ड एलोन रिफाइनरी" को समाप्त करने के लिए होनी चाहिए। इसलिए मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि डयूटी ड्रा-बैक केवल निजी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों के लिए उपलब्ध नहीं है। बल्कि जो इसका निर्यात करते है उनके लिए भी उपलब्ध है।

सभापति महोदय, गत वर्ष इस देश में उतनी राशि के तेल का आयात किया गया जितनी राशि तेल क्षेत्र ने देश को राजकोष में प्रदान की थी। हमने कच्चे तेल और कुछ उत्पादों के आयात पर 1,17,000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की थी। लेकिन क्योंकि हम न केवल निजी क्षेत्र से पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात कर रहे थे। यद्यपि मैं निजी क्षेत्र को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि वे इस क्षेत्र में अग्रणी थे। हमने 28 हजार करोड़ रुपये अर्जित किए और आयात की एक चौथाई कीमत की अदाएगी हमारे निर्यातकों द्वारा की गई थी।

क्या ऐसा 'सोने का अण्डा' देने वाली मुर्गी को कोई मारना चाहेगा? लेकिन इसके विपरीत मुझे ऐसा दिखाई देता है कि क्योंकि हमें तेल शोधन से अधिक लाभ होता है और हम भारत में तेल शोधन की क्षमता का निर्माण कर रहे है जबकि कई विकसित देश ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यह बात पूरी तरह संभव है और मैं इस गणमान्य सभा के समक्ष इसे एक राष्ट्रीय उद्देश्य के रूप में रखता हूं कि दक्षिण-पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया, अफ्रिका और यदि संभव हो तो यूरोपियन यूनियन तथा उत्तरी अमरीका के विकसित देशों में पेट्रोलियम उत्पाद भेजने के लिए भारत को एक निर्यात केन्द्र बनाए।

यदि हम इस प्रकार के उद्देश्यों को अपने दिमाग में रखते है तो मैं नहीं समझता कि तेल कंपनियों और उपभोक्ताओं के संबंध अपने भार को कम करने के लिए ड्यूटी ड्रा बैक में कटौती करनी पड़ेगी। यह एक ऐसा निर्णय है जिसे बहुत ही सावधानीपूर्वक लेना चाहिए।

हम निजी क्षेत्र के तेल शोधक कारखानों से उनके समर्थ्य के अनुसार अंशदान करने के लिए कह रहे है। कहने का अभिप्राय है कि उनके साथ व्यापार रियायत की बातचीत करके और उन्हें स्वयं को अनुशासित करने के लिए कहकर उनसे उनकी इच्छानुसार हमारे तेल क्षेत्र और हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान करने के लिए कह सकते है। जब जेट केरोसिन के लिए निर्यात बाजार ढूंढने का सवाल आए जो घरेलू सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली केरोसिन का सरल विकल्प है को, घरेलू बाजार के लिए ही उपलब्ध कराए। मैं नहीं समझता कि हमें सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच अथवा घरेलू क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के बीच विवाद को बढ़ाना चाहिए। यह हमारा अवधारक नहीं है।

इन स्थितियों में मैं कहना चाहता हूं कि जबकि आज हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सबसे गंभीर संकट का सामना कर रहे है यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि हमने अपने घरेलू उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभावों को कुछ हद रोकने के लिए, पूरी तरह रोकने के लिए नहीं लेकिन कुछ हद तक रोकने के लिए उपायों का कवच बनाने में समर्थ रहे है। हम ऐसा करना जारी रखेंगे। श्री अविनाश खन्ना ने मेरा जो वक्तव्य पढ़ा है मैं उस उद्धरण को पूरा करना चाहता हूं। हम 'समान रूप से भार वहन' करने संबंधी सिद्धान्त को क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे है जिसके अंतर्गत थोड़ा सा भार उपभोक्ताओं को उठाना होगा, थोड़ा सा अधिक भार सरकार को उठाना पड़ेगा और इसका सबसे ज्यादा भार तेल क्षेत्र को उठाना पड़ेगा। लेकिन इस भार को आम जनता के कंधों पर लादते हुए कृपया सरकारी क्षेत्र के उद्यम के शानदार उदाहरण को नष्ट न करे जो यह देश जानता है। तेल क्षेत्र ताज में जड़ा रत्न है। यह हमारे सिर का ताज है। हम इसे ऐसे ही नहीं फेंक सकते है। जैसाकि शैक्सपियर ने एक बार कहा था कि "दी बेस इंडियन थ्रू अवे दी पर्ल"। हमें तेल क्षेत्र को संरक्षित करने दे और साथ ही साथ हमें अपने उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए और बजटीय स्थिति की सुरक्षा के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो हम कर सकते है। यह सभी कृत्य संतुलन बनाने वाले है और मैं नहीं समझता कि विवादास्पद वातावरण में ऐसे किसी संतुलन कार्य को किया जा सकता है? आज आवश्यकता इस बात की है कि

[श्री मणि शंकर अय्यर

हमें देश के लिए अपने बीच इस बात को लेकर आम राय बनानी चाहिए कि हम तेल क्षेत्र अथवा गरीब उपभोक्ताओं को नुकसान पहुचाएं बिना किस प्रकार अपने तेल की अर्थव्यवस्था का बेहतर प्रबंधन कर सकते है।

श्री अनिल बसु: जो नया अन्वेषण कार्य चल रहा है उससे हम क्या आशा करें? ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री ने अभी हस्तक्षेप किया है। आप इस मुद्दे को कल उठा सकते है। वित्त मंत्री इस संबंध में अंतिम उत्तर देंगे।

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं इन्हें इसका उत्तर एक पंक्ति में देने के संबंध में आपकी अनुमति चाहता हूं।

हमारी अन्वेषण नीति को व्यापक सफलता मिली है इतनी सफलता मिली है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में गैस भंडार का पता चला है और मैं इस आशा के साथ यह घोषणा करता हूं कि इस वर्ष हम बंगाल की खाड़ी को दक्षिण एशिया का उत्तरी सागर बना देंगे। राजस्थान में जिस तेल भंडार का पता चला है। यह अन्वेषण इतना सफल रहा कि इस तेल की खोज करने वाली कंपनी केयर्न एनर्जी को वर्ष 2004 में लंदन स्टॉफ एक्सचेंज में उभरती हुई स्टॉक कंपनी घोषित की गई है। इसलिए हमारा घरेलू भविष्य उज्जवल हैं लेकिन इसके लिए हमें लम्बी दूरी तय करते हुए अपने देश में उपलब्ध 30 बिलियन टन को पूर्वानुमानित भंडार का पूरी तरह से दोहन करना होगा।

हमें घरेलू प्रयासों जो हम इंडियन आयल तथा इंडियन गैस ओवरसीज के अधिग्रहण के लिए प्रयास कर रहे हैं तथा आयात संबंधी प्रबंधों के बीच संतुलन बनाना होगा जो कि हमें अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करने होंगे।

श्री खारबेल स्वाईं: आप बहुत विद्वान व्यक्ति है। मैं यह जानता हूं। मैं केवल एक टिप्पणी देना चाहता हूं। आपने कहा था कि एन.डी.ए. शासन के दौरान पेट्रोल की कीमतों में 34 बार परिवर्तन हुआ। क्या आपने इसमें वे चार अवसर भी शामिल किए हैं जब हमने पेट्रोल व डीजल की कीमतें घटाई थी?

श्री मणि शंकर अय्यर: मैं इसमें वे चार अवसर भी शामिल करना स्वीकारता हूं जिससे ऐसा 29 बार हुआ जब उन्होंने इसमें वृद्धि की थी।

श्री खारबेल स्वाईं: यह एक साल में नहीं किया गया था। यह छह साल में किया गया था।

श्री मणि शंकर अय्यर: यह ठीक है। किन्तु उस अवधि में जब अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 18 डॉलर बढ़ी थी, श्री खारबेल स्वाईं तथा उनके सहयोगियों ने पेट्रोल की कीमतें 29 बार बढ़ाई थीं और वे इस तथ्य का आश्रय ले रहे हैं कि इन्होंने चार बार कीमतें कम की थीं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह सही नहीं है। पहले ही छह बजकर बीस मिनट हो चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब हम विशेष उल्लेख को आरंभ करेंगे। श्री चंद्रप्पन बोले।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चंद्रप्पन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप पहले ही बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री चंद्रप्पन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप पहले ही 15 मिनट बोल चुके हैं। मंत्री जी पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री सी.के. चन्द्रप्पन (त्रिचूर): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं। हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था जिसमें कहा गया था कि अल्प संख्यक या गैर-अल्प संख्यक गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में सरकार द्वारा न तो कोई आरक्षण नीति लागू की जा सकती है और न ही राज्य द्वारा प्रवेश का कोई कोटा या प्रतिशतता बढ़ायी या विनियोजित की जा सकती है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय ने व्यावसायिक कॉलेजों तथा उनमें प्रवेश के संबंध में अपनी स्थिति उलट दी है। अब यह हो रहा है कि सरकार का एक अलग दृष्टिकोण है। हमारा संविधान हमारे नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान करता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती नहीं दी गई तो इस देश में शिक्षा, विशेषकर व्यावसायिक शिक्षा अमीरों की विलासिता बन जाएगी। यह सामाजिक अन्याय है। सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हम इस निर्णय से कैसे उबरें? यह हमारे सामने एक बड़ी समस्या है।

कुछ महीने पहले, मानव संसाधन विकास मंत्री ने वादा किया था कि वे एक नया विधान लाएंगे जिससे सामाजिक हितों का ख्याल रखते हुए सीटों का साम्यपूर्ण वितरण सुनिश्चित हो सकेगा। अब केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे विधान को सामने लाने का उचित समय है ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि शिक्षा अमीरों की विलासिता न हो अपितु यह देश की आम जनता को उपलब्ध हो सके। मैं सदन से इस मामले में समर्थन चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, श्री पी. मोहन, श्री ए. कृष्णास्वामी, श्री रामदास आठवले तथा श्री एस.के. खारवेनथन को श्री चन्द्रप्पन द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर): मान्यवर सभापति जी, आज देश भर के नवोदय विद्यालयों में कक्षा 11 के बच्चों को 'मध्यकालीन भारत' पाठ्यपुस्तक के माध्यम से भारत का जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, उसमें भारतीय इतिहास, भारतीय महापुरुषों के बारे में बच्चों को गलत जानकारी दी जा रही है। महापुरुषों के बारे में अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। विशेष रूप से महाराजा छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान आदि महापुरुषों के लिए कहा गया है कि उन्होंने कभी आपने-सामने युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने जो कुछ राज्य जीते, वे सब छल से जीते। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भगवान श्री कृष्ण का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

मान्यवर, जानबूझकर केन्द्र सरकार के विद्यालयों में इस प्रकार का इतिहास पढ़ाए जाने से जहां विद्यार्थियों को देश के इतिहास के प्रति गुमराह किया जा रहा है वहीं यह देश के भविष्य के लिए भयंकर खतरा भी है। अत: मेरा आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री से आग्रह है कि देश में केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ाए जा रहे इतिहास में तुरन्त संशोधन किया जाए।

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण-मध्य): सभापति जी, माननीय सदस्या ने जो प्रश्न उठाया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है। महाराजा छत्रपति शिवाजी *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मोहन रावले जी, आप अपने आपको इस विषय से एसोसिएट कर सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं इस मुद्दे पर स्वयं को श्री मोहन रावले के साथ संबद्ध करता हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रदीप गांधी (राजनंदगांव): सभापति जी, मैं भी अपने आपको श्रीमती रूपाताई डी. पाटिल के साथ सम्बद्ध करता हूं।

सभापति महोदय: जो माननीय सदस्य एसोसिएट कर रहे हैं, उन्हें एसोसिएट किया जाएगा। उनका भाषण रिकार्ड पर नहीं जाएगा।

श्री मोहन रावले: सभापति जी, मैं अपने आपको एसोसिएट करता हूं, लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूं।

सभापति महोदय: मैंने उन्हें कहा था। उन्होंने पूरा विषय मेंशन कर दिया है। आप अपने आपको सिर्फ एसोसिएट कर सकते हैं, भाषण नहीं दे सकते हैं। आप कृपया नार्म्स को फौलोअप करिए और एसोसिएट करिए।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं इस मामले को संबंधित मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

सभापति महोदय: ठीक है।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं संपूर्ण राष्ट्र के ध्यानार्थ एक अति महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा उठाना चाहता हूं।

सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ ने एक विनियम दिया था कि स्व-वित्त पोषित व्यावसायिक कॉलेजों में, चाहे वे अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा चलाए जा रहे हों या बहुसंख्यक समुदाय द्वारा, कोई कोटा या आरक्षण नहीं हो सकता। अब इस निर्णय का यह दूरगामी प्रभाव होगा कि पिछड़े समुदायों, अनुसूचित जातियों

[श्री वरकला राधाकृष्णन]

तथा अनुसूचित जनजातियों के गरीब छात्रों को निजी व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलेगा। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। साथ ही, इस बात पर भी ध्यान दिया जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के ग्यारह न्यायधीशों की एक पीठ ने एक निर्णय दिया है, वह भी नुकसानदायक है किन्तु इतना नहीं है। अब ग्यारह न्यायधीशों की पीठ के निर्णय के विरुद्ध निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायधीशों वाली पीठ ने एक नया निर्णय दिया है जो कि संपूर्ण छात्र समुदाय के लिए बहुत नुसानदायक है तथा साथ ही हमारी शिक्षा प्रणाली पर एक धब्बा है। संपूर्ण व्यावसायिक अब निजी एजेंसियों के हाथ में रह गई है। हम यह सहन नहीं कर सकते। अत: मैं केन्द्र सरकार से नया विधान लाने का अनुरोध करता हूं क्योंकि शिक्षा समवर्ती विषय है।

इस क्षेत्र में राज्यों के साथ-साथ केन्द्र विधान बना सकता है। अत: मैं केन्द्र सरकार से एक विधान लाने का अनुरोध करता हूं ताकि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैदा की गई स्थिति से उबरा जा सके। यह वर्तमान ढांचे में अत्यधिक जरूरी है। साथ ही, मैं केन्द्र सरकार से प्रारूप केन्द्रीय विधान में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं जो कि अब सरकार के पास है। मैं यह कहूंगा, कि इसमें कई दोष हैं। इनका निराकरण जरूरी है अत: इन सभी पहलुओं को शामिल करते हुए एक नया विधान लाया जाए ताकि सर्वोच्च न्यायालय के विनियम को अप्रभावी किया जा सके। एक नया विधान लाना केन्द्र सरकार का दायित्व है।

अन्यथा पूरी शिक्षा प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी। उच्च शिक्षा प्रणाली भी खतरे में पड़ जाएगी। यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रचलित सभी आधुनिक मतों और सिद्धान्तों के विरुद्ध है। मैं नहीं जानता कि उच्चतम न्यायालय वैश्वीकरण की संस्कृति से प्रभावित है या नहीं। उच्चतम न्यायालय देश में उपलब्ध ऐसी स्थितियों के बावजूद ऐसा निर्णय दे रहे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं केन्द्र सरकार से पुन: एक नया विधान लाने का अनुरोध करता हूं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकांठा): सभापति महोदय, मैं गुजरात में वर्ष 2002 में दंगा पीड़ितों की गंभीर दुर्दशा और दयनीय स्थिति के प्रति इस सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह सही है कि गुजरात की सरकार ने इन हजारों परिवारों को एक एकड़ जमीन भी नहीं दी है। वे राज्य की राजधानी और श्री एल.के. आडवाणी के चुनाव क्षेत्र में बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। मेरा मतलब है कि उनके अपने चुनाव क्षेत्र में, पंचमहल में, गोधरा में और मेरे चुनाव क्षेत्र में लोगों को न तो एक एकड़ जमीन दी गई है और न ही उनका उचित पुनर्वास किया गया है। ऐसा इस तथ्य के बावजूद है कि केन्द्र सरकार ने 150 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं।

हमें नहीं पता कि धनराशि को किस तरह से व्यय किया जा रहा है। मैं ससंदीय कार्य मंत्री और गृह मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे गुजरात सरकार से स्थिति रिपोर्ट मांगें।

दूसरी तरफ बैठे माननीय सदस्य एक दिन नानावती आयोग की रिपोर्ट पर शोर-शराबा कर रहे थे, जो दिल्ली के 1984 के दंगा पीड़ितों के बारे में है। मेरा उनके साथ सहानुभूति है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया गुजरात के दंगा पीड़ितों और उनके लिए चलाए जा रहे राहत और पुनर्वास कार्यों, चाहे वह हिन्दु हो या मुसलमान, के बारे में कुछ कहें, यह सही है कि उनको पुनर्वासित नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा 150 करोड़ रुपए दिए जाने के बावजूद गुजरात सरकार द्वारा बहुत कम प्रयास किए गए हैं।

मैं गृह मंत्रालय से गुजरात सरकार से इस बारे में स्थिति रिपोर्ट मंगाए जाने का अनुरोध करूंगा कि राज्य के दंगा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने हेतु वास्तव में क्या किया गया है। उन्हें इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं, कई परिवारों को तो अभी तक कुछ भी राहत नहीं दी गई है।

मैं संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले को गृह मंत्रालय के साथ उठाएं और इस सभा को बताया जाए कि गुजरात सरकार ने 150 करोड़ रुपए की धनराशि को किस तरह से व्यय किया और गुजरात में सभी दंगा पीड़ितों को किस प्रकार से राहत दी गई और उनका पुनर्वास किया गया।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के मामले में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

देश के अंदर लोक सभा क्षेत्रों के नये परिसीमन का काम लम्बे समय से चर्चाओं में है। अब तक देश के अन्दर किन-किन राज्यों ने यह कार्य पूरा कर लिया है? क्या सरकार ने इसकी कोई समय सीमा निर्धारित की है? देश के अन्दर कई लोक सभा क्षेत्रों में व्यापक फेरबदल के प्रस्ताव किये गये हैं, जो माननीय सदस्यों में यह एक गंभीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। इससे विकास के कार्य भी कहीं न कहीं प्रभावित हो रहे हैं। क्या नये परिसीमन के आधार पर ही अगली लोक सभा के चुनाव कराये जाने पर विचार किया जा रहा है? क्या सरकार वर्तमान संख्या को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है?

मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले में सदन को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत): महोदय, कुछ दिन पहले हरियाणा के गुड़गांव में मजदूरों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ था, उसकी सारे देश ने, इस हाउस के लगभग सभी माननीय सदस्यों ने और सभी राजनीतिक दलों ने उस बर्बरतापूर्वक घटना की निंदा की थी। अभी तक वह मामला ठण्डा भी नहीं हुआ था कि 14 तारीख को रोहतक में उसी प्रकार का एक और काण्ड हुआ है। पुलिस ने उसी बर्बरता का परिचय देते हुए, औद्योगिक सुरक्षा बल से निकाले हुए साढ़े तीन हजार कर्मचारी जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, 6-7 दिन से धरने पर बैठे हुए थे और अपना मांग पत्र मुख्यमंत्री को देने जा रहे थे, उन्हें रास्ते में पुलिस ने रोका और वही हालात हुए, जैसे कि गुड़गांव में हुए थे। इसमें 50 लोग घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं। जब वे अस्तपाल में गए तो उन्हें वहां दाखिल नहीं किया गया, उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। मैं स्वयं अस्पताल गया था और डॉक्टरों से भी मिला था, लेकिन सरकार का उन पर इतना दबाव था कि उनको एडमिट नहीं किया गया बल्कि उन्हें सीधे थाने ले जाया गया और उन पर मुकदमा बनाया गया। उनको धमकी दी जा रही है कि यदि वे अपना धरना नहीं उठाएंगे तो गुड़गांव वाला हाल कर देंगे।

महोदय, यह बहुत शर्मनाक बात है कि गुड़गांव में इतना बड़ा मामला हुआ, लेकिन उसे उदाहरण के तौर पर पेश किया जा रहा है, यानी उस कांड को मान्यता दे दी गई है कि यदि हरियाणा में लोकतंत्र की आवाज उठायी जाएगी तो उसका गुड़गांव जैसा ही हाल होगा। जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, उसमें उन कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है। केन्द्र सरकार ने, गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय ने दिसम्बर, 2004 में उनकी भर्ती के लिए सैंक्शन दी थी ताकि उन्हें औद्योगिक सुरक्षा बल में रिक्रूट किया जा सके। हरियाणा विधान सभा से वह पास हुआ था, राज्यपाल महोदय ने उस पर हस्ताक्षर किए थे और बाकायदा उसकी अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकाली गयी थी तथा उन लोगों ने अप्लायी किया था। एक लम्बी प्रक्रिया, जो भर्ती के लिए होती है, उसके हिसाब से उन्हें भर्ती किया गया था। इसके बाद वे ट्रैनिंग पर चले गए। कई महीने ट्रैनिंग चलती रही। इसी बीच में चुनाव आ गए, सरकार बदली और सरकार बदलते ही, नई सरकार की नीयत खराब हो गई। उनके तीन महीने के ट्रैनिंग पीरियड को एक्सटेंड कर दिया गया। फिर उन सबको सामुहिक छुट्टी पर भेज दिया गया और पीछे से कैबिनेट ने फैसला करके, उनकी एक महीने की ट्रेनिंग, जो 30 जून को खत्म होनी थी, उससे पहले ही 29 जून को साढ़े तीन हजार कर्मचारियों को एकदम से बर्खास्त कर दिया गया। आज वे न्याय की मांग कर रहे हैं। यदि कोई तकनीकी फाल्ट है, जिनका कसूर है, जिन्होंने भर्ती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। आज साढ़े तीन हजार बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। उनमें बहुत जबर्दस्त एजीटेशन है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे गृह मंत्री जी को सूचना दे दें। उनमें से एक महिला कर्मचारी ने आत्मदाह कर लिया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। 17 आदमी अभी भी हड़ताल पर बैठे हैं और उन्होंने क्लीयर कट नोटिस दिया हुआ है कि यदि हमारी सुनवायी नहीं होगी या हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम सभी आत्मदाह कर लेंगे। इसलिए यह बहुत सीरियस मामला है। यह बहुत बड़ी बात बनेगी और गुड़गांव से भी बड़ा एपिसोड बनेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इस पर गौर करे और उन बच्चों को पुनः नौकरी पर रखा जाए या दूसरे महकमों में उनको एडजस्ट किया जाए। वहां की स्थिति बहुत गंभीर है, यह मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं।

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): भारत रत्न डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली महु (मध्य प्रदेश) में 1991 में एक स्मारक का कार्य शुरू हुआ था। मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें कुछ धन लगाया था, लेकिन वह स्मारक अभी भी अधूरा पड़ा है। उस स्मारक को पूर्ण करने के लिए करीब पांच करोड़ रुपये की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि केन्द्र सरकार का ध्यान इस ओर अभी तक नहीं गया है। डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के नाम पर पिछले 50 वर्षों में अनेक पार्टियों ने वोट मांगे हैं और उनमें से अनेक नेता सत्ता में रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि डा. बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली का स्मारक 15 वर्ष के बाद भी अधूरा पड़ा है। देश के महान नेताओं के स्मारक भावी पीढ़ी को दिशा देने की दृष्टि से प्रेरणा और तीर्थस्थली होते हैं। इसलिए केन्द्र सरकार से आग्रह है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार भारतरत्न डा. बाबासाहेब अम्बेडकर के स्मारक को पूर्ण करने के लिए उसे अविलंब पांच करोड़ की धनराशि दी जाए। आज उस स्मारक के आसपास भूमि बहुत कम है, काफी छोटा प्लॉट है। उस भूमि में से लगकर पंजाब रैजीमैंट की सातवीं बटालियन की भूमि है। इसलिए मेरी मांग है कि उस सेना की भूमि में से 50 एकड़ भूमि उस स्मारक में देकर उसका विस्तार करें और भारत का एक आदर्श, एक वैदीप्यमान स्मारक पूरे देश में हो। केन्द्र सरकार इस दृष्टि से पहल करे, यह मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: श्री चन्द्र दूबे। दूबे जी, आपसे अनुरोध है कि अपने वक्तव्य में किसी व्यक्ति विशेष का नाम न लें।

...(व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा लेकिन जो इंडस्ट्री के मालिक हैं *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बोलिए।

श्री चन्द्रशेखर दूबे: सभापति महोदय, मैं सदन के समक्ष कुछ ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं जिससे यह प्रतीत होता है कि इस देश की कानून व्यवस्था के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है। मेरा तात्पर्य बालको को लीज्ड भूमि पर स्टार लाइट इंडस्ट्री द्वारा 675 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट, कोरबा छत्तीसगढ़ लगाने से है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि क्या मात्र 11 महीने में 540 मेगावाट पावर प्लांट का निर्माण हो सकता है? दूसरी हैरानी की बात यह है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 50,000 हरे-भरे पेड़ काटने की अनुमति दी गई, जैसा कि बालको को रैपिड ईआईए रिपोर्ट के पेज 26 के अंतिम पैरा में उल्लेख किया गया है? पूरी जानकारी होते हुए भी स्टार लाइट इंडस्ट्री को एनओसी कैसे दिया गया?

इन 50,000 पेड़ों की पुष्टि स्थानीय नायब तहसीलदार चाम्बा एवं अधी.भू.अभि., रायपुर ने अपनी एक विभागीय रिपोर्ट "बालको के कब्जे की भूमि का सीमांकन प्रतिवेदन" द्वारा यह उल्लेख किया है कि "इस बात की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता कि बालको प्रबंधन द्वारा 50,000 पेड़ों की कटवाई कर ली होगी।" यही नहीं, तहसीलदार कोरबा द्वारा रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि स्टार लाइट इंडस्ट्री ने न केवल 1036.52 एकड़ शासकीय भूमि पर बल्कि 914.31 एकड़ अर्जित की गई निजी भूमि, जिसका अभी तक लैंड डायवर्शन भी नहीं हुआ, पर अपना अवैध कब्जा जमा लिया है। इन आंकड़ों से ऐसे लगता है कि स्टार लाइट इंडस्ट्री के आगे कानून नाम की कोई चीज ही मायने नहीं रखती और दूसरी ओर शासकीय एवं अर्जित की गई निजी भूमि पर अवैध कब्जा जमाने पर कई गरीब लोगों के घरों को बुलडोजर चलाकर नष्ट तो किया ही, मगर इस पूरे अवैध कब्जे से छत्तीसगढ़ सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपये का चूना लगाया जा रहा है। इससे लगता है कि ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पावर प्लांट लगाने की अनुमति देते समय यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि इसके निर्माण में कौन सी, किसकी और कितनी एकड़ भूमि का प्रयोग किया जा रहा है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि लगभग 1950 एकड़ अवैध भूमि वाले कब्जे को मुक्त कराने के साथ-साथ स्टार लाइट इंडस्ट्री के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाए और इस पूरे प्रकरण की सीबीआई द्वारा जांच करवाई जाए।

[अनुवाद]

श्री मणि चारेनामै (बाहरी मणिपुर): 13 अगस्त को शाम 6.00 बजे बम्बई के गेटवे आफ इंडिया पर मणिपुर की एक निर्दोष नागा युवती की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई और उसकी सहेली को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया इस घटना से पूरा राष्ट्र स्तब्ध है। दिल्ली और देश के अन्य शहरों में पूर्वोत्तर भारत की लड़कियों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। हमारा देश पूर्वोत्तर भारत के लोगों के लिए असुरक्षित बन रहा है।

महोदय, ऐसा समाचार है कि यह जघन्य हत्या मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा की गई थी जिसने उसी सुबह अपने पिता को 12 बार छुरा घोंपा था लेकिन पूरे राष्ट्र द्वारा यह ज्वलंत प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपराधी को अपने पिता को छुरा घोंपते समय ही क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया था? उसे परिवार के सदस्यों और प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा घटनास्थल से भागने क्यों दिया गया था? पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की और अन्त में महत्वपूर्ण बात यह है कि आरोपी पूर्वोत्तर की लड़कियों को क्यों निशाना बना रहे हैं?

महोदय, कुछ महीने पहले कतिपय किसी कट्टरपंथी समूह ने पूर्वोत्तर की लड़कियों के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए पोस्टर अभियान चलाया था कि वे भारत के लोगों को आकर्षित और उत्तेजित कर रही हैं।

अतएव यह यकीन करना मुश्किल है कि आरोपी इसके प्रभाव से अछूते रहे होंगे।

अतएव मैं गृह मंत्री से अनुरोध करता हूं कि यह पता लगाने के लिए पूरी जांच करायी जाए कि क्या पूर्वोत्तर भारत के लड़के-लड़कियों पर हमला करने की कोई सुनियोजित योजना है। 2. कानून के अनुसार आरोपियों को सजा दी जाए। 3. पीड़ित व्यक्ति के परिजनों को अनुग्रह राशि देकर क्षतिपूर्ति की जाए।

सभापति महोदय: श्री लक्ष्मण सेठ।

आप पुन: अपनी सीट पर नहीं है।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): महोदय, में आपसे अनुमति ले रहा हूं।

सभापति महोदय: आपको पहले अनुमति लेनी चाहिए। मैंने यही बात आपके पिछले भाषण के समय भी बताई थी।

श्री लक्ष्मण सेठ: महोदय, मुझे खेद है।

महोदय, कल स्वतंत्रता की 58वीं वर्षगांठ मनायी गयी। कल नौ राज्यों में जनजाति के हजारों लोगों ने जनजाति विधेयक (भूमि के अधिकार को मान्यता) को पुर:स्थापित किए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

महोदय, हमारे देश में लगभग 70 लाख आदिवासी अब भी भूमिहीन हैं। उनके पास वन क्षेत्र में भूमि का अधिकार नहीं है।

महोदय, गत सत्र में भी चर्चा हुई थी कि आदिवासी लोगों को वन क्षेत्र में भूमि का अधिकार देते हुए इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जाएगा। किन्तु मुझे पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में इस विधेयक को अभी तक पुर:स्थापित नहीं किया गया है। आदिवासी लोग व्यवहारत: मूल निवासी है। वे वनों में रह रहे हैं। वे वनों के पर्यावरण से जुड़े हैं। अत: उन्हें वन क्षेत्र से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। वे अन्य पर्यावरण में नहीं रह पाएंगे। एक आशंका यह जताई जा रही है कि यदि उन्हें वन क्षेत्र में भूमि का अधिकार दिया गया तो जंगल नष्ट हो जाएंगे और वन्य जीव खत्म हो जाएंगे। किन्तु यह सही नहीं है। यदि हम आदिवासी लोगों को वन का प्रबंधन सौंपेगें तो वे वनों और वन्यजीवों की रक्षा करेंगी। समाज के उच्च वर्गों से कुछ समूह हैं जो वन और वन्य जीवों के संरक्षण तथा बाघों के अवैध शिकार के नाम पर इस विधेयक के पुर:स्थापन में समस्याएं खड़ी कर रहे हैं।

अत:, महोदय यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपके माध्यम से सरकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि शीघ्र ही इस विधेयक को पुर:स्थापित किया जाए जैसा कि कल अपने भाषण में उन्होंने वायदा भी किया था।

मैं आपसे यह अनुरोध भी करना चाहूंगा कि इस विधेयक को इसी सत्र में लाएं ताकि 70 लाख आदिवासी लोगों को अपनी आजीविका चलाने के लिए वन क्षेत्र में भूमि का अधिकार मिल सके।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): माननीय सभापति जी, मैं इस सभागृह में आपका ध्यान कोल इंडिया में विस्थापित काश्तकार भाइयों की तरफ दिलाना चाहता हूं। कोल इंडिया में कोयला उत्खनन के लिए कोयलाधारी क्षेत्र को एक्वायर किया जाता है। इस देश में उनके स्थानों पर, जहां-जहां कोयलाधारी क्षेत्र हैं, वहां पर जमीन आवंटित करके कोयले की खानों का निर्माण किया जाता है। हमारे क्षेत्र में, नागपुर क्षेत्र में डब्ल्यूसीएल का पश्चिमांचल क्षेत्र है। यहां चन्द्रपुर, यवतमाल, नागपुर आदि क्षेत्रों के अनेक किसानों की भूमि यह कहकर आवंटित की गयी कि इस भूमि के बदले हम आपको मुआवजा तथा आपके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। इसी आशा से किसान भाइयों ने अपनी भूमि कोल इंडिया को दे दी। लेकिन पिछले पांच-छ: साल से कोल इंडिया के अधिकारी, डब्ल्यूसीएल के अधिकारी इन किसान भाइयों को नौकरी देने से मना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको मुआवजा देने में भी विलंब कर रहे हैं। इसके साथ-साथ उस मुआवजे पर कोई ब्याज भी नहीं देते। किसान पांच-छ: साल तक मुआवजा पाने के लिए तड़पता रहता है। किसान भाई जो उस जमीन पर खेती करके अपना जीवनयापन करते थे, अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे, उससे आज वे हाथ धोकर बैठे हुए हैं। उन किसानों के भूखे मरने की नौबत आई हुई है। अनेक बार हमने अपनी तरफ से भी अनेक पत्र, चिट्ठियां भेजी हैं और पिछले महीने में अनेक आंदोलन भी हुए हैं। डब्ल्यूसीएल, कोल इंडिया के अधिकारियों के हैड ऑफिस पर घेराव भी किया गया लेकिन उसके बावजूद भी अभी डब्ल्यूसीएल, कोल इंडिया के अधिकारी इन लोगों को रोजगार देने के लिए कोई कदम उठाने की तरफ पहल नहीं कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिन किसान भाइयों की भूमि कोल इंडिया ने ली है, उन्हें तुरंत नौकरी देने के लिए पहल करे और उनको नौकरी दी जाए। जिनको पैसा, मुआवजा देना है, जिनकी राशि देनी है, इस राशि को भी तुरन्त उन लोगों को दिया जाए।

मैं आपके सामने दूसरी बात कहना चाहता हूं। जहां पर कोयले का उत्खनन होता है, उसके आसपास के गांव उजड़ जाते हैं और उनका काफी नुकसान होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन गांवों का पुनर्वास किया जाए। हमारे चन्द्रपुर, बल्हारपुर, माजरी क्षेत्र और वनी उमरेड क्षेत्र में ऐसे कई गांव हैं जहां पर कोयले का उत्खनन करके ब्लास्टिंग की जाती है और कोयला निकाला जाता है, उससे बहुत बड़ी आपदा आ सकती है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इन दोनों बातों को अर्थात जिन किसानों की जमीन कोल इंडिया ने ली है, उनको नौकरी और मुआवजा व पैसा दिया जाए और गांवों का पुनर्वास जल्दी से किया जाए, इस दिशा में तुरंत कदम उठाए जाएं।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय कोयला मंत्रालय ने भू विस्थापितों को तत्काल प्रभाव से रोजगार देने को रोकने हेतु निर्देश दिए हैं। इसके परिणामत: रोजगार नहीं दिए जाने से भूमि नहीं मिलेगी और भूमि नहीं मिलने से कोयला नहीं मिलेगा। महानदी कोल फील्ड लिमिटेड देश में अधिकांश विद्युत संयंत्रों के लिए प्रमुख कोयला आपूर्तिकर्ता है। अब इसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एक स्रोत के अनुसार, एम सी एल और राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा जांच के पश्चात अंतिम स्वीकृति हेतु एम सी एल के पास तत्काल में 8000 रोजगार के प्रस्ताव लम्बित है। इस प्रतिबंध से चालू खनन कार्य प्रभावित होगा और तालचेर, इब घाटी और वसुन्धरा क्षेत्रों के हजारों भू-विस्थापित रोजगार से वंचित रह जाएंगे। इससे तीन नई कोयला खानों, तालचेर में दो

[श्री भतृहरि महताब]

और सुन्दरगढ़ के वसुन्धरा क्षेत्र में एक कोयला खान खोलने की संभावना खतरे में पड़ जाएगी। वर्ष 1998 में केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए। इसी प्रकार के निर्णय को कड़े प्रतिरोध के बाद वापस लेना पड़ा। हाल ही में, निर्माणाधीन दो कोयला परियोजनाएं एक कनीहा और दूसरी भुवनेश्वरी में हैं जो एन.टी.पी.सी. के कनीहा संयंत्र से जुड़ी हैं। उनकी वार्षिक उत्पादन क्षमता क्रमशः 3.5 मिलियन और 10 मिलियन टन है। वस्तुतः कनीहा खानों के शुरू किए जाने का आश्वासन दिए जाने के पश्चात एन.टी.पी.सी. ने 2000 मेगावाट का विस्तार किया है। ऐसे समय में जब देश में ऊर्जा क्षेत्र कोयले की कमी झेल रहा है तब मंत्रालय का खनन कार्य को किसी और को सौंपने के निर्णय ने कोयला खानों के भविष्य को अनिश्चित बना दिया है।

यह राज्य सरकार की पुनर्वास नीति का खुला उल्लंघन है। राज्य सरकार की नीति यह निर्धारित करती है कि कोयला खानों द्वारा विस्थापित किए गए सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यह प्रतिबन्ध उड़ीसा सरकार को अस्वीकार्य है। उन्होंने सीधे केन्द्र सरकार को लिखा है। कोयला खान क्षेत्रों के लोग अपनी भूमि गवाएंगे, उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा और दोनों ही तरफ से उनका नुकसान होगा, और इन खनन कार्यों के कारण व्यावहारिक रूप से वे सब कुछ गवां बैठेंगे। उड़ीसा राज्य इसे सहन नहीं करेगा। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह वास्तविकता को जाने और शीघ्र इस प्रतिबन्ध को हटाए।

सभापति महोदय: अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 17 अगस्त, 2005/26 श्रावण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री रवि प्रकाश वर्मा	301
2.	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी श्री हेमलाल मुर्मू	302
3.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी श्री बाडिगा रामकृष्णा	303
4.	श्री ए. साई प्रताप श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	304
5.	श्री स्वदेश चक्रवर्ती डा. रामचन्द्र डोम	305
6.	श्री प्रहलाद जोशी श्री रघुवीर सिंह कौशल	306
7.	श्री जसुभाई धानाभाई बारड़	307
8.	श्री रतिलाल कालीदास वर्मा श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण	308
9.	श्री रायापति सांबासिवा राव	309
10.	श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	310
11.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	311
12.	श्री राम सिंह कस्वां	312
13.	डा. के. धनराजू	313
14.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	314
15.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी	315
16.	श्री अनन्त नायक श्री जीवाभाई ए. पटेल	316
17.	कुंवर मानवेन्द्र सिंह	317
18.	प्रो. महादेवराव शिवनकर श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा	318
19.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	319
20.	श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार	320

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अजय कुमार, श्री एस.	3190, 3279
2.	अंगड़ि, श्री सुरेश	3248
3.	अप्पादुरई, श्री एम.	3131
4.	आठवले, श्री रामदास	3176, 3234, 3258, 3270, 3276
5.	बैठा, श्री कैलाश	3204
6.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3180
7.	बर्मन, श्री हितेन	3175, 3278
8.	बर्मन, श्री रनेन	3158, 3219
9.	भक्त, श्री मनोरंजन	3145, 3212
10.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	3203
11.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3147, 3185, 3244
12.	बोस, श्री सुब्रत	3158
13.	चन्देल, श्री सुरेश	3184
14.	चौरे, श्री बापू हरी	3133, 3236
15.	चव्हाण, श्री हरिश्चन्द्र	3213
16.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3147
17.	चौधरी, श्री पंकज	3155, 3227, 3254
18.	चौधरी, श्री अधीर	3182
19.	धनराजू, डा. के.	3237, 3260
20.	गढ़वी, श्री पी. एस.	3166, 3180, 3238
21.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3151, 3205
22.	गांधी, श्री प्रदीप	3225, 3264
23.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	3193, 3243
24.	गौडा, श्री डी. वी. सदानन्द	3181

1	2	3
25.	गुढ़े, श्री अनंत	3183, 3263
26.	हसन, श्री मुनव्वर	3152
27.	जय प्रकाश, श्री	3202
28.	जटिया, डा. सत्यनारायण	3154
29.	झा, श्री रघुनाथ	3136, 3208, 3255, 3274
30.	जोगी, श्री अजीत	3169
31.	जोशी, श्री प्रहलाद	3217
32.	कनोडीया, श्री महेश	3130
33.	कस्वां, श्री राम सिंह	3219
34.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3138, 3242
35.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3140, 3186, 3220, 3268
36.	कुप्पुसामी, श्री सी.	3159
37.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	3247
38.	"ललन", श्री राजीव रंजन सिंह	3179
39.	लक्ष्मण, श्रीमती सुशीला बंगारू	3199
40.	महाजन, श्री वाई.जी.	3184, 3219
41.	महतो, श्री वाई.जी.	3153, 3165
42.	महताब, श्री भर्तृहरि	3174
43.	माझी, श्री परसुराम	3126, 3174
44.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	3249
45.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	3160
46.	मंडल, श्री सनत कुमार	3149, 3200. 3205
47.	माने, श्रीमती निवेदिता	3205
48.	मनोज कुमार, श्री	3132
49.	मनोज, डा. के. एस.	3187
50.	मेघवाल, श्री कैलाश	3139
51.	मेहता, श्री आलोक कुमार	3168, 3231

1	2	3
52.	मिश्रा, डा. राजेश	3166
53.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	3171
54.	मो. ताहिर, श्री	3247
55.	मोहिते, श्री सुबोध	3170
56.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3148
57.	मूर्ति, श्री ए. के.	3163, 3239
58.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3224
59.	नायक, श्री ए. वेंकटेश	3201
60.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	3189
61.	नायक, श्री अनन्त	3209, 3256, 3261
62.	निखिल कुमार, श्री	3182
63.	ओराम, श्री जुएल	3142, 3174, 3215
64.	ओवेसी, श्री असादुद्दीन	3180, 3191, 3280
65.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3253
66.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3250
67.	पाठक, श्री ब्रजेश	3143, 3218, 3252, 3272, 3277
68.	पाटील, श्रीमती रूपाताई डी.	3135, 3189
69.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	3205
70.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3141, 3229, 3256, 3267
71.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3188, 3205
72.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	3167
73.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	3230
74.	राजेन्द्र कुमार, श्री	3150
75.	राजेन्द्रन, श्री पी.	3144
76.	रामदास, प्रो. एम.	3239

1	2	3
77.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	3137, 3211, 3223, 3267
78.	राणा, श्री काशीराम	3232
79.	राणा, श्री रविन्दर कुमार	3197
80.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	3216, 3251, 3275
81.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3162, 3165, 3232
82.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	3239
83.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	3177, 3235, 3259, 3271
84.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3153
85.	सज्जन कुमार, श्री	3222
86.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3163, 3164, 3278
87.	सत्पथी, श्री तथागत	3137
88.	सेन, श्रीमती मिनाती	3127, 3221
89.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3257
90.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3128, 3210, 3262, 3273
91.	शाहिद, मोहम्मद	3195, 3247
92.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	3237, 3260
93.	शर्मा, श्री मदन लाल	3183, 3241, 3263
94.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3178, 3228, 3265
95.	शिवन्ना, श्री एम.	3163
96.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3214, 3247
97.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	3186
98.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	3198
99.	सिंह, श्री अजीत कुमार	3219
100.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	3173
101.	सिंह, श्री दुष्यंत	3196
102.	सिंह, श्री गणेश	3146, 3178, 3240, 3265
103.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	3156, 3197
104.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3245, 3256
105.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3134, 3226, 3266
106.	सिंह, रेवती रमन	3172, 3233
107.	सिंह, श्री सीताराम	3157
108.	सिंह, श्री उदय	3256
109.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	3281
110.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	3130
111.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	3161
112.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3200
113.	सुमन, श्री रामजीलाल	3179
114.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	3129, 3206, 3219
115.	थामस, श्री पी.सी.	3192, 3282
116.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3207, 3253
117.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	3213
118.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3265
119.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	3151
120.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	3165
121.	यादव, श्री पारसनाथ	3155
122.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	3194, 3246

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	307
वाणिज्य और उद्योग	:	309, 310, 311, 312, 316
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	302, 303, 306, 314, 317, 318
मानव संसाधन विकास	:	301, 304, 305, 313, 315, 320
संसदीय कार्य	:	
लघु उद्योग	:	319
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	308
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	3183, 3186, 3224, 3232, 3270, 3272,
वाणिज्य और उद्योग	:	3129, 3131, 3136, 3138, 3139, 3140, 3142, 3144, 3148, 3149, 3157, 3163, 3164, 3172, 3174, 3175, 3177, 3181, 3192, 3195, 3205, 3209, 3212, 3213, 3216, 3230, 3231, 3238, 3241, 3244, 3247, 3251, 3252, 3264, 3269, 3271, 3275, 3279, 3282
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	3161, 3234
गृह	:	3126, 3132, 3133, 3137, 3141, 3147, 3151, 3152, 3153, 3155, 3156, 3167, 3168, 3182, 3185, 3188, 3191, 3197, 3199, 3202, 3208, 3211, 3214, 3221, 3233, 3237, 3243, 3253, 3260, 3263, 3265, 3274
मानव संसाधन विकास	:	3135, 3169, 3170, 3180, 3189, 3194, 3198, 3200, 3201, 3203, 3204, 3215, 3220, 3223, 3225, 3228, 3229, 3245, 3257, 3259, 3267, 3268, 3273, 3278
संसदीय कार्य	:	3258
लघु उद्योग	:	3128, 3145, 3146, 3162, 3165, 3184, 3219, 3239, 3240, 3248
जनजातीय कार्य	:	3143, 3158, 3171, 3173, 3193, 3196, 3227, 3236
शहरी विकास	:	3127, 3130, 3134, 3150, 3159, 3160, 3166, 3176, 3178, 3179, 3187, 3190, 3206, 3207, 3217, 3222, 3226, 3242, 3246, 3249, 3250, 3255, 3256, 3261, 3262, 3266, 3276, 3277, 3280
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	3154, 3210, 3218, 3235, 3254, 3281.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/12/16/2005 (एन०)

232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।